सप्तम माला, खंड 15, अंक 36, सोमवार, 6 अप्रैल, 1981/16 चैत्र 1903 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद
का
हिन्दी संस्करण

(पांचवां सत्र)

सत्यमेव जयते

[खंड 15 में अंक 31 से 40 तक हैं]

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : चार रुपये

विषय सूची

अंक 36, सोमवार, 6 अप्रैल, 1981/16 चैत्र 1903 (शक)

विषय	पृष्ठ
निधन सम्बन्धी उल्लेख :	1—6
प्रश्नों के मौखिक उत्तर :	6—26
*तारांकित प्रश्न संख्या 680 681, 685. 690 और 692	6—23
प्रश्नों के लिखित उत्तर :	27—186
तारांकित प्रश्न संख्या : 682, से 684, 686 से 689 और 694 से 701	27—37
अतारांकित प्रश्न संख्या : 6406 से 6415, 6417 से 6531, 6533 से 6589 और 6591 से 6605	37—137
स्थगन प्रस्ताव आदि के बारे में	186—193
विशेषाधिकार का प्रश्न	193—197
गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश में पुलिस द्वारा श्री मोगेन्द्र झा के साथ मारपीट	193
सभापटल पर रखे गये पत्र	197—200
नियम 377 के अधीन मामले	200—211
(एक) 3 अप्रैल, 1981 को गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश में पुलिस द्वारा श्री मोगेन्द्र झा के साथ मारपीट	200—206
श्री मोगेन्द्र झा	
(दो) एक ग्रामीण आवास बोर्ड की स्थापना किये जाने की आवश्यकता	
प्रो० निर्मला कुमारी शक्तावत	206—207
(तीन) आंध्रप्रदेश सीमेंट कम्पनी, विजयवाड़ा को कोयले की उचित किस्म के सप्लाई करने के प्रयत्न	
श्रीमती विद्या चेन्नुपति	207—208
(चार) उत्तर प्रदेश के बुंदेलखण्ड क्षेत्र में पीने के पानी की कमी को दूर करने के उपाय	
श्री रामनाथ दुबे	208
(पाँच) उत्तर प्रदेश में आलू उत्पादकों को लगातार लाभकारी मूल्य दिये जाने को सुनिश्चित करने के उपाय	
श्री जयपाल सिंह कश्यप	209
(छः) सूखे की स्थिति का सामना करने के लिये तमिलनाडु को सहायता	
श्री एन० डेनिस	209
(सात) केरल के हथकरघा उद्योग में संकट	
श्री के० कुन्हाम्बू	210

*किसी नाम पर अंकित यह चिन्ह× इस बात का द्योतक है कि उस प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने पूछा था।

विषय	पृष्ठ
(आठ) उत्तर सीमान्त रेलवे के दार्जिलिंग हिमालय सेक्शन पर रेलगाड़ियाँ पुनः चालू करने की आवश्यकता	
श्री आनन्द पाठक	211
अनुदानों की माँगें—1981-82	211—272
संचार मंत्रालय	
श्री टी० एस० नेगी	212
श्री पी० नामग्याल	214
श्री आर० के० महालगी	216
श्री मनीराम बागड़ी	219
श्री कृपासिन्धु भोई	220
श्री विजय कुमार यादव	223
श्री शिव कुमार सिंह ठाकुर	226
श्री डूमर लाल बैठा	229
श्री वीरभद्र सिंह	233
श्री सुन्दर सिंह	237
श्री सी० एम० स्टीफन	238
अनुदान की माँगें, 1981-82	257
श्रम मंत्रालय	257
श्री आनन्द पाठक	258
श्री मूल चन्द्र डागा	261

लोक सभा

सोमवार, 6 अप्रैल, 1981/16 चैत्र, 1903 (शक)

लोक सभा ग्यारह बजे समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुये)

निधन सम्बन्धी उल्लेख

अध्यक्ष महोदय : मुझे सभा को सूचित करना है कि हमारे तीन भूतपूर्व सहकर्मियों, श्री आर० के० नेहरू, श्री नवाब सिंह चौहान और श्री विभूति मिश्र का दुखद निधन हो गया है।

श्री आर० के० नेहरू 1946 में केन्द्रीय विधान सभा के सदस्य थे, वह भारतीय सिविल सेवा के भूतपूर्व सदस्य थे और उन्होंने विदेश मंत्रालय के महा सचिव के पद सहित अनेक बड़े-बड़े पदों पर काम किया।

वह चीन और अन्य देश में भारत के राजदूत रहे। उन्होंने अनेक अवसरों पर संयुक्त राष्ट्र महा सभा में भी भारत को प्रतिनिधित्व किया।

वे 1965 से 1976 तक इलाहाबाद विश्वविद्यालय के कुलपति रहे। उनका 78 वर्ष की आयु में 2 अप्रैल, 1981 को देहान्त हुआ।

श्री नवाब सिंह चौहान 1977-79 के दौरान उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ निर्वाचन क्षेत्र से छठी लोक सभा के सदस्य रहे। इससे पूर्व वह 11 वर्ष से अधिक समय तक राज्य सभा के सदस्य रहे थे। वह उत्तर प्रदेश विधान सभा के भी तीन वर्ष तक सदस्य रहे थे।

वह वयोवृद्ध स्वतंत्रता सेनानी थे और स्वतंत्रता आन्दोलन के दौरान जेल गये थे।

वह दो से भी अधिक कार्यकाल के लिए अलीगढ़ जिला परिषद के अध्यक्ष रहे और किसान मजदूर यूनियनों तथा शिक्षा संस्थानों से सम्बद्ध रहे।

वह एक प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्त्ता थे और उन्होंने हरिजनों के उत्थान तथा ग्रामीण विकास के लिए कार्य किया।

4 अप्रैल, 1981 को 72 वर्ष की उम्र में अलीगढ़ में उनका देहान्त हुआ।

श्री विभूति मिश्र 1952-77 के दौरान पहली से पांच की लोक सभा के बिहार के मोतिहारी निर्वाचन क्षेत्र से सदस्य रहे।

वह एक वयोवृद्ध स्वतंत्रता सेनानी थे और उन्होंने असहयोग आन्दोलन तथा सत्याग्रह आन्दोलनों में भाग लिया था तथा कई बार जेल गये थे।

उन्होंने 1961 में ब्रिटेन में राष्ट्र मंडल संसदीय सम्मेलन में भाग लिया था। वह संसद में कांग्रेस दल के उप नेता भी थे।

वह एक प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्त्ता थे और उन्होंने पद्दलितों, किसानों और मजदूरों के लिए काम किया।

4 अप्रैल, 1981 को 81 वर्ष की उम्र में मोतिहारी में उनका देहान्त हुआ।

हम इन मित्रों के निधन पर गहरा शोक व्यक्त करते है और मुझे विश्वास है कि सभा मेरे साथ उनके शोक संतप्त परिवारों को अपना संवेदना संदेश देने में शामिल होगी।

सभा अपना शोक व्यक्त करने के किए मौन खड़ी हो।

इसके पश्चात् सदस्य कुछ क्षण मौन खड़े रहे।

श्री ज्योतिर्मय वसु : मैंने पश्चिम बंगाल पर अपना प्रस्ताव लिए जाने के लिए प्रश्न काल स्थगित करने के लिए नियम 388 के अधीन सूचना दी है।···

अध्यक्ष महोदय : बसु जी, मैंने पहले ही सूचित किया है कि इसकी अनुमति नहीं दी जा रही है।

श्री ज्योतिर्मय बसु : केन्द्र सरकार ने सांठगांठ की है और सामान्य काम में बाधा डाली है···(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : इसकी अनुमति नहीं दी गई है।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मुझे अभी निवेदन करना है···आप इसे अस्वीकार कर सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय : कोई प्रश्न ही पैदा नहीं होता। मैं इसकी अनुमति नहीं देता हूँ।

श्री ज्योतिर्मय ब ु : यह नहीं हो सकता। जब नियमों में यह व्यवस्था है कि···

अध्यक्ष महोदय : यह पहले हो चुका है।

श्री ज्योतिर्मय बसु : जब नियमों मैं यह व्यवस्था है···

अध्यक्ष महोदय : यह अध्यक्ष की सहमत्ति से होता है और मेरी सहमति नहीं है।

श्री ज्योतिर्मय बसु : सहमति के लिए मुझे मामला बनाने दीजिए।

अध्यक्ष महोदय : नहीं।

श्री ज्योतिर्मय बसु : बिना मुझे सुने···

अध्यक्ष महोदय : इस प्रकार से नहीं।

श्री ज्योतिर्मय बसु : आप सहमति देने से इन्कार नहीं कर सकते **(व्यवधान)**। जी, नहीं, आप इस प्रकार इन्कार नहीं कर सकते।

अध्यक्ष महोदय : श्री वसु मैंने पहले ही इन्कार कर दिया।

श्री ज्योतिर्मय बसु : आप कृपया मुझे दो मिनट दीजिए।

अध्यक्ष महोदय : नहीं, मैं नहीं दूंगा। मैंने कभी से अनुमति नहीं दी है और मैं नहीं देने जा रहा हूं।

एडुआर्डो फैलीरों : इसकी कभी भी अनुमति नहीं दी गई है।

श्री ज्योतिर्मय बसु : जी नहीं, मैं इस पर जोर देता हूँ···

अध्यक्ष महोदय : आप जोर दे सकते हैं किन्तु मेरा जोर देकर यह कहना कि विनिर्णय तो विनिर्णय है। मेरे विनिर्णय को चुनौती नहीं दी जा सकती है।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मैं आपकी अनुमति चाहता हूं··· (**व्यवधान**) में आपकी अनुमति चाहता हूं···(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : आप कोई अन्य प्रस्ताव ला सकते हैं किन्तु नियम 388 के अधीन नहीं···

अध्यक्ष महोदय : (**व्यवधान**) इन लोगों को क्या हो रहा है ?

मेरी अनुमति के बिना कार्यवाही वृत्तान्त में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

(**व्यवधान**)*

श्री ज्योतिर्मय बसु : नियम 376 और नियम 388 के अधीन व्यवस्था का प्रश्न।

अध्यक्ष महोदय : नियम 388 के अधीन अनुमति नहीं दी जाती है।

श्री एडुआर्डो फैलीरो : प्रश्न काल के दौरान कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं उठाया जा सकता।

अध्यक्ष महोदय : आप बैठिए। आप लोग क्यों यह करते हैं ? आप क्यों बीच में बोलते हैं ?

श्री नीरेन घोष : आपको खुलेर दिमाग से विचार करना चाहिए···यह गम्भीर मामला है।

अध्यक्ष महोदय : मेरा खुला दिमाग है।

श्री नीरेन घोष : आपका खुला दिभाग होना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : मेरा दिमाग केवल उन बातों के लिए बन्द है जिनके लिए नियम अनुमति नहीं देते। आपने चाबी दी और आपकी जेब में भी चाबी है।

श्री ज्योतिर्मय बसु : अन्तिम निर्णय आपके हाथ में है।

अध्यक्ष महोदय : मैं नियम 388 को स्थगित नहीं करता हूँ। यही मैंने स्पष्ट रूप से बताया है।

श्री ज्योतिर्मय बसु : महोदय, मुझे बताया गया है कि हाउस आफ कामन्स में 'स्पीकर' मुश्किल से बोलता है।

अध्यक्ष महोदय : मैं नहीं बोलता हूं। मैं सिर्फ आपको चुप रहने के लिए कहता हूँ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : महोदय, मुझे निवेदन करने दें।

अध्यक्ष महोदय : किस नियम के अधीन।

* कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मेरा निवेदन नियम 388 को स्थगित करने के बारे में है।

अध्यक्ष महोदय : उसके लिए मैंने पहले ही अपनी सहमति नहीं दी है।

श्री ज्योतिर्मय बसु : आपने जो बिनिर्णय अभी दिया है उसके बारे में। मैं निवेदन करने का प्रयत्न कर रहा हूं। मैं आपको इस बारे में समझाने का प्रयत्न कर रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय : मैं समझना नहीं चाहता।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मैं चाहता हूं कि आप हमारे अधिकारों की रक्षा करें।

अध्यक्ष महोदय : आप अनावश्यक रूप से समय नष्ट कर रहे हैं।

श्री ज्योतिर्मय बसु : आज पश्चिम बंगाल में क्या हो रहा है।...

अध्यक्ष महोदय : मैं अनुमति नहीं दे सकता। यह अन्य माध्यमों से किया जा सकता है। इससे नहीं। नियम 388 के अधीन नहीं। इस प्रायोजन के लिए मैं नियमों को स्थगित नही कर सकता।

श्री ज्योतिर्मय बसु : नियम 388 क्यों—मैं यह बताना चाहता हूँ।

श्री सतीश अग्रवाल : सत्ताधारी दल के माननीय सदस्यों ने भी पश्चिमी बंगाल के बारे चर्चा की मांग की है। वे भी माँग कर रहे हैं और हम भी माँग कर रहे हैं। सभा में बंगाल की स्थिति पर चर्चा हो। सभी पहलू प्रकाश में आयेंगे...(**व्यवधान**)

गृह मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री पी० वेंकट सुब्बयया) : मुझे आशा है कि आपके विनिर्णय का कोई उल्लंघन कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

श्री सतीश अग्रवाल : महोदय, बंगाल की स्थिति पर चर्चा हो। सत्ताधारी दल सहित सभा के सभी पक्ष इसकी माँग कर रहे हैं। हमें बंगाल की स्थिति पर चर्चा करने दीजिए ..

(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : आपको गृह मंत्रालय की माँगों पर चर्चा के दौरान काफी मौका मिलने वाला है।

ज्योतिर्मय बसु : विस्फोटकों का वितरण किया गया है, रुपया लोटा गया है। महोदय, मुझे दो मिनट बोलने की अनुमति दीजिए।

अध्यक्ष महोदय : मैं गलत पूर्व दृष्टान्त इस प्रकार नहीं बनाने जा रहा हूं...

श्री ज्योतिर्मय बसु : मैं आपके कक्ष में गया था।

अध्यक्ष महोदय : जी, नहीं। आप गये थे किन्तु मैंने कहा था...

श्री ज्योतिर्मय बसु : नहीं, नहीं आपने कुछ नहीं कहा। मैं सत्य बोलूंगा...

प्रो० मधु दण्डवते : महोदय, यह आप पर निर्भर करता है कि अनुमति दी जानी है या नही। किन्तु आपके निर्णय करने के लिए आप श्री ज्योतिर्मय बसु को सुन सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय : जी, नहीं...(**व्यवधान**)

प्रश्न संख्या 680 —डा० वसन्त कुमार पंडित ।

श्री रामावतार शास्त्री : बिना सूने हुए कमेंट आप कैसे दीजिएगा ? बात तो सुन लीजिए ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : महोदय, हम आपका संरक्षण चाहते हैं···

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको पर्याप्त मात्रा में दूंगा । आपको काफी मात्रा में मिलेगा । गृह मंत्रालय की मांगे आ रही हैं । आपको पूरी चर्चा का अवसर मिलेगा । मैं इसकी गारन्टी दे सकता है···**(व्यवधान)**

श्री ज्योतिर्मय बसु : आप कृपया बात समझें।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न संख्या 680

डा० वसन्त कुमार पंडित : प्रश्न संख्या 6.0 ।

अध्यक्ष महोदय : सभा में वाद-विवाद का कोई प्रश्न नहीं है ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : यह क्या है ?

अध्यक्ष महोदय : 388 पर कोई चर्चा नहीं । डा० पंडित···**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : डा० पंडित । **(व्यवधान)**

श्री ज्योतिर्मय बसु : महोदय, मैं कुछ कहना चाहता हूं ।

अध्यक्ष महोदय । जब गृह मंत्रालय की मांगे आयेंगी तो आपको काफी समय मिलेगा ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : इस पर आज चर्चा होनी चाहिए । मेरा निवेदन है कि मैंने······ दिया है ।

अध्यक्ष महोदय : इस बहाने नहीं । नहीं, नहीं ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : आप मेरे ऊपर आरोप क्यों लगाते हैं ? कोई बहाना नहीं है । इस पर चर्चा क्यों नहीं होनी चाहिए ? आप मेरी निष्ठा पर आक्षेप करें और मैं चुप रहा आऊं ?

अध्यक्ष महोदय : कोई आक्षेप नहीं हैं । मैं सभी माननीय सदस्यों से सविनय तथा सादर कहता हूँ कि मैं कोई आक्षेप नहीं करता हूँ ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : क्या मैं गूंगी गुड़िया बना रहूं । महोदय, आप जानते हैं कि इसका क्या अर्थ है ।···

प्रो० के० के० तिवारी : मेरा नियम 32 के अधीन विशेष रूप से व्यवस्था का प्रश्न है **(व्यवधान)**

श्री ज्योतिर्मय बसु : मैंने आपका ध्यान आकर्षित किया···

प्रो० के० के० तिवारी : व्यवस्था का प्रश्न···

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न काल में इसकी भी अनुमति नहीं है । यह प्रश्न काल है । मैंने

पहले ही अपना निर्देश दे दिया है। प्रो० तिवारी, मैं अपना कर्त्तव्य समझता हूं। अब डा० पंडित।

श्री ज्योतिर्मय बसु : महोदय, यदि मामला बहुत ही गम्भीर न होता··· (**व्यवधान**) मैं कहता हूं कि केन्द्रीय सरकार···

(**व्यवधान**)*

अध्यक्ष महोदय : नहीं, नहीं। अनुमति नहीं है। डा० पंडित।

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

सिंचाई के अन्तर्गत क्षेत्र का विस्तार करने की योजना

*680 **डा० वसंत कुमार पंडित** : क्या **सिंचाई मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में सिंचाई के अन्तर्गत क्षेत्र का विस्तार करने के लिए 12000 करोड़ रु० की किसी योजना को अंतिम रूप दिया है;

(ख) क्या राज्य-वार उपयोजना भी तैयार की गई है और यदि हां, तो अगले पांच वर्षों के दौरान मध्य प्रदेश में कितने अतिरिक्त क्षेत्र को सिंचाई के अन्तर्गत लाए जाने का प्रस्ताव है; और

(ग) क्या मध्य प्रदेश के पिछड़े और सूखा प्रवृत्त क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया जएगा ?

सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) जी, हां। देश में सिंचित क्षेत्र में वृद्धि किये जाने के लिए 11,115 करोड़ रुपये के परिव्यय की छठी पंचवर्षीय योजना को अन्तिम रूप दे दिया है।

(ख) और (ग) जी, हां। मध्य प्रदेश में अगले पांच वर्षों के दौरान एक मिलियन हैक्टयर से अधिक अतिरिक्त क्षमता सृजित किए जाने का प्रस्ताव है। इसमें राज्य के सूखा-प्रवण तथा पिछड़े क्षेत्र भी शामिल है।

श्री मनीराम बागड़ी : अध्यक्ष जी, एक हरिजन कर्मचारी को एक मंत्री पीटे··· (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : अगर कोई कुछ गड़बड़ करता है तो पकड़ा जायेगा और उसकी बद-नामी होगी।

श्री मनीराम बागड़ी : कम से कम मंत्रियों को तो... (**व्यवधान**)

(**व्यवधान**)*

---

*अनुमति नहीं दी गई।

*कार्यवाही वृत्तान्त सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय : कार्यवाही वृत्तान्त में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

(व्यवधान)*

अब, डा० पंडित।

डा० वसंत कुमार पंडित : अध्यक्ष महोदय, मुझे आशा है कि सरकार स्वीकार करती है कि अनाज का उत्पादन बढ़ाने तथा मूल्यों को बढ़ने से रोकने का साधन सिंचाई ही केवल एक तरीका है... (व्यवधान)

11.14 बजे म० पू०

(इसके पश्चात् श्री मनीराम बागड़ी और श्री जयपाल सिंह कश्यव सभा भवन से उठकर बाहर चले गये)

अध्यक्ष महोदय: डा० पंडित।

डा० वसंत कुमार पंडित : अध्यक्ष महोदय, मुझे विश्वास है कि सरकार यह स्वीकार करती है कि अनाज का उत्पादन बढ़ाने तथा मूल्यों को बढ़ने से रोकने का साधन सिंचाई ही केवल एक तरीका है। छठी पंचवर्षीय योजना में, जो हमारे समक्ष है, आप निर्माणाधीन परियोजनाओं के कम की गति तेज कर रहे हैं और जहाँ तक सिंचाई का सम्बन्ध है गतिविधि तेज कर रहे हैं। मेरा प्रश्न देश में क्षेत्रीय असंतुलन दूर करने के बारे में है। निर्माणाधीन परियोजनाओं की गति तेज करने के अतिरिक्त सरकार जिस भूमि पर खेती नहीं होती है उसमें खेती करने के लिए कौन से कदम उठाने की योजना बना रही है ? क्या मंत्री महोदय आंकड़े प्रस्तुत करने कृपा करेंगे कि छठी पंचवर्षीय योजना में कितनी ऐसी भूमि में जिस पर आज खेती नहीं होती है, खेती शुरू की जायेगी ? साथ ही आपने कौन कौन सी अन्य लघु सिंचाई योजनाएं बनाई हैं जिससे आदिवासी, पिछड़े तथा अर्धविकसित क्षेत्रों में सिंचाई हो सके ?

श्री जियाउर्रहमान अन्सारी : माननीय सदस्य इस बात को समझेंगे कि सरकार सिंचाई क्षमता बनाने के लिए कदम उठा रही है और छठी पंचवर्षीय योजना में हमने 11,958 करोड़ रुपये की व्यवस्था की है जो गत तीस वर्षों में सिंचाई पर किये गये व्यय के लगभग बराबर है। इससे मालूम होता है कि सरकार सिंचाई की क्षमता बढ़ने में कितनी रुचि ले रही है। जहाँ तक निर्माणाधीन परियोजनाओं का सम्बन्ध है भारत सरकार का विचार है कि राज्य सरकारों को निर्माणाधीन परियोजनाओं को प्राथमिकता के आधार पर पूरा करना चाहिए और उन्हें राज्य के समस्त संसाधनों को ध्यान में रख कर सावधानी से नई योजनाएं आरम्भ करनी चाहिए। कभी कभी स्थानीय राजनीतिक दवाव के कारण राज्य सरकारें नई योजनाएं हाथ में लेती हैं जिससे निर्माणाधीन परियोजनाओं की प्रगति धीमी पड़ जाती है। यह बड़े दुर्भाग्य की बात है।

महोदय छठी पंचवर्षीय योजना के लिए हमने अन्य नीतियाँ भी अपनाई हैं और उनमें यह कहा गया है कि छठी योजना में निर्माणाधीन परियोजनाओं को प्राथमिकता के आधार पर लिया जायेगा और कुछ ऐसी चुनी हुई परियोजनाओं को लिया जाना चाहिए जिससे बड़ी मात्रा

*कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलत नहीं किया गया।

में सिंचाई क्षमता बन सके। दूसरी बात यह है कि जो क्षमता बनाई जा रही है उसका और अधिक उपयोग करने के लिए हमें जोर देना चाहिए। ये नीतियाँ हैं जिनका छठी योजना में अपनाये जाने का विस्तार है। पानी का उचित वितरण आदि अन्य नीतियाँ भी हैं जो हमने अपनायी हैं।

डा० वसंत कुमार पंडित : जहाँ तक सिंचाई का सम्बन्ध है, मैंने राज्यों को केन्द्र सरकार की धारणा के अनुकूल लाने में सरकार की असहाय स्थिति को नोट किया है। इस बारे में मेरा विशिष्ट प्रश्न यह है कि क्या सरकार समस्त देश के लिए एक जल विकास प्राधिकरण की स्थापना करेगी जो राज्यों की परियोजनाओं पर नियंत्रण रखे और यह सुनिश्चित करे कि सरकार के मार्गदर्शी सिद्धान्तों का पूरा अनुपालन किया जाए। यह एक सर्वोच्च नियंत्रणकारी प्राधिकरण से ही किया जा सकता है। मैं नहीं समझता कि आप भविष्य में जो सिंचाई परियोजनाएं आरम्भ करने जा रहे हैं वे आगे बढ़ेंगी और लक्ष्य प्राप्त कर पायेंगी।

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण और सिंचाई मंत्री (श्री राव बीरेन्द्र सिंह) : हम अपनी योजनाएं बनाते समय तथा परिव्यय की व्यवस्था करते समय असंतुलन को ध्यान में रखते हैं। मध्य प्रदेश के मामले में भी हमने अब तक बनाई गई सिंचाई क्षमता को हिसाब में लिया है। मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य है जिसने अब तक प्रगति नहीं की है कुल खेती के क्षेत्र में से केवल 10 प्रतिशत क्षेत्र में ही सिंचाई की व्यवस्था की गई है और मध्य प्रदेश की कुल सिंचाई क्षमता का केवल 30 प्रतिशत का ही अब तक उपयोग किया गया है। किन्तु इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए चालू छठी पंचवर्षीय योजना में हमने उन योजनाओं को स्वीकृति दे दी है जिनसे पहले सिंचाई की व्यवस्था के लिए प्रस्तावित कुल लगभग 24 प्रतिशत अतिरिक्त क्षेत्र की तुलना में मध्य प्रदेश में अब लगभग 34 प्रतिशत अधिक क्षेत्रों में सिंचाई होगी।

डा० वसंत कुमार पंडित : मेरा विशिष्ट प्रश्न यह है कि क्या सरकार का विचार एक अखिल भारतीय जल विकास और नियंत्रण प्राधिकरण नियुक्त करने का है जिससे योजनाओं की गति तेज हो। उत्तर 'हाँ' या 'ना' में दें।

श्री शिवकुमार सिंह ठाकुर : माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में बतलाया है कि अगले 5 वर्षों के दौरान 1 मिलियन हैक्टेअर भूमि में अतिरिक्त सिंचाई होगी। मैंने एक स्टार्ड प्रश्न पूछा था, लेकिन समय न होने के कारण उत्तर नहीं आ पाया। मैं जानना चाहता हूँ—क्या अपर-ताप्ती-वैली प्राजेक्ट, जो महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश की ज्वाइन्ट स्कीम है और जिसका 8 साल पहले सर्वे भी हो चुका है, क्या वह स्कीम इसमें शामिल होगी ?

अध्यक्ष महोदय : आप वह सवाल पूछिये जिस का वह उत्तर दे सकें। इसके आप लिख कर भेज दीजिए। मैं समझता हूँ—इसका वे इस वक्त जवाब नहीं दे पायेंगे।

श्री शिवकुमार सिंह ठाकुर : मेरा तो एक छोटा सा सवाल है—क्या अपर-ताप्ती-वैली प्रोजेक्ट इसमें शामिल किया है ?

श्री जियाउर्रहमान अन्सारी : महोदय, उसके लिए मुझे सूचना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : यही मैंने उन्हें कहा है।

श्री धनिक लाल मंडल : मंत्री महोदय ने अभी बतलाया कि सिंचाई योजना राज्य का विषय है। इसी सदन में माननीय मंत्री महोदय ने एक प्रश्न के उत्तर में कहा था कि बिहार की पश्चिमी-कोसी-नहर को मानिटर करने के लिए एक दल बनाया जायगा या एक कमेटी बनाई जायगी जिसमें बिहार के मुख्य मंत्री या सिंचाई मंत्री होंगे और केन्द्र के सिंचाई मंत्री होंगे। अभी तक इस सम्बन्ध में कोई प्रगति हुई है या नहीं—इसकी जानकारी मुझे नहीं है। मैं जानना चाहता हूँ...

अध्यक्ष महोदय : क्या इस प्रश्न का कोई जवाब है ?

राव बीरेन्द्र सिंह : प्रश्न एक सामान्य रूप में था और विशेष रूप से मध्य प्रदेश के बारे में माँगी गई सूचना का उत्तर दे दिया गया है। परन्तु यदि माननीय सदस्य बिहार के बारे में अद्यतन सूचना चाहते हैं तो मुझे उसके लिए समय चाहिए।

शिक्षा का माध्यम

***श्री सैफुद्दीन चौधरी** : क्या **शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की इस बारे में कोई स्पष्ट नीति है कि शिक्षा के सभी स्तरों पर शिक्षा का माध्यम क्या हो; और

(ख) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री (श्री एस० बी० चव्हाण) : (क) और (ख) राष्ट्रीय शिक्षा नीति संकल्प (1968) में अन्य बातों के साथ-साथ यह बताया गया है कि प्राथमिक तथा माध्यमिक स्तरों पर क्षेत्रीय भाषाओं का प्रयोग पहले ही शिक्षा के माध्यम के रूप में किया जा रहा है। इन्हें विश्वविद्यालय स्तर पर शिक्षा के माध्यम के रूप में अपनाने के लिए शीघ्र कदम उठाए जाने चाहिएं।

श्री सैफुद्दीन चौधरी : माननीय मंत्री द्वारा दिये गये उत्तर से पता चलता है कि सरकार शिक्षा के सभी स्तरों पर हमारी मातृभाषाओं को शिक्षा का माध्यम बनाने में असफल रही है। यह स्वतंत्रता का चौंतीसवाँ वर्ष है। संविधान में इस आशय का प्रावधान है कि भाषाई अल्प-संख्यकों पर उचित ध्यान दिया जायेगा। परन्तु सरकार मातृभाषा के माध्यम से शिक्षा देने के मामले में उचित कार्यवाही करने में असफल रही है। ऐसे कुछ उदाहरण हैं जैसे कि संथाल क्षेत्र के आदिवासी माँग कर रहे हैं कि उन्हें लिखित लिपि अवश्य दी जाये। अब पश्चिम बंगाल की वामपंथी सरकार ने उन्हें 'आलपीकी' प्रदान की है। त्रिपुरा की वामपंथी सरकार ने भी त्रिपुरा के आदिवासियों को 'कोकवाक' लिपि प्रदान की है। मणिपुर में आदिवासी और नेपाली भाषी आदिवासी भी हैं परन्तु उनकी ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। क्या सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि हमारे देश के विभिन्न भाषा-भाषी लोगों की सभी मातृभाषाओं का समान आधार पर विकास किया जाए और क्या इस उद्देश्य के लिये वह एक राष्ट्रीय भाषा विकास आयोग की नियुक्ति करेगी, जो एक सांविधिक निकाय हो ? क्या सरकार इस सुझाव पर विचार करेगी ?

अध्यक्ष महोदय : आप केवल सुझाव दे रहे हैं, प्रश्न नहीं पूछ रहे हैं।

श्री एस० बी० चव्हाण : शिक्षा के माध्यम का विषय राज्य सूची में आता है। शिक्षा संबंधी राष्ट्रीय नीति संकल्प (1968) में यह बिल्कुल स्पष्ट किया गया है कि प्राथमिक और माध्यमिक स्तर पर शिक्षा का माध्यम मातृभाषा होनी चाहिए और यहाँ तक कि विश्वविद्यालय स्तर पर भी, यदि हो सके, तो इसे प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। वास्तव में नीति तो यह बनाई गई थी परन्तु इसका यह अर्थ नहीं है कि जिन भाषाओं को अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर महत्वपूर्ण माना जाता हैउन्हें हतोत्साहित किया जाये। नीति यह नहीं है।

श्री सैफुद्दीन चौधरी : मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया है। यह स्वतंत्रता का चौंतीसवां वर्ष है। माननीय मंत्री महोदय ने कहा है कि विश्वविद्यालय स्तर पर शिक्षा का माध्यम मातृभाषा नहीं है। ऐसा क्यों है? इस सम्बन्ध में भेदभाव भी बरता जाता है। कुछ भाषाओं पर उचित ध्यान नहीं दिया जाता है। यह प्रश्न राज्य सूची से सम्बन्धित नहीं है। हमें एक राष्ट्रीय नीति बनानी चाहिए और इस सम्बन्ध में मैं स्पष्ट उत्तर चाहता हूं कि क्या सरकार इस पर विचार करेगी?

श्री एस० बी० चव्हाण : अधिकांश राज्यों में विद्यार्थियों की इच्छानुसार प्राथमिक और माध्यमिक स्तर पर शिक्षा मातृभाषा और क्षेत्रीय भाषा में दी जा रही है। विश्वविद्यालय स्तर पर कुछ राज्यों ने मातृभाषा को शिक्षा के माध्यम के रूप में अपना लिया है। अतः इस उद्देश्य के लिए किसी आयोग की नियुक्ति का प्रश्न ही नहीं उठता।

प्रो० के० के० तिवारी : आप मेरी इस बात पर सहमत होंगे कि उच्च शिक्षा और अनुसंधान कार्यों के लिए एक समान भाषा का होना नितान्त अनिवार्य है। परन्तु हमने हाल में देखा है कि क्षेत्रीय भाषाओं को शिक्षा के माध्यम के रूप में अपनाने के कारण विश्वविद्यालयी शिक्षा विभिन्न भाषाओं का कोलाहल बन कर रह गया है। उच्च शिक्षा में समानता, अच्छा स्तर और उत्कृष्टता बनाए रखने की आवश्यकता को देखते हुए क्या सरकार कम से कम विश्वविद्यालय और अनुसंधान जैसे उच्च स्तर पर शिक्षा का समान माध्यम रखने की नीति के बारे में निर्णय लेगी?

श्री एस० बी० चव्हाण : कोठारी आयोग ने यह सिफारिश की थी और 1968 में शिक्षा सम्बन्धी राष्ट्रीय नीति संकल्प में भी यह कहा गया है कि जहाँ तक संभव हो विभिन्न क्षेत्रों में क्षेत्रीय भाषा और मातृभाषा में उच्च शिक्षा प्राप्त करने को प्रोत्साहन दिया जाये परन्तु मैं माननीय सदस्य द्वारा कही गयी बात से सहमत हूं कि एक सम्पर्क भाषा की भी आवश्यकता है। यही कारण है कि आम तौर पर हिन्दी या अंग्रेजी विश्वविद्यालय स्तर पर शिक्षा का माध्यम होनी चाहिए और यह मामला सरकार के विचाराधीन है।

प्रो० पी० जे० कुरियन : महोदय, माननीय मंत्री ने अपने उत्तर में कहा है कि विश्वविद्यालय स्तर पर क्षेत्रीय भाषा को शिक्षा के माध्यम के रूप में अपनाने के लिए अविलम्बनीय कदम उठाये जाने चाहिए। अब मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्या उनके कहने का उद्देश्य यह है कि इस देश के टुकड़े-टुकड़े हो जाएं। आप जानते हैं कि कुछ राज्यों में विश्वविद्यालय स्तर पर क्षेत्रीय भाषा या मातृभाषा शिक्षा का माध्यम है, परन्तु वे हिन्दी और अंग्रेजी दोनों को

लिये बल नहीं देते। कुछ दक्षिणी राज्यों में अंग्रेजी पर जोर दिया जाता है जबकि कुछ उत्तरी राज्यों में हिन्दी पर जोर दिया जाता है। और विश्वविद्यालय स्तर पर भी यदि आप क्षेत्रीय भाषा को अपना लेते हैं—मैं इसके विरुद्ध नहीं हूँ—तो क्या आप चाहते हैं कि उस स्थिति में हिन्दी और अंग्रेजी अनिवार्य रूप से पढ़ाई जाएं ? अन्यथा देश के लिये परिणाम बहुत घातक होंगे।

श्री एस० बी० चह्वाण : उत्तर में जो कहा गया है वह 1968 के नीति संकल्प का एक भाग और कोठारी आयोग की सिफारिश भी है। परन्तु मैंने यह बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है कि सरकार विश्वविद्यालयी शिक्षा को सम्पर्क भाषा में—हिन्दी या अंग्रेजी में—देने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है। परन्तु इन सिफारिशों की वजह से मामला अभी भी सरकार के विचाराधीन है।

बड़े नगरों में जनसंख्या का दबाव को कम करने योजना

*685 **श्री आर० एन० राकेश :**

श्री एन० ई० होरो : क्या **निर्माण और आवास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने कुछ कस्बों के निर्माण के लिए चालू वित्तीय वर्ष के दौरान राज्य सरकारों को धनराशि स्वीकृत की है ताकि बड़े नगरों में जनसंख्या का बढ़ता हुआ दबाव रोका जा सके;

(ख) क्या यह योजना 1979 में शुरू की गई थी और इसे छठी पंचवर्षीय योजना में भी शामिल किया गया है;

(ग) यदि हाँ, तो योजना का ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस प्रयोजन के लिए राज्यवार कितनी धनराशि स्वीकृत की गई है ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मोहम्मद उस्मान आरिफ) : (क) जी, हाँ। केन्द्रीय सरकार ने छोटे तथा मध्यम दर्जे के कस्बों के एकीकृत विकास की केन्द्र द्वारा प्रवर्तित योजना के अधीन वर्तमान कस्बों में कतिपय अर्ध-संरचनात्मक सुविधाओं की व्यवस्था के लिए राज्य सरकारों को चालू वित्तीय वर्ष में ऋण सहायता मंजूर की है।

(ख) जी, हाँ।

(ग) इस योजना के ब्यौरे **विवरण-1** में दिए गए हैं।

(घ) इस प्रयोजन के लिए 1979-80 और 1980-81 में स्वीकृत राशि क्रमशः **विवरण-2** और 3 में दी गई है।

विवरण-1

इस योजना के ब्यौरे निम्न प्रकार से हैं :

(1) इस योजना में 1971 की जनगणना के आधार पर 1 लाख या इससे कम आबादी वाले नगरों को शामिल किया जायेगा।

(2) उप मण्डलीय नगरों के मुख्यालयों या मण्डियों या अन्य महत्वपूर्ण उत्पादन केन्द्रों को वरीयता दी जायेगी ।

(3) अनुमोदित योजनाओं के आधार पर प्रति नगर व्यय का स्तर 1 करोड़ रुपए के आस-पास होगा जिसमें से मार्गनिर्देशनों के अनुरूप की योजनाओं के लिए योजनावधि के दौरान 40 लाख रुपए तक की केन्द्रीय ऋण सहायता दी जायेगी और शेष राशि राज्य सरकार तथा कार्यान्वयन अभिकरणों द्वारा दी जायेगी ।

(4) समानता के आधार पर सहायता के लिये पात्र घटक इस प्रकार हैं :

(क) रिहायशी, वाणिज्यिक तथा औद्योगिक योजनाओं के लिये भूमि का अर्जन तथा विकास । रिहायशी योजना में स्थलों तथा सेवाओं को शामिल किया जायेगा जिनमें कोड आवास शामिल होंगे/नहीं होंगे ।

(ख) याहायात तथा परिवहन ।

(ग) दूर दराज क्षेत्रों में कृषि तथा ग्रामीण विकास के लाभ के लिये मण्डियों/मार्किटों, औद्योगिक सम्पदाओं तथा अन्य सेवाओं या प्रगति सुविधाओं का विकास ।

(घ) राज्य सरकारों को अपने घटकों में गन्दी वस्ती सुधार की योजनाओं, नगर नवीकरण, जलपूर्ति तथा स्वच्छता, निवारक चिकित्सा सुविधाएं, पार्क तथा खेल के मैदान इत्यादि को शामिल करना चाहिए ।

(5) इस बात पर बल दिया गया है कि नगर के स्थानीय निकायों का कार्यक्रम के बनाने में भाग लेने तथा उसके कार्यान्वयन और परिसम्पत्तियों का अनुरक्षण करने को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए तथा उनको सहायता दी जानी चाहिए ।

(6) केन्द्रीय सहायता ऋण के रूप में दी जाती है जिसको 25 वर्षों में 5 वर्ष की स्थगन अवधि सहित 55 प्रतिशत की ब्याज की दर पर अदा करना होता है ।

विवरण-2

1979-80 के दौरान दिये गये लघु एवं मध्यम नगरों के विकास के लिये केन्द्र द्वारा प्रवर्तित योजना के अन्तर्गत केन्द्रीय सहायता (ऋण) को दर्शाने वाला विवरण ।

क्रम० संख्या	राज्य	कस्बा	1979-80 के दौरान दिया गया धन (लाख रुपयों में)
1,	आन्ध्र प्रदेश	1. अनाकापली	8.00
		2. रामचन्द्रपुरम	10.00
		3. तेनाली	12.00
		4. विजयनग्राम	12.00
			42.00

2.	असम	5. तिनसूकिया	4.92
3.	बिहार	6. गोपालगंज	5.00
		7. हाजीपुर	10.00
			15.00
4.	गुजरात	8. आनन्द	9.83
		9. पोरबन्दर	12.37
		10. पाटन उत्तरी	3.78
		11. वरावलपाटन	3.50
		12. वालसाद	10.00
			39.48
5.	केरल	13. कोटायम	4.40
		14. गुरवाडूर	5.00
			9.40
6.	महाराष्ट्र	15. बरसी	1.50
		16. मानमद	1.50
		17. परली वैजनाथ	2.50
			5.50
7.	मध्य प्रदेश	18. विलासपुर	18.50
		19. देवास	12 00
		20. खजुराहो	5·00
			35.50
8.	उड़ीसा	21. पुरी	5.00
		22. संबलपुर	10.00
			15.00
9.	पंजाब	23. पठानकोट	2.00
10.	राजस्थान	24. पाली	3.15
11.	तमिलनाडु	25. धर्मपुरी	10.00
		26. कारूर	17.00
		27. उदुकोटई	5.00
		28. उधसमंगलम्	10.00
			42.00
12.	उत्तर प्रदेश	29. आजमगढ़	5.00
		30. फतेहपुर	3.00
		31. जौनपुर	2.00
			10 00
	सभी राज्यों का कुल जोड़ 31 कस्बे		225.00

विवरण-3

लघु एवं मध्य नगरों के एकीकृत विकास की केन्द्र द्वारा प्रवर्तित योजना के अन्तर्गत 1980-81 दौरान राज्य सरकारों को दी गई केन्द्रीय सहायता ।

क्रम० सं०	राज्य	कस्बा	स्वीकृत धनराशि (लाख रुपयों में)
1.	आन्ध्र प्रदेश	1· भीमवरम	3.50
		2: करीमनगर	13.45
			16.95
2.	असम	1. सिलचर	7.00
		2. जोरहाट	10.50
		3. तेजपुर	13.50
		4. डिबरूगढ़	5.00
			36.00
3.	बिहार	1. सहरसा	4.00
		2. डाल्टनगंज	10.00
			14.00
4.	गुजरात	1. पालनपुर	8.00
		2. अंगबलेश्वर	14.00
		3. डाहोद	6.50
		4. अहमदाबाद	5.75
			34.25
5.	कर्नाटक	1. रायचूर	3.25
		2. होस्पेट	8.80
		3. हसन	18.50
		4. तुमकुर	5.25
		5. चित्रदुर्ग	2.00
		6. चन्नापटना	2.50
		7. तनकपुरा	2.25
		8. मागदी	4.50
			47.05

6.	केरल	1. त्रिचूर	15 00
		2. कयाकुलम	9.40
		3. तेलीचेरी	18.00
		4. तिरूर	12.60
		5. चंगनाचारी	12.00
			67.00
7.	महाराष्ट्र	1. यावतमल	10.50
		2. सतारा	8.00
		3. मनमद	14.00
		4. अरनागिरी	8.75
		5. अमालनेर	17.50
		6. कटोल	6.00
		7. प्रभानी	13.00
		8. कामथी	17.75
		9. किनवत	7.00
		10. उस्मानाबाद	3.50
		11. मोरसी	3.15
		12. हिंगनघाट	4.20
		13. जलना	4.30
			114.65
8.	मध्य प्रदेश	1. इटारसी	29.00
		2. रीवा	6.00
		3. कटनी	3.00
			38.00
9.	राजस्थान	1. बरन	4.00
		2. भीलवाड़ा	20.00
		3. सिकार	5.00
		4. चूरु	9.00
		5. सुमेरपुर	10.00
		6. नाथ्द्वारा	7.25
		7. बाड़मेर	10.00
		8. गंगानगर	5.80
			7105

10 तमिलनाडु	1. गोबीचेटी	9.00
	2. त्रिचेंगगुडू	14.00
	3. मनारगुडी	8·50
	4. पलानी	10.00
	5. मैतूपलायम	7.50
	6. चंगलपट्टी	5.00
	7. कोनूर	23.00
	8. मानामदुरई	2.50
	9. धारापुरम	10.50
	10. अतूर	22.00
	11. त्रिवनामलई	25.50
	12. उदमलपट	11.00
		148 85
11. त्रिपुरा	1. उदयपुर	9.00
12. उत्तर प्रदेश	1. हाथरस	10.00
	2. बांदा	4.00
	3. बाराबंकी	8.00
	4. रायबरेली	20.00
	5. देवरिया	14.50
	6. कासगंज	7.00
	7. गाजीपुर	17.60
	8. बिजनौर	4.75
	9. सीतापुर	15.00
	10. मैनपुरी	10.00
	11. हरदोई	16.00
	12. उरई	10·00
	13. अल्मोड़ा	2.00
	14. मोहाब	8.20
	15. एटा	1.50
	16. बलिया	12.50
		161 55

13. गोआ, दमण तथा दीव	1. पानाजी	3.50
14. पंजाब	1. होशियारपुर	16 50
	2. पठानकोट	15 00
	3. संगरूर	9.50
	4. मोघा	9.00
	5. फगवाड़ा	17.00
	6. खन्ना	15.00
	7. भटिण्डा	16.25
		98 25
15. मणिपुर	1 चन्देल	4.50
16. पश्चिम बंगाल	1. खड़गपुर	10.00
17. पाँडिचेरी	1. करेकाला	4 00
18. उड़ीसा	1. बलसोरें	1.00
19. सिक्किम	1. जोड़थंग	5.50
20. हिमाचल प्रदेश	1. शिमला	15.00

92 कस्बे

कुल योग 900.00 लाख

श्री एन० ई० होरो : महोदय, मंत्री महोदय द्वारा दिए गए विवरण में यह प्रतीत होता है कि पिछले दो वर्षों में शहरों का जो चलन किया गया है वह निर्धारित सिद्धान्त के अनुसार नहीं है । यह आम जानकारी की बात है कि जहाँ उद्योगों का विकास हो रहा है, वहीं जनसंख्या का दबाव अधिक है । परन्तु अब आपने जो सूची रखी है उसमें से मैं बिहार के बारे में बोलूंगा। वर्ष 1979-80 में गोपाल गंज में हाजीपुर का चयन किया गया था । उनके लिए 50 लाख रुपये दिए गये हैं । बाद में वर्ष 1980-81 में सहरसा और डालन गांव का चुनाव किया गया । दक्षिणी बिहार में चौबासा और जमशेदपुर जैसे स्थान हैं जहाँ पर जनसंख्या बढती जा रही है और बाहर से लोग आ रहे है, इन स्थानों पर विचार किए जाने की आवश्यकता थी । अत: मैं यह जानना जिन शहरों का विकास के लिए चुनाव किया जाता है और जहाँ आधार भूत सुविधायें उपलब्ध कराई जानी है उनका चुनाव किस आधार पर किया जाता है ? और दूसरा प्रश्न यह है कि इस प्रकार की ऋण सहायता देने से पूर्व स्थान के चयन में क्या केन्द्र सरकार का कोई हाथ रहता है ?

श्री भीष्म नारायण सिंह : महोदय, यह योजना छोटे और मझोले शहरों के लिए है और इसका प्रभुत्व तरीका यह है कि छोटे या मध्यम शहर की आबादी एक लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए । यह एक लाख से कम होनी चाहिये। इसके अतिरिक्त जब भारत सरकार ऐसी योजनाओं को स्वीकृति देती है तब वह संबंधित राज्य सरकारों की सिफारिशें लेती हैं और उनकी सिफारिशों के आधार पर निर्धारित तरीके के अनुसार शहरों का विकास करने के लिए उनका चयन करती है । बिहार में जिन शहरों का उन्होंने उलेल्ख किया है, उनके लिए पहली किस्त दी

जा चुकी है और शेष दो शहरों--डाल्टन गंज और सहरसा—को अभी हाल ही में स्वीकृति दी गई है।

विचार यह है कि जिन शहरों का चयन किया जाएगा। उनमें प्रत्येक पर एक करोड़ रुपया व्यय किया जाएगा और गाडगिल सूत्र के अनुसार इसका 40% केन्द्र सरकार सहायता के रूप में देगी। राज्य सरकार भी 40% देगी और स्थानीय निकाय 20% देंगे।

स्थानीय निकाय विभिन्न वित्तीय संस्थानों और अन्य निकायों से धन लेते हैं।

इसके पीछे विचार धारा यही है। क्योंकि छोटे और मझोले शहरों की दशा बिगड़ती जा रही है, इसलिए यह योजना बनाई गई और जैसा कि आप देखेंगे छठी योजना में केन्द्रीय क्षेत्र में इसलिए 96 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है।

श्री एन० ई० होरो : यह बहुत अच्छी बात है कि मंत्री जी वस्तु स्थिति स्पष्ट कर रहे हैं। परन्तु उन्हें वह तरीका समझ नहीं आया है जिसके आधार पर उन्हें शहर का चुनाव करना चाहिये। उन्होंने बिहार में डाल्टन गंज का चुनाव इसलिए किया है कि मंत्री महोदय वहां से सम्बन्ध रखते हैं। और सहरसा का चुनाव इसलिए किया गया है कि एक अन्य मंत्री वहां से सम्बन्ध रखते हैं ऐसे स्थान हैं जहां जनसंख्या बढ़ती जा रही है जहां उद्योगों में वृद्धि हो रही है। उन स्थानों का चुनाव किया जाना चाहिए था।

आप उन छोटे क्षेत्रों और शहरों को सहायता दे रहे हैं जिनकी जनसंख्या एक लाख या उससे कम है। ऐसे और भी अनेक हैं परन्तु आपने जिन शहरों का चुनाव किया है उन्हें यह प्राथमिकता नहीं दी जानी चाहिए थी। आपने अपना निर्धारित सिद्धान्त या कसौटी स्पष्ट की परन्तु आपकी कार्यवाही उनके अनुरूप नहीं है। इसीलिए मैं जानना चाहता हूँ कि धन से देने से पूर्व इन शहरों के चयन में क्या कुछ केन्द्र सरकार की भी चलती है।

आप 40 प्रतिशत देते हैं, ठीक है। मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या केन्द्र सरकार की भी इसमें कुछ चलती है। आपको केवल राज्य सरकार पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। वे किसी भी शहर का नाम ले सकती है।

श्री भीष्म नारायण सिंह : हमारी संघीय व्यवस्था है और मुझे राज्य सरकार ने दृष्टिकोण का आदर करना पड़ता है। जहां तक डाल्टनगंज का सम्बन्ध है, मैं स्थिति स्पष्ट करना चाहता हूं। माननीय सदस्य ने कहा है कि डाल्टनगंज का चयन इसलिए किया गया है कि मैं वहां से संबंध रखता हूँ। यह तथ्य नहीं है। राज्य सरकार ने ही डाल्टनगंज और सहरसा की सिफारिश की थी। क्योंकि डाल्टनगंज की आबादी एक लाख से कम है, इसलिए उसे चुन लिया गया। प्रत्येक योजना निर्धारित कसौटी के अनुसार स्वीकृत की जाती है।

श्री सतीश अग्रवाल : यह योजना विशेष सम्पूर्ण देश पर लागू होती है। क्या मैं माननीय मंत्री महोदय से पूछ सकता हूँ कि आपने कुछ राज्यों को इस योजना की परिधि से पूरी तरह बाहर क्यों रखा है? माननीय सदस्य को दिये गए विवरण से यह पता चलता है कि कुछ राज्यों को इस योजना में स्थान नहीं दिया गया। ऐसा क्यों?

प्रत्येक राज्य में ऐसे कई स्थान हैं जहां जनसंख्या में बड़ी तेजी से वृद्धि हो रही है। उदाहरण के लिए जयपुर भारत का 12 वां सबसे बड़ा शहर है और जयपुर के आसपास ऐसे कई

शहर है जिनकी आबादी एक लाख से कम है जैसे कि बस्सी, याकसू फागी, बागदू और साँगानेर। ये स्थान हस्त शिल्प के बहुत अच्छे औद्योगिक केन्द्र हैं और यहाँ की निर्मित हस्तशिल्प वस्तुएं न्यूयार्क और अमेरिका में प्रसिद्ध हैं और रूस को भी उनका निर्यात होता है। सरकार को देश भर में राजधानियों के निकट कस्बों को इस योजना में सम्मिलित करने के प्रश्न पर विचार क्यों नहीं करना चाहिए ? क्या सरकार इस सुझाव पर विचार करेगी।

श्री भीष्म नारायण सिंह : मैं श्री सतीश अग्रवाल को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि कोई भी राज्य छोड़ा नहीं जाएगा। किसी राज्य के साथ पक्षपात का प्रश्न ही नहीं है। राज्य सरकारों ने कस्बों का चुनाव किया और उन्होंने परियोजना रिपोर्ट भेजी। राजस्थान में पाली का चयन किया गया है और आठ अन्य कस्बे भी चुने गए हैं। वे हैं बारन, भीलवाड़ा, सीकर चुरु, सुमेरपुर, नाथद्वारा, बाड़मेर और गंगानगर। अब आप स्वयं अनुमान लगा सकते हैं। आप के राज्य को हम नहीं छोड़ सकते।

श्री सतीश अग्रवाल : मेरा प्रश्न यह है कि आप देश भर के लिए इस प्रकार की योजनाए बनाएं।

श्री कमला मिश्र मधुकर : सारे भारत में कस्बों तथा छोटे नगरों का सर्वे कराया है या रिपोर्ट मंगाई है जिनका आप डिवेलमेंट करना चाहते है और क्या आपने कोई कलमबद्ध कार्यक्रम तैयार किया है जिसके अन्दर इन छोटे-छोटे कस्बों को विकसित करवा लेंगे ?

श्री भीष्म नारायण सिंह : यह काम पहले से चला आ रहा है। मैंने बताया है कि छठी योजना में दो सो ऐसे छोटे और मध्यम वर्ग के टाउन होंगे जिनको हम विकसित करना चाहते हैं और राज्य सरकारों ने प्राजेक्ट रिपोर्ट जो क्राइटोरिया फिक्स किया गया है. उसके अन्दर भेज दी है और हम लोगों ने उनको स्वीकृत कर दिया है। हमारी यह इच्छा है कि छठी योजना में यह काम पूरा हो जाए।

अध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न। श्री केशोराव पारधी—उपस्थित नहीं। अगला प्रश्न—श्री ए० नीलालोहिथा दासन—उपस्थित नहीं। अगला प्रश्न—श्री मनफूल सिंह चौधरी—उपस्थित नहीं। अगला प्रश्न—श्री सतीश प्रसाद सिंह—उपस्थित नहीं। यदि सभा को कोई आपत्ति न हो तो हम सत्र की शेष अवधि के लिए प्रश्न काल को समाप्त कर दें।

श्री रामावतार शास्त्री : हम लोग जो यहाँ बराबर बैठे रहते हैं, उनके नाम से कीजिए।

प्रो० मधु दण्डवते : क्रिकेट टीम की भांति आप भी खिलाड़ी आरक्षित रखें।

अध्यक्ष महोदय : मुझे ऐसा ही करना होगा। अन्यथा मेरे विचार में नियमों में परिवर्तन करना होगा। अगला प्रश्न।

प्राथमिक स्तर पर शिक्षा के माध्यम के रूप में मात्र-भाषा

*690 **श्री अमर राय प्रधान :** क्या **शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री** निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राज्य सरकारों ने पहली से पांचवीं तक की प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षा के माध्यम के रूप में मातृ-भाषा को लागू कर दिया है;

(ख) यदि हाँ, तो उन राज्यों के नाम क्या है;

(ग) क्या यह भी सच है कि पश्चिमी बंगाल सरकार ने भी अंग्रेजी को ऐच्छिक विषय रखते हुए पहली से पाँचवीं तक की प्राथमिक कक्षाओं के लिए नेपाली और बंगाली को शिक्षा के माध्यम के रूप में लागू कर दिया है ;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी व्यौरा क्या है; और

(ङ.) उस पर केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० वी० चव्हाण) : (क) जी, हां; अधिकांश राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों में ।

(ख) सभा पटल पर रखे गए वितरण में सूचना दी गई है ।

(ग) और (घ) पश्चिमी बंगाल सरकार ने यह निर्णय किया है कि प्राथमिक स्तर पर केवल मातृ-भाषा ही पढ़ाई जानी चाहिए और इसी को शिक्षा का माध्यम भी होना चाहिए ।

1 से 5 तक की कक्षाओं में अंग्रेजी एक वैकल्पिक भाषा के रूप में नहीं पढ़ाई जाएगी ।

(ङ.) शिक्षा आयोग की सिफारिशों और उसके बाद अन्य समितियों की सिफारिशों की राज्य सरकारों को जानकारी है । इस मामले में उपयुक्त निर्णय उन्हीं को लेना है । हांलाकि सरकार शिक्षा के माध्यम के रूप में मातृ-भाषा के प्रयोग का पूरी तरह से समर्थन करती है, लेकिन यह महसूस करती है कि अंग्रेजी को हटाने से छात्रों के कुछ वर्गों को नुकसान हो सकता है ।

विवरण

उपलब्ध सूचना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में प्राथमिक स्तर पर (कक्षा 4-5) शिक्षा के माध्यम के रूप में मातृ-भाषा है :

1. आन्ध्र प्रदेश
2. असम
3. बिहार
4. गुजरात
5. कर्नाटक
6. केरल
7. मध्य प्रदेश
8. महाराष्ट्र
9. मणिपुर
10. मेघालय
11. नागालैंड
12. उड़ीसा
13. पंजाब
14. तमिल नाडु
15. त्रिपुरा
16. उत्तर प्रदेश
17. पश्चिमी बंगाल
18. अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह
19. चण्डीगढ प्रशासन
20. दादरा और नागर हवेली
21. दिल्ली
22. गोवा, दमन और दीव
23. लक्षद्वीप
24. मिजोरम
25. पाण्डिचेरी

श्री अमर राय प्रधान : पश्चिम बंगाल सरकार ने प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा को शिक्षा के माध्यम के रूप में स्वीकार क्यों किया ? पश्चिम बंगाल ने शिक्षा के इस माध्यम को रातों रात स्वीकार नहीं कर लिया । पश्चिम बंगाल में प्राथमिक पाठ्यक्रम पिछली बार संशोधन 1950 में किया गया था । 24 वर्ष बाद 1974 में तत्कालीन कांग्रेस (आई) सरकार ने सोचा कि पाठ्यक्रम और शिक्षा के माध्यम की पुनरीक्षा की जानी चाहिये और केन्द्र द्वारा चलाये जा रहे विश्व भारती विश्वविद्यालय के लो-भवन शिक्षा विभाग के अध्यक्ष प्रो० हिमांशु बिमल मजूमदार उसके अध्यक्ष बनाए गए । समिति में सभी प्राथमिक अध्यापक संगठनों के, जिनमें कांग्रेस (आई) का संगठन पश्चिम बंगाल प्राथमिक शिक्षक समिति,

भी थी, प्रतिनिधि सम्मिलित किए गए । उस समिति ने पाठ्यक्रम पर एक पूरी रिपोर्ट तैयार की तथा अन्य बातों के साथ-साथ शिक्षण के माध्यम के बारे में सभी एक मत थे ।

अत: मैं माननीय मंत्री जी से स्पष्ट रूप से यह पूछना चाहता हूँ,—मुझे स्पष्ट उत्तर चाहिए—कि पश्चिम बंगाल सरकार ने क्या निर्णय अपनाया है ? क्या यह 1968 में अपनाई गई राष्ट्रीय नीति के अनुरूप है; यदि हां तो क्या सरकार प्राथमिक स्तर शिक्षा के माध्यम, और पाठ्यक्रम के बारे में पश्चिम बंगाल सरकार की नीति के समर्थन में विवरण देगी ?

श्री एस० बी० चह्वाण : महोदय, किसी राज्य सरकार को शिक्षा के माध्यम के रूप में किसी भाषा विशेष को अपनाने के लिए निर्देश देने का प्रश्न नहीं उठता । नीति संकल्प बिल्कुल स्पष्ट है तथा इसमें यह सब दिया हुआ है कि न्यूनतम क्या करना अनिवार्य है । परन्तु यदि न्यूनतम से अधिक किया जाता है, यदि कोई राज्य सरकार ऐसा करती है, और यदि पश्चिम बंगाल में अंग्रेजी पढ़ाई जा रही थी और अब यदि वह अब हटाई जा रही है तो मेरे विचार में विद्यार्थियों के कुछ वर्ग को जो इससे लाभान्वित होते उन्हें अब नुकसान होगा । मैं यही बात कहना चाहता हूँ ।

श्री अमर राय प्रधान : बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश आदि जैसे राज्यों में जहाँ शिक्षा का माध्यम हिन्दी है और जहाँ अंग्रेजी को रखने का आन्दोलन असफल हो गया है, क्या प्रतिक्रिया है ।

अब कांग्रेस (आई) के लोगों द्वारा श्री सुब्रतो मुखर्जी के नेतृत्व में अंग्रेजी हटाओं का एक नया आंनदोलन चलाया जा रहा है ।

मैं माननीय मंत्री जी से बहुत स्पष्ट शब्दों में पूछना चाहता हूँ कि क्या वह 'अंग्रेजी हटाओ' अभियान के पक्ष में है ।

मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्या सरकार भारतीय संविधान में, विशेष रूप से अनुच्छेद 30 (1) और 30 (2) में, **अंग्रेंजी हटाओ** के समर्थकों के विचारों का स्थान देने के लिये, संशोधन करेगी और क्या यह नारा प्रदर्शनकारियों द्वारा वामपंथी मोर्चे की सरकार को गिराने के उद्देश्य से उठाया गया है ?

श्री एस० बी० चव्हाण : माननीय सदस्य द्वारा लगाया गया आरोप सही नहीं है और वास्तव में केन्द्रीय सरकार के दिमाग में ऐसा कोई प्रश्न ही नहीं है । (**व्यवधान**)

अंग्रेजी हटाओ आन्दोलन और अन्य मामलों के बारे में माननीय सदस्य स्वयं जो चाहें निष्कर्ष निकाल सकते हैं। मेरे विचार से यह बात इसमें से नहीं उठती है।

एक माननीय सदस्य : अंग्रेजी स्कूल हटाओ।

श्री एस० बी० चव्हाण : मैं इस समूची स्थिति को ऐसे समझता हूँ कि जो अंग्रेजी हटाओ का नारा लगा रहे है—उनके बच्चे सामान्य तौर पर अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों में पढ़ रहे हैं।

श्री अमर राय प्रधान : मेरा बेटा ग्रामीण क्षेत्र में बंगाल भाषा के माध्यम से पढ़ रहा है। (**व्यवधान**)

श्री नीरेन घोष : क्या आप शोर मचाना बन्द करेंगे ताकि मैं प्रश्न पूछ सकू।

(**व्यवधान**)

श्री ज्योतिर्मय बसु : श्री सोमनाथ चटर्जी जी बेटा वकालत कर रहा है श्री बसु का लड़का शीघ्र ही बाबा बनने वाला है। जब पोते का जन्म होगा तब आप मुझसे पूछना, तब मैं यह स्पष्ट करूंगा। (**व्यवधान**)

श्री नीरेन घोष : चूंकि प्रधान मंत्री ने प्राथमिक शिक्षा के बारे में, विशेष रूप से रवीन्द्र नाथ टैगोर के 'सहज पथ' के बारें में टिप्पणी करना उचित समझा है, क्या मैं यह जान सकता हूँ कि सरकार इस बात से अवगत है कि "शिक्षा" के बारे में टैगोर ने यह विचार व्यक्त किया था कि प्राथमिक शिक्षा स्तर पर तो शिक्षा केवल मातृ-भाषा में ही दी जानी चाहिये। एक यह बात है।

मैं यह भी जानना चाहता हूँ कि क्या सरकार इस बात से अवगत है कि रवीन्द्र नाथ का ईजी रीडर-सहज पथ कांग्रेस-इ० सरकार द्वारा नहीं बल्कि संयुक्त मोर्चा सरकार द्वारा 1969 में लागू किया गया था। क्या सरकार इस बात से अवगत है कि प्रधान मंत्री के सुझाव के अनुसार वापस नहीं लिया गया है?

केवल एक और पुस्तक पाठ्यक्रम में सम्मिलित की जानी है। इन दोनों पूस्तकों को प्राथमिक शिक्षा स्तर पर पढ़ागा जाना चाहिये। सरकार इस प्रकार का जानबूझ कर प्रचार क्यों कर रही है ? क्या मंत्री महोदय को इन सब बातों का पता है ?

श्री एस० बी० चव्हाण : मुझे यह बात मालूम नहीं कि इन बातों का इस प्रश्न से क्या सम्बन्ध है, किन्तु अगर सम्बन्ध है तो मुझे उसके लिये नोटिस दिये जाने की आवश्यकता है ?

श्री नीरेन घोष : क्या वह यह नहीं जानते हैं ?

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय को नोटिस दिया जाना चाहिये।

श्री नीरेन घोष : मंत्री महोदय उत्तर देने के लिये बाध्य हैं। प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया है।

श्री इन्द्रजीत गुप्ता : श्री घोष के प्रश्न का उत्तर देने में कठिनाई यह है कि उनका उस आंदोलन से सम्बन्ध स्पष्ट हो जायेगा। वह इस बात को प्रगट नहीं होने देना चाहते हैं।

श्री एस० के० शेजवलकर : क्या मंत्री महोदय यह बताने का कष्ट करेंगे ? क्योंकि उन्होंने 1968 के एक प्रस्ताव का उल्लेख किया है और कहा है कि न्यूनतम आवश्यकता का उल्लेख किया गया है कि क्या इस सम्बन्ध में कोई अधिकतम सीमा निर्धारित की गई है ?

श्री एस० बी० चव्हाण : शिक्षा आयोग की सिफारिशों में केवल न्यूनतम सीमा का उल्लेख है। यदि कोई राज्य सरकार सिफारिश से अधिक कुछ करना चाहे तो वह एक स्वागत-योग्य कदम होगा। **(व्यवधान)**

प्रो० के० के० तिवारी : पश्चिम बंगाल सरकार की शिक्षा नीति की काफी आलोचना हो चुकी है। सदन में और सदन से बाहर उठे विवाद के सन्दर्भ में माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि क्या पश्चिम बंगाल के शिक्षण संस्थानों को मार्क्सवादी पाठशालाएं बनाया जा रहा है। **(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : श्री दौलत राम सारण, प्रश्न संख्या 692।

प्रो० के० के० तिवारी : मैं यह भी जानना चाहता हूँ कि क्या कलकत्ता विश्वविद्यालय के सेंडीकेट और सीनेट भंग कर दिये गये हैं। **(व्यवधान)***

अध्यक्ष महोदय : कार्यवाही वृत्तान्त में कुछ भी सम्मिलित न करें। **(व्यवधान)**

अब प्रश्न संख्या 692 लिया जाये। श्री सारण।

अर्जित न की गई भूमि का आवंटन

*692. **श्री दौलत राम सारण** : क्या **निर्माण और आवास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुछ अधिकारियों को लोनी रोड पर बिना भूमि अर्जन किए ही प्लाटों का आवंटन कर दिया गया था परन्तु पंजीकरण के बाद भू-स्वामियों ने आवंटियों को कब्जा न लेने दिया और इस कारण से उन्हें इन प्लाटों के बदलने में प्रीतमपुरा और हैदरपुरी में प्लाट आवंटित किए गए थे; और यदि हां, तो ऐसे अधिकारियों के नाम और पद क्या हैं।

(ख) लोनी रोड, प्रीतमपुरा और हैदरपुर में क्रमशः भूमि की लागत क्या है;

(ग) क्या उन अधिकारियों से भूमि के मूल्य में अन्तर की राशि वसूल की गई थी; यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) इससे दिल्ली विकास प्राधिकरण को कितनी हानि हुई और इसके लिए कौन लोग जिम्मेदार हैं तथा इस मामले में क्या कार्यवाही की गई; और

*कार्यवाही वृत्तांत में नहीं किया गया

(ङ) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने लोनी रोड पर भूमि के पंजीकरण पर क्या खर्च किया है;

निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (मोहम्मद उस्मान आरिफ) : (क) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सन् 1975 में लोनी रोड़ पर 2175 व्यक्तियों को निम्न आय वर्ग के भू-खण्ड आवंटित किये थे ।

यह सूचना कि क्या आवेदक कोई अधिकारी है या नहीं, दिल्ली विकास प्राधिकरण के रजिस्टरों में विशेष रूप से जर्ज नहीं की जाती । आवंटन के पश्चात् ही यह बात दिल्ली विकास प्राधिकरण के ध्यान में लायी गई कि इस क्षेत्र के काफी बड़ें भाग पर खेती हो रही थी और कृषकों ने उच्च न्यायलय से स्थगन आदेश ले लिए थे । इसलिए, संबंधित व्यक्तियों को अन्य कालोनियों अर्थात् यमुनापुरी (घोंडा) पश्चिमपुरी, विकासपुरी और हैदरपुरी में वैकल्पिक आवंटन किए गए थे ।

(ख) ली गई प्रति वर्ग मीटर भूमि की लागत इस प्रकार है :-

लोनी रोड़	60 रुपये
प्रीतमपुरा	84 रुपये
हैदरपुरी	82 रुपये

(ग) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने बताया है कि मूल्य में अन्तर की राशि को प्राधिकरण के निर्णयानुसार वसूल नहीं किया गया था ।

(घ) दिल्ली विकास प्राधिकरण को लगभग 22 लाख रुपये की हानि हुई बतायी जाती है ।

(ङ) लगभग 6 लाख रुपये ।

श्री दौलत राम सारण : अध्यक्ष महोदय, मैंने जो सूचना पायी है, मंत्री महोदय ने अपने जवाब में वह नहीं दी है। मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्या लोनी रोड पर बिना भूमि का अर्जन किये हुए आवंटियों को प्लाटों का आवंटन कर दिया गया था; यदि हाँ, तो क्या यह कार्य अनियमित नहीं था; यदि था, तो इसके लिए कौन जिम्मेदार था । मंत्री महोदय ने यह नहीं बताया है ।

क्या यह सही है कि बिना भूमि अधिगृहीत लिए हुए और बिना कब्जा लिए हुए पंजीकरण पर लगभग छः लाख रुपया व्यय किया गया; यदि हां, तो क्या यह कार्यभी अनियमित और असांविधानिक नही था; अगर था,तो इससे लिए कौन जिम्मेदार था और उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ? क्या इस बारे में एनक्वायरी की जायेगी ?

श्री मोहम्मद उस्मान आरिफ : बात यह है कि मैं सिर्फ पार्ट (ए) को पढ़ सका था। चूंकि दूसरे मेम्बर साहबान बोलने लगे, इसलिए मैं जबाव दूसरे हिस्से, (बी), (सी), और (डी) और (ई) को नहीं पढ़ सका । मैं उसको अब पढ़ देता हूं :-

(ख) ली गई प्रति वर्ग मीटर भूमि की लागत इस प्रकार है :-

लोनी रोड	60 रुपये
पीतमपुर	84 रुपये
हैदरपुरी	82 रुपये

(ग) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने बताया है कि मूल्य में अन्तर की राशि प्राधिकरण के निर्णयानुसार वसूल नहीं किया गया था ।

(घ) दिल्ली विकास प्राधिकरण को लगभग 22 लाख रुपये की हानि हुई बतायी जाती है ।

(ङ.) लगभग 6 लाख रुपये ।

श्री दौलत राम सारण : यह उत्तर जो मंत्री जी ने दिया है उसके सन्दर्भ में ही मैंने यह जानकारी चाही है । आप ने इस प्रश्नोत्तर में यह नहीं बताया है जो मैंने पूछा है । भूमि बिना अर्जन किए ही आपने लोगों को आबंटित कर दी, क्या यह सही है ? यदि हाँ तो यह अनियमित कार्य है या नहीं ? अगर अनियमित है तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है ?

दूसरा मेरा यह सवाल है, क्या यह सही है कि बिना भूमि अधिकृत किए ही, बिना कब्जा लिए ही पंजीकरण किया गया और उस पर करीब 6 लाख रुपया व्यय किया गया जो आप ने अन्त में उत्तर दिया है ? क्या यह कार्य भी अनियमित नहीं था ? अगर अनियमित था और इस पर इतना खर्च किया गया तो इसके लिए किसी के खिलाफ कार्यवाही क्यों नहीं की गई ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : डी० डी० ए० से जो सूचना मिली है उसके आधार पर यह जमीन ऐक्वायर हुई लेकिन चूंकि हाई कोर्ट से स्टे हो गया, अभी भी मुकदमा बल्कि चल रहा है, इसी की वजह से माननीय सदस्य को मुझे लगता है कुछ गलतफहमी शायद हुई । यही कारण था कि जिन लोगों को प्लाट मिलने थे उन लोगों ने रेप्रेजन्ट किया डी०डी० ए० को और चूंकि हाईकोर्ट में मुकदमा चल रहा था और इस को ध्यान में रखते हुए कि विलम्ब होगा, इसी वजह से दूसरे आलटरनेटिव एरियाज़ में जैसे प्रीतमपुर में और हैदरपुरी में इनको प्लाट दिए गए ।

श्री दौलत राम सारण : मेरी बात का उत्तर नहीं दिया गया । अगर हाई कोर्ट का स्टे था तो पजीकरण क्यों किया गया अगर भूमि का अधिकरण नहीं किया गया था और उस पंजीकरण पर 6 लाख रुपया क्यों खर्च किया गया ? अगर पंजीकरण पर छः लाख रुपया खर्च किया गया तो आपका यह उत्तर सही नहीं है कि कब्जा नहीं लिया हुआ था । कब्जा बिना लिए हुए पंजीकरण कैसे कर दिया गया ?

श्री भीष्म नारायण सिंह : आप जानते ही हैं प्रोसेस कि जब कोई जमीन अर्जित करने के लिए कार्यवाही होती है तो उसके साथ साथ उस में प्लाट किस को मिले इसके लिए भी कार्यवाही शुरू होती है ··· (**व्यवधान**) यही होता है। लेकिन हाँ, यह बात ठीक है कि जब पजेशन डी० डी० ए० ले लेती है उसके बाद प्लाट का आबंटन होता है। यह तो ठीक है ।

लेकिन इस केस में तो मैंने बताया कि इसका प्रोसेस चल रहा था, हाई कोर्ट में मुकदमा हो गय जिसकी वजह से बिलम्ब हो गया और जिन लोगों ने पंजीकरण करा लिया था उनको इसीलि दूसरी जगह प्लाट दिया गया। यह तो मैंने बताया है।

श्री दौलत राम सारण : बिना जमीन का अधिकरण किये हुए पंजीकरण नहीं किया जा सकता। यह अनियमित है। यह मेरी आपत्ति है इस पर और आप इस को जबर्दस्ती दबा रहे हैं।

दूसरी बात यह है कि आप ने भूमि का अधिग्रहण किया नहीं, कब्जा लिया नहीं औ कब्जा बिना लिए ही आपने पंजीकरण पर पैसा व्यय कर दिया और फिर उन लोगों को उन अधिकारियों ने उस से ज्यादा कीमत की जो जमीन थी वह दे दी, उस में 28 लाख रुपये क नुकसान पहुंचा। आप उन लोगों को छिपाना चाहता हैं, उनके खिलाफ कार्यवाही नहीं करन चाहते हैं। 22 लाख और 6 लाख 28 लाख का घाटा इसमें हुआ, इस घाटे की उनसे वसूल नहीं करना चाहते और इस को छिपाना चाहते हैं।

श्री भीष्म नारायण सिंह : जवाब में मैंने बता ही दिया। अब और दूसरी क्या सूचना दूं। मैं ने बताया कि चूंकि 2175 लोगों का पंजीकरण हुआ था और कोर्ट में मुकदमा हुआ इसी को ध्यान में रखकर कि वह सफर न करें डी० डी० ए० ने उनको दूसरी एरिया में प्लाट देने का डेसीशन लिया।

श्री दौलत राम सारण : मैं फिर पूछना चाहता हूं कि क्या इस जमीन का अधिग्रहण कर लिया गया था ?

श्री हरिकेश बहादुर : वह जो कैन्टीन दी गई इसका इंजीनियर प्रोमोट कर दिया गया है जब कि उसके खिलाफ एन्क्वायरी चल रही थी, तो प्रोमोशन कैसे बीच में ही कर दिया गया ?

श्री भीष्म नारायण सिंह : इस के लिए हरिकेश बहादुर जी को अलग से सूचना देनी होगी।

श्री दौलत राम सारण : बड़े आश्चर्य की बात है मंत्री जी इतने बड़े घपले को छिपाना चाहते हैं।

श्री भीष्म नारायण सिंह : सम्मानित सदस्य को मैं यह आश्वासन देना चाहता हूं कि कोई भी घपला डी० डी० ए० का हो या किसी का भी हो उस को न तो छिपाया जायेगा, दबाया जायेगा, न किसी घपला करने वाले को प्रोटेकशन दिया जायेगा।

श्री दौलत राम सारण : जो ऊंची कीमत की भूमि उनको एलाट कर दी गई और बि भूमि अधिकृत किए हुए ही पंजीकरण किया गया, 6 लाख रुपया उस पर खर्च किया गया औ 22 लाख रुपये की ऊंची कीमत की भूमि उनको एलाट कर दी गई आप उसकी एन्क्वायरी भी करना चाहते।

श्री भीष्म नारायण सिंह : अब मैं इसका और क्या जवाब दूं, मैंने जवाब दे दिया है।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

'इकोलाजिकल बैलेंस थ्रेटेंड' के शीर्षक से समाचार

***682 श्री हरिनाथ मिश्र** : क्या **निर्माण और आवास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 5 मार्च, 1981 के 'इण्डियन एक्सप्रेस' में इकोलाजिकल बैलेंस थ्रेटेंड' शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है, और

(ख) यदि हाँ, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) जी, हाँ।

(ख) सम्बन्धित अभिकरणों के परामर्श से समाचार में उल्लिखित मामलों की जाँच की जा रही है।

फ्लैटों के आबंटन के लिए डी० डी० ए० के पास पंजीकृत व्यक्ति

***683. श्री फूलचन्द वर्मा** : क्या **निर्माण और आवास मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हुडको पैटर्न स्कीम, 1979 के अन्तर्गत क्रमशः मध्यम आय वर्ग, निम्न आय वर्ग और जनता वर्ग में फ्लैटों के लिए डी० डी० ए० के पास 28 फरवरी, 1981 तक पंजीकृत व्यक्तियों की कुल संख्या कितनी थी।

(ख) क्या डी० डी० ए० का विचार उन सबको उचित मूल्य पर फ्लैट आवंटित करने का अपना वचन पूरा करने का है;

(ग) यदि हाँ, तो क्या उचित समय के अन्दर उनको आबंटन करने के लिए कोई तारीख लक्षित की गई है; और

(घ) यदि हाँ, तो इस बारे में डी० डी० ए० की वास्तविक ब्योरे-वार योजना क्या है ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि पजीकृत किये गये व्यक्तियों की संख्या इस प्रकार है :

मध्यम आय वर्ग	47,489
निम्न आय वर्ग	67,347
जनता	56,295
जोड़	1,71,131

उपर्युक्त आंकड़ों में रद्द/वापस लिये गये आवेदन पत्र शामिल नहीं हैं।

(ख) जी, हाँ, तथापि, वास्तविक लागत फ्लैटों के पूर्ण हो जाने के बाद निकाली जाएगी।

(ग) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि यह आशा की जाती है कि इस योजना के अन्तर्गत पंजीकृत सभी व्यक्तियों को फ्लैटों का आवंटन पांच से सात वर्ष के समय में कर दिया जायेगा ।

(घ) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने निधियों और भवन निर्माण सामग्री उपलब्ध होने पर प्रत्येक वर्ष सामान्य कार्यक्रम के अन्तर्गत 20,000 मकान और 20,000 ही त्वरित कार्यक्रम के अन्तर्गत बनाने के लिए योजनाएं तैयार की हैं ।

दिल्ली के पब्लिक स्कूलों में नर्सरी कक्षा में प्रवेश के लिए अवधान राशि का लिया जाना

*684. **श्री के० लकप्पा**

श्री डी० एम० पुत्ते गौड़ा : क्या **शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली के पब्लिक स्कूलों में नर्सरी कक्षा में प्रवेश के लिए 500 रुपये से 1000 रुपए तक या इससे भी अधिक की अवधान राशि मांगी जाती है;

(ख) यदि हाँ, तो उन पब्लिक स्कूलों संबंधी ब्यौरा क्या हैं जिनमें ऐसी राशि ली जाती है और इतनी बड़ी राशि के लिये जाने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या छात्रों द्वारा शिक्षा समाप्त कर दिए जाने के बाद यह अवधान राशि उन्हें वापस कर दी जाती है;

(घ) क्या इस राशि पर जो कि इन स्कूलों के पास 10 वर्षों से भी अधिक समय तक जमा रहती है कोई ब्याज नहीं दिया जाता है; और

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और सरकार द्वारा इस मामले में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री (एस० बी० चव्हाण) : (क), (ख) और (ङ) दिल्ली प्रशासन द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, दो मान्यता प्राप्त प्राइवेट स्कूल, जिन्हें सहायता नहीं दी जाती है, नर्सरी कक्षाओं में दाखिले के लिए अवधान राशि के रूप में 500 रुपये से भी अधिक राशि लेते हैं । ये स्कूल, बाराखम्बा रोड़ स्थित मौडर्न स्कूल तथा वसन्त विहार स्थित मौडर्न स्कूल हैं ।

यह अवधान राशि, बस के किराये सहित स्कूल की देय राशि का भुगतान करने की जमानत के रूप में ली जाती है । दिल्ली शिक्षा अधिनियम, 1973 के अधीन इस प्रकार की कार्रवाई के लिए कोई रोक नहीं है ।

(ग) और (घ) जी हाँ ।

सर्वेक्षण की गई अनधिकृत कालोनियों के मकानों के दोबारा नम्बर लगाना

*686 **श्री केशवराव पारधी** : क्या **निर्माण और आवास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली नगर निगम द्वारा अब तक जिन अनधिकृत कालोनियों का सर्वेक्षण किया गया है क्या वहाँ आगे होने वाले अनधिकृत निर्माण का पता लगाने और रोकने की दृष्टि से उनमें सभी मकानों के क्रमिक नये नम्बर लगाने का सरकार का विचार है; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और यदि हाँ तो कब तक ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) दिल्ली नगर निगम ने सूचित किया है कि अनधिकृत कालोनियों में अनधिकृत निर्माणों को दर्ज करने (बुक करने) की उनकी एक पद्धति है और सभी मकानों को क्रमवार नए नम्बर देने की आवश्यकता नहीं है।

किसानों की शिकायतें

687. **श्री ए० नीला लोहिथा दासन नाडार** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि भारत भर में निराशा की भावना फैलती जा रही है;

(ख) यदि हाँ, तो उनकी उक्त निराशा के मुख्य कारण क्या हैं;

(ग) किसानों की शिकायतें दूर करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है; और

(घ) इस बारे में सरकार का विचार भविष्य में क्या कार्यवाही करने का है ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) से (घ) सरकार इस विचार से सहमत नहीं है कि देश के किसानों में निराशा की भावना फैलती जा रही है। सरकार आदानों की सप्लाई और कृषि उत्पादन के विपणन के सम्बन्ध में जो नीति अपना रही है उसका उद्देश्य किसानों को आवश्यक प्रोत्साहन मुहैय्या करना है। तथ्य यह है कि चालू वर्ष के दौरान, भारत में कृषकों का उत्पादन 1330 लाख मीटरी टन पहुंच जाने की सम्भावना है। इससे उनकी रुचि तथा उत्साह का पता चलता है, सरकार किसानों की समस्याओं से अवगत है और उनका समाधान करने के लिए उपाय कर रही है।

मारवाड़ी अश्वों की नस्ल का समाप्त होना और एक अश्व क्षेत्र (स्टड फार्म) की स्थापना करना

688. **श्री मनफूल सिंह चौधरी** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मारवाड़ी अश्वों की संख्या तेजी से कम होती जा रही है और इस बलिष्ठ, समझदार तथा आकर्षक अश्व की नस्ल सदा के लिए समाप्त हो जाने की आशंका है ;

(ख) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस प्रसिद्ध अश्व की नस्ल को बनाए रखने तथा उनकी संख्या में वृद्धि करने के

लिए सोवियत संघ में टरर्क, हंगरी में बेबोलना तथा ईरान में फराहाबाद स्थित अश्व क्षेत्र क तरह का अश्व-क्षेत्र स्थापित करने का भी प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) (क) तथा (ख) पंचवर्षीय पशु संगणना में घोड़ों की संख्या के सम्बंध में नस्ल वार आँकड़े एक नहीं किए जाते हैं। तथापि, राज्य सरकार से प्राप्त जानकारी के अनुसार पाली जोधपुर जालो तथा बाड़मेर के चारजिलों में (जो मारवाड़ी नस्ल के घोड़ों का प्रजनन क्षेत्र है) अश्वों की संख्य 1956 में 9404 से घटकर 1977 में 6278 रह गई।

(ग) तथा (घ) छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान, केन्द्रीय क्षेत्र में कोई अश्व प्रजनन फार्म स्थापित करने का प्रस्ताव नहीं है।

आर० के० पुरम नई दिल्ली में दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी के लिए भवन

*689. **श्री सतीश प्रसाद सिंह :** क्या **शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री** यह बताने क कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आर० के० पुरम, नई दिल्ली के सेक्टर दो में नाले के पास मुद्रणालय आदि सहित दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी तथा उसके अन्य साज-सामान के लिए बहु बड़ा भवन बनने वाला था; और

(ख) यदि हाँ, तो उसका क्या हुआ और इसके कब तक बनने की आशा है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) दिल्ली पुस्तकालय बोर्ड ने दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी के लिए इस प्रकार के एक भवन का निर्माण कर की एक परियोजना शुरू की है। परियोजना में किसी मुद्रणालय का प्रावधान नहीं है।

(ख) प्रस्तावित निर्माण दिल्ली विकास प्राधिकरण को सौंपा गया है। प्रारम्भिक नक्श तैयार कर लिए गए हैं; ब्यौरेवार प्राक्कलन तैयार किए जा रहे हैं।

लन्दन स्थित इण्डिया लाइब्रेरी का अधिग्रहण

*694. **श्री राम नाथ दूबे :** क्या **शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री** यह बताने की कृ करेंगे कि :

(क) लन्दन स्थित इण्डिया लाइब्रेरी के अधिग्रहण के संबंध में क्या प्रगति हुई है;

(ख) इडिया लाइब्रेरी के सम्बन्ध में अब पाकिस्तान सरकार का कहना क्या है; और

(ग) अधिग्रहण में कितना समय लगने की संभावना है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) (ग) भारतीय कार्यालय पुस्तकालय, लन्दन के अधिग्रहण से संबंधित मामले पर पाकिस्त सरकार के परामर्श से लिखा-पढ़ी चल रही है और कुछ मामलों के सम्बन्ध में उनके विचा

की अभी प्रतीक्षा है। इस स्तर पर अभी यह बताना संभव नहीं है कि इस मामले को पूरी तरह निपटाने में कितना समय लगेगा।

अनाधिकृत कालोनियों में भूमि/मकानों की बिक्री

* 695. **श्री जितेन्द्र प्रसाद** : क्या **निर्माण और आवास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 1971 से जिस वर्ष रजिस्ट्री पर रोक लगाई गई थी, अनधिकृत कालानियों में भूमि-मकानों को बिक्री पावर आफ अटार्नी के जरिये की जा रही है;

(ख) क्या यह भी सच है कि कुछ मामलों में ज्यादा राशि प्राप्त करने के लिए एक ही भूमि को पावर आफ अटार्नी से कई बार बेचा गया है ;

(ग) क्या यह भी सच है कि इसके कारण इन कालोनियों में भूमि के मूल्यों में वृद्धि हुई है ;

(घ) क्या यह सच है कि पावर आफ अटार्नी से, इसके खरीददार को बाद में मालिकाना अधिकार मिल जायेगा;

(ड.) क्या सच है कि इन कार्यों में कालेधन को लगाया जा रहा है; और

(च) यदि हां, तो अनधिकृत भूमि की बिक्री के मामले में इन कदाचारों को रोकने के लिए सरकार क्या कदम उठाने जा रही है ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली में, भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 के अन्तर्गत अथवा किसी सार्वजनिक प्रायोजनार्थ भूमि अधिग्रहण की व्यवस्था करने वाले किसी अन्य कानून के अन्तर्गत अर्जित भूमि के अन्तरण को निषेध किया गया था। दिल्ली के नियोजित विकासार्थ भू अर्जन योजना के सम्बन्ध में अधिग्रहण के लिए प्रस्तावित भूमि के अन्तरण पर भी प्रतिबन्ध लगाया गया था तथा जिसके सम्बन्ध में भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 की धारा 6 के अन्तर्गत घोषणा की गई है, देखिए, दिल्ली भूमि (अन्तरण पर प्रतिबन्ध) अधिनियम, 1972। दिल्ली प्रशासन ने सूचित किया है कि यह सही ह कि मुख्तारनामे के माध्यम से अनधिकृत कालोनियों में भूमि/मकानों को बेचा जा रहा है।

(ख) जी, हां।

(ग) अनधिकृत कालोनियों में भूमि के मूल्यों में वृद्धि होने का केवल यही एक कारण नहीं है।

(घ) जी, नहीं।

(ड.) यह हमारी जानकारी में नहीं है।

(च) अधिसूचित भूमि की अनधिकुत बिक्री को रोकने के लिए दिल्ली प्रशासन में एक उपायुक्त के अधीन एक विशिष्ट कक्ष खोला गया है।

वनस्पति निर्माताओं के साथ बातचीत

* 696. **श्री सतीश अग्रवाल : श्री एन० के० शेजवलकर :** क्या नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने 12 मार्च, 1981 को वनस्पति निर्माताओं के साथ बातचीत की थी ;

(ख) यदि हाँ, तो उसका क्या परिणाम निकला है;

(ग) क्या इस बातचीत के परिणाम स्वरूप सरकार का विचार मूल्य नियन्त्रण लागू करने का है; और

(घ) यदि हाँ, तो इस सम्बन्ध में क्या निर्णय किया गया है ?

नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बृज मोहन महन्ती) : (क) जी हाँ।

(ख) से (घ) सरकार पर्याप्त मात्रा में तथा उचित मूल्यों पर वनस्पति उपलब्ध कराने के बारे में वनस्पति उत्पादकों से अपनी बातचीत जारी रखे हुये हैं और समय-समय पर स्थिति की मांग के अनुसार उपयुक्त कदम उठायेगी।

कर्नाटक में सूखा राहत उपाय के लिए केन्द्रीय सहायता

697. **श्री बी० वी० देसाई :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फरवरी, 1981 में एक और केन्द्रीय दल ने कर्नाटक राज्य में सूखा राहत कार्यों को पुन: आरम्भ करने तथा राहत कार्यो की स्थिति का पता लगाने के लिए कर्नाटक का दौरा किया था;

(ख) क्या उन्होंने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है;

(ग) यदि हां, तो उसका मोटा ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या उन्होंने यह भी माँग की है कि इस सूखे के कारण राज्य में जो गम्भीर स्थिति उत्पन्न हुई थी तो उसको देखते हुए अब तक दी गई सहायता पर्याप्त नहीं है;

(ङ.) यदि हाँ, तो और कितनी सहायता की सिफारिश की गई है; और

(च) केन्द्रीय सरकार ने खाद्यान्न सहित कितनी सहायता और देना मंजूर किया है ?

संसदीय कार्य तथा कृषि और ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्री (श्री राव बीरेन्द्र सिंह) : (क) जी नहीं। राज्य सरकार से अनुरोध किया गया था कि वह केन्द्रीय दल के द्वितीय दौरे के विषय में नया ज्ञापन भेजे। राज्य सरकार के उत्तर की प्रतीक्षा है।

(ख) से (ग) प्रश्न ही नहीं होता।

(घ) कर्नाटक में सूखा राहत के विषय में केन्द्रीय सहायता के रूप में स्वीकृति हुये अधिकतम व्यय के पर्याप्त या अपर्याप्त होने के सम्बन्ध में राज्य सरकार से कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है।

(ङ.) से (च) प्रश्न ही नहीं होता।

राजभाषा अधिनियम का कार्यान्वयन

698. **श्री राजेश कुमार सिंह** : क्या कृषि मंत्री निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि।

(क) मन्त्रालय में और इसके सम्बद्ध तथा अधीनस्थ कार्यालयों में राजभाषा अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए क्या प्रबंध किए गए हैं और प्रत्येक कार्यालय में कर्मचारियों की संख्या, पदों और उनके वेतनमानों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या यह सच है कि राजभाषा समिति की उप-समिति ने मन्त्रालय, इसके विभागों और भारतीय खाद्य निगम जैसे कार्यालयों का निरीक्षण किया था और वहाँ हिन्दी अनुभागों तथा हिन्दी प्रकाशनों के प्रति दिखाई जा रही उदासीनता समाप्त करने की सलाह दी थी; और

(ग) उक्त समिति की सिफारिशों के बाद भी भारतीय खाद्य निगम में हिन्दी प्रकाशनों को अंग्रेजी प्रकाशनों के बराबर दर्जा और सुविधाएं न दिए जाने के क्या कारण हैं ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) राजभाषा अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए मन्त्रालय तथा इसके संलग्न और अधीनस्थ कार्यालयों में की गई व्यवस्था में निम्नलिखित शामिल हैं—

(1) अनुवाद और अन्य महत्वपूर्ण काम को हिन्दी में करने के लिए स्टाफ की मंजूरी,

(2) हिन्दी पत्राचार, आशुलिपि, टाइप आदि में विभिन्न अनुभागों के स्टाफ का प्रशिक्षण,

(3) स्टाफ को अपेक्षित सहायक साहित्य उपलब्ध कराना जिससे कि हिन्दी में काम करने में सहूलियत हो,

(4) पर्याप्त संख्या में हिन्दी टाइपराइटरों की व्यवस्था करना,

(5) मंत्रालय में निदेशक (राजभाषा) द्वारा निरीक्षण करना और हिन्दी में किए गए काम की प्रगति की नियमित रूप से समीक्षा करना, और

(6) राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकें करना।

हिन्दी में काम करने वाले कर्मचारियो की सख्या, पदों के ब्यौरे तथा वेतनमान के संबंध में अनुबन्ध के रूप में एक विवरण संलग्न है।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एक-दो—2299/81]

(ख) राजभाषा समिति की उप-समिति ने मंत्रालय के विभागों और कुछ कार्यालयों का निरीक्षण किया था। किन्तु यह कहना सही नहीं है कि समिति ने वहां के हिन्दी अनुभागों और हिन्दी प्रकाशनों के प्रति उदासीनता का रूख अपनाने के बारे में कोई शिकायत की है।

(ग) भाग (ख) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न ही नहीं होता।

चिरोली सिंचाई परियोजना के लिए सहायता

* 699. डा० कृपा सिंधु भाई : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को उड़ीसा सरकार से सम्बलपुर जिले में चिरोली सिंचाई परियोजना के लिए केन्द्रीय सहायता देने हेतु कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) छठी पंचवर्षीय योजना में उक्त परियोजना के लिए कितनी धनराशि निर्धारित की गई है ?

कृषि तथा ग्रामीण और पुनर्निर्माण सिंचाई मंत्री (श्री राव बीरेन्द्र सिंह) : (क) से (ग) चिरोली परियोजना के लिए केन्द्रीय सहायता दिए जाने का प्रस्ताव उड़ीसा राज्य सरकार से प्राप्त नहीं हुआ।

उड़ीसा सरकार से चिरोली सिंचाई परियोजना की रिपोर्ट भी अभी तक केन्द्रीय जल आयोग को प्राप्त नहीं हुई है। उड़ीसा राज्य के छठी योजना के दस्तावेज में दी गई सूचना के अनुसार, परियोजना की अनुमानित लागत 30 करोड़ रुपये है और इससे 42000 हैक्टेयर सिंचाई क्षमता सृजित की जाएगी। इस परियोजना के लिए छठी योजना में रखी जाने वाली धनराशि परियोजना को स्वीकृति मिलने तथा राज्य सरकार के पास उपलब्ध धन पर निर्भर करेगी।

नये टेलीफोन कनेक्शन

* 700. श्री कृष्ण प्रताप सिंह : क्या संचार मन्त्री निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे :

(क) विभिन्न टेलीफोन एक्सचेंजों के विस्तार कार्यक्रम की मुख्य बात क्या है और दिल्ली में प्रत्येक टेलीफोन एक्सचेंज के सम्बन्ध में विस्तार कार्यक्रम कब तक पूरा हो जायेगा;

(ख) दिल्ली में प्रत्येक टेलीफोन एक्सचेंज में विभिन्न श्रेणियों में नये टेलीफोन कनेक्शनों के लिए प्रतीक्षा सूची में व्यक्तियों की कुल संख्या कितनी है; और

(ग) जनपथ एक्सचेंज तथा अन्य एक्सचेंजों में, जहाँ 31 दिसम्बर, 1980 को प्रतीक्षा सूची में 1000 व्यक्तियों से कम लोग थे, कब तक टेलीफोन कनेक्शन दिए जायेंगे ?

संचार मंत्री (श्री सी० एम० स्टीफन) : (क) सभा पटल पर रखे गए विवरण पत्र के भाग "क" में 1981-82 तथा 1982-83 के दौरान पूरे किए जाने वाले अस्थायी तौर पर योजना बनाए गए टेलीफोन एक्सचेंजों के विस्तार के मुख्य कार्यक्रम को संक्षेप में प्रस्तुत किया गया है।

(ख) विवरण पत्र के भाग "ख" में 1-3-81 तक दिल्ली के विभिन्न एक्सचेंजों द्वारा सेवित क्षेत्रों में प्रतीक्षा सूची में व्यक्तियों की संख्या दर्शायी गई है।

(ग) यह अनुमान है कि 1-3-81 को दिल्ली में नए टेलीफोन कनेक्शनों के लिए प्रतीक्षा सूचियों के अधिकांश आवेदकों को जिनमें जनपथ तथा अन्य एक्सचेंज भी शामिल हैं जहाँ प्रतीक्षा सूची में आवेदकों की संख्या 1000 से भी कम है, 1985 तक टेलीफोन कनेक्शन उत्तरोत्तर प्रदान कर दिये जाएंगे।

विवरण

दिल्ली में टेलीफोन एक्सचेंजों के विस्तार का कार्यक्रम भाग "क"

क्र० सं०	एक्सचेंज	लाइनों की संख्या	चालू होने की सम्भावित तिथि
1.	नेहरू प्लेस (64)	10,000 मुख्य	1981-82
2.	गाजियाबाद (84)	2,000 मुख्य	1981-82
3.	जनपथ-11 (32)	1,000 (3000-4000)	1981-82
4.	फरीदाबाद (81)	12,00 (3900-5100)	1982-83
5.	गाजियाबाद (84)	2,000 (2000-4000)	1982-83
6.	शाहदरा पूर्व (86)	2,000 मुख्य	1982-83
7.	जनपथ-11 (32)	2,000 (4000-6000)	1982-83
8.	बहादुरगढ़ (83)	900 (एमएएक्स-11 की 400 लाइनों का प्रतिस्थापन	1982-83
9.	करौलबाग-111	10,000 मुख्य	1982-83
10.	ईदगाह-111 (73)	10,000 मुख्य	1983-83
11.	बल्लभगढ़ (88)	1,500 (एम ए एक्स-11 की 500 लाइनों का प्रतिस्थापन)	1982-83
12.	हौजखास (65)	1,600 (5000-6000)	1982-83
13.	चाणक्यपुरी (67)	500 (6900-7400)	1982-83
14.	चाणक्यपुरी-11 (60)	5,000 मुख्य	1982-83

विवरण

दिल्ली के एक्सचेंजों में 1-3-1981 को प्रतीक्षा सूची

भाग "ख"

क्रम संख्या	एक्सचेंज	1-3-1981 को प्रतीक्षा सूची			
		ओ० वाई० टी०	विशेष	साधारण	योग
1.	शाहदरा पूर्व	162	211	1810	2183
2.	शाहदरा	217	464	3289	3970
3.	तीस हजारी	60	6	3140	3206
4.	दिल्ली गेट	77	19	2850	2946
5.	गाजियाबाद	261	422	1777	2460
6.	जनपथ	150	22	747	919
7.	सचिवालय	325	10	209	544
8.	राजपथ	208	35	602	845
9.	कनाट प्लेस	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं
10.	ईदगाह	116	19	5496	5631
11.	जोरबाग	646	195	3740	4581
12.	ओखला	400	183	2037	2620
13.	हौजखास	916	454	4224	5594
14.	चाणक्यपुरी	202	19	1003	1224
15.	नेहरू प्लेस	729	123	1316	168
16.	फरीदाबाद	246	170	1263	1679
17.	बदरपुर	4	2	5	11
18.	बल्लभगढ़	13	127	406	546
19.	शक्तिनगर	479	372	8091	8942
20.	कैंट	93	10	131	234
21.	करोलबाग	293	27	4985	5305
22.	राजौरी गार्डन	241	39	8704	8984
23.	अलीपुर	2	6	38	46
24.	बादली	1	7	98	106
25.	जनकपुरी	30	9	647	686
26.	बहादुरगढ़	9	25	115	149
27.	नजफगढ़	6	8	57	71
28.	नाँगलोई	12	42	71	125
29.	नरेला	5	4	64	73
	योग	5903	3030	56915	65848

विनोद नगर, दिल्ली में मकान गिराया जाना

*701. **श्री चित्त महाटा :**

श्री भोगेन्द्र झा : क्या **निर्माण और आवास मंत्री** : यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि यमुना पार की विनोद नगर कालोनी में 9 मार्च, 1981 को दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा सौ से अधिक रिहायशी मकान गिराये गए थे; और

(ख) यदि हाँ, तो इस बारे में ब्यौरा क्या है और इन मकानों के गिराये जाने के क्या विशेष कारण हैं?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) जी, नहीं। दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि इसने विनोद नगर कालोनी की परिधि के चारों ओर की भूमि पर भिन्न-भिन्न स्थानों में बनी 98 अर्द्ध पक्की संरचनाओं को गिराया था जिनमें एक कमरे के साथ साथ चहार दीवारियां थीं। खास विनोद नगर कालोनी में कोई संरचना नहीं गिराई गई।

(ख) दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा उन अधिकृत संरचनाओं और चहार दीवारी को गिराने की कार्यवाही की गई थी जिन्हें वृहत योजना और दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 के उपबन्धों के उल्लंघन करके हाल ही में बनाया गया था।

पश्चिम पुरी नई दिल्ली में कोयले का डिपो

6406. **श्री जी० एस० निहाल सिंह वाला :** क्या **निर्माण और आवास मंत्री** पश्चिम-पुरी, नई दिल्ली में कोयले के बारे में 9 जून, 1980 के अतारांकित प्रश्न संख्या 60 के उत्तर के संबंध में यह बताने कीं कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मादीपुर पश्चिमपुरी योजना में एक लायसेंसधारी को कोयले के डिपो के लिए आवंटित एक भूखण्ड पर अन्य अधिकृत निर्माणों के अतिरिक्त एक आवासीय फ्लैट भी निर्मित हो गया है;

(ख) क्या यह भी सच है कि एक लायसेंसधारी ने कोयले के डिपो के लिए निर्धारित भूखण्ड पर पांच दुकानों का निर्माण कर लिया है और वहाँ व्यापार चलाया जा रहा है; और

(ग) यदि हां,तो इस मामले में सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है;

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) जी, हाँ।

(ग) लाइसेंसी को अनधिकृत निर्माण के बारे में पहले ही कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है और यदि निश्चित् अवधि के भीतर इसे हटाया नहीं जाता तो लाइसेंस रद्द किया जा सकता है।

महाराष्ट्र को चावल और गेहूं का कम कोटा रिलीज करना :

6407. **श्री बापू साहिब परुलेकर** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हालाँकि महाराष्ट्र को चावल और गेहूं के आवंटन के बारे में कागजी कार्यवाही की गई है तथापि भारतीय खाद्य निगम अपने डिपुओं में श्रमिकों और कर्मचारियों के आन्दोलन के कारण कोटा वितरण करने में असमर्थ है; और

(ख) यदि हाँ, तो इस बारे में सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है; और

(ग) आवंटन में उल्लिखित मात्रा में से राज्य को चावल और गेहूं की कितनी मात्रा अभी तक बितरित नहीं की गई है ?

कृषि और ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) और (ख) इस समय महाराष्ट्र में मजदूरों और स्टाक का कोई आन्दोलन नही चल रहा है। तथापि, बम्बई की बन्दरगाह पर विभागीय मजदूरों और स्टाक के कुछेक सदस्यों ने अतीत में "नियमानुसार कार्य करो" आन्दोलन छेड़ा था ।

भारतीय खाद्य निगम महाराष्ट्र सरकार को खाद्य विभाग द्वारा किए गए आवंटनों के के अनुसार खाद्यान्नों की सप्लाई करने के सभी प्रयास कर रहा है। राज्य में स्टाक की स्थिति और उसकी तुलना में विभाग द्वारा किए गए आवंटनों की प्रत्येक मास समीक्षा की जाती है और आवंटनों के अनुसार मांगों को पूरा करने के लिए राज्य को पर्याप्त स्टाक भेजने की व्यवस्था की जाती है। पिछले छः महीनों में गेहूँ और चावल की स्थिति का ब्यौरा नीचे दिया जाता है :-

(आँकड़े हजार मीटरी टन में)

मास	मास की पहली तारीख को स्टाक	
	गेहूं	चावल
सितम्बर, 80	172.3	311.9
अक्तूबर, 80	150.3	280.9
नवम्बर, 80	108.9	243.3
दिसम्बर, 80	86.4	249.4
जनवरी, 81	66.3	236.9
फरवरी. 81	43.5	225.8

(ग) फरवरी, 1981 में आवंटनों और निर्मुक्तियों का ब्योरा नीचे दिया जाता है :-

(आँकड़े हजार मीटरी टन में)

मास	गेहूं का आवंटन		गेहूं की निकासी	चावल का आवंटन		चावल की निकासी
	×सा०वि०प्र०=रो०आ०मि०×सा०वि०प्र०—रो०आ०मि×सा०वि०प्र०×सा०वि०प्र०					
फरवरी, 1981	35.0	27.7	19.8	22.3	75.0	42.9

फरवरी, 1981 के दौरान महाराष्ट्र को खाद्यान्नों के किए गए संचलन के बारे में स्थिति का ब्यौरा नीचे दिया जाता है :-

(हजार मीटरी टन में)

मास	गेहूं	चावल	जोड़
फरवरी, 1981	29.2	64.7	93.9

+सा०वि०प्र० =सार्वजनिक वितरण प्रणाली

=रो०ग्रा०मि० =रोलर ग्राटा मिलें

शोर-प्रदूषण

6408. **श्री के० प्रधानी : क्या निर्माण ग्रौर ग्रावास मंत्री** : यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बड़े बड़े नगरों में शोर के कारण होने वाले प्रदूषण के बारे में जो कि निर्बाध रूप से जारी हैं, कोई सर्वेक्षण कराया है;

(ख) क्या यह सच है कि शोर-प्रदूषण के विरूद्ध कोई कानून नहीं है; ग्रौर

(ग) यदि हाँ, तो शोर प्रदूषण को रोकने हेतु सरकार का विचार क्या कदम उठाने का है ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण ग्रौर ग्रावास मन्त्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) जी, हाँ।

(ख) जी, नहीं। इस समय शोर प्रदूषण पर नियंत्रण निम्नलिखित उपायों के प्रभाव-पूर्ण कार्यान्वियन के द्वारा किया जा सकता है :-

(1) ग्रापराधिक प्रक्रिया संहिता ग्रौर पालिका विधियों के संबंधित उपबन्धों के ग्रनुसार कार्य करना।

(2) वाहनों का उचित ग्रनुरक्षण एवं सड़क यातायात से उत्पन्न शोर प्रदूषण के नियंत्रण के लिए मोटर वाहन ग्रधिनियम से संबंधित उपबन्धों को लागू करना।

(3) फैक्टरियों के भीतर शोर को नियंत्रण करने के लिए फैक्टरी एक्ट, 1948 में ग्रावश्यक बनाना; ग्रौर

(4) विभिन्न स्थानों पर स्कूलों ग्रौर ग्रस्पतालों के ग्रास-पास स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा शान्त क्षेत्रों में शान्ति बनाये रखना।

(ग) उपर्युक्त (ख) को देखते हुए इस समय प्रश्न ही नहीं उठता।

बाण-सागर परियोजना के विस्थापितों के पुनर्वास की योजना

6409. **श्री मार्तण्ड सिंह : क्या सिंचाई मंत्री** : यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मध्य प्रदेश में बाण-सागर परियोजना के लगभग 50 हजार विस्थापितों के पुनर्वास के लिए कोई योजनाएं बनाई हैं;

(ख) क्या विस्थापितों के कल्याण के बारे में गम्भीर रूप से चिन्ता व्यक्त करते हुए गैर-सरकारी नागरिकों से ऐसी कोई योजनाएं प्राप्त हुई हैं; और

(ग) यदि हाँ, तो उन पर सरकार को क्या प्रतिक्रिया है?

सिंचाई मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) बाणसागर परियोजना के कारण विस्थापित हुए व्यक्तियों को बसाने की योजना और पुनर्वास के मानदण्डों पर बाणसागर नियंत्रण बोर्ड द्वारा विस्तार किया जा रहा है। बोर्ड ने मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार के मुख्य मंत्रियों से अनुरोध किया है कि वे मानदण्डों के बारे में शीघ्रातिशीघ्र कोई यंयुक्त निर्णय करें।

(ख) जी, नहीं।

(ग) यह सवाल पैदा नहीं होता।

नागालैंड में नहाने तथा कपड़े धोने के साबुनों का प्रदर्शन एवं उत्पादन एकक

6410. **श्री चिंगवांग कोनयक : क्या ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्री :** यह बताने कि कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग ने नागालैंड में रोजगार बनाने और स्थानीय रूप से उपलब्ध कच्चे माल का उपयोग करने के लिए नहाने तथा कपड़े धोने के साबुनों का प्रदर्शन एवं उत्पादन एकक स्थापित किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

कृषि और ग्रामीण पुनर्निर्माण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री : (श्री बालेन्वर राम) : (क) व (ख) खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग ने नागालैंड की दीमापुर इन्डस्ट्रीयल इस्टेट में नहाने तथा कपड़े धोने के साबुनों का प्रदर्शन एवं उत्पादन एकक स्थापित किया था। सम्पूर्ण साबुन अहाते में एक कपड़े धोने तथा नहाने का साबुन तैयार करने की एकक और इसके साथ जुड़ी क्षेत्रीय विश्लेषण प्रयोगशाला है। इन गतिविधियों में 12 व्यक्तियों को नियोजित किया गया है। इससे एकक ने अप्रैल, 1980 में कार्य शुरू किया था। अप्रैल, 1981 जनवरी तक 13,432.30 रुपये के मूल्य के कपड़े धोने के साबुन तथा 4,921.00 रुपये के मूल्य के नहाने के साबुन का उत्पादन किया था। एकक का उद्घाटन नागालैंड सरकार के सीमाशुल्क तथा उद्योग मंत्री द्वारा 4 मार्च, 1981 को सरकारी तौर पर किया गया था।

काले बाजार में खजूर के तेल की बिक्री

6411. **श्री निहाल सिंह : क्या नागरिक पूर्ति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इस बारे में कोई जाँच की है कि उचित दर दुकानों को खजूर का तेल इसलिए दिया जाता है कि उमें 8.50 रु० प्रति किलो की दर से लोगों को बेचा जाये, वह

अधिकांशतः काले बाजार में बेच दिया जाता है और दुकानदार इसको पनघट तथा दूसरे ब्रांड के वनस्पति घी में मिलाकर वनस्पति घी के भाव पर बेचते हैं और इस तरह से काफी मुनाफा कमा रहे हैं;

(ख) क्या सरकार ने यह पता लगाने के लिए उचित दर दुकानों और खुदरा दुकानों की मौके पर जाकर अकस्मात जांच की है कि क्या खजूर के तेल को वनस्पति घी के टिनों में बन्द वनस्पति घी में मिलाया जाता है; और

(ग) अब तक की गई जाँचों के दौरान अपमिश्रण के कितने मामलों का पता लगाया गया है और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बृजमोहन महन्ती) : (क) से (ग) खाद्य तेलों में मिलावट को, खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम के अन्तर्गत कार्रवाई करके रोकने की प्राथमिक जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है । राज्य सरकारों का ध्यान समय-समय पर इस आवश्यकता की ओर विशेष रूप से दिलाया गया है कि यह सुनिश्चित करें कि सार्वजनिक वितरण के लिए आवंटित किये जाने वाले आयातित खाद्य तेल उचित दर की दुकानों के माध्यम से पूर्व-निर्धारित मूल्यों पर उपभोक्ताओं को ही दिए जाएं और ये वाणिज्यिक माध्यमों, जिनके लिए ये नहीं हैं, को न दिए जाएं । उनका ध्यान इस सम्भावना की ओर भी दिलाया गया है कि व्यापारियों के बीच के कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा वनस्पति में आर० बी० डी० ताड़ का तेल मिलाकर उसे वनस्पति घी के रूप में बेचा जा सकता है और उनसे यह सुनिश्चित करने का अनुरोध किया गया है कि वे नियमित और अचानक छापों द्वारा ऐसा होने से रोकें । राज्य सरकारों द्वारा मिलावट के मामलों की संख्या और की गई कार्रवाई के बारे में सूचना एकत्र की जा रही है ।

उड़ीसा को पापोलीन और रेपसीड तेल का आवंटन

6412. **श्री चिन्तामणि जैना** : क्या **नागरिक पूर्ति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा सरकार ने केन्द्र से प्रति माह 1,000 टन पापोलीनतेल और 2,000 टन रेपसीड तेल आवंटित करने का अनुरोध किया है ताकि राज्य की आवश्यकता को पूरा किया जा सके; और

(ख) यदि हाँ, तो उक्त राज्य को अक्तूबर माह से अब तक इन दोनों खाद्य तेलों की कितनी मात्रा सप्लाई की गई है और सरकार ने प्रति माह अपेक्षित कोटा नियमित रूप से आवंटित करने के लिए क्या कार्यवाही की है ?

नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बृजमोहन महन्ती) : (क) व (ख) यद्यपि राज्य सरकार ने प्रति माह 1000 मीटरी टन पापोलीन तथा 2000 मीटरी टन रेपसीड का तेल आवंटित करने का अनुरोध किया था तथापि सभी राज्य सरकारों, जिसमें उड़ीसा भी शामिल है, को आयातित खाद्य तेलों का मासिक आवंटन आयातित खाद्य तेलों की उनकी माँग का यथार्थ-परक अनुमान लगाकर किया जाता है और यह अनुमान सम्बन्धित राज्य की आबादी, माँग, खपत के स्वरूप, राज्य में देशीय खाद्य तेलों की उपलभ्यता तथा अन्य संगत बातों, जिनमें राज्य

सरकार द्वारा, पहले किए गये आवंटनों को उठाने की गति भी शामिल है, के आधार पर लगाया जाता है।

अक्टूबर, 1980 से अप्रैल, 1981 की अवधि में उड़ीसा राज्य सरकार को पापोलीन तथा रेपसीड तेल का किया गया कुल आवंटन और 21-3-81 तक उनके द्वारा उठाई गई मात्रा निम्न प्रकार है :

	आवंटन	उठाई गई मात्रा
पापोलीन	200 मी० टन	83 मीटरी टन
रेपसीड तेल	700 मी० टन	278 मीटरी टन

राज्य सरकार से अनुरोध किया गया है कि वे आवंटित की गई मात्रा को उठाने तथा उसका वितरण करने के कार्य में सुधार लायें और उन्हें यह आश्वासन दिया गया है कि आयातित तेलों की उनकी अभी उचित आवश्यकताओं की पूर्ति की जाती रहेगी।

वनस्पति के उत्पादन में गिरावट

6413. **श्री शिव कुमार सिंह** : क्या नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वनस्पति के उत्पादन में गिरावट आई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इसके उत्पादन में गिरावट को रोकने तथा आने वाले महीनों में इस आवश्यक वस्तु के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए क्या सुधारात्मक उपाय किए जा रहे हैं अथवा किया जाने का विचार है;

(ग) वर्ष 1978 से हर तिमाही के दौरान वनस्पति का उत्पादन मिलों की निर्धारित क्षमता की तुलना में कितना रहा है; और

(घ) दिसम्बर, 1980 तक गत चार वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष आयात किये गए खाद्य तेलों, सूरजमुखी के तेल और सोयाबीन के तेल की मात्रा कितनी है तथा 1981 के दौरान कितनी मात्रा आयात किये जाने की संभावना है और वनस्पति निर्माताओं को हर वर्ष कितनी मात्रा दी गई है?

नागरिक पूर्ति मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री बृजमोहन महन्ती) : (क) से (ग) वनस्पति के उत्पादन में कई वजहों से, जिनमें इस उत्पादन की मांग भी शामिल है, समय-समय पर कमी-बेशी होती रहती है। वर्ष 1978 से लेकर बाद के वर्षों में हर तिमाही में, निर्धारित क्षमता की तुलना में इसके उत्पादन का ब्यौरा **विवरण-1** में दिया गया है। इससे पता चलता है कि वर्ष 1980-81 (जो अभी-अभी समाप्त हुआ है) के दौरान कुल उत्पादन, 1979-80 के दौरान हुए 6.18 लाख मीटरी टन के उत्पादन की तुलना में बढ़कर 7.47 लाख मीटरी टन पर पहुंच गया और इस प्रकार इसमें 21 प्रतिशत के लगभग वृद्धि हुई। सरकार तथा वनस्पति उत्पादकों के बीच निरन्तर तालमेल बनाये रखा जाता है, ताकि उद्योग को आयातित तेलों जैसे आदानों की निरन्तर आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके, जिससे वर्ष भर वनस्पति का उत्पादन होता रहे।

(घ) राज्य व्यापार निगम द्वारा 1977 तथा उसके बाद के वर्षों के दौरान किए गए विभिन्न खाद्य तेलों के आयात तथा वनस्पति उत्पादकों को उनकी सुपुर्दगी का ब्यौरा **विवरण-2** में दिया गया है।

जहाँ तक 1981-82 के दौरान आयात की जाने वाली मात्रा का सम्बन्ध है, उसका स्तर देश में इसके उत्पादन, देशीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय कीमतों के रुख, विदेशी मुद्रा की उपलब्धता तथा अन्य संगत बातों पर निर्भर करेगा।

विवरण-1

12.91 लाख मीटरी टन प्रति वर्ष की निर्धारित क्षमता तथा 3,22,800 मीटरी टन की तिमाही क्षमता की तुलना में वनस्पति का तिमाही उत्पादन

(मीटरी टनों में)

वर्ष	जनवरी-मार्च	अप्रैल-जून	जुलाई-सितम्बर	अक्तूबर-दिसम्बर
1978	1,48,243	1,61,526	1,69,512	1,77,988
1979	1,69,618	1,56,503	1,54,624	1,56,863
1980	1,50,035	1,76,657	1,79,926	1,99,903
1981*	1,90,538			

*अनुमानित

विवरण-2

वर्ष 1977 से 1980 के दौरान सोयाबीन के तेल तथा अन्य खाद्य तेलों का आयात

1977-78 (अप्रैल 77 से मार्च 1978)	**मात्रा मीटरी टनों में**
तेल	
सोयाबीन का तेल	3,83,569.802
रेपसीड-तेल	1,02,848.567
अपरिष्कृत ताड़ का तेल	64,024 075
मूंगफली का तेल	17,310 000
	5,67,752.444
1978-79 (अप्रैल 78 से मार्च 79)	
तेल	
सोयाबीन का तेल	4,37,408
अपरिष्कृत ताड़ का तेल	77,506
रेपसीड तेल	44,745
आर० बी० डी० पापोलीन	10,833
आर० बी० डी० ताड़ का तेल	98
	5,70,590

1979-80 (**अप्रैल, 79 से मार्च, 80**)

तेल

सोयाबीन का तेल	5,41 938
रेपसीड-तेल	1,61,832
ताड़ का तेल (आर० बी० डी० ताड़ का तेल तथा अपरिष्कृत ताड़ का तेल)	1,95,653
आर० बी० डी० पापोलीन	1,91,277
	10,90,700

1980-81 (**अप्रैल, 80 से फरवरी, 81**)* **मात्रा मीटरी टनों में**

तेल

सोयाबीन का तेल	5,06,130
अपरिष्कृत ताड़ का तेल	33,159
रेपसीड-तेल	1,21,421
आर० बी० डी० ताड़ का तेल	27,580
आर० बी० डी० पापोलीन	2,34,071
न्यूट्रलाइज्ड ताड़ का तेल	10,470
	9,32,831

*अनन्तिम

कृपया ध्यान दें : इस अवधि के दौरान सूरजमुखी के तेल का कोई आयात नहीं किया गया।

उक्त वर्षों के दौरान वनस्पति उत्पादकों को सप्लाई की गई आयातित खाद्य तेलों की मात्रा नीचे दी गई है :

वर्ष	**वनस्पति उत्पादकों को सप्लाई की गई मात्रा (मीटरी टनों में)**
1977-78	4,89,435
1978-79	4,93,917
1979-80	4,74,381
1980-81	6,78,609*

(*अनन्तिम)

खाद्य तेलों की कीमत में वृद्धि

6414. **श्रीमती मोहिसिना किदवई :** क्या नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खाद्य तेलों की कीमतें हाल के महीनों में नई ऊंचाई पर पहुंच गई है और निर्माताओं अथवा डीलरों द्वारा उसके लिए कोई औचित्य नहीं दिया गया है;

(ख) यदि हाँ, तो क्या उन्होंने इस बारे में व्यापार से सम्बद्ध सभी लोगों से स्पष्टीकरण मांगने के लिए कोई बातचीत की थी;

(ग) यदि नहीं, तो ऐसा न करने के क्या कारण हैं; और

(घ) यदि हाँ, तो उसके क्या परिणाम निकले ?

नागरिक पूर्ति मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री बृजमोहन महन्ती) : (क) से (घ) हाल के महीनों में, मूंगफली के तेल, बिजली के तेल, करडो के तेल, बिनौले के तेल आदि जैसे देशीय खाद्य तेलों के थोक मूल्य सूचकांक में कुछ वृद्धि हुई है। तथापि, मूल्यों का स्तर घटता बढ़ता रहा है।

खाद्य तेलों के मूल्यों में हुई वृद्धि मुख्यत: 1980 में खाद्य तिलहनों के उत्पादन में आई गिरावट के कारण कही जा सकती है। उत्पादन में आई कमी से सट्टेबाजी का सक्रिय होने का मौका मिला, जिससे तेल के मूल्यों में तेजी का रुख आया और उस सीमा तक मूल्य वृद्धि न्याय संगत नहीं है।

तेल उद्योग के प्रतिनिधि वर्गों के साथ बातचीत की गई है, जिसमें सभी सम्बन्धितों से जोरदार ढंग से आग्रह किया गया कि खाद्य तेलों के मूल्यों को उचित स्तर पर बनाए रखना जरूरी है। वनस्पति उत्पादकों ने बजट से तुरन्त पहले की अवधि के दौरान मूल्य अनुशासन बनाए रखना स्वीकार कर लिया था और उनके साथ बातचीत जारी है। सरसों के तेल और बिनौले के तेल के मूल्य भी पहले के उच्चतम मूल्यों से नीचे आए हैं।

'नेफेड' द्वारा आयात और निर्यात

6415. **श्री मोहन लाल पटेल** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 'नेफेड' द्वारा पिछले वर्ष किए गए आयात और निर्यात का ब्यौरा क्या है;

(ख) पिछले वर्ष के दौरान 'नेफेड' द्वारा कमाए गए लाभ, यदि कोई हो, का ब्यौरा क्या है ?

कृषि और ग्रामीण पुनर्निर्माण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) नाफेड द्वारा दी गई रिपोर्ट के अनुसार निर्यात तथा आयात के अस्थाई ब्यौरे विवरण-1 में दिए गए हैं।

(ख) 1979-80 (30-6-1980 को समाप्त होने वाले) वर्ष के लिए नाफेड के खातों की अभी लेखा परीक्षा की जा रही है। अन्तिम ब्यौरे लेखा परीक्षा के पूरे होने पर उपलब्ध होंगे।

विवरण- 1

नाफेड का विदेशी व्यापार

(सहकारिता वर्ष 1979-80

(लाख रुपए)

जिंस	1979-80 (अस्थाई)
क. निर्यात	
1. प्याज	1536.82
2. आलू	40.32
3. मूंगफली (एच पी एस)	1016.76
4. राम तिल का बीज	509.00
5. तिल का बीज	817.25
6 मसाले	6.51
7. परिष्कृत फल तथा सब्जियाँ	8.90
8. तेल रहित खली	344.66
9. तिलहन तथा खली	3132.62
योग :	7412.88
ख. आयात	
1. ताजे फल	450 00
कुल विदेशी व्यापार	7862.88

दिल्ली तथा पश्चिम बंगाल के नगरों के बीच एस० टी० डी० सेवा

6417. **श्री हन्नान मोल्लाह** : क्या **संचार मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिमी बंगाल के कितने नगर तथा शहर इस समय एस० टी० डी० के माध्यम से दिल्ली से जुड़े है और उनके कोड नम्बर क्या है; और

(ख) दिल्ली तथा पश्चिमी बंगाल के अन्य नगरों के बीच 1981-1982 तथा 1983 के दौरान एस० टी० डी० सेवा का विस्तार करने संबंधी योजनाएं क्या है ?

संचार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री कार्तिक उरांव) : (क) पश्चिमी बंगाल के उन कस्बों और नगरों की संख्या 15 है जिन्हें एस० टी० डी० के जरिए दिल्ली के साथ जोड़ा गया है। उनके कोड नम्बर निम्न हैं—

(1) खड़गपुर—0321 (2) हल्दिया (क) औद्योगिक—03224 (ख) टाउनशिप—03447 (3) वर्दवान—0342 (4) सिलीगुड़ी—0353 (5) आसनसोल—041 (6) रानीगंज —03447 (7) बहुला—03442 (8) जमुरिया—03443 (9) रूपनारायणपुर—0344 (10)

बूढ़नपुर— 03448 (11) नैमतपुर—03445 (12) बाराकार— 03446 (13) दुर्गापुर—0343 (14) अन्दल—03441 (केवल श्रावक) (15) कलकत्ता—033

(ख) वर्ष 1981, 1982 तथा 1983 के दौरान दिल्ली तथा पश्चिमी बंगाल के 9 और कस्बों के बीच एस. टी. डी· सेवा के विस्तार की योजना है।

पश्चिमी बंगाल में भारत के अन्य स्थानों से एस० टी० डी० से जुड़े हुए स्थान

6418. **श्री मोहम्मद इस्माइल** : क्या **संचार मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिमी बंगाल के उन स्थानों की संख्या क्या है जो भारत के अन्य स्थानों से एस. टी. डी. से जुड़े हुए हैं और उनकी एस. टी. डी कोड संख्या क्या है; और

(ख) चालू वर्ष के दौरान कितने स्थानों को एस. टी. डी. से जोड़ा जाएगा तथा उनकी एस. टी. डी. कोड संख्या क्या होगी ?

संचार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री कार्तिक उराँव) : (क) पश्चिमी बंगाल के ऐसे स्थानों की संख्या जिन्हें अब तक एस. टी. डी. द्वारा भारत के अन्य स्थानों से जोड़ा गया है 15 है। उक्त स्थानों की कोड संख्या निम्नांकित है :—

(1) अन्दल—03441 (केवल श्रावक काल)

(2) आसनसोल 0341 (3) बहुला—03442

(4) बराकर...03446 (5) बर्दवान—0342

(6) बनैपुर—03448 (7) कलकत्ता—033

(8) दुर्गापुर—0343 (9) हलदिया (क) औद्योगिक—03224 (ख) (नगर क्षेत्र) —032248 (10) जमुविया—03443 (11) खड़गपुर—0321 (12) नेमतपुर—03445 (13) रानीगंज— 03447 (14) रूपनारायणपुर—03444 (15) सिली गुड़ी—0353

(ख) वर्ष 1931 के दौरान पश्चिमी बंगाल के किसी अन्य स्थान को एस. टी. डी. द्वारा जोड़े जाने की संभावना नहीं है।

सेक्टर-12 आर० के० पुरम, नई दिल्ली में जल की सप्लाई

6419. **डा० ए० यू० आजमी** : क्या **निर्माण और आवास मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें मालूम है कि सैक्टर-12 आर० के० पुरम नई दिल्ली स्थित सरकारी मकानों में दोपहर एक बजे से दो बजे तक की जाने वाली जल-सप्लाई विगत फरवरी मास से बन्द कर दी गई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) उक्त जल-सप्लाई कब पुनः शुरू कर दी जायेगी क्योंकि उसके अभाव में आबंटियों को काफी परेशानी हो रही है ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) तथा (ख) ऊपरि टैंक में जल पहुंचाने वाले मुख्य पम्प की मोटर में बड़ी खराबी आ जाने के कारण इन क्वार्टरों में जल की सप्लाई 24-2-1981 से 1,00 से 2,00 बजे अपराह्न के बीच अस्थायी तोर पर बन्द कर दी गई थी।

(ग) 31-3-1981 से निरन्तर जल सप्लाई बहाल कर दी गई है।

पतनों पर आयातित उर्वरकों की ढुलाई

6420. **श्री के० ए० राजन** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय खाद्य निगम द्वारा अभी हाल तक पत्तनों पर आयातित उर्वरकों की ढुलाई किए जाने का काम अन्य एजेंसियों को सौंप दिया गया है;

(ख) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या इस काम को करने में विभिन्न एजेंसियों द्वारा किये जाने वाले व्यय के सम्बन्ध में कोई तुलनात्मक विश्लेषण किया गया है और यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

कृषि और ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) विभिन्न बन्दरगाहों पर आयातित गैर-पोटाश युक्त उर्वरकों की संभाल का कार्य तथा दूरस्थ क्षेत्रों में इसके वितरण कार्य, जो 1978 के मध्य तक केवल भारतीय खाद्य निगम द्वारा किया जाता था, अतः भारतीय खाद्य निगम के अतिरिक्त कुछ स्वदेशी उर्वरक विनिर्माताओं तथा भारतीय पोटाश लिमिटेड द्वारा किया जा रहा है।

(ख) अयातित गैर-पोटाश युक्त उर्वरकों की संभाल व उसके वितरण के लिए बहु. एजेन्सी प्रणाली लागू करने के कुछ महत्वपूर्ण कारण निम्नलिखित हैं :—

1. उर्वरकों के आयात में वृद्धि होने से कई बन्दरगाहों पर संभाल व वितरण का कार्य पूरा करने के लिए अन्य एजेन्सियों की सेवाएं उपलब्ध कराना आवश्यक हो गया है।

2. स्वदेशी उर्वरक विनिर्माताओं तथा भारतीय पोटाश लिमिटेड के पास वितरण व विपणन के लिए कई संगठन हैं।

3- इन एजेन्सियों के अपने प्रवर्तन संगठन हैं, जिनमें किसानों को आवश्यक सलाह प्रदान करने के लिए तकनीकी कर्मचारी हैं।

(ग) विभिन्न एजेन्सियों द्वारा किया जाने वाला खर्च उन बन्दरगाहों, जिन पर उर्वरकों की सँभाल की जाती है, उन क्षेत्रों, जहां उर्वरकों का वितरण किया जाता है, आदि पर निर्भर करता है। इसलिए इनका व्यय पूर्णरूप से तुलनीय नहीं है। तथापि, सरकार को आयातित गैर-पोटाश युक्त उर्वरकों की संभाल व वितरण में बहु-एजेन्सी प्रणाली से समग्र रूप से बचत हुई है।

सहायता प्राप्त स्कूल अध्यापकों के "पोस्ट फिक्सेशन" में शुद्धिकरण

6421. **श्री एस० बी० सिदनास** : क्या शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली प्रशासन के शिक्षा निदेशालय के पूर्वी जिला के अधीन उन सहायता स्कूलों के नाम क्या हैं, जिन्होंने वर्ष 1980-81 के लिए अप 'पोस्ट फिक्सेशन' में शुद्धी करने के लिए अभ्यावेदन दिए हैं परन्तु अभी तक ऐसा नहीं किया गया है;

(ख) शिक्षा निदेशालय ने बिना आगे विलम्ब किये शुद्धियाँ करने के लिए क्या कार्र की है; और

(ग) क्या सहायता, प्राप्त इन स्कूलों को शुद्धियाँ किये जाने तक प्रभावित हुए कर्मच को वेतन लेने की मंजूरी दे दी गई है ?

शिक्षा तथा समाज कल्याण मन्त्री (श्री एस० बी० चव्हाण) : (क) दिल्ली प्रश द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार शिक्षा निदेशालय, दिल्ली प्रशासन के पूर्वी जिले के किस सहायता प्राप्त स्कूल ने ऐसा अभ्यावेदन नहीं भेजा है।

(ख) और (ग) : प्रश्न नहीं उठता।

मन्दिर मार्ग के क्वार्टरों में वाश बेसिन और पंखों की व्यवस्था

6422. **श्री जी० वाई० कृष्णन :** क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की करेंगे कि :

(क) क्या मन्दिर मार्ग, नई दिल्ली में ही डी ब्लाक में टाईप-दो के प्रत्येक क्वा वाश बेसिन और प्रत्येक कमरे में पंखे लगाने के लिए तीन पंखे उपलब्ध कराने का कोई प्र सरकार के विचाराधीन है;

(ख) क्या यह भी सच है कि इन क्वार्टरों के निवासियों की यह माँग लम्बे स चली आ रही है; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) नहीं।

(ख) जी, हाँ।

(ग) सरकार का इन सुविधाओं की व्यवस्था करने का कोई प्रस्ताव नहीं है क्यों सुविधाएं अनुमोदित मापदण्ड के अधीन अनुमेय नहीं हैं।

मिजोरम में पीने के पानी की सुविधाएं

6423. **श्री आर० रोथूआमा :** क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा कि :

(क) वर्ष 1978-79 में मिजोरम की राजधानी ऐजल में पीने के पानी की सप्ल व्यापक सुधार लाने के लिए केन्द्रीय वित्तीय सहायता की कितनी धनराशि आबंटित की गई

(ख) क्या सरकार को यह पता है कि एजल शहर की जल प्रदाय व्यवस्था में

लाने के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा भारी धनराशि दिये जाने के बावजूद शहर में पानी की सप्लाई की आज तक किल्लत बनी हुई है; और

(ग) यदि हां. तो सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है अथवा किये जाने का विचार है ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

विश्वविद्यालयों को अनुदानों के नियतन में असंतुलन

6424. **श्री आर० के० महालगी** : क्या **शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में विश्वविद्यालयों और उनमें पढ़ने वाले छात्रों की कुल संख्या कितनी है और इसमें से केन्द्रीय बिश्वविद्यालय कितने हैं और उनके छात्रों की संख्या कितनी है;

(ख) गत तीन वर्षों में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा दिए गए कुल अनुदान में से केन्द्रीय विश्वविद्यालयों को कितने प्रतिशत अनुदान दिया गया है; और

(ग) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा अनुदान के नियतन के मामले में असंतुलन को दूर करने के लिए यदि सरकार द्वारा कोई अन्य उपाय किए गए हैं तो वे क्या हैं ?

शिक्षा तथा समाज कल्याण मन्त्री (श्री एस० बी० चव्हाण) : (क) 1979-80 में विश्वविद्यालय समझी जाने वाली संस्थाओं सहित कुल 119 विश्वविद्यालयों में से 7 केन्द्रीय विश्वविद्यालय थे । 1979-80 में इन सभी विश्वविद्यालयों के शिक्षण विभागों में कुल दाखिलों की संख्या 3,14,269 थी जिसमें से केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में दाखिलों की संख्या 46,477 थी ।

(ख) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से विकास अनुदान प्राप्त करने वाले विश्वविद्यालयों की संख्या 9179-80 तक 90 थी । 7 केन्द्रीय विश्वविद्यालयों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा वितरित कुल विकास अनुदान का 1977-78, 1978-79 और 1979-80 वर्षों के दौरान क्रमश: 21.79% और 27.09% और 21.23% प्राप्त हुआ था ।

(ग) आयोग केन्द्रीय विश्वविद्यालयों का परिसर विकास, चिकित्सा शिक्षा, अस्पतालों इत्यादि सहित उनके कार्यक्रमों के लिए 100% विकास अनुदान प्रदान करता है । सन्दर्भाधीन वर्ष के दौरान केन्द्रीय विश्वविद्यालयों को दिए गए विकास अनुदानों में उत्तर पूर्वी पर्वतीय विश्वविद्यालय और हैदराबाद विश्वविद्यालय की स्थापना सम्बन्धी प्रारम्भिक खर्च भी शामिल था । राज्य विश्वविद्यालयों को परिसर विकास के लिए तथा कुछ अन्य कार्यक्रमों के लिए भी राज्य सरकारों से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की साझेदारी के आधार पर विकास अनुदान प्राप्त होता है । वित्त पोषण की इस पद्धति को देखते हुए यह कहना सही नहीं होगा कि अनुदानों के आबंटन में संतुलन है । इसके अलावा आयोग से विभिन्न विश्वविद्यालयों के लिए विकास सहायता की सीमा प्रत्येक विश्वविद्यालय के विकास के स्तर, उसके प्रकार, उसके द्वारा प्रदान किए जाने वाले कार्यक्रमों की प्रकृति और स्तर, विभिन्न पाठ्यक्रमों में दाखिलों तथा अन्य सम्बन्धित बातों

के आधार पर निर्धारित की जाती है। इन बातों को ध्यान में रखे बिना इसी आधार पर स विश्वविद्यालयों को विकास अनुदान देने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

त्रिलोकी कालोनी, नई दिल्ली के खाली अधिग्रहीत क्षेत्रों का विकास

6425. **श्री टी० एस० नेगी : क्या निर्माण और आवास मंत्री** यह बताने की कृपा क कि :

(क) त्रिलोकी कालोनी (बापू पार्क), कोटला मुबारकपुर, नई दिल्ली के खाली अ गृहीत क्षेत्रों का विकास करने एवं उन्हें उपयोग में लाने की दिशा में अधिकारियों द्वारा अब क्या प्रगति की गई है और विकास कार्य कब तक पूरा होने की सम्भावना है;

(ख) उक्त क्षेत्र को सामुदायिक सुविधाओं के लिए कब तक उपयोग में लाया जाए और

(ग) उक्त कालोनी के 'रिलीज' किए गए भाग के निवासियों को जल तथा मल निक की नागरिक सुविधाएं देने में क्या प्रगति हुई है और ये सुविधाएं कब तक दी जाएंगी?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) (ग) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद में रिसर्च एसोसियेट के पद के लिये अर्हता

6426. **श्री रामावतार शास्त्री : क्या शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री** यह बताने कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण परिषद, नई दिल्ली में रिसर्च एसोि के पद के लिए निर्धारित अर्हताएं क्या हैं;

(ख) क्या द्वित्तीय श्रेणी में एम० ए० डिग्री होना अनिवार्य है; और

(ग) यदि हाँ, तो वर्तमान कितने रिसर्च एसोसिएट द्वित्तीय श्रेणी में एम० ए० ि धारी हैं?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री (श्री एस० बी० चह्वाण) : (क) और (ख) रा शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद में अनुसंधान एसोसिएट के पद के लिए निध अर्हताएं वही हैं जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा लेक्चरर के पद के लिए निध की गई हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा लेक्चरर के पदों के लिए निर्धारित न्यू अर्हताएं **विवरण** में दी गई हैं।

(ग) छत्तीस अनुसंधान एसोसिएटों में से तैंतीस के पास द्वित्तीय श्रेणी की मा डिग्री है।

विवरण

विश्वविद्यालय लेक्चररों के पदों पर भर्ती के लिये निर्धारित न्यूनतम अर्हतायें

(क) कोई डाक्टर की उपाधि अथवा इसके बराबर उच्च स्तर का अनुसंधान कार्य;

(ख) सम्बद्ध विषय में प्रथम अथवा द्वितीय श्रेणी (सात सूत्रीय के मापदण्ड में ख) में मास्टर डिग्री के साथ लगातार अच्छा शैक्षिक रिकार्ड अथवा किसी विदेशी विश्वविद्यालय की समकक्ष डिग्री। अन्तर विषयक कार्यक्रमों को विकसित करने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए ऊपर (क) और (ग) में बताई गई डिग्रियां सम्बद्ध विषयों में होनी चाहिएं।

बशर्ते कि यदि चयन समिति का यह मत हो कि किसी उम्मीदवार के शोध ग्रंथ अथवा उसके प्रकाशित कार्य से यह यह स्पष्ट होता है कि उसका अनुसंधान कार्य बहुत उच्च स्तर का है तो वह ऊपर (ख) में निर्धारित योग्यताओं में से किसी भी योग्यता में ढील दे सकती है।

बशर्ते कि इसके अतिरिक्त यदि मास्टर डिग्री अथवा समकक्ष अनुसंधान कार्य वाला कोई उम्मीदवार उपलब्ध न हो अथवा उसे उपयुक्त न समझा जाए तो किसी ऐसे व्यक्ति को, जिसका लगातार अच्छा शैक्षिक रिकार्ड हो (दर्शन शास्त्र में निर्णति अथवा समकक्ष डिग्री अथवा कोटि के अनुसंधान कार्य को वरीयता दी जाए) नियुक्त किया जाए बशर्ते कि उसने कम से कम दो वर्ष तक अनुसंधान कार्य किया है अथवा वह किसी अनुसंधान प्रयोगशाला/संगठन में व्यावहारिक अनुभव रखता है जिसकी शर्त यह होगी कि उनकी नियुक्ति के पांच वर्षों के अन्दर उन्हें डाक्टर की डिग्री प्राप्त करनी होगी अथवा समकक्ष उच्च स्तर का अनुसंधान कार्य करना होगा, ऐसा न करने पर उन्हें आगे की वेतनवृद्धि तब तक नहीं दी जाएगी जब तक वह इन शर्तों को पूरा नहीं करेगा।

घटिया पटसन के लिये कम मूल्य

6427. **श्री एस० एम० कृष्ण :** क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कृषि मूल्य आयोग के पास एक ऐसा प्रस्ताव है कि वे कच्ची पटसन का न्यूनतम संवैधानिक मूल्य की इस प्रकार से सिफारिश करें कि घटिया स्तर के रेशों का उत्पादन करने वाले पटसन उत्पादक निरुत्साहित हों;

(ख) यदि हां, तो इस मामले की अब क्या स्थिति है;

(ग) क्या घटिया रेशा भारी मात्रा में उपलब्ध है जबकि बढ़िया किस्म के रेशों की लगातार कम सप्लाई बनी हुई है;

(घ) यदि हां, तो सरकार का विचार किस प्रकार से घटिया किस्म के पटसन के उत्पादन को समाप्त करने का है?

कृषि और ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) तथा (ख) जी नहीं। कृषि मूल्य आयोग ने विचार के लिए ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं किया है।

(ग) देश में पटसन पैदा करने वाले क्षेत्रों के एक बड़े भाग को पटसन के सड़ाने की सुविधाओं की कमी के कारण हानि होती है, जिसके कारण घटिया किस्म के रेशे पैदा होते हैं और इसके परिणामस्वरूप बेहतरीन किस्म के रेशों की कम सप्लाई होने की सूचना मिली है।

(घ) सरकार पटसन के सड़ाने की सुविधाओं को बढ़ाकर तथा बेहतर किस्मों के पटसन

की खेती को प्रोत्साहन देकर के बढ़िया किस्म के पटसन के रेशों का उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रयास कर रही है।

केन्द्रीय विद्यालय संगठन में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों की स्थिति

6428. **श्री आर० आर० भोले** : क्या **शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री** केन्द्रीय विद्यालय संगठन की सेवाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की स्थिति के बारे में 26 मार्च, 1973 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4566 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की भर्ती की स्थिति में सुधार करने के लिए उसके बाद क्या विभिन्न उपाय किए गए हैं;

(ख) इस समय विद्यमान तीनों श्रेणियों में से प्रत्येक में कुल कितने अध्यापक हैं और उनमें अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की संख्या कितनी है;

(ग) क्या एक समय-सीमा के भीतर यह कमी पूरी करने के लिए विशेष भर्ती करने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री (श्री एस० वी० चव्हाण) : (क) साक्षात्कारों में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों का मूल्यांकन रियायती स्तर के अनुसार किया जाता है। अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के सभी उम्मीदवारों को जो कि निर्धारित न्यूनतम अर्हताएं रखते हैं, आवेदन-पत्रों के मूल्यांकन के समय प्राप्त किए गए उनके अंकों को ध्यान में रखे बिना साक्षात्कार के लिए बुलाया जाता है, जबकि पहले उन्हें केवल 5 अंकों की छूट दी जाती थी। सामान्यतः अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों का अलग से साक्षात्कार किया जाता है, ताकि उनका मूल्यांकन सामान्य उम्मीदवारों की तुलना में न किया जाए। इसके अतिरिक्त साक्षात्कार में इन समुदायों के उम्मीदवारों द्वारा प्राप्त की गई श्रेणियों को एक स्तर आगे रखा जाता है।

(ख) दिल्ली संघ शासित क्षेत्र में स्थित केन्द्रीय विद्यालयों में कार्य कर रहे प्राथमिक अध्यापकों (पी. आर. टी. एस.), प्रशिक्षित स्नातक अध्यापकों (टी. जी. टीज.) तथा स्नातकोत्तर अध्यापकों (पी. जी. टीज.) तथा अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के अध्यापकों की कुल संख्या नीचे दी जा रही है :—

अध्यापकों की श्रेणी	अध्यापकों की कुल संख्या	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति
पी. आर. टीज.	245	4	2
टी. जी. टीज.	255	1	1
पी. जी. टीज.	159	1	—

(ग) आरक्षित रिक्तियों पर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अधिक-से-अधिक उम्मीदवारों की भर्ती करने के प्रयास किये जाते हैं। इस दिशा में एक और कदम के रूप में सभी

क्षेत्रों के अध्यापकों के पदों के लिए केवल अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों से ही प्रार्थना पत्र आमंत्रित करने के लिए विज्ञापन जारी करने का प्रस्ताव है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

चौसिंघा (चार सींगों वाला हरिण) का समाप्त होना।

6429. **श्री आर० पी० गायकवाड़** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि चौसिंघा (विश्व में एक मात्र चार सींगों वाला हरिण) छोटे-छोटे प्रदेशों तक सीमित है और इसकी संख्या कम हो रही है; और

(ख) यदि हां, तो इस अद्वितीय पशु के संरक्षण तथा इसकी संख्या बढ़ाने के लिए सरकार का क्या विशेष उपाय करने का विचार है?

कृषि और ग्रामीण पुनर्निर्माण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) यह सही है कि पिछले कुछ वर्षों में चौसिंघों की संख्या में काफी ह्रास हुआ है, तथापि यह भारत के अनेक भागों में अब भी पाया जाता है।

(ख) चौसिंघों को वन्य प्राणी (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की अनुसूची 1 में शामिल कर लिया गया है जिससे उसके शिकार करने पर पूर्ण वैधानिक प्रतिबन्ध लग गया है। शिकार में उसे मारना, पकड़ना, फांसना, जहर देना अथवा घायल करना शामिल है। इस वन्य प्राणी अथवा उसके किसी उत्पाद के व्यापार तथा वाणिज्य की भी अनुमति नहीं है। इसके अतिरिक्त वन्य प्राणी संरक्षण के हित में जो सामान्य कदम उठाये गए हैं उनसे भी चौसिंघों के संरक्षण और परिक्षण में आवश्यक रूप से सहायता मिलेगी।

स्वीकृति के लिए विचाराधीन कर्नाटक सिंचाई परियोजनाएं

6430. **श्री के० मालन्ना** : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक राज्य में पश्चिमी घाटों और अन्य सिंचाई परियोजना विकास स्कीम के बारे में केन्द्रीय जल आयोग का प्रतिवेदन तकनीकी जांच और योजना आयोग द्वारा स्वीकृति के लिए प्राप्त हो गया है;

(ख) यदि हां, तो उपरोक्त योजना में कौन-कौन से ताल्लुकों को शामिल किया गया है; और

(ग) इस चयन के क्या मानदण्ड हैं?

सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) कर्नाटक सरकार से इस प्रकार की कोई रिपोर्ट अभी तक केन्द्रीय जल आयोग को प्राप्त नहीं हुई है।

(ख) और (ग) ये सवाल पैदा नहीं होते।

विश्व बैंक सहायता से कर्नाटक के लिए स्वीकृत किये गये नलकूप

6431. **श्री जनार्दन पुजारी** : क्या सिंचाई मंत्री यह यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विश्व बैंक सहायता से वित्त पोषित सिंचाई योजनाओं के अन्तर्गत कर्नाटक में छोटे किसानों के लिए स्वीकृत किए गए राज्य नल-कूपों की संख्या कितनी है;

(ख) इस प्रयोजन के लिए विश्व बैंक द्वारा कितनी सहायता दी गई है;

(ग) क्या इस कार्यक्रम के अधीन धनराशि को केन्द्रीय सिंचाई विभाग के माध्यम से खर्च किया जा रहा है; और

(घ) यदि हाँ, तो इस सम्बन्ध में ब्यौरा क्या है ?

सिचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्र रहमान अंसारी) : (क) जहाँ तक इस मंत्रालय को जानकारी है, कर्नाटक में छोटे किसानों के लिए राजकीय नलकूपों के निर्माण की ऐसी कोई सिंचाई स्कीम नहीं है, जिसका वित्तपोषण विश्व बैंक की सहायता से किया जा रहा हो।

(ख) से (ग) उपर्युक्त (क) को देखते हुए ये सवाल पैदा नहीं होते।

हरियाणा में डाक-घर खोलना

6432. **श्री चिरंजीलाल शर्मा :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हरियाणा में 1980 के दौरान कितने डाकघर खोले गए; और

(ख) 1981 के दौरान जिलावार कितने डाकघर खोले जायेंगे ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कार्तिक उरांव) : (क) वर्ष 1980 के दौरान हरियाणा में 14 डाकघर खोले गए।

(ख) लक्ष्य को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया जा सका है।

ओजारखेड़ बांध का निर्माण कार्य

6433. **जेड० एम० काहनडोल :** क्या सिंचाई मंत्री यह बताने कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार को मालूम है कि धन के अभाव में नासिक जिला (महाराष्ट्र) के डिन्डोरी तालुक के ओजारखेड़ बांध पर निर्माण-कार्य धीमा पड़ गया है, यद्यपि यह परियोजना आदिवासी क्षेत्र में है और इससे अधिकांशतया अनुसूचित जनजाति के कृषकों को लाभ पहुंचेगा; और

(ख) यदि हाँ, तो क्या भारत सरकार को महारष्ट्र सरकार की सहायता करने की योजना है, जिससे कि यह बाँध पूरा हो सके तथा आदिवासियों को इसके लाभ शीघ्र प्राप्त हो सकें ?

सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्र रहमान अंसारी) : (क) और (ख) महाराष्ट्र सरकार द्वारा सूचित किया गया है कि ओजारखेड़ बांध के काम में देरी आंशिक रूप से कार्य के क्षेत्र में वृद्धि होने तथा आंशिक रूप से ठेकेदार द्वारा किए जाने वाले कार्य की प्रगति धीमी होने के कारण हुई। राज्य सरकार अब इस कार्य का क्रियान्वयन विभागीय तौर पर कर

रही है और शेष कार्य को जून, 1982 तक पूरा कर दिए जाने की आशा है। राज्य सरकार ने केन्द्र से कोई सहायता नहीं मांगी है।

तमिलनाडु में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम का अध्ययन

6434. **श्री डी० एस० ए० शिवप्रकाशम** : क्या **ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग के कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन के अन्तरिम प्रतिवेदन प्रस्तुत न कर ने के बाद तमिलनाडु में "काम के बदले अनाज" कार्यक्रम के कार्यकरण की जांच की है;

(ख) यदि हां, तो संगठन के निष्कर्ष क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या आयोग तमिलनाडु में उक्त कार्यक्रम के कार्यकरण की जांच करने के लिए कार्यवाही करेगा ?

कृषि और ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालेश्वर राम) : (क) व (ख) तमिलनाडु उन दस राज्यों में शामिल नहीं था जिनमें "काम के बदले अनाज" कार्यक्रम के मूल्यांकन अध्ययन किए गए थे। अतः योजना आयोग के कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन ने इस राज्य में कार्यक्रम के बारे में कोई निष्कर्ष रिकार्ड नहीं किए हैं।

(ग) तमिलनाडु में कार्यक्रम के निष्पादन का मूल्यांकन करने का इस समय कोई प्रस्ताव नहीं है।

सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्र (पी० सी० ओ०) और सी० ओ०

6435. **प्रो० नारायण चन्द पराशर** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा प्राथमिकता के आधार पर किन श्रेणियों के स्टेशनों को (एक) सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्रों (दो) सी० ओ० की व्यवस्था के लिए मान्यता दे दी गई है;

(ख) क्या उक्त सूची में संशोधन किया जाएगा ताकि पहाड़ी क्षेत्रों में 3000 या इससे अधिक की जनसंख्या वाले जो क्षेत्र हैं उनकी बिखरी हुई आबादी तथा भौगोलिक स्थिति को देखते हुए 3 कि० मी० की परिधि में आने वाले ग्राम समूह शब्दावली को उसमें शामिल किया जा सके; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में किस संभावित तारीख तक निर्णय किया जाएगा ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कार्तिक उरांव) : (क) श्रेणी स्टेशनों की सूची नीचे दी जा रही है :

(1) जिला मुख्यालय (2) उप मण्डल मुख्यालय (3) तहसील मुख्यालय (4) उप तहसील मुख्यालय (5) ब्लाक मुख्यालय (6) ऐसे स्थान जिनकी जन संख्या साधारण क्षेत्रों में 5000 या अधिक तथा पिछड़े एवं पर्वतीय क्षेत्रों में 2500 या अधिक हो।

(7) वे स्थल जहां पर ऐसे पुलिस स्टेशन स्थित हों जिनका इंचार्ज उप निरीक्षक या इससे ऊपर के पद का पुलिस अधिकारी हो।

(8) दूरवर्ती स्थान जैसे कि वह स्थान जहाँ 40 कि० मी० की अरीय दूरी (सार्वजनिक टेलीफोन घर हेतु) के अन्तर्गत टेलीफोन एक्सचेंज न हो तथा वह स्थान जहाँ 20 कि० मी० (संयुक्त डाक तार घर हेतु) की अरीय दूरी के अन्तर्गत तारघर न हो।

(9) पर्यटक/तीर्थ स्थान/कृषि/सिंचाई/विद्युत परियोजना के स्थल/नगर।

(ख) और (ग) इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

उर्वरकों का सुरक्षित भण्डार

6436. **श्री नवीन रवाणी : श्री रामजी भाई मावणि** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1975 से 1981 तक प्रत्येक पहली जनवरी को उर्वरकों का सुरक्षित भण्डार कितना था; और

(ख) देश में उपरोक्त वर्षों में इसकी खपत क्या थी ?

कृषि और ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) 1 जनवरी, 1975, 1 जरवरी, 1976, 1 जनवरी, 1977, 1 जनवरी, 1978, 1 जनवरी, 1979, 1 जनवरी, 1980 तथा 1 जनवरी, 1981 को केन्द्रीय उर्वरक पूल के पास उर्वरकों के निम्नलिखित स्टाक थे :—

	(पोषक तत्वों के आंकड़े लाख मीटरी टनों में) (एन०+पी०+के०)
1 जनवरी, 1975	2.55
1 जनवरी, 1976	7.11
1 जनवरी, 1977	7.97
1 जनवरी, 1978	7.37
1 जनवरी, 1979	3.99
1 जनवरी, 1980	5.56
1 जनवरी, 1981	7.04

(ख) उक्त वर्षों की अवधि के दौरान उर्वरकों की निम्नलिखित मात्रा खपत की गई—

	(पोषकतत्वों के आँकड़े लाख मीटरी टनों में) (एन०÷पी०+के०)
1975-76	28.94
1976-77	34.11
1977-78	42.86
1978-79	51.17
1979-80	52.56
1980-81 (अनुमानित)	55.76

अंडमान और निकोबार वन विकास एवं रोपण निगम के अन्तर्गत लकड़ी पर आधारित उद्योग

6437. **श्री मनोरंजन भक्त :** क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्डमान और निकोबार वन विकास एवं रोपण निगम ने कार्य करना शुरू कर दिया है;

(ख) क्या निगम का विचार सरकारी क्षेत्र अथवा संयुक्त/गैर-सरकारी क्षेत्र में अन्डमान और निकोबार द्वीप समूह संघ राज्य क्षेत्र में लकड़ी पर आधारित दो उद्योगों, विशेष रूप से प्लाईवुड के कारखानों की स्थापना करने का है;

(ग) यदि हाँ, तो कब और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार का विचार रोजगार के अधिक अवसर उत्पन्न करने के लिए बड़े उद्यम लगाने की बजाय माचिस की तीलियाँ चाय की पेटियाँ और प्लाईवुड बनाने के कारखाने जैसे छोटे उद्यमों को प्रोत्साहन देने का है ; और

(ङ.) यदि हाँ, तो इस सम्बन्ध में क्या उपाय किए जाने का विचार है ?

कृषि और ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) जी, हां।

(ख) निगम ने लिटल अन्डमान के लिए संयुक्त क्षेत्र में, प्लाईवुड और शल्कल कारखाना आरा मिल तथा पार्टीकिल बोर्ड सहित लकड़ी पर आधारित एक कम्पलैक्स स्थापित करने का प्रस्ताव किया है।

(ग) प्रस्ताव भारत सरकार के विचाराधीन है और इसकी स्वीकृति की प्रतीक्षा है।

(घ) अण्डमान और निकोबार वन विकास निगम की स्थापना कर दी गई है और उसको अपने परियोजना क्षेत्र में लकड़ी पर आधारित उद्योगों का संवर्धन करने का उत्तरदायित्व सौंपा गया है। सरकार निगम से प्रस्ताव प्राप्त होने पर उस पर विचार करेगी।

(ङ.) निगम ने लकड़ी पर आधारित निम्नलिखित विभिन्न उद्योगों की स्थापना हेतु सम्भाव्यता रिपोर्ट तैयार करने के लिए कार्यवाही शुरू कर दी है :—

इन्टेग्रेटेड, वुड वर्किंग तथा ज्वायनरी यूनिट, नाक डाउन वुडन फर्नीचर, कम्प्रेगनेटेड, लिमिनेटेड तथा डेन्सीफाईड वुड प्रोडक्ट, लम्बर कोर प्रोडक्ट, स्लाइसिंग तथा वेनीरिंग यूनिट, मैडिकम डैम्सीकाई फाइबर बोर्ड, पार्टिकल बोर्ड प्लांट, एक्टीवैटेड चारकोल, वुड टार तथा अन्य वुड डिस्टीलेशन प्रोडक्ट, प्लास्टिक इम्येगनेटड वुड पल्प तथा टेनिंग बार्क एक्सट्रेक्शन। यूनिट।

बंगलौर विकास प्राधिकरण के लिये हुडको की आवास परियोजना

6438. **श्री टी० आर० शमन्ना :** क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुमार स्वामी ले-आऊट (बन शंकारी के निकट) (बंगलौर) में निम्न आय समूह व्यक्तियों के लिए 'हुडको' के माध्यम से मकान बनाने की परियोजना मंजूर की गई थी ;

(ख) यदि हाँ, तो योजना मंजूर कब की गई थी और इसे कब पूरा किया जाना है;

(ग) कितने मकानों का निर्माण किया जाना है और उस पर कितना व्यय होगा; और

(घ) आबंटी उन मकानों का कब्जा कब तक ले सकेंगे ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) उक्त योजना की मंजूरी 4-7-77 को दी गई थी और यह 31-3-1979 तक पूर्ण होनी थी।

(ग) आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्गों के लिए 1,000 मकानों की मंजूरी दे दी गई थी और इस परियोजना की कुल लागत 77.48 लाख रुपये है।

(घ) इस परियोजना का कार्यान्वयन बंगलौर विकास प्राधिकरण द्वारा किया जा रहा है। 31 दिसम्बर, 1980 को समाप्त होने वाली अवधि की आवास नगर विकास निगम द्वारा प्राप्त प्रगति रिपोर्ट के अनुसार, 612 मकान निर्माण के अग्रिम सोपान पर थे और शेष मकान भिन्न-भिन्न सोपानों पर थे। आवास तथा नगर विकास ने कार्यान्वियन अभिकरण पर इस योजना को शीघ्रतिशीघ्र पूरा करने के लिए बल दिया है। इस स्थिति में दखल में लेने के लिए मकानों के आवंटन की निश्चित तारीख जो कि बंगलौर विकास प्राधिकरण के क्षेत्राधिकार के भीतर है, बताई नहीं जा सकती।

बंसधारा नदी के विकास के लिये मास्टर प्लान

6439. **श्री गिरिधर गोमांगो :** क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने बंसधारा नदी तथा इससे मिलने वाली छोटी नदियों के विकास के लिए मास्टर प्लान तैयार करने हेतु उड़ीसा सरकार को सुझाव दिया है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह सच है कि उड़ीसा सरकार ने इस तरह को कोई कार्यक्रम तैयार नहीं किया है;

(घ) यदि हाँ, तो उसके क्या कारण हैं और बंसधारा नदी के सम्बन्ध में केन्द्र के सुझावों के अनुसार वर्ष 1981-82 में राज्य सरकार द्वारा क्या उपाय किये जाने हैं;

(ङ.) चालू वित्तीय वर्ष में शामिल किया गया सर्वेक्षण तथा जांच कार्य क्या है और उसकी सहायक नदियों के नाम क्या हैं; और

(च) बंसधारा नदी के मास्टर प्लान हेतु राज्य सरकार द्वारा कितनी धनराशि की

व्यवस्था की गई है और परियोजना रिपोर्ट पूरी करने का निर्धारित समय क्या है ?

सिंचाई मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) से (च) राज्य सरकार को सुझाव दिया गया है कि बंसधारा नदी और उसकी निकटवर्ती छोटी नदियों के विकास के लिए एक मास्टर योजना तैयार की जाय जिसमें जल संचयन जलाशयों और भू-संरक्षण वर्क्स की व्यवस्था हो। राज्य सरकार ने सूचित किया है कि इस कार्य के लिए कुछ परियोजनाएं निर्धारित की गई है जिनमें से बोंडापिपलो, हरांगों और बडानाला परियोजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं और सम्बोरो, कोडाया, लिलोबाडो-कनुजोडो जलाशय स्कीमों का अन्वेषण किया जा रहा है। भविष्य में भी कई परियोजनाओं का अन्वेषण किए जाने की योजना है। राज्य सरकार ने यह भी सूचित किया है कि चूंकि बंसधारा नदी एक अन्तर्राज्यिक नदी है, अतः इस मामले पर आंध्र प्रदेश सरकार के साथ विचार-विमर्श करने का प्रस्ताव है और इसलिए अभी इस स्थिति में धन की व्यवस्था करना और कोई समय निर्धारित करना संभव नहीं है।

फार्म उत्पादों को सड़ने से बचाने के लिए आवश्यक निवेश

6440. **श्री रघुनन्दन लाल भाटिया :** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कृषि उत्पादों को सड़ने से बचाने के लिए आवश्यक निवेश का कोई प्राक्कलन तैयार किया है; और

(ख) यदि हां, तो यह कितना है और खास तौर पर पंजाब जैसे अतिरिक्त उत्पादन वाले राज्य में कितनी अतिरिक्त भंडारण क्षमता तैयार किये जाने का विचार है ?

कृषि और ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) और (ख) ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि उत्पाद का भण्डारण करने का विषयक भारत सरकार द्वारा नियुक्त की गई विशेषज्ञ समिति ने ग्राम स्तर पर कृषि उत्पाद का भण्डार करने के लिए पांच वर्षों की अवधि के लिए 20 लाख मीटरी टन की अतिरिक्त भण्डारण क्षमता का निर्माण करने की सिफारिश की थी।

इसके अतिरिक्त भारतीय खाद्य निगम केन्द्रीय भाण्डागार निगम और राज्य भाण्डागार निगमों द्वारा छठी पंचवर्षीय योजना (1980-85) के दौरान अधिशेष और उपभोक्ता राज्यों में लगभग 70 लाख मीटरी टन की भण्डारण क्षमता का निर्माण करने का प्रस्ताव है। इस क्षमता के स्थान के बारे में निर्णय करने में पंजाब जैसे प्रमुख अधिशेष राज्यों की अतिरिक्त आवश्यकताओं को प्रमुख रूप से ध्यान में रखना होगा। इसके अलावा, कृषि उत्पाद को सड़ने से बचाने के लिए किसानों को वैज्ञानिक तकनीकी के इस्तेमाल के बारे में जानकारी सुलभ करने और उन्हें राजी करने के लिए केन्द्रीय क्षेत्र में एक "अन्न सुरक्षा अभियान" योजना शुरू की गई है।

नेत्रहीनों के लिए नर्सरी तथा प्राथमिक स्कूल

6441. **श्री भीकू राम जैन :** क्या **शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि दिल्ली प्रशासन द्वारा चालू वर्ष के दौरान नेत्रहीनों, तथा मूक-बधिर बच्चों के लिए खोले गये अथवा खोले जाने वाले नर्सरी एवं प्राथमिक स्कूलों का ब्योरा क्या है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती शीला कौल): दिल्ली प्रशासन द्वारा नेत्रहीनों तथा गूंगों और बधिरों के लिए निम्नलिखित दो स्कूल चलाये जा रहे हैं :—

(1) नेत्रहीन लड़कों के लिए राजकीय स्कूल, किंग्सवे कैम्प, दिल्ली।

(2) गवर्नमेंट लेडी नायसी स्कूल फार दि डेफ, फिरोजशाह कोटला, दिल्ली।

नेत्रहीनों के स्कूल में प्राथमिक कक्षाओं में इस समय छात्रों की संख्या 20 है तथा बधिरों के स्कूल में नर्सरी कक्षाओं में बधिरों और गूंगे छात्रों की संख्या 312 है तथा प्राथमिक कक्षाओं में छात्रों की संख्या 179 है। वर्ष 1981-82 के दौरान दिल्ली में यमुना पार के इलाकों में 50 छात्रों के वास्ते बधिरों और गूंगों के लिए एक और स्कूल खोलने का प्रस्ताव है तथा अगले वर्ष उसमें छात्रों की संख्या बढ़ाकर 100 कर दी जाएगी।

देव नगर नई दिल्ली में क्वार्टरों का रख रखाव तथा मरम्मत

6442. **श्री बाला साहिब विखे पाटिल** : क्या **निर्माण और आवास मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देवनगर में क्वार्टर संख्या ई०-377 से ई० 402 तक को दिसम्बर 1979 में मरम्मतों के लिए खाली कराया गया था;

(ख) क्या 15 मास व्यतीत हो जाने के बाद भी मरम्मत कार्य अभी अधूरा है, यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या इस तथ्य के बावजूद कि क्वार्टर ढहने की हालत में हैं उन पर पुनः पलस्तर करने की आवश्यकता है, उन पर टुकड़ों में पलस्तर किया जा रहा है;

(घ) क्वार्टरों के इतने अधिक समय तक खाली रहने के कारण सरकारी राजस्व की कितनी हानि हुई;

(ङ) प्रत्येक क्वार्टर की मरम्मत पर कितनी राशि व्यय की है की जाने की सम्भावना है; और

(च) कार्य को समुचित रूप से और शीघ्रता से पूरा कराने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे है ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग को नवीकरण के लिए खाली क्वार्टर 13-10-1979 से 5-4-1980 तक के मध्य अलग-अलग तारीखों को उपलब्ध करा दिए गए थे।

(ख) नवीकरण का कार्य पूरा हो चुका है।

(ग) केवल कुछ भागों में पलास्तर करना अपेक्षित था जिसे निपटा दिया गया है।

(घ) क्वार्टरों का नवीकरण का कार्य उन्हें खाली करवाने के पश्चात् ही किया जा सकता है। इस प्रकार, उक्त अवधि के लिए इन क्वार्टरों के किराए की वसूली न करने को हानि के रूप में नहीं समझा जाए।

(ङ) प्रत्येक क्वार्टर पर किया गया खर्च लगभग 8, 800 रुपये है।

(च) यह कार्य पूर्ण हो गया है ।

राजा बाजार, नई दिल्ली में क्वार्टरों की मरम्मत

6433. **श्री सूरज भान** : क्या **निर्माण और आवास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1980 के दौरान राजाबाजार, नई दिल्ली में टाईप 'सी' क्वार्टरों की मरम्मत पर उनका पुन: प्लास्तर करवाने पर सरकार द्वारा कितनी धनराशि खर्च की गई है;

(ख) क्या सरकार का विचार इन क्वार्टरों को, जिनकी हाल ही में भारी धनराशि खर्च करके मरम्मत करवाई गई थी; गिरवानने का है;

(ग) यदि हाँ, तो इन क्वार्टरों की मरम्मत करवाने के फौरन बाद ऐसा अवचारित निर्णय लेने के क्या कारण हैं;

(घ) क्या इस सम्बन्ध में सरकार को कोई अध्यावेदन प्राप्त हुआ है; और

(ङ) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इस मामले में सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) नई दिल्ली, राजा बाजार में टाईप ई० क्वार्टरों (टाइप-।।। के समकक्ष) की मरम्मत पुन: प्लास्टर करने पर लगभग सात हजार रुपए की राशि खर्च की गई ।

(ख) इन क्वार्टरों को तोड़ने का कोई तत्कालिक प्रस्ताव नहीं है परन्तु इस क्षेत्र के पुनर्विकास के नक्शे के अनुसार इस स्थल पर केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना की एक डिस्पेन्सरी बनाई जायेगी । इस डिस्पेन्सरी के निर्माण के समय पर क्वार्टरों को गिराया जायेगा ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(घ) जी, हाँ ।

(ङ) इस अभ्यावेदन में इन क्वार्टरों को गिराने के निर्णय पर पुनर्विचार करने की मांग की है ।

क्वार्टरों को गिराने से पूर्व अभ्यावेदन में उठाये गए मामलों पर उचित विचार किया जायेगा ।

सागरपुर, कालोनी दिल्ली की 'ले-आऊट प्लान'

6444. **प्रो० अजित कुमार मेहता** : क्या **निर्माण और आवास मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जनता पार्टी शासन के समय से ही दिल्ली नगर निगम को तकनीकी समिति द्वारा सागरपुर वेस्ट, सागरपुर ईस्ट और सागरपुर मेन की 'ले-आऊट प्लान' अभी तक विचाराधीन है;

(ख) क्या तकनीकी समिति ने अपने प्रतिवेदन को अन्तिम रूप नहीं दिया है; और यदि हाँ, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस घनी आबादी वाले क्षेत्र के लिए नागरिक सुविधाओं को देखते हुए सरकार का विचार इस कालोनी को कब तक नियमित करने का है ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) दिल्ली नगर निगम ने सूचित किया है कि सागरपुर वेस्ट और सागर पुर ईस्ट का नियमितीकरण प्लान 6-10-1980 से दिल्ली के उपराज्यपाल द्वारा गठित तकनीकी जाँच के लिए भेजा हुआ है। तथापि सागरपुर मेन दिल्ली नगर निगम द्वारा तैयार की गई अनधिकृत कालोनियों की सूची में नहीं है।

(ख) जी, हाँ । यह कालोनी दिल्ली की वृहत योजना के अनुसार कृषि प्रयोजन जोन में स्थित है । तकनीकी समिति ने निर्णय लिया है कि नगरीयकरण योग्य सीमाओं के भीतर आने वाली कालोनियों पर कार्यवाही पहले की जाए और कृषि हरित पट्टी में आने वाली कालोनियों पर बाद में ।

(ग) इस प्रयोजन के लिए कोई समय सीमा निर्धारित करना व्यवहार्य नहीं है ।

विकलांग व्यक्तियों के लिए सुविधाएं

6445. **श्री भीखा भाई :** क्या **शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि सरकार विकलांगों के लिए अन्तर्राष्ट्रीय वर्ष मना रही है, यदि हाँ, तो रोजगार के आरक्षण और आवास और दुकानों और वाणिज्यिक प्लाटों आदि के आवंटन के सम्बन्ध में उन के कल्याण के लिए क्या सुविधायें उपलब्ध की गई हैं और क्या सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में कोई राजपत्र अधिसूचना जारी की गई है यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है।

शिक्षा तथा समाज कल्याण मन्त्री (श्री एस० बी० चह्वाण) : सरकार वर्ष 1981 को अन्तर्राष्ट्रीय विकलांग वर्ष के रूप में मना रही है । विकलांग व्यक्तियों के लिए वर्ग "ग" और "घ" पदों/सेवाओं में 3% रिक्त पद/सेवाएं (नेत्रहीनों के 1% बधिरों के लिए 1% और अपंगों के लिए 1%) अतिरिक्त आरक्षित करने के लिए आदेश हैं । भारत सरकार में पदों के सम्बन्ध में कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग के 4 नवम्बर, 1977 के कार्यालय ज्ञापन संख्या-39016/6/77 स्थापना (ग) तथा उसके बाद के 30 नवम्बर, 1980 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 39016/20/80 स्थापना (ग) द्वारा तथा सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों में पदों के सम्बन्ध में सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो के 30 मार्च, 1978 के कार्यालय ज्ञापन संख्या-बी० पी० ई०/जी० आई० 06/78/एम० ए० एन०/2 (68)/76-बी० पी० ई० (जी० एम०-1) द्वारा आदेश जारी किए गए थे ।

जहाँ तक आवास, दुकानों और वाणिज्य प्लाटों इत्यादि के आवंटन की सुविधाओं का सम्बन्ध है जानकारी एकत्रित की जा रही है ।

डिप्लोमा प्राप्त वास्तुशिल्पियों के लिये व्यावसायिक परीक्षाएं

6446. **श्री गुफरान आजम :** क्या **शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय वास्तुशिल्पी संस्थान डिप्लोमा प्राप्त वास्तुशिल्पियों के लिए डिग्री के समतुल्य व्यावसायिक परीक्षाए आयोजित करने की योजना बना रहा है;

(ख) यदि हाँ, तो इस दिशा में क्या प्रगति की गई है जिसमें कि वास्तुशिल्प डिप्लोमा प्राप्त व्यक्तियों वास्तुशिल्प में डिग्री प्राप्त कर सकें; और

(ग) यदि नहीं, तो सरकार इस सम्बन्ध में क्या कदम उठा रही है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री (श्री एस० बी० चह्वाण) : (क) से (ग) भारतीय वास्तुकला संस्थान का प्रस्ताव उन डिप्लोमाधारियों के लिए व्यावसायिक परीक्षा आयोजित करने का है जिनके पास कम से कम 3 वर्षीय व्यावसायिक अनुभव है जिससे उन्हें संस्थान की एसोशिएट-शिल्प प्रदान की जा सके। आजकल एसोशिएट-शिल्प केवल डिग्रीधारियों को ही प्रदान की जाती है। ऐसी प्रथम परीक्षा की सितम्बर-अक्टूबर 1981 में होने की सम्भावना है।

राष्ट्रीय शिक्षा, अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद के क्षेत्रीय कालेजों का कार्यकलाप

6447. **श्री राजेश पायलट :** क्या **शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राष्ट्रीय शिक्षा, अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद द्वारा स्थापित चार क्षेत्रीय कालेजों के साथ आरम्भ से ही कृषि फार्म सम्बद्ध है और उनमें एक या दो छात्रों के लिए ही कृषि शिक्षा में स्नातकोत्तर डिग्रियाँ दी जाती रही हैं;

(ख) यदि हाँ, तो उनमें से कितने कालेज डेरियों, मुर्गीखानों तथा बागबानी सम्बन्धी ऐसे कार्यकलाप कर रहे हैं जो आर्थिक दृष्टि से व्यवहार्य हैं;

(ग) कितने कालेजों में गोबर गैस संयंत्र स्थापित किये गए हैं तथा कितने कालेजों में गोबर गैस संयंत्र का रख-रखाव किया जा रहा है; और

(घ) क्या इनमें से किसी कालेज ने समीपवर्ती गाँवों में सुधार में कोई योगदान दिया है; और यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री (श्री एस० बी० चह्वाण) : (क) राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद् द्वारा अजमेर, भोपाल तथा मैसूर में स्थापित क्षेत्रीय शिक्षा कालेज शुरू से ही कृषि फार्मों से सम्बद्ध है। भुवनेश्वर स्थित क्षेत्रीय शिक्षा कालेज का कोई सम्बद्ध कृषि फार्म नहीं है। इसमें कार्य अनुभव कार्यक्रमों के लिए छात्रों के लिए प्लाट हैं।

क्षेत्रीय कालेजों द्वारा कृषि शिक्षा का कोई स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम नहीं चलाया जा रहा है।

(ख) सभी चार कालेज शैक्षिक प्रयोजनों के लिए कार्य अनुभव में और सामाजिक रूप से उपयोगी उत्पादक कार्य में डेरी, मुर्गीपालन और बागवानी सम्बन्धी कार्यकलाप आयोजित करते हैं और वे मितव्ययता की दृष्टि से काफी व्यवहार्य हैं। तथापि क्षेत्रीय शिक्षा कालेज, भुवनेश्वर, मुर्गीपालन के कार्यकलाप नहीं चलाता।

(ग) अजमेर तथा भुवनेश्वर स्थित क्षेत्रीय शिक्षा कालेजों में गोबर गैस प्लान्ट हैं और उनका रख-रखाव करते हैं।

(घ) क्षेत्रीय शिक्षा कालेज, अजमेर नजदीक के किसानों को परामर्श सम्बन्धी सेवाएँ प्रदान करता है और फसल सुधार आदि संबंधी कार्यक्रम आयोजित करता है। कृषि ज्ञान केन्द्र कालेज फार्म का उपयोग करता है। क्षेत्रीय शिक्षा कालेज मैसूर ने नंजनगुड तालुक के दस गांवों का कार्य हाथ में लिया है। गांवों में किसानों के बच्चों और शिक्षकों को बागवानी में प्रशिक्षित किया जाता है और इसके बदले में वे इस प्रकार के कार्यकलापों का प्रचार करने में समाज को सहयोग देते हैं। मैसूर के पास एम० के० हाली ग्राम के स्कूल न जाने वाले युवकों को ग्रामों में विकसित कृषि को प्रोन्नत करने के लिए वैज्ञानिक कृषि में प्रशिक्षित किया जाता है।

डाक जीवन बीमा पोलिसियों पर ऋण दिया जाना

6448. **श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : श्री चन्द्रपाल शैलानी** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) डाक जीवन बीमा पोलिसियों पर आवेदकों को किस संभावित समय तक ऋण दिया जाता है;

(ख) क्या यह सच है कि नई दिल्ली सर्किल में कुछ डाक जीवन बीमा पोलिसी धारियों ने अक्टूबर, 1980 में अपनी पोलिसियों पर ऋण के लिए आवेदन किया था और उन्हें अब तक भुगतान नहीं किया गया है;

(ग) यदि हाँ तो ऐसे मामलों की संख्या कितनी है और उनके आवेदन कब से विचाराधीन पड़े हैं; और

(घ) विलम्ब के क्या कारण हैं और विलम्ब के लिए जिम्मेदार पाये गए अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्यवाही की गई है और कब तक भुगतान किए जाने की सम्भावना है ?

संचार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री कार्तिक उरांव) : (क) सामान्य तौर पर आवेदन पत्र प्राप्त होने के सात दिन के भीतर बशर्ते कि आवेदन पत्र सभी प्रकार से पूर्ण हो।

(ख) अक्टूबर, 1980 में प्राप्त हुए आवेदनों के सम्बन्ध में ऋण मंजूर कर दिए गए हैं।

(ग) और (घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

कर्नाटक की सिंचाई योजनाओं का क्रियान्वयन

6449. **श्री एस० ए० दोराई सेबस्तियन** : क्या **सिंचाई मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्र सरकार और केन्द्रीय योजना आयोग से बिना स्वीकृति लिए कावेरी और इसकी सहायक नदियों के जल का प्रयोग करने के लिए कर्नाटक सरकार द्वारा जिन सिंचाई योजनाओं को कार्यान्वित किया गया है उनकी संख्या और नाम क्या हैं :

(ख) विश्व बैंक की सहायता से डेल्टा क्षेत्र के आधुनिकीकरण का कार्य कब शुरू होगा; और

(ग) कावेरी घाटी प्राधिकरण के गठन में विलम्ब के क्या कारण हैं ?

सिंचाई मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) कर्नाटक सरकार द्वारा कावेरी बेसिन में निम्नलिखित ऐसी सिंचाई स्कीमों का कार्यान्वयन किया जा रहा है, जिन्हें अभी तक योजना आयोग द्वारा अनुमोदित नहीं किया गया है :

बृहद	मध्यम
1. काबिनी	1. सुरारनावती
2. हरंगी	2. मुरकावती
3. हेमवती	3. नल्लूर अमानीकेरे
4. के० आर० एस० दक्षिण तट वरूणा नहर	4. इग्गालूर एनीकट
	5. चिकलीहोल
	6. उदुथोरेहाला

(घ) कावेरी डेल्टा परियोजना के आधुनिकीकरण की परियोजना को 1984 के राजस्व वर्ष के दौरान विश्व बैंक की सहायता वाली परियोजनाओं की पाइप लाइन में अन्तिम रूप से शामिल किया गया है।

(ग) कावेरी के जल के उपयोग और विकास के सम्बन्ध में कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु के राज्यों के बीच अगस्त, 1976 में हुए समझौते में कावेरी घाटी प्राधिकरण के गठन की भी परिकल्पना की गई थी। तत्पश्चात 1976 के समझौते के अनुसमर्थन के लिए तकनीकी स्तर पर और मुख्य मन्त्रियों के स्तर पर बहुत सी बैठकें बुलाई गई। दिसम्बर, 1980 में हुई पिछली बैठक में यह सहमति हुई थी कि राज्य 1976 के समझौते और इसमें अपनाई गई कार्यप्रणाली के बारे में संशोधनों और अशोधनों के सुझाव दें जिसके बाद मुख्य मंत्रियों की एक और बैठक बुलाई जायेगी।

महिला पी० जी० टी० अध्यापकों की वरिष्ठता सूची

6450. **श्री एम० एस० के० सतियेन्द्रन : क्या शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली प्रशासन ने 775-1000 के वेतन मान में 97 महिला पी० जी० टी० अध्यापकों को 5 दिसम्बर, 1971 से स्थाई आधार पर नियुक्त किया था;

(ख) क्या इस श्रेणी की किसी वरिष्ठता सूची को अब तक अन्तिम रूप दे दिया गया है और वह जारी कर दी गई है, यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या यह सच है कि रु० 550-900 रुपए के निम्न वेतनमान में वरिष्ठता सूची में किसी उत्तरवर्ती पुनरीक्षण/उसे जो अन्तिम रूप दिए जाने का उन व्यक्तियों पर प्रभाव नहीं पड़ेगा जिन्होंने 5 सितम्बर, 1971 को 'लिएन' छोड़ दिया था;

(घ) क्या यह भी सच है कि ऐसी कुछ स्थानापन्न महिला पी० जी० टी० अध्यापकों, जिनको न तो 550-900 के वेतनमान में स्थाई किया गया है और न ही 775-1000 के वेतनमान में अथवा केवल 550-900 के वेततमान में स्थाई किया गया है को अब 1971 में स्थाई आधार पर नियुक्त किए गए व्यक्तियों से वरिष्ठ समझने की माँग की जा रही है; और

(ङ) यदि हाँ, तो ऐसा किन नियमों के अन्तर्गत किया जा रहा है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्री (श्री एस० बी० चह्वाण) : (क) जी, हाँ ।

(ख) और (ग) दिल्ली प्रशासन ने सूचित किया है कि वरिष्ठता को विनियमित करने वाली नियमावली में एक समान कार्य के लिए सृजित पदों के एक ग्रुप के नियुक्त व्यक्तियों की एक ही सूची की परिकल्पना की गई है। चाहे वे प्रवरण ग्रेड में नियुक्त किए गए हैं अथवा नहीं इस प्रकार से नियुक्त व्यक्ति उसी ग्रुप में रहेंगे और उन पर वरिष्ठता से सम्बद्ध नियम लागू होंगे। उत्तर स्नातक शिक्षकों (महिला) की वरिष्ठता सूची को अन्तिम रूप दे दिया गया है।

(घ) और (ङ) उत्तर स्नातक शिक्षकों (महिला) की वरिष्ठता सूची को दिल्ली उच्च न्यायालय के एक निर्णय के अनुसार संशोधित किया गया था।

तकनीकी वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय कश्मीरी गेट का स्थानान्तरण

6451. **श्री चन्द्रपाल शैलानी : शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली प्रशासन का शिक्षा निदेशालय कश्मीरी गेट और ओखला में तकनीकी वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय चला रहा है;

(ख) क्या यह सच है कि इन स्कूलों को शिक्षा निदेशालय से तकनीकी विभाग को सौंपने का निर्णय किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इन स्कूलों का नियंत्रण तकनीकी विभाग को सौंपे जाने में कितना समय लगने की संभावना है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्री (श्री एस० बी० चव्हाण) : (क) जी, हाँ।

(ख) जी, हाँ।

(ग) दिल्ली स्कूल शिक्षा अधिनियम, 1973 के प्रावधानों के अन्तर्गत दो तकनीकी स्कूलों के नियंत्रण तथा निरीक्षण करने में कुछ तकनीकी कठिनाइयाँ आई हैं और उनके अन्तर्गत बनाए गए नियमों के फलस्वरूप इन संस्थाओं के नियंत्रण को फिर से, तकनीकी शिक्षा निदेशालय दिल्ली प्रशासन को स्थानांतरित करने का निर्णय लेना पड़ा। स्थानान्तरण शैक्षिक वर्ष 1981-82 से किए जाने की सम्भावना है ।

संस्कृत कालेज, मद्रास में केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना

6452 **श्री एन० डेनिस :** क्या **शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संस्कृत कालेज मद्रास में केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना करने का कोई प्रस्ताव केन्द्रीय सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्री (श्री एस० बी० चह्वाण) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय द्वारा शोधवृत्ति दिया जाना

6453. **श्री बी० डी० सिंह** : क्या **शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जवाहर लाल नेहरू, विश्वविद्यालय के बनने के समय से लेकर 1 मार्च, 1981 तक इसके सहित विभिन्न संस्थानों द्वारा कितनी जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय शोध वृत्तियां दी गई;

(ख) पिछले सेमेस्टर तक इस प्रयोजन हेतु, कुल कितनी राशि व्यय की गई;

(ग) उनमें से कितने छात्रों द्वारा पी० एच० डी० शोध ग्रंथ/एम० फिल/एम० पी० एस० लघु शोध प्रबन्ध प्रस्तुत किये गए तथा उनके वर्ष-वार आंकड़े क्या हैं;

(घ) उन छात्रों के विरुद्ध, जिन्हें शोधवृत्तियाँ तक दिये जाने के बावजूद उन्होंने अपना अनुसंधान कार्य पूरा नहीं किया है, सरकार द्वारा क्या कार्यवाही करने का विचार है; और

(ङ.) क्या सरकार का ऐसे शोधकर्ताओं से इस राशि की वसूली करने का प्रस्ताव है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री (श्री एस० बी० चव्हाण) : (क) जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा विश्वविद्यालय में 323 जूनियर शिक्षा वृत्तियां प्रदान की गई हैं। इसके अतिरिक्त, विभिन्न राज्य सरकारों और धर्मादा न्यासों द्वारा क्रमशः 20 और 6 शिक्षा वृत्तियाँ प्रदान की गई हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद, भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुपरिषद और वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसधान परिषद आदि द्वारा कुछ छात्रों को सीधे ही शिक्षावृत्तियां प्रदान की गई थीं और सही आंकड़े तत्काल उपलब्ध नहीं हैं, तथापि, अखिल भारतीय आधार पर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्रों को सीधे ही विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा 30 शिक्षावृत्तियां प्रदान की गई हैं। इसके अतिरिक्त, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद से 57 छात्र वृत्तियां प्राप्त कर रहे हैं।

(ख) विश्वविद्यालय द्वारा इसकी स्थापना होने के समय से लेकर दिसम्बर, 1980 तक शिक्षा वृत्तियों पर 1, 91, 37, 827/—रु० की राशि खर्च की गई है।

(ग) उन छात्रों के वर्ष-वार ब्यौरे, जो शिक्षा वृत्तियां प्राप्त कर रहे हैं और जिन्होंने पी० एच० डी० आदि की डिग्री पूरी कर ली है, इस प्रकार हैं :—

वर्ष	पी० एच० डी०	एम०फिल०	एम० पी० एस०
1970	5	—	—
1971	9	—	—
1972	12	23	—
1973	7	53	—
1974	13	84	—
1975	13	47	6
1976	11	77	—
1977	35	124	11
1978	[illegible]6	93	8
1979	35	161	2
1980	43	126	5
कुल	220	788	32

(घ) शिक्षावृत्तियाँ विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा तैयार किए गए नियमों द्वारा निर्धारित की जाती हैं, जिनमें उन छात्रों की शिक्षावृत्ति की राशि के वापिस लिए जाने की कोई व्यवस्था नहीं है, जो अपना अनुसंधान कार्यक्रम पूरा नहीं करते।

(ङ.) प्रश्न नहीं उठता।

भारतीय खाद्य निगम के कर्मचारियों द्वारा वैगनों में खाद्यान्नों की कम मात्रा भरना

6454. **श्री सुभाष यादव** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वैगनों में गेहूं और खाद्यान्नों की कम मात्रा भर कर रेलवे को भारी नुकसान पहुंचाने में भारतीय खाद्य निगम के कुछ कर्मचारियों को अन्तर्ग्रस्त पाया गया है; और

(ख) यदि हाँ, तो गत तीन वर्षों के दौरान भारतीय खाद्य निगम में कितने कर्मचारियों को गिरफ्तार किया गया है और उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की गई है ?

कृषि और ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) जी हां।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान भारतीय खाद्य निगम के दो अधिकारियों को गिरफ्तार किया गया था। उनको मुअत्तल कर दिया गया था और इस मामले की पुलिस द्वारा जाँच की जा रही है।

राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम के लिए नियतन

6455. **श्री वीर भद्र सिंह** : क्या **शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वर्ष 1981-82 के लिये राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम हेतु आवंटन में कमी की गई है; और

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबन्धी ब्यौरा क्या है और उसके क्या कारण हैं ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री (श्री एस० बी० चव्हाण) : (क) और (ख) प्रौढ़ शिक्षा के लिए केन्द्रीय तथा राज्य क्षेत्रों की वार्षिक योजना (1981-82) में निम्नलिखित आवंटन किए गए हैं :—

	वार्षिक योजना परिव्यय (1981-82) (लाख रुपये)
केन्द्रीय क्षेत्र	9000.00
राज्य क्षेत्र	1122.55
कुल	2022.55

शिक्षा तथा संस्कृति मंत्रालय द्वारा प्रस्तावित 1981-82 के परिव्ययों में कोई कटौतियां नहीं हुई हैं। राज्य सरकारों द्वारा प्रस्तावित परिव्ययों में कुछ कटौतियाँ की गई हैं किन्तु अन्तिम स्थिति का पता तो राज्य योजना बजट 1981-82 को अन्तिम रूप दिये जाने के बाद ही लगेगा।

मंत्रालय द्वारा भवन संख्या ए० 16-10 वसन्त बिहार को किराये पर लिया जाना

6456. **श्री नन्द किशोर शर्मा : श्री केशवराव पारधी** : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रक्षा मन्त्रालय द्वारा अपने रक्षा अधिकारियों को आवास दिलाने के लिए ए०-16-10, वसन्त बिहार को किराये पर लिया गया है;

(ख) क्या यह भी सच है कि इस भवन को सक्षम प्राधिकारी अर्थात् डी० डी० ए० द्वारा अधिग्रहण प्रमाण-पत्र इस आधार पर नहीं दिया गया है, कि यह निर्माण भराव वाली भूमि पर कम गहराई से किया गया है, जिसके कारण पट्टे की शर्तों के अन्तर्गत डी० डी० ए० द्वारा इस का पट्टा रद्द कर दिया गया है;

(ग) यदि हाँ, तो क्या रक्षा अधिकारियों का बहुमूल्य जीवन को उन्हें ऐसे असुरक्षित तथा खतरनाक भवनों में बसाकर खतरे में नहीं डाला गया है; और

(घ) यदि हाँ, तो सरकार का इसके मालिक के विरुद्ध क्या कार्यवाही करने का प्रस्ताव है ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) यह भवन, रक्षा मन्त्रालय के पास किराये पर है।

(ख) स्थल पर बनी इस संरचना में विषमता के कारण दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा इस प्लाट के मालिक को कब्जा पूर्ण होने का प्रमाण पत्र नहीं दिया गया है और उप-पट्टे को रद्द कर दिया गया है।

(ग) रक्षा मन्त्रालय ने सूचित किया है कि निरीक्षण करने पर यह पाया गया है कि इस के पिछले भाग की दीवारों पर बहुत-सी दरारें पड़ गई हैं जिसके कारण यह उचित नहीं समझा गया कि किसी सेवा अधिकारी को इसमें रहने दिया जाए। रक्षा मंत्रालय द्वारा मकान को छोड़ने की कार्यवाही की जा रही है।

(घ) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने पहले ही उप पट्टे को रद्द कर दिया है और प्लाट के मालिक को यह भी सलाह दी कि भवन के निर्माण में की गई विषमताओं का आवश्यक सुधार करे।

नांभील समेकित परियोजना को सहायता

6457. **श्री बी० एन० गाडगिल** : क्या **ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि स्वास्थ्य एवं विकास के सम्बन्धी नाँभील समेकित परियोजना के लिए 198 ल.ख रुपये की सहायता दी गई थी;

(ख) एसोसिएशन आफ वालेंटरी एजेंसीस फार रुरल डेवेलपमेंट के साथ इस परियोजना का क्या सम्बन्ध है;

(ग) क्या यह भी सच है कि इस परियोजना का प्रभारी डाक्टर बहुत अधिक पारिश्रमिक प्राप्त कर रहा है;

(घ) क्या सरकार ने जांच की है कि क्या इस धन का उपयोग उचित तरीके से किया जा रहा है; और

(ङ) यदि नहीं. तो इस मामले में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

कृषि और ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री बालेश्वर राम) : (क) स्वास्थ्य एवं विकास सम्बन्धी नाँभील समन्वित ग्रामीण परियोजना के लिए 27, 03, 570.05 रुपये की विदेशी सहायता प्राप्त हुई है। स्वास्थ्य एवं विकास सम्बन्धी नाँभील समन्वित ग्रामीण परियोजना द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार उन्होंने इसके अलावा देश से ही 1,78, 297.43 रुपए की सहायता प्राप्त की है।

(ख) यह एसोसिएशन आफ वालेंटरी एजेंसीस फार रुरल डेवेलपमेंट का एक सम्बद्ध सदस्य है।

(ग) स्वास्थ्य एवं विकास सम्बन्धी नाँभील समन्वित ग्रामीण परियोजना से प्राप्त सूचना के अनुसार प्रभारी डाक्टर प्रति माह 3, 900 रुपए का पारिश्रमिक प्राप्त करता है।

(घ) इस एसोसिएशन द्वारा विदेश प्राप्त निधियों के किसी भी प्रकार के दुरुपयोग की कोई विशिष्ट घटना सरकार के ध्यान में नहीं लाई गई है।

(ड.) प्रश्न नहीं उठता।

डाक तारबचत बैंकों के निष्क्रिय खातों में जमा राशि

6458. **श्री डी० एल० बैठा** : क्या **संचार मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विभिन्न डाक घर बचत बैंकों में बहुत बड़ी राशि निष्क्रिय पड़ी हुई है;

(ख) यदि हाँ, तो 28 फरवरी 1981 तक डाक घर बचत बैंकों में राज्यवार कुल कितनी राशि जमा थी; और

(ग) सरकार उक्त राशि के निपटान के लिए क्या उपाय कर रही है अथवा करने का विचार है ?

संचार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीं कार्तिक उरांव): (क) जी, हां।

(ख) डाक सर्किल के आधार पर 31-3-80 तक की अद्यतन सूचना विवरण में दी गई है। राज्य वार सूचना इस समय उपलब्ध नहीं है।

(ग) जिस बचत बैंक खाते में पूरे छः साल तक कोई जमा या निकासी न की गई हो उसे निष्क्रिय माना जाता है जो निष्फल कार्य से बचने की एक प्रचालन युक्ति है। विवरण में दर्शायी गई बकाया शेष ऐसे खातों की कुल बकाया राशि है। ये खाते जमाकर्त्ताओं के नाम से बने रहते हैं। जमाकर्त्ता आवेदन पत्र देकर इन्हें किसी भी समय पुनर्जीवित तथा प्रचालित कर सकता है। इसलिए सरकार इस राशि को समाप्त नहीं कर सकती।

विवरण

31-3-81 को डाक घर बचत बैंक के निष्क्रिय खातों में सर्किल वार जमा राशि को दर्शाने वाला विवरण।

क्रम सं०	सर्किल का नाम	31-3-1981 को निष्क्रिय बचत बैंक खातों में बकाया राशि (रु०)
1.	आन्ध्र	93,10,335=90
2.	बिहार	2,28,45,573=87
3.	दिल्ली	96,58,810=71
4.	गुजरात	6,64,94,263=75
5.	महाराष्ट्र	
6.	जम्मू व कश्मीर	1,02,69,921=67
7.	केरल	73,70,201=89
8.	कर्नाटक	42,14,142=76
9.	मध्य प्रदेश	1,10,92,076=49
10.	राजस्थान	
11.	उत्तर पूर्व	49,83,096=03
12.	उत्तर पश्चिम	3,29,64,816=96
13.	उड़ीसा	86,91,469=78
14.	तमिलनाडु	1,57,81,115=38
15.	उत्तर प्रदेश	7,61,93,920=68
16.	पश्चिमी बंगाल	3,27,79,863=62
	योग	31,26,49,641=49

गैर-सरकारी एजेंसियों के माध्यम से मदर डेयरी में भर्ती

6459. **श्री लहना सिंह तुर** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि रोजगार कार्यालयों के माध्यम से कर्मचारियों की भर्ती सम्बन्धी नियमों और अनुदेशों का उल्लंघन करके मदर डेयरी, दिल्ली इन नियमों का पालन नहीं कर रही है;

(ख) क्या सरकार को यह भी पता है कि सरकारी उद्यम ब्यूरो के अनुदेशों का उल्लंघन करके मदर डेयरी द्वारा गैर-सरकारी एजेंसियों के माध्यम से कर्मचारियों की भर्ती की जा रही है जिससे श्रमिकों को भुगतान न करके इन रोजगार एजेंसियों को किया जा रहा है जो कम मजूरी का भुगतान करके भारी लाभ कमा रही है और श्रमिकों को प्राप्त होने वाले अनिवार्य लाभ भी उनको नहीं दे रही है; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इस मामले में उपचारात्मक कार्यवाही करने का है ?

कृषि और ग्रामीण पुनर्निर्माण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) मदर डेयरी को राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड द्वारा चलाया जाता है। डेरी रोजगार कार्यालय के माध्यम से रिक्त पदों को अधिसूचित करती है। लेकिन तकनीकी स्वरूप के पदों के मामले में समाचार पत्रों में भी साथ-साथ विज्ञापन देने की भी व्यवस्था की जाती है ताकि रोजगार कार्यालय के माध्यम से उपयुक्त प्रत्याशी उपलब्ध न होने पर आवश्यकतानुसार दूध की सप्लाई करने वाली डेरी के कार्य को सुचारु रूप से चलाने के लिए पदों को भरा जा सके।

(ख) डेरी में 475 नियमित कर्मचारी हैं। जहां तक पोली पैकों में दूध पैक करने तथा रेलवे साइडिंग से दूध उतारने और उसे डेरी तक पहुंचाने के कार्य का सम्बन्ध है। यह कार्य ऐजेन्सियों को ठेके के आधार पर दिया गया है क्योंकि इसके लिए डेरी को नियमित आधार पर कर्मचारियों की नियमित नियुक्ति करने की आवश्यकता नहीं है।

(ग) प्रश्न ही नहीं होता।

भारत सरकार, मुद्रणालय, फरीदाबाद के कर्मचारियों के लिए स्कूल तथा अस्पताल के भवन

6460. **श्री रीत लाल वर्मा** : क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नाले के पास स्थित 24 एकड़ भूमि, जो 1961 से खाली पड़ी है, पर भारत सरकार मुद्रणालय, फरीदाबाद के कर्मचारियों के कल्याण के लिए स्कूल तथा हस्पताल के भवन का निर्माण करने के लिए एक योजना तैयार की गई थी, किन्तु इसे अभी तक क्रियान्वित नहीं किया गया है;

(ख) क्या बाहरी लोग इस भूमि पर अवैध रूप से खेती कर रहे है;

(ग) क्या रेजीडेन्ट्स वैलफेयर एसोसिएशन ने सरकार से अनुरोध किया था कि उपर्युक्त भूमि का आवंटन एक निर्धारित दर से कर्मचारियों को कर दिया जाय जिनके पास अपनी निजी अथवा सरकारी भूमि अथवा आवास नहीं है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा क्या निर्णय लिये जाने की सम्भावना है और इसे कब लागू किये जाने की सम्भावना है ?

संसदीय कार्य निर्माण और आवास मन्त्री (श्री भीष्म नारायण सिंह): (क) भारत सरकार मुद्रणालय, फरीदाबाद के कर्मचारियों के कल्याणार्थ स्कूल एवं औषधालय भवनों के निर्माण की योजना पर एक समय विचार किया गया था परन्तु उसका अनुमोदन नहीं किया गया था।

(ख) यह सत्य है कि बाहरी लोगों द्वारा मुद्रणालय से संबंधित भूमि के एक भाग पर खेती की जा रही हैं।

(ग) जी, हां।

(घ) इस अनुरोध पर अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

उर्वरक की मांग

6461. **श्री छीतू भाई गामित :** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1975 से 1980 तक की अवधि के दौरान, वर्ष वार देश में उर्वरक की प्रत्येक किस्म के उत्पादन की तुलना में उनकी मांग कितनी-कितनी थी ?

कृषि और ग्रामीण पुनर्निर्माण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : पोषक तत्वों के रूप में तीन प्रकार के उर्वरक हैं अर्थात् नाइट्रोजनीय फास्फेटिक तथा पोटाशीय उर्वरक। पोटाशीय उर्वरक का देशी उत्पादन नहीं होता है। 1975-76 से 1980-81 की अवधि के दौरान तीनों प्रकार के उर्वरकों की कुल खपत तथा नाइट्रोजनीय और फास्फेटिक उर्वरकों का देशी उत्पादन नीचे दिया गया है :—

(पोषक तत्व के रूप में आंकड़े लाख मीटरी टन में)

वर्ष	खपत (एन०+पी०+के०)	उत्पादन (एन०+पी०)
1975-76	28.94	18.55
1976-77	34.11	23.80
1977-78	42.86	26.70
1978-79	51.17	29.40
1979-80	52·56	29.83
1980-81 (अनुमानित)	55.76	29.70

तकनीकी विकास महानिदेशक द्वारा ह्वीट रोलर फ्ल
की लाइसेंसशुदा क्षमता निर्धारित किया ज

6462. **प्रो० के० के० तिवारी** : क्या **कृषि मन्त्री** यह बताने की

(क) क्या यह सच है कि ह्वीट रोलर फ्लोर मिलों की पंजी निर्धारण तकनीकी विकास महानिदेशक द्वारा किया जाता है;

(ख) क्या सरकार को मालूम है कि पश्चिम बंगाल की अन्न एक और मिल के तकनीकी विकास महानिदेशालय की अनुमति बिना से अपनी क्षमता में वृद्धि कर ली है और इससे छोटे मिलों, जिनका के सामने कठिनाई पैदा हो गई है;

(ग) यदि हाँ, तो क्या सरकार का प्रस्ताव इस मामले की जां

(ग) यदि हाँ, तो इन आटा मिलों के विरुद्ध क्या कार्यवाही क

कृषि और ग्रामीण पुनर्निर्माण मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री (क) जी नहीं। नई रोलर फ्लोर मिलें स्थापित करने अथवा वर्तमान के लिए प्राप्त आवेदन पत्रों पर उद्योग (विकास तथा विनियमन) अ उद्योग मंत्रालय में गठित की गई लाइसेंसिंग समिति द्वारा विचार किय

(ख) जी नहीं। भारत सरकार के पास ऐसी कोई रिपोर्ट प्राप

(ग) और (घ) प्रश्न ही नहीं उठते।

चावल तथा आटा मिलों की विकास दर

6463. **श्रीमती प्रमिला दंडवते** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की

(क) देश में सामान्य औद्योगिक विकास के लिए निर्धारित ल आटा मिलों के लिए सरकार का वार्षिक अथवा पंचवर्षीय अनुदान व अनुमति दी है;

(ख) क्या यह सच है कि पिछले 15/16 वर्षों के दौरान आसा में चावल मिल उद्योगों को अनधिकृत हलर मिलों के चलने के कारण मिलों की अनुज्ञप्त मिल क्षमता को बढ़ाने की अनुमति न दिए जा काम अवरुद्ध है, हालांकि गेहूं के उत्पादन बढ़ाने की माँग चार गुना ब

(ग) क्या यह सच है कि हालांकि पूर्वोत्तर राज्य किसी भी उ भारतीय" स्तर तक नहीं पहुंचे तो भी नई आटा मिलों की स्थापना की क्षमता के विस्तार पर लगा "अखिल भारतीय" प्रतिबंध पिछड़े क्षे है; और

(घ) क्या सरकार का विचार आसाम, मेघालय आदि राज्यों सेंस नीति को बदलने का है;

कृषि और ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) :

(क) **चावल मिलिंग उद्योग**

चावल मिलों के बारे में वार्षिक अथवा पंचवर्षीय विकास के लिए कोई विशिष्ट लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया है। राज्य सरकारें स्थानीय स्थितियों को ध्यान में रखते हुए, आधुनिक चावल मिलों की स्थापना के लिए लाइसेंस जारी करती हैं।

(2) **फ्लोर मिलिंग उद्योग**

यह उद्योग फिलहाल प्रतिबन्धित सूची पर है और इसलिए लक्ष्य निर्धारित करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

(ख) राज्य सरकारों से ऐसी कोई भी रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई हैं।

(ग) सरकार की औद्योगिक नीति समूचे देश के लिए होती है, न कि किसी विशेष राज्य अथवा क्षेत्र के संदर्भ में। तथापि, औद्योगिक लाइसेंसों के मामलों पर विचार करते समय समूची नीति के आधार पर पिछड़े राज्यों अथवा क्षेत्रों में उद्योग लगाने के लिए कुछ रियायतें दी जा रही हैं।

(घ) जी नहीं।

वनस्पति उत्पादन के लिये लाइसेंसशुदा क्षमता और वास्तविक उत्पादन

6464. **श्री नवल किशोर शर्मा : नागरिक पूर्ति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रत्येक वनस्पति मिल की वनस्पति उत्पादन की लाइसेंसशुदा क्षमता कितनी है और वास्तव में प्रत्येक में कितना उत्पादन हुआ; और

(ख) नए वनस्पति एककों की स्थापना चार विद्यमान एककों के विस्तार के लिए विचाराधीन नए आवेदकों के नाम क्या हैं और उनके आवेदन कितने समय से विचाराधीन हैं ?

नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री बृजमोहन महन्ती) : (क) और (ख) दो विवरण संलग्न हैं।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी०-2300/81]

दिल्ली प्रशासन के समाज कल्याण विभाग के अन्तर्गत संस्थायें

6465. **श्री जगदीश टाईटलर : शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली प्रशासन के समाज कल्याण विभाग के नियंत्रण के अन्तर्गत आने वाली संस्थाएं उचित ढंग से नहीं चलाई जा रही हैं;

(ख) यदि हाँ, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) इसके कार्यकरण में सुधार लाने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय करने का विचार है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री (श्री एस० बी० चह्वाण) : (क) इस प्रकार का कोई सामान्य विवरण नहीं दिया जा सकता।

(ख) और (ग) उत्पन्न नहीं होता।

गोवा के लिये आवश्यक वस्तुओं का कोटा तथा आवंटन

6466. **श्री एडुआर्डो फ्लैरो** : क्या **नागरिक पूर्ति मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1980 के दौरान गोआ के लिए खाद्यान्नों, चीनी तथा अन्य आवश्यक वस्तुओं का मासिक कोटा तथा वास्तविक आवंटन कितना था;

(ख) क्या उस वर्ष के दौरान उपर्युक्त वस्तुओं में से किसी के भी संबंध में पूरे कोटे की सप्लाई में कोई विलम्ब हुआ था;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी कारण क्या हैं; और

(घ) कोटा बढ़ाने तथा समय पर सप्लाई करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का विचार किया गया है ?

नागरिक पूर्ति मन्त्रालय में उप मंत्री (श्री बृजमोहन महन्ती) : (क) से (घ) गोवा, दमण और दीव को खाद्यान्नों, चीनी और अन्य वस्तुओं, जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत वितरण के लिए चुनी गई हैं के आवंटन तथा आपूर्ति का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। पिछले दो तीन वर्षों में गेहूं और चावल का आवंटन प्राप्त माँग के अनुसार किया गया। तथापि, यह देखा गया कि गेहूं की मात्रा आवंटन की तुलना में कम उठाई गई। गेहूं के भण्डार को सार्वजनिक अभिकरणों के पास सुरक्षित रखने की आवश्यकता को देखते हुए, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को किए जाने वाले गेहूं के आवंटन को युक्ति संगत बनाया गया, ताकि ये आवंटन विगत में उठाई गई मात्रा के आस-पास हों।

जहाँ तक लेवी चीनी का सम्बन्ध है, इसका कोटा 16-8-78 को चीनी पर से नियंत्रण हटाने के तुरन्त पूर्व निर्धारित कोटे के आधार पर नियत किया गया है। यह कोटा 1.4.78 को अनुमानित आबादी के लिए 425 ग्राम प्रति व्यक्ति के आधार पर नियत किया गया था। गोवा, दमण और दीव के मामले में, उनके पहले के कोटे के आधार पर उक्त आबादी के लिए प्रति व्यक्ति उपलभ्यता 425 ग्राम से अधिक पाई गई। इसके कोटे को कम करने की बजाय उतना ही रखा गया है। यह सारा कोटा सामान्यत: स्थानीय फैक्ट्री से ही आवंटित किया जाता है।

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को मिट्टी के तेल का आवंटन, पिछले वर्ष में उसी माह के दौरान हुई बिक्री के आधार पर किया जाता है और गोवा प्रशासन से तेल और अन्य बकाया वस्तुओं के बारे में कम आपूर्ति और आपूर्ति में देरी होने के बारे में कोई शिकायत नहीं मिली है।

विवरण

1980 के दौरान गोवा के लिए खाद्यान्नों, चीनी, मिट्टी के तेल, खाद्य तेल और नियंत्रित कपड़े का कोटा व आवंटन तथा उनके द्वारा उठाई गयी इनकी मात्रा दर्शाने वाला विवरण

मास	चावल (हजार मी०टनों० में)		गेहूं (हजार मी० टनों० में)		चीनी (मीं०टन०)	खाद्य तेल (मी०टन०) गोवा दमण व दीव				मिट्टी का तेल (मीं०टन०) गोवा दमण व दीव)		नियंत्रित कपड़ा
	आवंटन (गोवा)	उठाई गई मात्रा (गोवा दमण व दीव)	आवंटन (गोवा)	उठाई गई मात्रा (गोवा दमण व दीव)	मासिक कोटा (गोवा)	आवंटन		उठाई गई मात्रा		आवंटन	बिक्री	मासिक कोटा
जनवरी, 80	3·5	1.4	1.5 पी. डी. 1.9 मिल्स	0 6 पी. डी. 0.2 मिल्स	408	पाम:लीन 200	नव. 79 से	पामोलीन 100	नव. 79 से	1154	1154	गोवा के लिए लिए नियंत्रित कपड़े
फरवरी, 80	3.5	2.0	1.5 पी. डी	0.8 पी. डी	408	आर. बी. डी ताड़ का तेल 27	अक्तू. 80	आर. बी. डी. ताड़ का तेल	अक्तू. 80	983	1045	का मासिक कोटा 35
मार्च, 80	3.5	2.6	1.5 पी. डी	0.6 पी. डी	408			8		1202	1129	गाठें और वार्षिक कोटा
अप्रैल, 80	3.5	2.8	1.5 पी. डी	0.6 पी. डी	408					1262	1242	420 गांठें है।
मई, 80	3.5	0.6	1.5 पी. डी 1.4 मिल्स	1.1 पी. डी —	408					1100	1124	सहकारी
जून, 80	3.5	2.4	1.5 पी. डी 1.9 मिल्स	0 7 पी. डी 0.6 मिल्स	408 408					1240	1007	वर्ष 79-80

जुलाई, 80	3.5	1.9	1.5 पी. डी 1.9 मिल्स	0.8 पी. डी 0.4 मिल्स	408			1190	1054	(जुलाई, 79 से जून, 80) के
अगस्त, 80	3.5	3.1	1.5 पी. डी 0.92 मिल्स	0.9 पी. डी 1.2 मिल्स	408			1300	1065	दौरान नियंत्रित
सितम्बर, 80	3.5	4.9	1.5 पी. डी 0.9 मिल्स	0.9 पी. डी 0.9 मिल्स	408			1400	1205	कपड़े की
अक्तूबर, 80	3.5	2.9	1.0 पी. डी 1.42 मिल्स	1.2 पी. डी 1.7 मिल्स	408			1230	1163	350 गांठें नियुक्त की
नवम्बर, 80	3.5	2.7	1.7 पी. डी 0·92 पी. डी	1.2 पी· डी 0.90 मिल्स	408	सिर आर. बी डी. ताड़ का तेल	—	1110	1062	गई थीं और जुलाई, 80 से
दिसम्बर, 80	3.5	2.1	1.5 पी. डी 1.5 मिल्स	0.9 पी. डी 1.1 मिल्स	408	100 पामोलीन 50	150	1100	1037	दिसम्बर 80 तक 323.¾ गांठें नियुक्त की गई हैं।

खाद्य तेलों के आयात की नई नीति

6467. **श्री जय नारायण रोट : क्या नागरिक पूर्ति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्तमान परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए सरकार का विचार खाद्य तेलों के आयात के लिए नई नीति तैयार करने का है; और

(ख) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बृजमोहन महन्ती) : (क) और (ख) जी नहीं। खाद्य तेलों के आयात को भारतीय राज्य व्यापार निगम लि० के माध्यम से मार्गीकृत करने की नीति जारी रखी जा रही है। इनके आयात की मात्रा की पुनरीक्षा देश में इनके उत्पादन, देशीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय कीमतों के रुख, विदेशी मुद्रा की उपलभ्यता तथा अन्य संगत बातों को ध्यान में रखते हुए समय-समय पर की जाती है।

राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम में क्षेत्रीय प्रबन्धक के पद

6468. **श्री एन० सुन्दरराजन : क्या निर्माण और आवास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित क्षेत्रीय प्रबन्धकों के चार पदों को नहीं भरा गया है;

(ख) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित पदों को न भरने के लिए उत्तरदायी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है; और

(घ) इन पदों को कब और किस प्रकार भरा जाएगा ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) जी, हाँ।

(ख) से (घ) नवम्बर-दिसम्बर, 1980 में जारी किए गए विज्ञापन के प्रसंग में प्राप्त आवेदन पत्रों के आधार पर क्षेत्रीय प्रबन्धक के पद के लिए साक्षात्कार 24-3-81 को दिया गया था। इस पद के लिए पेनल को अन्तिम रूप दिया जा रहा है। यदि पेनल में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के 4 उम्मीदवार से कम हुए तो निर्धारित पद्धति के अनुसार फिर से विज्ञापन देने की की कार्रवाई आरम्भ की जायेगी।

निगम विभिन्न पदों की भर्ती के लिए पेनल तैयार करता है ताकि कार्यभार के आधार पर भर्ती अल्पावधि में की जा सके। वास्तविक आवश्यकताओं के आधार पर पदों को भरा जायेगा। इसलिए अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित पदों को न भरने के लिए अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई करने का प्रश्न ही नहीं है।

दिल्ली दुग्ध योजना के कर्मचारी संघों का ज्ञापन

6469. **श्री सुशील भट्टाचार्य : श्री लहना सिंह तूर : क्या कृषि मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली दुग्ध योजना के विभिन्न कर्मचारी संघों द्वारा प्रस्तुत ज्ञापन की एक प्रति सरकार को प्राप्त हुई है; और

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

कृषि और ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) तथा (ख) दिल्ली दुग्ध योजना के कर्मचारियों के संघों से समय समय पर सरकार को प्राप्त होने वाले ज्ञापनों की जांच की जाती है और उचित निर्णय लिये जाते हैं ।

राजस्थान में रेगिस्तानी क्षेत्रों के विकास के लिये केन्द्रीय सहायता

6470. **प्रो० निर्मला कुमारी शक्तावत : श्री दौलत राम सारण :** क्या ग्रामीण पुनर्निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार का विचार बाड़मेर और जैसलमेर के रेगिस्तानी क्षेत्रों के विकास के लिए राजस्थान राज्य को कुछ सहायता देने का है; और

(ख) यदि हाँ, तो किस प्रकार की सहायता दी जाएगी ।

कृषि और ग्रामीण पुनर्निर्माण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री बालेश्वर राम) (क) व (ख) बाड़मेर तथा जैसलमेर जिलों के विकास के लिए केन्द्रीय सहायता पहले ही सुलभ की जा रही है । इन ज़िलों में सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम तथा मरुभूमि विकास कार्यक्रम दोनों का कार्यान्वयन चल रहा है । 1981-82 के दौरान, केन्द्रीय सहायता की निम्न लिखित सीमा तक दिए जाने की सम्भावना है :

(लाख रुपये में)

कार्यक्रम	जैसलमेर जिला	बाड़मेर जिला
सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम	22.50	60.00
मरुभूमि विकास कार्यक्रम	18.00	48.00

केन्द्रीय सहायता कार्यक्रम का वंटन (1) कार्यक्रम के अनुमोदन (2) राज्य सरकार द्वारा बराबर योगदान के वंटन, तथा (3) व्यय की प्रगति, के अधीन होगा ।

कृषि मूल्य आयोग की सिफारिशें

6471. **श्रीमती माधुरी सिंह : श्री एस० एम० कृष्ण:** क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आगामी वर्ष की पटसन फसल के सम्बन्ध में कृषि मूल्य आयोग की सिफारिशें प्राप्त हो गई हैं;

(ख) यदि नहीं, तो इन सिफारिशों के कब तक प्राप्त होने की सम्भावना है; और

(ग) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

कृषि और ग्रामीण पुनर्निर्माण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) :

(क) और (ख) कृषि मूल्य आयोग ने 1981-82 के लिए पटसन की मूल्य नीति पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है ।

(ग) इसके साथ ही आयोग ने वर्ष 1981-82 के लिए पटसन की मूल्य नीति पर निम्न मुख्य सिफारिशें की हैं ।

(1) मौसम 1981-82 के लिए असम पटसन की श्रेणी डब्ल्यू-5 का सांविधिक न्यूनतम मूल्य 175.00* रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया जाये ।

(2) अन्य किस्मों के लिये, सामान्य विभेदकों को जारी रखा जाय ।

प्रकाशन प्रभाग द्वारा "भगीरथ" पत्र का निकाला जाना

6472. **श्री कमल मिश्र मधुकर** : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रकाशन प्रभाग द्वारा हिन्दी और अंग्रेजी में निकाली जा रही "भागीरथ" पत्र के उद्देश्य, गठन और सम्पादकीय प्रबन्ध क्या हैं;

(ख) क्या यह सच है कि इस पत्रिका के संपादकीय बोर्ड में प्रकाशन प्रभाग का नियमित प्रतिनिधित्व का और इसके निर्णयों के कार्यान्वियन के लिए दायित्व है;

(ग) यदि हाँ, तो मासिक प्रकाशन निकालने में और सम्पादकीय और अन्य सुविधायें उपलब्ध कराने हेतु गत तीन बैठकों में किए गए निर्णयों के अनुसार अंग्रेजी प्रकाशन के समान स्तर पर सभी लेखकों को समुचित दरों पर मानदेय का भुगतान करने में अवहेलना के क्या कारण हैं; और

(घ) सम्पादक मण्डल के निर्णयों की शीघ्र कार्यान्वियन के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है और क्या इस बारे में पूरा ब्यौरा सभा-पटल पर रखा जायेगा ?

सिंचाई मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) हिन्दी और अंग्रेजी में "भगीरथ" नामक दो पत्रिकाओं को प्रकाशित करने का उद्देश्य पाठकों को सिंचाई, विद्युत, बाढ़ नियंत्रण और इससे सम्बद्ध क्षेत्रों की योजनाओं और इन क्षेत्रों में हुई प्रगति की जानकारी देना है ।

इन पत्रिकाओं का प्रकाशन सिंचाई मंत्रालय के एक सम्बद्ध कार्यालय' केन्द्रीय जल आयोग द्वारा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के प्रकाशन विभाग के माध्यम से किया जा रहा है । इन पत्रिकाओं का सम्पादन सम्बन्धित सम्पादकों द्वारा किया जाता है । लेकिन इन पत्रिकाओं में सुधार के लिए मार्गदर्शन सम्पादक मण्डल द्वारा दिया जाता है ।

(ख) जी, हाँ । पत्रिका के सम्पादक मण्डल में प्रकाशन विभाग का सम्यक रूप से प्रतिनिधित्व है, लेकिन सम्पादक मण्डल के निर्णयों को क्रियान्वित करने का उत्तरदायित्व केन्द्रीय

*चौधरी रणबीर सिंह, सदस्य ने अपनी असहमति टिप्पणी में सिफारिश की है कि मौसम 1981-82 के लिए असम पटसन की श्रेणी डब्ल्यू 5 का सांविधिक न्यूनतम मूल्य 220.00 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया जाये ।

जल आयोग पर है।

(ग) इन प्रत्रिकाओं का प्रकाशन त्रैमासिक रूप से किया जा रहा है। पत्रिकाओं को मासिक रूप से प्रकाशित करने का निर्णय नहीं किया गया है।

हिन्दी "भगीरथ" के लेखकों को संगत नियमों के अनुसार मानदेय दिया जाता है। लेकिन इस समय अंग्रेजी "भगीरथ" के लेखकों को कोई मानदेय नहीं दिया जा रहा है।

(घ) सम्पादक मण्डल के निर्णयों को शीघ्र क्रियान्वित करने के लिये आवश्यक कदम उठाये जा रहे हैं और इस सम्बन्ध में वर्तमान स्थिति इस प्रकार है :

(1) हिन्दी "भगीरथ" के लिए स्वीकृत सम्पादक, उप-सम्पादक और कलाकार के पदों को भरने के लिए सम्बन्धित भर्ती नियमों को कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग और संघ लोक सेवा आयोग के साथ सलाह करते हुए अन्तिम रूप दिया जा रहा है।

(2) विहार के बारे में "भगीरथ" का एक विशेषांक निकालने के प्रयत्न किए जा रहे हैं। इस विषय पर कई लेख पहले ही प्राप्त हो चुके हैं।

(3) हिन्दी 'भगीरथ' और अंग्रेजी 'भगीरथ' के सम्पादक मण्डलों का पुनर्गठन इस बीच कर दिया गया है।

एशियाई सिंह के लिए अभयारण्य और राष्ट्रीय पार्क

6473. **श्री कृष्ण कुमार गोयल : श्री आर० पी० गायकवाड़ :** क्या **कृषि मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार एशियाई सिंह, जो अभी हमारे देश में विशाल क्षेत्र में तथा दूर-दूर तक पाया जाता था की संख्या में वृद्धि करने के लिए अधिक अभयारण्य और राष्ट्रीय पार्कों की स्थापना करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

कृषि और ग्रामीण पुनर्निर्माण मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) तथा (ख) गुजरात सरकार जामनगर जिले के बारदा वनों में सिंहों के लिए एक और आश्रय स्थल का विकास करने के लिए सोच रही है। 1979 में 282 वर्ग किलो मीटर का क्षेत्र पहले ही आश्रय स्थल घोषित किया गया है।

असम और पूर्वोत्तर क्षेत्र में अच्छी किस्म के प्रमाणित बीजों की सप्लाई

6474. **श्री सन्तोष मोहन देव : श्री चिंगवांग कोनयक :** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राष्ट्रीय बीज निगम का विचार असम और सम्पूर्ण पूर्वोत्तर क्षेत्र में अच्छी प्रकार के प्रमाणित विकसित किस्म के बीजों की सप्लाई की व्यवस्था करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

कृषि और ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन : (क) जी हाँ ।

(ख) खरीफ 1981 के लिए राष्ट्रीय बीज निगम द्वारा सप्लाई होने वाले प्रस्तावित बीजों का ब्यौरा **विवरण** में दिया गया है। 1981-82 के रबी की योजनाओं को अभी अंतिम रूप नहीं दिया गया है।

विवरण

राज्य	फसल/किस्म	वितरण के लिए प्रस्तावित मात्रा (क्विंटलों में)
असम	धान मसूर	1,000.00
	धान जया	1,500.00
	धान पूसा 2-21	500.00
	धान रतना	500.00
	धान आई आर-8	500.00
मणिपुर	अरहर टी-21	250 00
	उरद टी-9	300.00
	मूंग पी बी	20 00
	सोयाबीन हुराग	250.00
	लाभिया सी-152	100.00
	धान पूसा-33	200.00
नागालैंड	धान जया	200.00
	धान पूसा 2-21	300.00
	धान आई आर-8	100.00
	धान आई आर-20	100.00
त्रिपुरा	धान मसूर	172.00
	मेस्ता	16.00

जल प्रदूषण

6475. **श्री दिग्विजय सिंह : क्या निर्माण और आवास मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जल प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अन्तर्गत जल प्रदूषण के लिए बड़े स्तर की किन रसायन और उर्वर फैक्टरियों को आरोप पत्र दिए गए हैं ;

(ख) उनके खिलाफ प्रति वर्ष कितने मुकदमें चलाए गए हैं;

(ग) क्या और आगे केवल प्रदूषण कम करने के लिए उनके खिलाफ कोई कार्यवाही की गई है; और

(घ) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

संसदीय कार्य निर्माण और आवास मन्त्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण के केन्द्रीय बोर्ड ने अब तक किसी बड़े स्तर की रसायन और उर्वरक फैक्टरी को कोई आरोप पत्र नहीं दिया है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

पाली, राजस्थान में कृषि उत्पादन के लिए भूमिगत जल का सर्वेक्षण

6476. **श्री मूल चन्द डागा** : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान के पाली जिले के उन गाँवों की संख्या कितनी है जहां भूमिगत जल प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है जिसे कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रयोग किया जा सकता है;

(ख) क्या इस सम्बन्ध में सरकार का एक सर्वेक्षण कराने का विचार है;

(ग) यदि हाँ, तो कब और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड ने राजस्थान के पाली जिले के कुछ हिस्सों में बृहद स्तर पर सर्वेक्षण किये हैं। इन सर्वेक्षणों के परिणामों के अनुसार इस जिले में भुगत जल सीमित मात्रा में उपलब्ध है क्योंकि एक तो जल के किस्म घटिया है और दूसरे जल कड़ी चट्टानों में है। जिले के उत्तरी हिस्से में जैतरण और रायपुर तहसीलों में लूनी और लिलरी नदियों के साथ वाले क्षेत्रों में अच्छी किस्म का जल उपलब्ध है।

चूंकि जल-भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण क्षेत्र के आधार पर किए जाते हैं, इसलिए इस जिले में किए गए सर्वेक्षण के ग्राम-बार ब्यौरा देना संभव नहीं है।

(ख) और (ग) पाली जिले के कुल 12,391 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में से अभी तक 5,450 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में जल भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण किया गया है।

वर्ष 1981-82 के दौरान 2,000 वर्ग किलोमीटर अतिरिक्त क्षेत्र में ये सर्वेक्षण किये जाने का प्रस्ताव है। बाकी इलाके का सर्वेक्षण छठी पंचवर्षीय योजना के अंत तक कर लिया जायेगा।

फार्म-उत्पादन में वृद्धि करने संबंधी आधुनिक टैक्नोलोजी के बारे में बिरला वैज्ञानिक अनुसंधान संस्थान द्वारा अध्ययन

6477. **श्री अमृत पटेल** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने कि कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को बिरला वैज्ञानिक अनुसंधान संस्थान द्वारा हाल में किये गये अध्ययन की इन सिफारिशों के बारे में जानकारी है कि भारत को फार्म-उत्पादन में वृद्धि करने के लिए कृषि संबंधी-कार्यों को अधिक और व्यापक रूप में मशीनों द्वारा करना चाहिए तथा इसके लिए आधुनिक टैक्नोलोजी का प्रयोग करना चाहिए; और

(ख) यदि हां, तो इन सिफारिशों के सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) सरकार ने न तो ऐसा अध्ययन प्रायोजित किया है और न उसे बिरला वैज्ञानिक अनुसंधान संस्थान से कार्यवाही करने के लिए कोई विशिष्ट सिफारिश ही प्राप्त हुई है । फिर भी सरकार को संस्थान द्वारा 1980 में निकाले गये "कृषि में प्रोद्योगिकीय परिवर्तन" नामक एक प्रकाशन की जानकारी है ।

इस प्रकाशन के मुख्य निष्कर्ष इस प्रकार है :-

(1) कृषि उत्पादन की दर को बढ़ाने के लिए सिंचाई तथा उर्वरकों के उपयोग जैसी कृषि समवर्धन तकनीकों को व्यापक रूप से अपनाया जाना चाहिए ।

(2) कृषि कार्यों का धीरे-धीरे पंजीकरण करने से भूमि और श्रम की उत्पादकता में काफी अधिक वृद्धि हो सकती है

(ख) प्रकाशन में उठाये गए अधिकांश मुद्दे कृषि मूल्य आयोग की सिफारिशों, जो क्रियान्वित की जा रही हैं, के अन्तर्गत आते हैं तथा सरकार भारतीय कृषि के चयनात्मक यन्त्रीकरण की दिशा में पहले से ही आवश्यक कार्यवाही कर रही है । अतः बिड़ला वैज्ञानिक अनुसंधान संस्थान के उपरोक्त प्रकाशन में उल्लिखित सिफारिशों पर कार्यवाही करने का प्रश्न ही नहीं होता ।

भारतीय प्रौद्योगिक संस्थानों में प्रवेश पाने वाले विद्यार्थियों की पृष्ठभूमि का अध्ययन

6478. **श्री ए० के० राय :** क्या **शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को विशेषकर खड़गपुर स्थित भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के सन्दर्भ में, वर्ष 1979 के लिए भारतीय समाज विज्ञान स्कूल द्वारा किये गये भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों में प्रवेश पाने वाले विद्यार्थियों की पृष्ठभूमि के अध्ययन की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो उस अध्ययन का क्या परिणाम निकला;

(ग) क्या यह सच है कि इन महत्वपूर्ण संस्थानों में विशिष्ट वर्ग के उन्हीं लड़कों को प्रवेश मिलता है जो अंग्रेजी माध्यम वाले स्कूलों से आते हैं;

(घ) क्या यह भी सच है कि अनुसूचित जाति के एक लड़के को कानपुर स्थित भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान में प्रवेश मिल जाने के बाद भी उसके साथ किये गए व्यवहार के कारण उसे 1980 में आत्म हत्या करनी पड़ी थी; और

(ङ) यदि हाँ, तो इस बारे में क्या कदम उठाए गए हैं ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री (श्री एस० बी० चह्वाण) (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी नहीं।

(घ) और एक अनुसूचित जाति का लड़का जो भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कानपुर का भूतपूर्व छात्र था. 30 सितम्बर, 1980 को सायंकालीन अपने कमरे में रस्सी के जरिए छत के पखे से लटका हुआ पाया गया था। पुलिस ने इसे आत्म हत्या का मामला बताया। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर के शासी बोर्ड के अध्यक्ष ने उन परिस्थितियों का पता लगाने के लिए जिनमें ये आत्महत्या हुई, एक सदस्यीय समिति नियुक्त की है।

भारतीय वन प्रबंध संस्थान की स्थापना के लिये स्वीडिश सहायता

6479. **श्री एस० बी० सिबनाल** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि स्वीडिश अन्तर्राष्ट्रीय विकास एजेन्सी ने भारतीय वन-प्रबन्ध संस्थान की स्थापना के लिए सहायता देने की पेशकश की थी;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) प्रस्तावित संस्थान के कृत्य क्या होंगे और इस पर कार्य कब आरम्भ हो जायेगा ?

कृषि और ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) जी, हाँ।

(ख) स्विश अंतर्राष्ट्रीय विकास ऐजेन्सी द्वारा दिया गया योगदान 25 लाख स्विश क्रोन है, जो लगभग 50 लाख रुपये के बराबर है। इसका ब्यौरा निम्न प्रकार है :-

	स्विश क्रोन (दस लाख)
1. 30 मानक श्रम महीनों के लिए सलाहकार	1.03
2. आई. आई. एम. ए. के सहयोग के लिए शुल्क	0.20
3. विचार गोष्टी तथा प्रबंध सेमीनार	0 30
4. संकाय के लिये 5 स्नातकोतर छात्रवृत्तियां तथा 6 यात्रा छात्रवृत्तियाँ	0.70
5. पुस्तकें तथा पुस्तिकाएं	0.25
कुल	2.48 या 2.50

(ग) भारतीय वन प्रबंध संस्थान के मूलभूत कार्य निम्नलिखित हैं :-

1. वन तथा प्रणालियों के संबंध में सामाजिक आर्थिक और प्रबंध संबंधी पक्षों के बारे में प्रशिक्षण देना।

2. पदों तथा वन से संबंधित पद्धतियों की सामाजिक, आर्थिक और व्यवस्था संबंधी सम-

स्थाओं के बारे में शिक्षा सामग्री का विकास करना तथा उनके संबंध में अनुसंधान करना।

3. वानिकी तथा वन से सम्बद्ध क्षेत्रों में व्यवस्था संबंधी विशेषज्ञ सलाहाकारों का एक पूल तैयार करना, जिन्हें सार्वजनिक और निजी एजेन्सियों को उपलब्ध करवाया जायेगा; तथा समिति के पंजीकरण और नियोजक बोर्ड के गठन के पश्चात संस्था अपना कार्य शुरू करेगी।

राजस्थान के बाड़मेर तथा जैसलमेर जिलों में सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्र खोलना

6480. **श्री वृद्धिचन्द्र जैन** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने कि कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान के बाड़मेर तथा जैसलमेर जिलों के गाँवों में कितने सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्रों की मंजूरी दी गई है और उक्त टेलीफोन केन्द्र कितने गांवों में खोले जायेंगे;

(ख) डाक व तार विभाग द्वारा मंजूर हो चुके सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्रों को खोलने में विलम्ब के क्या कारण हैं और वे कब तक खोले जायेंगे;

(ग) क्या बाड़मेर जिले में गिराब, गुढ़ा, गिढ़ा तथा बीजरोह पुलिस थानों में अब तक सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्र नहीं खोले गये हैं; और यदि हां, तो इन स्थानों पर कानून और व्यवस्था की स्थिति सुदृढ़ करने के लिए उक्त टेलीफोन केन्द्र कब खोले जायेंगे ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कार्तिक उरांव) : (क) बाड़मेर जिले में लम्बी दूरी के पाँच सार्वजनिक टेलीफोनघरों को मंजूर कर दिया गया है जिनमें से एक एक मार्च 77 तथा नवम्बर 78 में और तीन नवम्बर 80 में मजूर किए गए थे। एक लम्बी दूरी के सार्वजनिक टेलीफोनघर को जैसलमेर जिले में अगस्त 80 में मंजूर किया गया।

(ख) देश में लाइन भंडारों की सामान्य कमी के कारण उक्त सार्वजनिक टेलीफोन एक्सचेंजों की स्थापना नहीं की जा सकी। भंडारों के प्राप्त होने पर यह सुविधा प्रदान कर दी जाएगी।

(ग) गुढ़ा के लिए सार्वजनिक टेलीफोनघर मंजूर कर दिया गया है। उपर्युक्त कारणों से अभी तक इसकी स्थापना नहीं की जा सकी है। गिराब, गिढ़ा और बीजराड़ में सार्वजनिक टेलीफोनों की व्यवस्था करने के प्रस्तावों की जाँच की जा रही है।

गेहूं के थ्रेशरों में होने वाली दुर्घटनाओं से बचने के लिये सुरक्षात्मक उपायों के बारे में विधान

6481. **श्री डी० पी० यादव** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गेहूं के थ्रेशरों से होने वाली दुर्घटनाओं से बचने के लिए अनिवार्य रूप से सुरक्षात्मक उपाय करने के लिए राज्यों में विधान लाया गया है;

(ख) यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार ऐसा विधान लाने के लिए राज्यों को सलाह देने का है; और

(ग) क्या विद्युत-चालित तथा बैलों द्वारा खींचे जाने वाले गन्ने के श्रेशरों के लिए दुर्घटनाओं से बचने के लिए सुरक्षात्मक उपाय किए गए थे और यदि हाँ, तो क्या उनको लोकप्रिय बनाया गया है ?

कृषि और ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) जी नहीं ।

(ख) जी हाँ । केन्द्रीय सरकार ने गेहूं का उत्पादन करने वाले राज्यों (अर्थात पंजाब, हरियाणा, बिहार, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश) को सुरक्षात्मक श्रेशरों का विनिर्माण करने के विधान बनाने के लिए सलाह दी हुई है ।

(ग) जी हाँ । गन्ने के ऐसे क्रेशरों के अभिज्ञात डिजायनों को, जिनमें सुरक्षा सम्बन्धी व्यवस्था मौजूद है, विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों के साथ राज्यों के कृषि निदेशकों के पास भेजा जा चुका है ताकि उनका प्रचार किया जा सके और क्रैशरों को बिना किसी दुर्घटना के चलाया जा सके साथ ही भारतीय मानक संस्थान से अनुरोध किया गया है कि इन सुरक्षात्मक उपायों को मानकीकृत किया जायें ।

दिल्ली इंस्टीट्यूट आफ मैनेजमेंट एण्ड सर्विसिज

6482. **श्री आरिफ मोहम्मद खान : क्या शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली इंस्टीट्यूट आफ मैनेजमेंट एण्ड सर्विसेज भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त और सहायता प्राप्त संस्थान है; और

(ख) यदि हां, तो वे विभिन्न पाठ्यक्रम कौन से हैं जिनमें छात्रों को दाखिल किया जाता है और क्या ट्यूशन फीस आदि सरकार द्वारा स्वीकृत हैं ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री (श्री एस० बी० चह्वाण) : (क) और (ख) जी, नहीं । तथापि दिल्ली प्रबन्ध तथा सेवा संस्थान द्वारा संचालित दो अध्ययन पाठ्यक्रम अर्थात (1) व्यापार प्रशासन (बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन) में 2 वर्षीय (अंशकालिक) उत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रम और (2) विपणन और विक्रय प्रबन्ध में उत्तर डिप्लोमा, तकनीकी शिक्षा बोर्ड, दिल्ली प्रशासन से सम्बद्ध हैं । इन दोनों पाठ्यक्रमों का शिक्षा शुल्क दिल्ली प्रशासन द्वारा अनुमोदित किया जाता है ।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के क्षेत्रीय कार्यालय खोला जाना

6483. **श्री उत्तम राठौर : श्री अनादि चरण दास : क्या शिक्षा समाज कल्याण मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के पश्चिमी, उत्तरी, दक्षिणी और पूर्वी क्षेत्रों में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के क्षेत्रीय कार्यालय खोलने का विचार है; और

(ख) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री (श्री एस० बी० चव्हाण) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

खादी भवन, नई दिल्ली के कर्मचारियों को बिक्री प्रोत्साहन

6484. **श्री राम सिंह शाक्य** : क्या **ग्रामीण पुनर्निर्माण मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बढ़ावे के रूप में खादी भवन, नई दिल्ली के कर्मचारियों को प्रति वर्ष बिक्री प्रोत्साहन के रूप में कुछ धनराशि दी जाती है;

(ख) यदि हाँ, तो यह बिक्री प्रोत्साहन किस दर पर दिया जाता है और यह कब बांटा जाता है; और

(ग) इन कर्मचारियों को वर्ष 1980-81 के बिक्री प्रोत्साहन की राशि किस तारीख को दी जाएगी ?

कृषि और ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालेश्वर राम) : (क) जी हाँ।

(ख) खादी ग्राम भवन, नई दिल्ली के कर्मचारियों को दिए जाने वाले प्रोत्साहन भत्ते की धनराशि को बिक्री के प्रति एक लाख रुपए के लिए डेढ़ दिन के वेतन की दर से निर्धारित सीमा से अधिक की बिक्री के आधार पर आंका जाता है। जिन वर्षों में निर्धारित सीमा से अधिक की बिक्री के लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया जाता है वहाँ कर्मचारियों को न्यूनतम प्रोत्साहन भत्ते की अदायगी की जाती है जो वर्ष 1976-77 में दिए गए भत्ते के बराबर है बशर्ते कि बिक्री 2 करोड़ रुपये से अधिक हुई हो और भवन ने प्रोत्साहन भत्ते की अदायगी से सम्बन्धित व्यय के आपात को पूरा करने के लिए पर्याप्त बचत की हो। प्रोत्साहन भत्ते की धनराशि की संगणना तथा अदायगी वित्तीय वर्ष के वार्षिक लेखाओं को पूरा करने तथा उनकी लेखा परीक्षा करने के पश्चात् ही की जाती है। आमतौर पर यह कार्य अगले लेखा वर्ष में सितम्बर माह तक पूरा किया जाता है। तथापि, न्यूनतम देय भत्ते के बराबर अन्तरिम अदायगी अप्रैल माह में की जाती है।

(ग) वर्ष 1980-81 के लिए प्रोत्साहन भत्ते की न्यूनतम धनराशि की अदायगी के लिए आदेश 23-3-1981 को जारी किए गए हैं। इस सम्बन्ध में ब्यौरे तैयार होते ही अन्तिम अदायगी कर दी जाएगी।

समेकित शिशु विकास सेवा योजना

6485- **श्री अटल बिहारी वाजपेयी** : क्या **शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रत्येक राज्य में समेकित शिशु विकास सेवा योजना के अन्तर्गत लिए गए आदिवासी, पिछड़े, पहाड़ी, दुर्गम क्षेत्रों और गन्दी बस्तियों में से प्रत्येक की संख्या कितनी है; और

(ख) अब तक क्या परिणाम हासिल हुए हैं।

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) अब

तक मंजूर की गई 200 समेकित बाल विकास सेवा परियोजनाओं में से 105 पिछड़े ग्रामीण इलाकों में, 67 जनजातीय क्षेत्रों में तथा 28 शहरी गन्दी बस्तियों में स्थित हैं। इन परियोजनाओं का राज्यवार बंटवारा दर्शाने वाला एक विवरण पर है।

(ख) समेकित बाल विकास सेवा योजना कार्यक्रम में समेकित रूपमें सेवाएं प्रदान की जाती हैं, जिनमें 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए पूरक पोषाहार, रोग प्रतिरोधन, स्वास्थ्य जांच, निर्देशक सेवाएं तथा गर्भवती और दूधें पिलाने वाली माताओं के लिएस्वास्थ्य जांच, गर्भवती माताओं को टेटनस से बचाने के लिए टीके लगाना, पूरक पोषाहार तथा पोषाहार और स्वास्थ्य शिक्षा शामिल हैं। योजना आयोग के कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन ने इस कार्यक्रम का मूल्यांकन शुरू किया है। इसकी अन्तिम रिपोर्ट की प्रतीक्षा की जा रही है। आल इण्डिया इंस्टीट्यूट आफ मैडिकल साइंसिस ने समेकित बाल विकास सेवा परियोजना क्षेत्रों में बच्चों और माताओं के स्वास्थ्य और पोषाहार पहलुओं से सम्बन्ध में अध्ययन किए हैं। इन अध्ययनों से पता चलता है कि समेकित बाल विकास सेवा परियोजना क्षेत्रों में बच्चों और माताओं के स्वास्थ्य और पोषाहार की स्थिति में पर्याप्त सुधार हुआ है तथा शिशु मृत्यु दर काफी घट गई है। समेकित बाल विकास सेवा परियोजना क्षेत्रों में पोषाहार और रोग प्रतिरोधन सम्बन्धी स्थिति में पाए गए परिवर्तन **विवरण 2** में दिए गए हैं।

विवरण

200 समेकित बाल विकास सेवा परियोजनाओं का राज्यवार बंटवारा दर्शाने वाला विवरण

क्रम सं०	राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश का नाम	परियोजनाओं की कुल संख्या	शहरी	ग्रामीण	जनजातीय
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	13	2	6	5
2	असम	7	—	4	3
3.	बिहार	14	—	8	6
4.	गुजरात	10	2	4	4
5.	हरियाणा	6	—	6	—
6.	हिमाचल प्रदेश	4	—	3	1
7.	जम्मू और कश्मीर	4	—	4	1
8.	कर्नाटक	11	2	8	1
9.	केरल	9	1	7	1
10.	मध्य प्रदेश	13	1	4	8
11.	महाराष्ट्र	13	4	4	5
12.	मणिपुर	4	—	2	2
13.	मेघालय	4	—	—	4

1	2	3	4	5	6
14.	नागालैंड	4	—	—	4
15.	उड़ीसा	10	—	4	6
16.	पंजाब	6	—	6	—
17.	राजस्थान	10	—	7	3
18.	सिक्किम	2	—	2	—
19.	तमिलनाडु	3	1	2	—
20.	त्रिपुरा	4	—	2	2
21.	उत्तर प्रदेश	14	4	10	—
22.	पश्चिम बंगाल	13	4	6	3
23.	अंडमान और निकोबार	2	—	1	1
24.	अरूणाचल प्रदेश	4	—	—	4
25.	दादरा और नगर हवेली	1	—	—	1
26.	दिल्ली	6	6	—	—
27.	गोआ, दमन और दीव	3	—	3	—
28.	लक्ष्यद्वीप	1	—	—	1
29.	मिजोरम	2	—	—	2
30.	पांडीचेरी	22	—	2	—
31.	चंडीगढ़	1	1	—	—
	जोड़	200	28	105	67

विवरण-2

(क) जनजातीय समेकित बाल विकास सेवा योजना खण्डों में 2-5-3 के दौरान पोषाहार और रोग प्रतिरोधन स्थिति में परिवर्तन

सेवा	बेस लाइन	समेकित बाल विकास सेवा योजना के 3 वर्ष बाद
पूरक पोषाहार का वितरण	13.3%	48.8%
स्वास्थ्य जांच	9.2%	60.3%
चेचक वेक्सेनशन	69.1%	86.8%
बी०सी जी० वेक्सीनेशन	15.1%	46.6%
डी०पी० टी० वेक्सीनेशन	10.2%	9.2%
ग्रेड 3 कुपोषण	13.8%	6.5%

(ख) ग्रामीण परियोजनाओं में समेकित बाल विकास सेवा योजना के तीन वर्ष बाद सेवाओं और पोषाहार स्थिति में परिवर्तन

सेवा	बेस लाइन	समेकित बाल विकास सेवा के 3 वर्ष बाद
पूरक पोषाहार का वितरण	13.7%	45.6%
विटामिन "ए" का वितरण	22.7%	48.6%
स्वास्थ्य जांच	6.3%	50.9%
चेचक के टीके	57.1%	58.1%
बी०सी०जी० के टीके	16.4%	38.0%
डी०डी०टी० वेक्सीनेशन (तीन खुराकें)	7.3%	22.8%
ग्रेड 3 कुपोषण	18 1%	7.9%

सोशल फारेस्ट्री

6486. **श्री पी० राजगोपाल नायडू : श्री रामचन्द्र रथ :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने 'सोशल फारेस्ट्री' के विकास हेतु कोई कदम उठाये हैं;

(ख) यदि, हाँ तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है; और

(ग) क्या सरकार ने एक्सटेंशन अधिकारियों को 'सोशल फारेस्ट्री' को बढ़ावा देने के संबंध में निदेश दिया है और यदि हाँ, तो इस बारे में क्या प्रतिक्रिया है ?

कृषि और ग्रामीण पुनर्निर्माण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) जी, हाँ।

(ख) सरकार ने देश में सामाजिक वानिकी के विकास के लिए 2 महत्वपूर्ण कदम उठाये हैं।

(1) 50 करोड़ रुपये की लागत की सामाजिक वानिकी व ग्रामीण ईंधन की लकड़ी के पेड़ लगाने की एक केन्द्रीय प्रायोजित योजना को छठी पंचवर्षीय योजना में शामिल किया गया है। उस लागत का 50 प्रतिशत भाग केन्द्रीय सरकार अनुदान के रूप में देगी। यह योजना पूरे देश के 100 चुनींदा जिलों में लागू की जानी है जहाँ ईंधन की लकड़ी का गम्भीर अभाव है। इस योजना के अन्तर्गत सरकारी परती भूमि समुदाय की भूमि, सड़कों, रेलवे की लाइनों तथा नहरों के किनारों व उजड़े वनों की भूमि में ईंधन की लकड़ी के वृक्ष लगाने की व्यवस्था है। किसानों को उनकी भूमि में तथा उनके फार्मों के चारों ओर वृक्षारोपण के लिए व प्रत्येक बच्चे के लिए वृक्ष नामक कार्यक्रम के अन्तर्गत बच्चों को वृक्षारोपण के लिए निशुल्क पौध सप्लाई की गई है। छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान इस स्कीम के अन्तर्गत 26 लाख हेक्टार भूमि में ईंधन की लकड़ी के वृक्ष लगाये जायेंगे। इसी प्रकार, इस अवधि के दौरान लगभग 58 करोड़ पौध निशुल्क सप्लाई की जायेगी।

(2) विभिन्न राज्यों के सामाजिक वानिकी परियोजनाओं हेतु विदेशी सहायता प्राप्त करने के लिए प्रयास किए गये हैं। उत्तर प्रदेश और गुजरात की सामाजिक वानिकी परियोजनायें विश्व बैंक की सहायता से क्रियान्वित हो रही हैं। पश्चिमी बंगाल, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, उड़ीसा, कर्नाटक, आन्ध्र प्रदेश तथा हरियाणा से सम्बन्धित परियोजनाओं के लिए विदेशी सहायता प्राप्त करने के प्रश्न पर विचार किया जा रहा है।

(ग) जी, हाँ।

प्रतिक्रिया अच्छी रही है।

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत निष्पादित योजनाएं

6487. **श्री ज्योतिर्मय बसु :** क्या **ग्रामीण पुनर्निर्माण मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1977-78 से 1980-81 तक (फरवरी या जनवरी, 1981 तक या दिसम्बर, 1980 तक) की अवधि के दौरान काम के बदले अनाज कार्यक्रम और राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत, राज्यवार, कितनी-कितनी योजनाए निष्पादित की गई;

(ख) इस अवधि के दौरान बनी स्थायी आस्तियों का राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस अवधि के दौरान उपरोक्त कार्यक्रमों के अन्तर्गत योजनाओं के निष्पादन के माध्यम से, राज्यवार रोजगार के कितने-कितने अवसर उत्पन्न हुए ?

कृषि और ग्रामीण पुनर्निर्माण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री बालेश्वर राम) : (क) व (ख) 1977-78 से 1979-80 के वर्षों के दौरान सृजित भौतिक परिसम्पत्तियों के राज्यवार ब्यौरे दर्शाने वाला एक विवरण (1) संलग्न है।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल टी—2301/81]

वर्ष 1980-81 के लिए अब तक सूचित सूचना को दर्शाने वाला एक विवरण (2) भी संलग्न है।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल टी—2301/81]

(ग) वर्ष 1977-78 से 1980-81 के वर्षों के दौरान कार्यक्रम के अन्तर्गत सृजित राज्य-वार रोजगार को दर्शाने वाला विवरण (3) भी संलग्न है।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल टी—2301/81]

छोटी जोतों पर कर कानून को समाप्त करने और कृषि उत्पादों के लिए सांविधिक मूल्य देने हेतु प्रधान मन्त्री को ज्ञापन

6488. **श्री माधवराव सिंधिया :** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या किसानों के प्रतिनिधियों ने प्रधान मंत्री को एक ज्ञापन दिया था जिसमें छोटी जोतों पर अनेक प्रकार की कर छूट देने और कृषि उत्पादों के उचित तथा लाभप्रद मूल्य सुनिश्चित करने का अनुरोध किया गया है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन माँगों पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

कृषि और ग्रामीण पुनर्निर्माण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आर० वी० स्वा (क) और (ख) यह स्पष्ट नहीं है कि माननीय सदस्य का अभिप्राय जिस विशिष्ट ज्ञा लेकिन यह सही है कि छोटी जोतों पर लगने वाले विभिन्न करों में छूट देने तथा कृ के लिए उचित और लाभप्रद मूल्य देने की बात प्रधान मंत्री को मिलने वाले अनेक कही गई है ।

(ग) सम्पूर्ण देश में बहुत छोटी जोतों की भूमि राजस्व से वास्तविक रूप से गई है । छूट दिए गए क्षेत्र की मात्रा एक राज्य से दूसरे राज्य में भिन्न-भिन्न है । जहां जिन्सों के लिए लाभप्रद मूल्य दिलाये जाने की मांग का सम्बन्ध है, सरकार की यह र रही है कि फार्म उत्पाद के लिए लाभप्रद मूल्य सुनिश्चित किये जायें ।

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद द्वारा प्रोफेसरों की नियुक्ति के लिए मार्गदर्शी सिद्धांत

6489. **श्री चतुर्भुज** : क्या **शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्री** यह बताने की कि :

(क) क्या राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद द्वारा प्रोफेसरों क के लिए कोई मार्गदर्शी सिद्धान्त है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में इन मार्गदर्शी सिद्धान्तों के आधार पर वि सरों का चयन किया गया है और उनका चयन किस समिति ने किया है; और

(ग) क्या चयन समिति के सदस्य प्रोफेसरों के चयन के लिए अपेक्षित अर्हता अथवा वे पूरी तरह सक्षम थे और इस सम्बन्ध में ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० वी० चव्हाण) : हाँ ।

(ख) और (ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान, विधिवित रूप से गठित चयन स चार व्यक्तियों का चयन किया गया था .

चयन समिति में विख्यात शिक्षाविद थे । समिति के गठन से सम्बन्धित ब्यौरों लोक हित में नहीं होगा ।

उड़ीसा में टेलीफोन एक्सचेंजों में कर्मचारियों की संख्या

6490. **श्री राम बिहारी बहेरा** क्या **संचार मन्त्री** : यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या उड़ीसा में अधिकतर टेलीफोन एक्सचेंजों में कर्मचारियों की संख्या नहीं है; और

(ख) यदि हां, तो सावधिक मौसमी और अपरिहार्य कार्यो के कारण अनुपस्थिति के दौरान कार्य में तत्परता रखने के लिए क्या प्रबन्ध किए गए हैं ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कार्तिक उरांव) : (क) जी, नहीं।

(ख) आवधिक, मौसमी एवं अपरिहार्य कार्यों के कारण हुई अनुपस्थिति के दौरान कार्य में तत्परता रखने के लिए अल्प कालिक कर्मचारियों द्वारा संपूरित कम से कम अपेक्षित समय के लिए नियमित कर्मचारियों को समयोपरि भर्ती पर लगाया जाता है।

राज्यों को सिंचाई सुविधाओं के लिये केन्द्रीय सहायता

6491. **श्री अर्जुन सेठी :** क्या **सिंचाई मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राज्यों को गत तीन वर्षों के दौरान अपने यहां सिंचाई सुविधाओं का विकास करने हेतु दी गई कुल केन्द्रीय सहायता का राज्य वार तथा वर्ष वार ब्यौरा क्या है;

(ख) विशेष रूप से उड़ीसा राज्य के लिये वर्ष 1980-81 हेतु कितनी राशि का नियतन किया गया है; और

(ग) वर्ष 1976-77 से 1980-81 के दौरान केन्द्रीय सहायता प्राप्त सिंचाई योजनाओं के कार्य में कितनी प्रगति हुई ?

सिंचाई मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) केन्द्रीय सरकार ने राज्यों को एक मुश्त ऋणों और अनुदानों के रूप में धन दिया है किसी विशेष सेक्टर अथवा परियोजना के लिए नहीं।

(ख) और (ग) : ये सवाल पैदा नहीं होते।

उत्तर प्रदेश में गोबर गैस संयंत्र

6492. **श्री मोहम्मद असरार अहमद :** क्या **कृषि मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश में गोबर गैस संयंत्रों के लगाने की गति धीमी रही है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) वर्ष 1979 से 1980 तक वर्ष-वार तथा वर्ष 1981 के लिए कितनी-कितनी धनराशि आबंटित की गई है;

(घ) वर्ष 1976 से 1980 तक (वर्ष-वार) उत्तर प्रदेश के खादी और ग्रामोद्योग आयोग के तत्वाधान में कितने-कितने गोबर गैस संयंत्र शुरू किये गए। लगाए गए और प्रतिवर्ष कितनी-कितनी धनराशि खर्च की गई तथा प्रतिवर्ष राज सहायता की कितनी-कितनी धनराशि की स्वीकृति प्रदान की गई और इसी प्रकार की अन्य एजेंसियों द्वारा लगाए गए गोबर गैस संयंत्रों का तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) वर्ष 1981-82 में ऐसे संयंत्रों की स्थापना करने सम्बन्धी योजना क्या है ?

कृषि और ग्रामीण पुनर्निर्माण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) :

(क) जी, नहीं, उत्तर प्रदेश में बायो गैस संयंत्रों की स्थापना का कार्य संतोषप्रद -
1974-75 से 1979-80 की अवधि के दौरान स्थापित किए गए लगभग 86,500 ब
में से उत्तर प्रदेश में लगभग 21,000 बायो गैस संयंत्रों की स्थापना की गई है।

(ख) प्रश्न ही नहीं होता है।

(ग) और (घ) पाँचवीं योजना की अवधि (1974-75 से 1978-79 तक) गैस कार्यक्रम का क्रियान्वयन एक केन्द्रीय क्षेत्र की योजना के रूप में किया गया थ 80 से यह कार्यक्रम राज्य क्षेत्र का कार्यकलाप बन गया। उत्तर प्रदेश में बायो क्रियान्वयन की मुख्य एजेन्सी राज्य सरकार है। खादी और ग्राम उद्योग आयो के अतिरिक्त 1978-79 से लघु स्तर पर यह कार्य भी शुरू किया।

1976-77 से 1979-80 तक की अवधि के दौरान बायो गैस संयंत्रों की र उत्तर प्रदेश को निर्मुक्त की गई राज सहायता की राशि के बारे में जानका है :—

(लाख रुपये)

दी गई राज सहायता

वर्ष	भारत सरकार द्वारा दी गई राज सहायता	राज्य सरकार द्वारा दी गई राज सहायता	ग्राम
1976 77	44.20	—	
1977-78	36.73	—	
1878-79	13.70	—	
1979-80	16.07 (पिछले वर्षों का शेष)	27.29	

स्थापित किए गए बायो गैस संयंत्रों की संख्या नीचे दी गई है :

स्थापित किये गये संयंत्रों की संख्या

वर्ष	राज्य सरकार द्वारा दी गई राज सहायता	खादी और ग्राम आयोग द्वारा
1976-77	5946	—
1977-78	5000	—
1978-79	2860	300
1979-80	4345	760

बायो गैस संयंत्रों की संख्या के सम्बन्ध में सभी जिलों और खण्डों के ब कारी तथा 1980-81 के दौरान दी जाने वाली राज सहायता की वास्तविक

राज्य सरकार और खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा अन्तिम निर्णय नहीं किया गया है।

(ङ) कृषि और सहकारिता विभाग ने 1981-82 से आरम्भ होने वाली छठी योजना में बायो गैस-कार्यक्रम के विकास के लिए एक केन्द्रीय प्रायोजित योजना शुरू करने का प्रस्ताव रखा है। इस कार्य के लिए 50 00 करोड रुपये का परिव्यय रखा गया है। इस योजना का ब्यौरा तैयार किया जा रहा है।

पोलावरम बाँध परियोजना को स्वीकृति

6493. **श्री के० ए० स्वामी : क्या सिंचाई मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार ने आन्ध्र प्रदेश पोलावरम बांध परियोजना को स्वीकृति प्रदान कर दी है;

(ख) परियोजना की अनुमति लागत क्या है;

(ग) इस परियोजना के लिए कौन-सा वास्तविक स्थान चुना गया है; और

(घ) परियोंजना का निर्माण कार्य लगभग किस तारीख को शुरू हो जाएगा ?

सिंचाई मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) जी नहीं। आन्ध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और उड़ीसा राज्यों के बीच अप्रैल, 1980 में हुए अन्तर्राज्यिक करार की रोशनी में आशोधित की गई परियोजना रिपोर्ट राज्य सरकार से अभी प्राप्त नहीं हुई है।

(ख) जैसा कि राज्य सरकार द्वारा 1978 की परियोजना-रिपोर्ट में बताया गया था, पोलावरम परियोजना चरण-एक (सोपान एक) पर 298.50 करोड़ रुपये की लागत आनी थी।

(ग) आन्ध्र प्रदेश सरकार ने सूचित किया है कि पोलावरम परियोजना को आन्ध्र प्रदेश के पश्चिमी गोदावरी जिले में पोलावरम ग्राम के निकट गोदावरी नदी पर निर्माण करने का प्रस्ताव है।

(घ) इस परियोजना को निर्माण के लिए केवल तभी हाथ में लिया जा सकता है जब इसे केन्द्रीय जल आयोग द्वारा तकनीकी रूप से स्वीकृत कर लिया जाए और योजना आयोग द्वारा अनुमोदित कर दिया जाए।

बिहार को बाढ़ से बचाने की योजना

6494 **श्री राम विलास पासवान : क्या सिंचाई मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय जल आयोग ने बिहार को बाढ़ से बचाने के लिये क्या सुझाव दिए हैं; और

(ख) गंगा की बाढ़ से उत्तर बिहार तथा पटना के क्षेत्रों को बचाने के लिये अब तक क्या प्रगति हुई है ?

सिंचाई मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) बिहार में बाढ़ की समस्या को मुख्य रूप से तटबंधों, जलनिकास चैनलों, नगर सुरक्षा वर्क्स का निर्माण करके,

किनारों को सुरक्षित करने के लिये कटावरोधी वर्क्स, नदी सुधार स्कीमों और भू सरक्षण वर्क्स तथा बाह्य क्षेत्रों में वनरोपण द्वारा हल किया जाना है। बाढ़-प्रवण नदियों पर जल-संचयन जलाशयों के निर्माण की भी आवश्यकता है। किन्तु गगा की उत्तरी सहायक नदियों पर इस प्रकार के जलाशयों के निर्माण के स्थल नेपाल के क्षेत्र में हैं। जहाँ तक दक्षिणी सहायक नदियों का सम्बन्ध है, बाणसागर बाँध और उत्तरी कोईल और उसकी सहायक नदियों पर पहले से क्रियान्वित किए जा रहे वर्क्स के अतिरिक्त, सोन और कियूल की सहायक नदियों पर जल संचयन स्कीमों को क्रियान्वित करना आवश्यक होगा।

(ख) बिहार में मार्च, 1980 तक निर्मित बाढ़-नियंत्रण वर्क्स में 2863 किलोमीटर लम्बे तटबंध, 365 किलोमीटर लम्बी जल निकास चैनलें, 22 नगर सुरक्षा वर्क्स और खिरोही और बागमती नदियों में सुधार करना शामिल है। इन वर्क्स का अधिकांश भाग उत्तरी बिहार में क्रियान्वित किया गया है। जहाँ तक पटना को बाढ़ से सुरक्षित करने के लिए बनाई गई स्कीम के बाढ़ नियंत्रण भाग का संबंध है, यह स्कीम लगभग पूर्ण हो गई है। परन्तु जल-निकास के पर्याप्त प्रबन्धों की व्यवस्था करने का काम चल रहा है। राज्य सरकार को इस कार्य को 1982-83 में पूरा करने की योजना है।

उड़ीसा को बाढ़ राहत के लिए सहायता

6495. **श्री लक्ष्मण मलिक :** क्या **कृषि मंत्री** वित्तीय वर्ष 1980-81 के दौरान उड़ीसा राज्य को बाढ़ राहत के लिए दी जाने वाली केन्द्रीय सहायता का ब्यौरा बताने की कृपा करेंगे ?

कृषि और ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : उड़ीसा सरकार के अनुरोध पर 8 से 10 अक्टूबर, 1980 तक एक केन्द्रीय दल ने बाढ़-ग्रस्त क्षेत्रों का दौरा किया। इसकी रिपोर्ट तथा इस पर राहत संबंधी उच्च स्तरीय समिति की सिफारिशों के आधार पर भारत सरकार ने निम्नलिखित राहत, पुनर्वास और सार्वजनिक निर्माण कार्यों की मरम्मत तथा उनकी पुनर्स्थापना संबधी मदों के लिए 1980-81 के दौरान केन्द्रीय सहायता के रूप में 4288.58 लाख रुपए के व्यय की सीमा स्वीकृत की :

क. राहत :	(लाख रुपयों में)
1. बाढ़ग्रस्त जनसंख्या को तत्काल राहत, जैसे कि चावल और चूड़ा इत्यादि का वितरण	137.36
2. राहत उपायों पर आकस्मिक व्यय	15.00
3. बचाव एवं राहत कार्यों पर व्यय (बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में वायु-सेना और सेना को वायुयान से खाद्य सामग्री इत्यादि गिराने हेतु देय राशि)	75.00
4. बाढ़ग्रस्त क्षत्रों में तम्बू, तिरपाल, बांस की चटाइयों इत्यादि की सप्लाई	10.00
5. 1000/- रुपए प्रति परिवार की दर से शोक-संतप्त परिवारों को अनुग्रह राशि की अदायगी	0.73

6 बाढ़ द्वारा बुरी तरह प्रभावित क्षेत्रों में 90 दिनों के लिए 120 लाख व्यक्तियों को सामग्री के रूप में निःशुल्क राहत (प्रति प्रौढ़ व्यक्ति 270 ग्राम और प्रति बच्चा 190 ग्राम की दर से)	40.00
7. भयंकर बाढ़ द्वारा प्रभावित 1.20 लाख व्यक्तियों को कपड़ों की सप्लाई	42.00
8. बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में तीन महीने के लिए स्कूल न जाने योग्य/स्कूल जाने वाले बच्चों, गर्भवती/दूध पिलाने वाली माताओं के लिए विशेष भोजन कार्यक्रम पर दाल और प्रतिपूरक व्यय की लागत (125 ग्राम प्रति माँ प्रति दिन और 80 ग्राम प्रति दिन प्रति बच्चा प्रति दिन की दर से)	50.00
9. राहत/पुनर्स्थापन सम्बन्धी उपायों के प्रशासन के लिए गुनूपुर, गुंडारी और काशीनगर इत्यादि में अस्थाई कार्यालय और आवासीय स्थान	15.00
10. बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य उपाय	70.00
11. बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में सहायता प्राप्त विद्यालयों में शिक्षा शुल्क की माफी	40.00
12. बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में विद्यालय जाने वाले लगभग 1.25 लाख बच्चों को पाठ्य पुस्तकों और लिखने की सामग्री की सप्लाई	31.25
13. नागरिक आपूर्ति विभाग द्वारा बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में खाद्य एवं अन्य सामग्री का परिवहन	50.00
14. बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में पशु आहार (कुडा और भूसी) की सप्लाई	5.00
15. बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में पशु चिकित्सा देखरेख (क्षतिग्रस्त उपकरणों, टीकों और दवाइयों इत्यादि की लागत)	10.25
योग (क)	591 59

ख. पुनर्वास

1. 60,000 पूर्णतः क्षतिग्रस्त घरों और 30,000 अंशतः क्षतिग्रस्त घरों की मरम्मत/पुनर्निर्माण हेतु पूर्णतः क्षतिग्रस्त प्रति घर के लिए 200/- रुपये और अंशतः क्षतिग्रस्त घर के लिए 100/- रुपये प्रति घर की दर से राज सहायता	150.00
2. उन लोगों के पुनर्वास के लिये, जिनके घर बाढ़ों द्वारा बह गए हैं, नये स्थानों में 30,000 रहने की इकाईयों का निर्माण।	
(1) भूमि और अवसंरचना की लागत को पूरा करने के लिये प्रति रहने की इकाई के लिये 500/- रुपये की दर से राज सहायता।	150.00

(2) प्रत्येक घर के निर्माण के लिये 200/- रुपये की दर से राज सहायता।	60.00
3. राज्य सरकार द्वारा पुनर्वास आवास कार्यक्रम को शुरू करने के लिए संस्थागत वित्त आकर्षित करने हेतु सीडमनी	50.00
4. कृषि	
(1) 3750 हैक्टार क्षेत्र को, जिसमें भारी रेत भर गई है, वृक्ष फसलों के अन्तर्गत लाने के लिए 1000/- रुपये प्रति हैक्टार की दर से राज सहायता	37.50
(2) लगभग 3750 हैक्टार रेत से भरी हुई जमीन के सुधार के लिये 750/- रुपये प्रति हैक्टार की दर से राज सहायता	28.12
(3) पौध रक्षण उपायों/कीटनाशी दवाईयों की लागत पर छोटे और सीमान्त किसानों के लिए क्रमशः 25 प्रतिशत और 33.⅓ प्रतिशत की दर से राज सहायता	10.00
(4) बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में केवल छोटे और सीमान्त किसानों को कृषि आदानों के लिये राज सहायता छोटे किसानों को लागत के 25 प्रतिशत और सीमान्त किसानों के मामले में 33.⅓ प्रतिशत की दर से	50.00
(5) बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में डठाऊ सिंचाई शुल्क पर 50/- रुपये प्रति एकड़ की दर से राज सहायता	20 00
5. बाढ़ से प्रभावित कारीगर परिवारों को सहायता (जहाँ कहीं आवश्यक हो) (औजारों और उपकरणों को बदलने के लिए प्रति परिवार 100/- रुपये और कच्चे माल की खरीद के लिये प्रति परिवार 150/- रुपये की दर से राज सहायता)	4.50
6. बाढ़ से प्रभावित मछुआरों को मछली पकड़ने के उपकरणों को बदलने के लिए लागत के 25 प्रतिशतत की दर से राज सहायता (375/- रुपये प्रति परिवार)	1.76
योग (ख)	561.88

ग. बाढ़ द्वारा क्षतिग्रस्त सार्वजनिक सम्पत्तियों की मरम्मत और पुनर्स्थापना

1. अभिज्ञात सामुदायिक सम्पत्तियों की पुनर्स्थापना और मलबे की सफाई	200.00
2. सिंचाई एवं विद्युत विभाग	
(1) मुख्य सिंचाई कार्य और नहर की दरारों को भरना	494.00
(2) लघु सिंचाई निर्माण कार्य	170.00
(3) डठाऊ सिंचाई निर्माण कार्य	150.00
(4) विद्युत सम्बन्धी अधिष्ठापन	100 00

3. **सार्वजनिक निर्माण विभाग की सड़कें और भवन :**	1000 00
4. **पंचायती राज विभाग के निर्माण कार्य :**	
(1) ब्लाक भवन	40.00
(2) सड़कें	300 00
(3) लघु सिंचाई परियोजनाएं/निर्माण कार्य	100.00
(4) कुएं	38 00
5. **आवास एवं शहरी विकास विभाग :**	
(1) पेय जल सप्लाई का अधिष्ठापन	144·09
(2) नलकूपों की मरम्मत/पुनर्स्थापना	43.28
(3) शहरी स्थानीय निकायों की सम्पत्तियां	50.00
6. **शिक्षा विभाग :**	
(1) बाढ़ द्वारा क्षतिग्रस्त विद्यालय भवनों की मरम्मत/पुनर्निर्माण	150.00
(2) प्रभावित विद्यालयों के फर्नीचर/उपकरणों की मरम्मत/प्रतिस्थापन	16.00
7. **हरिजन और आदिवासी कल्याण विभाग :**	
(1) बाढ़ से क्षतिग्रस्त विद्यालयों और होस्टलों की मरम्मत	15.00
(2) वृहद आकारीय कृषि बहुउद्देश्यीय सहकारी समितियों के भवनों और गोदामों की मरम्मत	10.00
8. **सहकारी समितियों के भवनों और सम्पत्तियों की पुनर्स्थापना :**	100.00
9. आदिवासी विकास निगन की गुनुपुर शाखा की परिसम्पत्ति में हुए नुकसान की प्रतिपूर्ति	1.20
10. वन सड़कों की मरम्मत/प्रतिपूर्ति	3.58
11. मात्स्यकी विभाग की क्षतिग्रस्त सम्पत्तियों का प्रतिस्थापन	0.96
12. बाढ़ों द्वारा बहाई गई जीपों की प्रतिपूर्ति	9.00
योग (ग)	3135.11
कुल योग (क+ख+ग) :	4288.58

उपर्युक्त स्वीकृत व्यय की सीमा के अतिरिक्त, 1980-81 के दौरान प्रधानमन्त्री ने भी उड़ीसा को बाढ़ों के लिए प्रधानमन्त्री राहत कोष से 5.00 लाख रुपये स्वीकृत किए।

हिमाचल प्रदेश में डाकघर

6496. **श्री कृष्ण दत्त सुल्तानपुरी :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस वर्ष हिमाचल प्रदेश में कितने डाकघर खोलने का विचार है;

(ख) राज्य सरकार से प्राप्त डाकघरों और टेलीफोन सम्बन्धी प्रस्ताव का ब्यौरा क्या है;

(ग) इस प्रायोजन के लिए कितनी धनराशि नियत की गई है;

(घ) डाकघर, उप डाकघर, सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्र खोलने के लिए निर्धारित मानदंड क्या हैं;

(ङ.) हिमाचल प्रदेश में किन स्थानों पर डाक तथा तार भवन बनाये जा रहे हैं और उन पर कितनी धन राशि खर्च की जा रही है, और

(च) क्या सरकार का विचार राज्य में संचार व्यवस्था का विस्तार करने के लिए सरकार के विचाराधीन विभिन्न कार्यक्रमों को दर्शाने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखने का है ?

संचार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री कार्तिक उरांव) : (क) इस वर्ष हिमाचल प्रदेश में खोले जाने वाले प्रस्तावित डाकघरों की संख्या को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।

(ख) डाकघर तथा लम्बी दूरी के सार्वजनिक टेलीफोन घर खोलने हेतु हिमाचल प्रदेश सरकार से हाल ही में प्राप्त प्रस्तावों की सूची अनुबंध-1 में दी गई है।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल टी—2302/81]

ऐसा प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार से टेलीफोन एक्सचेंज खोलने के बारे में कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ग) सर्किल योजना को अन्तिम रूप देने के पश्चात् निधि का आवंटन किया जाएगा।

(घ) मानदंड अनुबंध-11 में दिए गए हैं।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल टी—2302/81]

(ङ.) **डाक भवन** : 33, 75, 515 रुपये की अनुमानित लागत से सोलन, हमीरपुर, परपौला और काँगड़ा में डाक भवनों का निर्माण किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त 9, 12,000 रुपये की अनुमानित लागत से हमीरपुर में 24 स्टाफ क्वार्टर निर्माणाधीन हैं।

दूर संचार भवन : इसके ब्यौरे प्राप्त किए जा रहे हैं।

(च) राज्य में नये टेलीफोन एक्सचेंजों की स्थापना तथा मौजूदा टेलीफोन एक्सचेंजों के विस्तार की योजना अनुबंध-111 में उपलब्ध है।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल टी—2302/81]

डाकघरों, सार्वजनिक टेलीफोन घरों तथा तार कार्यालयों को खोलने के कार्यक्रम को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।

नदियों में से गाद निकालने हेतु पश्चिमी बंगाल के प्रस्ताव

6497. **श्री गदाधर साहा** : क्या **संचार मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पश्चिमी बंगाल में नदियों में से गाद निकालने के लिए पश्चिमी बंगाल सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

सिंचाई मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियारंरहमान अंसारी) : (क) और (ख) पश्चिमी बंगाल की नदियों में से गाद निकालने के बारे में पश्चिमी बंगाल सरकार से कोई विशिष्ट प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुए हैं। लेकिन विभिन्न क्षेत्रों में जल-निकास में सुधार के लिए समय-समय पर कई स्कीमें प्राप्त हुई हैं और इन स्कीमों में जल-निकास चैनलों और उमड़ मार्गों (स्पिल चैनल) में से गाद निकालना भी शामिल है। इन स्कीमों को अनुमोदन देने के लिए इनकी जाँच इनकी तकनीकी और आर्थिक व्यवहार्यता के आधार पर की जाती है।

निजी मकान वाले सरकारी कर्मचारियों को सरकारी आवास का आवंटन

6498. **श्री रशीद मसूद** : क्या **निर्माण और आवास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली/नई दिल्ली में निजी मकान वाले कर्मचारियों को सरकारी आवास आवंटन की योजना 1975 में समाप्त कर दी गई थी किन्तु इसे पुन: लागू कर दिया गया है जिस से कुछ वर्ग के अधिकारियों को ही लाभ होगा जिनके अपने बड़े मकान हैं और जो भारी किराया प्राप्त कर रहे हैं। जबकि वे उन्हें आवंटित सरकारी आवास के लिए कम किराया दे रहे हैं;

(ख) यदि हां तो सरकार ने किन कारणों से इस योजना को पुन: लागू किया है;

(ग) उन कर्मचारियों पर जिनकी काफी लम्बी सेवा हो चुकी है और जिनका दिल्ली में अपना मकान नहीं है, और सरकार से आवास के आवंटन हेतु अभी भी प्रतीक्षा कर रहे हैं, क्या प्रभाव पड़ने की सम्भावना है; और

(घ) सरकार उपर्युक्त कर्मचारियों हितों की रक्षा किस प्रकार करेगी ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) यह सत्य है कि दिल्ली-नई दिल्ली में निजी मकान वाले कर्मचारियों को सरकारी आवास के आवंटन की योजना जो 1975 में समाप्त कर दी गई थी, पुनर्जीवित कर दी गई है। यह योजना निजी मकान वाले सभी पात्र अधिकारियों पर लागू है।

(ख) निजी मकान वाले अधिकारियों की कठिनाईयों और राष्ट्रीय परिषद (जे० सी० एम०] की सिफारिशों को भी ध्यान में रखते हुए उन्हें सरकारी आवास के लिए पात्र बनाया गया है।

(ग) सरकारी आवास के आवंटन के लिए निजी मकान वाले अधिकारियों के नामों को प्रतीक्षा सूची में सम्मिलत करने से, कर्मचारियों की प्रतीक्षा अवधि बढ़ने की सम्भावना है।

(घ) सरकार ने विशेषकर सरकारी कर्मचारियों की निम्नतर आय वाले वर्गों के लिए सरकारी क्वार्टरों के निर्माण का क्रैश प्रोग्राम पहले ही आरम्भ कर दिया है।

मदर डेरी के कर्मचारियों की वर्दी पर व्यय

6499. **श्री रेणुपद दास** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि इसके नियमों के विपरीत, दिल्ली में मदर डेरी, के सभी फैक्ट्री और कार्यालय कर्मचारियों को वर्दी के नाम पर रेशमी साड़ियों सहित कीमती वस्त्र सप्लाई किए जा रहे हैं; और

(ख) यदि हाँ, तो इस मद पर कितना वार्षिक व्यय किया जाता है ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) जी नहीं। मदर डेरी (जिसे राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड द्वारा चलाया जा रहा है) अपने मानदंडों के अनुसार कर्मचारियों को वर्दियाँ दे रही है।

(ख) वर्दियों की सप्लाई पर होने वाला वार्षिक व्यय लगभग 1.50 लाख रुपए है।

केन्द्रीय विद्यालयों के अध्यापकों की मांगें

6500. **श्री ईरा अनबारासु :** क्या शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री : यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय विद्यालय में काम कर रहे लगभग 1000 अध्यापकों ने 2 नवम्बर, 1980 को दिल्ली में संगठन कार्यालय के सामने एक दिन का धरना दिया था;

(ख) यदि हां, तो उनकी माँगें क्या हैं और क्या माँगें मान ली गई हैं; और

(ग) क्या यह भी सच है कि अध्यापकों ने धरने का एक और नोटिस पुनः दिया है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री (श्री एस० बी चव्हाण) (क) केन्द्रीय विद्यालय के कुछ अध्यापकों ने 12 नवम्बर, 1980 को केन्द्रीय विद्यालय संगठन के सामने धरना दिया।

(ख) अध्यापकों की मुख्य माँगों में, अखिल भारतीय केन्द्रीय विद्यालय अध्यापक संघ को कानूनन मान्यता प्रदान करना, केन्द्रीय विद्यालय संगठन के शासी बोर्ड में प्रतिनिधित्व देना, पदोन्नति के अच्छे अवसर प्रदान करना, वेतनमानों में संशोधन करना, संगठन के कर्मचारियों को केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा योजना की सुविधायें प्रदान करना, तर्क संगत स्थानान्तरण नीति घोषित करना, 50 दिन की पूरी अवकाश अवधि मंजूर करना तथा अध्यापकों को तीन दिन पहले बुलाने की पद्धति समाप्त करना, वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट समय पर पूरी करना, प्रिंसिपलों के चयन की पद्धति में सुधार करना, प्रवरण ग्रेड देना इत्यादि शामिल हैं। कुछ माँगों को स्वीकार कर लिया गया है जबकि कुछ अन्य माँगों की जाँच की जा रही है।

(ग) जी, हाँ।

विदेशी मत्स्य-नौकाओं से भारतीय मत्स्य-नौकाओं को क्षति

6501. **प्रो० पी० जे० कुरियन :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि अनेक विदेशी चार्टर मत्स्य-नौकाओं ने भारतीय मत्स्य नौकाओं, गियर, जाल आदि को क्षतिग्रस्त कर दिया है;

(ख) इन विदेशी चार्टड मत्स्य-नौकाओं अथवा उनके भारतीय एजेंटों आदि से मुआवजा प्राप्त करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है;

(ग) ऐसी विदेशी चार्टर नौकाओं, जो भारतीय नौकाओं अथवा उनके जालों आदि को क्षति पहुंचाती हैं, वे मुआवजा प्राप्त करने के लिए नई चार्टर नीति में शामिल किए गए रक्षोपायों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि किसी रक्षोपाय का विचार नहीं है तो भारतीय नौकाओं के मालिकों को क्षति के लिए मुआवजा देने के किए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

कृषि तथा ग्रामीण पुर्ननिर्माण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) और (ख) सरकार को भारतीय मत्स्यन नौकाओं/गियर के क्षति ग्रस्त होने के केवल दो मामलों की सूचना दी गई थी, लेकिन जांच करने पर इन शिकायतों को सही नहीं पाया गया। प्रभावित पक्षों ने भी अपने मामलों की पैरवी नहीं की, इसलिए मुआवजे के भुगतान का प्रश्न ही पैदा नहीं हुआ।

(ग) और (घ) एक मात्र आर्थिक क्षेत्र में विदेशी मत्स्यन नौकाओं द्वारा मत्स्यन के विनियमन के लिए बनाये जाने वाले कानून में प्रभावित पार्टियों को मुआवजे का भुगतान करने के लिए आवश्यक व्यवस्था करने का विचार किया जा रहा है।

प्रथमा परीक्षा

6502. **श्री जैनुल बशर :** क्या **शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री** प्रथमा परीक्षा पास करने वाले छात्रों को ग्यारहवीं कक्षा में दाखिले के बारे में 14 जुलाई, 1980 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4052 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दी साहित्य सम्मेलन (हिन्दी विश्वविद्यालय) की प्रथमा परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए केवल हिन्दी को ही मैट्रिक स्तर के समान मान्यता दी गई है;

(ख) यदि हाँ, तो यह संस्था अन्य विषयों की परीक्षाओं का आयोजन क्यों करती हैं; और

(ग) उन लोगों, जो हिन्दी के साथ अन्य विषयों में परीक्षा उत्तीर्ण करते हैं, के भविष्य का क्या होगा ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) जी, हाँ।

(ख) और (ग) क्योंकि स्कूल स्तर तक शिक्षा की मुख्य जिम्मेदारी राज्य सरकार की है, अतः मामले की जांच उत्तर प्रदेश सरकार को ही करनी है जिससे रिपोर्ट मंगाई गई है।

सिंचाई के अन्तर्गत लाया गया अतिरिक्त क्षेत्र

6503. **श्री टी० दामोदर रेड्डी :** क्या **सिंचाई मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1980 में तथा वर्ष 1977, 1978 और 1979 के दौरान खेतों-भूमि का कितना और अतिरिक्त क्षेत्र सिंचाई के अन्तर्गत लाया गया है ?

सिचाई मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : 1977 से 1980 तक के वर्षों के दौरान सृजित की गई अतिरिक्त सिंचाई क्षमता निम्नलिखित है :—

(मिलीयन हैक्टेयर)

	बृहद और मध्यम	लघु	जोड़
1977-78	1.183	1 100	2.283
1978-79	1.043	1.300	2.243
1979-80	0.751	1.400	2.151
1980-81	0.957	1·500	2.457 (लक्ष्य)

खादी तथा ग्रामोद्योग निगम के विक्रय डिपुओं की वरिष्ठता सूची

6504. **श्रीमती विद्यावती चतुर्वेदी :** या **ग्रामीण पुर्ननिर्माण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खादी तथा ग्रामोद्योग निगम के सभी बिक्री डिपुओं के कर्मचारियों की पृथक वरिष्ठता सूची तैयार कर ली गई है;

(ख) यदि हाँ, तो इन वरिष्ठता सूचियों को बिक्री-डिपोवार किस तिथि को तैयार किया गया था; और

(ग) प्रत्येक बिक्री डिपो की पृथक वरिष्ठता सूची रखे जाने के मुख्य कारण क्या हैं ?

कृषि और ग्रामीण पुर्ननिर्माण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री बालेश्वर राम) : (क) व (ख) खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग के विभागीय व्यापार केन्द्रों के कर्मचारियों की वरीयता सूची तैयार करने के बारे में स्थिति निम्न प्रकार है :—

व्यापार केन्द्र का नाम	वरीयता सूची की केन्द्रवार स्थिति
1. खादी ग्रामोद्योग भवन, नई दिल्ली	1956 में अन्तिम रूप दिया गया था परन्तु इसे अद्यतन बनाया जाना है।
2. खादी ग्रामोद्योग भवन, कलकत्ता	वरीयता सूची को अन्तिम रूप दिया जा रहा है।
3. खादी ग्रामोद्योग भवन, भोपाल	1969 में अन्तिम रूप दिया गया था।
4. खादी ग्रामोद्योग भवन, गोवा	1969 में अन्तिम रूप दिया गया था।
5. खादी ग्रामोद्योग भवन, एर्नाकुलम	अन्तिम रूप दिया जा रहा है।
6. ग्राम शिल्प, नई दिल्ली	अन्तिम रूप दिया जा रहा है।

(ग) प्रत्येक बिक्री डिपो के सम्बन्ध में अलग से वरीयता सूचियां रखने के मुख्य कारण निम्न प्रकार हैं :—

(1) प्रत्येक व्यापार केन्द्र को अलग अस्तित्व के रूप के मानना और उनके निष्पादन

को अलग से आंकना प्रशासनिक दृष्टि से सुविधा जनक और वाणिज्यिक दृष्टि से स्वस्थ है;

(2) व्यापार केन्द्रों के अस्तित्व में आने के समय अलग-अलग हैं; और

(3) ऐसा प्रबन्ध कम वेतन वाले कर्मचारियों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होने से बचाता है।

दमण गंगा में औद्योगिक अपशिष्ट पदार्थों के कारण प्रदूषण

6505. **श्रीमती संयोगिता राणे** : क्या **निर्माण और आवास मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्षा इंडस्ट्रीज द्वारा दमण गंगा में औद्योगिक अपशिष्ट पदार्थों की विशाल मात्रा डाली जा रही है जिसके परिणाम स्वरूप प्रदूषण हो रहा है; और

(ख) इस बारे में क्या कार्यवाही करने का प्रस्ताव है ;

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) सरकार को मैसर्स वर्षा इण्डस्ट्रीज नामक किसी उद्योग द्वारा दमण गंगा में किसी प्रदूषण की जानकारी नहीं है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

ग्राम पंचायतों के मुख्यालयों में सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्रों की स्थापना

6506. **श्री हरिहर सोरन** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार प्रत्येक ग्राम पंचायत मुख्यालय में सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्र की स्थापना करने का है;

(ख) दिसम्बर, 1980 के अन्त तक इस कार्यक्रम के अन्तर्गत ऐसे कितने ग्राम पंचायत मुख्यालयों में यह सुविधा प्रदान की जा चुकी है;

(ग) क्योंझर जिले की ऐसी कितनी और कौन-कौन सी ग्राम पंचायतों को ये सुविधायें प्रदान की जा चुकी हैं; और

(घ) क्योंझर जिले के कितनी ग्राम पंचायतों को ये सुविधायें उपलब्ध करवाये जाने का विचार है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कार्तिक उरांव) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता क्योंकि (क) के अन्तर्गत कार्यक्रम में ये शामिल नहीं हैं।

(ग) छब्बीस नाम विवरण में दिए गए हैं।

(घ) दस

विवरण

क्योंझर जिले में ग्राम पंचायतों के नाम जिनमें सार्वजनिक टेलीफोन घर प्रदान किए गए हैं :

1. बनसापल
2. बरिया
3. बोलानी
4 भद्दराशी
5. चम्पूआ
6. धेन कीकोटे
7. फकाटा
8- हरीचन्द्र पुर
9. हतादीनी
10. जंगहीरा
11. झुनापरा
12. कालीका प्रसाद
13. कन्टीपाल
14. कालियामन्ता
15. केसेपुरापाल
16. कानियामान्ता
17. पटना
18. पंचूपल्ली
19. रायनसुन
20. राजनगर
21. रेमोली
22. सुआकटी
23. सहारपादा
24. तेलकेई
25. तिरूमूंग
26. उदयपुर

कूच बिहार में कुचलीवाडो के डाकघर का दर्जा बढ़ाया जाना

6507. **श्री सुबोध सेन** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का पश्चिमी बंगाल में कूचबिहार जिले में कुचलीवाड़ी आने के क्षेत्रीधिकार में स्थित कुचलीबाड़ी के डाक घर का दर्जा बढ़ाने का कोई विचार है;

(ख) क्या यह सच है कि इस डाक घर में इस समय टेलीफोन की कोई व्यवस्था नहीं है; और

(ग) यदि हाँ, तो क्या सरकार का उक्त डाकघर को दूरभाष संचार से जोड़ने का कोई विचार है और इसमें कितना समय लगने की सम्भावना है ?

संचार मन्त्रालय में राज्य (श्री कार्तिक उरांव) : (क) जी नही ।

(ख) जी हाँ ।

(ग) कुचली बाड़ी विभागेतर शाखा डाकघर के लिए एक सार्वजनिक टेलीफोन कनेक्शन की व्यवस्था करने की मंजूरी दे दी गई है । वर्ष 1981-82 के दौरान यथासमय इसकी व्यवस्था किये जाने की सम्भावना है ।

महाराष्ट्र में गेहूं की कमी

6508. **प्रो० मधु दण्डवते :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र सरकार ने केन्द्र सरकार से यह अनुरोध किया था कि महाराष्ट्र राज्य में अभाव की स्थिति को देखते हुए उसे चावल तथा गेहूँ का अतिरिक्त कोटा दिया जाए; और

(ख) राज्य में खाद्य के संकट को दूर करने के लिए उसे तुरन्त ही अतिरिक्त खाद्य सहायता देने हेतु क्या कदम उठाये गए हैं ?

कृषि और ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) जी हां ।

(ख) महाराष्ट्र को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए अक्तूबर, 1980 से 35,000 मीटरी टन के हिसाब से गेहूं का आवंटन किया जा रहा था । इसे मार्च में बढ़ाकर 40,000 मीटरी टन कर दिया गया था और बाद में इस कम आमद के महीने में कमी को देखते हुए 5,000 मीटरी टन का और तदर्थ आवंटन किया गया था । इस बात को दृष्टि में रखते हुए कि मंडी में गेहूँ अप्रैल में आनी शुरू होती है, आवंटन में वृद्धि करने का कोई प्रस्ताव नहीं है और आवंटन की मात्रा को 40,000 मीटरी टन पर ही बनाए रखा गया है । रोलर आटा मिलों के बारे में मार्च में आवंटन को 27,650 मीटरी टन से बढ़ाकर 30,000 मीटरी टन कर दिया गया है और अप्रैल में भी इसी मात्रा को बनाए रखा जा रहा है । चावल का आवंटन 75,000 मीटरी टन प्रति मास के हिसाब से बराबर किया जा रहा है ।

पहली मार्च, 1981 को भारतीय खाद्य निगम के महाराष्ट्र में स्थित डिपो में लगभग 2,32,200 मीटरी टन चावल और 27,200 मीटरी टन का गेहूं का स्टाक था । इस स्टाक की भरपाई करने की दृष्टि से मार्च 1981 में उत्तरी जोन से महाराष्ट्र को लगभग 1,06,500 मीटरी टन खाद्यान्न (55,300 मीटरी टन चावल और 51,200 मीटरी टन गेहूँ) भेजे गए थे । भारतीय खाद्य निगम ने महाराष्ट्र को उत्तरी जोन से अप्रैल, 1981 में 90,000 मीटरी टन गेहूँ और 43,000 मीटरी टन चावल (कुल 1,33, 000 मीटरी टन) भेजने का कार्यक्रम बनाया है। आगामी महीनों में भी पर्याप्त संचलन करने की योजना बनाई जाएगी ।

जोधपुर में डाक-तार घर

6509, **श्री अशोक गहलोत** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान के जोधपुर जिले में इस समय कार्यरत डाक-तार घरों की वर्ग वार कुल संख्या क्या है;

(ख) क्या सरकार को मालूम है कि जोधपुर में डाक-तार विभाग के नियमानुसार जोधपुर जिले में पर्याप्त संख्या में अब तक डाक-तार कार्यालय नहीं खोले गए हैं;

(ग) यदि हां, तो उसकी कुल संख्या क्या है तथा इस बारे में निर्धारित नियमानुसार सरकार का वर्गवार कितने डाक-तार कार्यालय खोलने का प्रस्ताव है।

(घ) सरकार द्वारा जिले में वर्ग-वार डाक-तार कार्यालय कब तक खोले जाने का प्रस्ताव है, जिले के उन स्थानों के नाम क्या हैं, जहां ये खोले जायेंगे ; और

(ड.) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

संचार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री कार्तिक उरांव) (क) सूचना **विवरण** "।" में दी गई है ।

(ख) से (ड.) **डाक** : सभी ग्राम जो विभागीय मानदण्डों को पूरा करते हैं उनमें डाकघरों की व्यवस्था कर दी गई है । फिर भी छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान कुछ और डाकघर खोलने का प्रस्ताव है । इन डाकघरों के ब्यौरों को अभी अन्तिम रूप दिया जाना है ।

तारघर : जोधपुर जिले में तारघरों की संख्या पर्याप्त समझी गई है ।

श्रेणीवार स्थानों की संख्या जहाँ अभी भी तार घर खोले जाने हैं, इस प्रकार हैं—

1. 2500 अथवा उससे अधिक जनसंख्या वाले स्थान	34
2. सब इंस्पेक्टर के अधीन पुलिस स्टेशन	4

उन स्थानों के नाम, जहां तारघर खोले जाने का प्रस्ताव हैं, **विवरण**.2 में दिए गए हैं ।

ऐसी संभावना है कि शेष सभी श्रेणी स्टेशनों में तार सुविधाएं उत्तरोत्तर रूप से छठी योजना अवधि के दौरान प्रदान की जायेंगी ।

विवरण-1

जोधपुर जिले में डाकघर श्रेणीवार

राजपत्रित मुख्य डाकघर	1
उच्च चयन पदक्रम-11 मुख्य डाकघर	1
निम्न चयन पदक्रम उप डाकघर	3
समयमान उप डाकघर	58
विभागेतर उप डाकघर	16
विभागेतर शाखा डाकघर	265
कुल	344

जोधपुर जिले में श्रेणी-वार तारघर

जिला मुख्यालय	1
उप मंडल मुख्यालय	2
तहसील मुख्यालय	5
ब्लाक मुख्यालय	5
सब इंस्पैक्टर के अधीन पुलिस स्टेशन	17
2500 अथवा उससे अधिक की जन संख्या वाले क्षेत्र	31
कुल	61

विवरण 2

जोधपुर जिले के वे स्थान जहां अभी तारघर खोले जाने है।

(क) 2500 अथवा उससे अधिक जनसंख्या वाले क्षेत्र

1. देनोक
2. काउ
3. बाइरी
4. मीकमकेरा
5. समरऊ
6. नावरा
7. गगानी
8. पाली
9. धनवाड़ा
10. जाखन
11. पुनासर
12. नासेर
13. मातेरा
14. खबराखुर्द
15. चामू
16. सोलन किया नता
17. बालेश्वर दुर्गा
18. नथरऊ
19. चाबा
20. डासनया
21. सुवालिया
22. चाँदसावा
23. घुगारा
24. सलवान कलां
25. गुघा ब्रिसनैयान
26. चाँवा
27. भालामंद
28. भीटंडा
29. पालासुई
30. साथोना
31. खागढा
32. रथकुरदिया
33. सतवारा
34. चारी

सब इंस्पैक्टर अथवा उससे बड़े अधिकारी के चार्ज के अधीन पुलिस स्टेशन

1. दाँगिआवास
2. जाम्बा
3. खारप्पा
4. मोजासर

टेलीफोन उपभोक्ता की एस० टी० डी० व्यवस्था पर ताला लगाने के लिए उपकरण

6510. **श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति : क्या संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इलैक्ट्रोनिक इन्जीनियर ने टेलीफोन उपभोक्ता के घर पर ही उनके टेलीफोन में लगी एस० टी० डी० व्यवस्था पर ताला लगाने का, संपूर्ण रूप से भारत में बना एक उपकरण विकसित किया है;

(ख) यदि हाँ, तो उक्त उपकरण को सरकार के सामने प्रस्तुत किया गया है; और

(ग) इसका उपभोग कब तक आरम्भ कर दिए जाने की सम्भावना है ?

संचार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री कार्तिक उरांव) : (क) जी हाँ । कुछ इच्छुक निर्माताओं ने एस० टी० डी० अवरोधक उपस्कर के नमूने प्रस्तुत किए हैं । जिनके बारे में उनको सुझाव हैं कि दूरसंचार अनुसंधान केन्द्र द्वारा अग्रिम उन्हें उपभोक्ताओं के आवास से जोड़ा जा सकता है ।

(ख) दूरसंचार अनुसंधान केन्द्र ने इच्छुक निर्माताओं द्वारा उनको प्रदान किए गए एस० टी० अवरोधक यन्त्रों की जाँच कर ली है । प्रारम्भिक जाँच का परिणाम संतोषजनक नहीं रहा है और नमूना यूनिटों का कार्य निष्पादन ऐसा नहीं रहा जैसा कि निर्माताओं ने दावा किया था । उपभोक्ताओं को टेलीफोन के साथ अनुमोदित संलग्नक यंत्र जोड़ने की अनुमति देने की सामान्य प्रक्रिया की भी समीक्षा की जा रही है ।

(ग) इस समय इसकी पूर्व घोषणा नहीं की जा सकती ।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग में उच्च शिक्षा के लिए आमूल-चूल परिवर्तन

6511. **श्री चित्त बसु : क्या शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उच्च शिक्षा के प्रसार के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को अधिक प्रभावी एवं उपयोगी बनाने के लिए उसमें आमूल-चूल परिवर्तन करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हाँ, तो उक्त प्रस्ताव का ब्योरा क्या है; और

(ग) प्रस्ताव अब किस अवस्था पर है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्री (श्री एस० बी० चह्वाण) : (क) सरकार और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का सदा यह लक्ष्य और प्रयास रहता है कि उच्च शिक्षा के प्रसार के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के कार्यकरण को अधिक प्रभावी और उपयोगी बनाया

जाय। तथापि यह एक निरन्तर प्रक्रिया है, अतः इसमें कोई आमूल परिवर्तन करने की आवश्यकता नहीं है।

(ख) और (ग) उपरोक्त भाग (क) के उत्तर को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

वर्ष 1980-81 के दौरान खोले गये डाकघर तथा नियुक्त कर्मचारी

6512. **श्री जेवियर अराकल : क्या संचार मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1980-81 में कितने नये डाकघर खोले गए उनका मापदण्ड क्या हैं; और

(ख) 1980-81 में राज्यवार खोले गये इन डाकघरों की संख्या तथा नई भर्ती किए गए व्यक्तियों की कुल संख्या क्या है ?

संचार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री कार्तिक उरांव) : (क) निर्धारित विभागीय मानदण्डों के अनुसार वर्ष 1980-81 के दौरान 28-2-1981 तक 2170 नए डाकघर खोले गए थे। डाकघर खोलने के मानदण्ड **विवरण** 'क' में दर्शाये गये हैं।

(ख) इन डाकघरों का राज्यवार वितरण **विवरण** 'ख' में दर्शाया गया है। 1980-81 के दौरान नई भर्ती किए गए व्यक्तियों की कुल संख्या एकत्र की जा रही है और उसे सदन के सभा पटल पर रख दिया जाएगा।

विवरण 'क'

ग्रामीण इलाकों में डाकघर खोलने हेतु निर्धारित मानदण्डों का सारांश

ग्रामीण इलाकों में डाकघर खोलने हेतु मानदण्ड निम्न हैं :

संक्षिप्त रूप से ग्रामीण इलाकों के गावों में डाकघर निम्न शर्तों पर खोले जा सकते हैं :

(1) ग्राम या तो ग्राम पंचायत मुख्यालय हो अथवा वहाँ की आबादी कम से कम 2000 अथवा इससे अधिक होनी चाहिए।

(2) वर्तमान डाकघर से उस ग्राम की दूरी कम से कम 3 किलोमीटर होनी चाहिए।

(3) प्रस्तावित डाकघर से अनुमानित आय उसकी अनुमानित लागत के कम से कम 25 प्रतिशत होने का अनुमान हो।

पहाड़ी, जनजातीय तथा पिछड़े इलाकों के मामले में डाकघर निम्न शर्तों पर खोले जा सकते हैं :

(1) ग्राम या तो ग्राम पंचायत मुख्यालय हो अथवा वहाँ की आबादी कम से कम 1000 होनी चाहिए (इस उद्देश्य से 1.5 कि० मी० अरीय दूरी के भीतर के ग्राम समूह को भी हिसाब में लिया जा सकता है)

(2) वर्तमान डाकघर से उस ग्राम की दूरी कम से कम 3 कि० मी० होनी चाहिए।

(3) प्रस्तावित डाकघर से अनुमानित आय उसके अनुमानित लागत की कम से कम 10 प्रतिशत होने का अनुमान हो।

पोस्टमास्टर जनरलों को यह अधिकार प्राप्त है कि वे डाकघर खोलने के 10 प्रतिशत मामलों में निर्धारित मानदण्डों में ढील दे सकते हैं।

सामान्यतया ग्रामीण इलाकों में खोले गए नए डाकघर विभागेतर शाखा डाकघर स्तर के होते हैं। विभागेतर शाखा डाकघरों की विभागेतर एजेंट व्यवस्था करते हैं।

II. शहरी इलाकों में डाकघर खोलने हेतु मानदण्ड

शहरी इलाकों में डाकघर खोलने के मानदंड को संशोधित करने का प्रश्न पिछले कुछ समय से डाक-तार बोर्ड के समक्ष विचाराधीन था। डाक-तार बोर्ड ने अब यह निर्णय लिया है कि मौजूदा मानदंड, नियमों तथा इस विषय से समय-समय पर जारी किये गये स्पष्टीकरणों की प्रतिस्थापना में एतद्पश्चात शहरी इलाकों में डाकघर खोलने हेतु निम्नलिखित मानदंड अपनाए जाएंगे :

शहरी इलाकों में डाकघर खोलने हेतु नए मानदण्ड :

शहरी इलाकों में निम्न शर्तों पर डाकघर खोले जा सकते हैं :

(1) डाकघर आत्मनिर्भर होना चाहिए।

(2) बीस लाख या इससे अधिक आबादी वाले शहरों में दो डाकघरों के बीच कम से कम 1 कि० मी० का अन्तर होना चाहिए। अन्य शहरी इलाकों में दो डाकघरों के बीच कम से कम 1.5 कि० मी० दूरी होनी चाहिए।

(3) पोस्टमास्टर जनरल प्रत्येक वर्ष 10 प्रतिशत मामलों में दूरी की शर्तों में छूट दे सकता है।

(4) जहाँ उचित किराये पर उपयुक्त इमारत प्राप्त न हो केवल ऐसे गन्दे इलाकों के विशेष मामलों में ही शहरी इलाकों में विभागेतर शाखा डाकघर खोले जा सकते हैं। शहरी इलाकों में विभागेतर शाखा डाकधर खोलने के मामले में इस कार्यालय के तारीख 19-3-1979 के अनो० सं० 1-12-78-पी० आर० पी० के अंतर्गत जारी किए गए आदेश ही लागू रहेंगे।

विवरण 'ख'

1980-81 के दौरान खोले गये डाकघर की संख्या

(25-2-1981 की स्थिति)

1. आन्ध्र	—	323
2. बिहार	—	191
3. दिल्ली	—	15
4. गुजरात	—	90
5. जम्मू व कश्मीर	—	22
6. केरल	—	84
7. कर्नाटक	—	137
8. मध्य प्रदेश	—	219
9. महाराष्ट्र	—	217
10. असम, मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय, नागालैंड, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश	—	106
11. पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, चण्डीगढ़	—	117
12. उड़ीसा	—	158
13. राजस्थान	—	213
14. तमिलनाडु	—	89
15. उत्तर प्रदेश	—	106
16. पश्चिम बंगाल	—	83
		2170

जबलपुर टेलीफोन कारखाने का स्थानान्तरण

6513. **श्री मुन्दर शर्मा** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जबलपुर स्थित टेलीफोन कारखाने को स्थानान्तरित करने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) क्या उसके विस्तार की भी कोई योजना है; और

(ग) यदि हाँ, तो उसकी कितनी लागत आने की सम्भावना है ?

संचार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री कार्तिक उरांव) : जी हाँ । ऐसा सुझाव है कि फैक्ट्री की कुछ दुकानों को जबलपुर के समीप आन्ध्रतल औद्योगिक क्षेत्र में चरणबद्धक्रम में स्थानांतरित कर दिया जाय ।

(ख) जी हाँ। दूरसंचार भण्डारों की चढ़ी हुई मांग को पूरा करने हेतु नये स्थान पर एक गेल्वानाइजिंग प्लान्ट तथा एक संगठित ट्यूब बनाने के प्लान्ट को स्थापित करने का प्रस्ताव है।

(ग) भूमि, भवनों तथा प्लान्ट और मशीनरी की अनुमानित लागत लगभग 14.5 करोड़ रुपये है।

चिलका झील, उड़ीसा विषयक नरुला समिति

6514. **श्री रामचन्द्र रथ : क्या सिंचाई मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने उड़ीसा में चिलका झील की समस्याओं की जांच के लिए समिति का गठन किया था;

(ख) यदि हाँ, तो समिति द्वारा क्या उपचारात्मक कदम सुझाए गए हैं; और

(ग) इस बारे में क्या कदम उठाए गए हैं ?

सिंचाई मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जियाउर् रहमान अंसारी) : (क) और (ख) भारत सरकार ने उड़ीसा को चिल्का झील से संबंधित समस्याओं की जाँच करने के लिए दिसम्बर, 1970 में एक समिति गठित की थी। समिति ने अपनी रिपोर्ट 1973 में प्रस्तुत की थी और उसके निष्कर्ष ये थे :

(1) सतपारा के निकट एक 120 मीटर लम्बे और 2 मीटर चौड़े सीधे कट की व्यवस्था करके झील में लवणता के स्तर में सुधार किया जा सकता है।

(2) झील में विसरण (डिफ्यूजन) की प्रवृत्ति की अधिक सही भविष्यवाणी करने के लिए, लवणता माडल पर और आगे अन्वेषण करने आवश्यक होंगे।

(3) कट में अनुरक्षण तलकर्षण करना आवश्यक होगा ताकि ज्वारीय संचरण के लिए उपयुक्त गहराई कायम रखने की सुनिश्चित व्यवस्था की जा सके।

(4) मछली बन्दरगाह के लिए सबसे उपयुक्त स्थल सतपारा के पश्चिम की ओर है, जिसके वास्ते मछली पकड़ने वाली यंत्रीकृत नावों के लिए कम से कम 40 मीटर लम्बी और 4 मीटर चौड़ी चैनल की आवश्यकता पड़ेगी।

(ग) राज्य सरकार द्वारा उठाए गये कदमों के बारे में सूचना प्राप्त की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

बड़े रेलवे स्टेशनों पर एस० टी० डी० सार्वजनिक टेलीफोन

6515. **श्री डी० पी० जदेजा : क्या संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार सभी बड़े रेलवे स्टेशनों पर एस० टी० डी० सार्वजनिक टेलीफोनों की स्थापना करने के बारे में विचार कर रही हैं; और

(ख) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कार्तिक उरांव) : (क) अनेक राज्यों की राजधानियों में अगस्त 1979 से हवाई अड्डों तथा मुख्य रेलवे स्टेशनों पर प्रायोगिक आधार पर एस० टी० डी० सुविधा सहित विभागीय सार्वजनिक टेलीफोनघर खोले गए थे।

(ख) सार्वजनिक टेलीफोनों पर एस० टी० डी० के कार्यकरण के बारे में फील्ड यूनिटों के विचार पर निगरानी रखी जा रही है तथा यदि व्यवहार्य समझा जायेगा तो यह सुविधा नियमित आधार पर बड़े रेलवे स्टेशनों पर उपलब्ध कराई जाएगी।

महिलाओं के पोलीटेकनिक

6516. **श्री के० पी० सिंह देव : क्या शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में 1980-81 के दौरान स्थापित किये जाने वाले महिलाओं के पोलिटेकनिकों की संख्या कितनी है;

(ख) उड़ीसा में स्थापित किए जाने वाले कितने हैं;

(ग) क्या महिलाओं का पोलिटेकनिक स्थापित करने के लिए ढेकानल जिले का चयन किया गया है; और

(घ) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्री (श्री एस० बी० चव्हाण) : (क) ऐसे चार पालिटेकनिकों ने 1980-81 में कार्य करना शुरू कर दिया है। तथापि, इन संस्थाओं की स्थापना का अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा अभी अनुमोदन किया जाना है।

(ख) कुछ नहीं।

(ग) जी, नहीं, राज्य सरकार से ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

चीनी मिलों का अधिग्रहण

6517. **श्री सत्यनारायण जटिया : क्या कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश के उन चीनी मिलों के नाम क्या हैं जिन्हें चीनी (उपक्रमों के अधिग्रहण) अधिनियम, 1978 के अधीन अधिग्रहीत किया गया है और इसके क्या कारण हैं;

(ख) क्या यह सच है कि गोविन्द राम शुगर/महीदपुर मिल तथा जाओरा शुगर मिल ने किसानों को उनके गन्ने के मूल्य नहीं अदा किए थे;

(ग) यदि हाँ, तो कितनी राशि अभी भी बकाया है और ये मिल, अब अधिग्रहीत हो जाने के बाद, किसानों को देय गन्ने का उक्त मूल्य कब तक अदा कर देंगे;

(घ) क्या यह भी सच है कि इन मिलों ने किसानों को इनके गन्ने की बकाया राशि की अंशतः अदायगी ही की है; और

(ङ) यदि हाँ, तो प्रत्येक मिल ने कितनी अदायगी की है ?

कृषि और ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) मध्य प्रदेश में चीनी उपक्रम (प्रबन्ध ग्रहण) अधिनियम, 1978 के अधीन किसी भी चीनी मिल को अधिकार में नहीं लिया गया है। तथापि, मध्य प्रदेश के जावरा और महीदपुर रोड में स्थित दो चीनी मिलों के प्रबन्ध को उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 के अधीन अधिकार में लिया गया है।

(ख) महीदपुर रोड और जावरा में स्थित चीनी मिलों के प्रबन्ध को जब अधिकार में लिया गया था, तब इन दो मिलों पर किसानों को देय गन्ने के मूल्य के भुगतान की राशि बकाया थी।

(ग) से (ङ) राज्य सरकार से सूचना एकत्रित की जा रही है और प्राप्त होने पर सभा के पटल पर रख दी जाएगी।

जिन सरकारी कर्मचारियों की पत्नियों, पुत्रों अथवा पुत्रियों के पास अपने मकान हैं उनको सरकारी आवास का आबंटन

6518. **श्री दया राम शाक्य :** क्या **निर्माण और आवास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जिन केन्द्रीय कर्मचारियों के पास अपने मकान हैं अथवा जिनकी अपनी पत्नियों, पुत्रों अथवा पुत्रियों के नाम अपने मकान हैं, उन्हें भी सरकारी क्वार्टर आवंटित किए जाते हैं और यदि हाँ, तो क्या कारण हैं;

(ख) ऐसे केन्द्रीय कर्मचारियों की संख्या कितनी है जो जनवरी से दिसम्बर, 1980 के दौरान सेवा-निवृत हुए हैं और उन्हें आवंटित क्वार्टर उनके पुत्रों/पुत्रियों को आवंटित कर दिए गए हैं; और

(ग) उन केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों की संख्या कितनी है जो 1980 के अन्त में क्वार्टरों की प्रतीक्षा सूची में थे ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी जिनके अपने नाम या उनके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर उनके ड्यूटी के स्थान पर अपने मकान हैं, वे वर्तमान आदेशों के अनुसार सामान्य पूल वास के लिए पात्र हैं।

(ख) एक

(ग) 49,519

डी० डी० ए० द्वारा प्राथमिकता के आधार पर आवंटित किये गये भूखण्ड

6519. **श्री राम लाल राही :** क्या **निर्माण और आवास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे

कि डी० डी० ए० ने नियमों के विरुद्ध प्राथमिकता के आधार पर कितने भूखण्ड तथा मकान आवंटित किये, किस आधार पर किए और तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

भारतीय खाद्य निगम के कर्मचारियों का स्थानान्तरण

6520. **श्रीमती कृष्णा साही :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय खाद्य निगम के कर्मचारियों का एक ही जोन से दूसरे जोन में प्रायः स्थानान्तरण किया जाता रहता है;

(ख) क्या इस नियम के कर्मचारियों के स्थानान्तरण के सम्बन्ध में कोई सुस्पष्ट नीति नहीं अपनाई गई है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का इस सम्बन्ध में कोई सुस्पष्ट नीति निर्धारित करने का विचार है; और

(घ) गत वित्तीय वर्ष के दौरान भारतीय खाद्य निगम के कर्मचारियों के स्थानान्तरण के सम्बन्ध में यात्रा-भत्ते और दैनिक भत्ते के रूप में कितनी धनराशि खर्च हुई है ?

कृषि और ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) जी नहीं।

(ख) निगम ने निगम के कर्मचारियों को स्थानान्तरित करने विषयक एक व्यापक नीति तैयार की थी और उसे जून, 1974 में परिचालित किया था। इस सम्बन्ध में जो अनुभव प्राप्त हुआ था उसको दृष्टि में रखते हुए, इस नीति में समय समय पर कुछेक संशोधन किए गए हैं और स्पष्टीकरण दिए गए हैं। निगम ने स्थानान्तरण नीति विषयक मितव्ययिता संबंधी उपायों के बारे में केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों को भी अपनाया गया है।

(ग) उपर्युक्त भाग (ख) में दिए गए उत्तर की दृष्टि में, प्रश्न ही नहीं उठता।

(घ) वित्तीय वर्ष 1979-80 के दौरान स्थानान्तरण पर यात्रा भत्ते और दैनिक भत्ते पर 35,25,000 रुपये (अनुमानित) खर्च किए गए थे।

संकर बीजों तथा तरीकों से पैदा की गई फसलों के स्तर में गिरावट

6521. **श्री दौलत राम सारण :** क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या संकर नसल के बीजों तथा तरीकों से उत्पादित खाद्य वस्तुओं, फलों और सब्जियों में, पहले की किस्मों की तुलना में स्वाद, सुगन्ध तथा रोग-निरोधक शक्ति की कमी हो गई है;

(ख) क्या फसलों की सुरक्षा के लिए विषैले रसायनों के उपयोग से इन खाद्य वस्तुओं का इस्तेमाल करने वाले लोगों के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है; और

(ग) क्या इस सम्बन्ध में कोई अनुसंधान किया गया है ?

कृषि और ग्रामीण पुनर्निर्माण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) जी नहीं।

(ख) जी नहीं। कृमिनाशी तथा कवकनाशी दवाओं के प्रयोग की सिफारिश करते समय अवशिष्ट विषैले प्रभावों को हमेशा ध्यान में रखा जाता है। कटाई तथा खपत पूर्व की आवश्यक अवधि को ध्यान में रखते हुए छिड़काव के लिए रसायनों की सिफारिश की जाती है। प्रयोग के लिए मार्गदर्शी सिद्धान्त तथा अपनाये जाने वाले सुरक्षात्मक उपायों का उल्लेख इन रसायनों के आद्यानों पर स्पष्ट रूप से किया जाता है।

(ग) जी हाँ। कृमिनाशी अथवा कवकनाशी दवाओं के रूप में प्रयोग किए जाने वाले विभिन्न रसायनों की विषाक्तता के सम्बन्ध में अनुसंधान किया जा रहा है।

प्याज का न्यूनतम निर्यात मूल्य

6522. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही :** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या 'नेफेड' ने पश्चिम एशिया को भेजे जाने वाले प्याज का न्यूनतम निर्यात मूल्य कम कर दिया गया है; और

(ख) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं और निर्धारित मूल्य क्या है ?

कृषि और ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) तथा (ख) जी हाँ। अरब की खाड़ी के बन्दरगाहों (जैद्दा, अदन आदि समेत) को प्याज के निर्यात के प्रयोजन से न्यूनतम निर्यात मूल्य 9-12-80 को वहां के बन्दरगाहों पर लागत-भाड़ा सहित 1925 रु० प्रति मीटरी टन था। इसे 13-2-81 से संशोधित करके बम्बई में पोत पर्यन्त निःशुल्क 1100 रु० प्रति मीटरी टन कर दिया गया, जो स्टीमर द्वारा लागत-भाड़ा सहित लगभग 1700 रु० प्रति मीटरी टन बैठता है। इसका कारण अन्य देशों में प्रतिस्पर्धा का होना तथा प्याज के बढ़े हुए उत्पादन को देखते हुए इसके निर्यात में वृद्धि करना था।

पिछले तीन वर्षों में स्थापित की गई सिंचाई क्षमता

6523- **श्री पी० के० कोडियान :** क्या **सिंचाई मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान सिंचाई की कितनी अतिरिक्त क्षमता स्थापित की गई;

(ख) इसमें से कितनी क्षमता को उपयोग में लाया गया;

(ग) सिंचाई क्षमता का पूर्ण उपयोग न होने के क्या कारण हैं; और

(घ) सिंचाई की स्थापित की गई क्षमता के पूर्ण उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाये गए हैं ?

सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) 1977-78, 1978-79 और 1979-80 के पिछले तीन वर्षों के दौरान बृहद, मध्यम और लघु सिंचाई स्कीमों के जरिए 6.78 मिलियन हेक्टेयर अतिरिक्त सिंचाई क्षमता सृजित की गई है।

(ख) इन तीन वर्षों के दौरान कुल 5.74 मिलियन हेक्टेयर क्षमता का उपयोग किया गया।

(ग) सिंचाई क्षमता का पूर्ण उपयोग न किए जाने के कारण इस प्रकार है :—

1- फील्ड चैनलों का निर्माण, उपलब्ध जल-सुविधाओं के अनुरूप न होना।

2- अपर्याप्त जल-निकास सुविधाएं।

3- भूमि को सिंचित कृषि के लिए पर्याप्त रूप से तैयार न करना।

4- कमान क्षेत्र में चकबन्दी न होना।

5- परियोजना के अन्तर्गत प्रत्याशित फसल पद्धति और जल-अलाउंस का न अपनाया जाना।

6. पर्याप्त कृषि, प्रयोगात्मक और प्रदर्शन फार्मों, प्रशिक्षण और विस्तार सुविधाओं की कमी।

7- आखिरी सिरे के कृषकों की समस्याएं और उपलब्ध सप्लाई का ठीक ढंग से वितरण न होना।

8. अन्तर्निवेश वस्तुओं (इनपुटस) और बुनियादी सुविधाओं की कमी.

(घ) सृजित सिंचाई क्षमता का पूर्ण उपयोग करने के उद्देश्य से 44 कमान क्षेत्र विकास प्राधिकरणों की स्थापना की गई है जिनके अन्तर्गत 71 चुनी हुई परियोजनाएं आती हैं। राज्य सरकारों से कहा जा रहा है कि और अधिक परियोजनाओं के बारे में ऐसे प्राधिकरणों को स्थापना की जाए। सृजित क्षमता के पूर्ण उपयोग को सुनिश्चित करने के अलावा कुछ मौजूदा स्कीमों के आधुनिकीकरण को भी हाथ में लिया जा रहा है। राज्यों सरकारों से कहा जा रहा है कि देश की सभी परियोजनाओं के लिए कमान क्षेत्र पद्धति को अपनाया जाए।

प्राथमिक स्कूलों के एक सैक्शन में छात्रों की संख्या

6524. **श्री तारिक अनवर : क्या शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में नगर पालिका और नगर निगम द्वारा चलाये जा रहे प्राथमिक स्कूलों के एक सैक्शन के लिए बच्चों की अधिकतम निर्धारित संख्या कितनी है;

(ख) बच्चों की संख्या निर्धारित संख्या से बढ़ जाने पर दूसरा सैक्शन खोलने सम्बन्धी नियमों का ब्यौरा क्या है;

(ग) सुल्तानपुरी पुनर्वास बस्ती में स्कूलों में प्रत्येक प्राथमिक सैक्शन में इस समय छात्रों की संख्या कितनी कितनी है और क्या वहाँ बच्चों के लिए पर्याप्त खेल-कूद सुविधाएं उपलब्ध हैं; और

(घ) क्या सरकार यह अनुभव करती है कि एक अध्यापक द्वारा एक समय पर इतने अधिक बच्चों की ओर उचित ध्यान दिया जाना संभव है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री (श्री एस० बी० चव्हाण) : (क) नई दिल्ली नगर पालिका के सम्बन्ध में स्थिति इस प्रकार है :—

सामान्य आकार के एक पक्के कमरे में एक अनुभाग में सामान्यता 40 छात्र, पूर्व-निर्मित कमरों में 35 छात्र, और किसी टेन्ट वाले आवास अथवा 400 वर्ग फीट से कम के तल क्षेत्र के कमरे में 30 छात्र होंगे।

(ख) किसी पक्के भवन में 45,90,135 आदि के दाखिले पर नए अनुभाग खोले जाएंगे। किसी पूर्व-निर्मित आवास में यह संख्या 40,80,120 आदि होगी। किसी टैन्ट वाले आवास अथवा 400 वर्ग फीट से कम तल क्षेत्र वाले कमरे में यह संख्या 35, 70, 105 आदि होगी (शहरी क्षेत्र में पुराने भवनों के मामले में पहले की तरह छूट दी जाएगी)।

(ग) कालोनी नई दिल्ली नगरपालिका के क्षेत्राधिकार में नहीं आती।

(घ) निर्धारित नियमों का पालन किया जा रहा है। दिल्ली नगर निगम ने निम्नलिखित रिपोर्ट दी है :

(क) औसतन एक अनुभाग में 40 छात्र रहेंगे। यदि बच्चों की संख्या 55 से अधिक हो जाती है तो दूसरा अनुभाग खोला जाता है।

(ख) छात्रों की संख्या 55 से अधिक होने पर दूसरा अनुभाग खोलने की परिपाटी का अनुपालन दिल्ली नगर निगम द्वारा इसकी स्थापना से ही किया जा रहा है। इस सम्बन्ध में पालन किए जाने वाले नियमों की एक प्रतिलिपि **विवरण** के रूप में संलग्न है।

(ग) सूचना एकत्र की जा रही है और यथाशीघ्र सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(घ) अध्यापकों की व्यवस्था अनुमोदित नियमों के अनुसार की गई है।

विवरण

दिल्ली नगर निगम द्वारा चलाये जा रहे प्राइमरी स्कूलों में अध्यापकों की व्यवस्था करने के लिए मापदण्ड।

1. दाखिल 40 बच्चों के लिए एक अध्यापक।

2. प्रत्येक 10 अध्यापकों के बाद एक अतिरिक्त अध्यापक।

3. जहाँ बच्चों का दाखिला कम है, वहाँ प्रति कक्षा एक की दर से अध्यापक नहीं दिए जाने चाहिए, किन्तु यदि बच्चों की संख्या 30 से अधिक है तो एक अध्यापक एक ही समय से दो से अधिक कक्षाओं को नहीं पढ़ाएगा।

4. यदि बच्चों की संख्या 55 से अधिक है, तो कक्षा में एक दूसरा अनुभाग खोला जाए।

केन्द्रीय विद्यालय संगठन में पदोन्नति और स्थानान्तरण नीति

6525- **श्री अरविन्द नेताम :** क्या **शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय विद्यालय संगठन द्वारा प्रत्येक राज्य में क्षेत्रवार, कितने विद्यालय चलाये जा रहे हैं;

(ख) स्थानान्तरण, पदोन्नति और अन्य सुविधाओं की व्यवस्था के मामले में प्रत्येक क्षेत्र में अपनाई जा रही नीति क्या है;

(ग) क्या सभी क्षेत्रों में एक रूपता है; और

(घ) यदि नहीं तो इस मामले में एकरूपता लाने के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की जा रही है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री (श्री एस० बी० चह्वाण) : (क) केन्द्रीय विद्यालय संगठन के विभिन्न कार्यालयों के क्षेत्राधिकार में आने वाले केन्द्रीय विद्यालयों की संख्या इस प्रकार है :

क्रम० सं०	केन्द्रीय कार्यालय का नाम	केन्द्रीय विद्यालयों की संख्या
1.	अहमदाबाद	28
2.	भोपाल	24
3.	बम्बई	27
4.	कलकत्ता	27
5.	चंडीगढ़	35
6.	दिल्ली	33
7.	गौहाटी	26
8.	हैदराबाद	30
9.	लखनऊ	33
11.	मद्रास	26
11.	पटना	30
मुख्यालयों द्वारा सीधे नियंत्रित केन्द्रीय विद्यालय		4
	योग	323

इन 323 केन्द्रीय विद्यालयों का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) और (ग) पदोन्नतियों और अन्य सुविधाओं के मामले में सभी क्षेत्र एक समान नीति का पालन करते हैं।

प्रशासन की आवश्यकताओं की शर्त पर स्थानान्तरण के सम्बन्ध में भी एक समान नीति अपनाई जाती है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

राज्य/संघ शासित क्षेत्र का नाम	केन्द्रीय विद्यालयों की संख्या
आन्ध्र प्रदेश	17
असम	17
बिहार	25
गुजरात	15
हरियाणा	11
हिमाचल प्रदेश	3
जम्मू और कश्मीर	11
कर्नाटक	13
केरल	9
मध्य प्रदेश	24
महाराष्ट्र	26
मणिपुर	2
मेघालय	3
नागालैंड	1
उड़ीसा	10
पंजाब	16
राजस्थान	17
सिक्किम	1
तमिलनाडु	16
त्रिपुरा	1
उत्तर प्रदेश	46
पश्चिम बंगाल	16
अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह	1
अरुणाचल प्रदेश	2
चण्डीगढ़	3
दिल्ली	13
गोवा दमन और दीव	1
पांडिचेरी	1
भारत से बाहर	
भूटान	1
नेपाल	1
योग	323

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के छात्रों के लिए राष्ट्रीय प्रतिभा खोज छात्रवृत्तियां

6526. **श्री अनादि चरण दास :** क्या शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय शिक्षा तथा अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद द्वारा वर्ष 1979-80 तथा 1980-81 के दौरान राष्ट्रीय प्रतिभा खोज सम्बन्धी कितनी छात्रवृत्तियाँ दी गई ;

(ख) उपरोक्त अवधि के दौरान इस योजना से अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कितने लोगों को लाभ पहुंचा; और

(ग) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्री (श्री एस० बी० चह्वाण) · (क) से (ग)

छात्रवृत्तियों की संख्या

	कुल	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति
1979-80	500	—	—
1980-81	500	2	—

सूवर्ण रेखा अन्तर्राज्यीय बहुप्रयोजनीय परियोजना, उड़ीसा

6527. **श्री मनमोहन टुडू :** क्या सिंचाई मंत्री यह बताने कृपा करेंगे कि :

(क) क्या छठी पंचवर्षीय योजना अवधि में विभिन्न राज्यों में कुछ प्रमुख सिंचाई परियोजनाओं का निर्माण करने के लिए धन उपलब्ध कराने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हाँ, तो क्या उपरोक्त योजना अवधि में उड़ीसा की सुवर्ण-रेखा अन्तर्राज्यीय बहुप्रयोजनीय परियोजना का निर्माण कार्य आरम्भ करने का प्रस्ताव उनके मन्त्रालय के विचाराधीन है; और

(ग) उपरोक्त प्रस्ताव की क्रियान्विति में अनुमानतः कितना समय लगेगा और उसका ब्यौरा क्या है ?

सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) सिंचाई एक राज्य विषय है और सिंचाई स्कीमों को तैयार और क्रियान्वित करने का काम राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है। वृहद और मध्यम सिंचाई परियोजनाओं के क्रियान्वयन के लिए धन की व्यवस्था सम्बन्धित राज्य सरकार द्वारा अपनी समूची विकास योजनाओं के ढांचे के अन्तर्गत की जाती है। केन्द्रीय सहायता ब्लाक ऋणों/अनुदानों के रूप में दी जाती है जिसका किसी परियोजना या विकास के किसी विशिष्ट क्षेत्र से सम्बन्ध नहीं होता।

(ख) और (ग) ये सवाल पैदा नहीं होते ।

ग्रामीण युवकों को व्यावसायिक प्रशिक्षण देने की योजना

6 28. **श्री सुभाषचन्द्र बोस अल्लूरी** : क्या **ग्रामीण पुनर्निर्माण मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश राज्य के लिए वर्ष 1981 में ग्रामीण युवकों को व्यावसायिक प्रशिक्षण देने के लिए केन्द्रीय योजना के अन्तर्गत कोई योजनाएं बनाई गई हैं; और

(ख) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

कृषि और ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालेश्वर राम) : (क) जी, हाँ ।

(ख) आन्ध्र प्रदेश के 329 विकास खण्डों में से प्रत्येक खण्ड में, गरीब परिवारों के 40 ग्रामीण युवकों को विभिन्न व्यवसायों में प्रशिक्षण दिया जायेगा । प्रशिक्षण देने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने 271 प्रशिक्षण संस्थाओं तथा मास्टर शिल्पियों का चयन किया है । 1980-81 के दौरान 28-2-1981 तक 3447 युवकों को प्रशिक्षण दिया गया था उसमें से 1193 स्वनियोजित हो गए थे । उस तारीख को 7383 युवक प्रशिक्षण पा रहे थे ।

तमिलनाडु में पछायूयार सिंचाई योजना का क्रियान्वित न किया जाना

6529. **श्री के० टी० कोसलराम** : क्या **सिंचाई मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तमिलनाडु में राज्य सरकार द्वारा पछायूयार सिंचाई योजना यद्यपि अनेक वर्ष पूर्व योजना आयोग द्वारा उसकी स्वीकृति प्रदान की गई थी, क्रियान्वित न किए जाने के क्या कारण हैं और भूतपूर्व मुख्य मन्त्री करुणानिधि द्वारा इस प्रयोजन के लिए नींव रखी गयी थी; और

(ग) तमिलनाडु की राज्य सरकार द्वारा इस योजना के लिए योजना में नियत राशि का किस प्रकार उपयोग किया गया था ?

सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) योजना आयोग द्वारा तमिलनाडु की पछियार सिंचाई स्कीम अभी तक अनुमोदित नहीं की गई है । तमिलनाडु सरकार ने सूचित किया है कि उन्होंने परिस्थिति सम्बन्धी कारणों से इस स्कीम को छोड़ दिया है ।

(ख) यह सवाल पैदा नहीं होता ।

विश्व बैंक की सहायता से कावेरी डेल्टा नहर का आधुनिकीकरण

6530- **श्री के० राममूर्ति** : क्या **सिंचाई मंत्री** यह यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र ने विश्व बैंक की सहायता से कावेरी डेल्टा नहर का आधुनिकीकरण करने के लिए प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है ;

(ख) क्या इस प्रस्ताव पर तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल और पाण्डिचेरी के बीच कोई समझौता नहीं हुआ है; और

(ग) यदि हाँ, तो केन्द्र विश्व बैंक की सहायता की इस योजना को कैसे क्रियान्वित करने का प्रस्ताव कर रहा है ?

सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) जी, नहीं।

(ख) कावेरी जल के बंटवारे के बारे में सम्बद्ध राज्य सरकारों के बीच अभी तक कोई अन्तिम करार नहीं हुआ है ।

(ग) यह सवाल पैदा नहीं होता ।

समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम की क्रियान्विति

6531. **श्री एम० रामगोपाल रेड्डी : श्री चिंतामणि पाणिग्रही** : क्या ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के लिए राज्य सरकारों को दी गई राशि बिना खर्च हुए शेष पड़ी है;

(ख) प्रत्येक राज्य को कितनी राशि मंजूर की गई थी; और

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने उक्त कार्यक्रम की क्रियान्विति का कार्य तेज करने के लिए कोई मार्गदर्शी-निदेश जारी किए हैं ?

कृषि और ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री बालेश्वर राम) : (क) जी हाँ।

(ख) 1978-79 तथा 1979-80 के दौरान समन्वित ग्राम विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा संस्वीकृत धनराशि को दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है ।

(ग) जी हाँ।

समन्वित ग्राम विकास कार्यक्रम

1978-79 तथा 1979-80 के दौरान समन्वित ग्राम विकास विकास कार्यक्रम के लिए भारत सरकार द्वारा वंटित कुल धनराशि को दर्शाने वाला विवरण ।

क्रम सं०	राज्य/केन्द्रशासित क्षेत्रों के नाम	भारत सरकार द्वारा वंटित धनराशि 1978-79	1979-80	योग
1.	आन्ध्र प्रदेश	597.55	427.89	1025.44
2.	असम	132.00	79.00	211.00
3.	बिहार	1031.80	560.89	1592.59
4.	गुजरात	236.70	252.49	489.10
5.	हरियाणा	165.45	121.26	286.74

क्रम	राज्य/केन्द्रशासित क्षेत्रों के नाम	भारत सरकार द्वारा वटित धनराशि 1978-79	1979-80	योग
6.	हिमाचल प्रदेश	96.40	73.20	169 60
7.	जम्मू तथा काश्मीर	86.60	45.47	132.07
8.	कर्नाटक	253.20	215.65	471.95
9.	केरल	285.40	195.36	440.76
10.	मध्य प्रदेश	607.05	388.93	995.98
11.	महाराष्ट्र	443.80	355.78	799.58
12.	मणिपुर	36.30	29.70	66.00
13.	मेघालय	33.65	12.70	48.35
14.	नागालैंड	65.00	50.00	115.00
15.	उड़ीसा	343.65	342 10	685.10
16.	पंजाब	253.00	152.77	405.77
17.	राजस्थान	239.70	233.20	472.90
18.	सिक्किम	5.00	7.50	12.50
19.	तमिल नाडु	546 30	479.60	1025.90
20.	त्रिपुरा	35.00	14.55	49.55
21.	उत्तर प्रदेश	1104.15	987.95	1092.10
22.	पश्चिम बंगाल	410.80	249.83	660.63
	केन्द्रशासित क्षेत्र			
23.	अंडमान तथा निकोबार द्वीपसमूह	—	1 30	1.30
24.	अरुणाचल प्रदेश	23.00	10.50	33.50
25.	चण्डीगढ़	2.30	1.56	3.86
26.	दादरा तथा नगर हवेली	—	—	—
27.	दिल्ली	7.50	8.29	15.79
28	गोवा, दमन तथा दिव	17.50	16.87	34.37
29.	लक्षद्वीप	4.60	1.50	6.10
30.	मिजोरम	11.50	9.25	20.75
31.	पांडिचेरी	5.00	5.00	10.00
	अखिल भारत	7045 00	5329.99	12374.99

कन्हर परियोजना का निर्माण कार्य

6533· **श्री राम प्यारे पनिका :** क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्य संबंधित राज्यों के साथ समझौता न होने के कारण मिर्जापुर (उत्तर प्रदेश) में कन्हर परियोजना के निर्माणकार्य में गतिरोध उत्पन्न हो गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धित राज्यों की सहमति लेने के लिए कोई कार्यवाही की है;

(ग) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) परियोजना कब तक पूरी हो जाएगी ?

सिंचाई मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) उत्तर प्रदेश की कन्हर सिंचाई परियोजना को अभी योजना आयोग द्वारा अनुमोदित नहीं किया गया है, क्योंकि मध्य प्रदेश और बिहार में इस परियोजना से जलमग्न होने वाले क्षेत्र के बारे में अभी इन राज्यों को सहमति प्राप्त नहीं हुई है।

(ख) और (ग) उत्तर प्रदेश सरकार ने मध्य प्रदेश और बिहार की सरकारों की सहमति प्राप्त करने के लिए इनके साथ बैठकें की हैं। अगस्त, 1980 में केन्द्रीय जल आयोग में अधिकारियों के स्तर पर भी एक बैठक हुई थी। अब अधिकारियों के स्तर पर एक और बैठक बुलाने का प्रस्ताव है, जिसके बाद केन्द्रीय सिंचाई मंत्री द्वारा मुख्य मंत्रियों के स्तर पर एक बैठक बुलाई जा सकती है।

मौजूद संकेतों के अनुसार इस परियोजना के सातवीं योजना में पूरा होने की संभावना है।

पश्चिम बंगाल में देश में अन्दर और समुद्र मे (मत्स्य ग्रहण उद्योग) मछली पकड़ने की संभावना

6534. **श्री मुकन्द मण्डल :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पश्चिम बंगाल में देश के अन्दर और समुद्र में मछली पकड़ने की संभावना की जानकारी है

(ख) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या उपाय किये गये हैं?

कृषि और ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) जी, हाँ।

(ख) भारत में पश्चिम बंगाल अन्तर्देशीय मछली उत्पादन में सबसे बड़ा राज्य है, जिसमें देश के कुल अन्तर्देशीय मछली उत्पादन का एक-तिहाई भाग का उत्पादन होता है। पश्चिम बंगाल में अन्तर्देशीय मात्स्यकी के 7 लाख हैक्टर और समुद्री तट रेखा के 64 कि०मी में मात्स्यकी के और विकासके लिये अच्छे आसार हैं पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के अपर पूर्वी तट के अनुमानित सम्भावित संसाधन लगभग 7.5 लाख मीटरी टन हैं।

(ग) अन्तर्देशीय मात्स्यकी विकास के लिए पश्चिम बंगाल के 11 जिलों में विश्व बैंक की सहायता से एक अन्तर्देशीय मात्स्यकी परियोजना पहले से ही क्रियान्वित की जा रही है। अन्तर्राष्ट्रीय कृषि विकास निधि और भारत सरकार की सहायता से खारे पानी के अनेक मत्स्य फार्मों का प्रस्ताव है/निर्माणाधीन हैं। समुद्री मात्स्यकी के विकास के लिये, राय चौक में मत्स्यन

पत्तन और नामखाना में घाट का निर्माण कार्य पूरा होने वाला है। समुद्री मात्स्यकी के विकास में सहायता करने के लिये कलकत्ता को आधार मान कर समन्वेषी सर्वेक्षण किये जा रहे हैं।

चीनी का उत्पादन

6535. **श्री बरसिंह मकवाना** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चीनी के उत्पादन में वृद्धि के बावजूद लोगों की कठिनाई दूर नहीं हुई है और इस संदर्भ में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है;

(ख) क्या सरकार को पता है किचीनी मिल मालिक उत्पादन घटाने का प्रयास कर रहे हैं; और

(ग) यदि हाँ, तो इस मामले में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

कृषि और ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) जी नहीं। उपभोक्ताओं की जरूरतों को पूरा करने के लिए प्रत्येक मास लेवी और मुक्त बिक्री की चीनी की पर्याप्त मात्रा में दी जा रही है।

(ख) जी नहीं। सरकार को ऐसी कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

खादी ग्रामोद्योग भवन, नई दिल्ली की मोटर गाड़ी से मार्ग में माल की चोरी

6536. **श्री निहाल सिंह** : क्या ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि खादी ग्रामोद्योग भवन, नई दिल्ली की उस मोटर गाड़ी से 25000 रुपए के मूल्य का सामान चोरी किया पाया गया, जो 19 जून 1979 को जयपुर जा रही थी;

(ख) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह भी सच है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराए जाने के बावजूद खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने अभी तक कोई भी विभागीय कार्यवाही नहीं की है;

(घ) यदि हां तो इस मामले में कार्यवाही कब तक किए जाने की सम्भावना है ?

कृषि और ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालेश्वर राम) : (क) व (ख) खादी तथा ग्रामोद्योग भवन, नई दिल्ली के दो अधिकारी भवन के एक मुद्रक और खादी घर, मिर्जा इस्माइल रोड, जयपुर को सामान पहुंचाने के लिए 13 6.1979 को खादी ग्रामोद्योग भवन के वाहन संख्या डी० एच० जी०-8267 द्वारा जयपुर, बसी तथा दौसा गए थे। जयपुर में वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। दुर्घटना होने के पश्चात वाहन में गए अधिकारियों को 14.6.79 को पता चला कि एक बक्सा जिसमें लगभग 22,806.12 रुपए के मूल्य (जिसमें पैकिंग

की सामग्री का मूल्य भी शामिल है) का सिल्क का सामान तथा दो दरियां थीं, गायब हो गई थी।

(ग) व (घ) जयपुर तथा दौसा के पुलिस थानों में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने के अलावा, कमीशन द्वारा प्रारम्भिक जांच पड़ताल भी की गई थी तथा प्रारम्भिक जांच पड़ताल के निष्कर्षों के आधार पर तीन अधिकारियों के विरुद्ध आरोप लगाए गए थे तथा उन्हें आरोप-पत्र दिए गए थे। इन अधिकारियों से आरोप-पत्र के उत्तरों की प्रतीक्षा की जा रही है। आगामी कार्यवाही आरोप-पत्र के उत्तर प्राप्त होने तथा उनकी जांच करने के पश्चात की जायेगी।

काशी हिन्दू विश्वविद्यालय और जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से पी० एच० डी० की डिग्री प्राप्त किया जाना

6537. **श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : क्या शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार द्वारा चलाये जा रहे विश्वविद्यालयों से पी० एच० डी० की डिग्री प्राप्त करने का शोध कार्य करने वाले छात्रों के लिए विश्वविद्यालय या विश्वविद्यालय परिसर में उपस्थित होना आवश्यक होता है;

(ख) यदि हां तो काशी हिन्दू विश्वविद्यालय और जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय से गत तीन वर्षों में ऐसे कितने छात्रों ने नियमित अध्ययन के आधार पर विभिन्न विषयों में पी० एच० डी० की डिग्रियां प्राप्त की हैं जो विदेशों में काम कर रहे हैं ?

शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्री (श्री एस० बी० चह्वाण) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और यथा समय सभा पटल पर रख दी जाएगी।

रासायनिक उर्वरकों की कमी

6538. **श्री डूमर लाल बैठा : क्या कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत कृषि कार्यों के लिए रासायनिक उर्वरकों की अत्यधिक कमी का सामना कर रहा है;

(ख) क्या यह भी सच है कि देश में स्वदेशी अपशिष्ट सामग्री काफी मात्रा में उपलब्ध है जिसका उर्वरकों के लिए उपयोग किया जा सकता है;

(ग) क्या जानवरों की हड्डियों, जो बिहार में पशुओं की अत्यधिक मृत्यु के कारण बहुतायात में उपलब्ध हैं, रासायनिक उर्वरकों के लिए उत्तम सामग्री मानी जाती हैं; यदि हां, तो क्या सरकार का विचार उन सभी क्षेत्रों में जहां जानवरों की हड्डियां बहुतायात में उपलब्ध हैं, हड्डियों का चूर्ण बनाने वाली मिलें स्थापित करने के प्रस्ताव पर विचार करने का है; और यदि हां, तो इस प्रकार की मिलों को कहां लगाया जायेगा; और

(घ) क्या बिहार में पूर्णिया जिले में बठनाहा में स्थापित बोन क्रशिंग फैक्ट्री अपनी पूर्ण क्षमता के साथ कार्य करती है; और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

कृषि और ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) जी नहीं।

(ख) जी हाँ। स्थानीय रूप से उपलब्ध अपशिष्ट सामग्री को खाद के उद्देश्यों के लिए प्रयोग में लाया जा रहा है।

(ग) जी हाँ। अस्थि चूर्ण के उत्पादन के लिए पशुओं की हड्डियों को उचित तौर पर परिष्कृत किया जाता है, जिसको अम्लीय मृदा में फास्फेटयुक्त उर्वरक के तौर पर प्रयोग किया जा सकता है। अस्थि चूर्ण मिलों की स्थापना का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

(घ) बिहार से प्राप्त सूचना के अनुसार, ऐसा प्रतीत होता है कि बठनाहा में एक निजी फैक्ट्री जुलाई, 1979 से बन्द कर दी गई है, क्योंकि यह अपने उत्पादन को बेच न सकी थी।

पूर्वोत्तर क्षेत्रों में टेलीफोन सेवा

6539. **श्री आर० रेथुआमा :** क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश में आज तक लगाए गए गैर-सरकारी तथा सरकारी टेलीफोनों की संख्या कितनी है;

(ख) इन पूर्वोत्तर क्षेत्रों में टेलीफोन सेवा में सुधार करने और प्रसार करने के लिए कौन सी केन्द्रीय योजनाएं विचाराधीन हैं; और

(ग) क्या मिजोरम में सभी सबडिवीजनल शहरों में टेलीफोन सेवा की व्यवस्था करने की योजना केन्द्र के विचाराधीन है और यदि हाँ, तो उसे कब तक क्रियान्वित किया जायेगा ?

संचार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री कार्तिक उरांव) : (क) राज्यवार चालू कनेक्शन नीचे दिए गए हैं :

राज्य	31.3.1981 को चालू कनेक्शनों की कुल संख्या
मिजोरम	754
मेघालय	3503
त्रिपुरा	2661
मणिपुर	2130
नागालैंड	2248
अरुणाचल प्रदेश	941

(ख) टेलीफोन सेवाओं में सुधार हेतु करचल एक्सचेंजों के स्थान पर स्वचालित एक्सचेंजों के लगाए जाने का विचार करना, वर्तमान एक्सचेंजों का विस्तार करना तथा सूक्ष्मतरंग/यू० एच० एफ०/उपग्रह लिंक की व्यवस्था करने की योजनाओं को संलग्न विवरणों में दिया गया है।

(ग) मिजोरम के 9 उपमण्डल मुख्यालयों में से 5 नगरों में पहले से ही टेलीफोन सेवा उपलब्ध है। शेष चार स्थानों पर छठी योजना अवधि के दौरान टेलीफोन सेवा उपलब्ध कराए जाने की संभावना है।

विववरण 1

उत्तर पूर्व क्षेत्र के मुख्य टेलीफोन एक्सचेजों हेतु निश्चित किए गए विकास कार्यक्रम
(मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा, नागालैंड, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश)

क्र०सं०	एक्सचेंज	विस्तार	चालू होने की उम्मीद	कैफियत
1.	अगरतला	2100 लाइनें	1981-82	करचल एक्सचेंज के स्थान पर नया स्व-चालित एक्सचेंज
		300 लाइनें	1982-83	
2.	इम्फाल	2100 लाइनें	1982-83	वही
3.	जोवाई	200 लाइनें	1982-83	वही
4.	न्यू ईटानगर	400 लाइनें	1982-83	नया एक्सचेंज
5.	एजवाल	200 लाइनें	1981-82	वर्तमान एक्सचेंज का विस्तार
6.	दिमापुर	200 लाइनें	1982-83	वही
7.	धर्मनगर	100 लाइनें	1982-83	वही
8.	शिलांग	1000 लाइनें	1981-82	वही

टिप्पणी : इसके अतिरिक्त छोटे एक्सचेंजों पर मांगों की निरन्तर पुनरीक्षा की जाती है। जब कभी मांगों में वृद्धि होती है, एक्सचेंजों के विस्तार की योजना बनाई जाती है।

विवरण-2

छठी योजना अवधि के दौरान पूर्वोक्त क्षेत्र (मिजोरम, मणिपुर त्रिपुरा, नागालैंड, मेघालय तथा अरुणाचल प्रदेश) में लम्बी दूरी की संचार विकास योजनाएं

क. **माइक्रोवेव**

1. शिलांग-सिल्चर-अगरतला — चौड़ी पट्टी
2. जोरहाट-दिमापुर-कोहिमा-इम्फाल — तंग पट्टी

ख. **यू० एच० एफ०**

1. तुरा-धुब्री-कूचबिहार
2. शिलांग-नांगस्टेन.विलियमनगर
3. शिलांग-जोवाई
4. सिल्चर-एजवाल-लुंगदेह-सैहा
5. कौलाश-खोवाई-अगरतला

6. अगरतला-राधाकिशोरपुर
7. दिमापुर-दिफू
8. कोहिमा झखमा
9. कोहिमा-फेक
10. कोहिमा-वोखा-जुनेभोटे
11. मोकेकचुंग-त्यून तासेंग
12. इम्फाल-तामेंगलांग
13. इम्फाल-कोरोंग
14. इम्फाल-उखरुल
15. इम्फाल-चन्देल
16. इम्फाल-चुरु-चांदपुर
17. बोंब्रिला-तेजपुर
18. उत्तरी लखीमपुर-ईटानगर
19. उत्तरी लखीमपुर-जिरो
20. जोरहाट-सिवसागर-मोन
21. दिब्रूगड़-आलोंग
22. तिनसुकिया-नामरूप
23. तिनसुकिया-खोसा
24. तिनसुकिया-चम्पाखोवा-तेजू
25. चम्पाखोवा-पासीघाट
26. वोखा-मोकोकचुंग
27. दोपोराइज-जिरो
28. आनिनी-पासीघाट
29. सेपा-ईटानगर

ग- उपग्रह संचार हेतु निम्न स्थानों पर भू-केन्द्र

1. एजवाल (पहले से संस्थापित)
2. ईटानगर
3. इम्फाल
4. कोहिमा
5. अगरतला

पुरी में भगवान जगन्नाथ मन्दिर की मरम्मत

6540. **श्री चिन्तामणि जैना** : क्या शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भगवान जगन्नाथ मन्दिर काम्पलैक्स के अधीन पुरी में भगवान जगन्नाथ मन्दिर उड़ीसा के केन्द्रीय संरक्षण के अधीन 66 स्मारकों में से एक है;

(ख) यदि हाँ, तो क्या मार्च, 1981 के प्रथम सप्ताह में भगवान जगन्नाथ के मुख्य मन्दिर में से 12 बड़े पत्थर गिर गये थे; और

(ग) यदि हाँ, तो उसके क्या कारण हैं और केन्द्र सरकार द्वारा इस बारे में क्या कार्रवाई की गई है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री (श्री एस० बी० चव्हाण) : (क) पुरी में जगन्नाथ मन्दिर केन्द्र संरक्षित स्मारक है।

(ख) दरारयुक्त तथा शिथिल पत्थरों के आठ खण्ड गिर गए हैं।

(ग) पलस्तर हटाए जाने पर सामने के पत्थर काफी छिन्न-भिन्न हालत में पाए गए थे इसी क्षतिग्रस्त भाग से आठ प्रस्तर-खण्ड नीचे गिर गए थे। आगे और क्षति न हो, इसके लिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण चिनाई को मजबूत करने के लिए कदम उठा रहा है।

नगरीय भूमि की अधिकतम सीमा अधिनियम में संशोधन

6541. **श्री आर० के० महालगी** : क्या **निर्माण और आवास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने नगरीय भूमि (अधिनियम सीमा और विनियमन) अधिनियम, 1976 में संशोधन करने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हाँ, तो सरकार का विचार विधेयक कब पुनः स्थापित करने का है; और

(ग) संशोधन विधेयक की मुख्य बातें क्या हैं ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्री भीष्म नारायणसिंह) : (क) अभी तक कोई अन्तिम निर्णय नहीं लिया गया है।

(ख) तथा (ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

दहानु, जिला ठाणे में बचत बैंक पास-बुक और लेखन-सामग्री का न मिलना

6542. **श्री आर० के० महालगी** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डाक-घर अधीक्षक, ठाणे (पश्चिम) डिवीजन को भारतीय जनता पार्टी, दहानु (ठाणे जिला) के सचिव से जनवरी, 1981 में बचत बैंक पास बुक न मिलने, टिकटों, अन्तर्देशीय पत्र, पोस्ट कार्ड, लिफाफे आदि की अनुपलब्धता के बारे में शिकायतें मिली हैं; और

(ख) यदि हाँ, तो इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है ?

संचार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री कार्तिक उरांव) : (क) और (ख) जी हाँ। भारतीय जनता पार्टी के सचिव श्री आर० एस० गोखले से 12-1-1981 को एक शिकायत प्राप्त हुई थी जिसमें अन्य बातों के साथ साथ यह शिकायत भी की गई थी कि श्री एम० आर० पाडगावंकर

के नाम खोले गए खाता सं० 2996492 की बचत बैंक पास बुक नहीं मिली है। पास बुक 14-1-81 को जमाकर्ता को सुपुर्द कर दी गई थी।

विभिन्न मदों की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए डाक टिकट तथा डाक लेखन सामग्री का उत्पादन अभी इतना अधिक नहीं है। इसके परिणामस्वरूप कुछ डाकघरों में कुछ मदों की कमी हो जाती है। डाक टिकट और डाक लेखन सामग्री का उत्पादन बढ़ाने तथा उनके वितरण में सुधार लाने के लिए किए गए बहुत से उपाय विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

(1) डाक टिकट और डाक लेखन सामग्री के उत्पादन का सर्वेक्षण करने तथा उनके उत्पादन में वृद्धि करने के उपायों का सुझाव देने के लिए आर्थिक कार्य विभाग वित्त मन्त्रालय, तथा डाकतार विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों की एक अंतर मंत्रालय, समन्वय समिति का गठन किया गया है।

(2) भारत प्रतिभूति मुद्रणालय नासिक में डाक टिकट और लेखन सामग्री का उत्पादन बढ़ाने के लिए मशीन की क्षमता में वृद्धि करने के लिए कदम उठाए गए हैं।

(3) डाक लेखन सामग्री के मदों की सप्लाई में वृद्धि करने के लिए एक दूसरा प्रतिभूति मुद्रणालय हैदराबाद में स्थापित किया जा रहा है।

(4) डाक टिकटों के तेजी से वितरण की व्यवस्था करने के लिए भारत प्रतिभूति मुद्रणालय, रेलवे तथा अन्य प्राधिकारियों से निकट का सम्पर्क स्थापित करने के लिए नासिक में एक सम्पर्क अधिकारी की नियुक्ति की गई है।

(5) उपलब्ध स्टाक के बेहतर वितरण के लिए विभाग राज्य के राजकोषों से भण्डारण एवं वितरण कार्य उत्तरोत्तर अपने हाथ में ले रहा है।

(6) उच्च मूल्य वर्ग के विगत टिकटों की संख्या 50 से बढ़ा कर 70 प्रतिसीट कर दी गई है ताकि उतने ही प्रयास में अधिक टिकट छप सकें।

(7) मशीन के प्रभोक्ताओं को पहले से अधिक सुविधायें जिसमें फ्रैंक-किये गये कुल मूल्य के 1.5 प्रतिशत की छूट भी शामिल है, प्रदान करके प्रेंकिग मशीन के प्रयोग को प्रोत्साहन दिया जा रहा है।

(8) जनता की मांग को पूरा करने के लिए आवश्यकता पड़ने पर डाक महाध्यक्षों द्वारा सादे अन्तर्देशीय पत्र कार्ड तथा लिफाफों के उत्पादन का सहारा लिया जाता है।

(9) अनैतिक कार्यों को रोकने के लिए, दूरवर्ती, पहाड़ी तथा पिछड़े क्षेत्रों को छोड़कर, लाइसेंस शुदा विक्रेताओं के माध्यम से डाक टिकटों की बिक्री अस्थाई रूप से रोक दी गई है।

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसन्धान प्रशिक्षण परिषद द्वारा रिसर्च एसोसिएटों की भर्ती

6543. **श्री रामावतार शास्त्री :** क्या **शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद में कितने वर्तमान स्नातकोत्तर अध्यापकों की रिसर्च एसोसिएटों के रूप में भर्ती की गई है;

(ख) कितने वर्तमान स्नातकोत्तर अध्यापकों को रिसर्च एसोसिएट के पद पर नियुक्त नहीं किया गया है; और

(ग) उपरोक्त भाग (ख) में उल्लिखित व्यक्तियों को रिसर्च एसोसिएट के पद पर नियुक्त करने के क्या अवसर हैं ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री (श्री एस० बी० चह्वाण) : (क) राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद के सभी 36 स्नातकोत्तर अध्यापकों को रिसर्च एसोशिएटों के रूप में पुनः नामित किया गया है। रिसर्च एसोसिएटों की योजना क्षेत्रीय शिक्षा कालेजों को लागू नहीं होती है।

(ख) रिसर्च एसोशियेटों की योजना के अन्तर्गत ऐसा कोई स्नातकोत्तर अध्यापक नहीं है जिसे राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद में रिसर्च एसोशियेट के रूप में नहीं लिया गया हो।

(ग) प्रश्न नहीं उठता

राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान के स्नातकोत्तर अध्यापकों के पदों को क्षेत्रीय सलाहकारों के पदों में बदलना

6544. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या **शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद नई दिल्ली के अधीन कार्य कर रहे राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान दिल्ली में कार्यरत स्नातकोत्तर अध्यापकों के पदों को क्षेत्रीय सलाहकार के पद में बदलने का निर्णय किया गया था;

(ख) यदि हाँ, तो क्या उक्त निर्णय को बाद में बदल दिया गया गया था; और

(ग) यदि हाँ, तो उसके क्या कारण हैं ?

शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्री (श्री एस० बी० चह्वाण) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

बांस नलकूप प्रौद्योगिकी

6545. **श्री एस० एम० कृष्ण** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बांस नलकूप प्रौद्योगिकी के मामले, जिसे अत्यधिक विशिष्ट परिस्थितियों में अपनाया जा सकता है और जिसमें अनुसंधान और विकास की काफी सम्भावना है, से कोई सबक सीखा है;

(ख) यदि हाँ, तो क्या;

(ग) देश में बांस नलकूप प्रौद्योगिकी तथा सम्बन्धित सुधारों का कहां तक विकास किया गया है और देश में अजमाया गया है; और

(घ) बांस नलकूप की आर्थिक सक्षमता के अध्ययन के क्या परिणाम निकले ?

कृषि और ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) बांस के नलकूप की अनुकूलनीयता पर अनुसंधान, पंजाब कृषि विश्वविद्यालय, लुधियाना, गोविन्द बल्लभपन्त कृषि तथा प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, पन्तनगर; जवाहर लाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर; तथा पूण्डी (तमिलनाडु) स्थित भारतीय द्रवचालित तथा जल-विज्ञान संस्थान के क्षेत्रीय केन्द्रों में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अन्तर्गत भूमि के पानी का अनुकूलतम उपयोग पर अखिल भारतीय समन्वित प्रायोजना के अन्तर्गत प्रगति पर है।

(ख) उपलब्धियाँ निम्न प्रकार हैं :—

(1) बांस नलकूप की परचटों पर लपेटने वाली सामग्री के रूप में नारियल जटा की रस्सी के स्थान पर नायलान रस्सी को तरहीज देकर अपनाना;

(2) बांस नलकूपों को लगाने के लिए बोरिंग करने हेतु सुराख बनाने की सरल प्रक्रिया।

(3) बांस की परचटों की आयु बढ़ाने हेतु, बांस के ढांचे पर लोहे के छल्लों को एलमिनियम पेन्ट तथा ब्लैक वाटर टैंक पेन्ट का कोट करना।

(ग) उपरोक्त केन्द्रों में प्रौद्योगिकी तथा सहायक सुधारों का कार्य अभी तक प्रगति कर रहा है।

(घ) यह पाया गया है कि बाजार में उपलब्ध परचटों में से बांस के नलकूप की परचटें न्यूनतम खर्चे वाली हैं। तथापि, इसका प्रयोग आवश्यक रूप से डेल्टा वाले क्षेत्र के लिए सीमित है।

टेलीफोन वास्तविक प्रयोक्ताओं को अन्तरित करने की योजना

6546. **श्री आर० के० भोले :** क्या **संचार मंत्री** यह बताने कि कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि टेलीफोनों के वास्तविक प्रयोक्ताओं द्वारा कुछ शर्तें पूरी किए जाने और अन्तरण फीस की अदायगी पर टेलीफोनों के अन्तरण की योजना जनता शासन के दौरान बदल दी गई थी;

(ख) क्या सरकार को ऐसे अभ्यावेदन मिले हैं कि इसके कारण सरकार को न केवल राजस्व की हानि हो रही है अपितु भ्रष्ट तरीके और टेलीफोन प्रयोक्ताओं की दिक्कतें बढ़ रही हैं;

(ग) यदि हाँ, तो क्या सरकार का विचार इस योजना को पुनः चालू करने का है; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कार्तिक उरांव) : (क) जी नहीं । टेलीफोन का अंतरण करने की अनुमति कुछ शर्तों के अधीन 100/- रुपया अंतरण शुल्क का भुगतान करने पर दी जाती है। परन्तु तीसरी पार्टी को अंतरित करने पर 1.6 1977 से रोक लगा दी गई है ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(घ) तीसरी पार्टी को अंतरित करने की नीति के परिणामस्वरूप दुराचार की घटना होने लगी थी।

आई० आई० टी० में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों का दाखिला

6547. **श्री आर० आर० भोले** : क्या **शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि संयुक्त प्रवेश परीक्षा के माध्यम से दाखिलों के अतिरिक्त 50 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त करने वाले अनुसूचित जातियों के उम्मीदवारों को वर्ष 1978-79 तक आई० आई० टी में सीधे दाखिला दिया जाता है;

(ख) क्या अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों को सीधे दाखिला देने की इस प्रक्रिया को वर्ष 1979-80 से बन्द कर दिया गया है और अब केवल संयुक्त प्रवेश परीक्षा के माध्यम से ही उन्हें दाखिल किया जाता है जिसके परिणामस्वरूप दाखिले के मामले में ऐसे उम्मीदवारों की संख्या काफी कम हो गई है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार पहले वाली प्रक्रिया पुनः बहाल करने का है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्री (श्री एस० बी० चह्वाण) : (क) जी, हां ।

(ख) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन-जातियों के उम्मीदवारों के सीधे दाखिले की परिपाटी को वर्ष 1978-79 से बंद कर दिया गया है । इससे ऐसे उम्मीदवारों के दाखिले में स्वाभाविक रूप से गिरावट आई है ।

(ग) जी, नहीं ।

(घ) विभिन्न शैक्षिक रियायतों और सहायता के बावजूद भी सीधे दाखिल किए गये अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के छात्र पाठ्यक्रम के काम को पूरा करने में असमर्थ पाए गए ।

कर्नाटक में भूमि सुधारों के लिये केन्द्रीय सहायता हेतु अनुरोध

6548. **श्री जनार्दन पुजारी** : क्या ग्रामीण पुनर्निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कर्नाटक में भुमि सुधार योजनाओं के लिए 1981-82 के दौरान केन्द्रीय सरकार का कितनी राशि देने का विचार है;

(ख) क्या कर्नाटक राज्य सरकार ने इस प्रयोजन के लिए 1981-82 के दौरान अधिक वित्तीय सहायता के लिए कोई प्रस्ताव भेजा है; और

(ग) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

कृषि और ग्रामीण पुनर्निर्माण मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालेश्वर राम) : (क) अधिकतम सीमा से फालतू भूमि के भूमि धारकों के लिए वित्तीय सहायता की केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना कार्यान्वित करने हेतु राज्यों को इस समय केन्द्रीय सहायता दी जाती है। यह योजना 1975-76 से चल रही है। चालू वर्ष में प्रत्येक राज्य के लिए आवंटन, बजट पारित होने के पश्चात आंका जाएगा।

(ग) जी, अभी तक नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

जिला मुख्यालयों को एस० टी० डी० प्रणाली से कर्नाटक राज्य की राजधानी से जोड़ा जाना

6549. **श्री जनार्दन पुजारी** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सभी जिला मुख्यालयों को एस० टी० डी० प्रणाली से जिला राजधानी से जोड़ने के लिए कोई योजना तैयार की है; और

(ख) यदि हाँ, तो उन जिला मुख्यालयों के नाम क्या हैं जिन्हें एस० टी० डी० प्रणाली से वर्ष 1981-82 में कर्नाटक राज्य की राजधानी से जोड़े जाने की सम्भावना है ?

सचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कार्तिक उरांव) : (क) जी हाँ।

(ख) कर्नाटक के चित्रदुर्ग जिला मुख्यालय को बंगलौर के साथ एस० टी० डी० प्रणाल द्वारा 1981-82 के दौरान जोड़े जाने की उम्मीद है।

बाढ़ के कारण हुई हानि का अनुमान लगाने के लिए केन्द्रीय दल

6550. **श्री चिरंजी लाल शर्मा** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हरियाणा सरकार ने केन्द्र से ऐसे केन्द्रीय दल भेजने के लिये अनुरोध किया है जो राज्य में बाढ़ के कारण हुई हानि का अनुमान लगायें; और

(ख) यदि हाँ, तो उस पर सरकार ने क्या निर्णय लिया है ?

कृषि और ग्रामीण पुनर्निर्माण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) जी, हाँ।

(ख) हरियाणा सरकार के अनुरोध पर एक केन्द्रीय दल ने 12 से 15 तक और पुन: 19 अगस्त, 1980 को बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का दौरा किया था। केन्द्रीय दल की रिपोर्ट और राहत सम्बन्धी उच्च स्तरीय समिति की सिफारिशों के आधार पर भारत सरकार ने 1980-81 के दौरान केन्द्रीय सहायता के रूप में राहत, पुनर्वास और सार्वजनिक निर्माण कार्यों की मरम्मत और उनके पुनर्स्थापन की निम्नलिखित मदों के लिए 524.26 लाख रुपए के व्यय की अधिकतम सीमा की स्वीकृति दी है :

	(लाख रुपये)
क. राहत	
(1) वेक्सीन सहित औषधियों की खरीद	20.00
(2) पेयजल के शुद्धिकरण के लिये ब्लीचिंग पाऊंडर की खरीद	3.00
(3) गोपशु, पशु, कुक्कुट एककों आदि को व्यापक स्तर पर टीके लगाना तथा पशु चिकित्सा सहायता प्रदान करना	20.00
कुल	43.00
ख. पुनर्वास	
(1) बाढ़ से पूर्णतः क्षतिग्रस्त मकानों की मरम्मत और उनके पुनर्निर्माण के लिये 200/- रुपये प्रति मकान की दर से राजसहायता और आंशिक रूप से क्षतिग्रत मकानों के लिए 100/- रुपये प्रति मकान की दर से राजसहायता	4.46
(2) बाढ़ वाले खेतों से पानी की निकासी	150.00
(3) धान की पौध के परिवहन तथा तोरिया के बीजों की सप्लाई पर राजसहायता	1.05
(4) निम्नांकितों के लिए छोटे और सीमांत कृषकों को क्रमशः 25 प्रतिशत तथा 33⅓ प्रतिशत की दर से राजसहायता देना :	
(क) गेहूं के लिए प्रमाणीकृत बीजों की सप्लाई	
(ख) अन्य रबी फसलों के प्रमाणीकृत बीजों की सप्लाई	40 00
(ग) उर्वरक	25.00
(5) भूमि से रेत हटाने के लिए लागत पर 50 प्रतिशत की दर से राजसहायता	3.75
(6) बाढ़ से क्षतिग्रस्त नलकूपों और पम्पसेटों की मरम्मत के लिए केवल छोटे किसानों को राजसहायता	5.00
कुल (ख)	229.26

	(लाख रुपये)
ग. बाढ़ से क्षतिग्रस्त सार्वजनिक सम्पत्ति की मरम्मत/पुनर्स्थापन	
(1) सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण सम्बन्धी निर्माण कार्य :	
(क) पुस्ते	15.00
(ख) गांव की आबादी की दूसरी ओर पुस्तों पर दीवार आदि खड़ी करना तथा पत्थर लगाना	30.00
(ग) "रिंग बांधों" तथा कट आफ बांधों की व्यवस्था करना	50.00
(घ) सतलुज-यमुना को जोड़ने वाली नहरों के क्षतिग्रस्त भागों और अन्य नहर प्रणालियों को ठीक करना तथा नहरों की सतहों से कीचड़ हटाना	55 00
(2) सड़कों को चालू करना तथा सड़कों की मरम्मत करना	50.00
(3) सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यवस्था	20.00
(4) ग्रामीण क्षेत्रों में विद्यालय के भवन	20.00
(5) मत्स्य तालाब	2 00
(6) हरियाणा राज्य बिजली बोर्ड की सम्पत्ति	10.00
योग (ग)	252.00
(क+ख+ग) का कुल योग	524.26

हरियाणा में ग्रामीण उद्योगों का विकास

6551. **श्री चिरंजी लाल शर्मा :** क्या ग्रामीण पुनर्निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार की हरियाणा में ग्रामीण उद्योगों के विकास करने की कोई योजना है; और

(ख) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

कृषि और ग्रामीण पुनर्निर्माण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री बालेश्वर राम) : (क) जी हां।

(ख) हरियाणा में ग्रामीण उद्योगों के विकास के लिए निम्नलिखित योजनाएं चल रही हैं :

(1) **समन्वित ग्राम विकास कार्यक्रम का उद्योग घटक** : यह योजना केन्द्र सरकार द्वारा शुरू की गई है। वर्तमान प्रतिमान के अनुसार प्रत्येक विकास खण्ड में सहायता हेतु प्रति वर्ष गरीबी की रेखा से नीचे के लोगों के लक्षित परिवारों से संबंधित 100 परिवारों का चयन किया जा रहा है। इन्हें कच्चे माल तथा विपणन के लिए प्रशिक्षण, ऋण, उपदान तथा सहायता दी जाती है। 31 अगस्त, 1980 तक लाभान्वित परिवारों की संख्या 2685 थी।

(2) **ग्रामीण युवकों के स्वरोजगार हेतु प्रशिक्षण** : ग्रामीण युवकों को व्यावसायिक

प्रशिक्षण देने हेतु केन्द्र सरकार द्वारा शुरू की गई यह एक अन्य योजना है ताकि उन्हें स्वरोजगार प्राप्त करने योग्य बनाया जा सके। प्रत्येक खण्ड में चयन के लिए लक्षित वर्ग के परिवारों में से 18 से 35 वर्ष की आयु के बीच के 40 युवकों को लिया जाता है। फरवरी, 1981 तक प्रशिक्षित युवकों की संख्या 5628 थी। इनमें से 2260 व्यक्तियों की अगस्त, 1980 तक स्वनियोजित होने की सूचना प्राप्त हुई थी।

(3) लघु, कुटीर तथा ग्रामीण उद्योगों के प्रोत्साहन हेतु एक केन्द्र बिन्दु निर्धारित करने तथा विकेन्द्रीकृत औद्योगिक क्षेत्र को एक ही स्थान पर समस्त सेवाएं तथा सहायता सुलभ करने हेतु जिला उद्योग केन्द्र कार्यक्रम शुरू किया गया था।

अप्रैल, 1980 से जनवरी, 1981 तक की अवधि के दौरान हरियाणा के सभी जिलों में 4598 एककों की स्थापना की गई थी जिनमें 14,022 व्यक्तियों को अतिरिक्त रोजगार सुलभ किया गया था।

(4) भारत सरकार ने ग्रामीण कारीगर कार्यक्रम का गठन भी किया है जो अब जिला उद्योग केन्द्र कार्यक्रम का एक भाग है। कार्यक्रम के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में कारीगरों के लिये प्रशिक्षण देने की परिकल्पना की गई है और औजारों तथा संयंत्र और उपकरण हेतु उपदान की व्यवस्था की गई है।

हरियाणा में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत किया गया कार्य

6552. **श्री चिरंजी लाल शर्मा :** क्या ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 'काम के बदले अनाज' कार्यक्रम के अन्तर्गत इस कार्यक्रम को आरम्भ किए जाने के बाद से हरियाणा सरकार द्वारा कितने कार्य किये गए; और

(ख) अब तक किये गये कार्यों का ब्यौरा क्या है?

कृषि और ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री बालेश्वर राम) : (क) व (ख) अभी तक प्राप्त रिपोर्टों के आधार पर हरियाणा में किए गए कार्य के बारे में एक विस्तृत विवरण संलग्न है।

विवरण

हरियाणा में काम के बदले अनाज (राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत किए गए कार्य को दर्शाने वाला विवरण)

मदें	1977-78 से 1980-81 (सितम्बर, 1980 तक) के वर्षों के दौरान सृजित भौतिक परि-सम्पत्तियाँ
1. भू-संरक्षण के अन्तर्गत लाया गया क्षेत्र (हैक्टेयर)	5322
2. वृहद लघु सिंचाई कार्यों के माध्यम से सिंचाई के अन्तर्गत लाया गया क्षेत्र (हैक्टेयर)	2563
3. बाढ़ बचाव द्वारा खेती योग्य बनाया गया क्षेत्र (हैक्टेयर)	25546
4. निर्मित विद्यालय भवन (संख्या)	841
5. निर्मित पंचायत घर/सामुदायिक भवन (संख्या)	475
6. रख-रखाव किये गये/सुधारे गये सड़क कार्य (कि० मी०)	774
7. निर्माण की गई नई सड़कें (कि० मी०)	5051
8. सिंचित कमाण्ड क्षेत्र में माध्यमिक मुख्य नालियों, खेत कीं नालियों का निर्माण तथा भूमि समतलीकरण आदि।	253
9. अन्य निर्माण कार्य	7456

हरियाणा में केन्द्रीय सरकार द्वारा वित्तपोषित उठाऊ सिंचाई परियोजनाएं

6553. **श्री चिरंजी लाल शर्मा :** क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत सरकार ने हरियाणा में कितनी उठाऊ सिंचाई परियोजनाओं का वित्तपोषण किया है;

(ख) परियोजनाओं के नाम क्या हैं;

(ग) इन परियोजनाओं के लिये कितनी धनराशि आवंटित की गई है; और

(घ) कार्य तथा लक्ष्य की उपलब्धियों का ब्योरा क्या है ?

सिंचाई मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) भारत सरकार द्वारा हरियाणा में किसी लिफ्ट सिंचाई परियोजना का वित्त-पोषण नहीं किया जा रहा।

(ख) से (घ) ये सवाल पैदा नहीं होते।

अलाउद्दी बांध का निर्माण कार्य

6554. **श्री जेड० एम० काहनडोल :** क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि महाराष्ट्र के नासिक तालुका में अलाउदी बांध का निर्माण कार्य धन के अभाव के कारण धीमा चल रहा है यद्यपि यह परि-योजना आदिवासी क्षेत्र में है और इससे अनुसूचित जनजातियों के कृषकों को लाभ पहुँचने वाला है; और

(ख) यदि हाँ, तो क्या निर्माण कार्य शीघ्र पूरा करने और आदिवासियों को शीघ्र लाभ पहुंचाने के लिए भारत सरकार की महाराष्ट्र सरकार की सहायता करने की कोई योज-नायें हैं ?

सिंचाई मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) सिंचाई परि-योजनाओं के निर्माण और वित्त-पोषण का उत्तरदायित्व राज्य सरकारों का है। भारत सरकार को इस बात की जानकारी नहीं है कि महाराष्ट्र के अलंदी बांध के निर्माण-कार्य के लिए पर्याप्त धनराशि उपलब्ध नहीं है।

(ख) यह सवाल पैदा नहीं होता।

घुमारविन और विलासपुर के बीच रेडियो टेलीफोन सम्पर्क

6555. **प्रो० नारायण चन्द्र पराशर** : क्या **संचार मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिमाचल प्रदेश के घुमारविन और बिलासपुर के बीच दूरसंचार सुविधाओं में व्यवधान को देखते हुए, इन दो स्थानों के बीच पी० एस० ई० बी० की अत्यधिक पारेषण वाली लाइनों को समानान्तर पावर द्वारा रेडियो टेलीफोन संपर्क से जोड़ने का निर्णय किया गया है; और

(ख) यदि हाँ, तो इस निर्णय को किस संभावित तिथि तक क्रियान्वित किये जाने की सम्भावना है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री कार्तिक उरांव) : (क) जी नहीं। फिर भी, घुमारविन और विलासपुर के बीच वर्ष 81-82 के दौरान संस्थापन हेतु वायरलेस तार प्रणाली की मंजूरी दी गई है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

ग्रामीण सड़कों के लिए केन्द्रीय सहायता

6556. **प्रो० नारायण चन्द पराशर** : क्या **ग्रामीण पुनर्निर्माण मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ग्रामीण सड़कों का व्यवस्था करने के लिए राज्यों को अनुदानों के रूप में वित्तीय सहायता देती है;

(ख) यदि हां, तो इस प्रयोजन के लिए गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक राज्य और संघ राज्य क्षेत्र को कितनी राशि दी गई; और

(ग) छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान इन मदों के लिए, राज्यवार, कितना प्रावधान किया गया है ?

कृषि और ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालेश्वर राम) : (क) जी नहीं। ऐसी कोई केन्द्रीय क्षेत्र योजना नहीं है जिसमें ग्रामीण सड़कों के लिए राज्यों को अनुदानों के रूप में सहायता की परिल्कपना की गई है। ग्रामीण सड़क कार्यक्रम जो न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम का भाग है, राज्य क्षेत्र में आता है तथा इसके लिए प्रावधान राज्यों तथा केन्द्र शासित क्षेत्रों की योजनाओं में किया जाता है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

पीने का पानी उपलब्ध कराने के लिए राज्यों को अनुदान

6557. **प्रो० नारायण चन्द पराशर** : क्या **निर्माण और आवास मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका मन्त्रालय पीने का पानी उपलब्ध कराने के लिए राज्यों को अनुदान के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करता है; और

(ख) यदि हां, तो वित्तीय वर्ष 1980-81 सहित गत तीन वर्षों के दौरान इस प्रयोजन के लिए राज्यों को तथा संघ राज्य क्षेत्रों को पृथक-पृथक रूप से कितनी-कितनी धनराशि दी गई ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) केन्द्र द्वारा प्रवर्तित त्वरित ग्रामीण जल पूर्ति कार्यक्रम के अन्तर्गत पता लगाए गए समस्याग्रस्त ग्रामों को लाभ पहुंचाने के लिए राज्यों को वित्तीय सहायता अनुदान के रूप में दी जाती है।

(ख) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

केन्द्र द्वारा प्रवर्तित ग्रामीण जलपूर्ति कार्यक्रम।

(1) 1978-79(2)1979-80 तथा (3)1980-81 में राज्यों/संघ राज्यों को दिया गया धन।

(रुपये लाख में)

क्रम सं०	राज्य/संघ राज्य	1978-79	1979-80	1980-81
1.	आन्ध्र प्रदेश	351.00	215.60	436.23
2.	असम	149.57	323.15	427.11
3.	बिहार	504.20	680·45	503.36
4.	गुजरात	260.85	127.80	358.50
5.	हरियाणा	200.79	260 19	357 09
6.	हिमाचल प्रदेश	425.12	392.86	561.77
7.	जम्मू तथा काश्मीर	200.00	182.05	314.75
8.	कर्नाटक	107.70	69.00	248.81
9.	केरल	278 00	282.35	330.08

क्रम संख्या	राज्य/संघ राज्य	1978-79	1979-80	1980-81
10.	मध्य प्रदेश	290.00	357.15	690 00
11.	महाराष्ट्र	403.97	378.30	664.00
12.	मणिपुर	53.57	53.55	106.03
13.	मेघालय	103.77	111 60	149.00
14.	नागालैंड	97.00	139.57	150.00
15.	उड़ीसा	218.00	209 00	307.00
16.	पंजाब	174.90	68.40	128.95
17.	राजस्थान	353.27	205.00	559.10
18.	सिक्किम	43.13	26.00	19.50
19.	तमिल नाडु	408.00	219.37	506.00
20.	त्रिपुरा	113.50	97.15	112.44
21.	उत्तर प्रदेश	617 50	709.55	951.95
22.	पश्चिम बंगाल	535.01	672.72	443.50
23.	अरुणाचल प्रदेश	32.00	46.20	35.00
24.	गोवा, दमन तथा दीव	9.50	11.95	11.46
25.	मिजोरम	18.50	19.05	26.25
26.	पांडिचेरी	17.00	12.00	7.00
27.	अंडमान तथा निकोबार द्वीपसमूह	18.50	15.50	6.00
28.	दिल्ली	14.10	13.10	13.50
	योग	5998.46	5898.61	8424.38

टिप्पणी : इन आंकड़ों में, विभिन्न राज्यों के प्रवोधन तथा अन्वेषण कक्षों की विधियाँ शामिल हैं। (1978-79 में 97.02 लाख रुपये, 1979-80 में 78.31 लाख रुपये तथा 1980-81 में 33.05 लाख रुपये)

2. 1980-81 में लगभग 15 करोड़ रुपये का एक अतिरिक्त व्यय लागत तथा सूखाग्रस्त राज्यों के लिए प्राप्त ड्रिलिंग रिगों से सम्बन्धित व्यय पर किया गया था।

बाण सागर परियोजना का पूरा किया जाना

6558. **श्री मार्तण्ड सिंह** : क्या **सिंचाई मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि बाण सागर परियोजना, जो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बड़े क्षेत्रों की सिंचाई आवश्यकताएं पूरी करने के लिए हैं, कब तक पूरी हो जाने की सम्भावना है ?

सिंचाई मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : बाण सागर बांध को 'क्रेस्ट' स्तर पर जून, 1985 तक पूरा करने का कार्यक्रम है।

मध्य प्रदेश सरकार को आशा है कि वह अपने क्षेत्र में नहर प्रणाली का निर्माण-कार्य मार्च, 1989 तक पूरा कर लेगी।

उत्तर प्रदेश में नहर प्रणाली का निर्माण-कार्य मार्च, 1990 तक पूरा होने की सम्भावना है।

अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में वायरलैस स्टेशन :

6559. **श्री मनोरंजन भक्त :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह संघ राज्य क्षेत्र में कितने नागरिक वायरलैस स्टेशन चल रहे हैं और स्टेशनवार कब से चल रहे हैं ;

(ख) क्या यह सच है कि नागरिक वायरलैस स्टेशन, विशेषकर मायाबंदर में, अधिकतर खराब पड़े रहते हैं ;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं, और

(घ) मायाबंदर स्थित नागरिक वायरलैस स्टेशन द्वारा गत तीन वर्षों, से कितने तार प्राप्त किये गये और उनमें से कितने तार द्वारा और कितने डाक द्वारा भेजे गये ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कार्तिक उरांव) : (क) संघ शासित क्षेत्र अण्डमान निकोबार द्वीप समूह में पाँच डाक तार वायरलैस स्टेशन प्रत्येक के समक्ष दिखाई गई तारीख से कार्य कर रहे हैं।

(1) पोर्ट बलेयर	1947 से पहले
(2) कार-निकोबार	दिसम्बर, 1969
(3) कैंपबैल खाड़ी	फरवरी, 1972
(4) माया बन्दर	मार्च, 1972
(9) रनगाट	मार्च, 1977

(ख) **और** (ग) : जी नहीं। फिर भी मायाबन्दर सहित वायरलेस स्टेशन कभी कभी निष्क्रिय रहे हैं, इसके मुख्य कारण इस प्रकार हैं :

(1) व्यापारिक विद्युत सप्लाई में खराबी।

(2) अतिरिक्त इंजन आल्टरनेटरों के लिए डीजल की सप्लाई में कमी।

(3) अंशतः द्वीपों के बीच अपर्याप्त परिवहन सुविधाओं के कारण दोषों को दूर करने में यदा-कदा विलंब और कठिनाई।

(घ) 1977-78 से मायाबन्दर वायरलेस स्टेशन द्वारा प्राप्त तारों, भेजे गए तारों और डाक द्वारा भेजे गए तारों का विवरण निम्नानुसार हैं:-

क्रम सं०	वर्ष	प्राप्त संदेश	तार द्वारा भेजे गए	डाक द्वारा भेजे गये
1.	1977-78	2324	2098	226
2.	1978-79	2802	1759	1043
3.	1979-80	2256	1282	974
4.	1980-81 (फरवरी, 1981 तक	1692	763	929

एन० एम० आर० मजदूरों को अंडमान की नियमित सेवा में सम्मिलित किया जाना

6560 **श्री मनोरंजन भक्त** : क्या **निर्माण और आवास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि लोक निमाणि विभाग के अधीन अंडमान और निकोबार द्वीप समूह संघ राज्य क्षेत्र में जो एन० एम० आर० मजदूर पांच वर्षों से अधिक अवधि तक काम कर चुके हैं उन्हें नियमित सेवा में सम्मिलित कर लिया गया है ;

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : सरकार ने इस मामले में कोई जांच नहीं की है।

अन्डमान द्वीपों में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत योजना

6561. **श्री मनोरंजन भक्त** : क्या **ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अन्डमान तथा निकोबार द्वीप समूह संघ राज्य क्षेत्र में 10 मार्च, 1981 तक राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत गांव-वार, कितनी योजनाएं बनाई गई हैं ;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार को अंदमान तथा निकोबार द्वीप समूह संघ राज्य क्षेत्र से दिसम्बर, 1981 तक काम के बदले अनाज योजना के अन्तर्गत वितरित किये गये चावल का पूरा लेखा प्राप्त हो गया है और यदि नहीं, तो इस बारे में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ; और

(ग) क्या काम के बदले अनाज योजना के अन्तर्गत काम करने वाले व्यक्तियों को पूरा भुगतान किया जाता है, यदि हां, तो गत भुगतान कब किया गया था और किये गये काम और अदा की गई मजूरी के बीच कितना अन्तर था।

कृषि और ग्रामीण पुनर्निर्माण मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालेश्वर राम) : (क) प्रत्येक राज्य/केन्द्र शासित क्षेत्र में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत तैयार की गई/कार्यान्वित की गई योजनाओं की संख्या के बारे में सूचना एकत्र नहीं की जा रही है। वस्तुतः इस सूचना को एकत्र करने के लिए किए जाने वाले प्रयासों का उन परिणामों से मेल नहीं खाता जिनकी प्राप्त होने की सम्भावना है।

(ख) अण्डमान तथा निकोबार द्वीप समूह से अभी तक केवल अक्तूबर, 1980 तक की रिपोर्ट प्राप्त हुई है। इन रिपोर्टों से पता चलता है कि उपयोग में लाई गई चावल की मात्रा कार्यक्रम के अन्तर्गत बंटित चावल की मात्रा से अधिक है।

(ग) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जायेगी।

रासायनिक खाद और गोबर की खाद का प्रयोग :

6562: **श्री टी० आर० शमन्ना** : क्या **कृषि मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश रासायनिक खाद के मामले में आत्म-निर्भर है, और

(ख) रासायनिक खाद की अत्याधिक लागत को ध्यान में रखते हुए क्या सरकार ने

हमारे कृषकों को स्थानीय रुप से उपलब्ध गोबर की खाद संयंत्र (हरी) खाद ग्रादि का प्रयोग करने के लिये सहायता ग्रौर प्रोत्साहन देने हेतु कार्यवाही की है ?

कृषि ग्रौर ग्रामीण पुर्नानर्माण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ग्रार. वी. स्वामीनाथन: (क) जी नहीं।

(ख) जी हां। ग्रन्य बातों के साथ साथ, ग्रामीण तथा शहरी कम्पोस्ट ग्रौर हरी खाद बनाकर व बायोगैस संयंत्रों को लगाकर देश में स्थानीय खाद के संसाधनों के विकास तथा उपयोग पर जोर दिया जा रहा है।

खंडवा, मध्य प्रदेश में मिट्टी प्रयोगशाला की स्थापना

6563. **श्री शिव कुमार सिंह : क्या कृषि मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश के खण्डवा जिले में मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला स्थापित करने के सम्बन्ध में निर्णय ले लिया गया है;

(ख) यदि हाँ तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

कृषि ग्रौर ग्रामीण पुर्नानर्माण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ग्रार० वी० स्वामीनाथन) : (क) जी, हाँ।

(ख) मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने 1978-79 में मृदा परीक्षण प्रयोगशाला स्थापित करने का निर्णय लिया। स्टाफ पहले ही नियुक्त किया गया है ग्रौर प्रयोगशाला उपस्करों की व्यवस्था की गई है। विश्लेषण का कार्य भी दिसम्बर, 1980 से एक किराए के मकान में शुरू हो गया है। प्रयोगशाला का निर्माण कार्य प्रगति पर है।

(ग) प्रश्न ही नहीं होता।

राशन कार्डों पर सप्लाई किए जाने वाले मिट्टी के तेल ग्रौर कोयले के कोटे में वृद्धि का प्रस्ताव

6564. **श्री जितेन्द्र प्रसाद : क्या नागरिक पूर्ति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि उत्तर प्रदेश, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश ग्रौर दिल्ली में राशन कार्ड धारियों को 4 या इससे ग्रधिक सदस्यों वाले परिवार के लिए प्रति माह 10 लिटर मिट्टी का तेल ग्रौर 30 किलोग्राम कोयले का कोटा दिया जाता है, जो कोटा उसकी ईंधन की मासिक ग्रावश्यकता के लिए पर्याप्त नहीं होता ग्रौर कार्डधारियों को बड़ी ग्रसुविधा ग्रौर कठिनाई होती है; ग्रौर

(ख) यदि हाँ, तो क्या सरकार का विचार मासिक कोटे में वृद्धि करके 10 लिटर से 30 लिटर मिट्टी का तेल ग्रौर 30 से बढ़ाकर 50 किलोग्राम कोयला करने का है ताकि दैनिक उपयोग की इन ग्रावश्यक वस्तुग्रों की ग्रपर्याप्त सप्लाई के कारण गृहणियों को होने वाली ग्रसहनीय कठिनाई दूर हो जाये ?

नागरिक पूर्ति मन्त्रालय में उप मंत्री (श्री बृजमोहन महन्ती) : (क) व (ख) सम्बन्धित राज्य सरकारों से सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

नेहरू प्लेस, नई दिल्ली में फाईव-स्टार होटल की योजना का स्थगन

6565. **श्री बापू साहिब परुलेकर :** क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली विकास प्राधिकरण के अधिकारियों की मनमानी और कतिपय प्रभावी व्यापारियों में परस्पर झगड़े के कारण नेहरू प्लेस, नई दिल्ली में पांच एकड़ के प्लाट पर फाइव स्टार होटल बनाने की योजना विफल हो गई है; और

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 17 फरवरी, 1981 के "करंट" के पृष्ठ 3 पर "रैंगल्स डम्प फाइव-स्टार होटल प्रोजेक्ट" शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित लेख की ओर दिलाया गया है और उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) जी, हाँ। फाइव स्टार होटल का भू-खण्ड एक करोड़ रुपये में बेचा गया था। पट्टा विलेख विधिवत निष्पादित एवं पंजीकृत किया गया था। कुछ समय पहले यह बात दिल्ली विकास प्राधिकरण के ध्यान में आई थी कि इस होटल का खरीददार पट्टे की शर्तों के अनुसार पूर्वानुमति प्राप्त किए बगैर वाणिज्यिक तल के स्थान को बेच रहा था। दिल्ली विकास प्राधिकरण ने इसे मंजूर कर दिया। नीलामी में खरीददार ने दिल्ली उच्च न्यायालय में एक रिट याचिका दायर की है और अब यह मामला न्यायाधीन है।

एफ० ब्लाक, सुदर्शन पार्क (मोतीनगर) नई दिल्ली में पानी की सुविधा

6566. **प्रो० अजित कुमार मेहता :** क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विकास आदि के बारे में अपेक्षित प्रचार जमा कराने के बावजूद एफ ब्लाक, सुदर्शन पार्क (मोती नगर), नई दिल्ली के निवासियों को पेयजल की सुविधाएं नहीं दी गई हैं;

(ख) यदि हाँ, तो उसके क्या कारण हैं;

(ग) पानी की लाइन कब बिछाई जाएगी और लोगों को कनेक्शन कब दिए जायेंगे; और

(घ) कार्य को तेजी से पूरा करने के लिए सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) से (घ)

पश्चिमी दिल्ली में "एफ" ब्लाक सुदर्शन पार्क एक अनधिकृत बस्ती है । दिल्ली जलपूर्ति एवं मल व्ययन संस्थान लाभ भोगियों द्वारा विकास प्रभार अदा करने पर अनधिकृत कालोनियों में पानी की सप्लाई करता है । इस क्षेत्र में जल पूर्ति की व्यवस्था करने के लिए 44,681/- रु० की एक योजना तैयार की गई थी । इस क्षेत्र ("एफ" ब्लाक, सुदर्शन पार्क) के निवासियों ने विकास प्रभार के रूप में 13,643/-रुपये की राशि 31.12.80 को जमा की है । इस काम के लिए अपेक्षित पाइप एकत्रित कर लिए गए हैं और इस कार्य के शीघ्र ही पूर्ण हो जाने की आशा है ।

मंत्रालय के अधीन दिल्ली दुग्ध योजना और अन्य सरकारी उपक्रमों के कमचारियो के लिए वर्दी।

6567. **श्री लहना सिह तुर : क्या कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि उसके नियमों के विपरीत, दिल्ली में मदर डेरी की फैक्ट्री तथा कायलिय के सभी कर्मचारियों को वर्दी के नाम पर रेशमी साड़ियों सहित कीमती वस्त्र सप्लाई किए जा रहे हैं, और

(ख) क्या सरकार का विचार यह सुविधा मंत्रालय के सरकारी उपक्रमों के अन्य कर्मचारियों और विशेषकर दिल्ली दुग्ध योजना के कर्मचारियों को भी देने का है क्योंकि राजधानी में दोनों डेरियों का चेयरमैन एक ही है और चार सदस्यों में से तीन सदस्य दोनों प्रबंध समितियों में है ?

कृषि और ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) मदर डेरी (जिसे राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड द्वारा चलाया जा रहा है) के फैक्ट्री तथा कार्यालय के कर्मचारियों को उसके मानदंडों के अनुसार वर्दियां दी जा रहीं हैं ।

(ख) इस प्रकार का कोई प्रस्ताव नही है ।

टेलीफोनों के काम न करने के कारण उप-भोगताओ को राशि वापस किया जाना

6568. **श्री आर० के० महालगी : क्या संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विभाग की गलती के कारण टेलीफोन के खराब रहने के मामले में भी धन के वापस किए जाने का कोई प्रावधान नहीं है,

(ख) क्या यह भी सच है कि गुजरात उच्च न्यायालय की डिवीजन पीठ ने अपने समक्ष एक नये न्याय याचिका में सुझाव दिया था कि महानिदेशक, डाक तार को ऐसे मामलों में जहां विभाग की गलती के कारण टेलीफोन काम नहीं करते हों, राशि वापस करने हेतु किसी प्रावधान पर विचार करना चाहिए;

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है ; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कार्तिक उराव) (क) जी नहीं ।

(ख) जी हां।

(ग) प्रति तिमाही 45 दिन अथवा इससे अधिक अवधि तक टेलीफोन खराब रहने पर छूट देने के प्रस्ताव पर डाक तार बोर्ड द्वारा विचार किया गया तथा यह निर्णय लिया गया है कि अहमदाबाद टेलीफोन जिले में प्रायोगिक आधार पर इसका परीक्षण किया जाएगा।

(घ) उपरोक्त (ग) को मद्दे नजर रखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता।

डा० राजेन्द्र प्रसाद के निवास स्थान को राष्ट्रीय स्मारक में बदलना

6569. **श्री हरिनाथ मिश्र : क्या शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या जिला सिवान (बिहार), गांव जीरदी में उस मकान को, जहां भारत के प्रथम राष्ट्रपति डा० राजेन्द्र प्रसाद का जन्म हुआ था, राष्ट्रीय स्मारक में बदलने के लिये विचार है ;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती शीला कौल) (क) और (ग): सरकार का ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है और कहीं से भी ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(घ): प्रश्न नहीं उठता

उर्वरकों के मूल्यों में वृद्धि और इसका वितरण राज सहायता प्राप्त दरों पर किया जाना

6570. **श्री वी० वी० देसाई : क्या कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उर्वरकों के मूल्यों में लगातार वृद्धि हो रही है और यह लघु और मध्यम किसानों के लिए परेशानियाँ पैदा कर रहा है;

(ख) क्या सरकार का बिचार लघु और मध्यम किसानों को राज सहायता प्राप्त दरों पर उर्वरक सप्लाई करने का है;

(ग) यदि हाँ, तो किस हद तक; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या मुख्य कारण हैं ?

कृषि और ग्रामीण पुनर्निर्माण मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) :

(क) से (घ) सांविधिक रूप से नियंत्रित उर्वरकों अर्थात अमोनियम सल्फेट तथा कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट के खुदरा मूल्यों में 8.6.1980 के बाद वृद्धि नहीं हुई है। इस समय, भारत सरकार व कुछ राज्य सरकारों द्वारा उर्वरकों पर राज सहायता दी जाती है। इसके अलावा, समेकित ग्राम विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत पी, पोटाशयुक्त तथा फास्फेटयुक्त उर्वरकों पर छोटे किसानों को 25 प्रतिशत, सीमान्त किसानों को 33⅓ प्रतिशत तथा अनसूचित जनजाति

के किसानों को 50 प्रतिशत की दर से राज सहायता प्रदान करने का प्रवधान है। इसके अतिरिक्त, सूखे से प्रभावित क्षेत्रों में वर्ष 1979-80 तथा 1980-81 (8.11.1979 से 31.3.1981 तक) के दौरान नाइट्रोजन युक्त, फास्फेट युक्त तथा पोटाश युक्त उर्वरकों पर सामान्य दर पर विशेष राज सहायता देने की अनुमति दी गई थी। यह राज सहायता प्रादानों की लागत पर प्रति हैक्टार 250 रुपये तक अनुज्ञेय थी। इसलिए इस समय छोटे व सीमान्त किसानों के लिए समस्यायें पैदा करने का प्रश्न ही नहीं होता।

गरीबों के लिये मकानों का निर्माण

6571. **श्री ए० नीलालेहिथादसन नाडार** : क्या **निर्माण और आवास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को पता है कि केरल जैसे राज्यों में अत्यन्त निम्न श्रेणी के मकान 5000/- रुपये की सीमा में नहीं बनाये जा सकते;

(ख) यदि हाँ, तो क्या यह सच है कि केरल जैसे राज्यों में आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्गों के लिए 5000/- रुपये का ऋण देने की हुडको की वर्तमान योजना व्यवहार्य नहीं है;

(ग) क्या कमजोर वर्गों के तिए हुडको द्वारा प्रायोजित आवास योजना के लिये ऋण की सीमा बढ़ाकर 15,000/- रुपए तक बढ़ा देने के लिये कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है;

(घ) यदि हाँ, तो इन अभ्यावेदनों पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है; और

(ङ) क्या सरकार का विचार ऋण की सीमा बढ़ा कर 15,000/- रुपए कर देने का है ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) तथा (ख) हुडको ने शहरी क्षेत्रों में आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्गों के टेनामेंट के लिए सब कुछ मिलाकर अधिकतम लागत 8,000 रुपये निर्धारित की है। इसमें भूमि की लागत तथा विकास प्रभार शामिल हैं और ग्रामीण क्षेत्रों में इसकी लागत 4,000 रुपये है, इसमें भूमि की लागत तथा विकास प्रभार शामिल नहीं हैं। यह अधिकतम सीमा हुडको ने लाभ भोगियों की 20 वर्षों में ऋण वापस करने की क्षमता को ध्यान में रखकर निर्धारित की है। हुडको का यह अनुभव रहा है कि इन अधिकतम लागतों के भीतर एक आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग के टेनामेंट का निर्माण किया जा सकता है, यदि कार्यान्वयन अभिकरणों द्वारा आडम्बरहीन विशिष्टियाँ अपनाई जाए।

(ग) से (ङ) केरल राज्य में इस अधिकतम लागत को बढ़ाने के लिए विभिन्न अभिन्न अभिकरणों से हुडको को प्रतिवेदन प्राप्त हुए हैं। भारत सरकार में हुडको के विद्यमान धन देने की पद्धति में कुछ परिवर्तन करने की व्यवहार्यता की जाँच करने के लिए सरकारों, हुडको योजना आयोग, आदि के प्रतिनिधियों का एक दल गठित किया है।

छठी योजना में खादी और ग्रामोद्योग के लिए धन

6572. **श्री वी० वी० देसाई : श्री एम० बी० चन्द्रशेखर मूर्ति : क्या ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खादी और ग्रामोद्योग आयोग को छठी पंचवर्षीय योजनावधि में ग्रामीण विकास के लिए प्रर्याप्त धन दिया गया है;

(ख) यदि हाँ, तो खादी और ग्रामोद्योगों के विकास के लिए छठी पंचवर्षीय योजनावधि में कौन-कौन सी योजनाएं ली जायेंगी;

(ग) क्या खादी और ग्रामोद्योग के विकास के लिए कोई क्षेत्र निर्धारित किए गए हैं;

(घ) यदि हाँ, तो तत्सम्बधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) ये उद्योग किन-किन राज्यों में शुरू किए जाएंगे; और

(च) वर्ष 1981-82 में इनमें से कितने लिए जाएंगे ?

कृषि और ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालेश्वर राम) : (क) से (च) खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग को छठी पंचवर्षीय योजना अवधि के लिए 480 करोड़ रुपए का परिव्यय सुलभ किया गया है। यह खादी तथा 25 ग्रामीण उद्योगों का विकास शुरू करेगा। इन उद्योगों की सूची विवरण रूप में संलग्न है। आयोग के कार्यक्रमों तथा गतिविधियों के अन्तर्गत 1981-82 के दौरान 622 करोड़ रुपये और 1984-85 के अंत तक 1,200 करोड रुपये की सीमा तक उत्पादन सृजित होने का अनुमान है। 1981-82 के दौरान 36.5 लाख व्यक्तियों तथा 1984-85 के दौरान 50.50 लाख व्यक्तिगों को रोजगार सृजित होने की सम्भावना है।

विवरण

खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग के कार्यक्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले ग्रामोद्योगों की सूची

1. मधुमक्खी पालन
2. कुटीर माचिस उद्योग, आतिशबाजी और अगरबत्तियों का उत्पादन
3. कुटीर साबुन उद्योग
4. खालों और चमड़े को कूटना, पक्का करना और उनका शोधन करना और इन्हीं से सम्बन्धित आनुषंगिक उद्योगों और कुटीर चमड़ा उद्योग
5. कुटीर कुम्हारी उद्योग
6. घानी तेल उद्योग
7. हाथ का कागज
8. गन्ना गुड़ और खांडसारी का उत्पादन
9. ताढ़ गुड़ उत्पादन और अन्य ताड़ की वस्तुओं से सम्बन्धित उद्योग

10. अनाज, दालों, गर्म मसालों तथा अन्य मसालों इत्यादि का परिष्करण, डिब्बाबन्दी और विपणन

11. गोबर, और अन्य बेकार वस्तुओं (जैसे मृतक पशुओं का मांस, मल इत्यादि) से खाद और गोबर गैस का उत्पादन और उसका प्रयोग

12. चूना, चूने के टुकड़े और अन्य चूना उत्पादन उद्योग

13. लाख उत्पादन

14. औषधीय कार्यों के लिए जड़ी-बूटियों का संग्रह

15. आचार सहित फल और सब्जियों का परिष्करण, संरक्षण और डिब्बाबन्दी

16. बांस और बेंत कार्य

17. लोहारी

18. बढ़ईगिरी

19. रेशा, नारियल जटा को छोड़कर

20. अल्युमिनियम के घरेलू बर्तनों का निर्माण

21. कत्था निर्माण

22. गोंद रेजिन का उत्पादन

23. लोकवस्त्र कपड़े का निर्माण

24. "पोली वस्त्र" जिसका अर्थ है भारत में हथकरघे पर बुना गया कोई भी कपड़ा जो भारत में हाथ द्वारा बुने गए धागे, अथवा हाथ से बनाए गए सूत, रेशम अथवा ऊन या अन्य किसी भी दो धागों अथवा भारत में हाथ द्वारा बुने गए रेशे अथवा सूती, सिल्की अथवा ऊनी धागे अथवा इसमें से किसी भी दो या इन सभी धागों को मिलाकर बनाया गया हो।

25. मक्का अथवा रागी का परिष्करण

वनस्पति तथा सोयाबीन संयंत्रों की स्थापना के लिए लाइसेंस

6573. **श्री प्रताप भानु शर्मा** : क्या नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मध्य प्रदेश में वनस्पति तथा सोयाबीन विलायक निस्सारण (सोलवेन्ट एक्सट्रेशन) संयंत्रों की स्थापना के लिए लाइसेंस हेतु 25 से अधिक आवेदन-पत्र पिछले बारह महीनों से केन्द्रीय सरकार के विचाराधीन पड़े हैं;

(ख) यदि हाँ, तो अब तक कितनी प्रगति हुई है; और

(ग) लाइसेंस देने में विलम्ब के क्या कारण हैं ?

नागरिक पूर्ति मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री बृजमोहन महन्ती) (क) से (ग) मध्यप्रदेश में वनस्पति संयंत्र लगाने के लिए 6 आवेदन-पत्र प्राप्त हुए हैं। जहाँ तक सोयाबीन संयंत्रों का सम्बन्ध हैं, 5 मामलों में सरकार द्वारा आशय-पत्र जारी किये जा चुके हैं। जहाँ तक वनस्पति संयंत्रों का सम्बन्ध है, इस मामले में वनस्पति एककों के लिए लाइसेंस देने की नई नीति तैयार

किए जाने का इन्तजार किया जा रहा था, और आवेदन-पत्र इस समय सरकार के विचाराधीन हैं।

दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा गिराए गये बौद्ध मठ

6574. **श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री** : क्या **निर्माण और आवास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में कुल कितने बौद्ध मठ हैं और वे कहाँ-कहाँ हैं;

(ख) उनमें से कितने मठ केन्द्र सरकार के नियंत्रण के अधीन हैं और उनमें से कितने स्थानीय सामाजिक संगठनों द्वारा चलाए जाते हैं;

(ग) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण ने हाल में कुछ बौद्ध मठों को गिराया है; और

(घ) यदि हाँ, तो उसके क्या कारण हैं ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) नई दिल्ली नगर पालिका ने बताया है कि उसके क्षेत्र में ऐसा कोई मठ नहीं है। दिल्ली नगर निगम ने बताया है कि लक्ष्मी नगर, शाहदरा क्षेत्र में दो बौद्ध मठ हैं एक "एल" ब्लाक में है और दूसरा जे तथा के ब्लाकों में।

(ख) उपर्युक्त दोनों मठों का संचालन स्थानीय सामाजिक संगठनों द्वारा किया जा रहा है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा पुनर्वास तथा विस्थापित योजना के अधीन अधिग्रहीत भूमि

6575. **श्री जगदीश टाईटलर : श्री राम अवध** : क्या **निर्माण और आवास मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा पुनर्वास तथा विस्थापन योजना के अधीन अधिग्रहीत भूमि के लिए अदा न की गई क्षतिपूर्ति के रूप में भारी राशियाँ दिल्ली प्रशासन के राजस्व विभाग के पास दावे की मांग के बिना पड़ी है; और

(ख) यदि हाँ, तो सरकार द्वारा इस बारे में क्या कार्रवाई करने का विचार है ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) जी, हाँ। 28 फरवरी 1981 को राजस्व विभाग में जमा बिना दावे के धन की राशि 1,35,46,690.57 रुपये थी। दिल्ली प्रशासन ने भूमि को अधिग्रहीत किया था।

(ख) बिना दावे की राशि को, भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1894 में निर्धारित पद्धति

के अनुसार दावेदारों को वितरित किया जाना है। दिल्ली प्रशासन ने प्रेस अधिसूचना जारी की थी जिसमें दावेदारों को पैसा ले लेने की सूचना दी गई थी। अपने दावे प्रमाणित करने वाले दावेदारों को दिल्ली प्रशासन इस राशि का वितरण कर रहा है।

चीनी उद्योग की विकास दर

6576. **श्री शिव कुमार सिंह** : क्या **कृषि मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि मध्य प्रदेश में चीनी मिलों के विशेष संदर्भ बताते हुए 1979 की तुलना में वर्ष 1980 के दौरान चीनी उद्योग की समग्र विकास दर क्या है ?

कृषि और ग्रामीण पुनर्निर्माण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : समूचे देश की चीनी उत्पादन की स्थापित वार्षिक उत्पादन क्षमता चीनी वर्ष 1978-79 के 59.09 लाख मीटरी टन से बढ़कर 1979-80 में 59.91 मीटरी टन हो गई है और स्थापित चीनी मिलों की संख्या 303 से बढ़कर 307 हो गई है। इन में मध्य प्रदेश में चीनी मिलों की संख्या छः रही जिनकी चीनी वर्ष 1978-79 और 1979-80 के दौरान चीनी उत्पादन की वार्षिक स्थापित क्षमता 0.43 लाख मीटरी टन थी। नवम्बर, 1980 (चीनी वर्ष 1980-81) में मध्य प्रदेश में सहकारी क्षेत्र में एक नई चीनी फैक्ट्री स्थापित की गई है जिससे चीनी मिलों की संख्या बढ़कर सात और चीनी उत्पादन की वार्षिक स्थापित क्षमता 0.52 लाख मीटरी टन हो गई। (चीनी वर्ष की गणना प्रत्येक वर्ष अक्टूबर से सितम्बर तक की जाती है)

शोर प्रदूषण

6577. **श्री भीकू राम जैन** : क्या **निर्माण और आवास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के विभिन्न शहरों में शोर के स्तर के बारे में कोई सर्वेक्षण किया गया है;

(ख) क्या शोर प्रदूषण के विरुद्ध कानून बनाए बिना शोर पर नियंत्रण सम्भव नहीं है;

(ग) क्या शोर की मात्रा का अनुमान लगाने के लिए ध्वनि स्तर मीटर तथा अन्य उपकरण देश में तैयार नहीं होते; और

(घ) यदि हां, तो शोर प्रदूषण, जो शहर में स्वास्थ्य के लिये खतरा है, की समस्या की ओर पर्याप्त ध्यान देने के लिये किये जाने वाले प्रस्तावित उपायों का ब्यौरा क्या है ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) जी, हाँ।

(ख) जी, नहीं। इस समय शोर प्रदूषण पर नियंत्रण निम्नलिखित उपायों के कार्यान्वयन के द्वारा किया जा सकता है :

(1) आपराधिक प्रक्रिया संहिता और पालिका विधियों के सम्बन्धित उपबन्धों के अनुसार कार्य करना;

(2) वाहनों का उचित अनुरक्षण एवं सड़क यातायात से उत्पन्न शोर प्रदूषण के नियंत्रण के लिये मोटर वाहन अधिनियम से सम्बन्धित उपबन्धों को लागू करना;

(3) फैक्टरियों के भीतर शोर को नियंत्रण करने के लिए फैक्टरी एक्ट, 1948 में आवश्यक उपबन्ध बनाना और

(4) स्कूलों और अस्पतालों के आस-पास स्थानीय प्राधिकरणों द्वारा शान्त क्षेत्रों में शान्ति बनाये रखना।

(ग) शोर स्तर मापक उपकरण बनाने और बेचने के लिये देश में कुछ फर्मों द्वारा प्रयास किये गये हैं।

(घ) उपर्युक्त (ख) को देखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता।

कोका कोला निर्यात निगम, फरीदाबाद का सरकारीकरण

6578. **श्री पीयूष तिरकी** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने फरीदाबाद स्थित कोका कोला निर्यात निगम की फैक्ट्री को अपने अधिकार में ले लिया है;

(ख) यदि नहीं, तो क्या समस्याएं हैं; और

(ग) क्या कोई गैर- सकारी पार्टी उस कारखाने को खरीद सकती है और क्या इस प्रकार का कोई प्रस्ताव विचाराधीन है ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) और (ख) मार्डन बेकरीज (इंडिया) लिमिटेड, जोकि सरकारी क्षेत्र का एक उद्यम है, ने मैसर्स कोका कोला निर्यात निगम को उनके सांद्रण और फरीदाबाद में स्थित बेकरेज-वेस उत्पादन संयंत्र को अपने अधिकार में ले लेने के बारे में पक्की पेशकश की थी। कोका कोला निर्यात निगम से उत्तर प्रदेश की प्रतीक्षा की रही है।

(ग) जी हाँ,। तथापि, सरकार को ऐसे किसी प्रस्ताव के बारे में कोई जानकारी नहीं है।

नागालैंड में रोजगार प्रधान लघु उत्पादन एककों का मूल्याकंन

6579. **श्री चिगवांग कोणायक**: क्या ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्दीय सरकार ने खादी तथा ग्रामाद्योग आयोग को नागालैंड में रोजगार प्रधान लघु उत्पादन एकक का मूल्यांकन करने और क्षमता का पता लगाने का परामर्श दिया है;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में अब तक उनके अध्ययन के क्या परिणाम निकले है; और

(ग) वहां पर कौन से औद्योगिकउपक्रम आरम्भ किये गये हैं या करने का विचार है;

कृषि और ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालेश्वर राम) (क) से (ग) खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग ने उत्तरी-पूर्वी राज्यों के हालातों तथा समस्याओं का अध्ययन करने के लिए और आयोग को उस क्षेत्र में शुरू करने हेतु उपयुक्त कार्यक्मों की सिफारिश करने के लिए मार्च, 1973 में एक विशेष अध्ययन दल का गठन किया था। इस दल ने अपनी रिपोर्ट मई, 1974 में प्रस्तुत की थी जिसमें इसने उन उद्योगों जिन्हें नागालैंड में शुरू किया जा सकता है, की सम्भाव्यंता के बारे में दर्शाया था। इसके पश्चात 1977 के अन्त में अधिकारियों के एक दल द्वारा अध्ययन किया गया था जिसका उद्देश्य इस क्षेत्र के विकास के लिय ठोस प्रस्ताव तैयार करना था। इन अध्ययनों के परिणामस्वरुप दीमापुर इन्डस्टियल इस्टेट में चार शेड कब्जे में लिए गए हैं जिनका उपयोग खादी ग्रामोद्योग विद्यालय तथा अखाद्य तेलों और साबुन प्रदर्शन एंव उत्पादन केन्द्र के लिए किया जा रहा है। कोहिमा तथा मोकोकाचुंग में स्थित भवनों के अतिरिक्त दीमापुर स्थित खादी ग्रामोद्योग भवन ने भी कार्य शुरु कर दिया है। दीमापुर में बहु-क्षेत्रीय प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित करने का भी प्रस्ताव है। इस राज्य में खादी तथा ग्रामोद्योग कार्यक्रम के अन्तर्गत अनाज तथा दालों का परिष्करण करने और मधुमक्खी पालन, बढ़ईगिरी, लोहारगिरी, धानी तेल तथा गोबर गैस को प्रोत्साहन देने के लिए अनेक यूनिटों की स्थापना की गई हैं।

असिस्टेंट सायल सर्वे आफिसर्स के पदों के लिय भर्ती नियम

6580. **श्री आर० आर० भोले:** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि आयल इंडिया सायल सर्वे एक लैंड यूज सर्वे कार्यालय में असिस्टेंट सायल सर्वे आफिसर्ज के पदों को भरते समय भर्ती संबंधी मियमों का अनुसरण नहीं किया गया था;

(ख) यदि नहीं, तो असिस्टेंट सायल सर्वे आफिसर्ज के पदों के लिए क्या आवश्यक अर्हतायें हैं; और

(ग) विगत 1 सितम्बर, 1976 से अब तक आल इंडिया सायल एण्ड लैंड यूज सर्वे कार्यालय में असिस्टेंट सायल सर्व आफिसर्ज के रुप में नियुक्त किये गये कर्मचारियों की अर्हताओं और अनुभव का ब्यौरा क्या है?

कृषि और ग्रामीण पुनर्निर्माण मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) (क) जी नहीं

(ख) निर्धारित योग्यताएं निम्नलिखित हैं:

अनिवार्य (1) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से मृदा विज्ञान/कृषि में स्नातकोत्तर की उपाधि या मृदा विज्ञान में विशेष योग्यता सहित कृषि रसायन और वरीय तौर पर मृदा सर्वेक्षण और भूमि संरक्षण में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान का असोसिएट या उसके समतुल्य।

(2) मृदा सर्वेक्षण और भूमि संरक्षण में क्षेत्रीय अनुसंधान कार्य का 3 वर्ष का अनुभव।

(यदि उमीदवार बहुत अच्छी योग्यता रखता हो तो संघ लोक सेवा आयोग अपने विवेकानुसार निर्धारित अर्हताओं में रियायत दे सकता है। विशेषकर अनुभव सम्बन्धी योग्यताओं के बारे में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यार्थियों की दशा में, आरक्षित पदों के लिए रियायत दी जा सकती हैं।)

वांछनीय (1) फांटोग्रामेटी और एरियल फोटो इंटरप्रेटेशन मैं उच्च ज्ञान।

(2) मृदा विज्ञान/पैडोलाजी में डाक्टर की उपाधि।

(ग) विवरण संलग्न है।

(ग्रंथालय में रखा गया देखिए संख्या एल टी-2303/81)

केवल ऐक कमरे में रहने वाले परिवार

6581. **श्री नवल किशोर शर्मा:** क्या **निर्माण और आवास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे की देश में ऐसे कितने लोग हैं, जो सपविार केवल एक कमरे में गुजर बसर कर रहे है;

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्री भीष्म नरायण सिंह) देश में 1971 की जनगणना से पूर्व 'मकानों की सूची' बनाने के कार्य के दौरान, 4,64,32,510 परिवारों को जिन में 21,70,40,837 व्यक्ति थे, एक कमरे वाले आवास में रहते हुए पाया गया था। उक्त प्रयोजन हेतु, परिवार की परिभाषा व्यक्ति के उस ससूह के रुप में की गई थी जो कि सामान्यतः एक साथ रहते थे और एक ही रसोई में अपना भोजन इकठ्ठा खाते थे, वशर्ते कि किसी कार्य वश उनमें से कोई ऐसा न कर पाता हो। चाहे वह समूह सम्बन्धित अथवा असम्बन्धित व्यक्तियों से बना हो। एक कोई रसोइया अथवा नौकर अपने मालिक के मकान में रह रहा है और वहीं अपना भोजन करता है तो वह भी परिवार का एक सदस्य था।

भारत की 1981 की जनगणना पूर्ण हो गई है तथा आंकड़ों पर कार्यवाही की जानी है।

देश में महानगरों का विकास

6582. **श्री नवल किशोर शर्मा :** क्या **निर्माण और आवास मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) गत तीन वर्षों में देश में विभिन्न माहानगरों के विकास पर कुल कितना खर्च हुआ है;

(ख) क्या सरकार ने पिछड़े राज्यों के आर्थिक विकास के लिय छठी पंचवर्षीय योजना में कोई प्रावधान किया है;

(ग) यदि हां, तो उसकी रुपरेखा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है;

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) (क) नगरीय विकास का विषय राज्य सूची में है, अतः देश के विभिन्न महानगरीय शहरों के विकाश पर हुए व्यय के पूर्ण ब्यौरे इस मंत्रालय में उपलब्ध नहीं हैं।

(ख), से (घ) (1) संशोधित गाडगिल फार्मूला के अन्तर्गत आठ विशिष्ट वर्ग के

राज्यों, नामत:, असम, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कथा कश्मीर, नागालैण्ड मणिपुर, मेघालय, सिक्किम तथा त्रिपुरा की आवश्कताओं की पूर्ति के लिये केन्दीय सहायता की एक एकमुश्त अलग रखी गई है ।

(2) संशोधित गाडगिल फार्मूला के अन्तर्गत राष्ट्रीय औसत से कम प्रतिव्यक्ति आय वाले छ: पिछड़े राज्यों को 10 प्रतिशत की बजाय केन्द्रीय सहायता के वि-भाज्य पूल का 20 प्रतिशत नियतन किया गया है ।

(3) कुल जन संख्या की समायोजित आय (आर०ए०टी०पी०) फार्मूला के आधार पर राज्यों को 1600 कररोड़ रुपये की केन्द्रीय सहायता का नियतन किया गया है । पर्वतीय क्षेत्रों तथा जनजाति क्षेत्रों जिनमें से अधिकांश पिछड़े राज्यों में अवस्थित हैं, की विकास योजनाओं के लिए विशिष्ट सहायता का नियतन किया गया है ।

(4) 10 प्रतिशत की वार्षिक बढ़ोतरी जो की समान रुप में सभी राज्यों के लिए अनुमेय है, के अतिरिक्त पिछड़े राज्यों के लीच 1000 करोड़ रुपये के अतिरिक्ति बाजार ऋण का नियतन किया गया है ।

वनस्पति घी का मूल्य

6583. **श्रीमती प्रमिला दण्डवते:** क्या नागरिक पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 1976, 1977, 1978 1979 और 1980 के दौरान वनस्पति घी के मूल्य क्या थे;

(ख) सरकार ने कितनी बार वनस्पति के मूल्य में वृद्धि करना स्वीकार किया है और इसका वर्तमान मूल्य क्या है;

(ग) वनस्पति घी के मूल्य निधारित करने का मानदण्ड क्या हैं और वह कौन सा निकाय है जिसने वे नूल्य निधारित किए हैं; और

(घ) क्या सरकार का विचार मूल्य निर्धारित करते समय उपभोक्ताओं के प्रतिनधि सहित एक मूल्य निर्धारण समिति की नियुक्ति करने का है?

नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बृजमोहन महन्ती) (क) एक विवरण संलग्न है, जिसमें 1976 से 1980 तक के वर्षों के दौरान के वनस्पति घी के 16.5 कि० ग्राम के टिन के मासांत के कारखाना मूल्य दिए गए हैं ।

(ख) व (ग) सरकार की ओर से वनस्पति के मूल्यों पर कोई कानूनी नियंत्रण नहीं हैं और ये वनस्पति उत्पादकों द्वारा समय-समय पर बहुंत सी बातों पर विचार करके नियत किये जाते हैं ।

(घ) सरकार ने वनस्पति के लागत ढ़ांचे के अध्ययन का कार्य औद्योगिक लागत और मूल्य ब्यूरो को सौंपा था; इसकी रिपोर्ट की जा रही है ।

विवरण

दिल्ली में वनस्पति के मासांत के कारखाना मूल्य

(रु० प्रति 16.5 कि०ग्राम टिन)

	1976	1977	1978	1979	1980	1981
जनवरी	117.88	155.69	140 00	140 00	170-175	189-192
फरवरी	109.35	139.25	140.00	140.00	175 178	189-192
मार्च	100.94	146.10	140.00	170.00	175-180	192-196
अप्रैल	101.67	162.34	140.00	158.00	175-178	
मई	98.60	149.45	140.00	155 168	178-181	
जून	112.55	151.45	140.00	155-168	172-179	
जुलाई	119.55	151.45	140.00	155-168	176-179	
अगस्त	118 00	147.90	140.00	160-172	176-179	
सितम्बर	118.00	149.58	140.00	168.00	171-176	
अक्तूबर	118.00	146.00	140.00	168 00	175-179	
नवम्बर	140.87	140.00	140.00	178-	173-176.50	
दिसम्बर	145.25	140.00	140.00	170-172	173 176.50	

अंडों की खपत का सर्वेक्षण

6584. **श्री जी० वाई० कृष्णन् : श्री चिन्तामणि जेना** : क्या **कृषि मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने अंडों की खपत के सम्बन्ध में कोई सर्वेक्षण किया है,

(ख) यदि हां, तो इसका राज्यवार ब्यौरा क्या है और उन राज्यों के क्या नाम हैं जो अपने राज्यों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आत्मनिर्भर होने की स्थिति में है,

(ग) दूसरे राज्यों को अंडों का निर्यात कर रहे राज्यों के नाम क्या हैं, और

(घ) देश में मुर्गी पालन को प्रोत्साहन देने और उसके विकास के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा क्या प्रोत्साहन दिए गए हैं ?

कृषि और ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) (क) हाल के वर्षों में इस प्रकार का कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया है।

(ख) अंडों के अन्तर-राज्य संचालन पर रोक न होने के कारण अंडों की राज्यवार आत्मनिर्भरता का पता लगाना संभव नहीं है। किन्तु सभी राज्य सरकारें कुक्कुट विकास कार्यक्रमों को तेज करने की आवश्यकता को समझती हैं।

(ग) मुख्य रुप से आंध्र प्रदेश, केरल, गुजरात, पंजाब, चंडीगढ़ जैसे राज्य/संघ राज्य क्षेत्र दूसरे राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को अंडे का निर्यात कर रहे हैं।

(घ) कुक्कुट विकास निश्चित रुप से राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है। तथापि, भारत सरकार ने कुक्कुट एककों को स्थापित करने के लिय राज सहायता देने के उद्द्देश्य से विशेष कार्यक्रम के तहत निम्नलिखित व्यवस्था की है :-

(1) छोटे किसानों के लिए पूंजीगत लागत का 25 प्रतिशत

(2) सीमान्त कृषकों तथा कृषि श्रमिकों के लिए पूंजीगत लागत का $33\frac{1}{3}$ प्रतिशत

(3) अनुसूचित जनजाति के सदस्यों के लिए पूंजीगत लागत का 50 प्रतिशत

2. कुक्कुट पालन से होने वाले लाभ तथा आमदनी के पांचवें हिस्से पर आयकर नहीं लगाया जाता है, जिसकी अधिकतम सीमा प्रति वर्ष 15000 रु० है। इससे कुक्कुट विकास को प्रोत्साहन मिलने की आशा है।

नारियल और खोपरे का विकास

6585. **श्री जी० वाई० कृष्णन** : क्या **कृषि मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत नारियल और खोपरे का विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक है और इसकी खेती मुख्यत: छोटे और सीमांत किसानों द्वारा की जाती है ;

(ख) नारियल के खेत वाला क्षेत्र कम होता जा रहा है;

(ग) यदि हां, तो नारियल और खोपरे के मुख्य उत्पादक राज्यों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) नारियल और खोपरे के विकास और उसकी खेती करने वाले किसानों को प्रोत्साहित करने के लिये सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ?

कृषि और ग्रामीण पुनर्निर्माण मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) (क) भारत विश्व में नारियल और खोपरे का सबसे बड़ा उत्पादक नहीं है, बल्कि तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। फिलीपीन और इण्डोनेशिया विश्व में पहले और दूसरे नम्बर के सबसे बड़े उत्पादक हैं।

भारत में नारियल की खेती मुख्यत: छोटे और सीमान्त किसानों द्वारा की जाती है।

(ख) वर्ष 1977-78 और 1978-79 के दौरान नारियल की खेती के कुल क्षेत्रफल में गिरावट आई थी। फिर वर्ष 1979-80 में इसके क्षेत्रफल में वृद्धि हुई।

(ग) केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु और आन्ध्र प्रदेश प्रमुख नारियल उत्पादक राज्य हैं। वर्ष 1975-76 से वर्ष 1979-80 तक इन राज्यों में नारियल का क्षेत्र तथा अखिल भारतीय क्षेत्र के आंकड़े विवरण में दिये गये हैं।

(घ) पांचवी योजना के दौरान नारियल के विकास के लिये 214 06 लाख रुपये के परिव्यय की व्यवस्था की गई थी। इन योजनाओं को 420 लाख रुपये के परिव्यय से छठी योजना अवधि के दौरान जारी रखा जा रहा है, जिसमें भारत का हिस्सा 210 लाख रुपये है। इन योजनाओं का ब्यौरा विवरण 2 में दिया गया है।

नारियल उद्योग के समेकित विकास के लिये 12-1-1981 से नारियल विकास बोर्ड की स्थापना की गई है और इसका मुख्यालय कोचीन में है। छठी योजना के दौरान इसके लिये 100 लाख रुपये के परिव्यय की व्यवस्था की गई है।

विवरण-1

वर्ष 1975-76 से वर्ष 1979-80 के दौरान भारत के प्रमुख राज्यों में नारियल के क्षेत्र के अनुमान

क्षेत्रफल''000 हैक्टार में

राज्य	1975-76	1976-77	1977-78	1978-79	1979-80
1	2	3	4	5	6
1. केरल	692.9	695.0	673.5	660.6	663.8
2. कर्नाटक	151.1	153.6	155.7	163.9	166.3
3. तमिलनाडु	109.9	108 9	109.8	109.5	114.9
4. आन्ध्र प्रदेश	40.5	39.3	39.8	39.8	41.3
अखिल भारत*	1069 9	1074 5	1056.5	1055.0	1071.9

*इसमें अन्य राज्यों का क्षेत्र भी शामिल है

विवरण-2

छठी योजना के दौरान नारियल विकास कार्यक्रम

1. कार्यक्रम का विवरण	भौतिक लक्ष्य	कुल वित्तीय परिव्यय
		(लाख रुपयों में)
1. नारियल विकास के बिये पैकेज कार्यक्रम	1,30,00 हैक्टर क्षेत्र 52,00 प्रदर्शन भूखण्ड	184,686
2. केरल में रोगग्रस्त नारियल बागानों को फिर से लगाना तथा उनका पुर्नस्थापन करना	55,000 हैक्टार	102,930
3. केरल में रियायनी दरों पर विद्युत पम्पसेटों का वितरण	3,000 (संख्या)	17.900
2. व्यापक खेती		
4. टाल* डवारफ पौद का उत्पादन और वितरण (संख्या)	9.25 लाख	46.494
5. वर्ष 1981-83 तक तीन वर्षों के लिये टाल* पौद के उत्पादन हेतु, इलाइट सीड फार्म की स्थापना	40 हैक्टार	4.880
6 डवारफ* टाल पौद के उत्पादन हेतु 540 हैक्टार इलाइट बीज फार्म की स्थापना		63.137
	कुल योग	420.027
	भारत सरकार का हिस्सा	210.0135 अथवा लगभग 210/-

"फूड फार वर्क स्टाक मिस्यूज्ड वाई स्टेट गवर्नमेंट" शीर्षक से समाचार

6586. **श्री हरिनाथ मिश्र : श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति : श्री चित्त नहाटा :** क्या **ग्रामीण पुर्ननिर्माण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या सरकार का ध्यान 8 मार्च, 1981 के 'टाइम्स आफ इण्डिया' में 'फूड फार वर्क स्टाक्स मिस्यूज्ड बाई स्टेट गवर्नमेंट' शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हाँ, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) काम के बदले अनाज कार्यक्रम के कार्यकरण के बारे में योजना आयोग के कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन की सिफारिशों की मुख्य बातें क्या हैं; और

(घ) उन पर सरकार का क्या निर्णय है ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालेश्वर राम) : (क) और (ख) जी, हाँ। यह समाचार योजना आयोग के कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन द्वारा अगस्त से अक्टूबर, 1979 के दौरान किए गए अध्ययन की अन्तिम रिपोर्ट पर आधारित है। मूल्यांकन की अन्तरिम रिपोर्ट दिसम्बर, 1979 में प्रस्तुत की गई थी। रिपोर्ट में कार्यक्रम के अन्तर्गत निर्माण कार्यों के निष्पादन में की गई कुछेक अनियमितताओं का उल्लेख किया गया है और इसके अंतर्गत उपलब्धियों का मूल्यांकन भी रिकार्ड किया गया है।

(ग) मूल्यांकन अध्ययन में दिए गए सुझावों को दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

(घ) मूल्यांकन अध्ययन द्वारा बताई गई कमियों तथा कार्यक्रम के निष्पादन में सुधार के लिये दिये गये सुझावों के बारे में राज्य सरकार को आवश्यक कार्यवाही हेतु सूचित कर दिया गया है। कार्यक्रम का भली भांति पर्यवेक्षण और प्रबोधन करने हेतु केन्द्र में भी उपयुक्त एजेंसी की स्थापना की जा रही है।

विवरण

मुख्य निष्कर्ष

1. कार्यक्रम की आयोजना तथा प्रशासन

(1) राज्य स्तरीय संचालन समितियों का गठन सभी राज्यों में किया गया था। तथापि, कुछ राज्यों में बैठकें इतनी नहीं हुई थी जितनी की अपेक्षित थीं।

(2) 20 जिलों में से, जिला स्तरीय संचालन समितियों का विशिष्ट रूप से केवल 7 जिलों में गठन किया गया था। अन्य जिलों में, कार्यों का निष्पादन पहले से मौजूद जिला स्तरीय समितियों द्वारा किया गया था।

(3) जहाँ ग्राम पंचायतें आयोजना तथा कार्यान्वयन के मामले में पूर्ण रूप से शामिल की गई थी परियोजनाओं का आयोजन सामान्यत: ग्रामीण समुदाय की आवश्यकताओं के अनुसार किया गया था। तकनीकी विभाग अन्य विभागों से अलग कार्य करते थे तथा अपनी सामान्य गतिविधियों को जारी रखने के लिए खाद्यान्नों का उपयोग करते थे। जिला स्तर पर परियोजनाओं के चयन, प्राथमिकताओं के निर्धारण तथा प्रगति को सूचित करने में समन्वय की आवश्यकता है।

(4) रोजगार के लिए श्रमिकों के पंजीकरण की पद्धति केवल 5 जिलों में पाई गई थी। शेष 15 जिलों में कार्यकर्ताओं के चयन के लिये पंजीकरण की किसी भी पद्धति का अनुसरण नहीं किया गया था।

(5) 8 जिलों में कार्यक्रम की आयोजना तथा कार्यान्वयन में कुछेक कठिनाइयों के बारे में सूचित किया गया था। उदाहरणार्थ, इन कठिनाइयों में से कुछेक विभिन्न विभागों के

बीच आयोजना तथा समन्वय का अभाव, भारतीय खाद्य निगम से खाद्यान्नों की सामयिक आपूर्ति की अनुपलब्धता, स्थानीय लोगों का असहयोग, औजारों तथा तकनीकी जानकारी की उपलब्धता की कमी आदि से सम्बन्धित थीं। सामयिक तथा निरंतर आपूर्ति से मजदूरी कमाने वालों को खाद्यान्नों के वितरण में भ्रष्टाचार कम होगा।

(6) विभिन्न निर्माण कार्यों को शुरू करने के लिए अधिकांश राज्यों में कोई वित्तीय सीमाएं निर्धारित नहीं की गई हैं। तथापि, सीमाएं विभिन्न स्तरों पर अधिकारियों द्वारा संस्वीकृति के लिए निर्धारित की गई हैं। इसलिए, उच्च स्तरों से वित्तीय संस्वीकृतियां प्राप्त करने से कठिनाइयाँ महसूस की गई थी। उच्च स्तरीय अधिकारियों से संस्वीकृति लेने से बचने के लिए पंचायतों द्वारा या तो ऐसी परिसम्पत्तियां सृजित की गई थीं जो कि मानकीकृत मापदण्डों के अनुरूप नहीं थीं अथवा उन्होंने परियोजनाओं को छोटे छोटे भागों में बाँटा हुआ था और प्रत्येक भाग को अलग परियोजना समझा था। अत: यह वांछनीय है कि परियोजनओं की शीघ्र संस्वीकृति की प्रणाली को सरल व कारगर बनाया जाए।

(7) ग्रामीण स्तर पर काम के बदले अनाज कार्यक्रम के निष्पादन के लिए उत्तरदाई एजेंसियों का कार्य-प्रबन्ध कुल मिलाकर संतोषजनक पाया गया है।

2. **कार्यक्रम की प्रगति**

(1) वर्ष 1978-79 के दौरान वंटित खाद्यान्नअमरेली में 469 मीटरी टन थे जबकि जयपुर जिले में 27,740 मीटरी टन थे, उपयोगिता 51.6 प्रतिशत से शत-प्रतिशत के बीच थी। 20 जिलों में से 11 जिलों में शत-प्रतिशत उपयोगिता थी।

(2) गत वर्ष के मुकाबले में वर्ष 1978-79 के दौरान काम के बदले अनाज कार्यक्रम के माध्यम से नमूने के गांवों के प्रति चुने परिवार के लिए सृजित अतिरिक्त रोजगार 3 श्रम दिनों से 167 श्रम दिनों के बीच भिन्न-भिन्न है। गत वर्ष के मुकाबले में सृजित अतिरिक्त रोजगार की सीमा 0.7 प्रतिशत से 76.1 प्रतिशत के बीच थी। अन्वेषण किए गए गांवों में सभी चुने लाभभोगियों के लिये रोजगार में वृद्धि की समग्र प्रतिशतता 10.9 थी।

(3) वर्ष 1978-79 के दौरान नमूने के गांवों में सृजित अतिरिक्त आय गत वर्ष के मुकाबले प्रति चुने गये परिवार के लिए 23 रुपए से 1569 रुपए के बीच थी। गत वर्ष के मुकाबले सृजित अतिरिक्त आय की सीमा 1 4 प्रतिशत से 97 प्रतिशत के बीच थी। गांवों के सभी चुने परिवारों के लिए कुल 17.7 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी।

(4) कार्यक्रम के अन्तर्गत विभिन्न प्रकार की सामुदायिक परिसम्पत्तियों का सृजन किया गया तथापि जिसमें से कुछ स्थाई नहीं थी उदाहरणार्थ सम्पर्क सड़कों का निर्माण तथा तटबन्ध कार्य। जहाँ तक अलग-अलग परिसम्पत्तियों के सृजन का सम्बन्ध है, ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालय योजना आयोग की नीति के प्रकाशन में ऐसे मामलों की जाँच कर सकता है।

(5) चुने हुए गाँवों में 3.7 लाख श्रम दिनों के रोजगार का सृजन किया गया। अलग-अलग जिले में, सह सृजन रायसेन (मध्य प्रदेश) में 535 श्रम दिनों तथा भोजपुर (बिहार) में 46879 श्रम दिनों के बीच था।

(6) चुने गांवों में वर्ष 1978-79 के दौरान 24 लाख रुपए मूल्य की सामुदायिक परिसम्पत्तियों का सृजन किया गया ।

(7) इस कार्यक्रम के अन्तर्गत योजना और योजना-भिन्न दोनों तरह के निर्माण-कार्य शुरू किए गए ।

(8) बिहार हरियाणा और उत्तर प्रदेश में, सम्पर्क सड़कों के रख-रखाव हेतु कोई एजेंसी नहीं थी ।

3. कठिनाइयां और भ्रष्टाचार

(1) पांच राज्यों में आपूर्ति में विलम्ब तथा भंडारण सुविधाओं के अभाव को सूचित किया गया है ।

(2) कुछ राज्यों में मजदूरी की नकद पूर्णतः अदायगी को सूचित किया गया जिसके परिणामस्वरूप ठेकेदारों ने खुले बाजार में खाद्यान्न को बेचा ।

(3) कुछ चुने गांवों में ठेकेदारों तथा पंचायतों दोनों द्वारा झूठे नामों को हाजिरी रजिस्टर में दर्ज करके उनकी संख्या को बढ़ाया गया था ।

(4) लाभभोगियों को खाद्यान्न वितरित करते समय दो राज्यों के पर्यवेक्षण अधिकारियों द्वारा अनुग्रहपूर्वक अदायगी की माँग की गई । दो राज्यों की सरकारी एजेंसियों और पंचायतों ने झोपड़ियों, स्कूल भवनों, औषधालयों, पंचायत घर आदि जैसे निर्माण कार्यों के निर्माण की लागत को पूरा करने हेतु खाद्यान्न को नकदी में बदल दिया ।

(5) ठेकेदारों ने खाद्यान्न के कुछ भाग को खुले बाजार में बेचा ।

(6) दो जिलों में मजदूरी की कम अदायगी को सूचित किया गया ।

(7) खाद्यान्नों की आपूर्ति में विलम्ब के कारण लाभभोगियों को कूपन बेचने पड़े ।

(8) एक राज्य में खाद्यान्नों को चीनी के बर्तनों, फर्नीचर की खरीद तथा सरकारी भवनों के रख-रखाव के लिए उपयोग में लाया गया ।

4 कार्यक्रम का प्रभाव

(1) रोजगार तथा आय के सन्दर्भ में ग्रामीण समुदायों के जीवन तथा रहन-सहन के हालातों के बारे में अनुकूल प्रभाव था । तथापि, अधिकांश लाभभोगियों ने सूचित किया है कि ये लाभ केवल अल्पकालीन तथा मौसमी थे । यह भी महसूस किया गया था कि कार्यक्रम के अन्तर्गत सृजित स्थाई परिसम्पत्तियों से केवल ग्रामीण समुदाय के ऊपर के स्तर के लोगों को लाभ पहुंच सकेगा जिसके फलस्वरूप आय में और अधिक असमानताएं हो जाएंगी ।

(2) सड़कों के विकास के कारण आवागमन प्रणाली में हुए सुधार से व्यापार तथा वाणिज्य की सुविधाओं में अवश्य ही विकास हुआ है । पक्की सम्पर्क सड़कों से ग्राम वासियों को अपने मरीज स्वास्थ्य केन्द्रों तक पहुंचाने में सहायता प्राप्त हुई है जबकि बरसात के मौसम

में वहाँ तक पहुँचना कठिन था। गांवों तथा कस्बों में तथा उनके बीच सम्पर्क सड़कों का निर्माण हो जाने से कुछेक उपेक्षित क्षेत्रों में स्कूल भवनों का निर्माण करके वहां के लोगों को शिक्षण सुविधाएं सुलभ हो सकती हैं।

(3) कुछेक चुने गाँवों में कुशल कारीगरों के अभाव से स्थानीय लोगों, जिनमें समाज के कमजोर वर्ग के लोग भी शामिल हैं, को बढ़ईगिरी तथा राजगिरी जैसे गैर-व्यावसायिक धन्धे सीखने के लिए मजबूर होना पड़ा और इस प्रकार उन्हें अपने व्यावसायिक धन्धों से हटकर गैर-व्यावसायिक धन्धों में लगना पड़ा।

(4) कार्यक्रम के कार्यान्वयन से भूख के कारण हुई चोरियों तथा अपराधों में कमी हुई है।

(5) अध्ययन के लिए चुने 20 जिलों में से 13 जिलों में बाजार मजदूरी पर कोई सराहनीय प्रभाव नहीं पड़ा था। तथापि, 7 जिलों में कार्यक्रम का सक्रिय प्रभाव पड़ा था।

(6) इस कार्यक्रम द्वारा 20 चुने जिलों में से 8 जिलों में खाद्यान्नों (गेहूं तथा चावल) की कीमतें ऐसे समय में जब इनमें वृद्धि होनी चाहिए थी, स्थिर की गई। यदि यह कार्यक्रम शुरू नहीं किया गया होता तो वर्ष के दौरान सूखे की स्थिति में स्थानीय व्यापारियों पर लाभ कमाने के लिए अवश्य प्रभाव पड़ता। छह जिलों में स्थानीय गेहूं/चावल की कीमतें थोड़ी सी कम हुईं।

(7) अब सम्पूर्ण ग्रामीण समुदाय तथा ग्राम पंचायतें "काम के बदले अनाज कार्यक्रम" के माध्यम से शुरू की गई ग्रामीण पुनर्निर्माण परियोजनाओं में पूर्ण रूप से शामिल की गई हैं।

(8) लगभग 36 प्रतिशत चुने प्रतिक्रिया दिखाने वालों ने सूचित किया है कि काम के बदले अनाज कार्यक्रम की वजह से उनका उपभोज्य स्तर काफी अच्छा हो गया है और इतने ही लोगों ने दावा किया है कि उनकी भोजन-सामग्री अधिक पोषाहारिक बन गई है।

(9) अतिरिक्त आय को मुख्य रूप से "घर की मरम्मत/झुग्गियों के निर्माण" तथा "गृह स्थलों के समतलीकरण" पर खर्च किया गया है।

(10) कार्यक्रम के लाभभोगियों की आय में वृद्धि होने से उन्हें "ऋण की वापसी अदायगी", "सम्बन्धियों/सम्पर्क से बाहर के लोगों से मिलने", "शादी", "शादी के लिए उपहार" तथा "धार्मिक स्थानों की यात्रा" जैसे उनके कुछेक सामाजिक दायित्वों को आसानी से पूरा करने में मदद पहुंची है।

(11) अधिकांश प्रतिक्रिया दिखाने वालों (442) ने कार्यक्रम का समर्थन किया था। तथापि, उन्होंने बताया था कि कार्यक्रम केवल अल्पावधि तथा मौसमी है और उन्होंने यह इच्छा व्यक्त की थी कि इसे अधिक समय तक जारी रखा जाए ताकि उन्हें दीर्घकालीन आजीविका सुलभ हो सके।

मूल्यांकन अध्ययन में दिए गए सुझाव

(1) खाली गन्नी बोरियां जिन्हें इस समय ठेकेदारों, उचित दर दुकानों आदि जैसी

वितरण एजेंसियों द्वारा अपने पास रखा जाता है, उनके संशोधनों को बढ़ाने के लिए ग्राम पंचायतों को दे देनी चाहिए।

(2) लाभ भोगियों द्वारा अधिक पसन्द किए जाने वाले खाद्यान्नों को सुलभ करने के लिए प्रयास किए जाने चाहिए।

(3) लाभभोगियों की वरीयता को देखते हुए, मजदूरी आंशिक रूप से नकदी में तथा आंशिक रूप से किस्त में दी जानी चाहिए।

(4) अधिकांश लाभभोगियों ने साप्ताहिक अदायगी को ज्यादा पसन्द किया। इस तरह, सभी राज्यों में साप्ताहिक और सामयिक भुगतान करने के लिए प्रयास किए जाने चाहिए।

(5) ऐसा लगता है कि काम के बदले अनाज कार्यक्रम के प्रभावी पर्यवेक्षण और इसके कार्यान्वयन के लिए केन्द्र में निरीक्षण और प्रबोधन प्रबन्ध प्रायः कमजोर हैं। अतः अस्थाई परिसम्पत्तियों के सृजन से बचाने के लिए पर्यवेक्षण को सुदृढ़ करने की आवश्यकता है।

(6) ग्रामीण जनता के विभिन्न वर्गों को इसके अल्पावधि और दीर्घावधि लाभ के और अनुसन्धान और मूल्यांकन की जरूरत है।

रतलाम, जौरा और नीमच में टेलीफोन केन्द्र

6587. **श्री फूल चन्द वर्मा** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उज्जैन डाक व तार मण्डल के अन्तर्गत रतलाम, जौरा और नीमच में टेलीफोन केन्द्रों के लिए भूमि का चयन और अधिग्रहण कर लिया गया है; और

(ख) क्या उक्त सभी स्थानों पर निर्माण कार्य शुरू हो गया है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

संचार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री कार्तिक उरांव) : (क) टेलीफोन एक्सजेंज भवन के लिए रतलाम और नीमच में भूमि अधिग्रहीत कर ली गई है।

टेलीफोन एक्सचेंज भवन के लिए जौरा में भूमि अधिग्रहण की कार्रवाई की जा रही है।

(ख) जी नहीं।

(1) रतलाम में एक स्वचल टेलीफोन एक्सचेंज भवन के निर्माण के मामले पर कार्रवाई चल रही है। अगर उपस्कर समय पर उपलब्ध हो गए तो उक्त भवन के 1984-85 तक निर्मित हो जाने की योजना है

(2) मौजूदा करचल एक्सचेंज को स्थानांतरित करने के लिए जून, 1981 तक नीमच में एक छोटे टेलीफोन एक्सचेंज भवन का निर्माण शुरू कर दिए जाने का प्रस्ताव है।

(3) ज़ौरा में नए एक्सचेंज भवन के निर्माण के लिए फिलहाल कोई योजना नहीं है। नगर को 300 लाइनों वाले एक स्वचल एक्सचेंज से सेवा मिल रही है। नए कनेक्शन प्रदान

करने के लिए इस टेलीफोन एक्सचेंज में पर्याप्त क्षमता है। तथापि भविष्य में अपेक्षाकृत बड़े टेलीफोन एक्सचेंज को खोलने के लिये भूमि अधिग्रहीत की जा रही है।

मंदसौर (मध्य प्रदेश) में संग्रहालय की स्थापना

6588. **श्री फूल चन्द वर्मा : :** क्या **शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में उन स्थानों के क्या नाम हैं जहाँ पुरातत्व महत्व की सामग्री उपलब्ध है;

(ख) क्या उक्त सामग्री के एकत्र किए जाने और इस प्रकार का सामान एक स्थान पर रखने के लिए मंदसौर में ही संग्रहालय स्थापित किए जाने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ग) यदि हां, तो इस दिशा में क्या कदम उठाए गए हैं ?

शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्री (श्री एस० बी० चह्वाण) : (क) जिन स्थानों पर पुरातात्विक महत्व की सामग्री उपलब्ध हुई है, उनमें में निम्नलिखित उल्लेखनीय हैं :

अनसर, उठना. अफजलपुर, मानपुरा, बंजर, चंबल-बांध, देन्ठाली, घुसई, हथुनिया, हिंगलाजगढ़, इन्द्रगढ़, भारदा, जावद, जावरा, काल देवरा, खिलचीपुर, खोर, कोहल, कूणा, मालहेड़ा, मंदसौर नारायणगढ़, नावली, नेन्थूर, पारदा, रामपुरा, सन्ताल, खेड़ी, शामगढ़, शंखोद्धार, सीदनी, सुजानपुर, सुवासरा, तारवाजी तथा विट्ठपुर।

(ग) तथा (घ) मध्य प्रदेश सरकार का मंदसौर में संग्रहालय स्थापित करने का प्रस्ताव है। विभिन्न स्थानों से मूर्तियाँ एकत्र की जा रही हैं और उन्हें सुरक्षित रखा जा रहा है ताकि उन्हें आवश्यकतानुसार प्रदर्शन हेतु स्थाई संग्रहालय में रखा जा सके।

रामपुरा, दिल्ली में भूमि का अनधिकृत उपयोग

6589. **श्री के० लकप्पा :** क्या **निर्माण और आवास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दुर्गा मन्दिर, गोल्डेन पार्क, दिल्ली-35 के सामने रामपुरा में उस भूमि का मालिक कौन है जिस पर कुछ "बस बाडी बिल्डर्स" और चाय स्टालों आदि का कारोबार किया जा रहा है;

(ख) क्या वे व्यापारी/दुकानदार इस भूमि के लिए कोई किराया दे रहे हैं;

(ग) यदि हाँ, तो किसे और किस प्राधिकार के अन्तर्गत;

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान इस भूमि के जरिये कुल कितनी राशि का किराया कमाया गया; और

(ङ) यदि इस भूमि पर कब्जा अनधिकृत है तो इसे खाली कराने के लिए क्या कार्यवाही की गई है अथवा किए जाने का विचार है ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) इस भूमि को केन्द्रीय सरकार ने अधिग्रहीत किया है और दिल्ली विकास अधिनियम 1957 की धारा 22(1) के अन्तर्गत इसको दिल्ली विकास प्राधिकरण को सौंप दिया है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) तथा (घ) प्रश्न ही नही उठता।

(ङ) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने लोक परिसर (अनधिकृत दखलकारों की बेदखली) अधिनियम 1971 के अन्तर्गत अनधिकृत दखलकारों के विरुद्ध बेदखली की कार्यवाई आरम्भ कर दी है।

पंखा रोड, दिल्ली में बरसाती नाला

6591. **श्री केशवराव पारधी** : क्या **निर्माण और आवास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली में रेवाड़ी रेलवे लाइन से पंखा रोड होकर बह रहा बरसाती नला कीचड़ से भरा पड़ा है और इसके दोनों किनारे कई स्थानों पर टूटे हुए हैं;

(ख) क्या यह भी सच है कि उपर्युक्त नाले के कारण मच्छर फैल रहे हैं और जनकपुरी के 'डी" ब्लाक, वशिष्ठ पार्क तथा पंखा रोड़ के निकट सागरपुर कालोनी के निवासियों के स्वास्थ्य के लिए खतरा बना हुआ है;

(ग) यदि हाँ, तो क्या सरकार का विचार गन्दगी हटवाने तथा उपयुंक्त नालों के किनारों पर पक्की सड़क बनवाने तथा दोनों ओर वृक्ष लगवाने का है; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं और यदि हाँ, तो कब

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जएगी।

नर्मदा घाटी, परियोजनाओं के लिए विश्व बैंक के विशेष दल का दौरा

6592. **श्री प्रताप भानु शर्मा** : क्या **सिंचाई मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विश्व बैंक के एक विशेषज्ञ दल ने हाल ही में नर्मदा घाटी में विभिन्न सिंचाई परियोजनाओं के लिए स्थानों का दौरा किया है;

(ख) यदि हाँ, तो दौरा कर रहे इस दल के व्यक्तियों का ब्योरा क्या है;

(ग) नर्मदा घाटी परियोजनाओं के अन्तर्गत प्रस्तावित मध्यम तथा बड़ी सिंचाई और बिजली परियोजनाओं का ब्योरा क्या है; और

(घ) इस दल के सुझाव और निष्कर्ष क्या हैं ?

सिंचाई मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) जी हाँ। विश्व बैंक के विशेषज्ञों ने हाल में मध्य प्रदेश का दौरा किया था। इस दल का यह दौरा विशुद्ध रूप से टोह

लगाने के लिए किया गया दौरा था, जिसका उद्देश्य नर्मदा घाटी की विभिन्न सिंचाई परियोजनाओं के बारे में राज्य सरकार के अधिकारियों के साथ प्रारम्भिक विचार-विमर्श करना था।

(ख) इस दल में अर्थशास्त्र, जल-प्रबन्ध, सिंचाई इंजीनियरी, भूमिगत जल आदि जैसे विभिन्न विषयों के निम्नलिखित विशेपज्ञ शामिल थे :

1. श्री लजंग	नेता
2. श्री पिकरटन	
3. श्री माकवेल	
4. श्री बारवर	सलाहकार
5. श्री शानान	
6. श्री फास	
7. श्री किरपिच	
8. श्री सी० पेरी	परियोजना अर्थशास्त्री

(ग) विश्व बैंक की सहायता के लिए प्रस्तुत की जाने वाली मध्य प्रदेश की नर्मदा घाटी की मध्यम और वृहद सिंचाई और विद्युत परियोजनाओं को अभी अन्तिम रूप दिया जाना है।

(घ) जैसाकि पहले बताया गया है कि यह दौरा टोह लेने के लिए किया गया था और दल न तो किसी अन्तिम निष्कर्ष पर पहुंचा और न ही दल ने कोई निश्चित अथवा विशिष्ट सुझाव दिये हैं।

बाबा खड़ग सिंह मार्ग, नई दिल्ली पर किये गये निर्माण-कार्य में घटिया सामग्री का इस्तेमाल

6593. **श्री मनफूल सिंह चौधरी** : क्या **निर्माण और आवास मंत्री** यह बताने की की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन-चार वर्षों के दौरान मन्दिर मार्ग और बाबा खड़ग सिंह मार्ग पर सरकारी क्वार्टरों के निर्माण में बढ़िया दर्जे की भवन-निर्माण सामग्री का इस्तेमाल किया गया था और क्या सामग्री का परीक्षण करवा लिया था;

(ख) क्या उन्हें यह पता है कि इन क्वार्टरों में रेत और बजरी निरंतर झड़ती रहती है क्योंकि निर्माण-कार्य में सीमेंट का इस्तेमाल पर्याप्त मात्रा में नहीं किया गया, यदि हाँ, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की जा रही है;

(ग) क्या क्वार्टर संख्य जे-718 से जे-732 तक के क्वार्टर मन्दिर मार्ग पर स्थित हैं, यदि नहीं, तो क्या ठेकेदार को उनके निर्माण के लिए भुगतान किया गया है; और

(घ) क्या इन क्वार्टरों में रहने वाले सरकारी कर्मचारियों के लिए पानी की पर्याप्त सप्लाई, औषधालय, शापिंग सेंटर आदि जैसी सभी आवश्यक सुविधाएं प्रदान कर दी गई हैं; यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) :(क) जी, हाँ। केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग की विशिष्टियों के अनुसार कार्य किया गया है ।

(ख) जी, नहीं । ऐसी कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है ।

(ग) ऐसे कोई क्वार्टर नहीं हैं और ना ही उनके लिए कोई भुगतान किया गया ।

(घ) आवश्यक सुविधाओं की व्यवस्था कर दी गई है । क्षेत्र का विकास चरणों में किया जा रहा है और यह अभी तक पूरा नहीं हुआ है ।

राजस्थान राज्य का विकास

6594. **श्री मनफूल सिंह चौधरी : क्या कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने राजस्थान को पिछड़ा राज्य घोषित किया है; और

(ख) यदि हाँ, तो राज्य के विकास के लिए तैयार की गई विशेष योजनाओं का ब्यौरा क्या है ?

कृषि और ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) और (ख) राजस्थान एक ऐसा राज्य है, जिसकी प्रति व्यक्ति आय राष्ट्रीय औसत आय से कम है । छठी पंच-वर्षीय योजना का एक उद्देश्य यह है कि विकास में क्षेत्रीय असमानताओं को धीरे-धीरे कम किया जाए । इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए राजस्थान सहित राज्यों की सहायता करने की दृष्टि से निम्न उपायों को करने का विचार है :

(1) केन्द्रीय सहायता के वितरण के लिए संशोधित गाडगिल सूत्र (फार्मूला) के तहत, पिछड़ेपन के आधार पर केन्द्रीय सहायता 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 20 प्रतिशत कर दी गई है ।

(2) आय समायोजित कुल जनसंख्या सूत्र जिससे पिछड़े राज्यों को सहायता मिलती है. के आधार पर, विशेष केन्द्रीय सहायता आवंटित की गई है ।

(3) संशोधित गाडगिल सूत्र के तहत विशेष समस्याओं के लिए केन्द्रीय सहायता के आवंटन में भी राजस्थान को विशेष महत्व दिया गया है ।

(4) इसी प्रकार पिछड़े राज्यों के लिए अतिरिक्त बाजार ऋण सुविधाएं देने पर बल दिया गया है ।

(5) आदिवासी क्षेत्रों, अनुसूचित जाति विशेष घटक योजना, समेकित ग्रामीण विकास तथा मरु विकास कार्यक्रमों के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता दी जाती है ।

(6) राष्ट्रीय न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम भी इस प्रकार तैयार किया जाता है, जिससे अन्त: वर्ग और अन्त: क्षेत्र की असमानताओं को दूर किया जा सके । राजस्थान में कृषि विकास को बढ़ाने तथा उत्पादन का उच्च स्तर प्राप्त करने के लिए जो नीति अपनाई गई है उसमें सिंचाई सुविधाओं का विस्तार करना, सिंचाई की सम्भाव्य क्षमता का उत्तम प्रबन्ध करना, आदानों का समुचित उपयोग करना, उर्वरकों की खपत में वृद्धि करना, अधिक उपज देने वाली किस्मों के अन्तर्गत क्षेत्र का विस्तार करना, अनुसंधान तथा प्रभावी विस्तार, असिंचित क्षेत्रों के

लिए बारानी भूमि की खेती की उचित तकनीकों का पता लगाना व विस्तार, ऋण व विपणन सुविधाओं में सुधार करना आदि, शामिल है। पशु-पालन, भेड़ पालन तथा डेरी कार्यक्रमों के माध्यम से कार्यकलापों की विविधता पर भी बल दिया जा रहा है। मरु तथा आदिवासी जिलों, जो राजस्थान के पिछड़े क्षेत्रों के मुख्य भाग हैं, में विशेष क्षेत्र विकास कार्यक्रम, क्रियान्वित किए जा रहे हैं। इनमें मरु विकास कार्यक्रम, सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम तथा आदिवासी उप-योजना कार्यक्रम शामिल है।

ऊधमपुर जिले में पत्रों आदि को बांटने में विलम्ब

6595. **श्री पी० नामग्याल : क्या संचार मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दैनिक डाक प्रणाली शुरू करने के लिए तिगुना खर्च करने के बावजूद ऊधमपुर जिले के बमहग, नगोरे, गूल, भटल पहाड़ी क्षेत्रों के डाकघरों में डाक ले जाने और पत्रों को बाँटने के सम्बन्ध में अत्यधिक विलम्ब की शिकायतें की गई हैं;

(ख) क्या यह सच है कि जनता शासन के दौरान ऊधमपुर जिले में कालका नगर के शाखा डाकघर को बन्द किए जाने से सम्बन्धित शिकायतें की गई हैं; और

(ग) यदि हाँ, तो इन शिकायतों पर क्या कार्यवाही की गई है ?

संचार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री कार्तिक उरांव) : (क) उक्त स्थानों के लिए दैनिक डाक सेवा उपलब्ध है। सामान्यतः इस क्षेत्र में डाक में विलम्ब की कोई शिकायत नहीं है। फिर भी, बसों के देरी से चलने और मौसम के खराब होने के कारण देरी के कुछ इक्के-दुक्के मामले हो सकते हैं जो विभाग के नियंत्रण से बाहर हैं।

(ख) और (ग) कालका नगर में अप्रत्यावर्तनीय अंशदान के आधार पर वर्ष 1971 में डाकघर खोला गया था क्योंकि विभागीय मानदंडों के अनुसार इसके खोलने का औचित्य नहीं था। वर्ष 1973 से अप्रत्यावर्तनीय अंशदान की अदायगी नहीं की गई और इसलिए वर्ष 1979 में उक्त डाक घर को बंद करने का निर्णय लिया गया था। डाकघर के बद करने के विरुद्ध तत्कालीन संचार मंत्री को कुछ अभ्यावेदन प्राप्त हुए थे और अभ्यावेदन करने वालों से अप्रत्या-वर्तनीय अंशदान की अदायगी के लिए पुनः अनुरोध किया था। चूंकि रकम की अदायगी नहीं की गई थी इसलिए डाकघर को नवम्बर, 1979 में बंद कर दिया गया।

'डिमाण्ड टू स्क्रेप रोहिणी प्रोजेक्ट" शीर्षक समाचार

6596. **श्री जितेन्द्र प्रसाद : क्या निर्माण और आवास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 27 फरवरी, 1981 के "स्टेटसमेन" के दिल्ली संस्करण में "डिमांड टू स्क्रेप रोहिणी प्रोजेक्ट" शीर्षक समाचार की ओर दिलाया गया है; और

(ख) यदि हाँ, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) जी, हाँ ।

(ख) दिल्ली विकास प्राधिकरण/दिल्ली प्रशासन से टिप्पणियां माँगी जा रही हैं ।

कावेरी मामले पर मुख्यमंत्रियों की बैठक

6597. **श्री बी० वी० देसाई : श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति :** क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कावेरी जल विवाद पर केन्द्र का विचार कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल और पांडिचेरी के मुख्यमंत्रियों की एक और बैठक बुलाने का है;

(ख) यदि हाँ, तो क्या केन्द्र सरकार को इस सम्बन्ध में तमिलनाडु और अन्य तीन राज्यों से प्रस्ताव प्राप्त हो गए हैं;

(ग) यदि हाँ, तो बैठक कब बुलाए जाने की सम्भावना है; और

(घ) क्या इस सम्बन्ध में कोई ठोस निर्णय ले लिया गया है; और

(ङ) केन्द्र सरकार द्वारा अपनी अन्तिम स्वीकृति कब दिए जाने की सम्भावना है ?

सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) जी, हाँ ।

(ख) कावेरी नदी के जल के बारे में केरल, कर्नाटक और पांडिचेरी की सरकारों से प्रस्ताव प्राप्त हो चुके हैं, लेकिन अभी तक तमिलनाडु सरकार से प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुए ।

(ग) तमिलनाडु के प्रस्ताव प्राप्त होने के बाद मुख्यमंत्रियों की अन्तर्राज्यिक बैठक बुलाने का प्रस्ताव है ।

(घ) और (ङ) चूंकि इस मामले पर अभी विचार-विमर्श हो रहा है, इसलिए अभी यह बताना संभव नहीं है कि अन्तिम निपटारा कब होगा ।

स्कूल पूर्व शिक्षा

6598. **श्री बी० वी० देसाई : श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति : श्री के० प्रधानी : श्री जी० वाई० कृष्णन : श्री अर्जुन सेठी :** क्या शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र ने राज्यों को कहा है कि स्कूल पूर्व शिक्षा का विकास किया जाए, जिससे प्राथमिक स्तर पर पढ़ाई बन्द करने की काफी सीमा तक रोका जा सकेगा और 14 वर्ष की आयु तक के सभी बच्चों को निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा देने की संवैधानिक आबद्धता को पूरा करने की प्रक्रिया को गति मिलेगी;

(ख) क्या नई केन्द्रीय क्षेत्र की आयोजना। योजना के रूप में बजट में 15 लाख रु० की व्यवस्था की गई है;

(ग) यदि हाँ, तो क्या केन्द्र सरकार ने राज्यों को कहा है कि राशि में उपयुक्त वृद्धि कर दी जायेगी बशर्ते कि राज्यों द्वारा की गई कार्यवाई के परिणाम उत्साहवर्धक हों;

(घ) यदि हाँ, तो क्या इस बारे में राज्य सरकारों द्वारा कोई योजनाएं तैयार की गई हैं और केन्द्र सरकार को भेजी गई हैं; और

(ङ) यदि हाँ, तो विभिन्न राज्यों को इस प्रयोजन के लिए कितना आवंटन किया गया है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्री (श्री एस० बी० चह्वाण) : (क), (ख), (घ) और (ङ) राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को प्रारम्भिक बाल शिक्षा के लिए कार्यक्रम तैयार करने की सलाह दी गई है।

इस प्रयास में स्वैच्छिक रूप से भाग लेने को बढ़ावा देने के लिए वर्ष 1981-82 के केन्द्र सरकार के बजट में 15 लाख रुपए की राशि की व्यवस्था की गई है। यह व्यवस्था राज्य सरकारों के आवंटन के लिए नहीं है ।

(ग) जी, नहीं।

राष्ट्रीय पुस्तक न्यास के प्रकाशन

6599. **श्री राजेश कुमार सिंह : श्री बी० डी० सिंह :** क्या शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) गत दो वर्षों के दौरान राष्ट्रीय पुस्तक न्यास नें जिन स्कूल पुस्तकों और हिन्दी तथा अंग्रेजी में अनूदित पुस्तकों का प्रकाशन किया है उनके नाम क्या हैं तथा उनके लेखकों और अनुवादकों की अर्हताओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या यह न्यास मूल और अनूदित अंग्रेजी पुस्तकें अधिक प्रकाशित कर रहा है, और इस तरह राजभाषा हिन्दी की उपेक्षा कर रहा है;

(ग) क्या "देश और लोग" श्रृंखला के अंतर्गत कई राज्यों के सम्बन्ध में पुस्तकें प्रकाशित की गई हैं लेकिन बिहार राज्य के बारे में हिन्दी में जो पुस्तक तैयार थी, उसे प्रकाशित नहीं किया गया है; और

(घ) यदि हाँ, तो बिहार राज्य के भूगोल पर आधारित हिन्दी पुस्तक का तत्काल प्रकाशन सुनिश्चित करने के लिए किए जा रहे उपायों का पूर्ण ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) विवरण संलग्न है। [ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०-`304/81]

(ख) न्यास ने अंग्रेजी में 381 पुस्तकें और हिन्दी में 334 पुस्तकें प्रकाशित की हैं। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि हिन्दी की उपेक्षा नहीं की जा रही है।

(ग) और (घ) जी, हाँ, बिहार राज्य से सम्बन्धित जो हिन्दी पुरतक इस श्रृंखला के अन्तर्गत शामिल की जानी थी, उसे न्यास द्वारा प्रकाशित नहीं किया गया था क्योंकि जिस समय

पूर्ण पाण्डुलिपि प्राप्त हुई, तो उस समय यह पता चला था कि लेखक इस पुस्तक को इसी नाम से बिहार हिन्दी ग्रन्थ अकादमी के माध्यम से पहले ही हिन्दी में प्रकाशित कर चुका है। फिर भी न्यास ने अपने प्रकाशन कार्यक्रम में बिहार के भूगोल पर एक पुस्तक का प्रकाशन शामिल कर लिया है।

सम्बलपुर, उड़ीसा में टेलीफोन स्टाफ क्वार्टरों (चरण-एक) का आवंटन न किया जाना

6600. **डा० कृपा सिंधु भोई : क्या संचार मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सम्बलपुर, उड़ीसा में टेलीफोन स्टाफ क्वार्टरों (चरण-एक) का निर्माण हो जाने के बाद भी, अब तक कर्मचारियों को इनका आवंटन नहीं किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी कारण क्या हैं ?

संचार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री कार्तिक उरांव) : (क) और (ख) सम्बलपुर में 90 स्टाफ क्वार्टरों का निर्माण किया गया। राज्य सार्वजनिक स्वास्थ्य विभाग द्वारा पानी की सप्लाई हेतु पानी की मुख्य लाइनें बिछाने का कार्य चल रहा है। जैसे ही पानी की सप्लाई उपलब्ध होगी क्वार्टरों का आवंटन कर दिया जाएगा।

दिल्ली की टेलीफोन सलाहकार समिति

6601. **श्री कृष्ण प्रताप सिंह : क्या संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली के लिए टेलीफोन सलाहकार समिति के सदस्य कौन-कौन हैं; और

(ख) टेलीफोन सलाहकार समिति के सदस्यों के अधिकार और विशेषाधिकार क्या-क्या हैं ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कार्तिक उरांव) : (क) तथा (ख) दिल्ली टेलीफोन की मौजूदा सलाहकार समिति के सदस्यों के नाम, टेलीफोन सलाहकार समिति के कार्य तथा टेलीफोन सलाहकार समिति के विशेषाधिकार का विवरण संलग्न है।

विवरण

10.9.80 (1980-82 के लिए) को दिल्ली टेलीफोन सलाहकार समिति के नामों की सूची

क्र० सं०	जिनका वे प्रतिनिधित्व करते हैं	नाम तथा पता
1.	राज्य प्रशासन	श्री बी० डी० मिश्र, सचिव (समन्वय) दिल्ली प्रशासन, दिल्ली
2.	राज्य विधायनी	बाद में नामांकित किया जाएगा

1	2	3
3.	निगम तथा सिविल निकाय	बाद में नामांकित किया जाएगा।
4.	संसद सदस्य	बाद में नामाँकित किया जाएगा
5.	प्रेस	1. शिव बन्धु गुप्ता, निदेशक (दैनिक तेज), 8-बी, बहादुरशाह जफर मार्ग, नयी दिल्ली-110002 2. श्री रणधीर सिंह, संपादक "मिलाप", मिलाप निकेतन, 8-ए, बहादुरशाह जफर मार्ग, नयी दिल्ली-110002 3. श्री एम० शमीम, "टाइम्स आफ इंडिया", 7-बी, बहादुरशाह जफर मार्ग, नयी दिल्ली-110002
6.	चिकित्सा व्यवसाय	डा० रोशन लाल, 3, मालचा मार्ग, नयी दिल्ली
7.	कानून व्यवसाय	श्री आर० एन० मित्तल, अध्यक्ष, नयी दिल्ली बार एसोसिएशन नयी दिल्ली
8.	अन्य व्यवसाय जैसे इन्जीनियर, वास्तुविद आदि	श्री आर० एस० गुप्ता इन्जीनियर सदस्य (डी डी ए) नयी दिल्ली
9.	व्यापार, वाणिज्य और उद्योग	1. श्री पी० सी० शर्मा डब्ल्यू 94, ग्रेटर कैलाश नयी दिल्ली 2. श्री महेश्वर दयाल, अध्यक्ष, यूनाइटेड चैम्बर 3. श्री प्रेम सरवारिया 25, सी० पी० होस्टल, आनन्द पर्वत, करौल बाग, नयी दिल्ली 4. श्री सुभाष चोपड़ा ए-12 होजखास, नयी दिल्ली

1	2	3
		5. श्री जे० आर० जिन्दल, शाहदरा मैन्यूफैक्चरर्स एसोसिएशन 561, जी० टी० रोड, दिल्ली
		6. श्री भीष्म कोहली, 6/10 पंत नगर, जंगपुरा एक्सटेंशन, नयी दिल्ली
		7. श्री बंशी लाल मेहता, 19, राजेन्द्र पार्क, नयी दिल्ली-110060
		8. श्री सी० बी० गुप्ता, ई-206 ग्रेटर कैलाश-ii, नयी दिल्ली
10.	जन सेवक और अन्य	1. श्री किशन चन्द बनिवाल, 379, चिराग दिल्ली, नयी दिल्ली
		2. श्री डी० आर० शाह, 24/42, पंजाबी बाग, नयी दिल्ली
		3. श्री ललित भसीन, बी-104, ग्रेटर कैलाश-1 नयी दिल्ली
		4. श्रीमती विमल नेगी, टी-12, तबरुक लाइन्स, दिल्ली कैंट, दिल्ली
		5. सिडनी रिबिरो, सी-45, जंगपुरा एक्सटेंशन, नयी दिल्ली
		6. श्री राजेन्द्र मल्लिक, ए-360, डिफैन्स कालोनी, नयी दिल्ली
		7. श्री आर० एन० चन्देलिया, फ्लैट नं० 6, लाल बहादुर शास्त्री सदन, गोल मार्केट, नयी दिल्ली

1	2	3
		8. डा० पी० एल० मल्होत्रा, कालेजों का डीन, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली
		9. श्रीमती निर्मल वेदी, 4, हैली रोड, नयी दिल्ली

टेलीफोन सलाहकार समितियों के कार्य

1. टेलीफोन उपभोक्ताओं और डाक-तार विभाग में निकट सम्बन्ध स्थापित करना।

2. जनता को यह विश्वास दिलाना कि उसकी शिकायतों को उचित रूप से प्रस्तुत कि जा रहा है तथा उन पर उचित कार्रवाई की जा रही है।

3. विभाग को स्थानीय तथा ट्रंक सेवाओं के सुधार हेतु परामर्श देना।

4. विभाग द्वारा टेलीफोन सेवा में सुधार और उनके विकास के लिए की गई कार्रवाई का प्रचार करना।

5. टेलीफोन उपस्कर और लाइनों के मौजूदा कमी से निपटने के लिए जनता से धैर्य और सहयोग की अपील करके विभाग की सहायता करना।

6. ओ० वाई० टी० तथा गैर ओ० वाई० टी० विशेष श्रेणी के अन्तर्गत प्रतीक्षा सूची के विभिन्न आवेदकों के तुलनात्मक गुणों का संयुक्त रूप से मूल्यांकन कर उचित और न्याय संगत आधार पर जैसा कि नियमों से प्रावधान है, बिना बारी के कनेक्शनों के मामलों को निपटाने में विभाग की सहायता करना।

विशेषाधिकार

(1) सदस्य को समिति की सदस्यता अवधि के दौरान सामान्य किराए का भुगतान करने पर अधिभावी प्राथमिकता पर अस्थाई टेलीफोन कनेक्शन प्रदान किया जा सकता है।

(2) टेलीफोन सलाहकार समिति के सदस्य समिति की बैठकों में भाग लेने के लिए अधिकतम 10 रुपये की दर से वास्तविक यात्रा भत्ते के पात्र हैं।

केन्द्रीय आलू अनुसंधान संस्थान, शिमला के कार्यकरण के बारे में जांच करना

6602. **श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार केन्द्रीय आलू अनुसंधान संस्थान, शिमला के कार्यकरण के बारे में गहराई से जाँच करने का है;

(ख) यदि हाँ, तो कब; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

कृषि और ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) जी नहीं, श्रीमान ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) केन्द्रीय आलू अनुसंधान संस्थान, शिमला के कर्मचारियों से इस संस्थान के निदेशक के विरुद्ध, कई शिकायतें प्राप्त होने पर, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के मुख्यालय से जनवरी, 1980 में संस्थान का दौरा करने हेतु दो उप-महानिदेशक प्रतिनियुक्त किए गए । विज्ञानियों और अन्य कर्मचारियों के बीच असंतोष के कारणों का पता लगाने के उद्देश्य से और यह भी कि क्या परिषद के द्वारा अनुमोदित अनुसंधान कार्यक्रमों पर गाइडलाइन्स के अनुसार अनुसंधान कार्य चलाया जा रहा था, उप-महानिदेशकों ने संस्थान के कार्यकरण की जाँच की ।

उप-महानिदेशकों की सिफारिशों पर केन्द्रीय आलू अनुसंधान संस्थान के निदेशक के विरुद्ध मुख्य आरोपों/शिकायतों के सम्बन्ध में परिषद के द्वारा उचित कार्यवाही पहले ही की जा चुकी है । संस्थान के कार्यकरण की आगे जाँच के लिए आवश्यक और बाद में, कोई परिवर्तन नहीं हुए हैं।

शराब की खपत को निरुत्साहित करने के लिए उपाय

6603. **श्री मार्तण्ड सिंह** : क्या **शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) समाज के विभिन्न स्तरों द्वारा शराब की खपत को निरुत्साहित करने के लिए क्या उपाय किये जा रहे हैं;

(ख) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि उसके विभिन्न विभागों तथा सरकारी उपक्रमों द्वारा आयोजित अनेक शासकीय पार्टियों और स्वागत समारोहों में शराब दी जाती है और खुले तौर पर उपभोग की जाती है;

(ग) यदि हाँ, तो क्या इस तरह के अवसरों पर शराब दिया जाना सरकार की नीतियों अथवा विभिन्न स्थानों पर लागू मद्य-निषेध नियमों के अनुरूप है; और

(घ) किन अवसरों पर सरकार की नीतियों के अनुसार शराब दिये जाने की अनुमति है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्री (श्री एस० बी० चव्हाण) : (क) मद्यनिषेध राज्य विषय होने के कारण, विभिन्न राज्य सरकारों ने राज्य की नीति तथा इस विषय पर सम्बद्ध कानून के अनुसार समाज के विभिन्न स्तरों के लोगों द्वारा शराब पिये जाने को निरुत्साहित करने के लिये उपाय किये हैं । तो भी, केन्द्रीय सरकार ने राज्यों को दिशानिर्देश जारी किए हैं तथा 1977-78 के राजस्व पर आधारित उत्पाद राजस्व में हानि के 50% तक की राज्यों को प्रतिपूर्ति करने का वचन दिया है । शैक्षिक प्रचार को भी बढ़ावा दिया जाता है

(ख) से (घ) नियानुसार मन्त्रालयों और सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों द्वारा सरकारी समा-

रोहों में शराब नहीं दी जाती है। तो भी, इस नियम के अपवाद के लिए व्यवस्था है तथा सरकारी विभागों द्वारा "बंद लौजों" में ऐसी पार्टियों में एल्कोहल वाले पेय दिए जा सकते हैं, जिनमें विदेशियों को आमंत्रित किया जाता है। परन्तु ऐसी पार्टियों में सरकारी अधिकारियों द्वारा शराब पिए जाने की आशा नहीं की जाती है। इस मन्त्रालय को इसके उल्लंघन की कोई सूचना नहीं मिली है।

बरना बांध में पानी का रिसना

6604. **श्री बी० डी० सिंह :** क्या **सिंचाई मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भोपाल के निकट बरना बांध में भारी रिसन के कारण पानी पूरी तरह बाहर निकलता जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो इतनी अधिक रिसन होने के क्या कारण हैं; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जानी है ?

सिंचाई मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) जल के रिसन (सीपेज) से पैदा होने वाले खतरे से बांध को सुरक्षित करने के लिए, एहतियात के रूप में संचित जल को बांध से बाहर निकाला जा रहा है।

(ख) और (ग) ऐसा प्रतीत होता है कि रिसन गैलरी स्तर से नीचे के चिनाई भाग में या चिनाई-भाग और नींव के संधि भाग में, अथवा नींव में ही जोड़ों (ज्वाइंट्स) और सीवनों (सीम्स) में अथवा इन तीनों स्थानों के जल-स्राव होने के कारण हो रहा है। उपचारात्मक उपायों का सुझाव देने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने एक तकनीकी समिति का गठन किया है।

इस बीच, पिलाई (ग्राउटिंग) करने का प्रस्ताव है।

नई दिल्ली नगर पालिका के नर्सरी स्कूल के शिक्षकों को स्थायी करना

6605. **श्री फूल चन्द वर्मा :** क्या **शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नई दिल्ली नगरपालिका, नई दिल्ली, के स्कूलों के नर्सरी शिक्षकों को 1968 से स्थाई नहीं किया गया है;

(ख) यदि हाँ, तो उसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या यह भी सच है कि इन शिक्षकों को स्थायी न किये जाने से वे सलेक्शन ग्रेड से वंचित हो रहे हैं; और

(घ) यदि हाँ, तो केवल उन शिक्षकों को ही, जो इस ग्रेड में स्थाई किये गये है, सलेक्शन ग्रेड में पदोन्नति करने के क्या कारण हैं ?

शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्री (श्री एस० बी० चह्वाण) (क) जी, हाँ।

(ख) नई दिल्ली नगरपालिका ने सूचित किया है कि नर्सरी अध्यापकों की वरिष्ठता सूची के बारे में कुछ विवाद हैं। मामले की जांच की जा रही है और आशा है इसे शीघ्र ही अन्तिम रूप दे दिया जाएगा।

(ग) प्रवरण ग्रेड प्रदान करने के इन्कार नहीं किया गया है। इसका अनुसरण, अध्यापकों को स्थाई करने के शीघ्र बाद इसके लिए पात्रता की पूर्वव्याप्ति तारीख से किया जाएगा।

(घ) नियमानुसार प्रवरण ग्रेड के पदों की संख्या स्थाई पदों तथा उन अस्थाई पदों की 20 प्रतिशत होगी जो 1.1.1973 से तीन अथवा अधिक वर्षों से विद्यमान है। स्थायी पदों की संख्या प्रवरण ग्रेड पदों की संख्या से हमेशा अधिक होगी। इसीलिए, यह स्वाभाविक है कि केवल स्थाई अध्यापक ही प्रवरण ग्रेड प्राप्त करेंगे।

स्थगन प्रस्ताव आदि के बारे में

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मेरी अनुमति के बिना कुछ भी रिकार्ड नही किया जायगा। **(व्यवधान)** कृपया बैठ जाइए। अब में खड़ा हूँ। कृपया बैठ जाइए। जब मैं खड़ा हुआ हूँ तो आपको बैठना चाहिए। नियम यही कहते हैं। ···**(व्यवधान)**। देखिए इस तरीके से सब के सब रोज आर खड़े हो जाते हैं तो इससे कोई अर्थ निकलता नहीं है। हर एक मसले को हम विचार कर सकते है—आप भी और आप भी। दोनों साइड आज वैस्ट बंगाल के मसले को उठा रही हैं। **(व्यवधान)** ··· व्यूह प्वाइंट्स अलेहदा हो सकते हैं। ···**(व्यवधान)**

श्री इंद्रजीत गुप्त (बसीरहाट) : चूंकि दोनो पक्ष चाहते हैं इसलिए हम चर्चा का स्वागत करेंगे। **(व्यवधान)**।

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : कानून और व्ययस्था पर चर्चा नही हो सकती है। **(व्यवधान)**।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती (कलकत्ता दक्षिण) : यदि आप पश्चिम बंगाल में कानून और व्यवस्था की स्थिति पर चर्चा करने जा रहे हैं तो बिहार पर क्यों नही उत्तर प्रदेश पर क्यों नहीं पश्चिम बंग।ल की कानून और व्यवस्था की स्थिति को अकेला नहीं लिया जा सकता आपको उत्तर प्रदेश और बिहार की कानून और व्यवस्था की स्थिति पर भी चर्चा करनी होगी।

(व्यवधान)

श्री ज्योतिर्मय बसु : महोदय मैं आपकी अनुमति चाहता हूँ।···**(व्यवधान)***

अध्यक्ष महोदय : मेरी अनुमति के बिना कुछ भी रिकार्ड नहीं किया जाएगा। मैंने किसी को भी किसी भी प्रकार की अनुमति नहीं दी है। **(व्यवधान)***

*कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

आप बैठ जाइए। देखिए, इसका एक ही इलाज हो सकता है, एक ही समाधान हो सकता है—अगर सदन की मर्जी हो तो मैं गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट कर सकता हूँ कि आज कल जो डिमान्डस चल रही हैं उसके बाद मैं होम मिनिस्ट्री ले सकता हूँ। और आप इस सत्र पर चर्चा नहीं कर सकते हैं।

श्री ज्योतिर्मय बसु: नहीं, श्रीमान। ···(व्यवधान)···

अध्यक्ष महोदय : आप भी कर सकते है और वे भी कर सकते हैं। ···(व्यवधान) आप बैठिए। मैं एक-एक को सुन लेता हूँ। ·· (व्यवधान)···

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : पश्चिम बंगाल में कानून और व्यवस्था की स्थिति पर चर्चा करते समय आपको बिहार और उत्तर प्रदेश तथा अन्य राज्यों को भी इस चर्चा में शामिल करना होगा। (व्यवधान)

श्री ज्योतिर्मय बसु : महोदय, आपकी अनुमति हो तो मैं कुछ कहना चाहता हूँ। (व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, स्थगन प्रस्तावों की कार्यवाही चलाने के लिए आप कोई तरीका अपनाइए। आप कृपया ऐसा आज ही करें। आप कृपया वही तरीका अपनाएँ कि स्थगन प्रस्ताव लाने वाले लोग कौन है उसका मसौदा क्या है और इसका ब्यौरा क्या है। उन्हें एक अवसर दिया जाए ताकि हम निष्पक्ष व्यवहार कर सकें।···(व्यवधान)···

अध्यक्ष महोदय : आपको पता है कि आप सब इकट्ठे बोलते रहेंगे तो न मेरे कुछ पल्ले पड़ेगा न आपके पल्ले पड़ेगा और न किसी के पल्ले पड़ेगा···(व्यवधान)···आप बीच में क्यों बोलते हैं ?

एक माननीय सदस्य : आप सब की बात सुनिए।

अध्यक्ष महोदय : कोई सुनायेगा तो सुनूंगा, लेकिन इस तरह कैसे सुनूंगा। आप को तो इतना भी नहीं है कि मैं खड़ा हूँ फिर भी आप बोल रहे हैं। जब मैं खड़ा हूँ तो आप क्यों नहीं बैठ सकते ? मैं सुनूँगा। मैं अपना आदेश दूँगा। परन्तु मैं नहीं समझता कि यह ठीक है। मैं सुनूंगा। जो उचित है उसे रिकार्ड किया जाए। यह सीधी सी बात है। अगर कोई मुझे बोलने का मौका देगा, तभी चलेगा। वरना इस तरह से गाड़ी कैसे चलेगी ? इस तरह से तो छुट्टी करके बाहर चलते हैं। ···(व्यवधान)···जब मैं खड़ा हूँ तो आप क्यों खड़े हैं ? आप क्यों बीच में बोलते हैं ? आप बैठिए। आपको क्यों बोलना चाहिए ? ···(व्यवधान) आपको अभी क्यों बोलना चाहिए ? देखिए मैं एक-एक मेम्बर को सुनने की कोशश करता हूँ। जिसका नाम लूं वही बोलेंगे। अगर उन की बात विधि के, कानून के अनुसार होगी तो रिकार्ड पर जाने दूँगा। अगर नहीं होगी तो कह दूँगा कि आप बैठ जाइए। मुझे आप सब को सुनने दीजिए। अगर आप ऐसा चाहते हैं तो ऐसा कर लेते हैं।

श्री इंद्रजीत गुप्त : जिन्होंने नोटिस दिए है उनकी बात सुनिये। जिन्होंने नोटिस नहीं दिये हैं उनकी कैसे सुनेंगे ?

अध्यक्ष महोदय : नोटिस दे देने से बोलने का अधिकार नहीं मिल जाता। ऐसा मत कहिए।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : क्या आपने···का ध्यान आकर्षित किया है ? (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : नहीं मैंने नहीं किया है।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मैं आपकी अनुमति चाहता हूँ।

अध्यक्ष महोदय : एक मिनट। (व्यवधान) मैंने उन्हें अनुमति नहीं दी है। पहले लेडीज़ से शुरू करता हूँ। श्रीमती कृष्णा साही। किस नियम के अन्तर्गत।

श्रीमती कृष्णा साही (बेगुसराय) : अध्यक्ष महोदय बंगाल में सारा जीवन अस्तव्यस्त हो गया है, कानून व व्यवस्था नाम की कोई चीज़ नहीं रह गई है···

श्री एन० के शेजवलकर (ग्वालियर) : मामला सभा की प्रक्रिया के संबन्ध में है···

श्रीमती कृष्णा साही : अध्यक्ष महोदय ने मेरा नाम पुकारा है।

अध्यक्ष महोदय : एक मिनट आप बैठिए, शेलवलकरजी।···(व्यवधान) कैसे इस तरह से काम करेंगे। आप बैठिए। आप बीच में क्यों बोल रहे है। शेजवलकरजी, मैं आपकी बात भी सुनूगा। मैं इनका प्वाइंट आफ आर्डर सुन रहा हूँ। आप किस मुद्दे के तहत प्वाइंट आफ आर्डर उठा रही हैं ?

श्रीमती कृष्णा साही : मैंने स्पेशल मोशन मूव किया है कि विशेष डिबेट होनी चाहिए। बंगाल में इतने सारे कांग्रेस (आई) के आदमी मारे गए हैं···

अध्यक्ष महोदय : इस के मुत्तालिक मेरे विचार अलग हैं। अभी मैं आपको इस पर एलाऊ नहीं करता।

श्री एन० के० शेजवलकर : मैं व्यवस्था का एक प्रश्न उठाता हूँ। आपने अभी कहा, मैं प्रत्येक को सुनूंगा ···

अध्यक्ष महोदय : प्रत्येक को नहीं।

श्री एन० के० शेजवलकर : "और यदि यह उचित होगा तो रिकार्ड किया जाएगा, अन्यथा नहीं।" अब तक, प्रक्रिया यही रही है कि जिन्होंने लिखित नोटिस दिये हैं···

अध्यक्ष महोदय : इसका कोई प्रश्न नहीं है। मैं इस पर कभी दृढ़ नहीं रहता। मैं इसे रिकार्ड करने की अनुमति नहीं देता। इस से आपको कोई अधिकार नहीं मिलता है।

श्री एन० के० शेजवलकर : मैं आपकी इस बात से सहमत हूँ कि यह अधिकार का मामला नहीं है। आप यह भेद कैसे करेंगे कि आप किसको अवसर देंगे और किसको नहीं देंगे ? कोई न कोई तो मार्ग होना ही चाहिये। यदि मैं कुछ कहना चाहता हूँ—

अध्यक्ष महोदय : यह तो किसी नियम के अधीन व्यवस्था का मुद्दा उठाने का प्रश्न है। यदि वह नियम मुझे अनुमति देता है तो मैं अनुमति दूंगा अन्यथा नहीं। प्रस्ताव की सूचना देने से माननीय सदस्य का यह विशेषाधिकार नहीं हो जाता कि वह इसे सदन में उठाए।

श्री एन० के० शेजवलकर : मैं यह कतई नहीं कहता कि यह अधिकार का मामला है। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: आप बैठिए। बारी-बारी से बुलाऊँगा। आप बीच-बीच में क्यों उठ रहे हैं। (व्यवधान)

श्री एन० के० शेजवलकर: मैं यह जानना चाहता हूँ कि मुझे क्या अधिकार है। मैं यह जानना चाहता हूँ कि यहाँ बैठे किसी सदस्य को कब बोलने का और क्या बोलने का अधिकार है।

बात यह है कि अब तक तो वही प्रक्रिया थी। मैं इस बात से सहमत हूँ कि आप बोलने की अनुमति दे सकते हैं और नहीं भी यद्यपि उन्होंने एक प्रस्ताव की लिखित सूचना भेजी है। परन्तु आप किसी और को भी बोलने की अनुमति दे रहे हैं, कुछ और लोगों को बोलने की अनुमति दे रहे हैं जो किसी मुद्दे को आपकी अनुमति से उठाना चाहते है—

अध्यक्ष महोदय : रिकार्ड से आपको यह पता चलेगा कि जो कुछ ठीक नहीं संगत नहीं है उसकी अनुमति नहीं दी गई है। जो बात पर्टीनेन्ट होगी वही एलाऊ करूंगा।

श्री एन० के० शेजवलकर : फिर भी आप बात तो सुनेंगे—

अध्यक्ष महोदय : नियमानुसार तो ठीक है अन्यथा नहीं। (व्यवधान) आप क्यों बीच में बोल रहे है। में आपको बुलाउंगा, तब उठिये। जब एलाउं करुंगा तब उठिए। अभी इनकी बात समाप्त नहीं हुई है।

श्री एन० के० शेजवलकर : मेरी बात किलयर हो जाए। —(व्यवधान)—

अध्यक्ष महोदय : शेजवलकर जी, आप बैठिऐ। में बारी-बारी से एलाऊ करुंगा।

श्री विजय एन पाटिल : महोदय. मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है।

अध्यक्ष महोदय : मैं आप से भी पूछूंगा।

श्री ज्योतिर्मय बसु : आरम्भ में ही मैं आपको विश्वास दिला देता हूं कि मैं कोई ऐसा मुद्दा नहीं उठाउंगा जो कार्यक्षेत्र से बाहर हो—

अध्यक्ष महोदय : प्रथमतः आप मुझे यह बताइये कि आप किस नियम के अधीन कौन सा मामला उठाना चाहते हैं ?

श्री ज्योतिर्मय बसु : नियम 60 के अधीन। जिसकी स्थगन प्रस्ताव सूचनाएं न केवल मैंने भेजी हैं अपितु अन्य सदस्यों ने भी भेजी हैं। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मुझे देखने दो कि नियम 60 कौन सा है।

श्री ज्योतिर्मय बसु : नियम 56,57, 58,59, 60, 61, 62 और 63 सभी को उद्धृत किया गया है।

अध्यक्ष महोदय : यह नियम 60 है।

श्री ज्योतिर्मय बसु : नियम 56 से लेकर 63 तक। श्री भगवत झा आजाद महोदय कुछ व्यग्र दिखाई दे रहे है।

कुमारी पुष्पा देबी सिंह (रायगढ़) : श्री मान्, मैंने मन्त्री महोदय के वक्तव्य को पढ़ा है तब भी कुछ सन्देह मेरे मन में बने हुए हैं। इसलिए मैं मंत्री महोदय स्पष्टीकरण चाहती हूं :

(1) ईरान में एक रुके पड़े 402 कर्मीदल के सदस्यों के परिवारों के लिए सरकार ने क्या किया है। रुके पडे कर्मीदल के परिवारों को कितनी राशि सहायता के रूप में दी गई है ?

(2) ईराक मे रह जाने वाले जल-यानों की सुरक्षा की क्या ग्रान्टी हैं ?

(3) छः जल-यान युद्ध में नष्ट हो गये थे जिनके मालिक साधारण व्यक्ति हैं इन व्यक्तियों के पूरे परिवार की आय का अन्य कोई स्त्रोत नहीं है। उन्हें अपना व्यवसाय पुनः शुरू करने के लिए सरकार कितनी क्षतिपूर्ति तथा सुविधाएं दे रही है ।

(4) क्या सरकार को पता है कि अप्रैल के महीने में जलयानों का खाड़ी क्षेत्र से वापस आना संभव नहीं हैं? यदि हां, तो उनके खाढ़ी क्षेत्र से कब तक वापस आने की सरकार को उम्मीद है। युद्ध में नष्ट हुए छः जलयानों का बीमा नहीं किया हुआ था। क्या सरकार इन नष्ट हुए जलयानों के स्वामियों को ईराक-ईरान सरकारों से पर्याप्त क्षति पूर्ति दिलाने में सहायता करेगी ।

श्री पी० वी० नरसिंह राव : वास्तव में इसी विषय पर एक प्रश्न का उत्तर परसों मेरे मित्र नौवरन मंत्री द्वारा दिया जा रहा है। हो सकता है दोनों मंत्रालयों से न्यान करने के लिए इस बार मुझे ध्यानाकर्षण प्रस्ताव का उत्तर देने को कहा गया है।

श्रीमान, जहाँ तक विदेह। मत्रालय का संबंध है हमने वहां पर बसरा में विद्यमान अपने महा वाणिज्य शत को उचित अनुदेश दे दिये हैं।

मै पहले ही बता चुका हूं कि इन जलयानों के बारे में क्या कार्यवाही की जानी है जो कि शत-जल अरब से वापस नही जा जके। जब तक जल यानों तथा कर्मी दल की सुरक्षा। सुनिश्चित न हो जाये तब तक इन यानों का वहां से हटाना संभव नहीं है।

किये गये उपायों की एक लम्बी सूची है। उदाहरणार्थ यह भी स्पष्ट किया जाता है कि तत्कालीन परिवहन और संचार मन्त्रालय की दिनांक 17.12.60 की अधिसूचना संख्या 3144 द्वारा एम० एस० (संकट ग्रस्त नौवहन कर्मचारियों) सम्बन्धी नियम 1960 को इन जहाजों पर लागू किया गया जिसके अनुसार बापस आने वाले कर्मी दलों का पूरा व्यय जलयानों के स्वामियों तथा उनके ऐजेंटों से वसूल किये जायेंगे पूर्वोक्त स्थिति के कारण और चूंकि नौवहन के मुख्य निदेसालय के पास कोई पृथक निधि नहीं है जिससे कि बसरा तथा फाओ में रुके पड़े कर्मीदलो के भारत लाने का व्यय किया जा सके नौवहन के महानिदेशक ने आल इंडिया सेलिंग वेसल्स इंडस्टी

कुमारी पुष्पा देवी सिंह (रायगढ़) : श्री मान्, मैंने मंत्री महोदय के वक्तव्य को पढ़ा है तब भी कुछ सन्देह मेरे मन में बने हुए हैं। इसलिए मैं मंत्री महोदय स्पष्टीकरण चाहती हूं :

(1) ईरान में एक रुके पड़े 402 कर्मीदल के सदस्यों के परिवारों के लिए सरकार ने क्या किया है। रुके पडे कर्मीदल के परिवारों को कितनी राशि सहायता के रूप में दी गई है ?

(2) ईराक में रह जाने वाले जल-यानों की सुरक्षा की क्या ग्रान्टी हैं ?

(3) छः जल-यान युद्ध में नष्ट हो गये थे जिनके मालिक साधारण व्यक्ति है इन व्यक्तियों के पूरे परिवार की आय का अन्य कोई स्त्रोत नहीं है। उन्हें अपना व्यवसाय पुनः शुरू करने के लिए सरकार कितनी क्षतिपूर्ति तथा सुविधाएं दे रही है ।

(4) क्या सरकार को पता है कि अप्रैल के महीने में जलयानों का खाड़ी क्षेत्र से वापस आना संभव नहीं हैं? यदि हां, तो उनके खाड़ी क्षेत्र से कब तक वापस आने की सरकार को उम्मीद है। युद्ध में नष्ट हुए छः जलयानों का बीमा नहीं किया हुआ था। क्या सरकार इन नष्ट हुए जलयानों के स्वामियों को ईराक-ईरान सरकारों से पर्याप्त क्षति पूर्ति दिलाने में सहायता करेगी।

श्री पी० वी० नरसिंह राव : वास्तव में इसी विषय पर एक प्रश्न का उत्तर परसों मेरे मित्र नौवहन मंत्री द्वारा दिया जा रहा है। हो सकता है दोनों मंत्रालयों से ध्यान करने के लिए इस बार मुझे ध्यानाकर्षण प्रस्ताव का उत्तर देने को कहा गया है।

श्रीमान, जहाँ तक विदेश मंत्रालय का संबंध है हमने वहां पर बसरा में विद्यमान अपने महा वाणिज्य दूत को उचित अनुदेश दे दिये हैं।

मै पहले ही बता चुका हूं कि इन जलयानों के बारे में क्या कार्यवाही की जानी है जो कि शत-जल अरब से वापस नही जा सके। जब तक जल यानों तथा कर्मी दल की सुरक्षा। सुनिश्चित न हो जाये तब तक इन यानों का वहां से हटाना संभव नहीं है।

किये गये उपायों की एक लम्बी सूची है। उदाहरणार्थ यह भी स्पष्ट किया जाता हैं कि तत्कालीन परिवहन और संचार मन्त्रालय की दिनांक 17.12.60 की अधिसूचना संख्या 3144 द्वारा एम० एस० (संकट ग्रस्त नौवहन कर्मचारियों) सम्बन्धी नियम 1960 को इन जहाजों पर लागू किया गया जिसके अनुसार वापस आने वाले कर्मी दलों का पूरा व्यय जलयानों के स्वामियों तथा उनके ऐजेंटों से वसूल किये जायेंगे पूर्वोक्त स्थिति के कारण और चूंकि नौवहन के मुख्य निदेसालय के पास कोई पृथक निधि नहीं है जिससे कि वसरा तथा फाओ में रुके पड़े कर्मीदलो के भारत लाने का व्यय किया जा सके नौवहन के महानिदेशक ने आल इंडिया सेलिंग बेसलस इंडस्टी

ग्रध्यक्ष महोदय : कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए। दूसरी ग्रौर कोई सूचना भेजिए, स्थगन प्रस्ताव नहीं। श्री ज्योतिर्मय बसु को ग्रनुमति नहीं दी जाती है।

श्री ज्योतिर्मय बसु :*

ग्रध्यक्ष महोदय : श्री मनी राम बागड़ी। (**व्यवधान**) बागड़ी जी ग्राप कुछ कहना चाहते हैं ? ग्राप किस मुद्दे पर कहना चाहते है ?

श्री मनीराम बागड़ी : ग्रगर इस सदन में किसी सदस्य की पुलिस द्वारा पिटाई की जाए, पुलिस ने उन्हें पीटा है, वे यहाँ बैठे है ···(**व्यवधान**)

ग्रध्यक्ष महोदय : मैं उचित कार्यवाही करूगा। मुझे प्रस्ताव मिल गया है। मैं ग्रापको बता दूंगा। मैं ग्रापको बताऊँगा, ग्राप बैठिए। ··· (**व्यवधान**)*

मैंने ग्रापको कहा है कि मैंने पढ़ लिया है, मैं ग्रापको बताऊँगा। ग्राप बैठिए। (**व्यवधान**)* जो कुछ वे कह रहे है, इसे कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

·· (व्यवधान)*

संचार मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री विजय एन० पाटिल)

मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। मेरा व्यवस्था का प्रश्न नियम 32 के ग्रधीन बनता है। मैं इसे प्रश्न काल में नहीं उठा सका क्योंकि प्रश्न काल में कोई व्यवस्था का प्रश्न उठाया ही नहीं जा सकता है।—

ग्रध्यक्ष महोदय : ग्राप क्या कहना चाहते हैं।

श्री विजय एन० पाटिल : मैं प्रश्न काल के बारे में व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूँ प्रश्न काल के समय क्या बात थी जो उसका बहुत सारा समय तो श्री ज्योतिर्मय ही खा गये—

ग्रध्यक्ष महोदय : वह बात तो समाप्त हुई। ग्रब ग्राप क्या कहना चाहते हैं ?

श्री विजय एन० पाटिल : नियम 32 के ग्राधीन—

ग्रध्यक्ष महोदय : ग्राप क्या कर रहे है प्रोफेसर साहब ? ग्राप पढ़े लिखे होकर यह काम करते हैं।

श्री विजय एन० पाटिल : नियम 32 में कहा गया है :

जब तक ग्रध्यक्ष ग्रन्यथा निर्देनश दें; प्रत्येक बैठक का पहला घंटा प्रश्न पूछने ग्रौर उनके उत्तर देने के लिए उपलब्ध होगा।"

यहां, ग्रब मैं सदस्यों के लिए ग्रापका संरक्षण चाहूँगा, क्यों कि संसद सदस्यों को प्रश्न पूछने का ग्रधिकार है। परन्तु यदि बसु जैसे वरिश्ठ सदस्य ग्रारम्भ में 10 से 15 मिनट का समय लेने लगे—

ग्रध्यक्ष महोदय : ग्राप ठीक कहते हैं।

* कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री विजय एन० पाटिल : फिर प्रश्नों के लिए एक घन्टे का समय भी नहीं दिया जा सकता है। महोदय मेरा आपसे निवेदन है कि नियम 356 के अधीन श्री बसु—(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : आपका व्यवस्था का प्रश्न क्या है ?

श्री ए० के० सेन : नियम 193 के अधीन हमने एक महत्त्व पूर्ण प्रश्न उठाने की सूचना दी है—

अध्यक्ष महोदय : 1932 उस पर मैं विचार कर रहा हूँ। मैंने इसे अस्वीकार नहीं किया है—(**व्यवधान**) कृपया बैठ जाइये । उस पर मैं विचार कर रहा हूँ—(**व्यवधान**)

श्री ज्योतिर्मय बसु : भूतपूर्व सरकार के एक वरिष्ठ सदस्य आकर कहते हैं कि उन्होंने एक प्रस्ताव की सूचना दी है—(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : इसीलिए तो मैं कहता हूँ—(**व्यवधान**) आप सब बैठिए। मैंने इनको एलाऊ किया है। आपकी बात सुनूंगा; अभी इनकी बात सुन लेता हूँ।

नहीं तिवारी जी आप कृपया बैठिए। जब मैंने आपको आश्वासन दिया है कि मैं आपकी बात सुनुंगा तो आप नियमों को क्यों तोड़ते हैं ? आप बैठ जाइए। आप बैठिए प्रोफेसर साहब।

विशेषाधिकार का प्रश्न

गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश में पुलिस द्वारा श्री भोगेन्द्र के साथ मारपीट

श्री इंद्रजीत गुप्त (बसीरहाट) महोदय, मैंने आपको नियम 222 के अधीन सूचना भेजी है।

अध्यक्ष महोदय : उस पर मैं विचार कर रहा हूँ।

श्री इंद्रजीत गुप्त : इस सभा के एक सदस्य जब अपने कर्तव्य का पालन कर रहे थे तो उनके साथ हाथा पाई की गई। —(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : गुप्त जी कृपया मेरी बात सुनिए।—(**व्यवधान**) कृपया बैठ जाइये। आप बैठिए क्या कर रहे हैं आप। मेरी बात तो सुन लीजिए।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : सदस्य यहाँ पर उपस्थित हैं।

अध्यक्ष महोदय : आपको क्या हो रहा है मेरी बात तो सुन लीजिए।

श्री इन्द्रजीत गुप्त ने 3.4.81 को लगभग 6 बजे सांय इस सदन के एक सदस्य श्री भोगेन्द्र झा के साथ गाजियाबाद में उत्तर प्रदेश के प्रादेशिक शस्त्र बल द्वारा कथित, जानबूझ कर और अकारण की गई हाथापाई के बारे में गाजियाबाद कोतवाली के प्रभारी-निरीक्षक और गाजियाबाद के सिटी मजिस्ट्रेट के विरुद्ध विशेषाधिकार के प्रश्न की सूचना दी है। प्रचलित प्रथा के

अनुसार मैं मामले को तथ्य प्राप्त करने के लिए भेज रहा हूं। उसके बाद, मैं तदानुसार मामले पर आगे कार्यवाही करूंगा। (व्यवधान) मैं आपकी बात कैसे सुन सकता हूँ। मेरे 50 कान तो हैं नहीं।

आप कैसे लोग यहाँ बैठे हैं। आप मेरी बात क्यों नहीं सुनते हैं ? (व्यवधान)

आपको कोई रहम नहीं है। आपको कोई ज्ञान नहीं है। मैं कैसे 50 आदमियों की बात सुन सकता हूं। (व्यवधान) मैं तो सुन रहा हूं आप नहीं सुनना चाहते। आप सब बैठ क्यों नहीं जाते ?

वे यह क्या कर रहे हैं ? वहाँ किस प्रकार के लोग हैं ?...(व्यवधान)...कृपया बैठ जाइए।

मैं कहना चाहता हूं कि मैंने माननीय सदस्य को सभा में बोलने की अनुमति दी है। जो कुछ उन्हें कहना है मैंने उन्हें नियम 377 के अधीन कहने के लिए हमने पहले ही इसकी अनुमति दे दी है···(व्यवधान)···हमारे पास पूर्वोदाहरण हैं। मैं चाहता हूँ कि वह एक वक्तव्य दें ···(व्यवधान)

श्री नीरेन घोष (दमदम) : महोदय मैं एक निवेदन कर सकता हूँ ? जब मैं राज्य सभा का सदस्य था तो इस तरह के एक मामले में मुझ पर आक्षेप किया गया था। मामले को विशेषाधिकार समिति को भेजा गया था।

अत: आपको इस मामले को विशेषाधिकार समिति को भेज देना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : कहाँ इन्कार किया है ? फैक्ट्स तो पता कर लेने दो मुझे।

श्री नीरेन घोष : 377 के अधीन क्यों ? आप उन्हें सीधा बोलने के लिए कहिए।

श्री रामावतार शास्त्री (पटना) : उनकी बात तो सुनिए।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती (कलकत्ता दक्षिणी) : यह कोई हंसने की चीज नहीं है।

अध्क्षय महोदय : मैं एक बात बताना चाहता हूं इस हाउस को।

श्री मनी राम बागड़ी (हिसार) : हां बताइए।

अध्यक्ष महोदय : आप सुनते क्यों नहीं हैं ? मैं उन्हीं की बात करना चाहता हूँ और आप उन्हीं को बात सुनाना देना नहीं चाहते। यही हम कर रहे हैं आनरेबल मेम्बर कोई भी हो और किसी भी पार्टी का हो मैं उसकी पूरी हिफाजत करने की हाउस को गारंटी देता हूँ। हमें इसकी जांच करनी चाहिए। किसी एक की नहीं सब की देता हूं। कल को किसी के साथ भी इस तरह की घटना घट सकती है। लेकिन आपका थोड़ा सा विधान बना हुआ है कायदे कानून बने हुए हैं। उनके अनुसार मैं करना चाहता हूं। और कोई विशेष बात नहीं है। यहाँ पहले भी इस तरह की घटना हुई है। इंद्रा कुमारी जी के साथ हुई थी। कुंवर राम जी के साथ हुई थी। उस वक्त भी करवाया था। आज कौन सी नई बात उठ गई है ? आज जब से मैंने भोगेन्द्र जी के बारे में पढ़ा तब से मैं सोच रहा हूं। लेकिन आपने कानून बना कर मेरे हाथ बांध रखे हैं। मैं उनको तोड़ूं तो आपका नुकसान है और सदन का नुकसान है।

श्री जयपाल सिंह कश्यप (आंवला) परम्परा की बात है।

अध्यक्ष महोदय : परम्परा की बात तो कर रहा हूं। और कोई बात नहीं कर रहा हूं। मैं भी वही बात कर रहा हूं जो आप कहना चाहते हैं। लेकिन सवाल इतना ही है कि मैं सुनना चाहता हूँ और आप सुनने भी नहीं देना चाहते। न उनकी और न मेरी बात आप सुनने के लिए तैयार हैं। मैं सुबह से उनके पीछे लगा हूं कि बयान मुझे दें।

श्री हरिकेश बहादुर (गोरखपुर) : महोदय, कांग्रेस (आई) के एक संसद सदस्य के मामले में, जिन्हें एक कांस्टेबल ने अपशब्द कहे थे, मामला विशेषाधिकार समिति को भेजा जाना चाहिए था।

अध्यक्ष महोदय : उन से पूछ लें। यह में कह रहा हूं हरिकेश जी। उनको बात सुनाने दो। समझे या नहीं ? जब आप उनको बात कहने भी देना नहीं चाहते तो मैं क्या कर सकता हूँ। मैं उनकी मदद करना चाहता हूं। बयान दें सुन रहा हूं। आप बैठिए।

श्री रामावतार शास्त्री : कैसे सुनेंगे ?

अध्यक्ष महोदय : इन्द्रजीत जी से पूछ "कैसे सुन रहा हूँ। क्या बात कर रहे हैं ? क्यों कानून तुड़वाना चाहते हैं मेरे से ?

मुझे अपने सदस्यों के बारे में काफी चिन्ता है क्योंकि यह सभा सभी की है यह केवल बल राम या श्री हरिकेश बहादुर या श्री भीष्म नारायण जी की ही नहीं है। यह सभा सभी की है। हम अपने सदस्यों की सुरक्षा के लिए सामूहिक रूप से जिम्मेदार हैं और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे किस दल के हैं। कोई भेदभाव नहीं है। भेदभाव नहीं होना चाहिए। मैं इसकी अनुमति नहीं दे रहा हूं। हमें धैर्य रखना चाहिए। नियमों को तोड़ने का कोई प्रश्न नहीं है। मैं कभी भी नियमों का उल्लंघन नहीं करता हूँ और मैं अपने नियमों पर दृढ़ हूँ। मैं इसी प्रकार अपने नियमों पर सदा दृढ़ रहूँगा।

श्री ज्योतिर्मय बसु : महोदय, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। अनुच्छेद 246 के अधीन (व्यवधान)...

श्री आनन्द गोपाल मुखोपाध्याय (आसन सोल) : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (बसीरहाट) : महोदय, आपने माननीय सदस्य श्री भोगेन्द्र झा को इस घटना के सम्बन्ध में वक्तव्य देने की अनुमति दी है, इसके बाद आप नियम 222 के अधीन इस मामले को विशेषाधिकार समिति को भेजने सम्बन्धी मेरे अनुरोध पर विचार करने की कृपा करें।

महोदय, मैं क्षमा मांगता हूं कि वक्तव्य के आप तक पहुंचाने में विलम्ब हुआ है।

अध्यक्ष महोदय : आप उसे स्पष्ट कर सकते थे।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : आपको उन्हें अनुमति देनी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : मैं गुण-दोषों का निष्पक्ष रूप से, बिना किसी भय या पक्ष के, अध्ययन करूंगा।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : यह हम नहीं हैं···(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री मुखोपाध्याय, आपका व्यवस्था का प्रश्न क्या था ?

श्री आनन्द गोपाल मुखोपाध्याय : इस सभा के अनेक सदस्य पश्चिम बंगाल की स्थिति के विषय में अत्यधिक चिन्तित हैं ।

अध्यक्ष महोदय : आप यह प्रश्न किस नियम के अधीन उठाना चाहते हैं ।

श्री आनन्द गोपाल मुखोपाध्याय : और नियम 193 के अधीन ।

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न यहाँ नहीं उठाया जा सकता है । यह विचाराधीन है ।

श्री आनन्द गोपाल मुखोपाध्याय : और नियम 184 के अधीन ।

अध्यक्ष महोदय : यह कार्य कार्य मंत्रणा समिति को करना है । इसे यहाँ नहीं उठाया जा सकता ।

श्री आनन्द गोपाल मुखोपाध्याय : हमने कुछ भी नहीं सुना ।

अध्यक्ष महोदय : इसे यहाँ नहीं उठाया जा सकता है। किसी सदस्य से पूछिए जो नियमों के बारे में जानते हों ।

श्री आनन्द गोपाल मुखोपाध्याय : कृपया मेरी बात सुनिए ।

अध्यक्ष महोदय : मैं किसी भी बात को जो नियमानुसार नहीं है सुन नहीं सकता । (व्यवधान)*

अनुमति नहीं है । कृपया बैठ जाइए । कुछ भी रिकार्ड नहीं किया जायेगा । अनुमति नहीं है । आप इस पर यहाँ चर्चा नहीं कर सकते । मैंने इसे पढ़ा है । अनुमति नहीं है । नियम 184 के अधीन इस प्रस्ताव को पहले अनुमति दी गई थी क्योंकि उस मामले में वहाँ पर राष्ट्रपति शासन था । कार्य मन्त्रणा समिति को इस समिति को इस सम्बन्ध में निर्णय लेना है । (व्यवधान) कुछ भी रिकार्ड नहीं किया जा रहा है । मैंने श्री दण्डवते को अनुमति दी है । (व्यवधान)*

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर) : अध्यक्ष महोदय, आपने पहले ही निर्णय दे दिया है कि कानून और व्यवस्था का विषय राज्य सूची का है और इस पर यहाँ चर्चा नहीं की जा सकती है ।

अध्यक्ष महोदय : आप कहना क्या चाहते हैं ।

प्रो० मधु दण्डवते : मैं उस प्रश्न से बाहर नहीं जा रहा हूं । परन्तु मेरा व्यवस्था का प्रश्न है कि हालांकि कानून और व्यवस्था की स्थिति राज्य सूची का विषय है और इस पर संसद में चर्चा नहीं की जा सकती है फिर भी पश्चिम बंगाल के मुख्य मन्त्री ने वक्तव्य दिया था कि रेलवे, दूरदर्शन और आकाशवाणी के अधिकारियों···

अध्यक्ष महोदय : अनुमति नहीं है । अनुमति नहीं है । (व्यवधान)*

*कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया ।

प्रो० मधु दण्डवते : महोदय, मैं आपका निर्णय चाहता हूँ···

अध्यक्ष महोदय : अनुमति नहीं है। (व्यवधान)*

प्रो० के० के० तिवारी (बक्सर) : पश्चिम बंगाल के विषय में वास्तव में हम वहाँ की कानून और व्यवस्था की समस्या की चर्चा नहीं चाहते हैं···

अध्यक्ष महोदय : आप क्या चाहते हैं ?

प्रो० के० के० तिवारी : वहाँ का संवैधानिक तंत्र पूरी तरह असफल हो गया है। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यह गृह मंत्रालय के अन्तर्गत आता है। मैं आपको अनुमति नहीं दे सकता। ऐसा नहीं हो सकता। (व्यवधान)० आप बैठ जाइए।

श्री हरिकेश बहादुर : महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

अध्यक्ष महोदय : अनुमति नही है। (व्यवधान)*

श्री हरिकेश बहादुर : महोदय, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री···

अध्यक्ष महोदय : अनुमति नहीं है (व्यवधान)*

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : इस सभा के सदस्य के रूप में हमने प्रतिज्ञा की है कि हम संविधान की मर्यादा बनाए रखेंगे। श्री ए० के० सेन और श्री मुखोपाध्याय ने···का प्रयास नहीं किया।

अध्यक्ष महोदय : अनुमति नहीं है। (व्यवधान)*

श्री राम सिंह यादव (अलवर) : महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप फैसला करलें कि दोनों में से कौन बोल रहा है। श्री एस० बी० चव्हाण।

सभा-पटल पर रखे गए पत्र

भारतीय प्रबंध संस्थान, कलकत्ता के वर्ष 1979-80 का वार्षिक प्रतिवेदन और समीक्षा और लेखे प्रतिवेदन के साथ सभा पटल पर न रख जाने के संबंध में वक्तव्य शिक्षुता प्रशिक्षण बोर्ड (उत्तरी क्षेत्र), कानपुर के वर्ष 1979-80 का वार्षिक प्रतिवेदन और समीक्षा।

शिक्षा तथा समाज कल्याण मंत्री (श्री एस० बी० चव्हाण :) मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूँ :-

(1) (एक) भारतीय प्रबंध संस्थान, कलकत्ता के वर्ष 1979-80 के वार्षिक प्रतिवेदन

*कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

वरिष्ठ वैज्ञानिकों के :0 स्थान रिक्त हैं। ज्ञात हुआ है कि सुविधाओं के अभाव में वैज्ञानिक वहां नही जाते। इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए।

एक बात विश्चित है। संस्थान के कर्मचारियों के बच्चों के लिए शिक्षा की कोई भी सुविधायें नहीं हैं और एवं संस्थान से सीधे-जयपुर के लिये कोई ब त नहीं जाती, जिसका होना बहुत जरूरी हैं।

मैं कृषि मंत्री सें अनुरोध करता हूं कि वह कर्मचारियों की शिकायतों को दूर करने का प्रयत्न करें ताकि वे पूरे मन से अनुसंधान कार्य कर सके।

(तीन) उड़ीसा में एक अलग पुरातत्व मंडल बनाए जाने की आवश्यकता

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही मुक्तेश्वर) : उड़ीसा सरकार पिछले कई वर्षों से केन्द्रीय शिक्षा मंत्रालय से उड़ीसा के लिये एक प्रथम पुरातत्व मंडल खेलने का अनुरोध करती आयी है। इस समय उड़ीसा में केन्द्र 66 स्मारकों की रक्षा कर रहा है, जिनमें लिंगराज तथा जगन्नाथ के लगभग 100 मंदिर, ढांचे और कीमती मूर्तियां भी शामिल हैं। उपमंडल कार्यालय होने के कारण प्रलेखन, सर्वेक्षण, खोज, खुदायी जैसे महत्वपूर्ण कार्यों की ओर बहुत कम ध्यान दिया जाता है, इसके अतिरिक्त कोणार्क स्थित विश्व विख्यात सूर्य मंदिर तथा लालीगीरी, उदयगिरि तथा अन्य स्थानों की ऐतिहासिक बौद्ध मूर्तियों को देखने से पता चलता है कि राज्य की एक पृथक पुरातत्व मंडल की मांग उचित है जिसकी ओर भारत सरकार द्वारा शीघ्र ध्यान दिया जाना जरूरी है यदि पूर्वीमंडल का विभाजन किया जा रहा है तो मैं भारत सरकार से अनुरोध करता हूं कि उड़ीसा राज्य के लिये एक पृथक मंडल स्थापित किया जाये।

(चार) दमोल पत्तन को महापत्तन में बदले जाने की आवश्यकता

श्री बापू साहिब परूलेकर (रत्नगिरी) : बम्बई नगर की रहन-सहन की असंतोषजनक परिस्थितियां विस्फोटक स्थिति में पहुंच गई हैं तथा स्थिति में इस सुधार करने के लिए सरकार ने दूसरी बम्बई योजना आरम्भ की है और यदि उद्योगों एवं जनसंख्या के जमाव के स्थायी रोक-थाम के साधन नहीं ढूड निकाले जाते हैं तो यह निश्चित है कि कुछ ही वर्षों में इसके भयानक परिणाम फिर से व्यापक रूप में प्रकट हो जाएंगे। अतः इसका स्थायी हल ढूंढने के लिए एक ऐसा स्थान ढूढ निकालना होगा जहां वर्तमान बम्बई या दूसरे बम्बई से कहीं अधिक अच्छी एवं भरपूर मात्रा में और कर खर्च पर सुविधाएं मिल सके।

आधुनिक औद्योगिक नगर की तमाम आवश्यकताओं पर विचार करते हुए, रत्नगिरी जिले में महाराष्ट्र के पश्चिमी समुद्र-तट पर बनी दमोल बन्दरगाह के विकास से इस परिवर्तन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त तथा सुन्दर एवं सस्ती जगह मिल जायेगी और एक बार जब कोई केन्द्र बन जाता है तो उद्योगपति और व्यापारी उस ओर दौड़ पड़ेंगे।

महोदय, दमोल बन्दरगाह को केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना के अन्तर्गत सम्मिलित कर इसे बड़े बन्दरगाह के रूप में विकसित करने की जो प्रथम दृष्टया जो आवश्यकता है उसके अनेक प्रबल कारण हैं यह बन्दरगाह बम्बई से केवल 10 कि० मी० दूर दक्षिण में स्थिति है और विगत समय में समुद्र के रास्ते होने वाले अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार का यह प्रमुख बन्दरगाह था। डाक रजिस्टर के उद्धरण से पता चलता है कि बच्चों ने इसकी 18 पाथोम की अर्थात् 108 फुट की गहराई का पता किया था। नवीनतम समुद्री सर्वेक्षण के अनुसार इसकी गहराई 55 फुट है जो कि भारत की अन्य किसी भी बन्दरगाह से अधिक है। इस गहराई वाले भाग की लम्बाई लगभग तीन मील है और चौड़ाई लगभग आधा मील है। यह बन्दरगाह बिश्व में बनने वाले विशालतम समुद्री जहाजों के निर्माण और लंगर डालने के लिए उपयुक्त है। वाइस एडमिरल (सेवानिवृत्त) सोमन ने इस बन्दरगाह का सर्वेक्षण करने के बाद कहा है ; दमोल समुद्री पट्टी स्वयं बन्दरगाह के रूप में विकसित किए जाने के लिए सबसे बड़ा आकर्षण हैं और प्रारम्भ में इसमें से मिट्टी भी आसानी से निकाली जा सकती हैं और उसके बाद मिट्टी निकालने के काम में कम से कम खर्च आयेगा। इस समूद्री पट्टी को गहरे पानी वाले बन्दरगाह के रूप में विकसित किया जा सकता है जिसमें अन्ततः 100 जहाजों को खड़ा करने की क्षमता होगी।

कोयाना संयन्त्र इस स्थान से 35 मील की दूरी पर है बन्दरगाह के दोनों ओर की पहाड़ियां सुरक्षा की दृष्टि से बड़ी लाभप्रद हैं। पश्चिमी तट रेलवे लाइन इस स्थान से 25 मील से 30 मील की दूरी से गुजराती है। राज्य सरकार ने लाखों रुपये व्यय करके इस बन्दरगाह पर जहाजों के लिए घाट बनवाया हैं। इस समुद्री पटी के दोनों ओर और बहुत ही स्वास्थ्य कर कोंकणा पठार पर बहुत सारी भूमि है यहां सस्ते मजदूर भी उपलब्ध हैं।

इसलिए नौवहन और परिवहन मन्त्री महोदय से मेरा निवेदन है कि वे दमोल बन्दरगाह को प्रमुख बन्दरगाह में बदलने की सम्भावना पर विचार करें तथा इस परियोजना के अध्ययन हेतु एक समिति नियुक्त करें। मैं यह बता देना चाहता हूं कि यदि सुधारे गए उपाय शीघ्र कर दिए गये तो कोंकण के उन लोगों के मस्तिष्क पर अच्छा प्रभाव पड़े जिनकी पिछले तमाम वर्षों में पूरी तरह से अब है लेना की गई है :

(पांच) हाल ही की जनगणना धार्मिक और भाषायी अल्पसंख्यकों के बारे में गलत जानकारी दर्ज करने का समाचार

श्री जी० एम० बनातवाला (पोन्नानी) : उपाध्यक्ष महोदय, हाल ही में 1981 में हुई जनगणना भारत में जनसंख्या के आंकड़े एकत्रित करने की दशक श्रृंखला में 12 वीं जनगणना थीं। यह बड़े ही दुर्भाग्य की बात है कि इस व्यापक प्रक्रिया में जो कि सभी प्रकार की योजनाओं को बनाने के लिए एक आधार बनेगी जो सूचना अभिलिखित की गई है उसमें पूरी जानकारी और सही जानकारी की दृष्टि से ऐसी बहुत सी शिकायतें भी की हैं कि जो सूचना दी गई है उसके रिकार्ड करने मे खामियां एव गल्तियां हैं और विशेष रूप से ये गल्तियां धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों के

(5) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रतिः—

(एक) केन्द्रीय मत्स्यपालन निगम लिमिटेड हातड़ा के वर्ष 1975-76 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) केन्द्रीय मत्स्य पालन निगम, लिमिटेड हावड़ा का वर्ष 1975-76 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये देखिए संख्या एल० टी० 2285/81]

नियम 377 के अधीन मामले

(एक) 3 अप्रैल 1981 को गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में पुलिस द्वारा श्री भोगेन्द्र झा के साथ मारपीट

श्री भोगेन्द्र झा (मधुवनी) : अध्यक्ष महोदय आप द्वारा अनुमति दिये जाने पर मैं नियम 377 के अधीन यह मामला उठा रहा हूँ :

यह पता लगने के पश्चात कि पुलिस ने (1) अप्रेल को अखिल भारतीय मजदूर संघ कांग्रेस (ए आई टी यू सी) के जिला कार्यालय में घुसकर मजदूरों को पीटा है, इस सभा के भारतीय साम्यवादी दल के नेता कामरेड इन्द्रजीत गुप्त के साथ परामर्श करके यह निर्णय लिया गया कि मैं गाजियाबाद जाकर सही स्थिति का पता लगाऊँ। मैं 3 अप्रेल को सायं लगभग 5 बजे गाजियाबाद पहुँचा। मेरे साथ दिल्ली से कामरेड जितेन्द्र शर्मा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के तथा गाजियाबाद जिला सचिव, एक अन्य कामरेड टैक्सी में गये थे। हम गाजियाबाद सांय 5-15 के बाद पहुँचे। मेरठ रोड स्थिति ए आई टी यू सी के जिला कार्यालय में 5-6 लोग उपस्थित थे।

कार्यालय में हम जब चाय पी रहे थे कुछ और मजदूर आ गए तथा उन्होंने पुलिस द्वारा उन पर किए गए दमन की कहानी सुनाई। उनकी बात सुनने के पश्चात मैं उनके साथ बड़ी कठिनाई से बने उनके मजदूर संघ की तथा अन्य कानूनी अधिकारों की, बिना उत्तेजित हुए या डरे, रक्षा करने की आवश्यकता के बारे में बातें करने लगा। मैंने अभी बातें आरम्भ की ही थी कि आर० आर० पाल नाम का एक पुलिस इन्सपेक्टर वहाँ आ पहुंचा। और उसने मुझसे पूछा कि क्या मैं संसद सदस्य भोगेन्द्र झा हूं। उसकी पुष्टि करने के पश्चात् मैंने उन्हें क्षण भर रुकने के लिए कहा, क्योंकि मैं उनसे बात करना चाहता था। इसी दौरान पी० ए० सी० के बीसियों आदमी और सिपाही दौड़ते हुए आये और बैठे हुए मजदूरों को अनावश्यक रूप से लाठियों आदि से पीटने लगे।

लाठियों, राइफल की मूंठों को घुमाते हुए उन्होंने मजदूरों को मजदूर संघ के अध्यक्ष,

श्री घनश्याम सिन्हा, महासचिव श्री सुखबीर त्यागी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के जिला सचिव श्री जितेन्द्र शर्मा तथा दो-तीन और स्थानीय नेताओं ने मुझे पिटाई से बचाने के लिए चारों तरफ से घेर लिया। मैं जब उनसे घिरा खड़ा था तो पी० ए० सी० के कई व्यक्ति मेरी ओर दौड़े और जिन्होंने मुझे घेर रखा था उन्हें खींचकर बाहर निकाल दिया और उनको बन्दूक से धक्का दिया और संगीन से पिटाई की। पी० ए० सी० के व्यक्ति ने मेरी पिटाई की। पी० ए० सी० के व्यक्ति ने मेरी छाती में बन्दूक की नाली मारी और कहने लगा "साले असेम्बली और पार्लियामेंट वाले क्या करने आते हैं।" जैसे ही मुझे पी० ए० सी० के एक व्यक्ति ने बन्दूक की नाली से कमर से धकेला, तीन व्यक्तियों ने पीछे मेरी पीठ पर राइफलों की बटें मारीं और साथ ही गन्दी गालियां देने लगे कि संसद सदस्य हर जगह क्यों अपनी टांग अड़ाते हैं। मैं जब बेहोश होने लगा तो सिटी मजिस्ट्रेट किसी त्रिवेदी जी के आदेशों पर उन्होंने उठाकर मुझे साथ खड़ी जीप में डाला जिसमें उपर्युक्त नेताओं को भी डाल दिया गया था। सिटी मजिस्ट्रेट और पुलिस निरीक्षक भी इसी जीप में आगे की सीटों पर बैठे हुए थे। मैंने मजिस्ट्रेट से किसी पी० ए० सी० के व्यक्ति द्वारा लिया गया मेरा चश्मा वापस दिलाने के लिए कहा। उन्होंने 'कुछ नहीं' कहते हुए ड्राइवर को गाड़ी चलाने के लिए कह दिया। एक या दो फर्लांग जाने के पश्चात दोनों अधिकारी एक स्थान पर जीप से नीचे उतर गए। मुझे बताया गया वह श्री राम पिस्टन एंड रिंग्स मिल्स का कार्यालय था जहां मजदूर 17 मार्च से हड़ताल पर हैं। वे दोनों मिल के एक अधिकारी से गपशप करने लगे, मुझे बताया गया वह मिल के महा प्रबन्धक श्री कोई अग्रवाल है। उनसे बातचीत करने के पश्चात मजिस्ट्रेट ने मुझे जीप से बाहर आने का आदेश दिया और कहा मैं जहां चाहूं जा सकता हूँ। सौभाग्यवश दिल्ली से एक टैक्सी हमारा पीछा कर रही थी और हम उसमें चढ़ गए। कड़ी पिटाई होने के बाद तथा सारे शरीर में अत्यधिक पीड़ा का अनुभव करते हुए हम उसी समय डा० राम मनोहर लोहिया अस्पताल के आपात विभाग में गये और अपना इलाज कराया।

महोदय, मैं किसी अधिकारी को नहीं जानता हूं इसलिये मैं उनके खिलाफ कोई व्यक्तिगत आरोप नहीं लगा सकता, क्योंकि मेरी उनसे कोई व्यक्तिगत जान पहचान नहीं है, सिवाए इसके कि वे किसी संसद सदस्य द्वारा 'जांच पड़ताल' करना सहन नहीं कर सकते थे और न ही मुझे कोई ऐसा कारण समझ आता है जिसके लिए उन्हें अनियन्त्रित और कठोरता से शक्ति का प्रदर्शन और इस्तेमाल करना पडा। उन्होंने कई राउण्ड गोली भी चलाईं।

श्री हरिकेश बहादुर (गोरखपुर) : इस मामले को विशेषाधिकार समिति को सौंपा जाना चाहिए जैसा कि कांग्रेस (आई) के सदस्य···के मामले में किया गया है···(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : आप इसे अपने ऊपर क्यों ले रहे हैं ?

(**व्यवधान**)

श्री राम विलास पासवान : अध्यक्ष जी, कुंवर राम जी का मामला जब यहां पर आया था, ज्यों ही आपने सुना, उस दोनों पक्ष के लोगों ने मांग की थी कि उस मामले को प्रिविलेज कमेटी में भेज दिया जाए तो आपने प्रिविलेज कमेटी में भेज दिया था। श्री झा के शरीर पर तो घाव लगे हैं, ऐसी परिस्थिति में अगर आप इस मामले को प्रिविलेज कमेटी में नहीं भेजते हैं

तो यह किस तरह से उचित होगा। इसलिये चेयर की मर्यादा को देखते हुए इस मामले को प्रिविलेज कमेटी को भेज दिया जाए ।

अध्यक्ष महोदय : आप निष्कर्ष क्यों निकाल रहे हैं ? (**व्यवधान**) यह तो मैं अपने हिसाब से करूंगा, आपको इसमें क्या करना है ? (**व्यवधान**)

श्री इन्द्रजीत गुप्त : आप इसमें क्या करने जा रहे हैं ? (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : मैंने आपको आश्वासन दिया है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्या ?

अध्यक्ष महोदय : मैं सदस्य के हित का ध्यान रखूंगा।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : इसके लिए प्रिविलेज कमेटी बनी हुई है। कल किसी मेम्बर की पिटाई हो जायेगी तो आप कैसे बचायेंगे ? (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : मैं अपने हिसाब से भेजूंगा, आप बैठिए। मेरी ओर मत आओ। मुझे इसे संभालने दो ।

श्री **ज्योतिर्मय बसु** : महोदय, मैं अनुच्छेद 246 के अधीन व्यवस्था का प्रश्न उठाता हूं।

श्री हरिकेश बहादुर : पिछली लोक सभा में इसी प्रकार की नोटिस दी थी तो स्पीकर ने उसको रेफर किया था। उन्होंने डिस्टार्टेड वर्जन दिया था (**व्यवधान**)

श्री इन्द्रजीत गुप्त : वह तो देंगे ही। पुलिस वाले कभी नहीं मानेंगे कि ऐसा किया। अगर उसकी इन्क्वायरी करनी है तो प्रिविलेज कमेटी ही करेगी। फिर अगर कोई मेम्ब अपने काम के लिए कहीं जाए और वहाँ उसकी पिटाई हो जाए तो उसकी कैसे रक्षा होगी ?

श्री हरिकेश बहादुर : इसे अवश्य ही विशेषाधिकार समिति के पास भेजा जान चाहिए।

श्री राम विलास पासवान : आप इस मामले को प्रिविलेज कमेटी में भेजने का एलान कीजिए। (**व्यवधान**)

श्री ज्योतिर्मय बसु : महोदय क्या आप नवीनतम संस्करण के पृष्ठ 334, सूची 1, संघीय सूची, सांतवी अनुसूची, अनुच्छेद 246 को देखेंगे।

यदि आप क्रम संख्या 5 को देखे तो उसमें यह लिखा है:

"शस्त्रास्त्र, अग्न्यस्त्र युद्धोपकरण (गोला-बारूद) और विस्फोटक-संघ सूची"

शब्दों को देखिए। मैं एक गम्भीर मामला उठा रहा हूँ कि कलकत्ता में विस्फोटक पदार्थों का बहुत ज्यादा प्रयोग हुआ है। क्या केन्द्रीय सरकार...आप पुस्तक को फेंक क्यों रहे हैं ?

अध्यक्ष महोदय : मैं इसे अपनी मेज पर रख रहा हूँ (**व्यवधान**)

श्री इन्द्रजीत गुप्त : हमें विशेषधिकार के बारे में आपके निर्णय का कब पता चलेग

श्री हरिकेश बहादुर : महोदय विशेषाधिकार के मामले का क्या हुआ ?

श्री बीजू पटनायक (केन्द्र पाड़ा): आपने कहा था कि आप सदस्यों के हितों की रक्षा करेंगे। अब आप स्पष्ट रुप से उनकी बात सुन चुके हैं।

श्री नीरेन घोष (दम दम) : यदि आप यह कहें कि आप इसे विशेषाविकार समिति के सुपुर्द करेंगे तो इसे सीधे ही भेज दीजिये।

श्री बीजू पटनायक : हमें और क्या संरक्षण मिलता है, सिवाए इसके कि मामले को विशेषाधिकार सीमति को सौंपा जाए। (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : यह क्या हो रहा है आप लोगों को ? आप ठीक ढंग से क्यों नहीं सुन सकते ? अच्छा पहले आप ही बोल लीजिए, मैं फिर बोलूगा।

श्री राम विलास पासवान : पहला प्रोटेक्शन यह है कि आप प्रिवेलज कमेटी में भेज दीजिए। इसके बाद और प्रोटेक्शन देंगे। आप डंडा तो चला नहीं सकते हैं। (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : आप ही फंसोगे अगर ऐसा करवाओगे। ठीक है, मैं इसे विशेषाधिकार समिति के पास भेज दूंगा।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्या मैं यह समझुं कि आप के अनुसार एक वरिष्ठ सदस्य द्वारा सभा में दिए वक्तव्य...

अध्यक्ष महोदय : आप प्रस्ताव रखिए। मैं उसकी अनुमति दूंगा। आप प्रस्ताव पेश करिये।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्या इसकी जांच पुलिस द्वारा कराई जाएगी ?

अध्यक्ष महोदय : आपके कानून बनाए हुए है, मैंने नहीं बनाए हैं। ये मेरे बनाए हुए नहीं हें। आप मुझे पर आरोप क्यों लगाते है ? बीजू, बाबू, आपने वनाए हैं मैंने नहीं।

श्री बीजू पटनायक : में सहमत हूँ। मेरा कहना यह है कि···

अध्यक्ष महोदय : आप सारे मिलकर हाउस चालाईये तो ठीक है। मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

श्री बीजू पटनायक : संसदीय कार्य मंत्री मौजूद हैं। उन्हें प्रस्ताव रखना चाहिए।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : आपकी अनुमति से ...

अध्यक्ष महोदय : यह प्रस्ताव उनका है।

श्री बीजू पटनायक : सदस्यों के हितों और रक्षा के लिए मंत्री जी को प्रस्ताव प्रस्तुत करना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : यह प्रस्ताव उनका है।

श्री सी० एम० स्टीफन : ऐसा हो सकता है। महोदय ऐसी बात नहीं है कि ऐसा यहां पहली बार हो रहा है। पिछली लोकसभा में इस सभा के सदस्य श्री रामलिंगन पर जनपथ पर आक्रमण किया गया था जब वे एक रैली में भाग ले रहे थे।

अध्यक्ष महोदय : मैं जानता हूं।

श्री सी० एम० स्टीफन : वे यहां आए और यहां वह एक प्रस्ताव रखना चाहते थे। अनुमति नहीं दी गई। तत्पश्चात् मैंने—मैं उस समय विरोधी पक्ष का नेता था-इसे नियम 377 के अधीन रखने की अनुमति मांगी थी।

अध्यक्ष महोदय : में जानता हूँ।

श्री सीं० एम० स्टीफन : मैंने एक नोट तैयार किया। उसे प्रस्तुत किया। वह पूर्ण तया सम्पादित किया गया था। कई अंशों के लिये अनुमति नहीं दी गई; और उसे प्रस्ताव रखने की अनुमति दे दी गई।

अध्यक्ष महोदय : हमने भी ऐसा ही किया है।

श्री सी० एम० स्टीफन : हम चाहते थे की मामला विशेषाधिकार समिति को सौंपा जाए। उसकी अनुमति नहीं दी गई। इस बात का निर्णय कि क्या कोई मामला विशेषाधिकार समिति को सौंपा जाये या नहीं इस बात के आधार पर लिया जाता है कि क्या उस कार्य से सदस्य को अपने संसदीय कार्य को करने से रोका गया था या नहीं; न कि इस बात से कि उसने रैली में भाग लिया (**व्यवधान**) और उसकी भो पिटाई हुई। मारपोट के आधार पर कोई जरुरी नहीं है कि मामला विशेषाधिकार समिति को सौंपा जाए। मेरा एक अनुरोध तो यह है। मुझे बात पूरी करने दीजिए। अतः यह प्रश्न कि मामला विशेषाधिकार समिति की जाए या नहीं एक जटिलताओं से भरा प्रश्न है। इसे सीधे ही अनुमति नहीं दी जा सकती।

यदि कोई इसे प्रस्तुत करना चाहता है यह अजीब बात है कि उसे प्रस्तुत करने के लिए आमंत्रित किया गया है; यदि वह प्रस्ताव करना चाहता है तो कर सकता है —तब मामला अवश्य ही यहां आना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइये।

श्री सी० एम०स्टीफन : इससे पहले कि आप नियम 222 के अधीन इसकी अनुमति दें हमें पर चर्चा करनी चाहिए। (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइये। कृपया बैठ जाइये। (**व्यवधान**)

श्री सी० एम० स्टीफन : खड़े हुए।

(**व्यवधान**) *

श्री हरिकेश बहादुर : खड़े हुए।

अध्यक्ष महोदय : आप बैठते क्यों नही है. हरिकेश। (**व्यवधान**) *

अध्यक्ष महोदय : यदि ये लोग समझते कुछ नहीं तो वे बोलते क्यों है। (**व्यवधान**) * कृपया बैठ जाइये। नहीं। मैं बोल रहा हूँ। कृपया बैठ जाइए। यह मेरा अनुमान है, कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं हो रहा। कृपया बैठ जाइये। (**व्यवधान**) * प्लीज अच्छा नहीं लगता। आप क्या कर रहे है। शोभा देता है आपको कृपया बैठ जाइये। (**व्यवधान**) *

* कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

कृपया शान्त रहिए। मैंने सभा में जो बार-बार यह कहा है कि मैं नियमों से बंधा हुआ हूँ और ये नियम आपने बनाए हैं तथा मैं भी उन्हीं के अनुसार चलने का प्रयत्न करता हूँ। जब सारी सभा कोई बात कहती है—

पिछली बार भी यही बात थी। अब मुझे इस तरफ और उस तरफ की अनुमति मिल गई है। अतः मैं कह रहा हूँ अन्यथा।

अन्यथा मैं उन्हीं नियमों और शर्तों का पालन करूँगा जो सदन में लागू होती हैं। इतनी सीधी सी बात है इसलिए मुझ पर कोई आरोप लगाने की कोशिश न करें। मैं यह बात बिल्कुल स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि मुझे सदन के सदस्यों के हितों की रक्षा करनी है। किन्तु मैं सदस्यों से भी अनुरोध करूंगा कि नियमों का पालन करें और शोर न करें तथा न ही मुझे बाध्य करने का प्रयास करें, इसके लिए में उनका आभारी रहूँगा।

श्री इंद्रजीत गुप्त : क्या मैं अपना प्रस्ताव प्रस्तुत करूँ।

अध्यक्ष महोदय : आप अपना प्रस्ताव प्रस्तुत करें।

—— –

विशेषाधिकार का प्रश्न

गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में पुलिस द्वारा भोगेन्द्र झा के साथ मारपीट

श्री इंद्रजीत गुप्त (बसीरहाट) : मैं अपना प्रस्ताव आपकी अनुमति से प्रस्तुत कर रहा हूं। मैं प्रस्ताव करता हूं :

कि इस मास की 3 तारीख को गाजियाबार में प्रादेशिक सशस्त्र पुलिस (पी० ए० सी०) द्वारा अपने साथ की गई मारपीट के बारे में श्री भोगेन्द्र झा द्वारा सभा में दिए गए वक्तव्य से सम्बन्धित मामला विशेषाधिकार समिति को सौंपा गया।

श्री नीरेन घोष (दमदम) : मैं श्री इंद्रजीत गुप्त द्वारा पेश किये गये प्रस्ताव का समर्थन करता हूँ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है "कि इस मामले की 3 तारीख को गाजियाबाद में प्रादेशिक सशस्त्र पुलिस (पी० सी० ए०) द्वारा अपने साथ की गई मारपीट के बारे में श्री भोगेन्द्र झा द्वारा सभा में दिये गये वक्तव्य से सम्बधित मामला विशेषाधिकार समिति को सौंपा जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : खड़े हुए। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको अनुमति नहीं दे रहा हूं। अब सदन मध्याहन भोजन के लिये स्थगित होगा। मध्याहन भोजन के पश्चात जब हम पुनः कार्यवाही आरम्भ करें, कृपया उस समय ऐसा न करिएगा।

इसके पश्चात लोकसभा मध्याह्न भोजन के लिए 2 बजे म० प० के लिए स्थगित हुई।

इसके पश्चात लोकसभा मध्याह्न भोजन के पश्चात 2 बजकर 6 मिनट पर पुनः समवेत हुई ।

(उपाध्यक्ष महोदय : **पीठासीन हुए**)

उपाध्यक्ष महोदय : नियम 377 के अंतर्गत मामले प्रो० निर्मला कुमारी शक्तावत्त ।

(**व्यवधान**)

उपाध्यक्ष महोदय : इसके अतिरिक्त कोई भी बात कार्यवाही वृतान्त में शामिल नहीं की जायेगी । केवल शक्तावत का भाषण ही कार्यवाही वृतान्त में शामिल किया जायेगा । मैं किसी अन्य बात की अनुमति नहीं दूंगा ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है—(**व्यवधान**)

उपाध्यक्ष महोदय : आपको व्यवस्था का प्रश्न भी उठाने के लिए मेरी अनुमति लेनी होगी ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : ऐसा क्यों ?

उपाध्यक्ष महोदय : क्यों कि मैं आपको ऐसा करने की अनुमति नहीं दे रहा हूँ ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है ।

उपाध्यक्ष महोदय : व्यवस्था का प्रश्न दो विषयों के बीच में नहीं उठाया जा सकता ।

(**व्यवधान**)*

उपाध्यक्ष महोदय : मैं किसी बात की अनुमति नहीं दे रहा हूँ ।

———

नियम 377 के अन्तर्गत मामले जारी

(दो) एक ग्रामीण आवास बोर्ड की स्थापना किए जाने की आवश्यकता

प्रो० निर्मला कुमारी शक्तावत (चित्तौड़गढ़) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मानव की सबसे महत्वपूर्ण, आवश्यक आवश्यकताएं भोजन, वस्त्र तथा मकान हैं। देश केअधिकांश व्यक्तियों के पास रहने का मकान नहीं । अतः केन्द्रीय सरकार इस ओर ध्यान दें ।

नगरों में इस समस्या के समाधान के लिए आपने हाऊसिंग बोर्ड या आवासन बोर्ड बनाए हैं, पर देश की 75 से 80 प्रतिशत जनसंख्या जो गाँवों में रहती है, उसके लिये कोई व्यवस्था नहीं है ।

मेरा सुझाव है कि आवास मन्त्रालय आवासन मण्डल की स्थापना करे जो ग्रामीण क्षेत्रों में सस्ते, स्वच्छ तथा हवादार मकान बनाकर ग्रामीण किसानों तथा भूमिहीन व्यक्तियों को बना कर दे ।

गांवों में भोजन तो जैसे तैसे मिल जाता है, वस्त्र की पूर्ति भी व्यक्ति कर लेता है पर

* कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया ।

आवास की गम्भीर समस्या है। कच्ची फूस तथा खपरेल से बनी झोपड़ियों में ही मानव अपनी जिन्दगी के सुनहरे दिन निकाल रहा है। या फिर ग्रामीण व्यक्ति गांवों को छोड़ कर नगर की तरफ पलायन कर रहे हैं। अतः सरकार सस्ते मकान बनाकर आसान किस्तों पर ग्रामीणों को देगी तो यह नगरों की तरफ भागने की प्रवृत्ति काफी अधिक रुकेगी।

इन मकानों के लिए भूमि प्राप्त करने में कठिनाई नहीं। सम्बन्धित व्यक्ति मकान बनवाने में श्रम भी दे सकता है। आसान किस्तों पर लम्बी अवधि में जमा होने वाली किस्तें भर दी जावें तो मान्यवर भारतीय ग्रामीण किसानों के लिए यह ग्रामीण आवासन मण्डल एक वरदान हो सकता है जो किसानों के जीवन को बदल देगा। अतः इस विषय को राज्य सरकारों पर न छोड़ कर केन्द्रीय सरकार स्वयं देखे।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आपकी सूचनार्थ मैं आपको यह बता दूँ कि आप व्यवस्था का प्रश्न उठा रहे हैं।

श्री ज्योतिर्मय बसु : जैसे ही आपने स्थान ग्रहण किया था, मैंने व्यवस्था का प्रश्न उठाया था।

उपाध्यक्ष महोदय : नियम का परन्तुक निम्न प्रकार से है :

"बशर्ते कि अध्यक्ष महोदय कार्यसूची में एक मद के समाप्त होने के बाद तथा दूसरी मद के आरम्भ से पहले के समय के बीच किसी सदस्य को व्यवस्था का प्रश्न, यदि वह सदन में व्यवस्था बनाये रखने अथवा कार्यसूची के क्रम के सम्बन्ध में हो, उठाने की अनुमति देंगे।"

मैं आपको व्यवस्था का प्रश्न उठाने की अनुमति नहीं दे रहा हूं। अब नियम 377 के अधीन मामले लिये जाएंगे।

(व्यवधान)*

(तीन) आंध्र प्रदेश सीमेंट कम्पनी, विजयवाड़ा को कोयले की उचित किस्म के सप्लाई करने के प्रयत्न

श्रीमती विद्या चेन्नुपति (विजयवाड़ा) : विजयवाड़ा में आन्ध्र सीमेंट कम्पनी लिमिटेड को लिंकेज कमेटी द्वारा आवंटित कोटे के अनुसार वर्षों से सिंगरेनी खानों से प्रति माह 10,000 टन कोयला मिल रहा था। कम्पनी को अब तक जो कोयले की सप्लाई की गई वह सेपेरेटर नट कोयला था, किन्तु पिछले नवम्बर से सिंगरेनी खानों में सेपेरेटर नट कोयले का उत्पादन बन्द कर दिया गया और उन्होंने स्लैक अथवा गोल कोयले का उत्पादन और सप्लाई आरम्भ कर दी। यद्यपि यह कोयला सीमेंट उत्पादन के लिए उपयुक्त नहीं है, फिर भी इन किस्मों के कोयले की भी उचित सप्लाई नहीं की गई। खानों ने अब लम्प कोयला भेजना आरम्भ कर दिया है जो कि अच्छी किस्म के सीमेंट उत्पादन के लिए ठीक नहीं है।

इन खानों से मिलने वाले कोयले की गुणवत्ता में समय-समय पर गिरावट आ रही है

*कार्यवाही वृतान्त में शामिल नहीं किया गया।

और उसमें राख की मात्रा बढ़कर 40 प्रतिशत हो गई है। जितनी ही राख कोयले में अधिक होगी और उतनी ही उत्पादन मूल्य में भी वृद्धि हो जाएगी। कई बार तो रन-आफ-जिक कोयला भी सप्लाई किया जाता है जोकि सीमेंट उत्पादन के लिए बिल्कुल अनुपयुक्त है।

पिछले छह महीनों में 10,000 टन की प्रतिमाह सप्लाई की तुलना में वास्तव में बहुत ही कम सप्लाई की गई और पिछले फरवरी में तो यह निर्धारित मात्रा का 66.44 प्रतिशत ही थी। औसत कोयला सप्लाई केवल 75 प्रतिशत रही और इससे सीमेंट कारखाने में उत्पादन पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है।

कोयला खानों ने कोयला का मूल्य भी 14.2.1981 से 115.70 रुपये से बढ़ाकर 156.61 रुपये कर दिया है। कोयले के ढोने के भाड़े में भी 18 प्रतिशत की वृद्धि की गई है। अतः इस प्रकार कोयले के मूल्य में बहुत ही वृद्धि हो गई है और उद्योग को यह भार सीमेंट उपभोक्ताओं पर डालना पड़ता है।

अभी हाल के सप्ताहों में रेलवे विभाग भी सिंगरेनी खानों से कोयला नहीं ढो रहा और आन्ध्र प्रदेश में कुछ सीमेंट कारखाने बन्द कर दिए हैं।

इस स्थिति पर सरकार को शीघ्र ही ध्यान देने की आवश्यकता है। सिंगरेनी खानों को यह निर्देश दिया जाना चाहिए कि वह अच्छी किस्म के कोयले की पर्याप्त मात्रा में पूर्ति करें और रेलवे को कोयला को सिंगनेनी खानों से आन्ध्र सीमेंट कम्पनियों के लिए ढोने के लिए उचित प्रबन्ध करने चाहिए।

(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : मैं हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं। हम इस तरीके से सदन की कार्यवाही नहीं चला सकते हैं। ऐसे तो जनता हम पर हँसेगी। **(व्यवधान)*** कार्यवाही वृतान्त में शामिल नहीं किया जायेगा।

(व्यवधान)*

(चार) उत्तर प्रदेश के बुंदेलखण्ड क्षेत्र में पीने के पानी की कमी को दूर करने के उपाय

श्री रामनाथ दुबे (बांदा) : उत्तर प्रदेश के बुंदेलखण्ड क्षेत्र के अनेक गाँवों में पीने का पानी का बहुत ही अभाव है। यह बताया जाना चाहिए कि विशेषकर आने वाले गर्मी के मौसम में सरकार ने जनता की इस महत्वपूर्ण आवश्यकता की पूर्ति के लिए क्या कदम उठाए हैं। सरकार द्वारा किए गए वार्षिक प्रबन्ध इस समस्या के स्थाई समाधान के लिए काफी नहीं हैं। सरकार द्वारा इस समस्या के समाधान के लिए जितनी धनराशि आवंटित की है उसमें वृद्धि की जानी चाहिए। **(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : मैं आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रहा हूँ कि आप सदन की कार्यवाही को चलने दें।

*कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

(पांच) उत्तर प्रदेश में आलू उत्पादकों को लगातार लाभ कारी मूल्य दिये को सुनिश्चित किये जाने के उपाय ।

श्री जयपाल सिंह कश्यप (आंवला) : उपाध्यक्ष महोदय, आज उत्तर प्रदेश व देश के अन्य राज्यों में आलू की पैदावार खेतों से निकलकर बाजार की ओर और कोल्ड स्टोरेज की ओर आने लगी हैं। आलू की फसल के प्रारम्भ में बाजार भाव लगभग 100 रु० क्विंटल था। परन्तु पिछले 2 सप्ताह से आलू की स्थिति बड़ी खराब हो गई है और बाजार में 25,30 व 35 रु० क्विंटल हो गया है।कोल्ड स्टोरेज व अन्य भंडार घरों में आलू को अपने यहां रखने से इन्कार कर दिया है। इससे किसानों का आलू या तो खेतों में पड़ा है या बाजारों में पड़ा है, लेकिन उसे बेचने की या रखने की सुविधा प्राप्त नहीं हो पा रही है। अगर आलू का तुरन्त ही बड़े स्तर पर निर्णय नहीं किया गया तो किसान को अत्यधिक हानि उठानी पड़ेगी। कोल्ड स्टोरेज की क्षमता न बढ़ाई गई व भंडार करने के स्थान मुहिया न किये गये तो किसान कों अत्याधिक क्षति उठानी पड़ेगी। आलू एक ऐसी फसल है जिसमें किसान बीज, खाद, पानी, मजदूरी, और कीटनाशक दवाओं के छिड़काव पर अपना सर्वस्व लगा देता है। यहां तक कि कर्ज ले कर आलू की फसल तैयार करता है। सरकार को भविष्य के लिए भी आलू को अधिक निर्यात करने की व्यवस्था, सरकार द्वारा नये कोल्ड स्टोरेज बनाने की आवश्यकता के अनुसार व्यवस्था और आलू के आधार पर अनेक उद्योग धन्धों को स्थापित करने की व्यवस्था करनी चाहिये ताकि आलू का सद्उपयोग हो सके और किसान को सही मूल्य मिल सके।

(छः) सूखे की स्थिति का सामना करने के लिए तमिलनाडु को सहायता

श्री एन० डेनिस (नागर कोइल) : इससे पहले कि स्थिति और बिगड़ जाए, तमिलनाडु में व्याप्त भीषण सूखे की स्थिति से तुरंत निपटना होगा। कम वर्षा होने के कारण पीने के पानी और खेती के लिए पानी का घोर अभाव है। तालाब, वांध, जलाशय और नदियां सूख गई हैं कुछ स्थानों पर फसलों की बुवाई नहीं हुई है और जहां कही बुवाई की गई है। वहां फसलें सूख कर मुरझा गई हैं। इसके परिणाम स्वरूप लोग बेकारी और गरीबी से घिरते जा रहे हैं। पशुओं के लिए चारे और खाद्यान्नों की कमी है। पीने के लिए पानी और सिंचाई के लिए जल दोनों के अभाव को तुरन्त दूर करना होगा। खाद्यान्नों का वितरण तुरन्त होना चाहिए तथा पशुओं के लिए चारा भी शीघ्र दिया जाना चाहिए। श्रम प्रधान योजनाओं के कार्यान्वियन की गति तेज की जानी चाहिये। सभी प्रभावित क्षेत्रों में भू-राजस्व की जल-उपकरण तथा स्थानीय करों की माफी तथा बकाया भू-राजस्व तथा सरकार की उगाई का स्थगन जैसे राहत कार्य किए जाने चाहिये। बिना किसी भेद-भाव, अलगाव और लापरवाही के स्थिति से निपटना चाहिये तथा राष्ट्र के और कन्याकुमारी जैसे राज्य के किसी भी दूर-दक्षिण में प्रभावित क्षेत्र को छोड़ना नहीं चाहिए जहां लोगों पर सूखे का सबसे अधिक बुरा प्रभाव पड़ा है और जहां उन्हें सभी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है अतः राज्य के समक्ष आई इस प्राकृतिक विपदा से निपटने के लिए, राज्य सरकार को अनुदान और आर्थिक सहायता देने के लिए केन्द्र सरकार को शीघ्र कदम उठाने चाहिये। (व्यवधान) *

उपाध्यक्ष महोदय : कुछ भी कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित न किया जाए (व्यवधान)*

* कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

(सात) केरल के हथकरधा उद्योग में संकट

श्री चित्त बसु, श्री ज्योतिर्मय बसु, श्री नीरेन घोष तथा कुछ अन्य सदस्य सभा से बाहर चले गये ।

श्री के० कुन्हम्बु (कन्नानौर) : नियम 377 के अधीन में एक वक्तव्य दे रहा हूँ ।

केरल के हथकरधा उद्योग को गम्भीर संकट का सामना करना पड़ रहा है । उन पाँच लाख परिवारों के जो पूर्णतया इस पर निर्भर करते हैं भूखों मरने की नोबत आ गई है। छोटे मध्यम तथा कारखाने जो कि हथकरधा वस्त्र का उत्पादन कर रहे थे और यहाँ तक कि एकल फार्मों में भी काम पूर्णतया बन्द हो गया है । इससे केरल के विभिन्न वर्गों के लोग प्रभावित हुए हैं ।

शुक्रवार, 27 मार्च को, कन्नौर में, जो केरल में हथ करधा उद्योग का एक बड़ा केन्द्र है, सभी दलों ने बन्द का आयोजन किया था। इस बन्द का आयोजन हथकरधा क्षेत्र की ज्वलन्त समस्याओं की ओर सरकार का ध्यान तुरंत आकृष्ट करने के लिए इस बन्ध का आयोजन किया गया था ।

जिस संकट ने इस क्षेत्र को अपने शिकजे में कस लिया है उसका मुख्य कारण उत्पादन जगत में अभूतपूर्व वृद्धि तथा बिक्री में तेजी से गिरावट आना है । 1979-80 में 350 करोड़ रुपये मूल्य के हथकरधा वस्त्र का निर्यात किया गया था । परन्तु 1980-81 के अन्त तक हम केवल 250 करोड़ रुपये मूल्य के वस्त्र का ही उत्पादन कर पाये। जबकि लक्ष्य 400 करोड़ रुपये का था । एक ओर तो बिक्री घट गई है और दूसरी ओर उत्पादन लागत बढ़ गई है। चीन, ताइवान, कोरिया जैसे देशों से कड़ी प्रतियोगता ने अन्तर्राष्ट्रीय मण्डी में हमारी स्थिति को बड़ा ही अनिश्चित बना दिया है ।

सरकार की नई हथकरधा नीति से इस उद्योग को लाभ नहीं पहुँचा है । चुंकि अधिकांश कारखाने निजी क्षेत्र में चल रहे है, अतः नई नीति से जिसका प्रयोजन केवल सहकारी क्षेत्र को लाभ पहुँचाना है समस्त हथकरघा को लाभ नहीं पहुँचा हैं। यह आरोप लगाया गया है कि एपेक्स सोसायटी तथा हथकरधा विकास निगम ने निजी क्षेत्र की उपेक्षा की है। निगम ने जमा हुए स्टाक को खरीदने के लिए जो 85 लाख रुपये स्वीकृत किए गये थे उनमें से 15 लाख रुपये से अधिक खर्च न कर सका ।

केरल में हथकरधा उद्योग में जो गम्भीर स्थिति उत्पन्न हो गई है उसे ध्यान में रखते हुए मैं सरकार से निम्नलिखित कदम उठाने का विनम्र निवेदन करता हूँ :—

1. हथकरधा कपड़ों के निर्माण में आरक्षण ।

2. हथकरधा की बुनाई में काम आने वाले सभी प्रकार के सूत को कीमतों की कम से कम एक निश्चित अवधि के लिए निश्चित करना और सूत की सुगम आपूर्ति निश्चित करना ।

3. राष्ट्रीय न्यूनतम मजदूरी तुरंत लागू करना ।

4. जमा स्टाक की खरीद का प्रबन्ध करना और सरकारी अधिकरण के माध्यम से उसका विक्रय करना ।

5. इन आवश्यक रसायनों की कीमतों में होने वाली वृद्धि को रोकना जिनका हथ करघा कपड़े के उत्पादन में प्रयोग किया जाता है और कन्नोर में एक रंग-निर्माण की स्थापना करना ।

(आठ) उत्तर सीमान्त रेलवे के दार्जिलिंग हिमालय सेक्शन पर रेलगाड़ियाँ पुनः चालू करने की आवश्यकता

श्री आनन्द पाठक (दार्जिलिंग) : नियम 377 के अधीन मैं एक वक्तव्य दे रहा हूँ । उत्तर-सीमाँत रेलवे के दर्जिलिंग हिमालय सेक्शन पर रेल सेवाओं को अनुचित रूप से स्थगित करने से एक गंभीर स्थिति उत्पन्न हो गई है । इस सेवा के रद्द किये जाने से रेल कर्मचारी बड़ी संख्या में बेरोजगार हो जायेंगे जिससे उन्हें तथा परिवार के सदस्यों को भूखों मरने की नौबत आ जायेगी । इस रेल सेवा के रद्द किए जाने के परिणामस्वरूप बड़ी संख्या में दार्जिलिंग जाने वाले पर्यटकों को भारी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है । आजकल पर्यटन का मौसम चल रहा है और दार्जिलिंग विश्व के सर्वाधिक मनोरम पर्यटन केन्द्रों में से एक है । इस पिछड़े हुए पहाड़ी क्षेत्र की अर्थ व्यवस्था चाय-बागन, पर्यटन और इमारती लकड़ी पर निर्भर करती है । चाय उद्योग लड़खडा रहा है और इस रेल सेवा के बन्द किये जाने से पर्यटकों के वहाँ जाने में भी अड़चन आती है और दार्जिलिंग की सारी की सारी अर्थव्यवस्था खराब हो जायेगी जिससे गम्भीर आर्थिक, सामाजिक और राजनैतिक समस्यायें उत्पन्न होंगी । पहाड़ों की अपनी स्थिति के कारण इनकी परिवहन समस्या बड़ी भीषण हो गई है । छोटी लाइनों पर छोटी गाड़ी के चलने से यह समस्या कुछ सीमा तक कम हो गई है । इसके अतिरिक्त, दार्जिलिंग-हिमालय सेक्शन पर छोटी लाइन पर छोटी रेल चलाना भी अपने-आप में एक बेजोड़ आकर्षण की वस्तु है इसे खिलोना-गाड़ी कहा जाता है । इस सुंदर खिलोना-गाड़ी को एक सदी पूर्व तत्कालीन ब्रिटिश सरकार ने चालू किया था । अंग्रेज भारत छोड़कर चले गये परन्तु अंग्रेज अभियन्ताओं की अभियान्त्रिक मेधा पहाड़ियों की रानियों का आभूषण बनकर यहीं रह गई । पहले भी इस रेल सेवा को बन्द करने के प्रयास किये गये थे परन्तु लोक-मत ने इस सेवा को चालू रखने के लिए सरकार को बाध्य किया । इसलिए मैं सरकार से अनुरोध करता हूँ कि उत्तर-सीमान्त रेलवे के दर्जिलिंग-हिमालय सेक्शन की इस रेल-सेवा को फिर से अविलम्ब चालू किया जाए ।

सामान्य बजट—अनुदान की मांगें—1981-82

संचार मंत्रालय

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम संचार मंत्रालय के निमंत्रणाधीन अनुदान की मागों पर और आगे चर्चा और मतदान करेंगे । श्री टी० एस० नेगी ।

श्री टी० एस० नेगी (टिहरी गढ़वाल) : उपाध्यक्ष महोदय, टेलीफ़ोन के सम्बन्ध में मुझे यह निवेदन मिला है कि आज हमारे पूरे देश के हर एक शहर में जहाँ टेलीफोन लगे हुए हैं, उनमें से शायद ही कोई ऐसा टेलीफोन होगा, जो चौबीस घंटे काम करता हो। कोई भी माननीय सदस्य यह बता दे कि क्या उसका टेलीफोन ठीक ढंग से काम कर रहा है। मंत्रियों के टेली फोन भी सही ढंग से काम नहीं करते है मैं एक वाक्या आपसे अर्ज करना चाहता हूं।

माननीय संचार मंत्री के पी ए ने अपने टेलीफ़ोन के बारे में इंजीनियर, टेलीफ़ोन्ज़ को फ़ोन किया। इंजीनियर, टेलीफ़ोन्ज़ ने फ़रमाया कि चूंकि दिल्ली की मशीनरी खराब है, इसमें कोई गड़बड़ है, इस लिए दिल्ली के टेलीफ़ोन खराब हो जाते है। तो मंत्री जी के पी० ए० साहब कहते हैं।

दिल्ली के सभी टेलीफ़ोन जाएं भाड़ में मेरा टेलीफ़ोन ठीक होना चहिये।

इनको अपने टेलीफोन की लगी हुई है, दूसरों की नहीं और मंत्री जी ने स्वयं कहा है कि टेलीफोन नहीं चलता तो उसको बन्द कर दो। वह भी इस बात की जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं है। इस किस्मत की हालत हमारे टेलीफोन सर्विस की है।

एक निवेदम मुझे यह करना है कि पिछली सरकार ने यह तय किया था कि पहाड़ी इलाके में या तो ट्राइवल एरियाज हैं, इन सारी जगहों में हम व्यबस्था करेंगे कि टेलीफोन लाइन वहाँ मिलादी जाय। यह भी तय किया था कि जहाँ जहां थाने हैं, जहां जहाँ तहसीलें हैं, ब्लाक्स हैं वहां और ढ़ाई हजार की पापुलेशन जहां है वहां एक पब्लिक काल आफिस खोला जायगा। मैदानी इलाके में जहाँ पाँच हजार की पापुलेशन है वहां कम से कम एक पब्लिक काल आफिस होगा। लेकिन यह सरकार तो पता चलता है कि सो गई और इस काम को करने के लिए कतई तैयार नहीं है।

एक निवेदन मेरा यह है कि जो निर्णय सरकार ने एक बार ले लिए उन को पूरा करना चाहिए। कम से कम पहाड़ी क्षेत्रों में आप देखेंगे कि और कोई दूसरी व्यवस्था नहीं है। अगर हम कोई फोन करना चाहते हैं तो नहीं कर सकते क्योंकि टेलीफोन की व्यवस्था ही नहीं है। तो जो निर्णय हो चुके हैं कम से कम उनको तो पूरा करना चाहिए। कम से कम उन क्षेत्रों को आप टेलीफोन दीजिए जहां दूसरा कोई साधन नहीं है।

दूसरा बात यह है कि हमारे यहां पत्र और चिट्ठियां 15-15, 20-20 दिन में पहुँचती हैं। इस की कोई व्यवस्था नहीं कि चिट्ठी जल्दी पहुंच सके।

अगर कहीं टेलीग्राम भेजते हैं तो छः छः, सात सात दिन में टेलीग्राम पहुँच रहा है। इस मुल्क में यह व्यवस्था है संचार मंत्रालय की। टेलीफोन भी टाइम्स पर नहीं पहुँचते हैं। टेलीफोन हमारे पास तब आते हैं जब यहां मीटिंग हो जाती है, तब वह हम को मिलते हैं कि वहां मीटिंग है। यह मेम्बर पार्लियामेंट के बारे में और अपने बारे में बात कर रहा हूं। घूम घाम कर पत्र भी यहीं आ जाते हैं, टेलीग्राम भी यहीं आ जाते हैं।

ईज़तनगर अरुणाचल की राजधानी है वहां टेलीग्राफिक दफतर खुल गया है। दिल्ली और बम्बई में वहां के लोगों ने शिकायत की कि वहां के लिए टेलीग्राम नहीं लेते। उनको पता

नहीं है कि वहां टेलीग्राम आफिस खुल गया है। यह खुद इतनी कमी इस विभाग के अन्दर है, इस की जानकारी इनके विभाग लोगों नहीं है।

एक निवेदन यह करना चाहता हूं कि जो कैजुअल वर्कर इस विभाग के अन्दर काम कर रहे हैं, विभाग का नियम यह है कि जब वह 200 दिन काम कर लें तो उनको परमानेंट कर दिया जाय लेकिन उनको 200 दिन पूरा नहीं करने दिया जाता और बीच में ही एक दो दिन की सर्विस ब्रेक कर दी जाती है। वे पांच पांच, छः छः साल से काम कर रहे हैं लेकिन उनको परमानेन्ट नहीं किया जा रहा है। इसके बारे में डिपार्टमेंट को सोचना चाहिए यह तो डिपार्टमेंट बढ़ रहा है, इस का एक्सपैंशन हो रहा है। तो जितने आज तक उस-में कैजुअल वर्कर थे उनको सर्विस में ले लेना चाहिए। इसमें सरकार को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सरकार तो बढ़े जोरों से कहती है कि बेरोजगारी खत्म करेंगे, तो जो लोग थोड़े टेम्पारेरी काम कर रहे हैं उनको पूरी तरीके से इसमें क्यों नहीं लिया जाता ?

इस मुल्क मेंई डी (एक्सट्रा डिपार्टमेंट) वकर्स तीन लाख हैं। उनकी हालत ऐसी है कि उनको पूरे तरीके से तनख्वाह भी नहीं मिलती। वूथलिंगम कमेटी ने सिफारिश की थी कि इन लोगों को कम से कम आप महंगाई भत्ता दें लेकिन महंगाई भत्ता देने के लिए सरकार तैयार नहीं है। जो पेशनर्स हैं, उनको महंगाई भत्ता मिलता है लेकिन ये लोग जो पाँच घंटे कम से कम दिन में काम करते है उनको महंगाई भत्ता नहीं मिलता। मेरी सिफारिश है और मैं मंत्री महोदय से अर्ज करूंगा कि उन लोगों को कम से कम महंगाई भत्ता मिल जाना चाहिए। पिछली जनता गवर्नमेंट ने उनकी तनख्वाह बढ़ाई थी। अब कम से कम एक चीज मंत्री महोदय यह कर दें कि उनको डीअरनेस एलावेंस दे दें।

दूसरी बात यह है कि वे लोग काम कर नहीं सकते। उनके अन्दर जो आने जाने वाले है जो घूमते हैं और डाक बांटते हैं गांव गाँव में उनके पास बूट नहीं है, वर्दी नहीं हैं, उनको वही सुविधाएं नहीं मिलती हैं जो परमानेंट लोगों को मिलती है। तो मेरा निवेदन है कि उनको वह सुविधाएं मिलनी चाहिए। ऐसे लोग जो जगह जगह डाक बांटते हैं, बड़े बढ़े ट्राइवल एरियाज में, ऐसी एरियाज में जहाँ जंगल है, जहाँ रेगिस्तान है ऐसे स्थान हैं जहाँ पैदल चलना बहुत दुश्वर है, ऐसी जगह में जा जा कर जो डाक बांटने का काम करते हैं उन लोगों की सुविधाओं का ख्याल इस मंत्रालय को करना चाहिए।

उन लोगों को इस मंत्रालय की ओर से सुविधा मिलनी चाहिए-ऐसा मेरा आप से निवेदन है।

मेरा आपके द्वारा यह भो निवेदन है कि पहाड़ी क्षेत्रों में जितने भी इस डिपार्टमेंट के कर्मचारी हैं उनको हिल एलाउन्स मिलना चाहिए। उत्तर प्रदेश की सरकार ने पहाड़ी क्षेत्रों के अपने सभी कर्मचारियों को हिल एलाउन्स दे दिया है लेकिन इस मंत्रालय ने अभी तक इस बात को नहीं सोचा-इस बात पर मुझे बड़ा अफसोस है। भारत सरकार को तो हर मामले में पहल करनी चाहिए। ऐसे निकट पहाड़ी क्षेत्रों में जो कर्मचारी जाकर रहते हैं उनको हिल एलाउन्स तो मिलना ही चाहिए क्योंकि मैदानी क्षेत्रों के मुकाबले वहाँ पर खाने की चीजों के भाव दुगने-तिगुने रहते हैं। और साथ ही वहां आने जाने की समस्यायें भी विकट होती हैं। में आशा करता

हूँ कि मंत्रीजी जब कभी यहां पर उत्तर देंगे तो उसमें हिल एलाउन्स देने की घोषणा करेंगे।

मैं साथ ही साथ यह भी कहना चाहता हूँ कि हमारे टेलीफोन तो टेप होते ही हैं, साथ साथ मंत्रियों के टेलीफोन भी टेप हो रहे हैं। इसके अलावा टेलीफोन्स के जो इतने लम्बे-लम्बे विल आ जाते हैं उसकी भी आम शिकायत है। बढ़ावर पता नहीं कैसे दो, तीन चार हजार तक के टेलीफोन के विल बना दिये जाते हैं ? यह सारी शिकायतें हैं जिन पर ध्यान देकर सुधार करने की आवश्यकता है। ऐसे केवल दो ही मंत्रालय हैं रेल मंत्रालय तथा संचार मंत्रालय-जो कि डायरेक्टली लोगों को सुविधायें पहुचाते हैं। मेरा आपसे निवेदन है कि आप अपनी सेवाओं में सुधार कीजिए ताकि जनता को सुविधा मिल सके।

श्री पीं० नामग्याल (लद्दाख) : उपाध्यक्ष महोदय संचार मन्त्रालय की अनुदान की मांगों पर बोलने के लिए समय देने के लिए में आपका धन्यवाद करता हूँ। मैं अनुदान की मांगों के समर्थन में कुछ शायद बोलना चाहूँगा।

मैं विशेषकर अपने चुनाव क्षेत्रों की ओर आपका ध्यान दिलाऊँगा। जैसा कि आप जानते हैं, क्षेत्रफल के अनुसार मेरा चुनावक्षेत्र लगभग 97,000 कि० मी० में फैला हुआ है जो कि भारत का सबसे बड़ा चुनाव क्षेत्र है और उसमें केवल दो ही डाकघर हैं। आप इसी से अनुमान लगा सकते है कि समस्या कितनी गंभीर है, दयनीय हैं। मेरे चुनाव क्षेत्र के इस फैले हुए क्षेत्र में लोग बिखरे हुए वसे पड़े हैं और वहां पर केवल दो ही डाकघर हैं। निस्सन्देह वहाँ पर कुछ शाखा डाकघर भी हैं। परन्तु समस्या जनसंख्या की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उनकी संख्या अपर्याप्त है और हमारे यहां केवल 2 तार-घर हैं और वे भी रविवार और छुट्टियों के दिन कार्य नहीं करते हैं।

इस समस्या के कारण मैं आपके माध्यम से माननीय संचार मंत्री से अनुरोध करना चाहता हूँ कि मेरे क्षेत्र पर विशेष ध्यान दें क्यों कि यह सामाजिक महत्व का क्षेत्र है। इस क्षेत्र के लिए संचार सुविधाओं की बहुत आवश्यकता है।

मैं माननीय संचार मंत्री का उपग्रह संचार प्रणाली के माध्यम से लेह को शेष भारत से जोडने के लिय आभारी हूँ परन्तु मुझे यह कहते हुए खेद है कि यह प्रणाली उचित ढंग से काम नहीं कर रही है। इसके काम का समय प्रातः 9-00 बजे से रात के 10-00 बजे तक है। आरम्भ में हमने सुना था कि यह 24 घंटे काम करता रहेगा परन्तु वास्तव में ऐसा नहीं है। अधिकाशतः हमें यह शिकायत प्राप्त होती है कि यदि यहाँ से कोई काल बुक कराई जाती है तो दिल्ली में बैठा आपरेटर कहता है कि लेह वाला आपरेटर फोन उठा नहीं रहा है और यदि आप लेह जाओ तो वहाँ के आपरेटर कहते हैं कि दिल्ली वाले आपरेटर नही उठा रहे हैं। इन समस्याओं की ओर माननीय मंत्री महोदय को ध्यान देना चाहिए।

इसके इलावा, कुछ समय पहले, मुझे ठीक समय याद नहीं है, लद्दाख से दूर नूबरा में 'देसकिट' नामक स्थान पर एक वायरलैस टेलीफोन-व टेलीग्राम प्रणाली की स्थापना की गई थी। एक दिन 'बाबू जी' ने मशीन को ताला लगाया और चले गए। उस दिन से अब तक वे मशीनें फिर प्रचालन में नहीं आई। मैं माननीय मंत्री महोदय से इस ओर ध्यान देने के लिए

कहूगा । क्षेत्रीय स्तर पर संबंधित अधिकारी से बारम्बार अनुरोध करने के बावजूद, ये मशीनें अब तक चालू नहीं की गई हैं । इसी प्रकार जिले के एक और दूरस्थ क्षेत्र झांसकर की समस्या है । मैं माननीय संचार मंत्री से इन इलाकों का दौरा करने के लिए कहूगा । में नहीं चाहता कि वे लेह, कारगिल तथा अन्य जिला मुख्यालयों पर जाएं बल्कि वे इन दूरस्थ क्षेत्रों का दौरा करें ताकि हमें वहां जो समस्याएं पेश आ रही हैं उन्हें वे देख सकें । विशेषरुप से भूतपूर्व सैनिकों को डाकखाने की सुविधा न होने की वजह से अपनी पेंशन प्राप्त करने के लिए लेह और कारगिल के दो मुख्य डाकखानों में जाना पड़ता है और वह भी वे साल में एक या दो बार जा पाते हैं क्यों कि भारी हिमपात के कारण क्षेत्र अगम्य हो जाता है और सड़कें बन्द हो जाती हैं जिससे इन क्षेत्रों का लेह और कारगिल से कोई सम्पर्क नहीं रहता । अतः मैं सुझाव देता हूँ कि लेह जिले में नूम्वरा और चांगठंग और कारगिल जिले में झांसकर और बाटलिक में कुछ और उप डाकखाने खोले जाएं । आरम्भ में इन क्षेत्रों में चार उप डाकखाने खोले जाएं बाद में इस संख्या में वृद्धि की जा सकती है क्यों कि ये चार डाकखाने भी वहां की आबादी और भूतपूर्व सैनिकों की आवश्यकता की पूर्ति नहीं कर सकेंगे । इन की नितान्त आवश्यकता है ।

अब में मजदूरों के बारे में कुछ शब्द कहूंगा । डाक-तार विभाग के उन कर्म चारियों के बारे में जो देश के दूरस्थ क्षेत्र में कार्यरत हैं । आप को उनकी समस्याओं की ओर भी ध्यान देना होगा । मेरे विपक्षी साथियों ने जैसा कि सुझाव दिया है, मैं उनके । द्रष्टिकोण का समर्थन करता हू । यदि आप उन्हे पर्वतीय भत्ता या कुछ अन्य प्रोत्साहन दें तो वे उन क्षेत्रों में अधिक काम करने के लिए तैयार हो जाएंगे । अन्यथा वास्तव में होता यह है कि यहां से लोगों को सजा के तौर पर वहां भेजा जाता है और उनमें से अधिकांश मैं बदमाश तो नहीं कहूँगा, टेलीफोन केन्द्रों में काम करने वाले होते हैं और वे इतने अशिष्ट होते हैं । और उनका व्यवहार इतना गन्दा होता है कि कई ग्राहकों ने विरोध स्वरुप अपने टेलीफोन वापिस का दिए हैं । वहाँ पर गलत बिल बनते हैं तथा अन्य भी कई समस्याएं हैं । अतः में यह सुझाव देता हू कि आप स्थानीय लोगों को प्रोत्साहित करें और उन्हे पर्याप्त रोजगार दें । वहां पर मैट्रिक पढ़े बहुत से उम्मीदवार हैं और मेरे विचार से इन पदों के लिए न्यूनतम योग्यता भी मैट्रिक है । हमारे पास भूतपूर्व सैनिक भी बहुत संख्या में हैं । अतः आप को टेलीफोन केन्द्रों और डाकखानों में उन्हे रोजगार प्रदान करना चाहिये । जब कभी रोजगार के अवसर आते हैं तो इन स्थानीय लोगों को इन पदों के लिए साक्षात्कार हेतु श्री नगर या जम्मू जाना पड़ता है । आप को इन बातों पर ध्यान देना होगा और यह देखना होगा कि आप लेह या कारगिल में साक्षात्कार आयोजित का सकते हैं ताकि वे इन स्थानों पर जाकर साक्षात्कार दे सकें ।

मैं उनके भत्तों के बारे में भी बोलना चाहूंगा । जहां तकप्रतिपूरक भत्ते का संबध है मेरे विचार से लद्दाख में कार्यरत सभी केन्दीय कर्मचारियों के मामले में आपको नए सिरे से विचार करना होगा । अभी हाल ही में भारत सरकार ने प्रतिपूरक भत्ते को 35 से 25 प्रतिशत तक घटाने के निर्देश जारी किए हैं । परन्तु अन्य स्थानों पर आप मंहगाई भत्ता तथा अन्य चीजों में वृद्धि करते जा रहे हैं । यह सभी केन्दीय सरकारी कर्मचारियों के संबंध में जैसे कि सूचना विभाग, रेडियो स्टेशन आदि के कर्मचारी । इसी प्रकार एम० ई० एस० कैन्टीन सर्विस तथा अन्य कई सेवाओं में कर्मचारी हैं । आप को इस बात का ध्यान रखना होगा ताकि प्रतिपूरक

भत्ता जो पहले 35% या अब कुछ अधिकतम सीमा के साथ पुनः लागू कर दिया जाए। आप को राज्य सरकार के साथ परामर्श करके कुल परिलब्धियों का हिसाब लगाना पड़ेगा। वास्तव में राज्य सरकार के कर्मचारियों को लेह में अधिक वेतन मिल रहा है क्यों कि उनका ऊंचाई भत्ता और प्रतिपूरक भत्ता अधिक है और वह भी बिना किसी अधिकतम सीमा के। यदि किसी व्यक्ति का लेह में मूल वेतन 100 रुपया है तो कुछ स्थानों पर सर्दियों में उसे 100% भत्ता मिलता हैं अर्थात 200रु० अधिक और मंहगाई भत्ता भी। ग्रीष्म ऋतु में 75% मिलता है इसी प्रकार कुछ क्षेत्रों में यह 50% है। केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को आप केवल 35% देते हैं और वह भी अब कुछ अधिकतम सीमा के साथ अपने कम करके 25% कर दिया है। अतः आप को इस पर विचार करना होगा ताकि सम्पूर्ण ढांचे की नए सिरे से जांच की जा सके और और इन लोगों को पर्याप्त वित्तीय सहायता की जा सके और वे वहां अपनी इच्छानुसार कार्य करने के लिए तैयार हो सकें अन्यथा वे सदा वापस जाने का प्रयत्न करते रहते हैं। यदि उनके खिलाफ शिकायत की जाती है तो वे बहुत प्रश्न होते हैं क्यों कि उन्हे श्रीनगर या जम्मू या श्रीनगर में वापस भेज दिया जाएगा। जम्मू तथा अन्य स्थानों पर आप उन्हे नगर भत्ता, आवास सुविधा तथा अन्य कई सुविधाएं प्रदान करते हैं। जहाँ तक धन का संबंध है उन्हे श्रीनगर और जम्मू में लेह की अपेक्षा अधिक वेतन प्राप्त होता है।

अतः इन्हीं शब्दों के साथ में माननीय संचार मंत्री से इन सभी समस्याओं की जांच करने का तथा दूरस्थ पर्वतीय क्षेत्रों में काम करने वाले लोगों की समस्याओं की ओर सहानुभूति पूर्वक विचार करने का अनुरोध करता हूं। धन्यवाद।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री महालगी।

***श्री आर० के० महालगी (ठाणे)** : उपाध्यक्ष महोदय, संचार मंत्रालय का 1980-81 का जो प्रतिवेदन सदस्यों में परिचालित किया गया है उसमें पृष्ठ 1 पर बहुत ही साहसपूर्ण विवरण दिया है जिसे में यहां उद्धृत करना चाहता हूँ :

"संचार मंत्रालय ने अपने प्रशासनिक नियन्त्रण अधीन लगभग सभी गतिविधियों और परियोजनाओं में चतुर्दिक सफलता प्राप्त की हैं।

यह भारत सरकार का ऐसा विभाग है जिसका संबंध आम आदमी से होता है और प्रशासनिक कार्य कुशलता से भिन्न है। इसकी गतिविधियों और सफलताओं के बारे में लोगों की प्रतिक्रियाएं रुचिपूर्ण हैं। आम आदमी की क्या बात करें स्वयं प्रधान मंत्री ने पिछले महीने की 30 तारीख को भुवनेश्वर में कठिनाई अनुभव की 31 मार्च 1981 के टाइम्स आफ इडिया' के अनुसार

> "प्रधान मन्त्री को कल प्रेस कान्फ्रेंस में जब एक उड़िया दैनिक 'समाज' के सम्पादक डा० राधानाथ रथ ने विलम्बित टेलीग्रामों और पत्रों के साथ एक ज्ञापन दिया तो उड़ीसा में डाक व दूर संचार सेवा के अनियमित कार्यकरण पर श्रीमती गांधी क्षुब्ध प्रतीत होती थीं। पुणे से एक पत्र को डा० रथ तक पहुंचने में 24 दिन लगे और पटना से नई दिल्ली तक एक एक्सप्रेस टेलीग्राम सात दिन में पहुँचा।"

* मराठी में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रुपान्तर।

पिछले वर्ष जब प्रधान मन्त्री ने भूतपूर्व रेल मन्त्री श्री त्रिपाठी के मंत्रालय के कार्यकरण के बारे में कुछ टिप्पणी की थी तो भी उन्होंने इस्तीफा दे दिया। परन्तु श्री त्रिपाठी ने उनका अनुकरण नहीं किया। यह उन पर है कि वे वही स्वाभिमान दिखाने का निर्णय लेते हैं या नहीं जो श्री त्रिपाठी ने दिखाया था। परन्तु उपर्युक्त उदाहरण से यह पता चलता है कि श्री स्टीफन का मन्त्रालय कितनी कुशलता से कार्य कर रहा है।

संचार मंत्रालय पर भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1885 और भारतीय डाकखाना अधिनियम, 1898 के उपबन्ध लागू होते हैं। पहले अधिनियम में 15 संशोधन और दूसरे में 47 संशोधन किये गये हैं। पहले अधिनियम के 15 संशोधनों में अन्तिम संशोधन 1974 में किया गया था और पिछले छः वर्षों से उसमें कोई संशोधन नहीं किया गया है भारतीय डाकखाना अधि-नियम में अधिकांश संशोधन वित्त अधिनियमों या विधि रूपान्तरण द्वारा किए गये हैं। पिछले 42 वर्षों में वास्तव में इसमें केवल 10 संशोधन किए गए हैं। इन अधिनियमों का निर्माण विदेशी अंग्रेज शासकों ने किया था जिनका कोई सामाजिक उत्तरदायित्व नहीं था और अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिये उन्होंने शहरी क्षेत्रों के लिये व्यवस्था कर दी परन्तु ग्रामीण समुदायों की उपेक्षा की। स्वतंत्रता के पश्चात इन कानूनों में संशोधन किया जाना चाहिये था ताकि ग्रामों की आवश्यकताओं और इच्छाओं की पूर्ति की जा सकती। ऐसा अब तक नहीं किया गया है। मुझे आशा है कि पुराने उपबन्धों को समाप्त करने के लिये तथा भारतीय लोगों को आधुनिक आवश्कताओं की पूर्ति हेतु शीघ्र ही इन दो अधिनियमों के स्थान पर एक व्यापक विधे-यक लाया जायेगा।

इस मन्त्रालय के लिए 239 कटौती प्रस्ताव रखे गये हैं उसमें से मेरे 43 हैं। मैं समय के अभाव में उन सब पर नहीं बोल सकूंगा। परन्तु मैं आशा करता हूं कि मैंने जो सारे मुद्दे उठाए हैं उनका उचित ढंग से उत्तर दिया जाएगा ताकि मैं अपने मतदाताओं को बता सकूं कि भारत सरकार का क्या करने का प्रस्ताव है।

महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू की भांति भारत के महापुरुषों की स्मृति में स्थायी टिकटें जारी की गई हैं। मुझे आशा है सरकार छत्रपति शिवाजी को नहीं भूलेगी। बहुत ही अच्छा होगा यदि कि भारत के उस महान सपूत को सम्मानित करते जिसका प्रधान मंत्री हाल ही में रायगढ़, महाराष्ट्र में गुणगान किया है। सारे देशवासी चाहते हैं और मुझे आशा है सरकार उनको सुनेगी और शिवाजी महाराज पर स्थाई डाक टिकट निकालेगी।

मैं माननीय मंत्री महोदय को पोस्टकार्ड के पैसे न बढ़ाने के लिए बधाई देता हूं जिसका प्रयोग अधिकांशतः आम आदमी द्वारा किया जाता है पोस्टकार्ड निर्धन व्यक्ति का सन्देश वाहक है।

पोस्टकार्ड का सादा आकार बढ़ाया जाय जिससे कि प्रयोग कर्ता डाक सुविधा का अधिकतम उपयोग कर सकें। निजी रूप में तो लोग पोस्टकार्ड का आकार मानक रूप में रख रहे हैं। परन्तु सरकार ने इसके आकार को अधिकाधिक घटा दिया है। इसको बढ़ाया जाना चाहिए।

डाक तार विभाग समाज की भलाई के लिए है। यह एक सामाजिक उपयोगिता सेवा है। राजस्व इसके आड़े उपयोग में आड़े नहीं आना चाहिए।

रविवार को डाक वितरण, जो कि पहले नियमित रूप में किया जाता था, अब बन्द कर दिया गया है। इसको फिर से चालू करने की सिफारिश की जानी चाहिए, चाहे इसमें विभाग का थोड़ा अधिक खर्चा ही क्यों न हो जाए। यह विभाग एक लोकोपयोगी सेवा है और उसी भावना से यह चलनी भी चाहिए और इसे वाणिज्यिक कम्पनी नहीं बनाया जाना चाहिए।

पिछले कुछ महीनों से डाक तार विभाग में लेखन-सामग्री का अभाव चल रहा है। मन्त्री महोदय को अभाव के बारे में विस्तार से बताना चाहिए और इस अभाव को अगले वर्ष दूर कर देने के लिए सरकार द्वारा किये जाने वाले प्रस्तावित उपाय सदन को सूचित किए जाने चाहिए।

मैंने समाचार पत्रों में पढ़ा है कि रात्रि-तार और रात्रि दूरभाष सेवाओं के लिए दी गई कुछ छूट को वापिस लेने का प्रस्ताव है। यदि ऐसा निर्णय लिया गया है तो मुझे आशा है कि सरकार इस निर्णय को लागू नहीं करेगी। कृपया ऐसा करने का जोखिम मत उठाइये।

मेरा चुनाव क्षेत्र बम्बई टेलीफोन क्षेत्र में पड़ता है। कालवा का दूरभाष केन्द्र, मेरे चुनाव क्षेत्र में पड़ने वाले बेलापुर औद्योगिक क्षेत्र को जोड़ता है और वहाँ के लोगों को बम्बई से सीधे सम्पर्क की बजाय कालवा दूरभाष-केन्द्र से होकर करना पड़ता है। ट्रंक-काल के पैसे देने पड़ते हैं। इसे बन्द किया जाना चाहिये। कटवा दूरभाष-केन्द्र के उदाहरण से इन ग्राहकों के मन में यह डर बैठा हुआ है कि थाणे को नये मुलुन्द दूरभाष-केन्द्र से जोड़ दिया जायेगा और बम्बई से इसका सम्पर्क तोड़ दिया जायेगा।

इस दिशा में उठाये जाने वाले इस परियोजित कदम का हम डटकर यथाशक्ति मुकाबला करेंगे। मैं उस स्थिति के लिए चेतावनी देता हूं।

इ० डी० ए० के कर्मचारियों को आकस्मिक कामगार का दर्जा दिया जाता है, परन्तु उनसे सभी प्रकार के काम की आशा की जाती हैं। उन्हें भी विभाग में नियमित कर्मचारियों जैसा दर्जा दिया जाना चाहिए। और लम्बे समय से उनके साथ हो रहे अन्याय को दूर किया जाना चाहिए।

महाराष्ट्र डाकतार मण्डल में कर्मचारियों की कमी के बारे में मेरे द्वारा पूछे गये प्रश्न के उत्तर में मुझे बताया गया था कि सूचना एकत्र की जा रही है। इससे सरकार के उपेक्षाजन्य रवैये का पता चलता है।

एक बार मैं अपने चुनाव-क्षेत्र के शाहपुर डाकघर में गया, जहाँ एक पद गत सात मास से खाली पड़ा है। इस पद पर एक महिला काम कर रही थी, उसे लम्बी छुट्टी पर जाना पड़ा। सरकार को चाहिये कि कार्य प्रक्रिया में इस प्रकार व्यवधान न आने दे। गत वर्षों की तुलना में इस वर्ष कर्मचारियों को मकान देने के मामले में, संचार मन्त्रालय ने लगता है इस बजट में अधिक प्रावधान किया है। उसके लिये मन्त्रालय की सराहना की जानी चाहिए।

देश में समानान्तर डाक घरों के चलाए जाने के बारे में, दूसरे सदन में पूछे गये एक प्रश्न के उत्तर में सरकार ने बताया है कि मामले पर विचार किया जा रहा है, इसकी छान-बीन

की जा रही है । मुझे आशा है कि मन्त्री महोदय इस सदन में इस बारे में अपने उत्तर में सच्चाई ही प्रकट करेंगे ।

श्री मनीराम बागड़ी (हिसार) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरे दोस्त, श्री स्टीफन, जब यहां, विरोध पक्ष में बोलते थे, तो मेरी उन पर बड़ी श्रद्धा थी । वह एक अच्छे संसदीय आदमी हैं, और विरोध में बैठकर वह देश का अच्छा प्रतिनिधित्व करते थे । लेकिन मुझे बड़ा दुख हो रहा है यह बात कहते हुए कि अच्छा वकील, अच्छा पढ़ा-लिखा आदमी, अच्छा बोलने वाला मगर इतना निकम्मा वजीर दुनिया की किसी सरकार में नहीं होगा, जितने डाक-तार के वजीर, स्टीफन साहब हैं । यह न समझें कि यह बात कहने में मुझे खुशी हो रही है । मैं खुद की, अपने एक मित्र की, निन्दा और बुराई कर रहा हूँ ।

मैं इस देश का मुकाबला अमरीका से नहीं कर रहा हूं, जिसने आज से छः वर्ष पहले चाँद से बातें की थीं । मैं रूस से भी मुकाबला नहीं करता हूँ । मैं भारत की बात कहता हूं । याद रखें कि यह डाक तार और टेलीफोन अभी तक भारत का नहीं है । भारत में ज्यादा से ज्यादा 30, 32 करोड़ आदमी हैं, जिनका इस महकमे से सम्बन्ध है । ज्यादा से ज्यादा दस करोड़ आदमी हैं, जो रोज या कभी कभी, या साल छः महीने में टेलीफोन का इस्तेमाल करते हैं । दस करोड़ वे हो सकते हैं, जिनको कभी-कभी तार नसीब हो जाता है । और दस करोड़ उन लोगों को भी मिला लीजिये, जिनका तार और टेलीफोन से तो नहीं, कभी कमार, साल छः महीने में, चिठ्ठी से सम्बन्ध हो जाता है । ये सिर्फ तीस करोड़ आदमी हैं । इस तरह स्टीफन साहब देश के कुल 66 करोड़ आदमियों के मंत्री नहीं हैं ।

आदिवासियों, पहाड़ों, गाँवों और जंगलों में रहने वाले लोगों को इस विभाग से कोई लाभ नहीं होता है । जैसे पहले कबूतर कोई संदेश या चिठ्ठी लेकर राजा के घर जाता था, उसी तरह आज डाक-तार विभाग की सुविधायें कुछ थोड़े से लोगों के लिए ही हैं । अगर सही मायने में कोई कायदे का शासन हो तो स्टीफन साहब पर मुकदमा चले । उन्हें पैसा किस बात का दिया जाये ? उल्टे उनसे हर्जाना लेना चाहिए, क्योंकि टेलीफोन खराब रहते हैं । डाक तार विभाग देश के एक भाग को दूसरे भाग से जोड़ता है । उससे देश की एकता बढ़ती है, लोगों को शिक्षा मिलती है । क्यों चांद पर बैठकर टेलीफोन से यहाँ बात की ? इसलिये कि दूसरी दुनिया मिले । उसी तरह इस तरीके से दुनिया के अलग अलग हिस्सों को एक दूसरे के साथ मिलाया जाता है ।

लेकिन स्टीफन साहब अपने देश को भी जोड़ नहीं सके हैं, और शायद यह उनके वस की बात भी नहीं है । कुछ वह पुराने हो गये हैं, कुछ मशीनें पुरानी हो गई हैं । इस विभाग का काम आधुनिक तरीके से नहीं चल रहा है । मशीनें खराब हैं, टेलीफोन खराब रहते हैं, तारघर में खराबी है, तार पहुँचाने वालों को कोई सुविधा नहीं है । जंगलों और पहाड़ी इलाकों में ज्यादा खर्चा होता है, लेकिन वहाँ पर काम करने वालों को तनख्वाह कम मिलती है । जो दिल्ली में रहते हैं, उनको ज्यादा पैसा और सुविधायें मिलती हैं । स्टीफन साहब बुरा न मानें, अच्छा हो कि वह इस विभाग को छोड़ दें, कोई और विभाग संभाल लें । वैसे वह कामयाब आदमी हैं दिमाग रखते हैं, अच्छा बोलने वाले आदमी हैं लेकिन कभी कोई दवा

किसी रोग के लिये ठीक नहीं बैठती है । टेलीफोन को कैन्सर हो गया है, तार को सन्निपात हो गया है और टिकटों को लकवा मार गया है। इन तीन की बीमारी का इलाज कहीं नहीं है ।

इसलिए मंत्री महोदय इस बारे में कुछ करें । गाँवों, जंगलों, पहाड़ों और आदिवासी इलाकों में डाक-तार की सुविधायें ज्यादा बढ़ाई जाँयें । अगर व समाजवादी विचार रखते हैं, तो वह वेतन और सुविधाओं के फर्क को कुछ कम करें, बड़े और छोटे की तनख्वाह और सुविधाओं के फर्क को कम करें । गाँवों में डाक-तार की सुविधायें बढ़ाई जायें । मिसाल के लिए हरियाणा में एक गांव है शेरपुरा । उसकी 1,500 की आबादी है, लेकिन वहाँ डाकखाना नहीं है । पहाड़ी इलाकों में डाकखाना और तारघर नहीं है । मंत्री महोदय जो कुछ कर सकते हैं, वह करें । मैं तो स्टीफन साहब को राय दूंगा कि दोस्त, कोई और अच्छी दुकान देख लो—यह दुकान तो नाकारा हो गई है ।

ताकि कामयाब हो । तुम्हारी नाकामयाबी से मुझे खुशी नहीं है बल्कि ईमानदारी से तकलीफ है । तुम अच्छे आदमी हो, अच्छी जगह बैठते तो कुछ काम हो जाता । यह घाटे की दूकान है । इन्दिरा सेठ से कह दो कि यह दूकान किसी और को दे दें, मैं कोई और दूकान चलाऊँगा ।

श्री कृपासिन्धु भोई (सम्बलपुर) : मैं अपने हृदय की गहराइयों से संचार मन्त्रालय की अनुदान की मांगों के समर्थन हेतु खड़ा हुआ हूं । मैं संचार मन्त्री महोदय की सेवा में कुछ निवेदन करना चाहता हूं । निस्सन्देह, इस मन्त्रिमण्डल के सबसे लम्बे मन्त्री महोदय पर कोई बड़ा दावा नहीं करने जा रहा हूँ परन्तु मैं उन कठिनाइयों को गिनाने का प्रयास करूंगा जिनका संचार विभाग को सामना करना पड़ रहा है तथा समग्ररूपेण जनता की शिकायतों को प्रकाश में लाऊंगा ।

हम उपग्रह-युग में रह रहे हैं और हम अन्तर्राष्ट्रीय रूप में उप-ग्रह संचार व्यवस्था की शेखी बघार रहे हैं । परन्तु हम अपने लोगों के मन में विश्वास पैदा नहीं कर पा रहे है क्योंकि 1390 कस्बों और नगरों को अभी भी स्वचालित दूरभाष-केन्द्रों से जोड़ा जाना है । वे अभी तक हस्त-चालित दूरभाष-केन्द्र बने हुए हैं । अभी भी 148 जिलों को स्वचालित दूरभाष-केन्द्रों से जोड़ा जाना बाकी है ।

इस सम्बन्ध में जब कभी संसद में कोई प्रश्न पूछा जाता है तो मन्त्री महोदय का उत्तर होता है कि वित्तीय कठिनाइयों के कारण वे हस्त-चालित दूरभाष-केन्द्रों को स्वचालित रूप प्रदान करने में असफल हैं अर्थात उन्हें स्वचालित रूप प्रदान करने में असफल हैं अर्थात उन्हें स्वचालित दूरभाष-केन्द्रों में नहीं बदला जा सकता है । परन्तु मुझे कुछ बात कहनी है : 1980-81 के लिए मांग संख्या 18 में डाक तथा तारघरों के लिए पूंजी-विनियोग की बात कही गई है । पिछले बजट का प्राक्कलन 451.59 करोड़ रुपये का था । परन्तु संशोधित प्राक्कलन घटकर 410.96 करोड़ रुपए हो गया है । अतः इसमें 40.63 करोड़ रुपए की कमी हुई है और विभाग ने यह स्पष्टीकरण दिया है कि यह सामग्री की आपूर्ति में कमी तथा दूर-संचार आदान में गिरावट के फलस्वरूप हुआ है । यदि क्रियान्विति में कोई कमी है तो उसके लिए कोई उत्तरदायी नहीं है ।

जहाँ तक सारे देश में दूरभाष केन्द्रों के स्वचालीकरण की बात है, मन्त्री महोदय ने हमें विश्वास दिलाया है कि यह काम 1990 तक हो जायेगा। हम कम से कम जिला मुख्यालय में दूरभाष-केन्द्रों को स्वचालित रूप दे सकने में सफल रहेंगे। मुझे आशा है कि मन्त्री महोदय इस मामले पर बड़ी ही गम्भीरता से विचार करेंगे और यह पता लगायेंगे कि ऐसी बातें क्यों हो रही हैं। स्थानीय दूरभाष-सेवा और एस० टी० डी० सेवा के बारे में देश भर से शिकायतें मिल रही हैं। 2% के मानक के विपरीत स्थानीय दूरभाष-सेवा में 8% कालें बेकार जाती हैं या मिल नहीं पाती हैं। एस० टी० डी० कालों के मामले में 10% के मानक के विपरीत 70% कालें बेकार जाती हैं।

यह विभाग ऐसे कौन से रोगों से पीड़ित है जिसके कारण मन्त्री महोदय इस प्रकार की कमियों को दूर नहीं कर पा रहे हैं? क्या इस विभाग का यह मत है कि जब तक रोगी मर नहीं जाता उसे वही दवाई पिलाते रहना चाहिए? एस० टी० डी० की तो 70% कालें बेकार जाती हैं। क्या इस मन्त्रालय के अधिकारियों को तभी सन्तोष होगा जब यह स्थिति 100% तक पहुँच जायेगी? इस असफलता के कारणों का पता लगाना चाहिए और उनको दूर किया जाना चाहिए। श्रीमान बागड़ी के कथनानुसार यह कैंसर रोग है। यह कैंसर तो नहीं है। परन्तु यदि मन्त्री महोदय रोग का पता लगा लेते हैं और गण्डिका भाग को काट डालते हैं तो फिर हमें संचार विभाग का निश्चित रूप से पुनर्गठन करना चाहिए और इसे साफ-सुथरा प्रशासन देना चाहिए।

इस असंतोषजनक कार्यान्विति के क्या कारण हैं? वे इस प्रकार हैं: बहुत ही घटिया किस्म का रख-रखाव, स्टाफ द्वारा उपेक्षा। फालतू पुर्जों की अनुपलब्धता और पुरानी मशीनें। इस विभाग के कर्मचारियों में उत्साह और ईमानदारी का भी अभाव है। कर्मचारियों यूनियनों और अधिकारियों के बीच टकराव होता रहता है। इसका प्रभाव लोगों पर नहीं पड़ना चाहिए। अधिकारियों में विश्वास की कमी के कारण उपभोक्ताओं को कठिनाइयों से दूर रखा जाना चाहिए। अतः आप कौन से उपचारात्मक उपाय कर कर रहे हैं? हम किस तरह से इस विभाग का प्रबन्ध चलाएं?

देश में 25 लाख दूरभाष लगाए जा चुके हैं और प्रतिवर्ष 3-4 लाख नाम प्रतीक्षा सूची में और जुड़ जाते हैं। आज 7 लाख से भी अधिक लोग दूरभाष के लिये प्रतीक्षा सूची में हैं। इसका क्या उपाय होगा? हमारी स्थापित क्षमता लगभग 2 लाख दूरभाषों का उत्पादन करने की है। इसमें कोई सन्देह नहीं है कि हम दो लाख दूरभाषों का उत्पादन कर रहे हैं। परन्तु मांग और उत्पादन के बीच खाई है। अतः वर्ष-दर-वर्ष खाई और चोड़ी होती जाएगी। भुवनेश्वर में एक और दूरभाष उद्योग स्थापित करने का निर्णय पहले ही लिया जा चुका है। राज्य सरकार ने स्थल भी निश्चित कर दिया है। मन्त्री महोदय के कथनानुसार वे एक भिन्न स्थल का सर्वेक्षण कर रहे हैं। इसका यह अर्थ हुआ कि और अन्य दो वर्षों का अन्तराल पड़ जायेगा और फिर पंक्ति दिन-प्रति-दिन बढ़ती जायेगी। हमें यह बात नहीं भूलनी चाहिए। पिछली सरकार द्वारा निर्णीत पथ पर हमें तुरन्त निर्णय लेना चाहिए। लाइन की सामग्री के लिए सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र के उद्योग हैं परन्तु फिर भी हमें दूरभाष विभाग के लिए आयात करना पड़ता है। हम प्रौद्योगिकी, तकनीक, अभिकल्प और पेरामीटर का तो आयात कर सकते

हैं परन्तु उपस्कर का नहीं । में आयात नीति की आलोचना नहीं करता हूँ । हमें केवल पेरामीटर और अभिकल्प का ही आयात करना चाहिए, सारी की सारी सामग्री का नहीं ।

आधुनिकीकरण, विस्तार, आज की मांग है । अतः हम एलेक्ट्रानिक्स उद्योग को क्यों नहीं अपना लेते हैं ? जापान, सऊदी अरब तथा अन्य देशों ने इस क्षेत्र में प्रौद्योगिकी को विकसित किया है और उनके दूरभाष उद्योग बड़े ही सस्ते चल रहे हैं ।

अब मैं संगठन की बात करता हूं । आज हरेक वस्तु का केन्द्रीयकरण होता जा रहा है । हम विकेन्दीयकरण की बात क्यों नहीं सोचते हैं ? स्थानीय संगठनात्मक विकास तथा अन्य मामलों जैसे छोटे मामलों का विकेन्द्रीकरण करके जिला मुख्यालयों और राज्य मुख्यालयों जैसे दूरस्थ स्थानों पर क्यों नहीं भेज दिया जाता है ? इसके साथ-साथ यह बड़ा विशाल विभाग है । इसमें 8 लाख से भी अधिक कर्मचारी हैं । अतः डाक-तार विभाग और दूरसंचार विभाग के बीच कोई सम्बन्ध नही हैं । ये अन्तर्सबद्ध नहीं हैं । इनको दो भागों में बांट कर अलग निदेशालय क्यों नहीं कर दिये जाते हैं । यह भारत सरकार के अधीन द्वितीय सबसे बड़ा सरकारी उपक्रम है । एक वर्ष में 400 करोड़ रुपये से भी अधिक खर्च किए जाते हैं । हम अलग से एक निदेश लय या रेलवे बोर्ड की तरह कोई क्यों नहीं बनवा लेते हैं जिससे कि बोर्ड स्वतन्त्ररुप में कार्य कर सके और स्वायत्त निकायों की तरह निर्णय ले सके । रेलवे की तरह उसका भी अलग से बजट होना चाहिए । इसे आम बजट का अनावश्यक परिशिष्ट क्यों बनाया जाए ।

उड़ीसा में श्रीमती इन्दिरा गांधी द्वारा की गई टिप्पणी का सभी ने उल्लेख किया है । मन्त्री महोदय ने इस पर अति तात्कालीक कार्यवाही की है । निस्सन्देह उन्हे उड़ीसा में कैंसर मेल को समाप्त करने का अधिकार है । इस तात्कालिक कार्यवाही के लिए में उन्हे बधाई देता हू । इसी के साथ ही साथ मैं कुछ और सुझाव भी दूंगा जिससे कि मेरा भाषण सम्पूर्ण हो सके । कर्मचारी संघ और अधिकारियों में सदैव टकराव होता रहता है । अधिकारीगणों में देशभर के विभिन्न भागों में व्याप्त अव्यवस्थितता की परिस्थितियों के कारण आत्म विश्वास की कमी पाई जाती हैं और यही भावना अतिरिक्त विभागीय कर्मचारियों में भी पाई जाती है । इसके साथ ही उनकी यूनियनें विभाग के समक्ष बड़े-बड़े दावे रखती हैं जिससे कि अधिकारियों में आत्मविश्वास की भावना पनपने न पाए अतः अधिकारी लोग अपने में विश्वास की भावना का अभाव महसूस कर रहे हैं । 1975-76 में तो उन्हें स्वयं पर विश्वास का किन्तु बाद में वह निरुत्सहित हो गये । मैं मन्त्री महोदय से यह चाहता हूँ कि यह वह सुनिश्चित करें कि उच्चाधिकारी वहाँ पर जायें और देखे कि वहाँ लोगों को किन कठिनाइयों से गुजरना पड़ रहा है । मैं यह कहना चाहता हूँ कि उड़ीसा को दण्ड का क्षेत्र समझा जाता है । जब भी दिल्ली से किसी अधिाकारी को 24 घन्टे के अन्दर अन्दर स्थानान्तरित करना होता है तो उसे उड़ीसा में भेज दिया जाता है । यदि संयुक्त निदेशक अथवा किसी अन्य अधिकारी के विरुद्ध कोई शिकायत आती है, तो उसे भी उड़ीसा भेजा जाता है । मैं माननीय मन्त्री से अनुरोध करना चाहता हू कि यदि किसी अधिकारी के विरुद्ध कोई शिकायत होती है तो उसमें सही ढंग से जांच पड़ताल करवाई जानी चाहिये और उसे कड़ा दण्ड दिया जाना चाहिये यदि आवश्यक हो तो उन्हें नौकरी से निकाल दिया जाना चाहिये ताकि यह दूसरे अधिकारियों के लिये उदाहरण का कार्य कर सके । सरकार, उस अवस्था में पिछले तीन वर्ष के दौरान हुई हानि की धन राशि को वसूल कर सकती है ।

उड़ीसा के बारे में मैं एक और बात भी कना चाहता हू । वहाँ पर तैनात कर्मचारी जनता की सेवा नहीं करना चाहते हैं। उपभोक्ता लाईन में लगे हैं। लोगों ने कुछ बस्तियों में तो टेलीफोन कनेक्शन लेने के लिये 5,000 रुपये भी जमा करा रखे हैं । लोगों को इस सम्बन्ध में तकनीकी बातों का पता नहीं है । मेरा यह सुझाव है कि राज्य में कार्यरत अधिकारियों के लिये राज्य मुख्यायय में रिफ्रेशर कोर्स का आयोजन किया जाना चाहिये। यदि वे अधिकारी उसके बाद भी स्तर विशेष दक्षता नहीं दिखा पाते तो उन्हें कोई अन्य कार्य दिया जाना चाहिये किन्तु एक पद से दूसरे पद पर नहीं लगाया जाना चाहिये ।

अन्त में, मैं पुन उड़ीसा राज्य की समस्याओं के सम्बन्ध में मन्त्री महोदय से अनुरोध करता हूँ । उसमें से पहली समस्या तो यह है कि सम्भलपुर-कटक माईक्रोवेव स्टेशन, जिसकी स्थापना 12 के लिए वर्ष पहले स्वीकृति दे दी गई थी, को अब भी विभाग में प्राथमिकता नहीं दी जा रही है । दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूँ कि सम्भलपुर, जहाँ का मैं निवासी हूँ, और राज्य में अन्य अनेक जिला मुख्यालयों तथा अन्य महत्वपूर्ण शहरों में अब भी मानवचालित्र एक्चेंन्ज है । केवल एक ही जिले में स्वचालित टेलीफोन व्यवस्था है और शेष 12 में मानवचालित एक्स्चेंज ही हैं । इससे वर्तमान क्षेत्रीय असन्तुलन का पता चलता है । महाराष्ट्र में केवल 7 शहरों में ही मानवचालित एकस्चेंज हैं और शेष सभी शहरों में स्वचालित टेलीफोन व्यवस्था है । इस प्रकार उड़ीसा राज्य के साथ इस सम्बन्ध में सौतेला-व्यवहार किया जा रहा है । कम से कम छठी पंचवर्षीय योजना में तो राज्य के सभीं जिला मुख्यालयों में स्वचालित टेलीफोन एक्सचेंन्जों की व्यवस्था की जानी चाहिये । इन मानवचालित एक्सचेंजों को स्वचालित टेलीफोन एक्सचेंजों में बदलने के लिये उपकरणों की तो कोई कमी नही होगी । पिछली सरकार ने भुवनेश्वर में टेलीफोन उद्योग की स्थापना का निर्णय लिया था । उस निर्णय में परिवर्तन नहीं किया जाका चाहिये और टेलीफोन उद्योग भुवनेश्वर में ही स्थापित किया जाना चाहिये ।

श्री विजय कुमार यादव (नालन्दा) : उपाध्यक्ष महोदय, में इस डिमाण्ड का विरोध करने के लिये खड़ा हुआ हूँ, लेकिन मुझे इस बात की खुशी है कि बहुत लम्बे अर्से के बाद इस डिमाण्ड पर पार्लियामेन्ट में बहस हो रही है । मुझे यह खुशी और ज्यादा होती, जैसे कुछ माननीय सदस्यों ने इस विभाग की अहमियत को देखते हुए, इस के महान कामों को देखते हुए, इस के बड़े बजट को देखते हुए कहा इस का अगर सैप्रेट बजट होता जिस तरह से रेलवे का है तो निश्चित तौर पर लोगों की जो बहुत लम्बे अर्से से शिकायत थी, वह दूर हो जाती और जो बहुत सारी त्रुटियां हैं, गड़बड़ियां हैं उन को दूर करने में और आम जनता को इस विभाग के जरिये ज्यादा से ज्यादा सुविधा देने में सहुलियत होती ।

मैं जहां तक समझ पाया हूँ-इस विभाग के तीन मुख्य उद्देश्य हैं-

(1) उचित दरों पर डाक और दूर-संचार सुविधाओं की सुचारू ढ़ंग से व्यवस्था करना;

(2) देश की आवश्यकतानुसार डाक तथा दूर-संचार पद्धतियों के विकास की योजना बनाना;

(3) डाक सुविधाएं अधिक से अधिक लोगों को उपलब्ध करना । लेकिन, उपाध्यक्ष

जी. इन तीनों उद्देश्यों का यदि तुलनात्मक दृष्टिकोण से विवेचन किया जाय तो ऐसा पाया जायगा कि यह विभाग इन उद्देश्यों की पूर्ति करने में, इस को जो वांछित सफलता मिलनी चाहिये थी, उस में यह असफल रहा है और यही वजट है जैसे कि अभी कुछ माननीय सदस्यों ने कटक की चर्चा की। जब खुद इस सवाल पर प्रधान मंत्री जी इस विभाग के कामों से सन्तुष्ट नहीं हैं तो कोई वजह नहीं है कि प्रधान मंत्री जी के मातहत काम करने वाले कैबिनेट मिनिस्टर, इसे गम्भीर न मानें।

जहां तक उन की योग्यता का सवाल है, दक्षता का सवाल है, उन के पुराने होने का सवाल है- उस के बारे में कोई दो रायें नहीं हैं, लेकिन डेमोक्रेसी में या किसी डेमोक्रेसी कन्ट्री में जो सरकार में काम करता है उस के मारल का यह तकाजा है कि जब उस देश की प्रधान मंत्री इस तरह की बात उस विभाग के बारे में कहें, तो जैसा रेलवे विभाग में हुआ, त्रिपाठी जी ने रिजाइन किया, तो यहां भी यह औचित्य था, स्टीफन साहब एक बहुत ही सैल्फ-रेस्पेक्टिंग मिनिस्टर रहे हैं, पता नहीं अब तक उन्होंने रिजाइन क्यों नही किया ?

में इस मौके पर विशेष रुप से बिहार राज्य की चर्चा करना चाहता हूँ। बिहार राज्य की इस विभाग द्वारा घोर उपेक्षा हो रही है। आप विहार राज्य में डाकघरों की तादाद को लें- 5581.7 आदमियों पर एक डाकघर पड़ता है, जब कि पूरे हिन्दुस्तान की औसत 4000 आदमियों पर एक डाकघर की है। महाराष्ट्र में 4586 आदमियों पर एक डाकघर है. तामिलनाडू में 3567 आदमियों पर, राजस्थान में 2512 आदमियों पर, आन्ध्र में 2773 आदमियों पर हिमाचल प्रदेश में 1535 आदिमियों पर, डाकघर स्थापित हैं। डाकघर स्थापित करने का इन का जो नया क्राइटेरिया है-उस के अनुसार 2 हजार की आबादी का डाकघर दिया जाता है, उस के साथ कुछ अन्य शर्तें भी हैं। यदि इस दृष्टि से देखा जाय तो विहार में लगभग 5500 की आवादी पर एक डाक है। इस से स्पष्ट हो जाना है कि बिहार राज्य की इस मामले में कितनी उपेक्षा की जा रही है...

श्री मधु दन्डवते : आप के यहां खत कम लिखते होंगे।

श्री विजय कुमार यादव : बिहार में खत कम लिखते हों, ऐसी बात नहीं है।

इस समय जो क्राइटेरिया तय है उस के अनुसार यदि 3 किलोमीटर के भीतर कोई दूसरा पोस्ट-आफिस नहीं है तो वहां नया पोस्ट-आफिस दिया जाता है। लेकिन बिहार में डिस्टेन्स की एवरेज क्या है? 17.2 किलोमीटर पर एक पोस्ट आफिस आता है। दूसरी जगहों पर क्या स्थिति है-दिल्ली में 2.8 किलोमीटर पर, तामिलनाडू में 11 2 किलोमीटर पर, पंजाब में 13.6 किलोमीटर पर, केरल में 8 किलोमीटर पर-इस तरह से है। बिहार में 17.2 किलोमीटर पर एक पोस्ट आफिस आता है।

इसी तरह से टेलीफोन के सम्बन्ध में भी स्थिति है। टेलीफोन के सम्बन्ध में भी बिहार काफी मेगेलेक्टिड हैं। में इनके सम्बन्ध में कुछ आंकड़े दे कर के दूसरी बातो को लूंगा। बिहार में करचल एक्सचेंज 65 हैं जबकि गुजरात में, 137, महाराष्ट्र में 157, कर्नाटक में 130, आन्ध्र में 127 और तमिलनाडु में 76 हैं। स्वचल एक्सचेंज बिहार में 233, गुजरात में 431, महाराष्ट्र

में 570, कर्नाटक में 533, आँध्र में 993, तमिलनाडु में 703 हैं। इसी तरह से टेलेक्स का भी हिसाब-किताब है। इस मामले में भी बिहार की काफी उपेक्षा की गई है।

पूरे देश में हमारे जो टेलीफोन की स्थिति है, उसके सम्बन्ध में मैंने कंसलटेटिव कमेटी की मीटिंगों में शिकायत की है। मैंने अपनी कांस्टीच्युएंसी के लोकल टेलीफोन एक्सचेंज के सम्बन्ध में शिकायत की है। वहाँ की मशीनरी और कप्शन के सम्बन्ध में भी शिकायत करता रहा हूँ इस डिपार्टमेंन्ट के अन्दर जितना बड़ा कारप्शन है उसके सम्बन्ध में मैं मंत्री महोदय को कह चुका हूँ कि मैं इसको साबित करने को तैयार हूँ अगर आप एक हाई पावर कमेटी जांच बिठा दें तो। मेरा क्षेत्र बिहार शरीफ है। नालन्दा मेरी कांस्टीच्युएंसी है। वहां हिन्दुस्तान का अत्याधिक आलू पैदा होता है। वह व्यापार का एक बड़ा केन्द्र है और वहाँ लोगों को टेलीफोन के मामले में बड़ी दिक्कत होती हैं बगैर पैसा लिए हुए कोई ट्रंक काल नहीं मिलता है। अगर पैसा दे दीजिए तो एक मिनट में ट्रंक काल मिल जाएगा। इसकी चर्चा मैंने मिनिस्टर साहब और उनके आफिसरों के सामने की है और कहा है कि आप बगैर सूचना दिये वहाँ चलिये और मैं आपको इस बात को साबित करा दूंगा।

इस तरह का भ्रष्टाचार लोकल एक्सचेंजों पर ही नहीं है, दिल्ली में पार्लियामेंट के मेम्बरों के साथ भी एसी स्थिति है। मुझे जब से टेलीफोन मिला हैं तब से वह खराब है। मैंने सर्जनों बार शिकायतें कीं, शिकायत पर मिस्त्री आया, लेकिन फिर टेलीफोन खराब का खराब। इसमें कोई सुधार नहीं होता। यह स्थिति तो टेलीफोन के मामले में हैं।

डाक तार विभाग के सम्बन्ध में दूसरे लोगों ने भी बात की है। हर बजट में टेलीफोन रेलों और डाक तार इन दो विभागों में आम जनता पर बोझा डाला जाता है। इससे चीजों में दाम बढ़ते चले जाते हैं। इस तरह से आप आम जनता पर बोझा डालते चले जाते हैं। इस बोझा डालने के वावजूद इस डिपार्टमेंट के अंदर जो काम करने वाले हैं उनकी जायज मांगों को भी आप नहीं मानते। मैं नहीं कहता कि उनकी सभी मांगों को मान लिया जाए। मगर जो उनकी जायज माँगें है उनको तो मांगा जाए। इस विभाग के अन्दर जो कर्मचारी है उनकी तादाद लगभग दो ढाई लाख से ऊपर है। उनकी लम्बे अर्से से यह मांग रही है कि उनकी सेवाओं को रेगुलराइज किया जाए। इतनी बड़ी संख्या में कर्मचारियों से आठ टेम्प्रेरी सर्विस कंडीशंस पर काम ले रहे हैं। उनकी यह जायज माँग है उसको भी आप नहीं मान रहे हैं। आपके यहाँ स्टाफ की बहुत कमी है, उस कमी को भी आप पूरा नहीं कर रहे हैं कम से कम इस डिमाण्ड पर तो आपको सहानुभूतिपूर्वक विचार करना चाहिए।

मैं एक-दो सुझाव दे कर समाप्त करूंगा। मेरे ये सुझाव पूरे देश के लिए हैं। अभी आपने जो नये पोस्ट आफिस देने का सिद्धान्त तय किया है, उसके बारे में हमारी बराबर माँग रही हैं, इससे पार्लियामेंट के माननीय सदस्यों को ओर भी कि इस सिद्धान्त में थोड़ी ढ़िलाई होनी चाहिए। अभी जो आपने गाँव की आबादी का क्राइटेरिया तय किया है, उसमें आप मेन गाँव की आबादी को ही गिनते हैं मेन गाँव का जो एडजोइनिंग गाँव है उसकी आबादी को उसमें नहीं गिनते। मेन गाँव के साथ आपको एडजोइनिंग गाँव की आबादी को भी गिनना चाहिए। दूसरे तीन किलोमीटर के स्थान पर आपको दो किलो मीटर की दूरी का सिद्धान्त

बनाना चाहिए। इसके साथ जितने ही ग्राम पंचायत के हेड क्वार्टर हैं वहाँ आपको पी० सी० ओ० देने चाहिए, अंचल हैड क्वार्टर्स को एक्सचेंज और ड़िस्ट्रिक्ट हैड क्वार्टर्स को आटो मैटिक्स एक्सचेंज देने चाहिए। हर अंचल को जिले सीधे-से, हर जिले को राज्य की राजधानी से आपको जोड़ना चाहिए। इस सिलसिले में मैं यह भी कहना चाहता हूँ कि नालन्दा एक हिस्टोरीकल जगह हैं।

पूरे देश में वहाँ पर लोग आते हैं। बिहार शरीफ डिस्ट्रिक्ट हैड-क्वार्टर है। इसलिए मेरा निवेदन है कि वहाँ पर आटोमेटिक एक्सचेंज की जो माँग काफी अरसे से चली आ रही है, उस माँग को पूरा किया जाये। इसके बाद में मैं पहले भी मिनिस्टर साहिब से कह चुका हूँ और कई बार मीटिंग्स में भी इस बात को उठाया है। मंत्री महोदय से मेरा पुनः अनुरोध है कि इस पर जल्दी विचार किया जाए। आप कहते हैं कि पासिटी आफ फण्ड है, कभी कहते हैं कि सामान की कमी है, लेकिन डेवलपमेंट का काम तो होता ही है, इसलिए पैसे की कमी के बावजूद डेवलपमेंट का काम तो होता ही है, इसलिए पैसे की कमी के बावजूद डवलापमेंट के काममें बिहार परीफ, जो कि नालंदा जिले का हैड क्वार्टर है इसको टेकअप करे और आटोमेटिक एक्सचेंज देने की कोशिश करें

श्री शिव कुमार सिंह ठाकुर (खण्डवा) : सभापति महोदय, संचार विभाग की जो माँगें प्रस्तुत हुई हैं, उन माँगों का समर्थन करने के लिए मैं खड़ा हुआ हूँ।

सभापति महोदय, हमारे देश में संचार विभाग ने एक मोनोपाली बना रखी है, जिस प्रकार से किसी बिजनिस में किसी आदमी को प्राफिट होता है तो वह आगे एक्सपैंशन करता जाता है, उसी प्रकार से यहाँ वही चल रहा है। आज हर जगह से टेलीफोन एक्सचैंज की मांग आती है, चाहे शहर हो या गाँव हो हर जगह यही माँग है कि लाइनें बढ़ाई जायें। ओ० वाई० टी० और दूसरी जो निगम हैं, उनके अंतर्गत टेलीफोन की माँग बढ़ती जा रही है और यदि उसकी पूर्ति नहीं करते हैं तो आप जानते हैं सभापति महोदय, कि चीजों के दाम बढ़ जाते हैं और भाव बढ़ रहे हैं, लेकिन पैसा आपकी जेब में नहीं जा रहा हैं। जो बीच के लोग हैं, जो दलाल हैं, वे पैसा खा जाते हैं, आपको पंसा नहीं मिलता। इसलिए मेरा निवेदन है कि माँग के अनुसार पूर्ति की जाये। अनुमान लगाया गया है कि देश में टेलीफोन की माँग बढ़ेगी। 1980-81 में 6 लाख 73 हजार, 1981-82 में 7 लाख 4 हजार, 1982-83 में 7 लाख 8 हजार, 1983-84 में 8 लाख 27 हजार, 1984-85 में 9 लाख 2 हजार, 1985-86 में 10 लाख 5 हजार, 1986-87 में 11 लाख 35 हजार, 1987 88 में 13 लाख 9 हजार, 1988-89 में 14 लाख 39 हजार और 1989-90 में 15 लाख 80 हजार नए टेलीकस की माँग आएगी। यह रिपोर्ट पी. एम. टी. डाइरेक्टरेट इलेक्ट्रानिक्स स्विचिंग पालिसी पर विभागीय कार्यकारिणी दल की है, इसके अनुरूप हमारा प्रोडक्शन बहुत कम है। हमारी वर्तमान फैक्ट्रियों से भी बहुत कम उत्पादन हो रहा है, जैसा कि देश में इलेक्ट्रानिक सिस्टम के लिए पालघाट योजना बनाई गई है, उसका उत्पादन भी बहुत कम है। इस संबंध में एक विभागीय रिपोर्ट प्रकाशित की गई है, जैसा कि मैंने अभी बताया है कि 102 लाख नए टेलीफोस की माँग होगी, इसके लिए 300 करोड़ रुपए का प्रावधान होना चाहिए था, लेकिन जो संचार बिभाग 1980-81 प्रकाशित हुई है, उसमें पेज 47 पर पालघाट योजना के संबंध में विश्लेषण छपा है, मैं पढ़कर सुनता हूँ—

"सरकार ने पालघाट एकक के प्रथम चरण को, जिसमें 17,500 लाइनों का निर्माण किया जाना था और 26 लाख रुपये की पूंजीगत लागत आनी थी, 1974 में स्वीकृति दी थी। कुछ छोटे-छोटे कार्यों को छोड़ कर इस एकक का प्रथम चरण 1979-80 के अन्त तक पूरा कर लिया गया है। 1979-80 में पालघाट एकक पर किया गया वास्तविक व्यय 4.10 लाख रुपए था।"

इसके साथ-साथ पेज-2 में प्रोग्राम में केवल 60 लाख रुपए का प्रावधान किया गया है। तीन सौ करोड़ रुपए की मांग है और प्रावधान कर रहे हैं केवल 60 लाख रुपये का, 'एक करोड़ भी नहीं' है, 300 का एक गुना भी नहीं। इतनी मांगें होने के बावजूद अगर आप इस ओर पूरा ध्यान नहीं देंगे तो जन असन्तोष उभरेगा, जिसका सामना आप नहीं कर पायेंगे।

सभापति महोदय, मुझे विश्वास है कि स्टीफ़न साहब और पाटिल साहब बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन कहीं-कहीं त्रुटियां हैं जहां पर उनकी उंगली नहीं रखी जा रही है, मैं आपके माध्यम से निवेदन कर रहा हूं कि उन त्रुटियों को आप देखें, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, जिसे आप कंट्रोल न कर सकें। आपकी कार्य-क्षमता पर मुझे पूरा विश्वास है और मैं अपेक्षा करता हूं कि आप इस रूप में काम करेंगे।

आजकल रांग नम्बर लगना एक आम बात हो गई है। कभी कभी प्यार भी हो जाता है। इससे शादियाँ होते भी मैंने देखा है। रांग नम्बर से कुछ लोगों को फायदा भी हो जाता है। लेकिन लाखों आदमियों को इस वजह से परेशानी भी उठानी पड़ रही है और वे असन्तुष्ट भी हैं। एयर इण्डिया ने डबल क्रास बार एक्सचेंज पर एक पोस्टर पब्लिश किया था जिस पर लिखा था :

गलत नम्बर—डबल क्रास लगाओ तथा उसके पश्चात बार को हटा दो।

डबल क्रास जब लग जाता है तो लड़का फेल हो जाता है फिर चाहे परीक्षा हो या प्यार की बात हो, कोई भी बात हो। असफलता ही हाथ लगती है। क्रास बार सिस्टम टेलीफोन में फेल हो गया है। इस वास्ते आपको इलेक्ट्रोनिक सिस्टम की ओर बढ़ना पड़ेगा। जिस स्पीड से आदमी दौड़ना चाहता है, जो डिवेलपमेंट देश में हो रहा है और जिस तरह से देश हर दिशा में प्रगति कर रहा है उसको देखते हुए और उसके अनुरूप समारा टेलीफोन सिस्टम उसके साथ साथ नहीं चल पा रहा है। रांग नम्बर जो लगता है इसकी ओर आपको विशेष ध्यान देना होगा। जो मशीनें पुरानी पड़ गई हैं उनको आपको बदलना पड़ेगा। सुबह से शाम तक ट्रंक काल की मांग करते रहो मिलती ही नहीं है। कोई भरोसा ही नहीं होता है कि कब मिले। नजदीक की हो या दूर की ट्रंक काल मिलने में दो दो और तीन तीन दिन लग जाते हैं और वेट करना पड़ता है। पहले ऐसे नहीं होता था। इसे मानवीय दिनों का अपव्यय तो होता ही है लेकिन साथ साथ पैसे का भी घाटा होता है।

टेलीफोन विभाग में कुरप्शन बहुत बढ़ गया है। ऊपर की बात तो मैं नहीं जानता लेकिन जहाँ मैं रहता हूं वहाँ एस० डी० ओ० टी० हैं जिनका नाम मुझे नहीं लेना चाहिए, भ्रष्ट हैं। वहाँ लांग कार्ड डालना था वह भी डाला नहीं जायेगा। और पैसा दो तो एक दिन में काम हो जाता है। एप्लीकेशन देते रहो तो छः छः महीने काम नहीं होता है और अगर पैसे दे दो तो

एक दिन में हो जाता हैं। फोन शिफ्ट करना हो और पैसे दे दो तो एक दिन में नहीं तो छः छः महीने आपका फोन शिफ्ट नहीं किया जाता है। बिना पैसे के कोई कागज इस डिपार्टमेंट में नहीं हिलता। हर जगह कुरप्शन है। मुझ से पूर्व वक्ता, एक माननीय सदस्य ने भी इसका जिक्र किया है। मैं भी पकड़वाने के लिये तैयार हूँ। मैं चैलेंज करता हूँ कि आप आएं और देखें वहाँ कुरप्शन है या नहीं है। मैं दिखाने के लिये तैयार हूँ। बिना पैसे के काल तक नहीं लगती है।

रूरल एरियाज के बारे में आपको विशेष विचार करना चाहिए। भारत गांवों का देश है। गाँवों में इलोक्ट्रौनिक इक्विपमेंट नहीं हैं, कास बार इक्विपमेंट नहीं हैं। रेडियो टेलीफोन जैसा कि वायरलैस सेट में होता है. इस तरह का प्रयोग अगर आप करें तो इस में आपको कामयाबी मिल सकती है। इसके प्रयोग हुए भी हैं। मेरी स्टेट मिनिस्टर साहब से बात भी हुई है। वह तैयार भी हैं। मुझे पूरा विश्वास है, इस ओर ध्यान दिया जायेगा। जिन गाँवों में पी० सी० ओज की माँग उनकी इस मांग को भी पूरा किया जाना चाहिए। अधिकांश गाँवों में नये टेलीफोन एक्सचेंज खोलने की भी माँग है। यह जो नया प्रयोग है इसको अगर अमल में लाया जाये तो मैं समझता हूँ कि इन सब मांगों की पूर्ति हो सकती है।

टेलीफोन विभाग के कर्मचारी बहुत लापरवाह भी हैं। मेरे यहाँ आफिस से घर तक नान एक्सचेंज लगा हुआ है। वह काम ही नहीं करता है। कई बार कहा गया है लेकिन कोई सुनवाई नहीं। एक दिन मैंने कहा कि काट दें तो दूसरे दिन उन्होंने आकर काट दिया। यह मेरे साथ हुआ है आम आदमी के साथ कैसे होता होगा। मुझे कहने लगे कि कोई चिन्ता की बात नहीं है और निकाल कर ले गए। हमारे यहाँ बहादुरपुर में श्री रामचन्द्र महाजन, सरपंच के यहाँ फोन लगा है लेकिन वह काम नहीं करता है। एक्सचेंज से आठ किलोमीटर के अन्दर आप लाइन देते हैं उसे बढ़ाना चाहिए। लेकिन कम से कम नम्बर डायल कर ले वह तो दे दें। लेकिन यह भी नहीं दे सकते हैं। जो पैसा दे देता है उसका काम बराबर हो जाता है। यह नहीं होना चाहिये। इसकी जांच आप अवश्य कराएं।

बरहानपुर में आर० एम० एस० आफिस खोलने के लिये कई दिनों से माँग चल रही है। आपने स्वीकृति भी दे दी है। खोल भी रहे हैं। परन्तु वहाँ इसके लिये बिल्डिंग की जो मांग है उसके लिये आप बजट में प्रावधान अवश्य करें। वहाँ दो सौ टेलीफोंज की मांग है। इसके वास्ते एक्सचेंज का एक्सपेंशन किया जाये और नया बोर्ड लगाया जाये। शाहपुर क्षेत्र की आबादी साठ हजार है। उसके आसपास बहुत से गाँव हैं जैसे इच्छापुर, चापोरा, दापोरा, घामनगांव, मोहद, मावसा, खामनी, नाचेन खेड़ा, भातखेड़ा। वहाँ लोगों ने टेलीफोन ले रखे हैं। इस वास्ते शाहपुर में एक एक्सचेंज खोलना बहुत ही आवश्यक है।

मैं कहना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ से भोपाल, बम्बई, पटना और दिल्ली के लिये डायरेक्ट लाइनें नहीं मिलती हैं। इसलिये उनका बढ़ाया जाना आवश्यक है। मेरे संसदीय क्षेत्र के बागली विधान सभा क्षेत्र के मैसून और बिजकुआं में लोग पी० सी० ओ० की माँग कर रहे हैं। इसलिये वहाँ पर पी० सी० ओ० खोले जाएं। इसके अलावा मेरे क्षेत्र के लोग महाराणा प्रताप, महाराजा अगरसेन और छत्रपति शिवाजी की यादगार में विशेष स्टाम्पों की माँग कर रहे

हैं। मेरा आग्रह है कि इन वीर पुरुषों की जयन्तियों के अवसर पर विशेष डाक टिकट निकालने की आप व्यवस्था करें।

टेलीफोन डिपार्टमेंट में काम करने वाले अधिकांश इंजीनियर्स इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स नहीं हैं। लाइनमैन लोग ही प्रोमोशन पा कर इंजीनियर हो गये हैं। जूनियर इंजीनियर, इंजीनियर और डी० टी० ई० जितने हैं इनकी कोई क्वालिफिकेशन्स नहीं हैं, बल्कि प्रोमोशन से आ गये हैं जिसके कारण यह लोग सौफिस्टीकेटेड मशीनों की ठीक ढंग से देख-भाल नहीं कर सकते हैं। इसी तरह से अकाउण्ट सेक्शन में एकाउण्ट सर्विस के लोग नहीं हैं। रिटायर्ड विंग कमाण्डर अकाउण्ट सेक्शन का हैड बनकर हमारे यहाँ रहा है। कैसे यह लोग हिसाब-किताब ठीक रख सकते हैं, यह सोचने की बात है।

हमारे देश से बहुत टेली कम्युनिकेशन्स इंजीनियर्स विदेशों में जाकर काम कर रहे हैं, विशेषकर अफ्रीका में और कैनाडा में, और अपने यहाँ हम दूसरे देशों से इंजीनियर्स बुला रहे हैं। उसको रोका जाना चाहिए। हमारे यहाँ के नौजवानों को उचित ढंग से प्रशिक्षित कर के उन्हीं को रखना चाहिए।

अभी स्टीफन साहब ने ओवरटाइम बन्द कर दिया है। मैं जानता हूँ कि पैसे का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। मगर ओवरटाइम बन्द करने के कारण जो वर्कर्स रखे हैं वह ट्रेंड नहीं होते हैं जो आपके टेलीफ़ोन को ठीक तरह हैंडिल कर सकें इस कारण एफीशियेंसी फिर रही है। थोड़ा सा पैसा बचाने जा रहे हैं मगर लाखों रुपया इनएफ़ीशियेंसी की वजह से खर्च हो रहा है। इस-लिए मेरी माँग है कि ओवरटाइम को बन्द न किया जाय। और जो ट्रेनिंग लोगों को पैसे के बल पर दी जा रही है उनको वर्किंग की ओर से हटा कर अलग से प्रशिक्षित करने की व्यवस्था आप कीजिये। क्योंकि बाहर वाले को क्या मालूम कि टेलीफ़ोन पर कच्चा आदमी बैठा है या पक्का आदमी बैठा है। आप वहाँ पक्के आदमी बैठायें ताकि काल जल्दी मैच्योर करें।

आज जो टेलीफ़ोन प्रणाली है वह पर्याप्त नहीं है, हमको अवश्य ही इलेक्ट्रानिक्स की ओर बढ़ना पड़ेगा। स्ट्राउजर सिस्टम फेल हो गया, क्रॉसतार सिस्टम फेल हो गया। दुनिया के अन्य देश इलेक्ट्रानिक्स पर आ गये हैं, उस ओर हमको भी बढ़ना पड़ेगा। जिस गति से हम लोग बढ़ रहे हैं। पालघाट योजना के माध्यम से हम लक्ष्य की प्राप्ति नहीं सकते। हमारे पैंटा-कौंटा प्रणाली फेल हो गई है और वह भारतीय मौसम और परिस्थिति के अनुकूल नहीं है। उदाहरण के लिए भारत में व्यस्तता के घंटों में प्रति टेलीफ़ोन लाइन कालों की औसत प्रति घंटा 12 से 15 है, जब कि अमरीका और ब्रिटेन में 2 से 3 है क्योंकि हमारे यहाँ टेलीफ़ोन उपभोक्ताओं का औसत 0.3 प्रति 100 व्यक्ति है, बम्बई में 4.7 प्रतिशत है, टोकियो में 66 है, न्यूयार्क में 81 है, पेरिस में में 106 है, स्टाकहोम में 115 हैं। इस प्रकार से भारत में टेलीफ़ोनों की संख्या बहुत कम है और ऐफ़ीशियेंसी कम होती जा रही है।

इन्हीं बन्द शब्दों के साथ में माननीय स्टीफ़न और माननीय विजय एन० पाटिल से निवेदन करूंगा कि वह अपनी क्षमता का पूरा इस्तेमाल करें ताकि इस सेवा में और सुधार हो।

श्री डूमर लाल बैठा (अररिया) : सभापति महोदय, संचार मंत्रालय पर काम करने की जवाबदेही बहुत बड़ी है, क्योंकि केन्द्र के दो मंत्रालय, रेल और संचार, ऐसे मंत्रालय हैं, जिनसे देश

के आम लोगों का सीधा सम्बन्ध रहता है। शहरों के पढ़े-लिखे लोग सरकार के प्रशासन और कार्य-प्रणाली के बारे में बहुत-सी बातों को देख कर किसी निष्कर्ष पर पहुंचते हैं, मगर जहाँ तक देहात का सम्बन्ध है, वे तो इस आधार पर निर्णय करते हैं कि संचार मंत्रालय और रेल मंत्रालय का काम कैसे चलता है।

यह ठीक ही कहा गया है कि देश में संचार मंत्रालय की स्थिति वही है जो कि शरीर में नसों की है। जिस प्रकार नसें सम्पूर्ण शरीर में रक्त का संचार करती हैं, जिससे शरीर का संचालन ठीक तरह से होता है, उसी प्रकार किसी भी शासन को ठीक ढंग से चलाने के लिए संचार मंत्रालय को कुशलता से काम करना पड़ता है, और करना चाहिए। इस दृष्टि से संचार मंत्रालय का काम बहुत पीछे रहा है।

इस विषय पर चर्चा करते हुए विरोधी पक्ष के माननीय सदस्य श्री मनीराम बागड़ी, ने एक तरफ से संचार मंत्री की बहुत तारीफ़ की, उनको बड़ा कर्मठ बताया और उनकी भूरि-भूरि प्रशंसा प्रशंसा की, और दूसरी तरफ उन्होंने राय दी कि उनको इस मंत्रालय को छोड़ देना चाहिए। मेरी राय तो ठीक इससे उल्टी है कि जब वह इतने कर्मठ और दक्ष हैं, तो उन्हें इसी मंत्रालय में रहकर उसकी गड़बड़ियों को दूर करना चाहिए। ये गड़बड़ियाँ आज नहीं आई हैं। ये कई बरसों से चली आ रही हैं और जनता पार्टी के काल में तो पराकाष्ठा पर पहुची हुई थीं। उन गड़बड़ियों को दूर करने के लिए उन जैसे कर्मठ व्यक्ति का इस मंत्रालय में रहना बहुत जरूरी है।

31-3-79 तक एक पोस्ट आफ़िस औसतन 4,184 की पापुलेशन और 24-46 स्क्वेयर किलोमीटर एरिया को सर्व करता था, जबकि 31-3-80 को एक पोस्ट आफ़िस 4, 001 की पापुलेशन और 23.9 स्क्वेयर किलोमीटर एरिया को सर्व करने लगा। इससे पता चलेगा कि मंत्री-महोदय ने कुछ करने की कोशिश की है। हम मानते हैं कि ये गड़बड़ियाँ बहुत पुरानी हैं, इसलिए यह कहना बिलकुल गलत है कि इसमें मंत्री महोदय का दोष या कुसूर है और वह इनको दूर नहीं करना चाहते हैं।

ज़माने से हमारे संचार संयंत्र हैं वे सब पुराने पड़े हुए हैं। इनको बदलने की आवश्यकता है। बीच-बीच में जिस तरह से समय-समय पर उसमें बदलाव होना चाहिए था वह नहीं हुआ। यह सही है कि आज हमारे यहाँ जो क्रॉस बार सिस्टम है उससे काम नहीं चलने वाला है। हमको भी आधुनिक से आधुनिक जो संचार प्रणाली है उसको उपलब्ध कराना होगा।

आज हम पहले पोस्ट आफिस की बात करें। यह जरूर है कि आज हमारी यह स्कीम है कि नार्मली दो हजार की पापुलेशन पर एक पोस्ट आफिस होना चाहिए और जो पिछड़े क्षेत्र हैं, ट्राइबल एरियाज हैं, हिली एरियाज हैं उनमें एक हजार की आबादी पर पोस्ट आफिस होना चाहिए। लेकिन इसको पूरा करने के लिए मंत्री महोदय ने क्या योजना बनाई है? दो हजार की आबादी वाले गाँवों में या पिछड़े क्षेत्र में एक हजार की आबादी पर जो पोस्ट आफिस खोलने की बात है उसके लिए उन्होंने क्या व्यवस्था की है? अभी जो तरीका है कि जहाँ से लोग दरख्वास्त देते हैं, जहाँ के लोग उसमें दिलचस्पी लेते हैं वहाँ पोस्ट आफिस खुलता है। मगर विभाग की तरफ से भी उसकी व्यवस्था होनी चाहिए, इसका सर्वे कराकर जहाँ पर इसकी जरूरत है वहाँ पर पोस्ट आफिस खोलने की व्यवस्था विभाग की तरफ से होनी चाहिए।

टेलीफ़ोन के रख रखाव के सम्बन्ध में और लोगों ने भी अभी कहा। यह बात सही है कि टेलीफोन की जैसी उपयोगिता है उसको ख्याल में रखते हुए जैसी उसमें दक्षता आनी चाहिए, एफिशियेंसी आनी चाहिए वह उसमें नहीं है। उसके लिए एक बात तो यह है कि जहां पर उसके अन्दर एक ओर इंजीनियरिंग साइड में उसकी लाइन को मेन्टेन करने का काम होता है वहां दूसरी ओर जो आपरेटर्स हैं जिनको एक्सचेंज में बैठकर काम करना पड़ता है, इन दोनों में एक अच्छा और वाजिब सहयोग होना चाहिए तभी काम चल सकता है। मैं अपने यहाँ का उदाहरण बताऊँ, मैं अररिया, फारबिसगंज से आता हूँ जो नेपाल के बार्डर पर पड़ता है। एक तरफ नेपाल का बार्डर पड़ता है, दूसरी तरफ बंगला देश का पड़ता है। हमारा जिला नेपाल और बंगला देश के बार्डर पर है। वहाँ स्थिति यह है कि जब से हम आए हैं, यानी करीब-करीब दो साल हो रहे हैं तब से आज तक टेलीफोन बुक करते-करते थक गये। कोई ट्रंक काल आज तक मैटीरियलाइज नहीं हुई। यह तो वहाँ के टेलीफोन की हालत है। उसमें गड़बड़ी क्या है ? मैं जब वहाँ जाता हूँतो देखता हूँ। कि एक तरफ आपरेटर्स हैं और दूसरी तरफ आपके इंजीनियरिंग सेक्शन के लोग हैं, दोनों में झगड़ा है और कभी भी तो उनमें मार पीट भी हो जाती है। वह क्यों हो जाती है, उसका कारण है। जैसा कुछ माननीय सदस्यों ने कहा "इसमें भ्रष्टाचार की बात है। आपरेटर्स जब काल लगाते हैं व्यापारी से उन्हें पैसे मिलते हैं। आप जानते हैं कि वह पाटका इलाका है, वहाँ के लोग पाट उत्पादन करते हैं और कलकत्ता की मार्केट में भेजते हैं, तो लाइटनिंग काल की तरह से आपरेटर्स उनकी काल लगाते हैं और आर्डिनरी का चार्ज करते हैं, ऊपर से पैसा खा जाते हैं। जब एक तरफ आपरेटर्स घूस खाते हैं तो इंजीनियरिंग सैक्शन के लोग भी चाहते हैं कि उसका हिस्सा उनको मिले। जब वह नहीं मिलता है तो वे लाइन खराब कर देते हैं। मैंने मौखिक रूप से इसकी शिकायत राज्य मंत्री जीसे भी की थी। मैं नहीं जानता कि इस पर क्या कार्रवाई हुई। लेकिन मैंने एक राय दी कि ऐसा इसलिए होता है कि काफी दिनों तक आपके इंजीनियर, आपरेटर और दूसरे कर्मचारी एक ही जगह पर रहते हैं। उनको दण्ड के रूप में नहीं बल्कि नार्मल के समय आने पर प्रत्येक तीन साल में एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसफर कर देना चाहिए ताकि वहाँ रहकर जो वेस्टेड इन्टरेस्ट हो जाता है वह न हो सके।

मैं तो दीन बातें कह कर समाप्त कर दूँगा। एक तो यह है कि वहाँ पर हमारे उस एरिया में फारबिसगंज, अररिया, पूर्णिया इन सब स्थानों पर टेलीफोन को आटोमेटिक करने की आवश्यकता है। उसके कई बार प्रस्ताव आये हैं कि वहाँ पर आंटोमेटाएजेशन किया जाय। मैंने कई बार सवाल भी किए हैं। मगर सरकार पता नहीं क्यों इसमें देर कर रही है। जहाँ पर उसके लिए मकान उपलब्ध हैं वहाँ पर आटोमेटिक सिस्टम न देकर वहाँ के लिए भेजे गये उस समूचे संयंत्र को दूसरी जगह भेज दिया है जहाँ पर मकान नहीं हैं। और जहाँ मकान है वहाँ पर नहीं देते हैं। मैंने कहा था कि जहाँ पर आपका भेजा हुआ संयंत्र पड़ा है वहाँ से उसको आप ऐसी जगह पर भेज दीजिए जहाँ पर कि मकान है। आपको यह बात देखनी चाहिए कि कहाँ पर संयंत्र है और कहाँ पर एकोमोडेशन है। जहाँ पर एकोमोडेशन है और संयंत्र नहीं है वहाँ पर आपको उसकी व्यवस्था पहले करनी चाहिए।

मैं माइक्रो-वेव स्टेशन के सम्बन्ध में एक बात खास तौर पर राज्य मंत्री महोदय से कहना चाहूँगा जो कि बिहार से आते हैं, कि डाल्टनगंज में साल भर से माइक्रो-वेव स्टेशन बनकर पड़ा हुआ

है लेकिन आजतक मशीन कमीशन नहीं हो पाई है। मैं उरांव साहब से खास तौर पर कहना चाहता हूँ कि वे कृपा करके वहाँ संयंत्र को जाकर देखें और उसको जल्दी से चालू कराने की व्यवस्था करें।

इसी प्रकार से फारबिसगंज में, मेरी कंस्टीचुएन्सी में, दो साल से माईक्रो-वेव टावर बन रहा है और न मालूम कब जाकर वह पूरा होगा। न मालूम उसमें क्या दिक्कत आ रही है इसलिए आप कृपा करके उसको भी जाकर देखें और जो कठिनाई हो उसको दूर करें।

जहाँ तक आटोमेशन की बात है, अभी डिस्ट्रिक्ट्स की बात तो आप छोड़ दीजिए, जो डिवीजनल हेडक्वार्टर्स हैं वहाँ पर भी आपने आटोमेशन नहीं किया है। भागलपुर, सहरसा इत्यादि बहुत से डिवीज़न है जो अभी वैसे ही पड़े हुए हैं, आपने आटोमेशन नहीं किया है इसलिए इसकी तरफ भी ध्यान देने की बड़ी आवश्यकता है।

मैंने एक चिट्ठी मन्त्री जी को लिखी थी कि जानकी एक्सप्रेस में आर एस एम की व्यवस्था करने की बड़ी डिमाण्ड है। डिपार्टमेन्ट ने इसको मंजूर कर लिया अब इसमें झगड़ा इस बात का है कि संचार मंत्रालय ने आधा रेल डिब्बा लेने की बात कही है जबकि रेल मंत्रालय आधा डिब्बा नहीं पूरा डिब्बा देना चाहता है। तो इस आधे और पूरे डिब्बे के चक्कर में आर एम एस की सुविधा जानकी एक्सप्रेस में नहीं हो पा रही है। इसलिए मन्त्री जी को इस तरफ भी ध्यान देना चाहिए।

जहां तक रांग बिलिंग का सम्बन्ध है, हमारे कई बार लिखने के बावजूद रांग बिलिंग की जाती है। जहां पर ट्रंकाल नहीं किए गए वहां ट्रंकाल्स के बिल भी आ जाते हैं और जहां तीन मिनट का ट्रंक काल किया गया हो उसको 6 मिनट कर देने पर भी उतना बिल नहीं बनना चाहिए जितना कि बिल बनकर आ जाता है। जब हम लिखते हैं तो उसका कोई जबाब नहीं आता है। एक तरफ जो आपकी शिकायत है कि हेवी एरियर्स पड़े हुए हैं उसमें यह भी हो सकता है कि जो आपके बिल्स भेजे गए हों उनपर लोगों ने आब्जेक्शन किया हो। तो इसकी तरफ भी आपको ध्यान देना चाहिए कि क्या गड़बड़ी है। पता नहीं बिल बनाने वाले नशा पीकर बैठते हैं या फिर क्या वजह है? इसकी तरफ आपको ध्यान देना चाहिए। जब तक आप इसमें सुधार नहीं करेंगे, लोगों की शिकायतों को दूर करने की तरफ आप सही कदम नहीं उठा सकेंगे।

आपने गाँव-गांव में पोस्ट-आफिस खोल दिए हैं लेकिन वहां पर जो आपने एक्स्ट्रा डिपार्टमेण्टल वर्कर रखे हैं वह तीन-तीन साल से पड़े हैं, उनसे आप पूरा काम लेते हैं फिर भी उनको सौ या डेढ़ सौ रुपया एलाउन्स ही मिलता है। आप नये लोगों की नियुक्तियां करते हैं तो उस समय इन लोगों में से जिनमें योग्यता है और जिनकी उम्र है उनको प्रैफ्रेन्स देना चाहिए क्योंकि इन लोगों को आपके डिपार्टमेन्ट में काम करने का एक्सपीरिएन्स है। इसका लाभ उनको मिलना ही चाहिए। मैं समझता हूँ इस समय दो लाख एक्सट्रा डिपार्टमेण्टल कोर्स आपके विभाग में हैं। (**व्यवधान**) में समात ही कर रहा हूँ।

हमारे स्टीफन साहब एक कर्मठ व्यक्ति हैं उनके समय में भी इस विभाग में सुधार नहीं हुआ तब फिर और कब हम आशा कर सकेंगे? आपकी गांव-गांव में पोस्ट आफिस तथा अन्य सुविधायें प्रदान करने की जो योजना है उसको आप पूरा कीजिए। इस विभाग में जो गड़बड़ी है उसको दूर करने के लिए आप व्यक्तिगत तौर पर ध्यान देकर वाजिब कदम उठाएँ।

आप को जो संयन्त्र बदलने हों, वे बदलिए। गांव-गांव में जो इन्सपैक्टर इन्सपैक्शन करने के लिये जाते हैं, जहां पर गड़बड़ी होती है, पोस्ट-आफिस देखने के लिए जाते हैं. वे वहां जाकर पोलिटिक्स पैदा करते हैं और आपस में भेदभाव पैदा करते हैं। गाँवों में इस तरह की पोलिटिक्स न पैदा हो, इस ओर भी आपको देखना चाहिए-यह मेरा आपसे निवेदन है।

इन शब्दों के साथ मैं आशा करता हूँ कि हमारे कर्मठ माननीय मंत्री जी इस ओर ध्यान देंगे और इस विभाग में और गति लाने की कोशिश करेंगे।

श्री वीरभद्र सिंह (मंडी) : सभापति महोदय, मैं संचार मंत्रालय की मांगों का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूँ। यह सौभाग्य की बात है कि इस मंत्रालय का संचालन स्टीफन जी जैसे सुयोग्य मंत्री के हाथ में है और इसमें राज्य मंत्री, श्री कार्तिक उरांव तथा उपमंत्री श्री पाटिल जैसे कर्मठ मंत्रियों का भी सहयोग है। मुझे यकीन है कि इस विभाग में जो कमियां हैं, जिनके बारे में अभी माननीय सदस्यों ने कहा है, वे उन कमियों को दूर करने में समर्थ होंगे।

श्रीमान् इसमें कोई शक नहीं है कि आजादी के बाद हमारे देश में डाक-तार और टेलीफोन-सेवा में बहुत विस्तार हुआ है। मुल्क के कोने-कोने में डाकखाने खुले हैं, टेलीफोन लगे हैं, मगर जहां पर क्वांटिटेटिव एक्सपैंशन हुआ है, वहां क्वालिटी गिरी है और इन सेवाओं के स्तर में कमियां आई हैं।

अभी यहां कहा गया कि देश में जहां पर दो हजार की आबादी है, उसके आधार पर डाकखाना खोलने की व्यवस्था है और पहाड़ी क्षेत्रों में जहां एक हजार की आबादी है वहां भी डाकखाना खोला जाएगा। इसी प्रकार टेलीफोन-एक्सचेंज तथा पी० सी० ओ० भी जो के लिए पहाड़ी और दूरदराज के क्षेत्र हैं, उनके जो नॉर्म्स हैं, उसमें रिलैक्सन हुआ है। मगर मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहूँगा कि जो आपने पहाड़ी क्षेत्रों के लिए और दूरदराज क्षेत्रों के लिए नॉर्म्स बनाए हैं, इसमें कोई शक नहीं कि उसमें रिलैक्सेशन है, आपने ज्यादा रियायतें दी हैं, लेकिन वे पर्याप्त नहीं हैं। जैसा कि अभी कहा गया कि जहां पर एक हजार की आबादी होगी, वहां पर डाकखाना खोला जा सकता है। मैं स्टीफन साहब को बताना चाहता हूँ कि मेरा चुनाव क्षेत्र सारे हिमाचल प्रदेश का रकबा 55 हजार किलोमीटर है और मेरे चुनाव क्षेत्र का रकबा लगभग 33 हजार है और बिखरी हुई आबादी है। एक हजार की आबादी भी आपको आठ-दस मील के दायरे में मिलेगी और जैसी कि आपने एक हजार की आबादी पर डाकखाना खोलने का नार्म्स रखा है तो इसके आधार पर तो वहां अधिकांश क्षेत्र में एक डाकखाना भी नहीं खुल पायेगा। इसलिए मेरा आप से अर्ज है कि हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश के पहाड़ी इलाकों तथा अन्य पहाड़ी क्षेत्रों के लिए, जो आपने नॉर्म्स रखे हुए हैं, उनको आप रिवाइज करें तथा इस बात को देखें कि जो दूरदराज के इलाके हैं, वहां पर नए डाकखाने खोले जा सकें।

अभी यहां पर टेलीफोन के बारे में भी बात हुई है। कई माननीय सदस्यों ने मांग की कि एटोमैटिक एक्सचेंज लगाइए और कुछ ने कुछ मांग की, लेकिन मैं आप से एक बात कहना चाहता हूँ कि यह बड़े दुःख की बात है कि आजादी के 33 वर्ष बीत जाने के बाद भी आज देश में कई डिस्ट्रिक्ट हैडक्वार्टर्स ऐसे है, जिन्हें अभी तक टेलीफोन की व्यवस्था नहीं है।

अभी कुछ समय पहले प्रश्नोत्तर काल में मेरे एक प्रश्न के जवाब में आपने कहा था कि कम से कम डिस्ट्रिक्ट हैड-क्वार्टर्स में टेलीफोन की व्यवस्था जरूर होनी चाहिए। आप देखिए—हिमाचल प्रदेश में लाहोल-स्पीति जिले का हैडक्वार्टर कैलांग है, किन्नोर ज़िले का हैडक्वार्टर-कल्पा है—इनमें टेलीफोन की व्यवस्था नहीं है। इसी तरह से वहाँ जो दूसरे कैटेगरी के स्टेशन्स हैं, तहसील या सबडिविजनल हैडक्वार्टर्स हैं—जैसे काज़ा, निचार, पूह, मूरंग, पांगी और भरकैंटमौर आदि—उनमें अभी तक टेलीफोन की व्यवस्था नहीं हुई है। मैं आप से दरख्वास्त करना चाहता हूँ—इन दूरदराज क्षेत्रों में टेलीफोन की व्यवस्था जल्द से जल्द करें। एक बात मैं यहाँ पर विशेष रूप से कहना चाहता हूँ कि इन दूरदराज इलाकों में यदि साधारण प्रणाली से तारों को खींचकर टेलीफोन लगाये जायेंगे तो वे कामयाब नहीं होंगे। जिस तरह से आपने लद्दाख में उपग्रह के जरिये व्यवस्था की है आपको उसी प्रकार की व्यवस्था हिमाचल प्रदेश के लाहोल-स्पीति, किन्नोर तथा चम्बा क्षेत्र के पांगी और भरमौर इलाकों के लिए भी करनी होगी।

अभी टेलीफोन विभाग की काफ़ी आलोचना हुई है। मैं समझता हूँ कि काफ़ी हद तक वह सही भी है, लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ—डाकतार विभाग हमारे देश के उन विभागों में से है जिसका जनता से सीधा सम्बन्ध, रोज का सम्बन्ध रहता है। जहाँ हम इस विभाग की कमियों की आलोचना करते हैं वहाँ इस बात को भी न भूलें कि यह प्रतिदिन बहुत अच्छा काम भी करता है। देश में रोज करोड़ों चिट्ठियाँ भेजी जाती हैं जो अधिकांश अपने डेस्टीनेशन पर पहुँचती हैं। लोग लाखों टेलीफोन रोज करते हैं, लाखों की संख्या में तार भेजे जाते हैं उनमें से अधिकांश ठीक समय पर अपने डेस्टीनेशन्स पर पहुँचते हैं। यह ठीक है कि जो अच्छा काम होता है, उसकी तरफ ध्यान नहीं जाता, लेकिन अगर कोई त्रुटि हो जाती है तो उसको ज्यादा उछाला जाता है। इसलिए जहाँ हम उसकी आलोचना करें वहाँ इस बात का भी ध्यान रखें कि इस प्रकार की आलोचना न करें जिससे विभाग के कर्मचारियों का मनोबल गिर जाए। अगर हम रोज यह कहते रहें कि ये अच्छा काम नहीं कर सकते, इनमें अच्छे काम करने की क्षमता नहीं है, तो वह वक्त भी आ सकता है जब इनके अन्दर अपने सुधार की ख्वाहिश ही मर जायगी। वे कहेंगे कि हम चाहे कितना ही अच्छा काम करें, हमारे काम की कद्र नहीं होती है, इसलिए अपने को क्यों सुधारें। इसलिए जहां आलोचना करनी चाहिए वहाँ यह विभाग जो अच्छे काम करता है उसकी प्रशंसा भी होनी चाहिए।

हमारे देश के रक़बे को ध्यान में रखते हुए, हमारे देश की जनसंख्या को ध्यान में रखते हुए, यह विभाग कई कमियों के होते हुए भी देश की बहुत बड़ी सेवा कर रहा है, बहुत अच्छा काम कर रहा है। इसके लिए सारा विभाग और मंत्री जी प्रशंसा के पात्र हैं।

जहाँ तक टेलीफोन एक्सचेन्ज का सवाल है बहुत से सदस्यों ने क्रॉस-बार एक्सचेन्जेज़ के बारे में बहुत आलोचना की है। इसके बारे में काफी लोगों के दिलों में थोड़ी मिस-अण्डरस्टैण्डिग है। क्रॉस-बार सिस्टम अपने अपने आप में बुरा सिस्टम नहीं है, यूरोप के कई मुल्कों में क्रास-बार सिस्टम काम कर रहा है और बड़ा अच्छा काम कर रहा है। लेकिन हमारे देश में, यहाँ की जलवायु को ध्यान में रखते हुए, यहाँ की वर्किंग-कण्डीशन्स को ध्यान में रखते हुए, हमारे एक्सचेन्जों पर जो भार है उसको ध्यान में रखते हुए बहुत अच्छे या सफलसिद्ध नहीं हुए हैं। इस सम्बन्ध में दो-तीन बातों की तरफ विभाग का ध्यान जाना चाहिए—जितनी भी पुरानी मशीनरी और

इक्विपमेन्ट्स हैं उनको रिपलेस करने के लिए कदम उठाए जांय। दूसरे देश के अन्दर जहाँ नये एक्सचेन्ज बनाये जांय उनमें पुरानी टेकनालाजी के बजाय नई टेकनालाजी का प्रयोग किया जाय, जैसे इलैक्ट्रोनिक और दूसरे सिस्टम हैं—वे ज्यादा उपयोगी सिद्ध हो सकते हैं। उनके आधार पर इनको बनाया जाय।

अन्त में मैं एक-दो बातें अपने क्षेत्र के सम्बन्ध में कहना चाहता हूँ। हमें बड़ी प्रसन्नता है कि हिमाचल प्रदेश में पिछले वर्ष में डाक-तार और दूसरी सुविधाओं का काफी विस्तार हुआ है। इसके लिए हम विभाग के बहुत आभारी हैं।

मगर मैं आपसे यह कहना चाहता हूँ कि कुछ समय पहले हिमाचल प्रदेश में डाक-तार विभाग का एक सर्किल बनाने का निर्णय हुआ था। उसके लिए यहाँ से मंजूर हुए भी कई वर्ष हो गये हैं, उसको खोलने के बारे में अभी तक कोई कदम क्यों नहीं उठाया जा रहा है? मुझे याद है कि कुछ वर्ष पहले हिमाचल प्रदेश सरकार ने कई लाख रुपये का एक भवन खरीद कर इसके लिए देने की पेशकश की थी लेकिन उसमें किराये का झगड़ा पैदा हुआ। हिमाचल प्रदेश सरकार कहती थी कि हम यह भवन देंगे, आप इसका किराया दो लेकिन पी० एण्ड० टी० डिपार्टमेंट बिना किराये पर वह भवन देने के लिए कहता था। उसके बाद यह सुझाव दिया गया कि यह सर्किल जोगिन्द्रनगर में खोला जाए। लेकिन वहाँ के बारे में विभाग ने कहा कि वह कोई बड़ा शहर नहीं है, वहाँ पढ़ाई-लिखाई आदि की सुविधाएँ नहीं हैं। मैं आप से कहना चाहता हूँ कि इस निर्णय को इम्प्लीमेंट किया जाय और इस सर्किल को हिमाचल प्रदेश में खोला जाए। अगर शिमला या जोगिन्द्रनगर में यह नहीं खोला जा सकता है तो वहाँ पर एक सबसे उपयुक्त स्थान सुन्दरनगर है, वहाँ पर इसको खोला जाए। इससे हिमाचल प्रदेश को फायदा होने वाला है।

एक बात मैं यह कहना चाहता हूँ कि डाक-तार विभाग के जो कर्मचारी हिमाचल प्रदेश में काम करते हैं उनकी कुछ कठिनाइयां हैं। उनको वहाँ बर्फ में, तूफान में डाक-तार की सेवाएँ बनाये रखना पड़ता है और उन्होंने उनको बराबर बनाये रखा है। इसके लिए मैं उनको मुबारकबाद और धन्यवाद देना चाहता हूँ। उनकी जो कुछ कठिनाइयाँ हैं जैसे कि उनका कम्पेनसेटरी भत्ता है, वह उन्हें उतना नहीं मिलता है जितना कि हिमाचल प्रदेश के राज्य कर्मचारियों को मिलता है। उनकी माँग है कि उन्हें भी यह भत्ता उसी दर पर मिले जिस दर पर राज्य सरकार के कर्मचारियों को मिलता है। मुझे आशा है कि मंत्री महोदय इस पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करेंगे।

एक मेरी माँग यह है कि हिमाचल प्रदेश में आपके कई जगह पर वायरलेस स्टेशन्स खुले हुए हैं। मैं यह देखता हूँ कि पी० एण्ड टी० के जो वायरलेस स्टेशन्स हैं उनका मेन करने वाले कर्मचारी वहाँ नहीं पहुंच पाते। क्योंकि आप दिल्ली से या अम्बाला से कर्मचारियों को ट्रांसफर करके वहाँ भेजते है और उन्हें लाहोल-स्पीति जैसे बर्फीले क्षेत्रों में सर्दियों में रहना पड़ता है। मेरा आपको सुझाव है कि आप इन वायरलेस स्टेशन्स को मेन करने के लिए तथा अन्य डाक-तार व टेलीफोन सेवाओं के लिए वहाँ के स्थानीय लोगों को या वहाँ के एक्ससर्विसमेन को प्रशिक्षण देकर वहाँ पर लगाइये। आप उनको सभी फेसिलिटीज और ट्रेनिंग देकर वहाँ पर नियुक्त करें जिससे कि आपको उन स्टेशंस को मेन करने में जो डिफिकल्टी हो रही है वह दूर हो सके।

अन्त में एक बात कहना चाहता हूँ कि आप बहुत से महापुरुषों की स्टाम्प निकालते हैं।

अभी अखबारों में पढ़ने को मिला कि चन्द्रशेखर आजाद जो कि एक क्रांतिकारी हुए हैं उनकी स्टाम्प निकालने की माँग की गयी थी लेकिन अखबार के मुताबिक विभाग ने उस माँग को नामंजूर कर दिया। यह बड़े दुख की बात है और बड़ी हैरानी की बात है। मैं नहीं जानता कि कहाँ तक यह बात सच है। अगर यह बात सच है तो ऐसा नहीं होना चाहिए और चन्द्रशेखर आजाद जैसे क्रांतिकारी तथा अन्य क्रांतिकारियों का हमें पूरा सम्मान करना चाहिए और उनके सम्मान में डाक टिकट निकालना चाहिए।

इतना कहकर मैं आपको धन्यवाद देता हूँ।

श्री सुन्दर सिंह (फिल्लौर) : चेयरमेन साहब,

भला क्या कर सकें इलाज मर्जे नातवानी का।
पकड़ते हैं बाजू तो वहाँ शाने उतरते हैं॥

अगर हम अपने अपने मिनिस्टर साहब से बात करते हैं तो दिल खुश हो जाता है। लेकिन जब इनके महकमे की तरफ, इनके काम की तरफ देखते हैं तो दिल बुझ जाता है।

जो टेलीफोन एक्सचेंज पहले हैं, वे तो सही काम नहीं कर रहे हैं जो नये लगेंगे उनकी क्या हालत होगी ? हमारे यहाँ एक शहर सनाम है पंजाब में, यह तहसील है, यहाँ पर एस० टी० डी० लगाने के लिए मैंने लिखा आपने लगा दिया, लेकिन बाद में बन्द कर दिया। मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूँ कि बन्द क्यों किया गया ? इसी तरह से एक गाँव है पंजाब में, जिसका नाम बंबियाल है, यह गुरदासपुर जिले में है, यहाँ पर डाकखाना नहीं है, वहाँ पर 500 गांवों में एक ही डाकखाना है। इसलिए मेरा निवेदन है कि वहाँ पर डाकखाना लगाया जाए।

अभी मेरे से पहले एक वक्ता ने काफी नुक्ताचीनी इस विभाग के बारे में की और बहुत से प्वाइंट, रेज किए, इतने तो मिनिस्टर साहब को भी पता नहीं होंगे। मैं तो कहता हूँ कि उसे मिनिनिस्टर बना देना चाहिए। उन्होंने बड़े अच्छे सुझाव भी दिए हैं। स्टीफन साहब बड़े लायक आदमी हैं और कहते हैं कि कोई गड़गड़ी नहीं है, बड़ा अच्छा काम चल रहा है। अच्छा काम ऐसा चल रहा है कि टेलीफोन बुक करा दीजिये और आराम से हफ्ते दो हफ्ते में जाकर सुन लीजिए। कोई परेशानी वाली बात नहीं है। बड़ी अच्छी हालत है मैं तो कहता हूँ कि ये महकमा इनके बस का नहीं है। आप एक हफ्ते के लिए यह महकमा हमें दे दें, मैं ठीक करके दिखा दूंगा। हम टेलीफोन करते हैं, वहाँ पर लड़कियाँ बैठी होती हैं। लड़कियों को कुछ कह भी नहीं सकते। वे कहती हैं कि चौधरी साहब, आपने टेलीफोन बुक कराया था, दो दिन हो गए हैं, इससे अच्छा आप लैटर डाल देते तो उसका जवाब आ जाता। यह हालत है इस विभाग की। इस विभाग को पैसा बहुत कम दिया गया है। इतना इंपोर्टेंट विभाग है इसे तो करोड़ों रुपया दिया जाना चाहिए, जबकि एक करोड़ रुपया भी आपने नहीं दिया।

सभापति महोदय, आज हर आदमी टेलीफोन मांगता है, लोग हमारे पास आते हैं, कहते हैं आप मेम्बर बन गये हैं, हमें टेलीफोन ही दिलवा दीजिये। हम लिख देते हैं। वहाँ से जवाब आता है कि हम सोच रहे है। मैं कहता हूँ कि पहले जो टेलीफोन हैं वे ही ठीक काम नहीं कर रहें हैं तो नये लगवाकर क्या करेंगे ? इसलिए मैं कहता हूँ कि यह विभाग बड़ा अच्छा काम कर रहा है, किसी प्रकार की नुक्ताचीनी करने की जरूरत नहीं है।

सभापति महोदय : मन्त्री महोदय ने यह सब बातें नोट कर ली हैं।

श्री सुन्दर सिंह : जहाँ तक ड्यूटी का सवाल है, इस विभाग में कोई आदमी टाइम से ड्यूटी नहीं करता जीवन के किसी भी क्षेत्र में, फल की इच्छा किये बिना कर्त्तव्य का सच्ची निष्ठा से पालन करना आत्मा के उच्चतम शिखरों की प्राप्ति कराता है। यह बात स्वामी विश्वानन्द ने कही थी।

जहाँ तक रिश्वत का सवाल है, रिश्वत कहाँ नहीं है। मेरा तो कहना है कि इसे रेगुलराइज कर दिया जाए। एम० पी० के पास जाने की क्या जरूरत है, अफसर के पास जाओ और रिश्वत देकर काम करवा लो। कोई चिन्ता की बात नहीं है। इसलिए मेरा निवेदन है कि इन अफसरों को थोड़ा खींचने की ज़रूरत है ताकि ये ठीक काम करें। इतने मिनिस्टर हैं, लेकिन काम सिर्फ 1-2 आदमी ही करते हैं, बाकी सब खाली रहते हैं। इनको क्या टेलीफोन का महकमा दे रखा है, मैं क्या कह रहा हूँ यह इनकी समझ में नहीं आ रहा है। मैं कहता हूँ कि जगन्नाथ जी को मिनिस्टर बना दो, किसी पंजाबी को दे दें, एक मिनट में ठीक कर देंगे, हम भी इनके साथ काम करेंगे।

इस महकमे को पैसे की जरूरत है। इसको पैसा ज्यादा मिलना चाहिए। आपने एक करोड़ भी नहीं दिया है। ये बेचारे क्या करेंगे। इनकी भी मजबूरी है।

महकमे को इनको ठीक करना चाहिए। लोगों में इस वजह से परेशानी बहुत ज्यादा है। इतना ही मुझे कहना है।

संचार मंत्री (श्री सी० एम० स्टीफन) : सभापति महोदय, मैं सदन, संसदीय कार्य मन्त्री तथा अध्यक्ष महोदय का बहुत ही आभारी हूँ कि अनेकों वर्षों के बाद, उन्होंने इस मन्त्रालय के सम्बन्ध में सदन में चर्चा की व्यवस्था की है। जब भी इस मन्त्रालय के कार्यकरण के सम्बन्ध में आलोचना होती है तो मुझे बड़ी प्रसन्न होती है क्योंकि समूचे देश में कार्यरत लाखों श्रमिकों को संदेश पहुँचता है कि जनता के प्रतिनिधि जिस ढंग से कार्य हो रहा है, उससे खुश नहीं हैं। इससे अधिक दक्षता और कार्यकुशलता तथा इससे अधिक सशक्त संदेह और कुछ नहीं हो सकता जो उनमें उत्साह की भावना भरने और कार्य के प्रति अधिक सचेत रहने की प्रेरणा दे। अतः मुझे प्रसन्नता है कि इस विषय पर बहस की गई।

मैंने अपने सभी सर्किलों के प्रमुखों को दिल्ली में उपस्थित होने के लिये कहा था और उन्होंने सरकारी दीर्घा में बैठ कर बहस सुनी है। मैं चाहता था कि वह स्वयं सीधे आप से सुने कि उनके विभाग के कार्यों का मूल्यांकन कैसे किया जाता है। सभी यहाँ उपस्थित हैं। विभागों की जो आलोचना हुई है, उन्होंने उसे सुना है। किन्तु मुझे थोड़ी-सी निराशा हुई है कि यह आलोचना उतनी कटु अथवा तेज तर्रार विरोधी नहीं थी अथवा जितनी उसे होना चाहिये था अथवा जितनी मैं चाहता था। मैं चाहता था कि यह आलोचना जरा और तीखी होती तो अच्छा था क्योंकि मेरे विचार से विभाग को थोड़ा और तेज और चुस्त बनाने की आवश्यकता है। यह लोकतान्त्रिक प्रक्रिया है और मैं अनुभव करता हूँ कि इस मंत्रालय की महत्ता को देखते हुए देश के विकास में, देश की अखण्डता बनाने रखने में तथा जनता में परस्पर सम्पर्क बनाये रखने में यह मन्त्रालय बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। मैं यह

अनुभव करता हूँ जब भी बजट पर बहस हो, इस विषय पर अवश्य चर्चा होनी चाहिये ।

मैं इस सम्बन्ध में अपने मित्रों की विशेष कर विपक्ष के मित्रों की राय सुन कर प्रसन्न हुआ हूँ कि इस मंत्रालय का अलग बजट होना चाहिये । मैं इस पर अपनी टिप्पणी नहीं दूंगा ।

श्री आर० के० महालगी : आपने इस विषव को क्यों उठाया है ?

श्री सी० एम० स्टीफन : यह ठीक है, किन्तु इससे पता चलता है कि सदस्य इस संबंध में पूरी स्थिति जानने के लिए कितने इच्छुक है; यदि उनके समक्ष कोई कागजात रखे जाते हैं तो वह हो रहे विकास के बारे में पूरी तरह आवगत हो जायेंगे । हम कल्पनातीत विस्तार और विकास के द्वार पर खड़े हैं और यह दशक विकास की दशा में एक छलांग होगा । 1981-82 की अवधि में एक नया मोड़ आयेगा और उससे आगे बढ़ने का रास्ता खुलेगा । अत: यह आवश्यक है कि संसद और संसद का प्रत्येक सदस्य इससे अवगत हो कि मंत्रालय के अन्तर्गत विभिन्न क्षेत्रों में वास्तव में क्या किया जा रहा है ।

जहाँ तक मेरी सामर्थ्य है मैं अब मन्त्रालय के विभिन्न विभागों पर ध्यान केन्द्रित कर रहा हूँ और मुझे आशा है कि मेरे प्रयासों को अनुभव किया जायेगा । इसे अनुभव किया भी जा रहा है । मुझे इस बात का संतोष है । परन्तु मंत्रालय का काम ऐसा है कि आप चाहे जितना भी सुधार कीजिए फिर भी कुछ न कुछ असन्तोष बना रहता है तथा आलोचना भी होती ही रहती है । डाक-तार विभाग के कार्य की आलोचना की गई है । सच्चाई तो यह है कि भारतीय डाक-तार प्रणाली को दुनियां में सर्वश्रेष्ठ समझा जाता है किसी ने भी इस बात का खण्डन नहीं किया है । हमारी कार्य प्रणाली सर्वोत्तम है । मेरे विचार से इसमें लापरवाही के लिए कोई स्थान नहीं है परन्तु हर कोई वह व्यक्ति जिसे पत्र तनिक भी देरी से मिलता है निष्कर्ष निकाल तो वह स्वयं ही लेता है । हम लिफाफे की ओर तो देखते ही नहीं हैं । हम पत्र निकाल लेते हैं, उसकी तारीख देखते हैं और पत्र को देखते हैं और तुरंत किसी निष्कर्ष पर पहुँच जाते हैं ।

प्रतिदिन डाक-तार विभाग तीन करोड़ वस्तुओं को देश के एक कोने से दूसरे कोने तक ले जाता है और उन्हें लगभग 1, 37,000 डाक-घरों द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में वितरित किया जाता है तथा हजारों ही लोग छटाई का काम करते हैं । जब किसी मानव-अभिकरण द्वारा करोड़ों पत्र वितिरित किए जा रहे हों तो यह सम्मव है कि चण्डीगढ़ का पत्र कोचीन के खाने में चला जाए । इस बात की सम्भावना है । ऐसी बातें होती हैं परन्तु होती है कुछ ही मामलों में । मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ । हमारे यहाँ 515 अन्धपत्रालय डैड लैटर आफिस, कार्य कर रहे हैं । क्या आप अन्धपत्रालयों में जाने वाले पत्रों की संख्या जानते हैं ? प्रतिवर्ष इन अन्ध पत्रालयों में 248 लाख पत्र आते है । उनमें से 75 प्रतिशत का तो पता चल जाता है । वे या तो प्रेषक को भेज दिए जाते हैं अथवा अन्दर से प्रेषिति का पता देख कर पत्र उसको भेज दिया जाता है परन्तु बात यह है कि छंटाई करने वाले को तो भूल जाइये, पत्र लिखने वाला व्यक्ति ही इस ऐसे ढंग से लिखता है कि वह अन्ध-पत्रालय में पहुँच जाता है । इसको पढ़ने या जाँच करने के वाद ही वह अन्ध-पत्रालयों में पहुँचता है । और ऐसे पत्र प्रतिदिन 80,000 की संख्या

में आते हैं इतने ढेर सारे पत्र इस प्रकार आते हैं। इनमें से 20 प्रतिशत पत्र पंजीकृत होते हैं। इसका अर्थ हुआ कि इन पंजीकृत पत्रों पर लोग पैसा खर्च करते हैं और वे वहां पहुँच जाते हैं। अतः इसमें मानवीय गलती होती रहती है यही मैं कह रहा हूँ। यदि लिखने वाला गलती कर सकता हैं तो छंटाई करने वाला भी जो कि हजारों पत्रों की छटाई करता है और उन्हें विभिन्न खानों में रखता है, गलती कर जाता है तो पत्र किसी दूसरे स्थान पर पहुँच जाते हैं।

बहुत से सदस्य उस ज्ञापन के बारे में बोले हैं जो कि प्रधान मंत्री महोदया को उनके भुवनेश्वर के दौरे के दौरान दिया गया था . श्री रथ जी जिन्होंने यह ज्ञापन दिया था एक बहुत ही प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं तथा डाक-तार विभाग उन्हें भली-भाँति जानता है, उनका बड़ा मान-सम्मान है। अतः उन पर उंगली नहीं उठाई जानी चाहिए। उन्होंने इसे बड़ी ही ईमानदारी से दिया है। जैसे ही इसे मैंने देखा मैंने तुरंत एक रिपोर्ट मंगाई और श्री रथ से ऐसे सभी पत्रों को सौंप देने के लिए कहा। मैं अपने निर्णय की माप हेतु केवल एक उदाहरण दे रहा हूँ। मैं केवल बात कर रहा हूँ। उन्होंने कुछ पत्र दिए। एक पत्र भारत के राष्ट्रपति की ओर से गया था। यह पत्र दिनांक 26.2-81 को भेजा गया था। इसे 2 तारीख को दिल्ली से डाक में डाला गया था और 4 तारीख को यह भुवनेश्वर पहुँच गया। यह बात हमें मोहर से पता चली है। यह 26 तारीख वाले पत्र की बात है। परन्तु इसे डाक में 2 तारीख को ही डाला गया तथा 4 को यह भुवनेश्बर पहुंच गया।

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

अगला पत्र सर्वेन्टस आफ इण्डिया सोसायटी का है। उस पर मैं बाद में बोलूंगा।

एक पत्र नई दिल्ली से पीपुल्स सोसायटी का दिनांक 26 फरवरी का है जिसे 27 तारीख को डाक में डाला गया। यह 2 मार्च 81 को भुवनेश्वर पहुँच गया। बीच में ही एक रविवार भी पड़ गया। रविवार को डाक-तार विभाग कतई बंद रहता है। अतः असल में तीन दिन के भीतर यह भुवनेश्वर पहुँच गया।

अगला 2 तारीख का पत्र सर्वेण्टस ऑफ दी पीपुल्स सोसाइटी है जिसे 2 तारीख डाक में डाला गया और 5 को यह वहां पहुँच गया। तीसरा पत्र 14 तारीख का है जिसे 16 तारीख को डाक में डाला गया तथा 18 को भुवनेश्वर पहुँच गया। एक दूसरा पत्र है जिसे 25 तारीख को भुवनेश्वर में लिखकर 4 तारीख को डाक में डाला गया और 5 तारीख को वह गन्तव्य स्थान पर पहुँच गया। एक और पत्र 2 तारीख को डाक में डाला गया और 4 को भुवनेश्वर पहुँच गया। एक पत्र ऐसा भी है जिसमें गन्तव्य पर पहुँचने में 2 दिन का समय लग गया। परन्तु यह पत्र नहीं बुक पोस्ट है। यह एक ऐसी बात है जिसका सबको पता होना चाहिये। बुक-पोस्ट को हवाई डाक से कभी नहीं भेजा जाता है तथा यह 'ख' श्रेणी की डाक कहलाती है। इसे केवल रेल द्वारा ही भेजा जाता है और वह भी केवल बम्बई ही भेजी जाती है। वहां पर दुबारा छंटाई होती है। और फिर इसे विभिन्न स्टेशनों को भेजना पड़ता है। और वह था दिसम्बर मास शुभ-कामनाओं के कार्ड भेजने का महीना है जिसमें बड़ी डाक आती है। अतः बुक-पोस्ट से आने वाली डाक में देरी हो जाती है। इसमें थोड़ा समय लगता है। इससे मुझे पाठ मिला है।

इस वर्ष, कार्डों के मौसम में, विशेष प्रबन्ध किए जायेंगे। उस समय बम्बई में एक

हड़ताल हो रही थी। और भुवनेश्वर में भी कुछ गड़बड़ थी इस प्रकार ये सब बातें इसमें कारण बन गई। परन्तु मुद्दा तो यह है कि इन सभी पत्रों में से जिनके कारण डाक-तार विभाग की आलोचना की गई थी, केवल एक पत्र को छोड़कर शेष सभी दो या तीन दिन के भीतर अपने गन्तव्य पर पहुँच गये। यदि आप पत्र की तिथि को देख कर विचार करें तो फिर इसमें देरी हुई है और यदि आप डाक में डालने की तिथि को लें तो फिर यह समय पर पहुँच गया था। यह बात मैंने केवल यह दर्शाने के लिए कही है कि हमारी डाक-तार सेवा उतनी बुरी नहीं है जितना कि हममें से बहुत से सोचते हैं। जितना विशाल कार्यभार हम सम्भाले हुए हैं और वह भी सारे का सारा मानव-अभिकरण द्वारा और जब कि एक भी क्षेत्र में मशीन से कार्य न होता हो तो इस सब पर विचार करते हुए कहा जा सकता है कि यह बिल्कुल ठीक काम कर रहा है। हाथ और सुव्यवस्था चलती रहती है। हमारा पारेषण व्यवस्था पर पूरा अधिकार नहीं है। हमें रेलों, बसों और वायुयानों पर निर्भर करना पडता है। यदि एक वायुयान के चलने में विलम्ब हो जाता हैं और दूसरा समय पर पकड़ा नहीं जा सकता तो उसमे मेरे विभाग के लिए कठिनाई उत्पन्न हो जाती है। यदि वायुयान देर से चलता है और बस भी समय पर नहीं पकड़ी जा सकती तब भी मेरे विभाग के लिए कठिनाई उत्पन्न हो जाती है। इस प्रकार की भी कठिनाइयां हमारे समक्ष आती हैं। इन सबके बावजूद, इसमें विशाल पैमाने पर देश के एक कोने से दूसरे कोने तक पत्र जाते रहते हैं। हमारे यहां, परीक्षण पत्र भेजने की भी व्यवस्थाा है। अधिकारियों द्वारा हजारों पत्र भेजे जाते हैं और वापिस आते हैं। हम इसका मूल्यांकन करते हैं और इस सम्बन्ध में मेरा मूल्यांकन बहुत ही संतोषजनक हैं।

परीक्षण-पत्रों के अतिरिक्त मैंने एक और प्रणाली भी लागू की है। हमारे कार्यालयों की संख्या बहुत बड़ी है और उनमें हजारों पत्र आते हैं। हम सभी प्रकार की डाक को एक साथ ही एकत्र करते हैं। इसके बाद हम यह निश्चित करते हैं कि कोई पत्र एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन पर पहुंचने में कितना समय लेता है। मैं तो कहूँगा कि परिणाम संतोषजनक है। परन्तु ऐसी बात नहीं है कि इसमें सुधार नहीं किया जा सकता हैं। आप चाहे कितना ही सुधार करते जायें फिर भी मानवीय भूल, गलती तो होती ही रहेगी। प्याले को मुंह में लगाने में भी चूक हो सकती है। कहीं भी कुछ भी घट सकता है। और यही बात मैं कहना चाहता था। इस देश के डाक-तार विभाग में निम्न वेतन भोगी कर्मचारी जिस ढंग से कार्य करके इसके विशाल कार्यभार को निपटा रहे हैं, मैं उनकी प्रशंसा किए बिना नहीं रह सकता हूँ। इस बात की तो सराहना की जानी चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : अगली बार जब आप परीक्षण-पत्र भेजें तो उन्हें संसद सदस्यों के पते पर भी भेजें।

श्री सी० एम० स्टीफन : मुझे यह पूरा विश्वास नहीं हैं कि आया मुझे वे वापिस भी मिल जाएंगे।

दूरभाषों के बारे में मैं सन्तुष्ट हूँ कि मैं चाहे इनमें कितना ही सुधार कर दूं फिर भी मुझे मुबारकबाद का एक भी शब्द सुनने को नहीं मिलेगा क्योंकि फिर भी असंतोष तो कुछ क्षेत्रों में रहेगा। बात ऐसी हुई कि गत सप्ताह पुस्तकालय में लंदन से प्रकाशित एक पत्र पढ़ने को मिला।

इसका नाम 'आबजर्वर' है। ऐसा समझा जाता है कि लंदन की दूर-संचार प्रणाली बहुत अच्छी है। लोग मुझे बताते हैं कि उनकी दूरभाष प्रणाली बहुत अच्छी है और आपकी दूरभाष प्रणाली पिछड़ी हुई है परन्तु आप उनकी प्रणाली पर दृष्टिपात कीजिये। उसके बारे में एक लेख छपा है। लेख का शीर्षक है, "अविश्वास की घण्टी।" "दूरभाष लगवाने में कई युग बीत जाते हैं और यदि एक बार यह लग भी जाता है तो आपको पागल बनाकर छोड़ता है।" इस लेख में बताया गया है :

"ऐसा अनुमान है कि अकेले लन्दन क्षेत्र में ही 40,000 लोग दूरभाष सम्बन्ध प्राप्त करने की प्रतीक्षा कर रहे हैं, जिनमें से कुछ तो लाइन संयंत्र की कमी के कारण और कुछ एक्सचेंज क्षमता की कमी के कारण प्रतीक्षारत हैं।"

उनका देश तो विकसित है, फिर भी उनके यहाँ लाइन उपस्कर की कमी है। उसके आगे उस लेख में कहा गया है :

"लेकिन परिवर्तन की सम्भावना से जनता में जो जोरदार प्रतिक्रिया हुई है उससे पता चलता है कि उन प्रचलित लाल बूथों के प्रति जनता की भावना कितनी प्रबल है। यदि वे उन्हें रंगने के बजाय काम चलाऊ बना दें तो वह कहीं अधिक अच्छी बात होगी, यह आम धारणा है।"

वहाँ के दूरभाष के बारे में यह आम टिप्पणी है। इसमें आगे बताया गया है :

"परन्तु ऐसा लगता है कि लोग प्रतीक्षा करने को तैयार हैं जिससे कि वे भी कष्ट भोग सकें। विज्ञापनों में ये सुझाव दिए गए लगते हैं कि यदि लाइन भी उपलब्ध होती है तो कनेक्शन देने में दो से तीन सप्ताह तक का समय लगेगा।"

यहाँ पर भी वही शिकायत की जाती है। ओ बी जारी किये जाने के बाद, इसमें 3 से 4 सप्ताह का समय लग जाता है। यहाँ पर यह शिकायत होती है। वहाँ पर भी ऐसी ही शिकायत है, भाषा भी सर्वव्यापक है। इसमें आगे कहा गया है :

"....लंदन में कम से कम, उपकरण के तंग करने की स्थिति में आने तक प्राय: 18 मास से दो वर्ष तक का समय लग जाता है।"

"और भी बहुत विशेष प्रकार के त्रास आते रहते हैं, औसत रूप में 63.7 प्रतिशत कालें ही सफल रहती हैं, यहाँ तक कि डाकघरों का भी यही हाल है।"

इस प्रकार कहा जा सकता है कि आप जो 100 कालें करते हैं उनमें से 63 प्रतिशत की मिल पाती हैं। अन्य सभी बेकार जाती हैं या मिल नहीं पाती हैं। लंदन जैसे महानगर में भी 37 प्रतिशत कालें बेकार जाती हैं। ऐसी स्थिति है वहाँ। आगे यह टिप्पणी की गई है :

"परन्तु हो सकता है कि सफल सम्बन्ध भी गलत संख्या पर गलत व्यक्ति से हो रहा हो और उसे दूरभाष सेवा में विजय नहीं मान लिया जाना चाहिये।"

वही स्थिति यहाँ पर है—गलत संख्या और गलत व्यक्ति से मिल जाना और ठीक वैसा ही चल रहा है।

आगे कहा गया है :

"वास्तव में जैसा कि दूरभाष सेवा ने हमें अनुभव कराया है हमें 'रिंग' का भूतकाल 'रांग' बनाना चाहिए एक व्यस्त लाइन में से होकर अन्य लोगों की आने वाली बातचीत हमारी अपनी बातचीत से कहीं अधिक मनोरंजक होती है। एक ऐसे उपकरण में जो कि हमारे प्रतिदिन के जीवन में शायद एकमात्र आशा का स्रोत है कुछ भी हो सकता है। दो अजनबियों के बीच सांसारिक गुफ्तगु में षडयंत्र की बातें हो सकती हैं, रोमांच और भावनाओं का उद्वेग भी हो सकता है।"

जैसी कि यहां वर्णित है, ऐसी है लंदन दूरभाष की स्थिति। यह माना जा सकता है कि दूरभाष एक विकसित प्रणाली है, परन्तु उसमें प्रतीक्षा भी तो कितनी लम्बी करनी पड़ती है।

उपाध्यक्ष महोदय : मेरे विचार से कहीं ऐसा तो नहीं कि अंग्रेज इस धरोहर को यहां छोड़ गये हों।

श्री सी० एम० स्टीफन : हमने बहुत सुधार कर लिया है। हम उस स्थिति से बहुत आगे प्रगति कर चुके हैं। परन्तु ऐसी स्थिति तो हर कहीं पर है।

श्री बापू साहिब परुलेकर (रत्नगिरी) : हमें दूरभाष में किसी प्रकार के सुधार की आशा करने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा लगता है कि आपके सामने यही आदर्श है।

श्री सी० एम० स्टीफन : नहीं, ऐसा कोई आदर्श नहीं है। क्योंकि इनकी कमी है इसी से मैं यह कह भी रहा हूँ। जापान में जिसकी दूरभाष सेवा सचमुच ही सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है, सही-सलामत कालें 70 प्रतिशत होती हैं। यह उनका अपना रिकार्ड है। वहाँ पर यह यान्त्रिकी घटना घट रही है कि संदेश इकट्ठे हो रहे हैं और सारा कुछ प्रेषित नहीं किया जाता है। यह सारे विश्व में सर्वोत्तम प्रणाली है। उनकी कुल 70 से 75 प्रतिशत तक कालें लग पाती हैं। इससे दूसरे स्थान पर लंदन है जहाँ 67% कालें लगती हैं। और हमारे यहाँ 52% से 53% तक कालें लगती हैं।

निश्चित रूप से हम उन्नति कर सकते हैं। मैं केवल यह कह रहा था कि आज विश्व की ऐसी स्थिति है। मैं इसमें क्षमा नहीं माँग रहा हूँ। इसमें सुधार किया जा सकता है। परन्तु मैं इतना तो कह सकता हूँ कि हमारा उपस्कर पिछड़ा हुआ है और उसमें प्रोद्योगिकीय कमियाँ हैं। यह तो यहाँ चल रही विभिन्न प्रणालियों का पिण्डीभूत है। कुछ एक्सचेंजें तो पुरानी हैं, जिनको कि बदलना आवश्यक है। ये ही सब बातें हैं। विभिन्न प्रकार की एक्सचेंजें आने से समस्यायें बढ़ गई हैं। कलकत्ता जैसे नगरों में टेलीफोन के तार (केबल) काट दिए जाते हैं। यहाँ केवल इसलिए काटे जाते हैं क्योंकि हम विकसित हो रहे हैं। अतः छोटे से उपलब्ध स्थान में, प्रत्येक प्रकार की केबल प्रणाली अपना स्थान प्राप्त करने का प्रयास कर रही है और इस प्रक्रिया में वह खराब हो जाती है। इतना होते हुए भी हम सुधार ला सकते हैं।

मैं यह कह सकता हूँ कि दक्षिण भारत में स्थिति कुछ भिन्न है। भारत के दक्षिणी क्षेत्र में संचार सेवा काफी अच्छी है। पर कुछ क्षेत्रों में उतनी अच्छी नहीं है। मैं केवल यह कह रहा

हूँ 'कुछ क्षेत्रों में' सेवा उतनी अच्छी नहीं है। मैं उत्तर, पूर्व, पश्चिम आदि नहीं कह रहा हूँ। कुछ क्षेत्रों में यह इतनी अच्छी नहीं है, जिससे पता चलता है कि व्यवस्था एक सी ही है। परन्तु सेवा और उसकी किस्म में अन्तर है। यह वहाँ के प्रबन्ध तथा पर्यवेक्षण क्षमता पर निर्भर है। मेरा अपना विश्लेषण यह है कि कर्मचारियों को दोष नहीं दिया जा सकता बल्कि पर्यवेक्षण कार्य क्षमता को दोष दिया जाना चाहिए। मैं इसे काफी हद तक सुधारने का प्रयत्न कर रहा हूँ।

एक तार के विषय में शिकायत की गई है। यह तार चार दिन बाद भुवनेश्वर पहुँचा। मैंने इसकी जाँच की और कुछ तथ्यों का पता लगाया—काम करने के तरीके में लापरवाही! एक विशिष्ट दिन में 36 घण्टे की अवधि में लगभग 280 टेलीग्राम भुवनेश्वर भेजे गये जिनकी ओर किसी ने ध्यान नहीं दिया। यह पर्यवेक्षण तत्परता का सम्पूर्ण ह्रास है। अतः हमें कार्यवाही करनी पड़ी। कुछ पर्यवेक्षकों को निलम्बित कर दिया गया है। कार्यवाही की जा चुकी है। मैं सबसे निचले स्तर के कर्मचारी के विरुद्ध कार्यवाही करने की अपेक्षा उन व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही करूंगा जिन्होंने अपने पर्यवेक्षक कार्यों का निष्पादन नहीं किया। हम ऐसी कार्यवाही करेंगे जिससे पर्यवेक्षक का उचित कार्य सुनिश्चित हो सकें। मैं यही बात उनके मन में बैठाना चाहता हूँ।

कुछ आलोचनाएं की गई थीं। इन सभी त्रुटियों के साथ मैं यह अवश्य कहूंगा कि प्रत्येक वर्ष 22 करोड़ ट्रंक कनेक्शन दिए जाते हैं। इन ट्रंक कनेक्शनों से हमें 125 करोड़ रुपया प्राप्त होता है। हम लगभग 720 करोड़ स्थानीय कनेक्शन देते हैं। स्थानीय कनेक्शन लगभग 2 करोड़ प्रतिदिन देते हैं। यह उस प्रणाली का परिणाम है, जिसका हम पालन कर रहे हैं। यह कुछ हद तक काम कर रही है। इस प्रणाली के परिणामस्वरूप इतने कनेक्शन दिए जा रहे हैं। 10 लाख अन्तर्राष्ट्रीय कनेक्शन दिए जा रहे हैं।

जहाँ तक बिलों की शिकायत का सम्बन्ध है, मैं यह कहना चाहता हूँ कि लगभग 2 करोड़ बिल जारी किए जाते हैं। इसकी तुलना में 70,000 शिकायतें प्राप्त होती हैं। 2 करोड़ बिलों से लगभग 500 करोड़ रुपये आते हैं। इसकी तुलना में इस बिल या उस बिल की हमें जो मीटर की शिकायतें प्राप्त होती हैं, वे लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपए की हैं। परन्तु अधिक मीटर की शिकायतें लगभग 70,000 होती हैं और यह बात नहीं है कि हम उन पर ध्यान नहीं देते। प्रत्येक शिकायत की जाँच की जाती है। यह स्वीकार करते हुए कि बिलों में राशियाँ अधिक दिखाई गई थी। 1980-81 में, मैंने 1 करोड़ रुपया छूट के रूप में वापस किए हैं।

जहाँ कहीं अधिक रकम के बिल बन जाते हैं राशि, वापस कर दी जाती है। एक करोड़ रुपया छूट के रूप में वापस कर दिया गया है। ऐसी बात नहीं है कि हम लापरवाह हैं और कठिनाइयों पर विचार नहीं कर रहे हैं।

जैसा कि मैंने कहा है, कर्मचारियों में उत्साह भरना होगा, इसके लिए कुछ कार्यवाहियाँ की जा रही हैं। हमारे पास दो महासंघ हैं। इन दो महासंघों की कार्यकारिणी कार्य समिति की बैठकें बुलाई गई थीं। सारा बोर्ड और मैं स्वयं उनमें उपस्थित था। मैंने उनको बताया और उन्होंने स्वीकार किया कि जनता के प्रति हमारा एक पवित्र कर्त्तव्य है। हमारी अपनी कठि-

नाइयां मतभेद हो सकते हैं। वह हमारी आन्तरिक पारिवारिक समस्या है। इसका समाधान परिवार में ही सामूहिक रूप से करना होगा। परन्तु उसके लिए हम जनता को दांव पर नहीं लगा सकते। हम उन्हें बंधक नहीं रखेंगे। मैं उस समय बहुत कठोर था। मैंने उनसे साफ साफ बातें की। यदि कोई मांग अनधिकृत हड़ताल की धमकी दे कर की जाती है, तो मैंने महासंघ के दोस्तों को बता दिया कि मैं उस माँग की ओर ध्यान नहीं दूंगा। परन्तु यदि कोई अनुचित मांग बातचीत के द्वारा भी उठाई जाती है तो मैं उसे स्वीकार करने के लिए तैयार हूँ। भले ही उस माँग को स्वीकार करना कुछ हद तक अनुचित हो। क्योंकि वह एक ऐसा विवाद है जिसमें लोगों को दाँव पर लगाने की नीति नहीं चलाई जा सकती। यह मेरे साथ सामूहिक सौदेबाजी नहीं है बल्कि यह लोगों के साथ एक सामूहिक सौदेबाजी है। एक गाँव में बैठे हुए निर्धन व्यक्ति को दांव पर नहीं लगाना चाहिए। मुझे यह जानकर अत्यन्त प्रसन्नता हुई कि दोनों महासंघों की प्रतिक्रिया बहुत ही अच्छी थी और उन्होंने मुझे विश्वास दिया कि हम कर्मचारियों के हित में हैं। हम काम से जी चुराने वालों के पक्ष में नहीं हैं। हम किसी भी प्रकार के "धीमे चलो" और "नियमानुसार कार्य" आदि का समर्थन नहीं करेंगे। यदि कोई ऐसी बात आती है, जिस पर उनकी राष्ट्रीय समिति हड़ताल करने का निर्णय लेती है तो मैं इसे एक मजदूर संघ की कार्यवाही मानूंगा और हम बैठकर विचार करेंगे। परन्तु राष्ट्रीय नेताओं की अनुमति के बिना हड़ताल का आह्वान, धीमे चलो, का आह्वान होता है तो हमें इसका सामना करना होगा, क्योंकि यह बिना पिता के, बिना मां बाप के बच्चे की भांति होगा। यह एकदम से आरम्भ हो जाए, यह सहन नहीं किया जा सकता। हमने उन्हें यह स्थिति स्पष्ट कर दी है। अतः मैं उनके साथ काम करूंगा। उन्होंने मुझे सहयोग का वचन दिया है और उन्होंने अपनी पत्रिकाओं आदि में अपने कर्मचारियों को अधिक कुशलता से कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करना आरंभ कर दिया है। मुझे यह कहते हुए प्रसन्नता होती है कि उनकी अपनी मजदूर संघों की पत्रिकाएं हैं और उन्होंने उनमें इस विषय में लिखना आरम्भ कर दिया है। मैं इस सभा में यह कहूंगा कि मुझे जितना वे सहयोग देंगे मैं भी उन्हें उतना ही सहयोग दूंगा।

मैं यह नहीं कहता कि मेरे कर्मचारियों को बहुत अच्छा वेतन मिलता है। मैं यह नहीं कह सकता कि उनके लिए जो कुछ किया जाना चाहिए वह सब किया जा रहा है। इसकी तरफ अधिक ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है। और यह सब कैसे होगा, इससे मैं चिन्तित हूँ। मैं यह मानता हूं कि कर्मचारियों में अवश्य ही यह सन्तोष होना चाहिए कि उनकी कठिनाइयों की तरफ ध्यान दिया जाना है। आवास तथा अन्य सभी समस्याओं पर विचार किया जा रहा है। मैंने परिमण्डल प्रमुखों की बैठक बुलाई है। वे बैठकर इन पर विचार कर रहे हैं।

एक्सचेंजों में कुछ व्यवस्थाएं की जा रही हैं। आप किसी को टेलीफोन करते हैं और वह नहीं मिलता। मैंने उनको ये उपाय करने का निदेश दिया है। मेरा विचार शिकायत सेल को सुदृढ़ करने का है। मेरे पास आई एक लिखित शिकायत एक चेतावनी है। यह केवल उपायों में सुधार लाने के लिए नहीं है। इसे चेतावनी के रूप में लेना होगा। वास्तव में कठिनाई क्या है, इसकी जांच करनी होगी और इस प्रकार गलत कार्यों का पता लगाना होगा। इसलिए, शिकायत मेरे लिए एक कीमती चीज है क्योंकि इससे मुझे गलती का पता चलता है और मैं उसे ठीक कर सकता हूँ। पर्यवेक्षण स्तर पर मैंने कहा है कि हम इसमें सुधार लाने का प्रयत्न कर

रहे हैं। ट्रंक बुकिंग के मामले में यहाँ भ्रष्टाचार का उल्लेख किया गया था। यह कहा गया था कि जो लोग पैसा देते हैं, उन्हें प्राथमिकता दी जाती है और दूसरे लोगों की उपेक्षा की जाती है। मैंने उन्हें निदेश दिया है कि हम उन्हें डाकेट दें जिस पर एक-एक करके नम्बर दिए हुए हैं। वे सामान्यतः उसमें चिह्न लगाते हैं कि संख्या 100 लाइन खराब है, और अगले व्यक्ति को कनेक्शन दे देते हैं। मैंने उन्हें निदेश दिया है कि यदि आप इस तरह दूसरे व्यक्ति पर आना चाहते हैं तो आप कतई नहीं रख सकते। आपको इसे सुपरवाइजर को देना होगा। वह सुपरवाइजर के पास जाएगा। तीन या चार अलग बोर्डों की स्थापना की जाएगी। वहाँ पर बड़े अधिकारी बैठेंगे और यह जानने का प्रयत्न करेंगे कि क्या लाइन खराब है। वे दूसरे बोर्ड पर दूसरी बार प्रयत्न करेंगे ताकि इस प्रकार की त्रुटि का पता लग सके। हम यह सब करने का प्रयत्न कर रहे हैं।

तत्पश्चात्, यदि खराबी की कोई रिपोर्ट नहीं है तो हम यह देखते हैं कि 50% शिकायतें ये हैं कि ग्राहकों को यह कह दिया जाता है कि टेलीफोन खराब है। हम तत्काल पुनः नम्बर घुमाते हैं और यदि हम यह देखते हैं कि कोई खराबी नहीं है तो वह सामान्यतः सन्तुष्ट हो जाते हैं। ऐसा हो सकता है कि रिपोर्ट ठीक न हो। ग्राहक यह अनुभव करेगा कि "मैंने शिकायत दर्ज कराई थी" और हम यह अनुभव कर रहे होंगे कि "उसमें कोई दोष नहीं है।" यहाँ सम्पर्क का अभाव है। इस अभाव को अवश्य ही दूर किया जाना होगा। इसलिए यह सुझाव दिया गया है कि इसके लिए दूसरी बार जाँच की जाए।

बार-बार होने वाली शिकायतों के सम्बन्ध में व्यवस्था यह है कि यदि किसी टेलीफोन विशेष के बारे में तीन बार से अधिक शिकायतें आयें तो उस पर विशेष ध्यान देना पड़ता है और हमें उच्च स्तर पर यह जांच करनी पड़ती है कि उसके बारे में क्या हो रहा है। प्रमुख टेलीफोन एक्सचेंजों में प्रेक्षक एकक स्थापित किये गये हैं और कोई न कोई व्यक्ति यह देखता रहता है कि एक्सचेंज में क्या हो रहा है और इस तरह से उनका पता चल जाता है। यदि कोई व्यक्ति अप्राधिकृत काल करता हुआ पकड़ा जाता है तो उसके विरुद्ध कड़ी कार्यवाही की जाती है और इस प्रकार की कार्यवाही के लिए आदेश दिये जा चुके हैं।

भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए इस प्रकार अनेक उपाय किये जा रहे हैं। कोई 3 अथवा 4 दिन पहले की बात है, मैंने अपने विभाग में अखिल भारतीय स्तर के सतर्कता अधिकारियों की बैठक बुलाई थी। सी० बी० आई० सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए प्रधान मन्त्री ने यह कहा था कि प्रत्येक विभाग को सतर्कता अनुभाग को अधिक कार्यकुशल बनाना चाहिए। हम इन्हें सतर्कता विभाग कहते हैं। मैं अपने विभाग में भी जांच-पड़ताल करने वाले एक सैल की स्थापना कर रहा हूँ ताकि इस पक्ष पर भी विचार किया जा सके। सतर्कता विभाग तो केवल अनुशासनात्मक कार्यवाही आदि के लिए है। इसमें जाँच पड़ताल करने की व्यवस्था होनी चाहिए। हम इस दिशा में ही आगे बढ़ रहे हैं।

यहाँ पर एक बात यह कही गई थी कि स्थानान्तरण नहीं किये जा रहे हैं। मुझे इस सम्बन्ध में केवल यही कहना है कि बारी-बारी से स्थानान्तरण करना नितान्त आवश्यक है। जहाँ तक मेरे दिमाग का सम्बन्ध है, मैंने मन्त्रिमण्डल से अनुरोध किया है कि मुझे ऐसा करने की अनुमति दी जाए और मुझे अनुमति मिल गई है। बारी-बारी से स्थानान्तरण की प्रथा का पालन

किया जायेगा वरना एक ही स्थान पर तैनात रहने से कोई जड़ों पर ही कुठाराघात करने लगता है और उसके निहित स्वार्थ पनपने लगते हैं। अतः उन्हें वहाँ से हटा कर किसी और सुविधाजनक स्थान पर रखना होगा ताकि प्रत्येक कर्मचारी को देश के विभिन्न भागों में कार्य करने का लाभ मिल सके। यह प्रबन्ध किया जा रहा है और इस सम्बन्ध में किसी को कोई सन्देह नहीं होना चाहिए।

अधिनियम में संशोधन के सम्बन्ध में भी उल्लेख किया गया है। मैंने यह देखने का प्रयत्न किया है कि क्या संशोधन करना निहायत आवश्यक है। कुछ संशोधन तो आवश्यक है। इस सम्बन्ध में कार्य पूर्ण हो चुका है। मेरे विचार से मामला श्री शिव शंकर के पास है। यह मामला मेरे पास वापस आयेगा। मैं संशोधित विधेयक अगले अधिवेशन में लाऊंगा (व्यवधान) मैं केवल इतना ही कर पाने की आशा कर रहा हूँ। यह बड़ा कार्य है, इसमें समय तो लगता ही है।

ओवर-टाईम भत्ते का भी उल्लेख किया गया था, यह बहुत ही महत्त्वपूर्ण मामला है। यह कहा गया है कि मैंने ओ० टी० ए० पर प्रतिबन्ध लगा दिया है, मैंने ओ० टी० ए० पर रोक लगा दी है। मैंने कहा है कि इसमें अत्यधिक वृद्धि हो रही है और उस पर कुछ तो नियन्त्रण होना चाहिये। यह 9 करोड़ रुपये से बढ़कर यह 26 करोड़ रुपये हो गया है। अतः इसे इस प्रकार बढ़ने नहीं दिया जा सकता था अतः उस सम्बन्ध में सोचने की आवश्यकता हुई। मैं यह स्वीकार करता हूँ कि इस पर नियन्त्रण करने के संघर्ष में मुझे पराजय मिली है। परिणाम यह हुआ है कि पिछले वर्ष के 27 करोड़ रुपये की तुलना में इस वर्ष ओ० टी० ए० की धनराशि 24 करोड़ रुपये बनी है। किन्तु फिर भी किसी को भी अश्चर्यचकित होने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि यह राशि कुल वेतन राशि का केवल 5% ही है। यह लगभग 500 करोड रुपये के वेतन दिलाकर 5 से 6% ही बनता है। मेरे विचारानुसार विभाग के सही ढंग से कार्य न करने की वजह खाली पदों का जमा होना है। वर्षों से हजारों पद खाली पड़े हैं और भरे नहीं गये हैं। देश में इतनी बेरोजगारी है ऐसी स्थिति में इन पदों को न भरने का मुझे कोई औचित्य नजर नहीं आता है। इन खाली पदों के कारण ओवरटाइम में काम करना पड़ा है। और उससे अनेक बुराइयां आरम्भ होती हैं। यह आदेश दे दिया गया है कि इन खाली स्थानों को भरा जाना चाहिये। 31 मार्च से पहले इन सभी पदों को भरना था। भर्ती लक्ष्य के अनुसार पूरी कर ली गई है। किन्तु इसका यह अर्थ नहीं है कि यह लोग अपनी सीटों पर जाकर कार्य प्रारम्भ कर देंगे, क्योंकि उन्हें प्रशिक्षण भी दिया जाना है। यह 5,6 अथवा 12 महीनों का प्रशिक्षण हो सकता है। उन्हें प्रशिक्षण तो देना ही होगा।

मैंने पूल बनाने की पद्धति भी आरम्भ की है। न केवल पिछले वर्ष के लिये बल्कि वर्तमान वर्ष के लिए भी भर्ती की जायेगी। भर्ती पहले ही हो जायेगी जो कि आने वाले वर्ष की समुचित आवश्यकता को ध्यान में रखकर की जायेगी। उसके पश्चात उन्हें पूरी तरह तैयार रखा जायेगा। जब भी कहीं उपस्थिति नहीं होगी तो हम उन्हें उस समय के लिए यह कार्य दे देंगे। जब भी स्थान रिक्त होंगे, उन पर उन व्यक्तियों को ले लिया जायेगा, और इस प्रकार आगे स्थान रिक्त नहीं रहेंगे। पूल पद्धति के कारण अब स्थान रिक्त नहीं रहा करेंगे। क्योंकि जब भी कोई रिक्त स्थान होगा, उसे शीघ्र ही भरा जा सकता है और उससे आवश्यकता पूरी करने में सहायता मिलेगी। मुझे बस यही कहना है।

जहाँ तक ग्रामीण टेलीफोन व्यवस्था का सम्बन्ध है, इस सम्बन्ध में हमें बड़ी चुनौतियों का सामना करना है। आज यदि आप ग्रामीण क्षेत्रों को लें तो हम पायेंगे कि कुल टेलीफोन व्यवस्था का केवल 5% टेलीफोन ही गाँवों में पहुंचे हैं। यदि आप अर्द्ध-नागरीय क्षेत्रों को लें तो वहाँ पर भी मिलाकर कुल टेलीफोन व्यवस्था की केवल 15% टेलीफोन सुविधा ही उपलब्ध है। शेष 85% टेलीफ़ोन सुविधाएं शहरी क्षेत्रों में उपलब्ध हैं। अब हमें ग्रामीण क्षेत्रों में एक सुविधा का विस्तार करना है क्योंकि अब हम वहां पर उद्योग स्थापित कर रहे हैं।

पहाड़ी क्षेत्रों में विकास की गतिविधियां हो रही हैं। वहाँ पर दूर-संचार साधनों की भी व्यवस्था करनी होगी। किन्तु यह कोई सीधा अथवा सुगम कार्य नहीं है क्योंकि इस पर बहुत व्यय होगा और उससे आय बहुत कम होगी। हम इस प्रकार व्यय नहीं कर सकते जबकि उससे होने वाला लाभ कम हो। नहीं तो उस विभाग के सारे कार्यों पर बड़ा ही बुरा प्रभाव पड़ेगा। अतः इस कार्य को जिस प्रकार किया जाये। इस पर हम विचार कर रहे हैं। एक ओर तो यह समस्या है, दूसरी ओर विभागीय अधिकारियों की समस्या है। मैं उस मामले पर भी अपने विचार व्यक्त करूँगा। मैं यह नहीं सोच रहा हूँ कि छोटे-छोटे एक्सचेन्जों तथा विभागेतर कार्यालय तथा ग्रामीण कार्यालयों, डाकखानों को इकट्ठा क्यों नहीं कर दिया ताकि इकट्ठे तौर पर वह स्वयं को आर्थिक रूप से सक्षम बना सकें और वह 2 अथवा 3 घन्टे अथवा सारे समय भी कार्य कर सके।

प्रो० एन० जी० रंगा (गंटूर) : आन्ध्रप्रदेश में प्रयोग किये जा रहे हैं।

श्री सी० एम० स्टीफन : आन्ध्रप्रदेश में अनेक प्रयोग किये जा रहे हैं—वहाँ दूर-संचार क्षेत्र में अनेक प्रयोग किये जा रहे हैं। हम इस सम्बन्ध में सोच रहे हैं। हम इस क्षेत्र में बहुत विस्तार कर रहे हैं। ग्रामीण दूर-संचार पद्धति का विकास करना होगा। यह दायित्व निश्चित रूप से हम पर है।

श्री महलगी द्वारा पोस्ट कार्ड तथा अन्य बातों के बारे में उल्लेख किया गया। मुझे यह मालूम नहीं कि क्या उन्हें यह पता है कि हमें पोस्ट कार्ड के मामले में कितनी हानि उठानी पड़ रही है।...

श्री बापू साहेब परुलेकर (रत्नागिरी) : आप पोस्टकार्डों के बारे में कुछ बताये, क्या इससे पहले मैं आपसे ग्रामीण क्षेत्रों में दूर-संचार के विस्तार के सन्दर्भ में प्रश्न पूछ सकता हूँ ? क्या आप प्रत्येक तालुके में न्यूनतम सुविधाएं निर्धारित कर सकते हैं ? मैंने कुछ दिन पहले एक अतारांकित प्रश्न पूछा था; क्या सच है कि रायगढ़ जिले के पोलादपुर में केवल एक ही पी० सी० ओ० है हालांकि यहाँ 75 गाँव हैं और अगर हां, क्या एक ही पी० सी० ओ० यह पर्याप्त है और इसका उत्तर हाँ में दिया गया है। मुझे यह नहीं मालूम कि क्या यह सुविधा अधिकतम जो आप प्रदान कर सकते हैं अथवा आप कुछ न्यूनतम सुविधा निर्धारित कर सकते हैं। जहाँ पर 75 गाँव हैं, वहाँ कम से कम 5 अथवा 10 पी० सी० ओ० तो होने ही चाहिए। ग्रामीण क्षेत्रों में डाक और दूर-संचार पद्धति के विस्तार के सम्बन्ध में आपकी नीति क्या है ? यदि आप उस नीति को सदन में दें तो मैं आपका बहुत आभारी हूँगा क्योंकि पिछले 7 वर्षों में हमने इस पर कभी बहस नहीं की है।

श्री सी० एम० स्टीफन : मेरी नीति बड़ी लचीली है।

एक माननीय सदस्य : यह टालने वाला उत्तर है ।

श्री सी० एम० स्टीफन : यह टालने वाला उत्तर नहीं है । इस सम्बन्ध में कुछ मानदंड निर्धारित किये गये हैं । मैं उस पर पुनः विचार करूँगा । लम्बी दूरी के टेलीफोनों के लिए एक लचीली नीति का होना आवश्यक है और आवश्यकतानुसार, और टेलीफोन देने पड़ेंगे । मैं उस पर विचार कर रहा हूँ । मैं निश्चित रूप से यह बताने की स्थिति में नहीं हूँ कि नीति सम्बन्धी निर्णय क्या होगा । किन्तु हमारी विस्तार सम्बन्धी योजना में लम्बी दूरी के टेलीफोनों को बहुत महत्व दिया गया है । मुझे अभी बस यही कहना है । हम डाकखाने खोल रहे हैं । एक अतिरिक्त-विभागीय डाकखाने अथवा उप-डाकखाने का अर्थ है कि 3 अथवा 4 घन्टे तक कार्य होना । उदाहरण के तौर पर आन्ध्र में इस प्रकार के डाकखानों को किसी दूकान में ही स्थापित करने और वहाँ डाक वस्तुएं उपलब्ध कराने का प्रयत्न किया गया है । मुझे पता चला है कि उस क्षेत्र में हमारी आय दूसरे डाकखानों से 4 गुणा अधिक है क्योंकि यह अधिक समय तक कार्यरत रहता है और काफी जनता वहाँ जाती है । वह अधिक सेवा करने की स्थिति में होता है । इस सम्बन्ध में विभिन्न प्रकार के प्रयोग करने पडते हैं और हम ऐसा कर रहे हैं । मुझे इस सम्बन्ध में यही कहना है ।

पोस्ट कार्ड तथा अन्य मदों के बारे में मैं यह कहना चहता हूँ कि आप भी यह महसूस करेंगे कि अब इनमें हानि हो रही है । (व्यवधान) प्रत्येक पोस्ट कार्ड पर हमें 18 5 नये पैसे की तथा प्रत्येक अन्तर्देशीय पर 12 पैसे की हानि हो रही है क्योंकि छपाई की लागत बहुत अधिक

श्री आर० के० महालगी : हानि आती है । से आपका क्या तात्पर्य है ? सरकार को अनेक कार्य करने होते हैं, सरकार को गरीब जनता के प्रति कुछ निश्चित दायित्व निभाने होते हैं ।

श्री सी० एम० स्टीफन : क्या यह बात सभी जानते हैं ? इसलिए ही मैं यह बता रहा हूँ । मैं उस पर एक रुपये का मूल्य नहीं लगा रहा हूँ । मैं केवल यह कह रहा हूँ कि इस सेवा को चलाने के लिए पोस्टकार्डों पर सरकार को 17 करोड़ रुपये का घाटा हो रहा है, अन्तर्देशीय पत्रों पर 11 करोड़ रुपये का घाटा हो रहा है ।

क्या आप जानते हैं कि एक पंजीकृत समाचार पत्र दर केवल 2 नये पैसे देने पड़ते हैं । हमें उस एक टिकट के निर्माण में 3½ पैसे का व्यय आता है ।

मेरे लिए यह कहना अधिक उपयुक्त होगा कि मैं आपकी चीज मुफ्त में लेता हूँ क्योंकि इस पर मुझे डेढ़ नया पैसा भी हानि उठाने की आवश्यकता नहीं है मैं क्यों हानि उठाऊँ ?

श्री आर० के० महालगी (ठाणे) : ऐसा ही कीजिए । (व्यवधान)

श्री सी० एम० स्टीफन : यदि प्रमुख समाचारपत्र वितरक को 33% कमीशन देकर अपने समाचारपत्र वितरित कर सकते हैं तो उन्हें हमारे विभाग को जो इन्हें दिल्ली से कुमारी अन्तरीप तक ले जाने के लिये कुछ अधिक क्यों नहीं देना चाहिए ? बहरहाल स्थिति यह है । मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि मैं इसमें वृद्धि करूँगा···

श्री आर० के० महालगी : कृपया ऐसा मत करना ।

श्री सी० एम० स्टीफन : परन्तु प्रश्न यह है कि डाक विभाग घाटे में चल रहा है और यह घाटा धीरे-धीरे बढ़ता जा रहा है। दो वर्ष पहले यह घाटा तीन करोड़ रुपया था। अगले वर्ष यह 29 करोड़ हो गया और इस वर्ष 35 करोड़ हो जायगा। मेरा कहने का अर्थ है कि दूर-संचार प्रणाली द्वारा यह वहन किया जा रहा है। यदि आप इसका काफी बड़े स्तर पर विस्तार करने जा रहे हैं तो इस बात पर विचार करना होगा कि यह घाटा और कितने समय तक तथा किस सीमा तक आप सह सकते हैं।

प्रो० एम० जी० रंगार (गुंटूर) : यह घाटा तो विभाग की स्थापना से ही चला आ रहा है।

श्री सी० एम० स्टीफन : मैं केवल स्थिति बता रहा हूँ। इस दिशा में कोई कदम नहीं उठाया जा रहा है।

मेरी बहन श्रीमती विद्या चतुर्वेदी कह रही थीं कि टेलीफोन प्रभार बहुत अधिक है। हमने इस बजट में 1750 से 5000 कॉल तक यह प्रभार तीस से बढ़ाकर चालीस पैसे कर दिया है। आपको यहाँ यह अवश्य समझना चाहिए कि एक टेलीफोन सेवा चालू रखने पर हमारा 1800 रुपया व्यय होता है। हमें किराए में 200 से 250 रुपये मिलते हैं। यदि कोई केवल 250 कॉल करता है, तो उसकी टेलीफोन सेवा के लिए हमें 1200 रुपये का घाटा सहना पड़ता है।

श्री आर० के० महालगी : यह हिसाब किस प्रकार लगाया गया है।

श्री सी० एम० स्टीफन : यदि टेलीफोन रखा जाता है तो केवल 1000 रुपया लगता है। यह हिसाब बिल्कुल ठीक है। मैं अब आपको यह हिसाब इस समय बोर्ड पर नहीं समझा सकता। रख-रखाव पर कुल व्यय 1800 रुपया बैठता है। इसमें कर्मचारियों का वेतन और अन्य सभी खर्चे आ जाते हैं। यदि कोई व्यक्ति न्यूनतम सख्या में टेलीफोन नहीं करता है तो उस स्थिति में वह मुझे 800 से 1000 रुपए तक देता है। शेष सारा घाटा है। कुछ वित्तीय पहलू हैं जिनका संसद को पता लगना चाहिए। मैं इनको अभी बताता हूँ।

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : आप 33 करोड़ रुपए की बकाया राशि क्यों नहीं वसूल करते ?

श्री सी० एम० स्टीफन : 33 करोड़ रुपए की राशि किसी भी समय बकाया रहने वाली राशि है। यह एक सेवा है। आप सेवा प्राप्त करते हैं। हम आपको बिल भेज देते हैं। इसलिए किसी भी समय लगभग 30 से 33 करोड़ रुपये की राशि बकाया रहेगी। आपको यह समझना चाहिये कि 90 से 95 प्रतिशत यह राशि उगाही जा रही है। यह बिना उगाही नहीं रहेगी। कुछ पेचीदा मामलों में उगाही करना कठिन हो जाता है। मेरे एक नजदीकी मित्र को 80 हजार रुपए देने हैं और उससे उगाही कठिन है।...

श्री आर० के० महालगी : बहुत ही नजदीकी और प्रिय। उसका नाम क्यों नहीं लिया जा रहा है।

श्री सी० एम० स्टीफन : वह हम दोनों ही के बहुत ही नजदीकी और प्रिय मित्र हैं। मैं उसका नाम नहीं लेना चाहता।

जहां तक हमारे प्रयासों का सम्बन्ध है, हम उगाही कर रहे हैं। हम कठोरता से वसूली कर रहे हैं। हम उगाही कर सकते हैं। वह समय और था जब बिल ही नहीं आते थे। परन्तु अब यह एक बीती बात हो गई है। अब बिल समय पर आ रहे हैं और पैसा जमा करने के लिए जोर दिया जा रहा है।

श्रीमती प्रमिला दंडवते (बम्बई उत्तर मध्य) : बिलों की राशि में बड़ी वृद्धि हो रही है।

श्री सी० एम० स्टीफन : हो सकता है कि कॉलों में भी बहुत वृद्धि हो रही हो। मैं नहीं जानता हूँ।

डाक टिकटों के बारे में शिवाजी और चन्द्रशेखर आजाद का नाम लिया गया था। हमने शिवाजी महाराज की स्मृति में तीन या चार डाक टिकटें जारी की है। चन्द्रशेखर आजाद की स्मृति में इस बर्ष टिकट जारी की जानी थी। यह उनकी 50 वीं पुण्यतिथि थी। भगतसिंह और अन्य सभी शहीदों की पुण्यतिथि इसी वर्ष पड़ गई। अतः हमने यह निर्णय लिया कि प्रत्येक की स्मृति में टिकट जारी करने की बजाए एक स्मृति टिकट शहीदी-टिकट के रूप में जारी कर दी जाए। एक शहीदी टिकट हमने पहले भी जारी की थी। हमें पुनःजारी करने की आवश्यकता नहीं थी। परन्तु भगतसिंह, राजगुरु, सुखदेव और चन्द्रशेखर की पुण्यतिथि एक साथ पड़ गई। और इसकी स्मृति में हमने सोचा कि हमें शहीदों को अवश्य ही श्रद्धांजलि अर्पित करनी चाहिए और शहीदी टिकट जारी करनी चाहिए और यह टिकट चन्द्रशेखर आजाद और सभी शहीदों की स्मृति में जारी की गई।

श्री शिवकुमार सिंह : महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी और महाराजा अग्रसेन के बारे में निवेदन किया गया है। बहुत मांग है।

श्रीमती प्रमिला दंडवते : सावित्री बाई फुले के स्टैंम्प की भी बहुत मांग है। यह स्त्रियों के अधिकारों के लिए संघर्ष करने वाली प्रथम महिला का 150 वां वर्ष है। स्कूल वगैरह भी शुरू किया, इसके बारे में मैंने लैटर भी लिखा है।

श्री सी० एम० स्टीफन : आपकी चिट्ठी मिली है। (**व्यवधान**)

महोदय, देश के विभिन्न भागों के कई महापुरुषों ने हमारी संस्कृति, सभ्यता और स्वातन्त्र्य आन्दोलन को समृद्ध बनाया। हमारी क्षमता बहुत सीमित है। हम एक वर्ष में कुल मिलाकर चालीस टिकटें जारी कर सकते हैं। महान विभूतियों के लिए हमने वर्ष में सात टिकटें आरक्षित की हैं। यह पर्याप्त है। कोई भी देश इतना नहीं करता है। वे अपनी टिकटें एक बिल्कुल भिन्न ढंग से जारी करते हैं। वे उन पर अपनी संस्कृति, अपनी वास्तुकला, अपनी स्थलाकृति और अपने पक्षी चित्रित करते हैं। हमने इस बर्ष 'भारत की वधुओं' पर टिकटें जारी की हैं जो विदेशों में धड़ाधड़ बिक रही हैं। हमने 'भारत की वधुओं' पर बहुत ही सुन्दर टिकटें जारी की हैं।

श्रीमती प्रमिला दंडवते : जलती हुई दुलहनें।

श्री सी० एम० स्टीफन : हमने अब एक टिकट शृंखला आरम्भ की है—'हमारे देश के स्वतन्त्रता संग्राम में भाग लेने वाले व्यक्ति।' यह एक पृथक शृंखला है। यह सम्पूर्ण शृंखला

हमें स्वतन्त्रता संघर्ष की तस्वीर पेश करेगी। टिकटों की यह श्रृंखला हम एक-एक करके प्रकाशित कर रहे हैं। यह जारी होने वाली है। इस श्रृंखला में इन सभी का ध्यान रखा जाएगा। यह आप हम पर छोड़ दीजिए। हमें यही करना है। परन्तु हम टिकटों में वृद्धि नहीं कर सकते। जहां तक 1980-81 का सम्बन्ध है हमारा पूरा कार्यक्रम बन चुका है।

महोदय, डाक स्टेशनरी के बारे में एक मुद्दा उठाया गया था। मांग बहुत अधिक हो गई है। इसकी पूर्ति नासिक प्रेस को करनी है। उसकी क्षमता सीमित है। कुछ सुधार किए गए हैं। एक शीट में पहले जहां 50 टिकटें निकलती थीं, अब हमने आकार छोटा कर दिया है ताकि उस पर 70 टिकटें निकाली जा सकें और कुल संख्या में वृद्धि की जा सके। काफी बड़े स्तर पर फ्रेंकिंग मशीनों का प्रयोग आरम्भ किया गया है। बड़े व्यापारिक संस्थान फ्रेंकिंग मशीनों का उपयोग करेंगे और इसके लिए हम उन्हें 15% से 20% तक छूट दे रहे हैं। इसके अतिरिक्त नासिक सिक्यूरिटी प्रेस अब हैदराबाद में एक प्रेस लगा रहा है जिससे अतिरिक्त आवश्यकताओं की पूर्ति की जाएगी। श्री परुलेकर ने इस विषय में मुझसे पूछा था मैंने यह भी नहीं कहा था कि ऐसा कभी नहीं होगा। यह हो रहा है। हैदराबाद में प्रेस लगायी जा रही है। अतः महोदय विभिन्न कदम उठाये जा रहे हैं, परन्तु कठिनाई बनी हुई है क्योंकि मांग बहुत बढ़ गई है।

महोदय, जब मुझसे टिकटों के अभाव की बात की जाती है तो मुझे प्रसन्नता होती है। क्योंकि इसका अर्थ हुआ कि मुझे अधिक आमदनी कमाने की गुंजाइश है। पहले मैं मांग को पूरा करने में असमर्थ था परन्तु अब मांग पूरी की जा रही है। समान वितरण की व्यवस्था की जा रही है।

महोदय, मेरे विचार से मैं उठाए गए अधिकांश प्रश्नों का उत्तर दे चुका हूँ। मैं वर्ष 1980-85 की अवधि के विकास की तस्वीर पेश करना चाहता हूँ। मात्रात्मक दृष्टि से हमें बहुत विकास करना है। 1 अप्रैल, 1980 को विद्यमान स्थिति के अनुसार स्विचिंग क्षमता की उपलब्ध 23.36 लाख लाइनें थीं। इस योजना अवधि में और 15 लाख लाइनें दी जाएँगी। यू०/जी० केबल्स 117.48 लाख पेयर किलोमीटर। इसमें 18 लाख की और वृद्धि की जाएगी। 26.16 लाख उपभोक्ता टेलीफोन एसटीएन (Stn.) में 18 लाख की और वृद्धि कर दी जाएगी। इस समय लम्बी दूरी के 18 स्वचालित स्विचिंग टेलीफोन एक्सचेंज हैं। इनमें 40 की और वृद्धि की जाएगी। टेक्स (Tax) क्षमता 40,300 लाइन है। इसमें 94,770 लाइनों की और वृद्धि की जाएगी। बड़े क्षेत्रों में यह वर्तमान क्षमता से 70% से भी ऊपर है। कुछ मामलों मौजूदा क्षमता में 100% की वृद्धि की जाएगी। यह बहुत ही समयबद्ध कार्यक्रम है। यह काम करना इतना आसान नहीं है क्योंकि एक्सचेंज की स्थापना के लिए उन्हें इमारत का निर्माण करना है, उपकरण आदि लगाने हैं। यह एक बड़ा एक्सचेंज है। इसके पूरा होने में 6 से 7 वर्ष लगते हैं। इसमें काफी अधिक समय लगता है। अतः यह बहुत समयबद्ध कार्यक्रम है। इसके लिए हमें सिविल विंग की स्थापना करनी होगी। अब सिविल विंग लगभग तैयार है और हमें इसे सुदृढ़ करना है और यह काम आरम्भ कर देगा। मुझे पूर्ण विश्वास है कि हम इसे आरम्भ कर सकेंगे। अब 1980-82 में कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं हो रही हैं। एक है 'मद्रास-पेनांग सबमेरिन केबल' जिसकी स्थापना हमने पहले ही कर दी है और यह जल्दी ही काम आरम्भ कर देगा। एक बार मद्रास-पेनांग सबमेरिन लिंक द्वारा काम आरम्भ कर देने के बाद यह विश्व के पूर्वी क्षेत्र के कई

देशों से जुड़ जाएगा और फिर वहां से यह आस्ट्रेलिया से जुड़ जाएगा। इससे हमारा प्रशान्त महासागर में कार्यरत इन्टेलसेट (Entelsa) से सम्पर्क हो जाएगा और इससे हमारा अमरीका और अमरीका के विभिन्न नगरों से सम्पर्क हो जाएगा, जिनके साथ हमारा इस समय सम्पर्क नहीं है। यह एक बहुत बड़ा कार्य होने जा रहा है।

इस वर्ष उपग्रह भी छोड़ा जाएगा। 1981 के अन्त तक या 1982 के आरम्भ में दो भारतीय उपग्रह कक्ष में छोड़े जाएंगे और पृथ्वी के स्टेशन लगभग तैयार हैं।

28 भू-केन्द्र अचल हैं और 4 भू-स्टेशन चल रहे हैं जिन्हें कहीं भी उस स्थल पर ले जाया जायेगा जहाँ से उन्हें जोड़ा जाना है। इससे हमारे देश के मुख्य नगर बिना किसी व्यवधान, बिना किसी प्रकार की फुसफुसाहट तथा बिना किसी ऐसी ध्वनि के जो कि बीच में यूं ही आने लगती है, जुड़ सकेंगे और फिर यह पूर्णतया सरल हो जायेगा।

1981-82 में रूस के साथ में ट्रोपोस्केट्टोर संचार सम्पर्क चालू हो जायेगा। यह सर्वथा एक भिन्न प्रणाली है और ताशकन्द के जरिये मास्को से यह सम्पर्क जुड़ जायेगा। इसी वर्ष एक और प्रणाली अर्थात **'इनमारसत'** चालू होगी जो कि सागर स्थित हमारे जलयानों का संपर्क समुद्र-तट से बनाए रखेगी। उसके लिए भू केन्द्र का निर्माण बाह्य-बम्बई में किया जा रहा है। सब कुछ तैयार हो गया है तथा जलयानों के डिजाइनों तथा मानकीकरण को स्वीकृत करना शेष है तथा इसकार्य का एक मुख्य भाग सम्पन्न हो जायेगा।

हम एक और दूसरा काम कर रहे हैं जिसमें उपभोक्ताओं की शिकायतों और पूछताछ से निपटने के लिए महानगरों में कम्पूटर केन्द्र स्थापित किए जायेंगे और ये आवश्यक भी हैं। ये 1981-82 में तो चालू नहीं किए जा सकेंगे, परन्तु प्रारम्भिक कार्य पूर्ण कर लिया जायेगा। और हम इस कम्पूटर सेवा को भी योजना में सम्मिलित करने में सफल हो जायेंगे।

महोदय 1980-85 का समय प्रौद्योगिकी की दृष्टि से महाविकास का समय है क्योंकि सांख्यकीय इलेक्ट्रोनिक प्रणाली चालू हो रही है। यह विभिन्न पहलुओं जैसे स्थानीय प्रणाली के रूप में, ट्रंक प्रणाली के रूप में तथा प्रेषण प्रणाली के रूप में ऊपर आ रही है। ऐसे महत्वपूर्ण कार्य चल रहे हैं। हम अपना उत्पादन बड़े पैमाने पर शुरू कर रहे हैं। 1981-82 में, रायबरेली में 2 लाख लाइन की नवीन उत्पादन क्षमता वाली कार्य प्रणाली पर कार्य प्रारम्भ हो जायेगा। 1981-82 में हम सांख्यकीय इलेक्ट्रोनिक ट्रंक एक्सचेंज के लिए पालघाट में अपनी उत्पादन क्षमता को बढ़ाने के लिए काफी हद तक सफल हो जायेंगे इसका निर्माण एक बड़ी उपलब्धि होगी। इस बारे में एक विश्व-निविदा तैयार थी और मेरे विचार से इसे पहले से ही जारी किया जा चुका है तथा अब यह जो खरीदना है वह उपलब्ध है इलेक्ट्रोनिक एक्सचेंज के लिए दस लाख प्रति वर्ष के लक्ष्य के लिए 5 लाख उत्पादन क्षमताप हली फैक्टरी की लगाने के लिए भरसक प्रयास किए जा रहे हैं। इसका अर्थ यह है कि इन सभी क्षेत्रों में सफलता मिल रही है।

हम इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली इसलिए नहीं अपना रहे हैं कि कि क्रास-बार प्रणाली चल पुरानी पड़ चुकी है और मैं भी इस मत का नहीं हूँ। कास-बार प्रणाली

रही है और चलती रहेगी और विश्व के विभिन्न भागों में अभी भी चल रही है। विश्व का विशाल भाग अभी भी इस प्रणाली पर निर्भर है। इलेक्ट्रानिक स्वीच उपस्कार अभी अन्तिम स्वरूप में नहीं आया है। स्वयं हम अपना उपस्कर प्राप्त करने की तैयारी कर रहे हैं और यह तैयार भी हो रहा है। एक बात जिसके बारे में मैं अत्यन्त स्पष्ट हूँ वह यह है कि दूसरे देशों की ही तरह हम भी दूर संचार विस्तार की प्रारम्भिक अवस्था में हैं। इस विशाल देश में हमारे पास 23 लाख लाइनें हैं। यह तो केवल प्रारम्भिक अवस्था ही है। 1990 तक लगभग 80 लाख टेलीफोन देने होंगे। कुल इतना ही विस्तार किया जाने वाला है। मेरा स्वयं का यह अनुमान है कि इनकी संख्या कहीं और अधिक होगी। इसमें कोड़ी संख्या क्रास-बार दूरभाष केन्द्रों की भी होगी और जितने भी क्रास-बार दूरभाष केन्द्र हैं उनको हटाया नहीं जायेगा तथा शेष को इलेक्ट्रानिक लाइनों का रूप दे दिया जायेगा। अतः मैं स्पष्टतया देख रहा हूँ कि 1990 तक हमारे देश की दूर संचार प्रणाली में इलेक्ट्रानिक प्रणाली का अनुपात विश्व के किसी भी देश से अधिक होगा। इलेक्ट्रानिक्स का उपयोग बड़े पैमाने पर किया जा रहा है, क्योंकि सारा विस्तार इलैक्ट्रानिकस के क्षेत्र में ही होगा। इलेक्ट्रानिकस प्रणाली बड़े पैमाने पर स्थापित होने जा रही है। प्रति वर्ष 10 लाख लाइनों के उत्पादन की हमारी क्षमता की खपत इस प्रणाली में ही होगीं जो धीरे-धीरे हमारी वर्तमान प्रणाली को इलैक्ट्रॉनिक प्रणाली में परिवर्तित कर देगी। इससे हमारी प्रणाली कुशलता प्राप्त कर सकेगी। इलैक्ट्रॉनिक प्रणाली के लागू हो जाने के बाद भी 1990 में जब इस सभा में वाद-विवाद होगा तो आज जैसी ही आलोचना की जा रही है उस समय भी वही आलोचना की जायेगी, यथा—गलत कनेक्शन, गलत बिल आदि आदि। हमें इसी दूरसंचार को प्रणाली लागू करना है और इसी को लेकर चलते जाना है।

मैं एक शब्द कहने के बाद अपना भाषण समाप्त करूंगा मुझे उन अभियन्ताओं को अपनी शुभ कामनायें प्रेषित करनी चाहिये जो कि इस विभाग में सेवारित हैं। उन्होंने एक अनुसंधान एवं विकास कक्ष का विकास किया है। उन्होंने बड़ी सफलता प्राप्त की है। आज हमें जो बहुत-सी उपलब्धियां प्राप्त हैं वह सब उन्हीं की सफलता का फल है। परन्तु हम ऐसा अनुभव करते हैं कि हमें विदेशों से उच्च स्तरीय प्रोद्योगिकी खरीदनी पड़ेगी और उसे आत्मसात करना होगा। प्रोद्योगिकी को आत्मसात करने का ही अपने आप में यह अर्थ है कि हमारे पास कुछ प्रोद्योगिकी क्षमता है। जब तक आपके पास प्रोद्योगिकी क्षमता नहीं होगी आप इलेक्ट्रानिक प्रणाली को आत्मसात नहीं कर सकते हैं। हमने यह ग्रुप को तैयार किया है और हम धीरे-धीरे इसकी रचना कर रहे हैं। इसकी हममें सामर्थ्य है। केवल पोस्टकार्ड, अन्तर्देशीय पत्र और दूरभाष का ही अर्थ संचार मन्त्रालय नहीं होता। अन्य क्षेत्रों में भी इस पर भारी कार्यभार पड़ता है। हमारे कारखाने चल रहे हैं। जो कुछ हम चाहते हैं उसका उत्पादन कर लेते हैं। आजकल जिस दूरभाष उपकरण का उत्पादन किया जा रहा है वह अच्छी किस्म का नहीं है। उसकी किस्म में सुधार किया जा रहा है। सहयोग के लिए कुछ प्रबंध किये जा रहे हैं जिससे कि हम सर्वोत्तम दूरभाष उपकरण तैयार कर सकें। जब हमें यह सहयोग प्राप्त हो जायेगा तो मुझे आशा है बहुत सी शिकायतें दूर हो जायेंगी।

हमारी अपनी डाक तार प्रणाली है, बैंकिंग प्रणाली है, अपनी बीमा प्रणाली है और बहुत से राज्य अपने कर एकत्र करने, मोटर गाड़ी कर वसूल करने तथा अपने बिजली के बिल

एकत्र करने के लिए अब हमारी सेवाएँ ले रहे हैं। यह सब इसलिए सम्भव है कि हम समस्त देश में फैले पड़े हैं। हमारा प्रयास सभी एककों को सक्षम बनाने का रहा है। आज वह नहीं है और इसे सक्षम बनाना होगा।

विभागेतर लोगों के साथ निश्चितरूप से मेरी हमदर्दी है, परन्तु आपको विभागेतर प्रणाली के पीछे जो भावना है उसको भी समझना चाहिए। यदि विभागेतर लोगों को पूर्ण वेतन भोगी कामगार बना दिया जाए तो आपको मालूम होना चाहिए कि क्या-क्या प्रश्न उठ खड़े होंगे? उपाध्यक्ष महोदय मुझे टकटकी लगाकर देख रहे हैं, क्योंकि उन लोगों में उनकी रुचि है। मामले की सच्चाई यह है कि उन्हें एजेन्ट ही बनाकर रखना होगा और उन्हें आय के अपने ही स्रोत बनाने होंगे। यह एक शर्त है, परन्तु जिस प्रकार इसे चलाया जा रहा है। बात वैसी नहीं थी। मुझे चेतावनी दी गई थी कि मैं अमरीका तथा अन्य देशों को उद्धत न करूँ और श्री महालगी ने यह चेतावनी मुझे दी है। मुझे वह चेतावनी मंजूर है और इसलिए मैं उन्हें उद्धृत नहीं कर रहा हूँ। सच्चाई तो यह है कि ऐसे 2.5 लाख लोग हैं और 2.5 लाख लोगों के लिए साधन जुटाना बहुत बड़ा काम है। अतः हमारा प्रयास कुछ अन्य तरीकों से उन इकाइयों को सक्षम बनाने का है। किस प्रकार ऐसा किया जा सकता है मैं इस पर अभी विचार कर रहा हूँ। जिस सीमा तक यह सम्भव है, अवश्य ही किया जाना है। हमने जब इस मन्त्रालय का कार्य भार सम्भाला, हमने उन्हें बोनस दिया। उन्हें जो कुछ मिलता था उसमें दो वर्ष में एक बार संशोधन किया जाता था। हमने उन्हें उच्चदरों पर संशोधित राशि दी गई। साथ ही, मैंने यह आदेश भी दिया है कि यह संशोधन प्रति वर्ष किया जाना चाहिए। अब उन्हें प्रति वर्ष संशोधित दरें मिल रही हैं। इस एक वर्ष में, मेरे बिचार से उनके वेतन में 30 से लेकर 50 रुपये तक की वृद्धि हुई है। हो सकता है ये आंकड़े एकदम सही न हों परन्तु उस सीमा तक वृद्धि हो चुकी है। हमें उनकी बड़ी चिन्ता है। वे डाकतार विभाग के लिए उल्लेखनीय सेवा करते हैं।

अध्यक्ष महोदय: चूंकि आपने मेरा नाम लिया है तो मैं एक निवेदन करना चाहता हूँ। आप सभी सरकारी कर्मचारियों और यहां तक पेन्शनरों को भी मंहगाई भत्ता दे रहे हैं तो फिर प्रतिवर्ष के यह संशोधन करने और इस सभी प्रकार की गणना करने की बजाय उन्हें भी कुछ मंहगाई भत्ता क्यों नहीं देते। आप उन्हें मूर्तलिंगम समिति द्वारा सिफारिश किया गया मंहगाई भत्ता ही क्यों नहीं दे देते हैं। आप उस पर विचार कीजिए।

श्री सी० एम० स्टीफन : यह एक अयोग्यता हैं।

श्री जी० एम० बनातवाला(पोन्नानी) : महोदय इस निवेदन को अध्यक्ष पीठ की ओर से निर्देश समझा जाए।

श्री सी० एम० स्टीफन : कुछ भी हो महोदय यह एक बड़ा पेचीदा प्रश्न हैं।

श्री आर० के० महालगी (ठाणे) : प्रश्न तो सरल हैं, इसका उत्तर पेचीदा हो सकता है।

श्री सी० एम० स्टीफन : उत्तर सरल हो सकता है प्रश्न पेचीदा है। कुछ भी हो, महोदय जैसा कि मैं कह चुका हूँ, मैं कठिनाई को समझ सकता हूँ। मेरी हमदर्दी उनके साथ

है क्योंकि मैं जीवन भर उनके साथ रहा हूँ। मैं अपनी वर्तमान स्थिति समझता हूं और इस पवित्र सदन से उन सभी लोगों से अपील करता हूँ कि जो मेरे विभाग में सेवारत हैं कि उन्हें उस राष्ट्रीय वचत बद्धता को पूर्णतया समझना चाहिये जो कि उन्होंने दी हैं, क्योंकि जनता की सेवा विषेशकर इस विभाग मेंकरना ही हमारा काम है डाक-तार विभाग की अपने कार्य-वचनवद्धता और उत्साह की परम्परा समाप्त नहीं हुई है और इसे फ़िर उसी स्थिति में लाना है। उनकी समस्याओं से निपटना मेरा काम है; लोगों की सेवा करने की उन्हें चिन्ता होनी चाहिए और यदि ऐसा हो जाता है तो सब सुधार हो जाएगा।

जिस सौम्यता और जिस मृदुलता से इस वाद-विवाद में भाग लेने वाले सदस्य बोले हैं, उसके लिए मैं उन सभी सदस्यों को धन्यवाद देता हूं। श्री मनीराम बागड़ी को मेरी बड़ी चिन्ता थी। महोदय, उनका तर्क सरल था। वे जानते हैं कि इस विभाग में सुधार करना कठिन कार्य है। वे नहीं चाहते कि मैं इस मंत्रालय में रहकर अपना नाम गन्दा करूं। उनका कहना था कि यह विभाग कभी नहीं सुधर सकेगा, इसलिए मुझे उससे अलग हो जाना चाहिए। यही कुछ उनका कहना था, उन्होंने यह नहीं कहा कि मुझे त्यागपत्र दे देना चाहिए। वह यही कहना चाहते थे, परन्तु मैं उनको विश्वास दिलाता हूँ कि मैं इसमें रह कर इस विभाग को सुधारूंगा और अगले वर्ष अधिक अच्छे स्वर में बोलूंगा, लोगों की और अच्छी सेवा करूंगा, अच्छे परिणाम दिखाऊंगा तथा एक अच्छा रिकार्ड स्थापित करूंगा।

श्री वीरभद्र सिंह (मंडी) : महोदय, मुझे एक स्पष्टीकरण चाहिये। मन्त्री महोदय ने हिमाचल प्रदेश में डाक तार मण्डल का उल्लेख नहीं किया है, जिसका कि मैंने जिक्र किया था।

श्री सी० एम० स्टीफन : डाक-तार मण्डल की एक बार स्वीकृति दे दी गई थी और कार्यालय के बारे में कुछ कठिनाई थी। यहां पर हमारे भुगतान न कर सकने का प्रश्न नहीं है। हम कोई कार्यालय निःशुल्क नहीं लेते हैं और न ही हम कोई चीज निःशुल्क चाहते हैं, परन्तु हमें अपने स्टाफ के लिए पर्याप्त जगह तो चाहिए। हम शिमला या हिमाचल प्रदेश में लोगों को ले जाना नहीं चाहते हैं। स्टाफ को वहां ले जाकर उन्हें निवास स्थान प्रदान न करना भी एक समस्या है। मैंने मुख्यमंत्री महोदय को लिखा है कि यदि कहीं वे इस समस्या को हल कर सकें तो मेरा आदेश लागू रहेगा। मैंने अभी आदेश को रद्द नहीं किया है। यह अभी बना हुआ है।

डा० कृपासिन्धु भाई (सम्बलपुर) : जहां तक उड़ीसा की बात है, स्वचालन के लिए निम्न प्राथमिकता प्रदान की गई है। 13 जिला मुख्यालयों में से केवल एक में ही स्वचालित एक्सचेंज है। भुवनेश्वर की इलेक्ट्रानिक एक्सचेंज के लिए मैं मंत्री महोदय को धन्यवाद देता हूँ।

श्री सी० एम० स्टीफन : मैंने अपने भाषण को दो आम समस्याओं और भविष्य की रूपरेखा, इन दो मुद्दों में बांट दिया है। अन्य विषय श्री महालगी के कटौती प्रस्तावों के अनुसार उठाए गये थे। हो सकता है उन्होंने इस पर ध्यान केन्द्रित नहीं किया हो, परन्तु मैं आपको विश्वास दिला सकता हूं कि सभी समस्याओं, विषयों की जांच की जायेगी और आपको उन सभी प्रश्नों का जो आपने उठाए हैं, सही उत्तर मिलेगा।

श्री बापू साहिब परूलेकर (रत्नगिरि) : मैंने अपने भाषण में 36 करोड़ रुपये की लागत से रायबरेली इकाई के लिए मशीनरी के आयात का उल्लेख किया था, विशेषकर जब हमारे

अभियन्ताओं ने अन्य क्रॉस-बार प्रणाली के लिए प्रावधान किया है। इसके बारे में समाचार-पत्रों में छपा है और इसकी आलोचना भी हुई है। मैं उस सन्दर्भ में ही उत्तर देना चाहूंगा।

श्री सी० एम० स्टीफन : हमारे अभियन्ताओं ने एक भारतीय क्रास-बार परियोजना विकसित की है। हम इसे भारत क्रास-बार (आई० सी० बी०) पद्धति कहते हैं। विवाद यह है कि हम आई० सी० बी० को अपनाएं या अन्य किसी प्रणाली को। हमने इसी आई० सी० बी० को अपना लिया है और हमारे पास इसका डिजाइन है। हमारे पास उत्पादकता प्रौद्योगिकी उपलब्ध नहीं है। भारतीय प्रणाली के साथ यही हमारी कठिनाई है और यह बात केवल दूरसंचार के मामले में ही नहीं है। डिजाइन में हम 'क' श्रेणी में हैं। छोटा सामान बनाने में हम प्रथम श्रेणी में हैं। उत्पादकता क्षमता में हम मानक स्तर को प्राप्त नहीं कर पाये हैं। हमें अन्य देशों पर निर्भर करना पड़ता है। इस सम्बन्ध में भी डिजाइन बिल्कुल सही है। उत्पादकता के लिए हमें सहायता लेनी है। हमने बेलजियम सहायता को स्वीकार किया, क्योंकि जो आई० सी० बी० प्रणाली हमारे पास है, वह पैण्टा कोण्टा की ही विकसित प्रणाली है। पैण्टोकोण्टा की प्रोद्योगिकी बेलजियन कम्पनी ही की देन है। इसलिए हमें उनके पास जाना है। जो भाव दिया गया है, उस में यह था। आंकड़े तो मुझे ठीक से याद नहीं हैं। कितने करोड़ रुपये थे यह मुझे अच्छी तरह से याद नहीं है। एक्सचेंज सौदे के लिए कुछ सीमा तक एक तन्त्र बनाने का प्रस्ताव था तथा दूसरों की तुलना में इसमें अधिक स्वदेशीकरण है। अतः हमने स्वीडिश प्रणाली अर्थात 'एरिकसन' प्रणाली की बजाय इसे स्वीकार किया। इसे आई० सी० पी० कहा जाता है। यह कोई विदेशी प्रणाली नहीं है। यह आई० सी० पी० है और हमारे अभियन्ताओं ने इसे विकसित किया है। परन्तु हमारे अभियन्ताओं का कहना है "इसका उत्पादन करने के लिए हमें सहयोग की आवश्यकता है।" मुख्य कम्पनी से सहयोग स्वीकार कर लिया गया था। वे सहयोग देने को तैयार हैं और इसलिए जब हम उसका क्रय करेंगे तो हमें धन राशि का भुगतान करना पड़ेगा और इसमें धनराशि के भुगतान की बात है ही······(व्यवधान)

श्री आर० के० महालगी : समानान्तर डाक-घर प्रणाली के बारे में आपको क्या कहना है? यह प्रश्न मैंने विशेष रूप से पूछा था।

श्री सी० एम० स्टीफन : समानान्तर डाक घर प्रणाली के बारे में यह कहा जा सकता है कि यह मेरे मंत्रालय का विषय नहीं है। कोई ऐसा कर रहा है। तकनीकी रूप से, किसी के पास कोई पत्र ले जाने वाला डाक-कार्य सम्पन्न कर रहा है। आप भी इसके अन्तर्गत आ सकते हैं, लेकिन यह चल रहा था, इसका पता लगाया गया और पुलिस ने हमें सूचित किया कि इस प्रकार का एक गिरोह अपनी तस्करी की गतिविधियों में संलग्न था। वस्तुओं को डाक सेवा से भेजने की बजाय वे उन्हें भेजने का प्रबन्ध कर रहे थे। इसमें कुछ पार्सल होते थे और कुछ पत्र। इनका कार्य इस ढंग से चल रहा था और पुलिस जांच कर रही है। यद्यपि तकनीकी दृष्टि से इससे डाक अधिनियम का उल्लंघन होता है, किन्तु यह हमारे क्षेत्र में कोई बहुत अधिक अतिक्रमण नहीं करता है :

उपाध्यक्ष महोदय : यदि सभा की सहमति हो तो मैं सभी कटौती प्रस्तावों को एक साथ ही सभा में मतदान के लिए रखता हूँ।

कटौती प्रस्ताव सभा में मतदान के लिए रखे गए और अस्वीकृत हुए।

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं संचार मन्त्रालय की अनुदान की मांगों को सभा में मतदान के लिए रखता हूँ।

प्रश्न यह है :

"कि संचार मंत्रालय की मांग संख्या 14 से 18 के लिए कार्य सूची के स्तम्भ 2 में दर्शाये गए मांग शीर्षों के सम्बन्ध में 31 मार्च 1982 को समाप्त होने वाले वर्ष के दौरान होने वाले खर्चों को पूरा करने के लिए कार्य सूची के स्तम्भ 4 में दिखाई गई राजस्व लेखा तथा पूंजी लेखा संबंधी राशियों से अनधिक लेखानुदान राशियां भारत की संचित निधि में से राष्ट्रपति को दी जाएं।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

मांग संख्या	मांग का नाम	सदन की स्वीकृति के लिए पेश की गई लेखानुदान में मांग की रकम	
1	2	3	
		राजस्व रुपए	पूंजी रुपए
	संचार मंत्रालय		
14.	संचार मंत्रालय	52,70,000	2,69,00,000
15.	विदेश संचार सेवा	3,56,36,000	4,46,77,000
16.	डाक-तार—कार्यकरण व्यय	159,46,35,000	
17.	डाक-तार—सामान्य राजस्व को लाभांश, प्रारक्षित निधि में विनियोग और सामान्य राजस्व से उधारों की वापसी	42,82,22,000	
18.	डाक-तार पर पूंजी परिव्यय		85,33,46,000

सामान्य बजट—अनुदान की मांगें 1981-82 (जारी)

श्रम मन्त्रालय

उपाध्यक्ष महोदय : अब सभा श्रम मन्त्रालय की मांग संख्या 65 और 66 पर चर्चा करेगी और उन पर मतदान होगा। इसके लिए 4 घंटे का समय दिया गया है।

मांग संख्या	मांग का नाम	सदन की स्वीकृति के लिए पेश किये जाने वाले लेखानुदान में मांग की रकम	
		राजस्व रु०	पूंजी रु०
65	श्रम मन्त्रालय	16.21,000	—
66	श्रम और रोजगार	12,11,60,000	2,12,000

वे माननीय सदस्य, जिनके अनुदान की मांगों में कटौती प्रस्तावों को परिचालित किया गया है, यदि अपने कटौती प्रस्तावों को पेश करना चाहते हैं तो अपने कटौती प्रस्तावों की क्रमांक संख्या दर्शाते हुए, जिन्हें वे पेश करना चाहते हैं, 15 मिनट के अन्दर पर्चियां टेवल आफिस भेज दें। केवल उन्हीं कटौती प्रस्तावों को पेश किया हुआ माना जाएगा।

जिन कटौती प्रस्तावों को पेश किया हुआ मान लिया गया है उनके क्रमांक को दर्शाने वाली एक सूची शीघ्र ही सूचना पट पर लगाई जायेगी। यदि किसी सदस्य को इस सूची में कोई गलती दिखाई दे तो वे इसे अविलम्ब टेबल अधिकारी के ध्यान में ले आएं।

अब श्री आनन्द पाठक बोलेंगे। आपके दल को केवल 14 मिनट का समय दिया गया है।

श्री आनन्द पाठक (दार्जिलिंग) : महोदय मैं श्रम मन्त्रालय के नियन्त्रण में आने वाली अनुदान की मांगों का विरोध करने के लिए खड़ा हुआ हूँ क्योंकि श्रम मन्त्रालय की गत वर्ष की उपलब्धि को केवल निराशाजनक ही कहा जा सकता है, चूंकि समग्र कार्यान्विति में निर्देशन की अभाव रहा है।

औद्योगिक विवादों के दौरान श्रम मन्त्रालय की कोई भूमिका नहीं रही है। गत तीन वर्षों में केन्द्र में तीन श्रम मन्त्री आए, जिनमें से दो के लिए तो श्रम मन्त्रालय वास्तव में ही उन्नति का द्वार रहा, क्योंकि वे दोनों राज्यों के मुख्यमन्त्री बन गए। वर्तमान श्रममन्त्री श्रम मन्त्रालय से अधिक ध्यान योजना मन्त्रालय पर देते हैं और श्रम मन्त्रालय के लिए उनके पास कोई समय नहीं है। उन्हें अपने मन्त्रालय के बरामदों में श्रम मन्त्रालय के 'अनुपस्थित मालिक' ठीक ही कहा जाता है। इससे केवल यही पता चलता है कि वर्तमान सरकार द्वारा श्रम मन्त्रालय को कितना निम्न दर्जा दिया गया है।

श्रम मन्त्रालय की अनुपयोगिता बंगलौर स्थित उद्योगों में, हाल में, हड़ताल के दौरान स्पष्ट रूप से दिखाई दी जब कि यह हड़ताल लगभग 80 दिन तक चली थी और लगभग 1 लाख 25 हजार मजदूरों ने भाग लिया था। यद्यपि सरकारी उपक्रमों ने मजदूरों को दिए गये वचनों को मानने से इन्कार कर दिया था, तो भी श्रम मन्त्रालय विवाद को आपसी समझौते द्वारा नहीं निपटा सका। इस विषय पर श्रम मन्त्रालय द्वारा बुलाई गई एक बैठक में अधिकतर संचार मन्त्री ही बोलते रहे जबकि श्रम मन्त्री महोदय समस्या का कोई हल सुझाए बिना मूक दर्शक की भूमिका निभाते रहे।

बंगलौर की हड़ताल ने सरकार की श्रम नीति की विश्वसनीयता को कम कर दिया है। सरकार की नीति के विरुद्ध 11 मार्च, 1981 को सभी सरकारी उपक्रमों के कर्मचारियों ने विरोध-स्वरूप एक दिन की हड़ताल की थी।

इसके साथ-साथ सरकार द्वारा जीवन बीमा निगम के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को अध्यादेश के द्वारा संशोधित करना देश की सामूहिक सौदेबाजी के सिद्धान्त का उपहास करना है। सरकार किसी भी समझौते का पालन नहीं करेगी—यह तो उच्चतम न्यायालय के निर्णय को भी नहीं मानेगी।

सरकार की श्रम नीति की यह आधारशिला बन गयी है। कोई भी यह कल्पना कर

सकता है कि इन घटनाओं से निजी क्षेत्र को कितनी प्रसन्नता हो रही है क्योंकि इससे उन्हें अब समझौतों और न्यायालयों के पंचाटों को न मानने का संकेत मिल गया है।

तथापि, देश भर के जीवन बीमा निगम के वर्ग-चेतना वाले कर्मचारियों ने इस चुनौती को स्वीकार कर लिया है और सरकार की श्रमिक-विरोधी नीति के विरोध में 2 अप्रैल से अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी है।

सरकारी प्रवक्ता कहते आये हैं कि भारत सरकार भूतलिंगम आयोग के मंजूरी तथा आय नीति सम्बन्धी प्रतिवेदन को कार्यान्वित नहीं कर रही है।

लेकिन फिर भी प्रतिवेदन का कार्यान्वयन कर्मचारियों के वेतन-जाम के लिये किया जा रहा है। मुद्रास्फीति के तेजी से बढ़ने से श्रमजीवी वर्ग का जीवन स्तर काफी नीचे हो रहा है। अपनी वास्तविक मजदूरी को बनाये रखने के लिए उनका आंदोलन करना स्वाभाविक ही है जब कि सरकार की मजदूरी नीति उनके जीवन स्तर को घटाने के लिए ही प्रयत्नशील है।

राष्ट्रीय मजदूरी नीति पर विचार करते समय सरकार कर्मचारियों के बीच व्याप्त तथा-कथित विषमताओं पर ही विचार करती है।

हमारे समाज की असली विषमता कर्मचारियों के वेतन तथा पूंजीपति वर्ग की आय के बीच और कृषि श्रमिकों और जमींदारों की आय के बीच की है।

सरकार का विचार इन अमीर वर्गों को छूने का नहीं है। यह केवल संगठित श्रमिकों की मजदूरी पर ही आघात करना चाहती है। फिर भी सरकारी आंकड़ों से सिद्ध होता है कि पिछले 20 वर्षों के दौरान संगठित कर्मचारियों के वेतन में कमी हुई है। सरकार उन पर फिर आघात करना चाहती है जिससे उनकी मजदूरी में बहुत कमी होगी।

सरकारी उद्यम ब्यूरो द्वारा सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के महंगाई भत्ते के प्रति अंक वृद्धि 1.30 रुपये तक सीमित रखने सम्बन्धी दिये गये निदेश से इन कर्मचारियों को दिये जा रहे महंगाई भत्ते में कमी हो रही है।

श्रम मंत्रालय ने 1979 में मजदूर संघों के प्रतिनिधियों तथा सरकारी उद्यम ब्यूरो के बीच वार्ता करने की व्यवस्था की थी लेकिन ब्यूरो के विचित्र रवैये के कारण यह वार्ता असफल रही।

यद्यपि बंगलौर का संघर्ष वापस लिया जा चुका है फिर भी वहां सरकारी क्षेत्र के कर्मचारियों के बीच असंतोष बना हुआ है और यह संघर्ष फिर भड़क सकता है यदि सरकारी क्षेत्र के कर्मचारियों की लम्बे समय से चल रही शिकायतों का तत्परता से निपटारा न किया गया।

देश में ऐसे अनेक कानून हैं जिनमें पिछले अनुभव को ध्यान में रखते हुए संशोधन किया जाना जरूरी है। सरकार इनका संशोधन बहुत ही मंदगति से कर रही है। यदि इनमें संशोधन किया जाना है तो ये कानून और अधिक निन्दनीय हो जायेंगे।

औद्योगिक विवाद अधिनियम के प्रश्न को ही लीजिये। यह मजदूरों के विरुद्ध है। विवादों का निपटारा करने में समय लगता है और यह प्रबन्धकों के ही लिये सहायक है। अब

सरकार औद्योगिक विवाद अधिनियम में संशोधन करके बदनाम औद्योगिक संबंधी विधेयक लाने का षड्यंत्र कर रही है। इससे हड़ताल करने का मजदूरों का अधिकार और भी सीमित हो जायेगा। इससे मजदूर संघों द्वारा श्रमिकों सम्बन्धी अनुचित कार्यों की जाँच करने के नाम पर मजदूर संघों की गतिविधियों पर प्रतिबंध लगेंगे।

श्रम मंत्रालय औद्योगिक विवाद अधिनियम में कई प्रतिगामी प्रावधान जोड़ने जा रहा है जिनका मजदूर संघ सख्त विरोध करेंगे। इस समय ठेके के मजदूरों का बेईमान ठेकेदार बुरी तरह से शोषण कर रहे हैं। ठेका श्रम (विनियमन और उत्पादन) अधिनियम कदाचारों की रोकथाम नहीं कर रहा और इस प्रणाली को समाप्त करने की बजाय ठेके के मजदूरों की संख्या प्रति वर्ष बढ़ रही है। सरकारी क्षेत्र के प्रबन्धक भी ठेकेदारों को अधिक से अधिक काम दे रहे हैं। प्रमुख मालिक भी इन कदाचारों के लिए सांठगांठ कर रहे हैं क्योंकि वे भी सस्ती मजदूरी वाले मजदूरों में दिलचस्पी रखते हैं। 11 फरवरी 1981 से टाटा आयरन एंड स्टील कम्पनी के लगभग 10 हजार ठेके के मजदूर अपनी नौकरी को नियमित कराने के लिए हड़ताल पर हैं। वे कई वर्षों से ठेकेदारों के अधीन काम करते आये हैं लेकिन टाटा आयरन कम्पनी के प्रबन्धक कानून के अन्तर्गत ठेका प्रणाली को समाप्त नहीं कर रहे हैं। बिहार सरकार टाटा प्रबन्धकों के सामने विवश है और पुलिस कम्पनी का समर्थन कर रही है। लगभग 500 मजदूर गिरफ्तार किये जा चुके हैं और सी० आई० टी० यू० तथा ए० आई० टी० यू० सी० की कार्यकारी समिति के सदस्यों को इस कम्पनी ने निलम्बित कर दिया है। मजदूरों के ऊपर दमनचक्र चलाया जा रहा है और केन्द्र सरकार चुपचाप बैठी है। ठेके के मजदूरों ने श्रम मंत्रालय में राज्यमंत्री श्रीमती रामदुलारी सिन्हा के सामने प्रदर्शन किया लेकिन फिर भी इस बारे में कोई भी कार्यवाही नहीं की गयी। आश्चर्यजनक बात यह है कि सरकार वर्तमान कानून को भी लागू नहीं कर रही है। यद्यपि हड़ताल गैर कानूनी नहीं है, फिर भी टाटा प्रबन्धकों ने मजदूरों की भर्ती की है। बिहार सरकार ने इसे अनुचित श्रम प्रणाली कहा है लेकिन टाटा कम्पनी इससे चिंतित नहीं है। एकाधिकारी गृहों को सरकार की श्रम विरोधी नीति से प्रोत्साहन मिल रहा है।

पश्चिम बंगाल सरकार ने भारतीय लोहा तथा इस्पात उद्योग के ठेके के मजदूरों को नियमित कर दिया है। और लगभग 17,300 ठेके के मजदूरों को रोजगार पर लगा दिये हैं। टाटा आयरन एंड स्टील कम्पनी भी इस प्रकार के कदम क्यों नहीं उठाती? इस बात को ध्यान में रखा जाए कि उद्योग मंत्रालय सम्बन्धी राष्ट्रीय संयुक्त समिति में हुए त्रिपक्षीय समझौते के अनुसार टाटा आयरन एंड स्टील कम्पनी ठेका प्रणाली को समाप्त करने के लिए बाध्य है। लेकिन जब राष्ट्रीय संयुक्त समिति की बैठक में इस विषय पर चर्चा हुई तो टाटा के प्रबन्धक बैठक छोड़कर चले गए और टाटा मजदूर संघ के लोग भी उनके साथ बाहर चले गए।

जहां तक बेरोजगारी का सम्बन्ध है, देश में बेरोजगारी तीव्र गति से बढ़ रही है और नवीनतम आंकड़ों से पता चलता है कि अकेले शहरी क्षेत्रों में 1 करोड़ 62 हजार लोगों के नाम बेरोजगारी के रजिस्टर पर दर्ज हैं। पश्चिम बंगाल सरकार ने सीमित ढंग से एक बेरोजगारी राहत योजना चलायी है। केन्द्रीय सरकार भी इस प्रकार की योजना लागू क्यों नहीं करती ताकि बेरोजगार लोगों को कुछ राहत मिल सके।

भर्ती के मामले में श्रम मंत्रालय द्वारा गठित मैथ्यू समिति ने राज्यों के निवासियों के

नामों का दस वर्षों तक रजिस्ट्रीकरण असंवैधानिक माना है। मध्य प्रदेश, बिहार तथा अन्य राज्यों में स्थानीय लोगों का ही नाम रोजगार दफ्तरों में दर्ज किया जाता है। इस प्रकार तथा-कथित धरती पुत्र (सन आफ दी सायल) का सिद्धांत चलाया जा रहा है। लेकिन इस प्रावधान के असंवैधानिक स्वरूप होने के बावजूद भी सरकार ने इस प्रकार के सदाचारों को रोकने के लिए कोई भी कार्रवाई नहीं की है।

सरकार उपभोक्ता मूल्य सूचकांक सम्बन्धी रथ समिति की सर्वसम्मत सिफारिशों को लागू नहीं कर सकी है। मजदूर संघों का सहयोग लेने की बजाय सरकार केवल सरकारी समितियों द्वारा वर्ष 1981 के लिए परिवार बजट का सर्वेक्षण करने जा रही है। सूचकांक के संकलन करने का गलत तरीका निरंतर चल रहा है। श्रम मन्त्रालय के व्यवहार से इस प्रकार की प्राप्त की गई सारी सलाह धोखा ही बन गई है। सरकार उपभोक्ता सूचकांक को नीचे लाने की कोशिश कर रही है क्योंकि यह आवश्यक वस्तुओं की कीमतों को कम नहीं कर पा रही है।

सरकार किसी मजदूर संघ के प्रतिनिधि स्वरूप को निश्चित करने के लिए विलम्बकारी तरीके अपना रही है। 'इनटक' को छोड़कर सभी केन्द्रीय मजदूर संघ गुप्त मतदान द्वारा किसी संगठन की संख्या सुनिश्चित करने के पक्ष में हैं। फिर भी सरकार इस बारे में कोई ठोस कदम नहीं उठा रही है और 'इनटक' को अन्य सभी संस्थाओं की राय को अस्वीकार करने की छूट दे रही है। जांच की वर्तमान प्रणाली 'इनटक' संघों के पक्ष में है क्योंकि सरकारी अधिकारियों पर 'इनटक' संघों के पक्ष में रिपोर्ट देने के लिए दबाव डाला जाता है। इसी कारण 'इनटक' गुप्त मतदान के पक्ष में नहीं है और सरकार 'इनटक' संघों का ही पक्ष लेती है।

राजस्थान में हाल में हुई 'इनटक' के एक सम्मेलन में सरकारी क्षेत्र के अनेक प्रबन्धकों ने 'इनटक' के कार्यकर्ताओं को ऐसे ही माना जैसे कि वे ड्यूटी पर हों और उनका सारा खर्च, यात्रा भत्ता, दैनिक भत्ता आदि दिया। ऐसे सैकड़ों मामलों में से मैं यहाँ पर एक का उदाहरण देता हूँ। मैं भारत कोकिंग कोल लि०, धनबाद के उपमुख्य बिक्री प्रबन्धक द्वारा जारी किए गए परि-पत्र से उद्धृत करता हूँ। इसके अनुसार :

"प्रिय महोदय,

विषय : पश्चिम बंगाल भारतीय राष्ट्रीय मजदूर संघ परिषद के उदयपुर, राजस्थान में सम्मेलन

हम एतद द्वारा निम्नलिखित पत्रों की प्रतियाँ आपकी सूचनार्थ तथा अवलोकनार्थ संलग्न करते हैं।

1. पश्चिम बंगाल भारतीय मजदूर संघ परिषद के संयुक्त महासचिव द्वारा कोल इण्डिया लिमिटेड, कलकत्ता के कार्मिक प्रभाग के प्रमुख को लिखा गया दिनांक 8 नवम्बर, 1980 का पत्र।"

(व्यवधान)

श्री मूलचंद डागा (पाली) : क्या आपको इस नियम का पता है कि किसी भी सदस्य को अपना भाषण पढ़ने की अनुमति नहीं है ?

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती (कलकत्ता दक्षिण) : वह केवल उद्धरण दे रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया इसके साथ अपना भाषण समाप्त करें।

श्री आनन्द पाठक : इस पत्र में आगे यह कहा गया है :

"इस मामले पर कोल इंडिया लि०, कलकत्ता के उप-कार्मिक प्रबन्धक श्री सिन्हा राय के साथ चर्चा की गई थी। इस कार्यालय के श्री आलोकशंकर मुखर्जी को विशेष छुट्टी मंजूर की गई थी तथा उन्हें सम्मेलन में भाग लेने की अनुमति दी गई थी। उसे सामान्यतया मिलने वाले यात्रा भत्ते, दैनिक भत्ते की अग्रिम अदायगी भी की गई थी···।

मजदूर संघों के पंजीयक के अभिलेखों में दिखाई गई सदस्यता को स्वीकार करने सम्बन्धी सरकार के निर्णय के कारण अनेक अवैध कार्यवाहियां होने लगी हैं। वार्षिक विवरणों के अनुसार यू. टी. यू. सी.—लेनिन सारानी गुट की सदस्यता 3 लाख से कम है। जब यह पता लगा कि सरकार उनकी सदस्यता का ब्यौरा मांगने वाली है तो एक वर्ष में उनकी सदस्यता 10 लाख हो गई। इस प्रकार सरकार मजदूर संघों की गतिविधियों में कदाचारों को प्रोत्साहन दे रही है। इसीलिए वे गुप्त मतदान की प्रणाली का विरोध कर रहे हैं। सदस्यता की जाँच होनी चाहिए और गुप्त मतदान ही सदस्य संख्या की जांच करने का एक स्वीकार्य तरीका है।

सरकार 'सिटू' के विरुद्ध विशेष भेदभाव दिखा रही है। ई० एस० आई० निगम तथा इसकी चिकित्सा लाभ परिषद में इसका कोई भी नामांकित व्यक्ति नहीं है। भविष्य निधि बोर्ड में भी इसका कोई नामांकित व्यक्ति नहीं है। ऐसी 7 समितियां हैं जहां 'सीटू' को स्थान तथा प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया है।

इसलिए संख्या का निर्धारण करने की कोई उचित प्रक्रिया निकाली जानी चाहिए। गुप्त मतदान के सिद्धांत को सरकार द्वारा स्वीकार न करने के कारण विलम्ब हो रहा है।

अब मैं कोयला खानों में काम करने वाले मजदूरों की दशा के बारे में कुछ कहूंगा। कोयला खानों में कार्य की दशाएँ बिल्कुल असुरक्षित हैं तथा प्रतिवर्ष बड़ी संख्या में दुर्घटनाएँ होती हैं। प्रतिवर्ष कोयला खानों में काम कर रहे 200 कर्मचारियों में से औसतन एक व्यक्ति मर जाता है और 4 व्यक्ति गम्भीर रूप से घायल हो जाते हैं।

अनेक उदाहरण दिए जा सकते हैं, परन्तु मेरे पास समय नहीं है। इन दुर्घटनाओं के अतिरिक्त अनेक कोयला खनन कार्य सम्बन्धी बीमारियों से मर जाते हैं। खान सुरक्षा के महा-निदेशक के पास दो वर्ष में एक बार प्रत्येक खान का निरीक्षण करने के लिए भी कर्मचारी नहीं हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : अपने भाषण में यदि आप ब्यौरों पर अपना समय नष्ट न करें, तो आपको महत्वपूर्ण बातों के लिए 30 मिनट का भी समय दे सकता हूँ, परन्तु अभी नहीं क्योंकि आपने पहले ही काफी समय नष्ट कर दिया है।

श्री आनन्द पाठक : मैं उन्हें संक्षिप्त करने का प्रयत्न करूंगा। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : वे एक अच्छी बात कह रहे हैं, परन्तु मैं उन्हें और अधिक समय देने में असमर्थ हूं। कृपया अपना भाषण समाप्त करें।

श्री आनन्द पाठक : केन्द्रीय कोयला खान बचाव स्टेशन समिति श्रम मन्त्रालय के अधीन

एक संगठन है। परन्तु इस संगठन की मूल्यवान सेवा में जीवन रक्षक स्वास उपकरण के फालतू पुर्जों, एम्बुलेंस तथा अन्य आवश्यक चीजों के अभाव के कारण बाधा पड़ी है। केन्द्रीय कोयला खान बचाव स्टेशन समिति कई कठिनाइयों का सामना कर रही है तथा वह अपने दिन-प्रतिदिन के खर्चे चलाने में असमर्थ है। अधिकांश बचाव स्टेशन बन्द होने की स्थिति में हैं। मैं मांग करता हूं कि इसकी विस्तृत जाँच की जानी चाहिए तथा इन स्टेशनों को सुदृढ़ करने के लिए शीघ्र ही उपचारात्मक उपाय किए जाने चाहिए।

अब मैं राधा कपड़ा मिल में हड़ताल पर आता हूं। उत्तर प्रदेश में रामपुर में राधा कपड़ा मिल के 3,000 से अधिक कर्मचारी भुखमरी का सामना कर रहे हैं, वे पिछले 4 महीनों से हड़ताल पर हैं। परन्तु प्रबंधक अड़े हुए हैं और अच्छे वेतनमानों आदि की उनकी मांगों को स्वीकार करने के वे इच्छुक नहीं हैं। विवाद में प्रभावी हस्तक्षेप करने तथा कोई सम्मानजनक हल खोजने की बजाय सरकारी अधिकारी इस कपड़ा उद्योग के मालिकों के हाथों का खिलौना बन गये हैं। कर्मचारियों को डराया-धमकाया जा रहा है। हड़ताली कर्मचारियों को गिरफ्तार किया गया और पुलिस द्वारा उन्हें पीटा गया। अनेक कर्मचारियों की सेवाएं समाप्त कर दी गई हैं। और अब उन्हें मजदूर बस्ती से निकालने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं।

केन्द्रीय सरकार अधिकांश श्रमिक कानूनों की अभिरक्षक है। परन्तु यह कर्मचारियों के मजदूर संघ सम्बन्धी गतिविधियों में पुलिस द्वारा हस्तक्षेप किए जाने पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। ऐसे असंख्य मामलों में से मैं यहाँ आसाम के गोलपाड़ा जिला स्थित कृष्ण काली तथा चापर चाय बगान का केवल एक उदाहरण दे रहा हूँ। ··(**व्यवधान**)

उपाध्यक्ष महोदय : वह पहले वक्ता हैं। इन्होंने चर्चा का आरम्भ किया है। अतः हम अधिक सख्ती नहीं कर सकते। (**व्यवधान**)

श्री आनन्द पाठक : जहां पुलिस प्रबन्धकों की इच्छानुसार कर्मचारियों को आतंकित कर रही है और मुझे तार द्वारा सूचित किया गया है कि—मैं तार पढ़ूं, क्या आप मुझे इसकी अनुमति देंगे ? यह तार मुझे आसाम से मिला है।

उपाध्यक्ष महोदय : इसकी जांच करनी होगी। आप इसे यहां रख सकते हैं। इसकी जांच करनी होगी।

श्री आनन्द पाठक : इससे पता लगता है कि किस तरह पुलिस का आतंक फैला हुआ है और किस प्रकार कर्मचारियों को पीटा जाता है। (**व्यवधान**)

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर) : तार कार्यालय ने इसकी जांच कर ली है। (**व्यवधान**)

श्री आनन्द पाठक : तार का विषयवस्तु यह है कि कर्मचारियों को पीटा जा रहा है। उनकी सेवाएं समाप्त की जा रही हैं। पुलिस गांवों तक जा रही है···

उपाध्यक्ष महोदय : आप कम-से-कम 7 बजे तक अपना भाषण समाप्त कीजिए।

श्री आनन्द पाठक : आपकी मजदूर नीति का यही चेहरा है।

अब जहाँ तक भविष्य निधि के प्रश्न का सम्बन्ध है विभाग का कार्यनिष्पादन आलोचना

से मुक्त नहीं है। बड़ी संख्या में यूनिटों और उद्यमों के नियोक्ता हजारों लाखों रुपयों की राशि, जो कर्मचारियों की मेहनत की कमाई से काटी गई है, नियमित रूप से जमा नहीं करा रहे हैं। वे इस राशि का दुरुपयोग कर रहे हैं और फिर भी उन्मुक्त हैं परन्तु आपका कानून इतना सक्षम नहीं है कि उन्हें सम्पूर्ण राशि जमा करने के लिए विवश किया जा सके।

कर्मचारी और उनके नामांकित व्यक्तियों के महीनों और वर्षों दावे निपटाये नहीं जा रहे हैं।

वर्षों तक अभ्यावेदन देने के बाद भविष्य निधि अधिकारी उत्तरी बंगाल में चाय बागानों तथा अन्य उद्यमों में कार्य कर रहे लाखों कर्मचारियों के हितार्थ सिलिगुड़ी में एक उप-क्षेत्रीय भविष्य निधि कार्यालय खोलने के लिए सहमत हुए हैं। परन्तु इतने वर्षों के बाद भी दार्जिलिंग को छोड़कर उत्तरी बंगाल के विभिन्न जिलों से सम्बन्धित कलकत्ता स्थित क्षेत्रीय कार्यालय ने कोई भी फाइल इस उप-क्षेत्रीय कार्यालय को नहीं भेजी है। उप-क्षेत्रीय कार्यालय पूरे उत्तरी बंगाल के कर्मचारियों के हितार्थ बनाया गया है। परन्तु इन जिलों के कर्मचारियों को इस लाभ से वंचित कर दिया गया है।

मैं श्रम मन्त्री से अनुरोध करता हूँ कि वे इस विशिष्ट मामले की जांच करें ताकि सिलि-गुड़ी स्थित उप-क्षेत्रीय कार्यालय एक पूरे कार्यालय की तरह कार्य कर सके तथा सभी फाइलें तत्काल वहाँ भेजी जाएं।

अब मैं बागान श्रमिक संशोधन विधेयक पर आता हूँ।

उपाध्यक्ष महोदय : आप 6 बजे तक बोल सकते हैं।

श्री आनन्द पाठक : 1980-81 के अपने प्रतिवेदन में आपने बागान श्रमिक (सशोधन) विधेयक, 1973 का उल्लेख किया है। परन्तु इसके पुरःस्थापित होने के 8 वर्ष बाद भी सरकार इसे संसद के समक्ष विचारार्थ लाने में असफल रही है। जब भी हम इसके विषय में प्रश्न करते हैं तो एक ही घिसा-पिटा उत्तर मिलता है—'विधेयक के शीघ्र ही आने की सम्भावना है।' मैंने पाँच या छः बार यह प्रश्न किया परन्तु इसका यही उत्तर मिला।

श्रम मन्त्रालय में राज्यमन्त्री (श्रीमती रामदुलारी सिन्हा) : यह स्पष्ट नहीं है कि मान-नीय सदस्य किस विधेयक का हवाला दे रहे हैं ?

श्री आनन्द पाठक : बागान श्रमिक संशोधन विधेयक। इसे 1973 में पुरःस्थापित किया गया था।

मैं मन्त्री महोदय से अनुरोध करता हूँ कि वह स्पष्ट रूप से बताएं कि यह विधेयक विचार के लिए कब लाया जाएगा ?

हालांकि कई अन्य बातें हैं। मेरे पास समय नहीं है। आपने ध्यानपूर्वक मेरा भाषण सुना उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ।

श्री आर० के० महालगी (ठाणे) : मैं प्रस्ताव करता हूँ :

"कि श्रम और रोजगार शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किये जायें।

प्रबन्ध में श्रमिकों का योगदान बढ़ाने की आवश्यकता। (3)

"कि श्रम और रोजगार शीर्षक के अन्तर्गत माँग में 100 रुपये कम किये जायें"

रोजगार गारण्टी योजना के सम्बन्ध में राज्य सरकारों की धीमी प्रगति। (4)

"कि श्रम और रोजगार शीर्षक के अन्तर्गत माँग में 100 रुपये कम किए जायें"

शिक्षित बेरोजगारों, विशेषकर वैज्ञानिकों और इन्जीनियरों की गत तीन वर्ष में बेरोजगारी की समस्या हल करने की आवश्यकता। (5)

"कि श्रम मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें।"

श्री विजय कुमार यादव (नालन्दा) : मैं प्रस्ताव करता हूँ :

"कि श्रम मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गंग माँग में 100 रुपये कम किये जायें"

देश में विभिन्न उद्योगों तथा अन्य सैक्टरों में कार्यरत मजदूरों की सेवा शर्तों में वांछित परिवर्तन करने में असफलता। (6)

"कि श्रम मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें"

पूरे देश में मजदूरों-नियोजकों-सरकार के बीच हुए करार पंचाटों को लागू करने में असफलता। (7)

"कि श्रम मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें"

बोकारो में निर्माण मजदूरों को नियमित करने तथा उनकी माँगों को स्वीकार करने में असफलता। (8)

"कि श्रम मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत माँग में 100 रुपये कम किये जायें"

जमशेदपुर में ठेका मजदूरों को नियमित करने तथा उन्हें काम से हटाने की कोशिशों को नाकाम करने में असफलता। (9)

"कि श्रम मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत माँग में 100 रुपये कम किये जायें"

जमशेदपुर के ठेका मजदूरों को पुनः काम पर लेने में असफलता। (10)

"कि श्रम मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत माँग में 100 रुपये कम किये जायें"

कोयला खानों, इस्पात फैक्टरियों तथा अन्य औद्योगिक संगठनों के मजदूरों के लिए पूर्ण सुरक्षात्मक उपाय करने की व्यवस्था करने में असफलता। (11)

"कि श्रम मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जायें"

एक राष्ट्रीय श्रम नीति तैयार करने में असफलता। (12)

"कि श्रम मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जायें"

बीड़ी मजदूरों के लिए मजदूरी की राष्ट्रीय दर तय करने में असफलता। (13)

"कि श्रम मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत माँच में 00 रुपये कम किए जायें"

महंगाई को देखते हुए पूरे देश में बीड़ी मजदूरों की मजदूरी बढ़ाने में असफलता। (14)

"कि श्रम मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जायें"

बीड़ी उद्योग में लगे मर्द तथा औरत मजदूरों को समान मजदूरी देने में असफलता। (15)

"कि श्रम मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जायें"

पूरे देश में बीड़ी मजदूरों को 10.50 रुपए प्रति हजार की दर से मजदूरी तय करने में असफलता। (16)

"कि श्रम मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत माँग में 100 रुपए कम किये जायें"

बीड़ी मजदूरों के संबंध में भविष्यनिधि अधिनियम के उपबंधों को लागू करने में असफलता। (17)

"कि श्रम मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत माँग में 100 रुपये कम किये जायें"

बीड़ी मजदूरों को पेंशन देने में असफलता। (18)

"कि श्रम मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जायें"

बीड़ी मजदूरों के लिए जीवन बीमा स्कीम लागू करने में असफलता। (19)

"कि श्रम मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत माँग में 100 रुपये कम किये जायें"

नालन्दा जिले तथा बिहार के अन्य स्थानों में टी० बी० से पीड़ित बीड़ी मजदूरों को पर्याप्त चिकित्सा सहायता की अवस्था में असफलता। (20)

"कि श्रम मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत माँग में 100 रुपये कम किये जाएं।"

जहाँ कहीं भविष्यनिधि अधिनियम लागू करने है वहाँ बीड़ी मजदूरों को महंगाई भत्ते की राशि देने में असफलता। (21)

"कि श्रम मंत्रालय शीर्षक के अन्यर्गत माँग में 100 रुपये कम किये जायें"

भूमिहीन बीड़ी मजदूरों को मकान देने में अथवा मकान बनाने के लिए ऋण देने में असफलता। (22)

"कि श्रम मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जायें"

बीड़ी मजदूरों तथा उनके बच्चों को पर्याप्त शैक्षणिक छात्रवृत्तियां देने में असफलता। (53)

"कि श्रम मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत माँग में 100 रुपये कम किए जाएं"

देश में, विशेषकर विशेषकर बिहार के नालन्दा जिले में लाखों बीड़ी मजदूरों को महंगाई भत्ते की बकाया राशि देने में असफलता। (24)

"कि श्रम मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत माँग में 100 रुपये कम किये जाएं"

पूरे देश में बीड़ी मजदूरों के लिए सेवा कार्ड देने में असफलता। (25)

"कि श्रम मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत माँग में 100 रुपए कम किये जायें"

पूरे देश में कारखाना मालिकों द्वारा 30 लाख बीड़ी मजदूरों के भारी शोषण को रोकने में असफलता। (26)

"कि श्रम मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत माँग में 100 रुपये कम किए जाएं।"

बीड़ी उद्योग के प्रबन्ध में मजदूरों की भागीदारी को सुनिश्चित करने में असफलता। (27)

"कि श्रम मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत माँग में 100 रुपये कम किये जायें।"

ट्रेड यूनियन गतिविधियों को सरकारी दमन से बचाने में असफलता। (55)

"कि श्रम मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत माँग में 100 रुपये कम किए जायें ।"

बीड़ी मजदूर कल्याण निधि में कर्मचारियों के लिए चिकित्सा, आवास शिक्षावृत्ति तथा अन्य सहायता के लिए पर्याप्त निधियों का आवंटन करने में असफलता । (56)

"कि श्रम मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत माँग में 100 रुपये कम किए जाये।"

कृषि मजदूरों को जीवन बीमा स्कीम के अन्तर्गत लाने में असफलता । (57)

"कि श्रम मंत्रालय शीर्षक के अन्यर्गत माँग में 100 रुपये कम किए जायें ।"

बीड़ी मजदूर निधि का वेहतर उपयोग के लिए बिहार में एक राज्य सलाहकार समिति गठित करने में असफलता । (58)

"कि श्रम मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत माँग में 100 रुपए कम किए जायें ।"

बीड़ी मजदूरों तथा कृषि मजदूरों समेत सभी प्रकार के मजदूरों को पेंशन की व्यवस्था करने में असफलता । (59)

"कि श्रम मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत माँग में 100 रुपये कम किए जाये ।"

नालन्दा जिले के बिहार शरीफ में बीड़ी मजदूरों के लिए अस्पताल भवन का निर्माण करने में असफलता ।

"कि श्रम मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत माँग में 100 रुपए कम किए जाये ।"

भिलाई, बोकारो, कोराबा, कुदरेमुख और सुपा के एच एस सी एल के निर्माण कार्य में लगे श्रमिकों की मजदूरी पर पुनर्विचार करने सम्बन्धी माँगें स्वीकार करने में असफलता (74)

"कि श्रम मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत माँग में 100 रुपए कम किए जायें ।"

देश में अर्थात बोकारो, भिलाई और जमशेदपुर के सभी इस्पात संयंत्रों में निर्माण कार्य में लगे श्रमिकों की सेवाओं की गारंटी की माँग को स्वींकार करने में असफलता (75)

"कि श्रम मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत माँग में 100 रुपये कम किये जाएं ।"

भिलाई, बोकारो, कोराबा, कुदरेमुख और सुपा के एच चस सी एल के निर्माण कर्मचारियों की 24 सूत्री मांगों को स्वीकार करने में असफलता (76)

"कि श्रम मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत माँग में 100 रुपये कम किये जाये ।"

बोकारो के एच एस सी एल के निर्माण कर्मचारियों को छंटनी के खतरे के सम्बन्ध में आश्वासन देने में असफलता (77)

"कि श्रम मंत्रायय शीर्षक के अन्तर्गय माँग में 100 रुपए कम किये जायें ।"

टिस्को के निर्माण मजदूरों को छंटनीं से संरक्षण प्रदान करने और उन्हें नियमित करने में असफलता । (78)

"कि श्रम मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत माँग में 100 रुपए कम किये जाएं ।"

देश भर में मजदूरों को निःशुल्क उचित चिकित्सा सुविधाएँ उपलब्ध कराने में असफलता (79)

देश भर के मजदूरों के लिए राष्ट्रीय मजदूरी नीति तैयार करने में असफलता (80)

"कि श्रम मन्त्रालय शीर्षक के अन्तर्गत माँग में 100 रुपए कम किए जाये ।"

जमशेदपुर में सभी ठेका मजदूरों को हटाए जाने को रोकने में असफलता (81)

"कि श्रम मंत्रायय शीर्षक के अन्तर्गत माँग में 100 रुपये कम किये जाएं।"

30 लाख बीड़ी मजदूरों के लिए राष्ट्रीय मजदूरी नीति निर्धारित करने में असफलता (82)

"कि श्रम मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत माँग में 100 रुपये कम किये जाएं।"

देश के सभी बीड़ी कर्मचारियों के लिए प्रति एक हजार बीड़ी बनाने पर 10 रु0 20 पैसे की मजदूरी तिश्चित करने में असफलता (83)

"कि श्रम मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत माँग में 100 रुपये कम किये जायें।"

बिहार राज्य समेत देश भर में बीड़ी उद्योग में बोनस अधिनियम को लागू करने में असफलता (84)

"कि श्रम मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत माँग में 100 रुपये कम किये जायें।"

देश में बीड़ी उद्योग में कार्यरत तमाम मजदूरों के लिए भविष्य निधि अधिनियम के उपलब्धों को लागू करने के लिए राज्य सरकारों को बाध्य करने से असफलता (85)

"कि श्रम मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत माँग में 100 रुपये कम किये जाएं।"

बिहार राज्य समेत पूरे देश में महिला बीड़ी मजदूरों को पुरुष बीड़ी मजदूरों के समान वेतन दिलाने में असफलता (86)

"कि श्रम मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत माँग में 100 रुपये कम किए जायें।'

देश में जमींदारों के शोषण से कृषि मजदूरों को सुरक्षा दिलाने में असफलता (87)

"कि श्रम मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत माँग में 100 रुपए कम किए जाएं।"

देश के कृषक मजदूरों के लिए आवश्यकता पर आधारित अखिल भारतीय मजदूरी तय करने में असफलता (88)

"कि श्रम मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत माँग में 100 रुपये कम किए जायें।"

कृषक मजदूरों के लिए अखिल भारतीय स्तर पर पैंशन की व्यवस्था करने में असफ़लता (89)

"कि श्रम मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत माँग में 100 रुपये कम किए जाएं।"

कृषि मजदूरों को उनके काम के स्थान पर तथा उनके निवास स्थान पर मुफ्त चिकित्सा व्यवस्था करने की आवश्यकता (90)

"कि श्रम मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत माँग में 100 रुपये कम किए जायें।"

सभी छात्र बीड़ी मजदूरों तथा उतके आश्रित छात्रों को वित्तिय सहायता देने में असफलता (91)

"कि श्रम मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत माँग में 100 रुपए कम किये जाये।"

कल्याण निधि से बिहार राज्य के नालंदा जिले के बिहार शरीफ़ में बीड़ी मजदूरों के लिए पूर्ण अस्पताल खोलने में असफलता (92)

"कि श्रम मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत माँग में 100 रुपए कम किये जायें।"

बीड़ी मजदूरों को उनके कारखानों में मुफ्त में रेडियो सेट देने में असफलता (93)

"कि श्रम मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत माँग में 100 रुपए कम किए जाएं।"

कृषक मजदूरों के रोजगार की सुरक्षा की व्यवस्था करने में असफलता (94)

"कि श्रम मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपया कम किया जायें।

कृषक मजदूरों के लिए काम के घण्टे को नियमित करने की व्यवस्था करने में असफलता (95)

',कि श्रम मं .ालय शीर्षक के अन्तर्गत माँग को कम करके 1 रुपया किया जाए।"

श्री रामावतार शास्त्री (पटना) : मैं प्रस्ताव करता हूँ :

"कि श्रम मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाये।"

उद्योगपतियों द्वारा भविष्य निधि की राशि को पचा जाने की मजदूर विरोधी कार्यवाही को समाप्त करने में असफलता। (28)

"कि श्रम मंत्रालय शीर्षक के अन्तगंग माँग को कम करके 1 रुपया किया जाये"

ई० एस० आई० के अस्पतालों में भरपूर दवाओं, डाक्टरों बिस्तरों आदि की व्यवस्था करने में असफलता। (29)

"कि श्रम मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाये".

ट्रेड यूनियन अधिकारों की सुरक्षा करने में असफलता। (30)

"कि श्रम मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत माँग को कम करके 1 रुपया किया जाए"

बंधुआ मजदूरी प्रथा को समाप्त करने में असफलता।

पब्लिक ब्यूरो आफ इन्टर प्राइज को समाप्त करने की आवश्यकता। (31)

"कि श्रम मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाए"

श्रमजीवी वर्ग के सामूहिक सौदेबाजी की नीति को और अधिक मजबूत करने की आवश्यकता। (32)

"कि श्रम मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत माँग को कम करके 1 रुपया किया जाये"

स्थायी बोनस कानून बनाने में असफलता। (33)

"कि श्रम मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत माँग को कम करके 1 रुपया किया जाये"

बीड़ी और सिगार उद्योग में काम करने वाले मजदूरों को बोनस देने में असफलता। (34)

"कि श्रम मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत माँग को कम करके 1 रुपया किया जाये"

कोयला खानों में सुरक्षा की समुचित व्यवस्था करने में असफलता। (35)

"कि श्रम मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत माँग को कम करके 1 रुपया किया जायें"

देश के सभी मजदूरों को बिना किसी शर्त के कम से कम 8.33 प्रतिशत बोनस देने में असफलता। (36)

"कि श्रम मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाये"

देश में दिनोंदिन बढ़ रही बेरोजगारी को रोकने में असफलता। (37)

"कि श्रम मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाये"

देश के प्रत्येक राज्य में स्थापित इम्पलायमेंट एक्सचेंज में व्याप्त भ्रष्टाचार का अन्त करने में असफलता। (38)

"कि श्रम मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत माँग को कम करके 1 रुपया किया जाये"

ठेका मजदूरी प्रथा को समाप्त करने में विफलता। (39)

"कि श्रम मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाए"

ठेका मजदूरी प्रथा को समाप्त करने सम्बन्धी कानून का उल्लंघन करने वाले जमशेदपुर स्थित टिस्को के मालिक टाटा के विरुद्ध कार्यवाही करने में विफलता। (40)

"कि श्रम मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत माँग को कम करके 1 रुपया किया जाये।"

बीमा कर्मचारियों के वेतन, बोनस तथा अन्य सुविधाओं में कमी करने के लिए पारित कानून को रद्द करने की आवश्यकता। (41)

"कि श्रम मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत माँग को कम करके 1 रुपया किया जाये।"

सभी सरकारी उपक्रमों में काम करने वाले मजदूरों के लिए समान वेतनमान निर्धारित करने में विफलता। (42)

"कि श्रम मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत माँग को कम करके 1 रुपया किया जाये।"

खेत मजदूरों की स्थिति में सुधार लाने के लिए एक अलग कानून बनाने में असफलता। (43)

"कि श्रम मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत माँग को कम करके 1 रुपया किया जाये।"

खेत मजदूरों के लिए निम्नतम मजदूरी कानून की क्रियान्विति में असफलता। (44)

"कि श्रम मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत माँग को कम करके 1 रुपया किया जाये।"

श्रम कानूनों की क्रियान्विति में असफलता। (45)

"कि श्रम मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत माँग को कम करके 1 रुपया किया जाये।"

औद्योगिक सम्बन्धों में सुधार लाने के लिए एक विस्तृत श्रम कानून बनाने में विफलता। (46)

"कि श्रम मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत माँग को कम करके 1 रुपया किया जाये।"

मजदूर पक्षी नीति निर्धारित करने में विफलता। (47)

"कि श्रम मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत माँग को कम करके 1 रुपया किया जाये।"

सरकार की इजारेदार पक्षी श्रम नीति। (48)

"कि श्रम मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत माँग को कम करके 1 रुपया किया जाये।"

17वीं लेबर कांफ्रेंस के निर्णयों के अनुसार देश भर के मजदूरों के लिए आवश्यकता के आधार पर आधारित वेतनमान तय करने में विफलता। (49)

"कि श्रम मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत माँग को कम करके 1 रुपया किया जाये।"

देश के मजदूरों के लिए एक समान मजदूरी नीति निर्धारित करने में असफलता। (50)

"कि श्रम मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत माँग को कम करके 1 रुपया किया जाये।"

विश्वविद्यालयों, कालेजों, अस्पतालों, आकाशवाणी, दूरदर्शन, अर्ध-सरकारी उपक्रमों में काम करने वाले कर्मचारियों को बोनस देने में असफलता। (51)

"कि श्रम मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत माँग को कम करके 1 रुपया किया जाये।"

हड़ताल करने के अधिकारों की रक्षा करने की आवश्यकता। (52)

"कि श्रम मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत माँग को कम करके 1 रुपया किया जाये।"

'वेतनजाम' की समय-समय पर होने वाली चर्चा का निराकरण करने में असफलता (53)

"कि श्रम मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत माँग को कम करके 1 रुपया किया जाये।"

शासक दल द्वारा संचालित ट्रेड यूनियनों को तरजीह देने तथा विरोधी दलों द्वारा संचालित यूनियनों के साथ भेदभाव की नीति को समाप्त करने में असफलता। (54)

"कि श्रम मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत माँग में 100 रुपये कम किए जायें।"

श्री टी० आर० शमन्ना (बंगलौर दक्षिण) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि श्रम मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत माँग में 100 रुपये कम किए जायें।"

औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं को और रोजगारोन्मुख बनाने की आवश्यकता। (61)

"कि श्रम मंत्रालय शीर्षक के अन्यर्गत माँग में 100 रुपये कम किए जायें।"

असंगठित मजदूरों को सहायता देने तथा मूल्य सूचकांक के अनुसार बेहतर मजदूरी देने में असफलता। (62)

"कि श्रम मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत माँग में 100 रुपए कम किए जायें।"

ग्रामीण बेरोजगार युवकों को नियमित काम दिलाने के लिए उचित प्रशिक्षण देने में असफलता। (63)

"कि श्रम मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत माँग में 100 रुपये कम किए जाये।"

उन व्यक्तियों को जो बंधुआ मजदूर के शिकार हैं, पूर्ण राहत तथा वैकल्पिक रोजगार देने में असफलता। (64)

"कि श्रम मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत माँग में 100 रुपए कम किए जाये।"

आवास, मनोरंजन तथा सहकारी भंडारों के सम्बन्ध में मजदूरों को बेहतर सुविधा देने में असफलता। (65)

"कि श्रम मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत माँग में 100 रुपए कम किए जायें।"

बाल श्रम नियोजन को प्रभावी रूप से रोकने की आवश्यकता। (66)

"कि श्रम मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत माँग में 100 रुपये कम किये जाएं।"

विभिन्न उद्योगों में लम्बे समय से नैमित्ति मजदूरों के रूप में काम कर रहे मजदूरों को स्थायी काम दिलाने में असफलता। (67)

"कि श्रम मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत माँग में 100 रुपये कम किये जायें।"

देश में बेरोजगारी की बढ़ती हुई समस्या का समाधान करने में असफलता। (68)

"कि श्रम मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत माँग में 100 रुपये कम किए जाएं।"

गरीब बेरोजगारों के फायदे के लिए रोजगार योजना को प्रभावी ढंग से लागू करने में असफलगा। (69)

"कि श्रम मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत माँग में 100 रुपए कम किये जाये"

रोजगार केन्द्रों के कार्यकरण में सुधार लाने की आवश्यकता ताकि गरीब वर्ग के लोगों को रोजगार मिलने में सहायता दी जा सके। (70)

"कि श्रम मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत माँग में 100 रुपये कम किये जाएं"

काम के आधार पर मजदूरी के भुगतान सम्बन्धी योजना को प्रभावी ढंग से लागू करने में असफलता। (71)

"कि श्रम मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत माँग में 100 रुपये कम किए जाएं"

शिल्पियों के लिये व्यवसायिक तथा तकनीकी प्रशिक्षण स्कीम लागू करने में असफलता। (72)

"कि श्रम मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किऐ जायें"

असंगठित मजदूरों को उचित कानूनी सहायता दिलाने में असफलता। (73)

"कि श्रम मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत माँग में 100 रुपये कम किये जायें"

श्री रीतिलाल प्रसाद वर्मा (कोडरमा) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

अभ्रक खान कामगार कल्याण निधि निगम के समान मिल मजदूरों के लिए एक कल्याण निधि तथा निगम बनाने में असफलता (131)

"कि श्रम मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत माँग में 100 रुपये कम किये जाएं।"

भारतीय अभ्रक मजदुरों के लिए लाभप्रद मजदूरी तय करने के लिए एक अभ्रक मजदूरी बोर्ड का गठन करने में असफलता (132)

"कि श्रम मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत माँग में 100 रुपये कम किये जायें"

उन ठेका मजदूरों की सेवाओं को नियमित करने में असफलता जो पांच से दस वर्षों से सकारी उपक्रमों में काम कर रहे हैं (135)

"कि श्रम मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जायें"

पूरे देश में बीड़ी कामगारों के लिए एक समान मजदूरी की दर तय करने में असफलता (136)

"कि श्रम मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत माँग में 100 रुपए कम किये जायें"

श्रम कानूनों के अधीन पांच करोड़ कृषक मजदूरों को लाने और उनके विकास के लिए कदम उठाने में असफलता (137)

"कि श्रम मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत माँग में 100 रुपये कम किये जायें"

इंडियन टेल कम्युनिकेशन यूनियन को प्रोत्साहन देने में असफलता यद्यपि उन्होंने हड़ताल पर जाने के बजाय जापान की तरह दो घंटे अधिक काम करने की नीति अपनाई है (138)

"कि श्रम मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जायें"

बोकारो, रांची, जमशेदपुर, बर्नपुर, कुल्टी, कुदरेमुख, भिलाई और सूपा में एच० एम०-सी० एल० के निर्माण कामगारों की सेवाओं को नियमित करने में असफलता (139)

"कि श्रम मन्त्रालय शीर्षक के अन्तर्गत माँग में 100 रुपए कम किए जाएं।"

नैमित्तिक मजदूरों को चिकित्सा सुविधाओं की व्यवस्था करने में असफलता (140)

"कि श्रम मन्त्रालय शीर्षक के अन्तर्गत माँग में 100 रुपये कम किये जाये।"

एक राष्ट्रीय मजदूर नीति तैयार करने में असफलता (141)

"कि श्रम मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत माँग में 100 रुपए कम किए जायें।"

टिस्को, टेलको तथा निजी क्षेत्रों में बिरला ग्रुप की अन्य कम्पनियों में छंटनी किये जा रहे नैमित्तिक मजदूरों के हितों की रक्षा करने में असफलता (142)

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका बड़ा अहसान मानता हूँ कि आपने मुझे समय दिया। मैं समझता हूँ कि हमारे श्रम मंत्री जी जोकि हमारे योजना मंत्री भी हैं यह बड़े सौभाग्य की बात है। मैं इस बात के लिए उनका बड़ा शुक्रगुजार हूँ जो वे कहते हैं :—

1979 में 438.7 लाख कार्य दिवसों की तुलना में 1980 में क्षति हुए कार्य दिवसों के अनंतिम आंकड़े 129 लाख हैं।

यह तो बहुत अच्छी बात कही, उसके बाद आपने कह दिया :—

पश्चिम बंगाल राज्ल में सबसे अधिक 36 लाख कार्य दिवसों की क्षति हुई, उसके बाद महाराष्ट्र और अन्य राज्यों का नम्बर आता है।

लेकिन मैं एक बात अपने श्रम और योजना मंत्री जी से कहना चाहता हूँ।

मैं यह कहना चाहता हूँ कि देश में बेकारी एक अभिषाप के रूप में है। हिन्दुस्तान में बेकारी के जो आंकड़े आपके द्वारा बताए गए हैं वे दो करोड़ हैं। देश में दो करोड़ लोग बेकार हैं। योजना मंत्री महोदय ने बताया है कि छठी पंचवर्षीय योजना में एक करोड़ 10 लाख लोगों को काम पर लगाया जायेगा। मेरे पास जो फिगर हैं, उनसे मालूम होता है कि हिन्दुस्तान में इंजीनियर्स बेकार हैं, डाक्टर्स बेकार हैं, पोस्ट ग्रेजुएट्स बेकार हैं, बहुत से एम० बी० बी० एस० और साइंटिस्ट बेकार हैं। ये सारे लोग बेकार हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री डागा, आप कल अपना भाषण जारी रख सकते हैं। सभा कल 11 बजे पुनः समवेत होने के लिये स्थगित होती है।

6.01 म० प०

तत्पश्चात लोक सभा मंगलवार, 7 अप्रैल, 1981/17 चैत्र, 1903 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।